



सत्यमेव जयते

अनुसूचित जातियों

और

अनुसूचित जनजातियों

के

आयुक्त

की

रिपोर्ट

NIEPA



G0154

1977-78

(पच्चीसवीं रिपोर्ट)

भाग-1

305-5606
BNA CR



अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों
के
आयुक्त का कार्यालय

जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन अपेक्षित है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संविधान में दिये गये संरक्षणों के कार्य-चालन पर वर्ष 1977-78 की मेरी रिपोर्टें सादर प्रस्तुत हैं।

24 नवम्बर, 1976 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का कार्य-भार संभालने के बाद से यह मेरी दूसरी रिपोर्ट है। वर्ष 1975-76 और 1976-77 से सम्बन्धित पिछली रिपोर्ट 29 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत की गई थी।



शिशिर कुमार
आयुक्त

नई दिल्ली
29 दिसम्बर, 1978

राष्ट्रपति को,
(द्वारा गृह मंत्री)

विषय-सूची

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| 1. | प्रारंभिक और सामान्य सवीक्षा | 1 |
| 2. | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सांविधानिक संरक्षणों का संचालन | |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां | 8 |
| | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978 | 8 |
| | संविधान के अनुच्छेद 330 332 और 334 के अधीन लोक सभा तथा विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व | 8 |
| | राज्यसभा तथा लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व | 8 |
| | लोक सभा | 8 |
| | राज्य सभा | 9 |
| | विधान सभाओं और विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व | 9 |
| | विधान सभाएं | 9 |
| | विधान परिषदें | 9 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का संगठन | 9 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन | 10 |
| | पुनर्गठन के बाद 1967 से आयुक्त संगठन के पुनर्गठन/विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव | 10 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभ्योग की नियुक्ति | 11 |
| | अस्पृश्यता उन्मूलन | 12 |
| | बंधुवा मजदूरी | 12 |
| | बंधक मजदूरों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण | 13 |
| | राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा गांधी शांति प्रतिष्ठान के सहयोग से बंधक मजदूर पद्धति का सर्वेक्षण | 13 |
| | मुक्त किए गए बंधुवा मजदूरों का पुनर्वासि | 13 |
| | दादन श्रम प्रथा | 14 |
| | शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण | 14 |
| | स्नातकोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण | 14 |
| | सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण | 15 |
| | अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र | |
| | अनुसूचित क्षेत्र | 15 |
| | वर्ष 1976- 77 के लिए बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्यपाल की रिपोर्ट | 16 |
| | आदिवासी सलाहकार परिषदें | 16 |
| | आदिवासी क्षेत्र | 17 |
| | लोक सभा और विधान सभाओं में आंग्ल- भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व | 17 |
| 3. | जनशक्ति योजना-सेवा सुरक्षण | |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं में प्रतिनिधित्व की समीक्षा | 18 |
| | (क) केन्द्रीय सरकार की सेवाएं | 18 |
| | (1) अखिल भारतीय सेवाएं और केन्द्रीय सेवाएं | 18 |
| | (2) केन्द्रीय सरकार की सेवाएं | 19 |
| | (3) रेलवे सेवाएं | 20 |
| | (4) सशस्त्र सेनाएं | 20 |
| | (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | 20 |
| | (ग) सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकृत बैंक | 21 |
| | (घ) सांविधानिक कानूनी निकाय | 22 |
| | (ङ) विश्वविद्यालय सेवाएं | 23 |
| | (च) उच्च न्यायालय के अज और न्यायिक सेवाएं | 24 |
| | (छ) निजी क्षेत्र | 25 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--|--|--------------|
| महत्वपूर्ण मामले | | |
| (क) | बकाया भर्ती को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान | 25 |
| (ख) | पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण आकलन क्षेत्र (ब्लॉक आफ कंसिडरेशन) | 26 |
| (ग) | प्रथम श्रेणी में हूँ पदोन्नति- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण | 26 |
| (घ) | आरक्षित खाली रिक्तियों को अप्रैनीत करना | 27 |
| (ङ) | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का अधिक्रमण | 27 |
| (च) | आरंभ में स्थानीय/आंचलिक आधार पर पदों में पदोन्नति आरक्षण | 28 |
| (छ) | जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी पदोन्नति का आरक्षित कोटा भरने के लिए उपलब्ध नहीं हैं; वहां सीधी भर्ती को फिर से चालू करना | 28 |
| (ज) | सम्पर्क अधिकारी और विशेष प्रकोष्ठ | 28 |
| (झ) | सामान्य पूल आवासों का आबंटन | 29 |
| | आरक्षण कोटा में संलग्न कार्मिकों का प्रशिक्षण | 30 |
| प्रशिक्षण और रोजगार | | |
| (क) | परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र | 30 |
| (ख) | कर्मचारी चयन आयोग | 31 |
| (ग) | प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शक केन्द्र | 31 |
| (घ) | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के प्रशिक्षण को प्रायोगिक योजना | 32 |
| (ङ) | दस्तकार प्रशिक्षण योजना | 32 |
| (च) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षता प्रशिक्षण | 32 |
| (छ) | रोजगार कार्यालय | 33 |
| आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण | | |
| 34 | | |
| अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के सेवा संचों की मान्यता | | |
| 35 | | |
| लोक सेवा आयोग | | |
| (क) | संघ लोक सेवा आयोग | 35 |
| (ख) | राज्य लोक सेवा आयोग | 35 |
| (ग) | रेल सेवा आयोग | 36 |
| राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व | | |
| (i) | रोस्टर पद्धति | 37 |
| (ii) | पदों का समूहन | 37 |
| (iii) | पृथक साक्षात्कार | 37 |
| (iv) | उपयुक्तता के स्तरों में छूट | 38 |
| (v) | आरक्षित रिक्तियों को अप्रैनीत करना | 38 |
| (vi) | रिक्तियों का विनिमय | 38 |
| (vii) | आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण | 38 |
| (viii) | पदोन्नतियों द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण | 39 |
| (ix) | पुष्टि के समय आरक्षण | 39 |
| (x) | चयन मंडलों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का मनोनयन | 39 |
| (xi) | ऊपरी आयु सीमा में छूट | 40 |
| (xii) | ग्रुन्क में छूट | 40 |
| (xiii) | यात्रा भत्ता प्रदान करना | 40 |
| (xiv) | वर्क चार्ज्ड इस्टेब्लिशमेंट में आरक्षण | 40 |
| (xv) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रार्थियों का योग्यता के आधार पर चयन | 41 |
| (xvi) | सम्पर्क अधिकारी | 41 |
| (xvii) | विशेष सैल | 41 |
| (xviii) | राज्य स्तरीय समितियों की नियुक्ति | 41 |
| (xix) | स्थानीय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि | 42 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--------------|
| (xx) | सांख्यिकी सूचना | 42 |
| (xxi) | संघ शासित क्षेत्र | 42 |
| | आयुक्त की संस्था का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की संसदीय समिति से सम्बन्ध | 42 |
| | सेवा सुरक्षाओं के बारे में विशेष अध्ययन | 43 |
| 1. | कोल इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता | 43 |
| 2. | भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली | 44 |
| 3. | गार्डनरीच जहाज निर्माण एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता | 44 |
| 4. | दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल | 45 |
| 5. | हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर | 45 |
| 6. | हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर | 46 |
| 7. | भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली | 46 |
| 8. | कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, कलकत्ता | 47 |
| 9. | राष्ट्रीय उपकरण लिमिटेड, कलकत्ता | 47 |
| 10. | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर | 47 |
| 11. | भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर | 48 |
| 12. | भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली | 48 |
| 13. | हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, दुर्गापुर | 49 |
| 14. | भारत का महापंजीयक, नई दिल्ली | 49 |
| 15. | दक्षिण-पूर्व रेलवे, कलकत्ता | 49 |
| 16. | आकाशवाणी, मद्रास | 50 |
| 17. | इंटिग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास | 50 |
| 18. | समुद्रपार संचार सेवा, नई दिल्ली | 51 |
| 19. | समुद्रपार संचार सेवा, मद्रास | 51 |
| 20. | जनरल पोस्ट आफिस, नई दिल्ली एवं सीनियर सुप्रिटेण्डेंट आफ पोस्ट आफिस, नई दिल्ली | 51 |
| 21. | पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली ग्रंचल | 51 |
| 22. | केन्द्रीय राजस्व एवं सीमा-शुल्क समाहर्ता, बंगलौर | 51 |
| 23. | भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान, कानपुर | 52 |
| 24. | भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान, मद्रास | 52 |
| 25. | नेशनल शूगर इंस्टीट्यूट, कानपुर | 52 |
| 26. | शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार | 53 |
| 27. | शिक्षा विभाग, तमिलनाडु सरकार | 53 |
| 28. | शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार | 54 |
| | सेवा मामलों में न्याय न मिल पाने सम्बन्धी शिकायतें | 54 |
| | सिबिल सेवा परीक्षा की नई योजना-- | |
| | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ समुदायों के विरुद्ध इसका भेदभाव-पूर्व चरित्र | 63 |
| 4. | आर्थिक विच्छेद | 64 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास पर किया गया ब्यय | 64 |
| | पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों पर किया गया ब्यय | 64 |
| | एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों पर किया गया ब्यय | 64 |
| | पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों पर किया गया ब्यय | 64 |
| | केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं | 65 |
| | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां | 65 |
| | कन्या छात्रावासों का निर्माण | 65 |
| | मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां | 66 |
| | परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र | 66 |
| | स्वयंसेवी संगठन | 66 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--|--|--------------|
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन की कार्य प्रणाली को मजबूत करना | 66 |
| | राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर किया गया ध्यय | 66 |
| | उत्तर-पूर्व परिचय द्वारा विकास-कार्यों पर किया गया ध्यय | 66 |
| | शिक्षा कार्यक्रमों की अपर्याप्त व्याप्ति | 67 |
| | अस्वच्छ पारंपरिक व्यवसायों से सम्बद्ध समस्याएं | 67 |
| | अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्धारणों का परिमाणन | 67 |
| | पशु-पालन तथा अन्य समवर्गी कार्यक्रम | 68 |
| | अनुसूचित जाति की बहुत जनसंख्या वाले क्षेत्रों का विकास | 68 |
| | एकीकृत ग्रामीण विकास | 68 |
| | राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई सहायता | 69 |
| | ग्रामीण बक | 70 |
| | वितरण एजेंसियों का आंचटन | 70 |
| | लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता | 71 |
| | भारतीय उर्बरक निगम | 71 |
| | इंडियन आयल कार्पोरेशन | 71 |
| | रेल मन्त्रालय | 71 |
| | बसों का आंचटन | 72 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्त निगमों का गठन | 72 |
| | असम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निगम | 72 |
| | हरियाणा हरिजन कल्याण निगम | 72 |
| | पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास तथा वित्त निगम | 72 |
| | गुजरात अनुसूचित जाति आर्थिक विकास निगम | 72 |
| | आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड | 73 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का केरल राज्य विकास निगम लिमिटेड | 73 |
| | उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड | 73 |
| | तमिलनाडु हरिजन आवास और विकास निगम | 73 |
| | कर्नाटक राज्य अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सहकारी आवास निगम | 73 |
| | राजस्थान राज्य वित्त सहकारी आवास समिति लिमिटेड | 73 |
| | राजस्थान आदिवासी विकास निगम | 74 |
| | लाहल आलू-उत्पादकों को सहकारी-विपणन व प्रक्रमण समिति, हिमाचल प्रदेश | 75 |
| | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 76 |
| | अत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन | 77 |
| 5. भूमि, कृषि और आवास कार्यक्रम | | |
| | अनुसूचित जातियों में भूमिहीनता को अधिक विद्यमानता | 78 |
| | अनुसूचित जातियों में सीमांत कृषकों की अधिक विद्यमानता | 78 |
| | आदिवासी क्षेत्रों में कृषि की विशिष्टताएं | 78 |
| | आर्थिक कारणों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार | 78 |
| | असम के कछार जिले में अनुसूचित जाति के परिवारों को भूमि से बेदखल करना | 78 |
| | बिहार में अनुसूचित जातियों के साथ कृषि विवाद | 79 |
| | गुजरात में अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर हमला | 80 |
| | हरियाणा में हत्या, विशेष बायकाट और फसल का विनाश | 80 |
| | मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के चार व्यक्तियों की कथित हत्या तथा फसलों का विनाश | 80 |
| | उड़ीसा में न्यूनतम कृषि मजदूरी की अदायगी पर अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों पर कथित हमला | 80 |
| | पंजाब में सामाजिक बहिष्कार | 80 |
| | राजस्थान में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए भूमि की जुताई में कथित बाधाएं | 80 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| | दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अन्य भूमिहीनों को आवंटित भूमि की जुताई में बाधाएं | 80 |
| | अनुसूचित जातियों को आवंटित भूमि का हथियाना | 81 |
| | भूमि का आवंटन | 81 |
| | बेनामी हस्तांतरण | 82 |
| | भूमि रिकार्ड, परिवर्तन आदि | 82 |
| | कृषि सहायता की व्यवस्था | 82 |
| | मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राजस्व अभियान की शुरुआत | 83 |
| | आदिवासी भूमि का हस्तांतरण | 83 |
| | झूम कृषि | 84 |
| | भूमि संरक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव | 84 |
| | आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की कमी | 85 |
| | ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुविधाओं की व्यवस्था | 85 |
| | छोटे कृषक, सीमांत कृषक और कृषक मजदूर विकास एजेंसियां | 86 |
| | आवास कार्यक्रम | 86 |
| 6. | शैक्षिक विकास | |
| | पिछड़ा वर्ग क्षेत्र (सेक्टर) के अन्तर्गत व्यय | 88 |
| | केन्द्रीय क्षेत्र (सेक्टर) | 88 |
| | राज्य क्षेत्र (सेक्टर) | 88 |
| | नामांकन | 88 |
| | राजस्थान में पांचवी योजना के दौरान हुई प्रगति | 88 |
| | छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सबके लिए प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम | 89 |
| | नामांकन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 89 |
| | गैर-औपचारिक शिक्षा | 90 |
| | प्रौढ़ शिक्षा | 90 |
| | छात्रावास | 91 |
| | राज्य क्षेत्र (सेक्टर) | 91 |
| | सहायता प्राप्त छात्रावासों को अनुदान सहायता | 92 |
| | केन्द्रीय क्षेत्र (सेक्टर) | 92 |
| | कन्या छात्रावास | 92 |
| | आश्रम स्कूल | 92 |
| | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां | 93 |
| | एक ही परिवार के दो बच्चों को छात्रवृत्ति या | 94 |
| | छात्रवृत्तियां बांटने में विलम्ब होना | 94 |
| | समुदाय-वार मैट्रिकोत्तर छात्र-वृत्तियों का आवंटन | 95 |
| | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर ब्याज राशि का उपयोग | 95 |
| | शुष्क शौचालयों की सफाई और खाल उतारने के कामों में लगे गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां | 95 |
| | मैट्रिक-पूर्व वृत्तिकाएं | 95 |
| | प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रोत्साहन | 96 |
| | शुष्क शौचालयों की सफाई करने, चमड़ा कमाने और चमड़ा उतारने के अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां | 96 |
| | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नवबौद्धों, विमुक्त, खानाबदोशी और अर्द्ध-खानाबदोशी कबीलों को राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्तियां | 97 |
| | विभिन्न शैक्षिक और तकनीकी मस्याओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों का प्रवेश | 97 |
| | मेडीकल कालेज | 97 |
| | स्नातक पाठ्यक्रम | 97 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|--|--------------|
| | स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम | 97 |
| | भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान | 98 |
| | भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थानों के निदेशकों के साथ शिक्षामन्त्री की बैठक | 98 |
| | केन्द्रीय विद्यालय | 99 |
| | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण | 99 |
| | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों में परस्पर अंतर्बंदल | 100 |
| 7. | सामाजिक विकास (अत्याचारों और उत्पीड़न को छोड़कर) | 101 |
| | अस्पृश्यता | 101 |
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को लागू करना | 101 |
| | कानूनी सहायता | 102 |
| | अस्पृश्यता की प्रथा के शिकार व्यक्तियों को क्षति-पूर्ति | 102 |
| | समितियों का गठन | 103 |
| | अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कार्यकारी दल की रिपोर्ट | 103 |
| | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दर्ज किए गए मामले | 104 |
| | अस्पृश्यता का व्यवहार | 104 |
| | विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम | 105 |
| | अंतर्जातीय विवाह | 107 |
| | सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न सम्पर्क माध्यमों द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किया गया कार्य | 108 |
| 8. | जनजातीय विकास | |
| | जनजातीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा | 109 |
| | उपयोजना का सूत्रीकरण | 109 |
| | एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं | 110 |
| | आदिम जातियां और उनकी समस्याएं | 111 |
| | आदिम समूहों की विशेष समस्याएं | 111 |
| | घनराशि निर्धारण | 112 |
| | जनजातीय क्षेत्रों के लिये आबकारी नीति | 113 |
| | आंध्र प्रदेश | 113 |
| | असम | 113 |
| | मणिपुर | 113 |
| | हिमाचल प्रदेश | 113 |
| | उड़ीसा | 113 |
| | मध्य प्रदेश | 113 |
| | बिहार | 113 |
| | वन | 114 |
| | उद्यान-कृषि | 115 |
| | औद्योगिकरण का प्रभाव | 116 |
| | सभी जनजातीय क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र की सूची में शामिल करना तथा उच्च पूंजी सहायता एवं दूसरी रियायतें देना | 116 |
| | जनजातियों का उद्यमीय प्रशिक्षण तथा कौशल बढ़ाने के प्रबन्ध एवं उन्हें शौण तथा टैरटियरी सेक्टरों में शामिल करना | 116 |
| | जमशेदपुर की घटना | 117 |
| | औद्योगिक तथा दूसरी परियोजनाओं के निर्माण से विस्थापित लोगों का पुनर्वास | 117 |
| | परियोजना के पृष्ठ प्रदेशों का उनके अंग के स्वरूप में विकास | 118 |
| | निजी उद्यमों द्वारा भूमि हथियाना | 118 |
| | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर अनुसंधान | 118 |

| अध्याय | विषय | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--------------|
| 9. | अत्याचार और उत्पीड़न | |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले प्रत्याचारों पर नियंत्रण करने के बारे में सुझाव | 120 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की संख्या | 120 |
| | महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नये नामकरण के मामले पर हुए दंगे | 123 |
| | तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी अर्काट जिले में विल्लुपुरम में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाएं | 125 |
| | मई 1978 में आगरा नगर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा अनुसूचित जातियों पर गोलियां चलाने के मामले | 126 |
| | बिहार राज्य के भोजपुर जिले में धरमपुर गांव के अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की हत्या | 130 |
| | बिहार राज्य में भोजपुर के थार थाने के सिआोथा गांव के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या | 130 |
| | उड़ीसा के धेनकनाल जिले के अंगुल थाने तथा परगने के संत्रापुर गांव के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या | 131 |
| | आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के भल्लूखंडडूपालम गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला से छेड़खानी | 131 |
| | हरियाणा राज्य में सोनीपत जिले के खेवड़ा गांव की हरिजन महिला के साथ मारपीट | 131 |
| | हरियाणा राज्य के गुडगांव जिले में पटीदी थाने के लांगरा गांव की अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ छेड़खानी | 131 |
| | बिहार राज्य के सिहभूम जिले के करकेटा चाइबासा सदर गांव में आदिवासी लड़कों के साथ छेड़खानी | 132 |
| | बिहार राज्य के कटिहार जिले में दंडखोरा गांव की अनुसूचित जाति की लड़की के साथ छेड़खानी | 132 |
| | राजस्थान राज्य के प्रतापूर जिले के हसीरा गांव में अनुसूचित जाति के एक बालक के कान काटने संबंधी घटना | 132 |
| | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए केंद्र तथा राज्यों में की गई विशेष व्यवस्था | 132 |
| | केन्द्रीय गृह मंत्रालय में संगठनात्मक ढांचा | 132 |
| | अनुसूचित जातियों आदि पर अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए राज्यों में की गई विशेष व्यवस्था का विवरण | 132 |
| | आंध्र प्रदेश | 132 |
| | बिहार | 133 |
| | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का बिहार राज्य में अत्याचारों की रोकथाम के उपायों के क्रियान्वयन की | |
| | जानकारी के लिए किया गया दौरा | 133 |
| | गुजरात | 133 |
| | हरियाणा | 133 |
| | हिमाचल प्रदेश | 133 |
| | केरल | 133 |
| | मध्य प्रदेश | 133 |
| | महाराष्ट्र | 134 |
| | कर्नाटक | 134 |
| | उड़ीसा | 134 |
| | पंजाब | 134 |
| | राजस्थान | 134 |
| | उत्तर प्रदेश | 134 |
| | पश्चिम बंगाल | 134 |
| | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के निमित्त राज्य सरकारों द्वारा उठाए गये विशेष कदम | 134 |
| | आंध्र प्रदेश | 134 |
| | बिहार | 135 |
| | गुजरात | 135 |
| | हिमाचल प्रदेश | 135 |
| | महाराष्ट्र | 135 |
| | पंजाब | 135 |
| | राजस्थान | 135 |
| | तमिलनाडु | 135 |
| | अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता का अनुदान | 135 |
| | रिपोर्ट में की गई सिफारिशें | 137 |

प्रारंभिक और सामान्य समीक्षा

समोक्ष्य अवधि में कमजोर वर्गों की सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के प्रयत्नों में वृद्धि हुई है, वहीं उन पर होने वाले अत्याचारों में भी वृद्धि हुई है। इन प्रयत्नों में ऐसे लोगों के विकास तथा संरक्षण को परस्पर दुहरी चुनौती का व्युत्पत्ता और आवश्यक दायित्व से सामना किया गया। संयोग से इसी अवधि में गरीबी हटाने, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने, एकता तथा समानता के प्राधारों को विस्तृत एवं एकीकृत करने के निमित्त नयी योजना के लिए नीति-निर्धारण की भी शुरुआत हुई। योजना आयोग यथा गृह मंत्रालय द्वारा गठित दो कार्यकारी दलों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का सही परिप्रेक्ष्य में गहन अध्ययन किया, विकासभ्रम सुझाव दिये और पांचवीं योजना में अपनायी गयी नीति की त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न भी किया। किन्तु अत्याचारों की सम्बन्धित समस्या में शिथिलता के संकेत दिखाई देने की अपेक्षा ऐसे कुकर्न करने वाले अत्याचारियों ने इस समस्या को संगठित प्राक्रामकता का आग्राम प्रदान कर दिया, जो महज जातिगत घृणा के स्थान पर वर्ग-संघर्ष की सीमा को छूने लगा। कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रतिष्ठित सशक्त आश्रयन इसके आगे निष्प्रभ होते दीखने लगे हैं। जब कभी ऐसी कोई घटना हुई तो लोकसभों तथा संसद के समक्ष उसे रखा गया और उस पर पहले की अपेक्षा अधिक जमकर बहस हुई। इस समस्या की गंभीरता महज आंकड़ों को उद्धृत करने की स्थिति से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस पर मानवीय विफलता तथा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के संदर्भ में बहस हुई।

1.2 छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप-प्रलेख में योजना आयोग ने अत्यंत चिंतित स्वर में लिखा है कि "वर्षों से अपरिवर्तित गरीबी तथा असमानता को हम अपने समाज के दो सबसे अधिक बंचित वर्गों—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—की जीवन-स्थितियों में साफ-साफ देख सकते हैं।" पिछली पंचवर्षीय योजना-अवधि में ग्राम विकास का लेखा-जोखा करने के लिए जब कभी भी योजना आयोग की बैठक हुई है, हर बार लगभग इसी तरह की भावनाएं प्रकट की गयी हैं। पहले के सभी योजना प्रलेखों में इस बात पर जोर दिया गया था कि इन समुदायों के लोगों को सामान्य क्षेत्रों की योजनाओं से पर्याप्त लाभ मिलने चाहिए। किन्तु अब तक अनेक केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा इसके लिए आवश्यक धन-राशि के परिमाणन नहीं हुए हैं। अनेक राज्य सरकारों ने एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत रहने वाली अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए सामान्य क्षेत्र से धन राशि देना शुरू किया है। अनेक राज्य सरकारों का दावा है कि इसी तरह के कदम अनुसूचित जातियों के लिए भी उठाए गये हैं। किन्तु इ। सम्बन्ध में विरवसनीय तथा तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि सामान्य क्षेत्र कार्यक्रमों से इन्हें सचमुच कोई लाभ मिल रहा है या नहीं।

1.3 छठी योजना के प्रारूप में सुझाये गई रणनीति में इस बात की व्यवस्था है कि योजना कार्यक्रमों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों, जो इन समुदायों में सबसे गरीब तथा असुरक्षित वर्ग हैं, को अधिक से अधिक लाभ मिले। पिछड़े वर्गों के विकास की रणनीति यह होगी कि सामान्य क्षेत्रों में विकास की ऐसी स्कीमों को अपनाने पर अधिक बल दिया जाये, जो इन लोगों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हों। हर क्षेत्र के विभाज्य कार्यक्रमों से धन-राशि निश्चित करने के साथ-साथ इस लक्ष्य को भी निर्धारित करना होगा कि इन कार्यक्रमों के अधीन कितने परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

1.4 विकास के विगत प्रयत्नों का कुल परिणाम यह है कि आज जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक भाग गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे रहता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। गरीबी की समस्या यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समान रूप में है किन्तु किन्हीं वृत्तियादी प्राधारों का ही अंतर है—विशेषकर उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व के प्रश्न के सम्बन्ध में। अनुसूचित जनजातियों की उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व पर पारम्परिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनका बाहरी मंडियों के हित में शोषण किया जाता है और धीरे-धीरे कानूनी अथवा गैर-कानूनी तरीकों से उन्हें अपने अधिकारों से बंचित किया जा रहा है। दूसरी ओर, अनुसूचित जातियों का उत्पादक संसाधनों पर स्वामित्व नहीं है और उनकी आर्थिक असमताओं का कारण सामाजिक प्रक्रियाओं में खोजा जा सकता है। 1971 में अनुसूचित जातियों के कुल 2 करोड़ 90 लाख कामगारों में से 1 करोड़ 50 लाख (51.8 प्रतिशत) खेतिहर मजदूर और 80 लाख (27.9 प्रतिशत) काश्तकार थे। अनुमान है अनुसूचित जाति के अधिकांश काश्तकार (51 प्रतिशत) सीमांत-काश्तकार थे, जो 2.5 एकड़ से भी कम जोतों के स्वामी थे। लगभग 20 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि घोषित की गई थी। मुश्किल से ऐसी 25 प्रतिशत भूमि ही विकरित की गई। इस तरह वितरित भूमि का मुश्किल से एक-तिहाई भाग ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्वस्थों के हिस्से में आया। इस दिशा में धीमी प्रगति का कारण भूमि अधिकतम सीमा अधिनियमों का असंतोष जनक ढंग से लागू करना बताया जाता है। कई राज्यों ने अपने यहां के काश्तकारी कानूनों को, जहां तक लगान के बिनियमन, पट्टों की सुरक्षा और स्वामित्व के अधिकारों को पृष्ठ का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय नीति के अनुरूप नहीं ढाला है। अनेक राज्यों में, भूपतियों के भूमि पर दोबारा कब्जा करने के अधिकार के अनिश्चितकाल तक बने रहने के फलस्वरूप पट्टेदारों तथा बंटाईदारों के बेदखल हो जाने की आशंका है। इस स्थिति को सुधारने के क्या उपाय हैं तथा भूमि सुधार को पूरा करने में और कितना समय चाहिए। यह प्रश्न तब और भी संगत हो उठता है, जब हमारे योजना बनाने वाले इस बात पर बल देने लगते हैं कि भौतिक उत्पादकता की वृद्धि के लिए न केवल अंतःसंरचना तथा निवेश का प्रावधान होना चाहिए, बल्कि भूमि वितरण कार्यक्रमों को भी तैयारी से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि के यांत्रिकीकरण के विकास को भी नियमित किया जाना चाहिए ताकि भूमि व पानी के अधिकतम उपयोग के संदर्भ में ध्रम का भी अधिकतम उपयोग किया जा सके।

1.5 अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि का कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था के कृषि क्षेत्र में उनकी कमजोर आर्थिक दशा और इस देश के नागरिक के नाते अपने अधिकारों के अधि-पालन के प्रति सजगता हो सकती है। इन लोगों पर बहुत बड़ी संख्या में अत्याचार प्राप्ति क्षेत्रों में इसलिए होते हैं क्योंकि वहां निहित स्वार्थ अनुसूचित जाति के काश्तकारों को उस भूमि पर कृषि करने से रुकावटें पैदा करते हैं तथा इन वर्गों से सम्बन्धित कृषि मजदूर निर्धारित न्यूनतम वेतन की अदायगी चाहते हैं।

1.6 राज्य सरकारों द्वारा विविध कानूनों/विनियमों के लागू किये जाने के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में उन्हें भूमि से बेदखल किया जाना जारी है। राज्य सरकारों ने ऐसे कदम उठाए हैं कि आदिवासियों के भूमि से बेदखल किये जाने सम्बन्धी शोषण को रोकने की दिशा में कार्रवाई बढ़

की जाये। यह सर्वविधित तथ्य है कि स्वतंत्रता के बाद से आदिवासी क्षेत्रों में काफी मात्रा में भूमि हड़प ली गयी है। आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखली को रोकने के बारे में जो उपाय किए गए हैं, वे अनुसूचित जातियों को उपलब्ध नहीं हैं। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, अनुसूचित जातियों के काश्तकार छोटे कृषक हैं और यदि भूमि पर उनके स्वामित्व का अधिकार छिन जाता है तो उनकी आर्थिक दशा और भी अधिक शोचनीय हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि इस समुदाय के संसाधनों के क्षीण होने की प्रक्रिया को सबसे पहले रोका जाये।

1.7 हमारी पिछली रिपोर्टों में देश में बंधुआ मजदूरों की समस्या पर बार-बार प्रकाश डाला गया है। एक विशेषज्ञ समिति के अनुमान के अनुसार 10 में से 8 राज्यों में जहाँ बंधुआ मजदूर होने के सूत्र मिले हैं, ऐसे मजदूरों की संख्या लगभग 20 लाख होगी। यदि देश के अन्य भागों में भी बंधुआ मजदूरों की पहचानने का काम हाथ में लिया जाता है तो इस संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जायेगी। दूसरी ओर, 1976 में बंधुआ मजदूर पद्धति के उन्मूलन के बारे में केन्द्रीय विधेयक के लागू होने के बाद से केवल 1.05 लाख बंधुआ मजदूर ही पहचाने गये और इनमें से केवल 31,000 के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जा सकी है। ऐसी स्थिति में केन्द्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य हो जाता है कि वे न केवल बंधुआ मजदूरों की पहचान के काम में तेजी लायें, बल्कि इस तरह पहचाने गये बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए ठोस कदम भी उठाएं। हमें भय है कि पुनर्वास की मंद गति के कारण अनेक मुक्त मजदूर फिर से बंधुआ मजदूर बनने के लिए विवश हो गये होंगे। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की स्कीम की समुचित रूपरेखा बनानी होगी ताकि उनका न केवल भूमि पर पुनर्वास हो सके, बल्कि अन्य लाभकारी व्यवसायों में भी वे जुट सकें।

1.8 देश के अनेक भागों में भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा सम्पन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में है। यह बहुत जरूरी है कि ऐसी सम्पन्न भूमि को अनधिकृत लोगों से मुक्त करवाया जाये और समुदाय के सुप्राप्त लोगों में इसे समुचित रूप से वितरित किया जाये। इस प्रकार, भूमि के इन हकबारों को अनेकविध सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे सक्षम काश्तकार बन सकें। इन्हें उचित ब्याज दर पर विभिन्न संस्थाओं से ऋण भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन्हें उपभोग ऋण देने के पर्याप्त उपबंध भी किये जाने चाहिए। छोटे काश्तकारों के अधिकारों को जमीनप्राप्ति के साधनों की कमी हो सकती है, अतः मृगोपालन, डेरी तथा अन्य पशुपालन सम्बन्धी सहायक व्यवसायों के द्वारा इनकी सहायता की जानी चाहिए। अनेक आदिवासी क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। सरकार को चाहिए कि वह उन्हें आर्थिक सहायता दे तथा ग्रामीण समुदाय को तकनीकी मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराये ताकि ये लोग तालाबों का सुधार करने, मत्स्य-पालन की नयी पद्धति को अपनाने और पारंपरिक तौर-तरीकों के अनुरूप अपनी परि-सम्पत्ति को बनाए रख सकें।

1.9 अनुसूचित जातियों के काफी बड़ी संख्या में लोग चमड़े के काम, चटाई तथा टोकरियां बुनने, चमड़े की रंगाई, जूते बनाने आदि को पारंपरिक व्यवसायों में जुटे हुए हैं। टोकरियां तथा चटाई बुनने जैसे कुछ व्यवसायों में दूसरे समुदायों के लोग भी संलग्न हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इन पारंपरिक व्यवसायों पर लगभग 3.70 करोड़ लोग निर्भर करते हैं। इनमें से अनेक व्यवसाय सामाजिक दृष्टि से हेय माने जाते हैं। यह जरूरी है कि इन कारीगरों को उत्पादन के बेहतर तरीके सिखाए जायें और उन्हें बाजारों में अपना माल बेचने में सहायता दी जाये।

1.10 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण और घरेलू उद्योग सबसे संगत हैं। लेकिन खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राज्य स्तर के कार्यक्रमों और स्थानीय कार्यक्रमों में समुचित

तालमेल नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन, रेशम के कीड़ों को पालने और गैर-पारंपरिक तिलहन जैसे कुछ कार्यक्रमों की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में रेशम के कीड़े पालने के काम को विकास के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और केन्द्रीय रेशम बोर्ड के निर्देशन में मध्यावधि योजना फौरन इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि दीर्घकालीन लाभों को ध्यान में रखते हुए रेशम के विकास की दिशा में स्पष्ट लक्ष्यों के साथ कार्य किया जा सके। समस्त लघु वन-उत्पाद आदिवासी क्षेत्रों में ही प्रकृतित किये जाने चाहिए और जहां तक संभव हो, प्राथमिक उत्पादकों की सहकारिताओं के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक दृष्टि से विकसित भागों को छोड़कर, शेष सभी अनुसूचित क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र घोषित किए जाने चाहिए। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को उपलब्ध हर प्रकार की सहायता और सुविधाएं इन्हें भी मिलनी चाहिए।

1.11 अनुसूचित जातियों के सफाई तथा मेला देने वाले लोगों की दशा अब भी बहुत वयनीय है। नगरपालिकाओं द्वारा सिर पर मेला टोने की प्रथा अब समाप्त होनी चाहिए और नगरपालिका तथा निजी रूप से ऐसा काम करने वाले लोगों को वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आवास और निर्माण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अस्वच्छ शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में बदलने की स्कीम का विस्तार होना जरूरी है ताकि विभिन्न चरणों में समस्त शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह कार्यक्रम लागू हो सके। 11 राज्यों में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित वित्त विकास निगमों का गठन किया जा चुका है। इनमें से अनेक निगम संसाधनों की कमी के कारण ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे वित्त विकास निगमों को विनोदीय ब्याज की दरों (डिफेन्स रेट ग्राफ्ट्रस्ट) के अनुरूप ऋण दें ताकि अनुसूचित जातियों के लोगों के विभिन्न धंधों तथा व्यवसायों में मदद दी जा सके।

1.12 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षितों में बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। हालांकि इस सिलसिले में तार्वजिक क्षेत्र के उपक्रमों में जहां रोजगार के अधिक अवसर हैं, नौकरियों के आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को लागू किये जाने की दिशा में कदम उठाये गये हैं लेकिन निजी क्षेत्र आरक्षण सम्बन्धी आदेशों की परिधि से बाहर रहा है। इस बात पर पहले भी जोर दिया जा चुका है कि सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए नौकरियों के आरक्षण की सरकारी नीति पर निजी क्षेत्र को भी पालन करवाने के लिए उचित उपाय ढूँढे। इस मामले पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा फौरन ध्यान दिये जाने की जरूरत है और इसे विभिन्न चैम्बर्स आफ कामर्स के बायत्व पर छोड़कर संतोष नहीं कर लेना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्व-रोजगार का एक उपाय यह है कि डीलरशिप, उचित दर दुकानों और वितरण के काम में सभी एजेंसियां आदि इनके लिए आरक्षित कर ली जायें। भारतीय तेल निगम और भारतीय उर्वरक निगम ने इस दिशा में कुछ शुरुआत की है। लेकिन इस नीति को स्वीकार किया जाना चाहिए और केन्द्र तथा राज्यों के सभी सरकारी विभागों द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए। इस नीति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गति को तेज करने में बहुत सहायता मिलेगी।

1.13 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा में स्पष्ट प्रगति हुई है। फिर भी समुदायों और लिंग के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि विभिन्न समुदायों, पुरुषों और स्त्रियों में यह प्रगति समान रूप से नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे अनेक इलाके हैं, जहां शिक्षासम्बन्धी सुविधाएं नगण्य हैं

और कुछ समुदायों में तो साक्षरता-दर वस्तुतः गिर गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुत जनसंख्या वाले ऐसे राज्य भी हैं, जो भारत सरकार द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाये। इसका प्रमुख कारण यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व शिक्षा में आर्थिक प्रोत्साहन नहीं दिये गये। इनमें से अधिकतर बच्चे मिडिल और सेकेंडरी शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं और मैट्रिकोत्तर स्तर तक कभी पहुंचते ही नहीं। इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार को आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्यों को सहायता देनी चाहिए ताकि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व की शिक्षा में आवश्यक सहायता दे सकें। छठी योजना में प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बड़े पैमाने पर परिव्यय का प्रस्ताव है। आशा की जाती है कि इससे समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, को साक्षर किया जा सकेगा और साथ ही संविधान के अंतर्गत प्राप्त उनके अधिकारों तथा उनके सर्वतोमुखी विकास के लिए राज्यों द्वारा दी जा रही सहायता के बारे में उन्हें सजग किया जा सकेगा। केवल समुचित सतर्कता द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंच रहा है।

1.14 अनुमान लगाया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लगभग 37 लाख परिवारों को आवासीय भू-खण्ड दिये जा चुके हैं। लेकिन केवल आवासीय भू-खण्ड देना भर काफी नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भूमिहीन लोगों की विकसित आवासीय भू-खण्ड निःशुल्क दिये जाने चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बड़े पैमाने पर आवासीय कार्यक्रमों के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण मिलना चाहिए। इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों और शहरी गंदी बस्तियों के लोगों को भी मिलना चाहिए। मकान बनाने के लिए नियुक्त एजेंसों का गठन लाभग्राहियों की सहाकारी समिति के रूप में हो या इस कार्य के लिए उन्हें सीधी आर्थिक सहायता दी जाये।

1.15 सरकार का संकल्प है, जिसे प्रधान मंत्री ने एक से अधिक अवसरों पर दोहराया है, कि अस्पृश्यता की समस्या का पांच वर्षों में निवारण कर दिया जायेगा। लेकिन पिछले दो वर्षों में कुछ राज्यों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का जिस तरह पालन किया जा रहा है, यदि उसे संकेत मानें, तो इस संकल्प के सही उतरने के संतोषजनक प्रमाण नहीं मिलते। एक ऐसी सामाजिक बुराई को, जो सदियों से राष्ट्र की शक्ति को क्षीण करती रही है, पांच वर्षों में समाप्त करने का संकल्प अपने-आप में अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना है। अपेक्षा की जाती थी कि इस सावधि कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें इसे जनआंदोलन में बदलने में अपनी सारी शक्ति लगा देंगी। लेकिन विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार इसे लागू तथा कार्यान्वित किया गया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस कार्यक्रम को गंभीर स्थान दिया जा रहा है। वर्ष 1977 में अस्पृश्यता के 3,425 नये मामले दर्ज किये गये, जबकि वर्ष 1976 में इनकी संख्या 7,047 थी। नवम्बर 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 का स्थान नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ने ले लिया था, क्योंकि पहले अधिनियम में कमियां पाई गई थीं। यह महत्वपूर्ण बात है कि पुराने अधिनियम का नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम रखा गया। नये अधिनियम में दण्डात्मक उपबंधों को और अधिक कठोर बना दिया गया है और सम्बन्धित प्राधिकारियों के लिए अब ऐसे मामलों दर्ज करना अनिवार्य हो गया है।

1.16 1977 में अस्पृश्यता के नये मामलों की कमी को देखते हुए यह तर्क दिया जा सकता है कि यह अस्पृश्यता को समाप्त करने के प्रयासों

का सीधा परिणाम है। दूसरा दृष्टिकोण यह हो सकता है कि जिन जिला प्राधिकारियों पर इस अधिनियम को लागू करवाने का दायित्व था, उन्होंने गरीब वर्गों के नागरिक अधिकारों के संरक्षण के कर्तव्य का पूरी तरह से पालन नहीं किया। जो कोई भी प्रसंग क्षेत्रों के सामाजिक माहौल से परिचित है, यह तर्क कभी नहीं देगा कि सही अर्थों में अस्पृश्यता में कमी हुई है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में इस बात की व्यवस्था है कि अशक्तता इलाकों (डिस्टाएबिलिटी एरियाज) का सर्वेक्षण तथा पहचान की जाये, विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाये, अधिनियम के अनुच्छेदों के अनुसार कुछ मामलों की संक्षिप्त सुनवाई की जाये और सामूहिक जुमाने किए जाये। अभी तक किसी भी राज्य ने विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं की है, न ही संक्षिप्त सुनवाई की कार्रवाई की है या सामूहिक जुमाने किये हैं, जबकि अस्पृश्यता के घणित आचरण के तहत अनुसूचित जातियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर हिंसात्मक हमले हुए हैं। उक्त अधिनियम के प्रभावशाली उपबन्धों का कोई लाभ नहीं उठाया गया। न ही किसी राज्य ने इस अधिनियम के निर्देशों के अनुसार इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है। ऐसी स्थिति में इस बात से सहमत होना संभव नहीं है कि आवश्यक तत्परता से इस अधिनियम को लागू किया गया है।

1.17 यह सच है कि इस दिशा में जो भी प्रगति हुई है, वह भूतपूर्व सरकारों द्वारा कानूनों के लागू करने के कारण ही संभव हो सकी है। किन्तु केवलमात्र कानून राष्ट्र में सद्बिवेक जागृत करने के लिये काफी नहीं होते क्योंकि जिस समस्या का हल किया जाना है, वह राष्ट्र के लिए दीर्घकाल से लज्जा का कारण रही है। यही कारण है कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया है कि किसी भी अन्य बात की अपेक्षा युवा पीढ़ी को सामाजिक परिवर्तन के काम से सम्बद्ध किया जाये और उनमें सार्व-नागरिकता का बोध जागृत किया जाये तथा गांव के बच्चों का समाजीकरण किया जाये। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों के लगभग 30 लाख अध्यापकों में पुनर्जागरण का भाव भरा जाये। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के आरम्भ हो जाने के बाद अध्यापकों की संख्या में बहुत वृद्धि होगी। इस तरह इन सभी वर्गों को सम्बद्ध कर लेने से जन-आंदोलन के ग्राह्यमान को व्यावहारिक रूप मिल सकता है। गांवों के संघर्ष वर्ग के लोगों को इस काम के लिये अनुरोध करना भर काफी नहीं है।

1.18 यह सच है कि अनुसूचित जातियों का आर्थिक तथा शैक्षिक विकास सर्वोपरि महत्त्व का काम है और अस्पृश्यता उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका भूदा कर सकता है। लेकिन यह एक मंद प्रक्रिया है और इसके परिणाम लम्बी अवधि के बाद ही प्राप्त होंगे। अस्पृश्यता का प्रचलन तथाकथित उच्च वर्गों की मानसिक अभिवृत्ति तथा व्यवहार के कारण होता है, अतः इसके निवारण के लिए कानून लागू करने के साथ-साथ लोगों के सामाजिक सद्बिवेक का भी जागृत किया जाना जरूरी है। इस कार्यक्रम के निमित्त समुदाय के सभी वर्गों के स्वयंसेवियों का परस्पर जुड़ना जरूरी होगा। केवलमात्र आर्थिक विकास की प्रगति पर निर्भर करते रहने से अस्पृश्यता उन्मूलन की समस्या को पांच वर्षों में हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि योजना प्रलेख में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि 1982-83 तक 20 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की सीमा-रेखा को नहीं लांघ सकेंगे तथा 1987-88 तक 12 प्रतिशत और लोग ऊपर जायेंगे। योजना आयोग के अनुसार, 30 प्रतिशत लोगों को गरीबी की सीमा-रेखा लांघने में एक दशक से भी अधिक का समय लग जायेगा और वह भी तब, जब योजना में सुझाये गये, संसाधनों के पुनर्वितरण के उपाय के आवश्यक परिणाम मिलें।

1.19 अनेक चिंतकों का विचार है कि अस्पृश्यता निवारण की समस्या का हल तभी हो सकता है, जब सामाजिक वातावरण को सुधारा जाये, अतिरिक्त शिक्षा-सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें और राज्यों के बृहत् कार्य-म के रूप में अंतर्जातीय तथा अंतर्वर्गीय विवाहों के द्वारा जातियों

में संकर प्रजनन हो। दुर्भाग्यवश देश की आवश्यकता के अनुरूप अंतर्जातीय विवाहों की कोई बहुत आयाम नहीं मिल पाया है। इस दिशा में राज्य की व्यापक प्रतिबद्धता के अनुरूप कानूनों में उपयुक्त परिवर्तन करने होंगे ताकि अनुसूचित जातियों में विवाह करने वाले युगलों तथा उनकी संतान की विकास कार्यक्रमों के लाभ तथा उचित रियायतें उपलब्ध हो सकें।

1.20 हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में गृह मंत्रालय ने एक अध्ययन किया था। इसके अनुसार, 1974 से 1976 की अवधि में अनुसूचित जातियों के साथ होने वाले अत्याचारों में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अध्ययन में यह भी बताया गया है कि 1974-76 की अवधि में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले गंभीर प्रघातों में कमी हुई है। ऐसी घटनाओं में 12.2 प्रतिशत की कमी हुई है। 1974 में ऐसे अपराधों की संख्या 8,860 थी, जो 1975 में घटकर 7,781 रह गई। 1976 में यह संख्या और भी घटकर 5,968 रह गई और इसमें 23.3 प्रतिशत की कमी हुई। 1974 से 1976 में कुल कम का प्रतिशत 32.6 प्रतिशत रहा। "अत्याचार और उत्पाड़न" सम्बन्धी अध्याय-9 में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेगा कि वर्ष 1976 की घटना में 1977 में अत्याचारों के कुल दर्ज मामलों में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्रधान मंत्री ने एक से अधिक बार इस बात पर बल देकर कहा है कि अनुसूचित जातियों के विरुद्ध महज एक घटना का होना भी राष्ट्र के लिए लज्जा की बात है। हमें अविलम्ब ऐसे कदम उठाने होंगे कि ऐसे मामलों की जो दीर्घकाब से अन्दर ही अन्दर सुलगते चले हैं, तत्परता से निपटाया जाय और आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से शोषित अनुसूचित जाति के वर्गों के हितों को बिना कोई हानि पहुँचाए सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सलाह से संतोषजनक तरीकों से इन मामलों की सुलझाया जाय।

1.21 लगातार हो रहे अत्याचारों को देखते हुए राज्यों को अनेक दिशानिर्देश दिये गये थे और राज्य सरकारों के साथ अनेक कानूनों की गई थीं। लेकिन अनेक मामलों में राज्य सरकारों ने इन दिशानिर्देशों के पालन में बड़े गंभीरता नहीं दिखाई, जैसा कि केन्द्रीय सरकार को अपेक्षा थी। यह तर्क कि अत्याचारों का मामला कानून और व्यवस्था की समस्या से है तब तक हल करना केवल राज्य सरकारों से अधिकार-क्षेत्र में आता है और केन्द्रीय सरकार केवल दिशानिर्देश ही दे सकती है, यह संविधान के अनुच्छेद 46 का तर्कसंगत मूल्यांकन प्रस्तुत नहीं होता। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को आविष्ट किया गया है कि वह कमजोर वर्गों का संरक्षण करे, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का। देश के अग्रिमशासन के मौलिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित यह अनुच्छेद राष्ट्र पर एक दायित्व है तथा संविधान का अभिरक्षक होने के नाते केन्द्रीय सरकार को भी इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। सामाजिक-आर्थिक कारणों से होने वाले अत्याचारों के मामलों को कानून और व्यवस्था का साधारण उल्लंघन नहीं माना जा सकता, जैसा कि राज्य सूचो में इसे निम्नलिखित किया गया है। कमजोर वर्गों के संरक्षण के मामलों में केन्द्र का प्रत्यावेशीय दायित्व है जिसको वह उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 46 से "राज्य" शब्द से तात्पर्य पूरे राष्ट्र से है, न कि अग्रिम ईकाइयों से। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों में केन्द्रीय सरकार का प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप करना भी अनिवार्य है। राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा कर, इस तरह के हस्तक्षेप की प्रणाली निर्धारित की जा सकती है।

1.22 गांधी के गरीब लोगों के संगठन की अपरिहार्यता पर जोर देते हुए योजना आयोग की यह स्पष्टीकृत बड़ी सही है कि "गरीब तथा अधिकार-रहित लोग केवल योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा, वे चाहे कितने सुचारु ढंग से सुत्रबद्ध की गई हों, अपने पथों पर लड़े नहीं हो सकते; न ही उद्देश्यों की घोषणा अथवा मितव्यय तथा श्रम को

प्रोत्साहन देकर ऐसा हो सकता है। यदि योजना को सफल बनाना है तो इन्हें लोगों की इस तरह सहायता देनी होगी कि वे उपलब्ध लाभों की अधिकार के तौर पर ग्रहण कर सकें ताकि बदले में समाज में वे भी निरंतरतः योगदान देते रह सकें।" एक ही लहजे में निदान तथा उसका उपचचार बताना आसान है लेकिन इस तरह के सामाजिक-आर्थिक वातावरण में उसको व्यावहारिक रूप देना उतना आसान नहीं है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित सामंती ढाँचे की संवेदनशीलता को छुने मात्र से तनाव उत्पन्न हो जाता है। नयाकथित अग्रिम वर्ग और पिछड़े वर्गों के सम्पन्न भूपति कमजोर वर्गों द्वारा अपने वैध अधिकारों की मांग सुनकर समान रूप से से तैवर चढ़ा लेते हैं। गरीब लोग किस तरह स्वयं को प्रबल शक्तिशाली समूह में बदल सकते हैं कि वे "प्रशासन की दुर्बलताओं तथा निहित स्वार्थों के विरोध" के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकें। वे स्वयं तो अज्ञान तथा दरिद्रता में निमग्न हैं और जिन लोगों से उनका वास्ता पड़ता है, वे अहंकार तथा भावहीनता में डूबे हुए हैं। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो विकास की प्रक्रिया से होने वाले लाभों से बंचित हैं तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन लाभों का प्रमुख भाग हथिया कर अपनी क्षमताओं को बढ़ा कर लिया है। न्यायसंगत वितरण को दोषरहित बनाने के लिए जरूरी है कि गरीब वर्गों को भी समान क्षमताएं उपलब्ध करवाई जायें, ताकि प्रगति की प्रक्रिया में असंतुलन पैदा न हो।

1.23 गांधी के गरीब लोगों की संगठित करने की दिशा में, जैसा कि ज्ञात हुआ है, श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम संस्थान के माध्यम से 1975 से श्रम तक अनेक प्रामाण्य शिविरों का आयोजन किया है। अगस्त 1977 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पांच से छह दिनों की अवधि वाले ऐसे 15 शिविर लगाये गये थे और इनमें से प्रत्येक शिविर में 30 से 770 व्यक्तियों तक के भाग लिया था। श्री गीरट हुडजर के अनुसार, ये शिविर दृढ़ निराकरण रणनीति पर आधारित थे, "जिनमें प्रामाण्य-नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा प्रभावशाली कृषक संगठनों के निर्माण तथा विकास के चेतन प्रयत्नों को उत्प्रेरित तथा अनुपोषित किया जाता है।" वहाँ इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि इस दिशा में होने वाले श्रम तक के प्रयत्न इतने अपर्याप्त रहे हैं कि गरीब लोगों की संगठित करने के काम में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। समस्या की विशालता तथा गरीब लोगों की संगठित करने की जरूरत को देखते हुए कहा जा सकता है कि वे प्रकृत अपेक्षित प्रभाव पैदा करने की दिशा में अपर्याप्त हैं। ऐसे शिविर तब लाभकारी हो सकते थे, यदि देश के विभिन्न भागों में गांधी के गरीब लोगों के बड़ी संख्या में संगठन स्थापित कर लेने के बाद चुने हुए कार्यकर्ता दृढ़ निराकरण रणनीति के प्रशिक्षण के लिए इन शिविरों में भेजे जाते। भूमि के आवंटन में दीर्घकाल से चली आ रही असमानता राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण के 26 वें चक्र से स्पष्ट हो जाती है। इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र के कुल गृहस्थों में से 60 प्रतिशत गरीब किसान तथा भूमिहीन किसान हैं जिनके पास 22.5 एकड़ तक भूमि है यानी खेती योग्य कुल भूमि का 9 प्रतिशत। शेष 440 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत के पास 53 प्रतिशत भूमि है और 30 प्रतिशत छोटे तथा मध्यम दर्जे के किसान हैं, जिनके पास 37 प्रतिशत भूमि श्रमती है। जहाँ तक प्रामाण्य क्षेत्रों में रोजगार का संबंध है, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण के 27वें चक्र में दर्शाया गया है कि गांधी में कुल 19 करोड़ 80 लाख कामगारों में से 12 करोड़ 93 लाख 50 हजार किसी न किसी प्रकार के स्व-रोजगार में व्यस्त थे, 1 करोड़ 30 लाख चिरकालिक बेरोजगार थे। इससे गरीब और बंचित लोगों की संगठित करने की घोर आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। यही समय है कि सीमांत क्षेत्रों, भूमिहीन लोगों तथा कृषि मजदूरों को कार्यक्षम संगठन के अंतर्गत एकत्र किया जाय। इस संगठन को समुचित विधानों का संरक्षण मिलना चाहिए ताकि इन लोगों के सामूहिक अधिकारों का सुरक्षण हो सके। आजकल अनेक संगठन ऐसे हैं, जो भूमिहीन मजदूरों के प्रति अपने दायित्व-निर्वाह में स्पष्टीकृत हैं। इससे हमें निश्चिन्त होने की जरूरत नहीं। एक बार कानून-सम्मत सांविधानिक ढाँचा बन जाने के बाद परस्पर-स्पर्धा

में रत सभी संगठनों को इस संस्था में प्रवेश पाने की स्वतंत्रता होगी और इसे एक ऐसी एजेंसी मान लिया जायेगा जिसके माध्यम से वंचित लोगों की महत्वाकांक्षाओं तथा कल्याण की विकास प्रक्रिया में अभि-
व्यक्ति मिल सकेंगी ।

1.24 पंचायती राज संस्थाओं पर नियुक्त अशोक मेहता समिति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अनेक उपयोगी सिफारिशें की हैं । समिति ने सुझाव दिया है कि इन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में इनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाननी चाहिए । जिस क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ निर्वाचित पदों के लिए इनकी सीटें सुरक्षित रखने का प्रावधान होना चाहिए । उसने यह सुझाव भी दिया है कि राज्य विधायकों की एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें अधिकांश प्रतिनिधित्व अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्ध रखने वाले विधान-सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को दिया जाना चाहिए ॥ इस समिति का कार्य इन समुदायों के लिए लागू किये जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा होना चाहिए । इस समिति पर इन समुदायों के लिए निर्धारित धनराशि के सामाजिक लेखापरीक्षा की भी जिम्मेदारी होगी । पंचायती राज समिति के साथ हुए हमारे विचार-विमर्श के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि ग्रामीण पंचायतों का इस प्रकार पुनर्गठन किया जानना चाहिए कि वे सामाजिक परिवर्तन का कारगर माधुन बन सकें ॥ इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव भी रखे गए थे । समिति ने अपनी सिफारिशों में इन्हें भी शामिल कर लिया है ।

1.25 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न सेवाओं के सु-प्रण के सम्बन्ध में जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उनके लागू किए जाने के 28 वर्ष के अनुभव की समीक्षा करने पर यह मालूम हुआ है कि इस सिलसिले में आज भी स्थिति बहुत ज्यादा असंतोषजनक और हतोत्साहित करने वाली है । केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में, जहाँ सरकार द्वारा 1951 से समय-समय पर जारी किए गए नियम और अधिनियम, जारी किए जाने की तिथि से ही लागू हो जाते हैं, 1-1 1978 को वर्ग-1 (ग्रुप "क"), वर्ग-11 (ग्रुप "ख") और वर्ग-1111 (ग्रुप "ग") में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 4, 49, 61, 93 और 11.46 प्रतिशत था, और इन्हीं सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 0.84, 0.87 और 2.01 था, जबकि इनके लिए इन सेवाओं में क्रमशः 15 प्रतिशत और 7 1/2 प्रतिशत स्थान सुरक्षित थे । हमारे समस्त प्रयासों और बार-बार स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनिधित्व के अंकड़े उपलब्ध नहीं करा सका । ऐसा संवैधानिक प्राधिकरण, जिस पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षणों की जांच का गहन दायित्व हो, द्वारा मांगी गई जाणकारी की सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो द्वारा उपेक्षा करना निःसंदेह खेदजनक है ।

1.26 भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों पर राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की समान और संतुलित प्रतिक्रिया नहीं रही है । ऐसा लगता है कि सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो और अनेक राज्य सरकारों ने भारत सरकार द्वारा सेवा सुरक्षणों के सम्बन्ध में जारी सभी संगत नियमों/आदेशों का सावधानी से अध्ययन नहीं किया है, इसलिए कई मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को बंध मुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है । यह बहुत प्राक्कश्यक है कि भारत सरकार जब भी आरक्षण संबंधी आदेश जारी करे, सार्व-जनिक उपक्रम ब्यूरो और राज्य सरकारों द्वारा उसका तत्काल अध्ययन करके उस सम्बन्ध में संगत निदेश अविलम्ब जारी किए जाने चाहिए । जबकि यह कार्य आवश्यक तत्परता की भावना से नहीं किया जाता, जब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मिल सकने

वाले लाभ उन्हें समय पर प्राप्त नहीं होंगे और इस बेरी का फल उन्हें उनके बंध अधिकार से वंचित करने के तुल्य होगा ।

1.27 एक क्षेत्र, जो आरक्षण की सीमा से बाहर रहा है, वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में लेक्चरर पद है । पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में इस प्रभाव का संशोधन किया जाना चाहिए कि आयोग लेक्चरर स्तर के शिक्षक-पदों में आरक्षण-मुविधा देने के लिए विश्वविद्यालयों को निदेश जारी कर सके । ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि शिक्षा मंत्रालय ने इस विषय में कोई कदम उठाया है । हालांकि लिपिक-वर्गीय पदों के लिए आरक्षण आदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नियंत्रण के अंतर्गत लागू किए जा चुके हैं, लेकिन मालूम हुआ कि ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों हैं, जहाँ लिपिक-वर्गीय नियुक्तियों में इस प्रावधान का लाभ नहीं दिया गया है । अगर विश्वविद्यालयों के लिए लिपिक-वर्ग की नियुक्तियों में आरक्षण-मुविधाएँ तभी संभव हों, जब जिस कानून के अंतर्गत उनका गठन किया गया है, उसमें संशोधन किया जाये तो इस विषय में तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए ।

1.28 नवीनतम सूचना के अनुसार देश के उच्च न्यायालयों के 352 जजों में से सिर्फ चार अनुसूचित जातियों के थे और अनुसूचित जनजातियों का कोई भी नहीं था । प्रमुख न्यायाधीशों के सम्मेलन और विधि मंत्रालय द्वारा अपनाए गए इस रवैय पर कि उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में आरक्षण-नीति को लागू नहीं किया जा सकता, पिछली रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी :—

“विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन जिला जजों और उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था करने की कानूनी अनुमति नहीं थी तो क्या यह संभव नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) से परे स्वयं संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन ही स्वतंत्र रूप से ऐसा किया जाये । इस समस्या का समाधान उपर्युक्त विशिष्ट संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 335 के कार्यक्षेत्र एवं परिभाषा के उचित निश्चय पर अनिवार्य रूप से निर्भर करेगा । यह विषय ऐसे स्वरूप एवं ऐसे सार्वजनिक महत्व का है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा इस सम्बन्ध के यथोचित प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के विचार प्राप्त करना युक्तिसंगत होगा ।”

उपर्युक्त सिफारिश के सिलसिले में भारत सरकार द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई से हमें अवगत नहीं कराया गया है ।

1.29 हम इस बात पर बल देते रहे हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यापक हितों के अनुरूप तथा सभी श्रेणियों की नीकरियों में उनकी भरती को बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यह होगा कि पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के लिए आंचलिक आधार वाली दृष्टि को त्यागना चाहिए । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जो भी प्रत्याशी निम्नतम पावता की शर्तों को पूरा करते हैं, आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए उन्हें पदोन्नति के योग्य माना जाना चाहिए, चाहे वरिष्ठता-सूची में उनका स्थान कोई भी हो । बिकल्प के रूप में सभी श्रेणियों के पदों और नियुक्तियों के लिए आंचलिक आधार को लागू किया जाना चाहिए ताकि आरक्षित रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सके ।

1.30 सभी ग्रुपों के पदों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में निःसंदेह बृहत् कमी रही है और अनुसूचित जातियों के मामले में भी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में ग्रुप “क”, “ख” और “ग” के पदों के लिए उनका प्रतिनिधित्व काफी कम रहा है । जब तक इस दोष को दूर करने के लिए कठोर कदम नहीं उठाए जायेंगे, अनुमानित भविष्य में भी राष्ट्र के इन कमजोर वर्गों को सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना नहीं है । इसलिए केन्द्र सरकार, राज्य

सरकारों और अन्य संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि यथासंभव कम से कम समय में इस कमी को पूरा करने के निमित्त केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेष भरती का अभियान शुरू करें, चाहे इसके लिए उन्हें नए पद भी बनाने पड़ें। इसके अलावा, वे अपने स्टाफ की सामान्य संख्या में भी वृद्धि कर सकते हैं और जहाँ नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसे भी समाप्त किया जा सकता है।

1.31 एक और बात यह भी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अरक्षित रिक्त स्थान अगर लगातार तीन भरती-वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के प्रत्याशियों द्वारा नहीं भरे जाते तो उन्हें अरक्षित मान लिया जाता है। यह अधिक उचित रहेगा, अगर न भरे गए रिक्त-स्थानों को तीन साल के बाद अरक्षित मानने के बजाय उन्हें तब तक आगे बढ़ाया जाये, जब तक उन्हें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशी भरती की सामान्य प्रणाली या सिर्फ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों तक सीमित विशेष भरती द्वारा भर न लिया जाये।

1.32 केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों के लोगों की भरती के लिए 15 प्रतिशत नियुक्तियाँ और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 प्रतिशत नियुक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। लेकिन विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में वर्ग-3 और वर्ग-4 की श्रेणियों में कुछ विशेष पदों के लिए केन्द्रीय या स्थानीय जनसंख्या के आधार पर नियुक्तियाँ की जाती हैं। हालाँकि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता अलग-अलग है, फिर भी, सभी श्रेणियों में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में यह अनुपात समान रूप से क्रमशः 15 प्रतिशत और 7 प्रतिशत रखा गया है। पदोन्नति में आरक्षण की समरूपतासे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को हानि पहुँचाती है; क्योंकि (1) जहाँ अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कम है और अरक्षित कौटा अधिक है, वहाँ रिक्त स्थान खाली पड़े रहते हैं और सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों द्वारा उनका भरना आसम्भव हो जाता है, और (2) जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है, वे पदोन्नति में अपने बंध भाग से वंचित रह जाते हैं।

1.33 रोकथाम कार्यालयों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1977 के अंत में रोकथाम कार्यालयों के रजिस्ट्रारों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों व प्रार्थियों के नाम दर्ज थे, लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए अरक्षित सिर्फ करीब 55 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत स्थान ही इन श्रेणियों के प्रत्याशियों द्वारा भरे गए। इस संकेत में रोकथाम कार्यालयों की कार्य-प्रणाली की अविलम्ब समीक्षा किए जाने की जरूरत है। साथ ही, उन कारणों का भी पता लगाना जरूरी है, किस वजह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों व प्रत्याशियों को कम प्राथमिकता दी जाती है और उन दोषों को दूर करने के तरीके सुझाने भी जरूरी हैं।

1.34 अधिकतर राज्य सरकारों ने इस आशय के स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए हैं कि सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों और संस्थाओं को भी अपने यहाँ नियुक्तियों में आरक्षण सम्बन्धी निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्हें इस विशय में अविलम्ब कदम उठाना चाहिये ताकि ऐसी एजेंसियों में उपलब्ध रोकथाम की बहुत संभावनाओं का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों समुचित लाभ उठा सकें।

1.35 हमारे अध्ययन दलों ने विभिन्न केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों के कार्यालयों, तार्विक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के रिकार्डों का निरीक्षण किया और पाया कि : (1) अनेक कार्यालयों

में स्टीयर नियमित रूप से नहीं रखे गए थे; (2) अरक्षित रिक्त स्थानों की सामान्य प्रत्याशियों से भरने से पूर्व, ऐसे रिक्त स्थानों को अरक्षित बनाने की प्रणाली का विधिबद्ध पालन नहीं किया गया; (3) अरक्षित रिक्त स्थानों को अप्रैनेत बढ़ाने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्त स्थानों के विनिश्चय सिद्धांत को ठीक तरह से नहीं समझा गया और अधिकतर मामलों में उनका पालन भी नहीं किया गया; (4) विभागीय पदोन्नति समिति/चयन बोर्ड की बैठकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को इस बहाने शामिल नहीं किया गया कि वे संस्था में उपलब्ध नहीं थे; (5) कई मामलों में अपने प्रांतीय परिपत्रों या प्रैस में भेजी गई मांग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अरक्षित रिक्त स्थानों की वास्तविक संख्या, छूट/रियायतों की सीमा और उनकी प्रकृति जिसमें यात्रा-भत्ते का प्रावधान शामिल है, का स्पष्ट उल्लेख नहीं था; (6) प्रैस में भेजी गई मांग अधिकतर कुछ प्रमुख श्रेणी वैनिकपदों और क्षेत्रीय वैनिकपदों तक ही सीमित थे; (7) जिन संस्थाओं में कई हज़ार कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ भी सेवा सुरक्षाओं को लागू करने से सम्बन्धित काम को करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ (सेल) नहीं थे।

1.36 इस संस्था को सेवा सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुए हैं। उनसे तथा सम्बद्ध अधिकारियों को उन पर टिप्पणियों और अन्य तथ्यों से यह स्पष्ट था कि नियमों, निर्देशों आदि की गलत व्याख्या और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामलों निपटाने में अत्यधिक देरी लगाने से नियुक्तियों/वर्धित/पुष्टि आदि में बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए यह निश्चित आवश्यक है कि ऐसी गलतियाँ करने वाले अधिकारियों से कठोरतापूर्वक व्यवहार किया जाये। हम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को जोरदार शर्तों में कहते रहे हैं कि उसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों को पूर्व-व्यापी लाभ देने के बारे में समुचित निर्देश जारी करने चाहिए, जिनके बारे में यह पाया गया हो कि प्रशासनिक त्रुटि के कारण वे अपने बंध अधिकार से वंचित रह गए।

1.37 हमारे अध्ययन दलों की जांच और कर्मचारियों तथा संस्थाओं द्वारा हमें भेजे गए अनेक शिकायतों के विश्लेषण इस तथ्य को उजागर करते हैं कि जब तक जांच करने वाले सांविधानिक प्राधिकरण द्वारा नियमित निरीक्षण और पड़ताल के रूप में कड़ी सतर्कता सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक आरक्षण नियमों के प्रभावपूर्ण ढंग से लागू होने की सम्भावना कोई भी संभावना नहीं है। इस तथ्य के प्रकाश में समस्या की विराटता और भी उभर कर सामने आती है कि आरक्षण आदेशों की अध्ययन-सीमा में करीब 6 हज़ार संस्थाएँ आती हैं और आयुक्त के संगठन के पास पूर्णकालिक निरीक्षण दल तक नहीं है। इसलिए निरीक्षण का वास्तविक उपलब्ध दो अनुसंधान अधिकारियों पर छोड़ा जाता है और यह कार्य उन्हें मुख्यतः अपने सामान्य इष्टी के अलावा करना पड़ता है। इस कार्य की अपर्याप्तता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जायेगी कि आरक्षण आदेशों की सीमा के अंतर्गत संस्थाओं के एक नगण्य भाग पर ही यह ध्यान केन्द्रित कर सका है। और वहीं भी स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं पायी गई। इन संस्थाओं का तीन वर्षों में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना उपयुक्त होगा। इसके लिए बड़ी संख्या में निरीक्षण दलों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि अरक्षित आदेशों के लक्ष्य होने के बारे में किसी सीमा तक संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया जा सके।

1.38 केन्द्र और राज्य की सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण-सुविधाएँ संविधान के अनुच्छेदों—अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 355—पर आधारित हैं। अनुच्छेद 16(4) में इसका प्रावधान है जबकि अनुच्छेद 355 इस कार्य की गति प्रदान करता है, जिससे यह केन्द्र और किसी भी राज्य

के लिए अधिवेशात्मक हो जाता है। अन्य शर्तों में, आरक्षण आन्देव्यों के सिलसिले में केन्द्र तथा राज्य के सांविधानिक स्त्रोत एक हूँ। इस तथ्य के बावजूद, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार में आरक्षण से सम्बन्धित नीतियों और ऋशेशों के संदर्भ में भारत सरकार और राज्य सरकारों का मामला एक-सा नहीं है। राज्य सरकारों ने अलग अलग नीतियाँ अपनायी हैं। जबकि केन्द्र सरकार और अधिकतर राज्यों ने इस सिलसिले में कोई कानून नहीं बनाया है, तभी राज्यों में आरक्षण से सम्बन्धित कानून अभी बनने हैं। कुछ राज्यों में अभी तक पदोन्नति द्वारा पद भरने में आरक्षण-सुविधाएं प्रवाल नहीं की गई हैं, जबकि कुछ राज्य इस मामले में केन्द्र सरकार से भी आगे हैं। उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगाल राज्य ने कानून बनाकर 2,000 रूपए से नीचे के पदों में आरक्षण-सुविधाएं उपलब्ध की हैं और यह पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे; जबकि भारत सरकार में ऐसी आरक्षण-सुविधाएं गुप "क" के निम्नतम पदों तक के लिए ही हैं। केरल राज्य द्वारा पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की नीति अभी अपनायी बाकी है लेकिन उसने कुछ पदों के समानुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की विधा में कदम उठाये हैं। विशेष शर्तों अधियानों के द्वारा इन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप पदों में वृद्धि हुई है।

1.39 संविधान ने नौकरियों के आरक्षण के प्रेरणा-क्षेत्र के अनुसूचित कथा यह अपेक्षित नहीं है कि लोकसभा में आरक्षण सम्बन्धी एक विशेषक पारित कर दिया जाये और राज्यों को अपने यहां उसे कानून बनाते

समय उसे माडल के रूप में स्वीकार करने के लिए, कहा जाये, ताकि आरक्षण नीति समरूप हो सके।

1.40 1968 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। पहले यह गृहसंघों की अध्यक्षता में कार्य कर रही थी और अब इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इस समिति के काम भारत सरकार, संघ राज्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शर्तों के मामलों की समीक्षा करना है। इस समिति का समय-समय पर पुनर्गठन होता रहता है। संविधान के उपबन्धों के अनुरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रायुक्त सांविधानिक अधिकारी हैं। और सुरक्षण सम्बन्धी सभी मामलों, जिसमें नौकरियों का सुरक्षण भी शामिल है, को फुल्ल उनके अधिकार-क्षेत्र में आती है। और इस कारण वह हमेशा समिति में आमंत्रित के रूप में शरीक रहा करते हैं। उनके भाग लेने से समिति का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हित में रीति सम्बन्धी अनेक निर्णय देने में सहायता मिली है। जब अगस्त 1978 में यह समिति पुनर्गठित की गई तो प्रायुक्त को स्थायी तौर पर आमंत्रित करने की प्रथा समाप्त कर दी गई। समिति की उक्त अंतिम बैठक 20-10-1978 को हुई थी। प्रायुक्त के वहां न होने के कारण समिति में हुई बहसों तथा निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। फिर भी, समाचारपत्रों की रिपोर्टों से पता चलता है कि समिति को जिन अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करनी थी, उन्हें सचिवों के पैनल को सौंप दिया गया है। इस पैनल का अभी तक गठन नहीं हो सका है जिसके कारण अनेक महत्वपूर्ण मसल आरक्षित हो गये हैं।

अध्याय 2

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संविधानिक संरक्षणों का संचालन

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और एंग्लो-इंडियन लोगों के हितों की ओर अधिक ध्यान देने तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 17, 19, 23, 25, 29, 35, 38, 39-क, 46, 164, 244, 244-क 275 320(4), 330, 331, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 371-क, 372-ख और 372-ग जैसे विभिन्न अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है। इन अनुच्छेदों के विवरण हमारी पिछली रिपोर्ट में पहले ही दिया जा चुका है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए कुछ मुख्य संवैधानिक संरक्षणों के कार्य-संचालन पर बाद के पैरों में विचार किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां

2.2 जैसाकि पिछली रिपोर्ट में सूचित किया गया था, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 को 18 सितम्बर, 1976 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह अधिनियम 27 जुलाई, 1977 से लागू हुआ। इसमें त्रहों आवश्यक ही उन्हें छोड़कर, अधिकतर राज्यों में क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटाने और संसदीय तथा विधान-सभा चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन की व्यवस्था रखी गई थी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई नई जाति या जनजाति न तो शामिल की गई और न ही उसमें से हटाई गई।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1978

2.3 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कुछ विशेष जातियों और जनजातियों को शामिल करने तथा उसमें से हटाने सम्बन्धी विधेयक 12 मई, 1978 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक के लिए दिए गए तर्कों और प्रयोजनों के अनुसार, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने से पहले, गुजरात के "मोची" समुदाय को सिर्फ डंगल जिले और वर्तमान धलसार जिले के डंबरगांव ताल्लुके में अनुसूचित जाति के रूप में माना जाता था, लेकिन शेष राज्य में इसको गणना अनुसूचित जातियों में नहीं की जाती थी। ऊपर उल्लिखित अधिनियम ने राज्य में क्षेत्रीय प्रतिबंध सामान्य रूप से समाप्त कर दिए और "मोची" समुदाय को पूरे गुजरात राज्य में अनुसूचित जाति घोषित कर दिया गया।

2.4 गुजरात सरकार ने भारत सरकार को अभिप्रेदन प्रस्तुत किया कि "मोची" समुदाय के मामले में क्षेत्रीय प्रतिबंध को समाप्त करना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि गुजरात राज्य के किसी भी भाग में इस समुदाय को अस्पृश्यता प्रथा के परिणामस्वरूप सामाजिक निर्याता (डिस्एबिलिटी) का कष्ट नहीं भोगना पड़ा है। सिर्फ डंगल जिले और वर्तमान धलसार जिले के डंबरगांव ताल्लुके में अवश्य उनके साथ यह व्यवहार किया जाता है।

राज्या सरकार ने इस ओर भी संकेत किया था कि गुजरात राज्य में अन्य क्षेत्रों के मोची अपेक्षाकृत अधिक उन्नत हैं, और डंगल जिले तथा डंबरगांव ताल्लुके में रहने वाले इसी समुदाय के अन्य सदस्यों को जिन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ भी अन्य क्षेत्रों के "मोची" समुदाय के लोगों द्वारा उठाए जाने की संभावना है। इसलिए विधेयक में गुजरात राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में "मोची" समुदाय की स्थिति को पुनःस्थापन का प्रस्ताव है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने से पूर्वापेक्षित था। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में पाई गई वर्तनी और विराम-चिह्नों को कुछ अशुद्धियों को ठीक करने का प्रस्ताव इस विधेयक में शामिल है।

2.5 फिर भी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की व्यापक सूचियां बनाने का प्रश्न, जो 1956 से विचाराधीन है, संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंप दिया गया है। यह समिति सांविधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में दी गई सूचियों का अध्ययन करेगी और इस संदर्भ में संशोधनों का सुझाव देगी जो संसद के 1979 के बजट अधिवेशन के अंतिम दिन प्रस्तुत किए जाएंगे।

संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अधीन लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2.6 संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 के अधीन लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) के अंतर्गत बनाए गए कानून भी इस दिशा में सुसंगत प्रावधान प्रदान करते हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत संविधान के लागू होने से 30 वर्ष की अवधि तक के लिए आरक्षित घोषित किए गए हैं।

राज्यसभा और लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

लोकसभा :

2.7 संसद तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 के उपबंधों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से क्रमशः 78 और 38 स्थान आरक्षित थे। इन निर्वाचन क्षेत्रों के विषय में स्थानों का आरक्षण गत लोकसभा के भंग होने की तिथि से प्रभावो हुआ और निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन के निर्धारण होने तक लागू रहेगा। मार्च 1977 में हुए लोकसभा के पिछले आम चुनावों में, एक अनुसूचित जाति का सदस्य और दो अनुसूचित जनजातियों के सदस्य सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। अनुसूचित जाति का सदस्य

महाराष्ट्र राज्य से और अनुसूचित जनजाति का एक-एक सदस्य असम तथा महाराष्ट्र राज्य में निर्वाचित हुआ था। इस प्रकार, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या बढ़कर क्रमशः 79 तथा 40 हो गई है। इस विषय में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी जाने वाली सूचना अभी तक प्रतीक्षित है।

राज्यसभा :

2.8 जैसाकि पिछली रिपोर्ट में सूचित किया गया है, राज्यसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण सम्बन्धी कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है।

विधानसभाओं और विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

विधान सभाएं :

2.9 संविधान के अनुच्छेद 332 और परिसेमन आदेश, 1976 के अधीन उपबंध के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 3997 स्थानों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 540 और 282 स्थान आरक्षित किए गए थे। लोकसभा और विभिन्न विधान सभाओं में राज्यवार स्थानों का बंटवारा परिशिष्ट-1 में देखा जा सकता है। इससे अतिरिक्त, 1977-78 के विधान सभा चुनावों में अनारक्षित स्थानों पर भी 13 अनुसूचित जाति और 10 अनुसूचित जनजाति के सदस्य निर्वाचित हुए। ये सदस्य आंध्र प्रदेश (दो अनुसूचित जाति), असम (एक अनुसूचित जाति और चार अनुसूचित जनजाति), बिहार (एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति), कर्नाटक (एक अनुसूचित जाति), मध्य प्रदेश (दो अनुसूचित जाति), महाराष्ट्र (दो अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति), उड़ीसा (एक अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति), पंजाब (एक अनुसूचित जाति), राजस्थान (एक अनुसूचित जाति) और त्रिपुरा राज्य (एक अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति) में चुने गए हैं। पश्चिम बंगाल से जाने वाली सूचना अभी तक प्रतीक्षित है।

विधान परिषदे

2.10 राज्य सभा की तरह राज्यों की विधान परिषदों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है। फिर भी, विधान परिषदों वाले 7 राज्यों ने वर्ष 1977-78 के लिए निम्नलिखित जानकारी भेजी है :

| क्र० सं० | राज्य | अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या | | अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या | |
|----------|-----------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | | निर्वाचित | मनोनीत | निर्वाचित | मनोनीत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | बिहार | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 3. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 1 | -- | -- |
| 4. | कर्नाटक | 2 | -- | -- | -- |
| 5. | महाराष्ट्र | 5 | 1 | -- | -- |
| 6. | तमिलनाडु | 4 | -- | -- | -- |
| 7. | उत्तर प्रदेश | 4 | -- | -- | -- |

2.11 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (सशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 की उप-धारा (15) के खंड (क) के अनुसरण में और भारत के हाइजीयक द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित संशोधित जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर आरक्षित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में तीस और स्थान (एक स्थान मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए और एक-एक स्थान मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए) तथा विभिन्न राज्य विधान सभाओं में 17 और स्थान (अनुसूचित जातियों के लिए 16 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 21 स्थान) आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अनुसूचित जातियों के लिए 16 स्थानों से कर्नाटक में 4, उत्तर प्रदेश में 3, बिहार तथा मध्य प्रदेश में दो-दो प्रत्येक गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक-एक स्थान आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव है। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के लिए 21 स्थानों में मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 5, आंध्र प्रदेश में 4 और गुजरात तथा तमिलनाडु में एक-एक स्थान का प्रस्ताव है। साथ ही, केरल में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में एक की कमी कर ग भी सुझाव दिया गया है। लेकिन इस फेर-बदल से लोकसभा व विभिन्न विधानसभाओं के कुल स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का संगठन

2.12 संविधान के अनुच्छेद 338 के अर्थन यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए दिए गए सुरक्षाओं से सम्बन्धित मामलों की जांच करके, राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार समयावधियों के अंतर पर उन सुरक्षाओं के कार्यपालन पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे। उस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किए जाने पर उनके अर्थ में ऐसे अन्य पिछड़े वर्ग शामिल समझे जाएंगे जिन्हें राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा स्पष्ट करें और इनमें एंग्लो-इंडियन समुदाय भी शामिल समझा जाएगा।

2.13 संविधान के उपर्युक्त उपबंध के अनुकरण में पहला विशेष अधिकारी, जिसका पदनाम अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का आयुक्त रखा गया, 18 नवम्बर, 1950 को नियुक्त किया गया और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अब तक 25 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। प्रारम्भ में, आयुक्त के अधीन बड़ा सीमित कर्मचारियों का स्टाफ था, लेकिन कार्य के विस्तार के साथ-साथ उनकी संख्या में भी वृद्धि होती चली गई। साथ ही, आयुक्त को एक क्षेत्र संगठन प्रदान किया गया और उस समय के पहले क्षेत्र अधिकारी, जिसका पदनाम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सहायक आयुक्त रखा गया था, की नियुक्ति जनवरी, 1951 में की गई। इसका मुख्य कार्यालय शिलांग था और कार्यक्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर तथा त्रिपुरा था। 1965 तक, देश के विभिन्न भागों में 17 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जा चुके थे। 1967 तक जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त का पुनर्गठन किया गया, आयुक्त की कुछ गैर-संवैधानिक कार्यों के संर्भ में भी आवश्यकता पड़ती

था, जिसमें कुछ प्रबन्ध समितियों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना और राज्य सरकारों से प्राप्त योजनाओं पर केन्द्र सरकार को सलाह देना भी शामिल था।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन

2.14 फरवरी 1967 में केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त के कार्यालय का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। विभाग ने महसूस किया कि केन्द्र द्वारा शुष्क की गई स्कीमों का मूल्यांकन करने के लिए इसका अपना कार्य क्षेत्रों संगठन होना चाहिए। चूंकि इस कार्य के लिए उनके पास कोई बजट नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव किया कि : आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों को समाप्त कर दिया जाए और उन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर अपना अर्चलिक कार्यालय बनाने का सुझाव दिया। विभाग का विचार था कि अर्चलिक कार्यालय आयुक्त को रिपोर्टें भेजते रहेंगे। इस प्रस्ताव के पीछे इस बात का बहुत कम अहसास था कि आयुक्त द्वारा अपने संगठन से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर ही मूल्यांकन करना अपेक्षित है, न कि सरकारी विभाग के मातहत अधिकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर और ऐसा करना सविधान के अनुच्छेद 338 की भावना को ठेस पहुंचाता है। इस मत का समर्थन जून 1951 में विधि मंत्रालय के आधिकारिक विनिर्णय (रुलिंग) द्वारा भी किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कर्तव्य "एसे किसी भी प्राधिकारों या व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता जो विशेष अधिकारों का अधीनस्थ और उसके प्रांत उत्तरदायी न हो।" इसके परिणामस्वरूप, आयुक्त से क्षेत्रीय संगठन लेकर पिछड़ा वर्ग कल्याण के महानिदेशक के अधीन कर दिया गया।

2.15 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तत्कालीन आयुक्त ने सुझाव दिया कि आयुक्त के अधीन कार्य कर रहे क्षेत्रीय संगठन को समाप्त करना उचित रहेगा और नहीं बांछित। उसने यह भी महसूस किया था कि समाज कल्याण विभाग को इसलिए आयुक्त को उसके क्षेत्रीय संगठन से बंचित नहीं करना चाहिए ताकि वह स्वयं अपना क्षेत्रीय संगठन बना सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का पुनर्गठन से पूर्व की अवस्था जैसा क्षेत्रीय संगठन होना चाहिए— इस मत का विभिन्न समितियों ने भी समर्थन किया है। इनमें अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों की आर्थिक और शैक्षणिक विकास समिति जनवरी 1969 में श्री एल० एल्लैयापेरुमल की अध्यक्षता में), जनजाति विकास कार्यक्रम अध्ययन दल (श्री शिबु आम्बो की अध्यक्षता में) और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति (श्री सी० डी० बसुमतारी की अध्यक्षता में) शामिल था। बसुमतारी समिति ने आयुक्त कार्यालय के पुनर्गठन सम्बन्धी मामले का गहरा अध्ययन किया था और अनेक सिफारिशें की थीं। संक्षेप में, इसने एल्लैयापेरुमल समिति की रिपोर्ट से सहमति प्रकट की थी और समाज कल्याण विभाग की मनमानी कार्रवाई पर आश्चर्य एवं खेद प्रकट किया था। इस रिपोर्ट के कुछ अंश नीचे दिए जा रहे हैं :

"आयुक्त ने न केवल आयुक्त के संगठन को पंगु बनाया, और उसे देश में उसकी आंखों और कानों से बंचित ही कर दिया है, अपितु उसके पद, स्थिति, उसके अधिकारों और अपने संबंधित दायित्वों को बहल करने की उसकी क्षमता की दृष्टि से उसकी अवमानना भी की है।"

"इसलिए समिति जोरदार सिफारिश करती है कि आयुक्त को उसका अपना कार्यक्षेत्रीय संगठन सुधारा किया जाए। समिति यह भी सुझाव देती है कि सरकार आयुक्त को सभी आवश्यक स्तरों पर

अपना कार्यक्षेत्रीय संगठन पुनः निर्मित और स्थापित करने योग्य बनाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करे। संगठन की शक्ति तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के नियोजन के विषय में भी आयुक्त को स्वयं ही निर्णय करना चाहिए।"

पुनर्गठन के पश्चात् आयुक्त के अधीन सिर्फ दिल्ली स्थिति मुख्य कार्यालय ही बचा था।

पुनर्गठन के बाद 1967 से आयुक्त संगठन के पुनर्गठन/विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव

2.16 1967 में पुनर्गठन के समय से ही, आयुक्त के मुख्यालय को सशक्त बनाने और उसे क्षेत्रीय कार्यालय प्रदान करने से सम्बन्धित अनेक प्रस्ताव आये थे। फरवरी, 1969 में, सेवा एकाई (सर्विस यूनिट्स) के लिए एक अनुभाग अधिकारी और उसके अधीन स्टाफ के स्थान पर 6 अनुभागों के गठन का प्रस्ताव किया गया था।

2.17 मार्च, 1970 में अनेक अनुसंधान दलों और सेवा दलों (सर्विस यूनिट्स) के गठन करने का भी प्रस्ताव था, इनमें से कुछ मुख्यालय के लिए तथा कुछ देश के विभिन्न भागों के सर्वेक्षणाधीन क्षेत्रों के लिए थे। साथ ही, निम्नलिखित विशेषज्ञों और विद्वानों के लिए भी सुझाव दिया गया था :

(क) चार अनुसंधान दल (जिनमें दो विश्लेषक, चार अनुसंधान अधिकारी, चार वरिष्ठ अन्वेषक, 12 अन्वेषक, 6 आशुलिपिक, 6 निम्नश्रेणी लिपिक और 6 चपराशी शामिल थे ;

(ख) चार अनुसंधान दलों के अलावा, 4 सेवा दलों का भी प्रावधान रखा गया था (जिनमें दो विश्लेषक, चार निरीक्षण अधिकारी, 8 निरीक्षक, 6 सहायक, 6 आशुलिपिक, 8 निम्नश्रेणी लिपिक और 6 चपराशी शामिल थे।

2.18 1972 में, मुख्यालय में 5 अनुसंधान एकाई और पांच सेवा एकाई के अलावा, देश भर में 18 क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का भी प्रस्ताव था। आयुक्त के लिए अतिरिक्त स्टाफ और क्षेत्र संगठन की सिफारिश और समर्थन संसदीय समिति, तत्कालीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (1972) और तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री (1975) ने किया था। 22 नवम्बर, 1972 को, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री ने लोकसभा में आयुक्त की 1969-70 की रिपोर्ट पर चल रही बहस का उत्तर देते हुए कहा था :

"फिर भी इस तथ्य की जानकारी मुझे है कि आयुक्त को छानबीन करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है। शीघ्र ही, सरकार द्वारा आयुक्त से परामर्श करके इस दिशा में समुचित कदम उठाने का विचार है, जिससे उस (आयुक्त) के लिए आवश्यक स्टाफ और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें और वह समुचित रूप से अपना कर्तव्य निष्पादन कर सके।"

22 नवम्बर, 1973 को, केन्द्रीय गृहमंत्री ने आयुक्त को 1970-71 की रिपोर्ट पर राज्यसभा में हुए बहस का जवाब देते हुए आयुक्त द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा था :

"और सरकार की यह नीति है कि संगठन के स्वरूप और उसकी शक्तियों को यथासम्भव अधिक मजबूत बनाया जाए ताकि वह अपने संबंधित दायित्वों का प्रभावी ढंग से निष्पादन कर सके।"

2.19 इन तमाम बातों के बावजूद, सरकार द्वारा 12 दिसम्बर 1975 से पूर्व आयुक्त संगठन को मजबूत बनाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 12 दिसम्बर 1975 में, गृह मंत्रालय ने हमारे

पहले से मेने गए प्रस्ताव पर अपनी (निम्नलिखित) टिप्पणी लगाई और हमें दो अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारियों के लिए सहमति मिली। गृह मंत्रालय की टिप्पणी इस प्रकार है :

“आयुक्त संगठन की राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से बेजो रिपोर्टों की समीक्षा और यह देखने के लिए कि आरक्षण आवेदकों का कितना पालन किया जा रहा है, दो निरीक्षण क्ल और प्रदान करके सक्षम बनाया जा सकता है।”

हमारे प्रस्तावों के अनुसार, एक निरीक्षण क्ल में एक विश्लेषक, दो निरीक्षण अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी, 8 अन्वेषक, 3 आगुलिफिक, 4 निम्न श्रेणी लिपिक, एक दफ्तरी और दो चपरासी होने चाहिए थे। वास्तविकता यह है कि सरकार ने आज तक नवम्बर, 1976 में दो अनुसंधान अधिकारियों के पदों के अलावा और किसी स्टाफ की स्वीकृति नहीं दी है और इनमें से भी एक की नियुक्ति अभी की जानी है।

2.20 इस प्रकार, पिछले 10 वर्षों में विभिन्न समितियों ने, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण से सम्बद्ध संसदीय समितियों ने, आयुक्त संगठन के विस्तार की निरंतर मांग का जोरदार समर्थन किया है। फिर भी, हमें सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि पिछले 10 वर्षों के दौरान कार्य की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई है, आयुक्त के कार्यालय को 1967 के स्टाफ से काम करना पड़ता है, जबकि यह स्टाफ उस समय भी अपर्याप्त पाया गया था।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त की नियुक्ति

2.21. एक स्थिति ऐसी भी आई, जब केन्द्र सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की क्षेत्रीय कार्यालयों तक के अतीत करने पर विचार कर रही थी और इस विचार से मंत्रालय और आयुक्त के प्रतिनिधियों के बीच 13 अगस्त और 5 सितम्बर 1977 को दो बार बातचीत भी हुई। आयुक्त की ओर से जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए उनमें समस्याओं के विस्तार, उनके नियमित आकलन और उनके प्रति उत्तम भाव बनाए रखने की दृष्टि से 17 क्षेत्रीय कार्यालयों की मांग की गई थी। इनका संचालन 5 उपायुक्तों और 17 सहायक आयुक्तों द्वारा किया जाना था। सहायक स्टाफ के रूप में 25 अनुसंधान अधिकारी, 5 अन्वेषक, 16 बरिष्ठ अन्वेषक, 31 कनिष्ठ अन्वेषक, 17 उच्च श्रेणी लिपिक, 39 निम्नश्रेणी लिपिक, 5 आगुलिफिक, 34 स्टेनो टाइपिस्ट, 39 दफ्तरी, चपरासी और फराश तथा 17 ड्राइवरो के लिए कहा गया था। इस सब के स्थान पर, आयुक्त के सामने जो प्रस्ताव रखा गया, उसमें उससे क्षेत्र के दो उपायुक्त स्वीकार करने के लिए कहा गया। अर्न्त आवश्यकताओं के लिए इसे बहुत अधिक अनुपयुक्त विचारकर, आयुक्त ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं दी। बाद में, सरकार ने 'नागरिक अधिकार आयोग के गठन करने का फैसला किया ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को भेदभाव या असमानता का कष्ट न भोगना पड़े।' यह भी विचार किया गया कि “क्या संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियुक्त आयुक्त और संविधान के अनुच्छेद 350-ख के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नियुक्त आयुक्त को संविधान के अंतर्गत उनके लिए निर्धारित कर्तव्यों और अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है।” यह माना गया कि प्रस्तावित नागरिक अधिकार आयोग का देश के विभिन्न भागों में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का जाल फैला होगा।

2.22. जब सरकार ने आयोग के गठन के संबंध में संसद तथा समाचार पत्रों को अपने अभिप्राय से अवगत कराया तो विभिन्न पक्षों की ओर से प्रस्तावित आयोग की प्रभावोत्पादकता के बारे में संदेह व्यक्त किए गए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ धार्मिक

तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को एक मंच पर इकट्ठा करने की वांछनीयता पर भी संदेह प्रकट किया गया। सरकार ने इस विषय पर पुनर्विचार करके तीन विभिन्न आयोगों— एक अल्पसंख्यकों, दूसरा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और तीसरा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गठन करने का निर्णय लिया।

2.23. संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षणों से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करने की समस्या के आकार और उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का विचार था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त के प्राधिकरण और कार्य के साथ-साथ यह मामले उच्च स्तरीय आयोग को समुचित रूप से सौंपे जाने चाहिए। इस आयोग में आयुक्त के अधिकार को कम किए बिना ऐसे गणमान्य व्यक्तियों को लिया जाना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा-प्राप्त हों। इस विचार के अनुरूप, भारत सरकार ने 28 जुलाई, 1978 को संसद सदस्य श्री भोला पासवान शास्त्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का गठन किया। नौवें आयोग के सदस्यों के नाम दिए जा रहे हैं :

- (1) श्री शिशिर कुमार, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त
- (2) श्री ए० जयरामन, भूतपूर्व संसद सदस्य
- (3) श्री ठाकुर सेन नेगी, विधान सभा सदस्य
- (4) श्री एस० के० मलिक, आई०सी०एस० (अवकाश प्राप्त)

2.24. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। आयोग के कार्य मोठेतर पर वही होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को इस समय सौंपे गए हैं। आयोग के कार्य होंगे :

- (1) संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करना। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ उस प्रक्रिया का पुनरीक्षण भी शामिल होगा जिसके अनुसार सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षणों को व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित किया जाता है।
- (2) छुआछूत समाप्त करने और इसके कारण उत्पन्न होने वाले पक्षपातपूर्ण भेदभाव को पांच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त करने के उद्देश्य की विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन का अध्ययन करना
- (3) लागू कानून के रास्ते में आने वाली बाधाओं को समाप्त करने का सुनिश्चय करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध किए जाने से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक और अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों का पता लगाना और सुझावकारक उचित उपायों की सिफारिश करना जिसमें अपराधों की शोधिता से जांच करना भी शामिल है।
- (4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संरक्षण न मिलने के बारे में व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना।

आयोग अपने कार्य-पालन के लिए अपनी कार्य-प्रणाली स्वयं बनाएगा। भारत सरकार के सभी संतालय और विभाग समय समय पर आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाएं, दस्तावेज एवं अन्य सहायता प्रदान करेंगे। भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से भी अनुरोध किया है कि वे आयोग को पूर्ण सहयोग तथा सहायता प्रदात करें। आयोग राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगा जिसमें उसकी गतिविधियों और सिफारिशों का विवरण होगा। इसके अलावा, आयोग ऐसे किसी भी मामले पर जो इसकी कार्य-सीमा में हो और जिसे वह आवश्यक समझे, सरकार को रिपोर्ट दे सकता है। आयोग सदन के प्रत्येक सदन के पटल पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा साथ ही ज्ञापन भी रखेगा। ज्ञापन में सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रूपरेखा, अगर इन सिफारिशों को जो केन्द्र सरकार से सम्बन्ध हों, स्वीकार न किया गया हो, तो उनके कारणों का लेखा-शोखा रहेगा।

2.25. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपर्युक्त आयोग का गठन सरकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया था। आयोग को सार्वजनिक हैसियत प्रदान करने के लिए "संविधान (46वां संशोधन) विधेयक 1978" लोक सभा में अगस्त, 1978 को पेश किया गया ताकि संविधान के मौजूदा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया जा सके। संविधान में प्रस्तावित संशोधन में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग का उपबन्ध रखा गया है। इस आयोग का कार्य संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 338 के अधीन विशेष अधिकारों के लिए निर्धारित कार्य के समान ही होगा।

2.26. गृह मंत्रालय ने 1 दिसम्बर, 1978 से क्षेत्र संगठनों का प्रशासनिक नियंत्रण पिछड़े वर्ग कल्याण के महानिदेशक से स्थानांतरित करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग के अधीन कर दिया है। फिर भी, उन्होंने आयोग को पिछड़े वर्ग कल्याण के महानिदेशक का पद और क्षेत्रीय अधिकारियों के कुछ पद स्थानांतरित नहीं किए हैं। पिछड़े वर्ग कल्याण के आंचलिक निदेशक के पदनाम की बदलकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आंचलिक निदेशक कर दिया गया है। लेकिन वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदेन उपायुक्त के रूप में काम करना जारी रखेंगे।

अस्पृश्यता उन्मूलन

2.27. संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई और किसी भी रूप में उसका व्यवहार निषिद्ध घोषित किया गया। अनुच्छेद 25 (2) (ख) का सम्बन्ध भी सार्वजनिक प्रकृति के सभी हिन्दू धार्मिक स्थानों को हिन्दुओं की सभी श्रेणियों और वर्गों के लिए खुला घोषित करने से है। अस्पृश्यता से सम्बन्धित सभी संज्ञेय अपराधों को अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 जिसे संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 35(क) (ii) के अधीन अधिनियम बनाया गया, के अंतर्गत दंडनीय माना गया। इस अधिनियम को अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और विविध व्यवस्थाएं अधिनियम, 1976 करके इसे 19 नवम्बर 1976 से लागू किया गया तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 रखा गया। संशोधित अधिनियम ने व्यवस्थाओं को अस्पृश्यता निवारण की दृष्टि से काफ़ी कड़ा कर दिया है। संशोधित अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं हमारी पिछली रिपोर्ट में दी जा चुकी हैं।

2.28. संशोधित अधिनियम के एक उपबन्ध के अनुसार, केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 15(क) के अधीन व्यवस्थाओं के अनुसरण में अपना तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभापद्यों पर रखेगी। केन्द्र सरकार लोकसभा और

राज्य सभा के पटल पर 1977 में समाप्त होने वाली अवधि की उपर्युक्त रिपोर्ट क्रमशः 20 दिसम्बर 1978 और 21 दिसम्बर 1978 को रख चुकी है।

2.29. भारत सरकार द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति से प्राप्त होने वाले अधिकारों का सम्बन्धित व्यक्तियों को मिलने तथा उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों का समर्थन बनाने के वास्ते अधिनियम के अधीन नियमों का निर्माण किए जाने की आशा थी। ये नियम अर्थात् नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977 भारत सरकार द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, की धारा 16(ख) की व्यवस्था के अधीन अधिमूर्चित किए जा चुके हैं। इन नियमों के नियम-3 के अधीन, राज्य सरकारों को सामूहिक जमाना लागू करने के उद्देश्य से जांच करने के लिए, जिसका उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 (क) की उप-धारा (1) में विधान है, कम से कम उप-मंडल मजिस्ट्रेट के पद के बराबर के एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होती है।

बंधुवा मजदूरी

2.30. संविधान के अनुच्छेद 23 के अधीन हालांकि जबरन/बंधुवा मजदूरी निषिद्ध है, फिर भी देश के किसी न किसी भाग में बेगार या जबरन मजदूरी की यह प्रथा मानवजाति में अलग-अलग नामों से अब भी विद्यमान है। कुछ राज्य सरकारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तथा बाद में इस राक्षसी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए थे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में बंधुवा मजदूरी पद्धति की मौजूदगी के उदाहरण दिए थे और उसकी समाप्ति के सुझाव भी दिये थे, लेकिन यह पाया गया कि राज्य सरकारों द्वारा इन कानूनों को लागू किए जाने में शिथिलता दिखाने के कारण स्थिति में सुधार नहीं हुआ था। इस बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने 1976 में "बंधुवा मजदूर पद्धति (समाप्ति) अधिनियम" लागू किया। इस अधिनियम की व्यवस्थाओं पर हमारी पिछली रिपोर्ट में विचार किया जा चुका है। इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के लागू होने के परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में बंधुवा मजदूरों की पहचान के लिये नए प्रयास किये हैं। देश के 31 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से अब तक सिर्फ दस राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश ने अपने क्षेत्राधिकार में बंधुवा मजदूरों की विद्यमानता स्वीकार की है और उनकी पहचान, मुक्ति और पुनर्वास के लिए प्रयास किये हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेश में 1,05,180 बंधुवा मजदूरों को पहचाना गया और उनमें से 1,04,749 को मुक्ति दिलाई गई और 31,844 का पुनर्वास किया गया। 31 मई, 1978 तक की सूचना के अनुसार :

| क्र० सं० | राज्य/ संघ शासित क्षेत्र | बंधुवा मजदूरों की कुल संख्या | | |
|----------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| | | पहचाने गए | मुक्त किए गए | पुनर्वासित किए गए |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 6,930 | 6,430 | 4,154 |
| 2. | बिहार | 2,857 | 2,857 | 613 |
| 3. | गुजरात | 42 | 42 | 42 |
| 4. | कर्नाटक | 64,042 | 64,042 | 7,804 |
| 5. | उड़ीसा | 669 | 313 | 313 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 1,612 | 1,531 | 33 |
| 7. | केरल | 900 | 900 | 186 |
| 8. | राजस्थान | 6,000 | 6,000 | 2,521 |
| 9. | तमिलनाडु | 2,882 | 2,882 | 2,263 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 19,242 | 19,242 | 12,805 |
| 11. | मिज़ोरम | 3 | 3 | - |
| | | 1,05,180 | 1,04,749 | 31,844 |

2.31 ऊपर की तालिका से पता चल जाएगा कि पुनर्वासि की प्रक्रिया काफी धीमी रही है। मुक्त किए गए कुल 1,04,749 बंधुवा मजदूरों में से सिर्फ 31,844 का पुनर्वासि किया गया। आशा की जाती है कि श्रम मंत्रालय और सम्बद्ध राज्य सरकारें मुक्त बंधुवा मजदूरों के धीमे पुनर्वासि के कारणों की समीक्षा करेंगी।

बंधक मजदूरों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

2.32 हालांकि 20 राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों ने अपने क्षेत्र में बंधक मजदूरों की मौजूदगी से इकार किया है, लेकिन यह प्रथा किसी भी न किसी रूप में मौजूद हो सकती है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस संगठन ने महाराष्ट्र के धुलिया जिले में नंदूरबार और शाहदा तालुकों में बंधुवा मजदूरों की विद्यमानता पर एक सर्वेक्षण किया, जिसका विवरण हमारी रिपोर्ट में दिया गया था। सर्वेक्षण द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि इन क्षेत्रों में बंधक मजदूर पद्धति के तत्त्व निश्चित रूप से विद्यमान हैं। यह पाया गया कि महाराष्ट्र सरकार इस प्रथा की मौजूदगी को स्वीकार करने में संकोच महसूस कर रही है और सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसने सूचित किया कि बंधुवा मजदूरों के रूप में रिपोर्ट किए मामले अधिनियम के अधीन बंधुवा मजदूर पद्धति की परिभाषा से मेल नहीं खाते। फिर भी राज्य सरकार ने इन तालुकों में परीक्षण के तौर पर कुछ मामलों पर कार्रवाई करने का फैसला किया और पुलिस तथा राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे न्यूनतम मजदूरों अधिनियम, 1948 की व्यवस्थाओं के अधीन कार्रवाई करें। हाल ही में, समाचारपत्रों ने महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों को "फंसाने" की एक विचित्र पद्धति और उन्हें बंधक मजदूर बनाए रखने के समाचार प्रकाशित किए हैं। इसमें कहा गया है कि धरली या महादेव कोली जनजाति के तुरुणों के विवाह-समारोह आम तौर पर इतने विशाल स्तर पर आयोजित किये जाते हैं, जिनका आर्थिक भार वे नहीं उठा सकते। समारोह के लिए वे धन उधार लेते हैं और साहूकार का ऋण लौटाने के लिए, जो लगातार तेजी से बढ़ता चला जाता है, उन्हें बंधक मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है।

2.33 बंधक मजदूरों के एक और बहुत अशोभनीय प्रकार के शोषण का मामला पंजाब में प्रकाश में आया है। यहां बिहार राज्य के रांची जिले से लाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 15 व्यक्तियों से हीशियारपुर जिले में आलमपुर पुलिस थाने के अधीन चकवागु गांव के एक भू-पति के लिए जबरन काम लिया जाता था। मामले की जांच करने पर पाया गया कि ये मजदूर बिहार से कुछ एजेंटों द्वारा पंजाब लाए गए। इन एजेंटों ने मजदूरों की यात्रा के व्यय की वहन किया, जिसके बदले में मजदूरों को पहले दो महीने निःशुल्क काम करना पड़ता था और बाद में उन्हें 60/- रुपये मासिक की दर से पैसे मिलते थे। एजेंटों को उन भू-पतियों से 285/- रुपये मिलते थे, जो इन मजदूरों से काम लेते थे। इस प्रथा को रोकने के लिए यह मामला बिहार और पंजाब की सरकारों के समक्ष उठाया गया। इस संगठन के सुझाव के फलस्वरूप, बिहार सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किए कि किसी भी एजेंसी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बंधक मजदूरों के रूप में अन्य राज्यों में ले जाने की अनुमति न दी जाए। इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार से लाए गए ऐसे अनेकानेक मजदूर पंजाब के अन्य जिलों में इसी दुर्दशा को भुगत रहे हों। यह सुझाव दिया जाता है कि बिहार सरकार अन्य राज्यों को उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करें, जहां बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में काम करते हैं और यह सुनिश्चित करें कि उनके राज्य से लाए गए मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाए और किसी भी रूप में उनका शोषण न किया जाए।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा गांधी शांति प्रतिष्ठान के सहयोग से बंधक मजदूर पद्धति का सर्वेक्षण

2.34 यह विलकुल स्पष्ट है कि बंधुवा मजदूर पद्धति एक गंभीर समस्या है और इसे समाप्त करने के लिए कौरन कदम उठाए जाने की जरूरत है। समस्या के दो प्रमुख पहलुओं पर विचार किए जाने की आवश्यकता है : पहला यह कि समस्या के विस्तार की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी तक न पहचाने गए बंधुवा मजदूरों की पहचान की जाए और दूसरा यह कि मुक्त बंधुवा मजदूरों के पुनर्वासि के लिए समुचित कार्यक्रम शुरू किए जाएं। जहां तक बंधुवा मजदूरों की पहचान का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने गांधी शांति प्रतिष्ठान के सहयोग से बंधुवा मजदूर पद्धति का 10 राज्यों के 295 जिलों में 1000 से भी अधिक गांवों में सर्वेक्षण किया है। यह राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, जहां की राज्य सरकारों ने बंधुवा मजदूर पद्धति की समस्या को स्वीकार किया है। सर्वेक्षण के प्रारंभिक विवरण में पाया गया कि उड़ीसा और महाराष्ट्र को छोड़कर ऊपर कहे गए राज्यों में, बंधक मजदूरों की कुल संख्या 21.7 लाख होगी जोकि इन राज्यों के खेतिहर मजदूरों की जनसंख्या 3.70 करोड़ का 6.1 प्रतिशत भाग है। जिन संस्थानों ने ऊपर कहा गया सर्वेक्षण किया है, उन्होंने अनुमान लगाया है कि शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बंधुवा मजदूरों की मौजूदगी की तन्मावना बहुत कम है। अगर शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण किया जाए तो यह अनुमान भी गलत साबित हो सकता है। श्रम मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 28 वें दौर में अनुमान लगाया गया है कि देश में खेतिहर मजदूरों की कुल संख्या का 4.2 प्रतिशत बंधुवा मजदूर है। यह आंकड़ा समस्या के आयाम को स्पष्ट करता है।

मुक्त किए गए बंधुवा मजदूरों का पुनर्वासि

2.35 जैसाकि इससे पहले के पैरों में विचार किया जा चुका है, पहचान के बाद मुक्त बंधुवा मजदूर की पुनर्वासि की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की पहले की रिपोर्टों में कुछ राज्यों द्वारा मुक्त बंधुवा मजदूरों के पुनर्वासि के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है। कुल मिलाकर, राज्य सरकारें मुक्त बंधक मजदूरों को विभागीय परियोजनाओं में रोजगार देकर, कृषि भूमि तथा आवासीय खंड देकर, भेड़, बड़ईगीरी के उपकरण और दुधारू पशुओं की खरीद के लिए ऋण देकर, उनके बच्चों के लिए शिक्षा और निःशुल्क होस्टल की सुविधाएं देकर उन्हें दुबारा बसाने की दिशा में कार्रवाई कर रही हैं। हालांकि राज्य सरकारें मुक्त बंधक मजदूरों को सहायता देने की कोशिश कर रही हैं लेकिन, फिर भी, यह महसूस किया गया है कि पुनर्वासि का कार्य अपेक्षाकृत धीमा है और मुक्त बंधुवा मजदूर पहले वाली स्थिति पर फिर पहुंच सकते हैं। केन्द्र सरकार ने हाल में स्थिति की समीक्षा की और मुक्त बंधक मजदूरों के पुनर्वासि के कार्य को गति देने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपायों की शुरुआत की है :

- (1) राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासनों को हाल ही में कहा गया है कि वे अपनी सभी ग्रामीण विकास स्कीमों में बंधक मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वासि के लिए विशेष प्रावधान रखें।
- (2) सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि विकास के उद्देश्य से खंडों का चुनाव करते समय उन खंडों को प्राथमिकता दें, जहां बंधक मजदूरों की पहचान की गई है या जहां इस प्रथा के विद्यमान होने की जानकारी है और इन खंडों के विकास की स्कीमों में बंधक मजदूरों के पुनर्वासि को एक अंग मानें।

(3) योजना आयोग ने श्रम मंत्रालय की 1978-79 की वार्षिक योजना के लिए एक करोड़ रुपए के प्राल्प पर अपनी स्वीकृति दे दी है ताकि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को उन मामलों में, जहाँ बंधक मजदूरों का पुनर्वास करने के लिए चलाई जा रही वर्तमान योजनाओं के उपलब्ध संसाधन समुचित नहीं हैं, वित्तीय सहायता दी जा सके।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बंधक मजदूरों के पुनर्वास की स्कीमों को लागू करने के लिए अनुरूपयोजी अनुदान (मैचिंग ग्रांट) के आधार पर सहायता के लिए दिए जाने वाले एक करोड़ रुपए के प्राल्प में भूमि पर पुनर्वास, दुधार पशुओं आदि जैसे सहायक व्यवसाय और हस्तकला पर आधारित व्यवसाय भी शामिल हैं। श्रम मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहचाने गए बंधक मजदूरों का पुनर्वास अगर पहले नहीं तो 1979-80 की समाप्ति से पूर्व, जरूर पूरी तरह कर दिया जम्मा चाहिए।

2.36. भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश (1,670), बिहार (934), कर्नाटक (441), केरल (110), मध्य प्रदेश (859), उड़ीसा (315), राजस्थान (700), तमिलनाडु (268), और उत्तर प्रदेश (495), राज्यों के 5,792 बंधक मजदूरों के पुनर्वास के लिए इन्हें 95.91 लाख रुपए की राशि देना मंजूर किया है। राज्य सरकारें पहले ही सूचित कर चुकी हैं कि 31,844 बंधक मजदूरों का पुनर्वास किया जा चुका है और इस प्रकार कुल 37,686 बंधुवा मजदूरों का पुनर्वास किया जाएगा। इनमें वे 67,544 बंधक मजदूर शामिल नहीं हैं, जिनका पुनर्वास या तो चर्च रही स्कीमों के अधीन किया जाना है और या मध्यावधि योजना 1978-83 के अनुवर्ती वर्षों में। इसलिए यह अनुरोध किया गया है कि श्रम मंत्रालय पहचाने गए बंधक मजदूरों के समुचित पुनर्वास के लिए और अधिक राशि प्रदान करें। साथ ही, राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे गांधी सान्ति प्रतिष्ठान में इंगित बंधुवा मजदूरों की उच्च विद्वानता वाले क्षेत्रों में बंधुवा मजदूरों को पहचान के लिए अपने प्रशासन-सम्बन्ध को तेज करें।

दादन श्रम प्रथा

2.37. दादन श्रम प्रथा के लक्षण कुछ सीमा तक बंधुवा मजदूर पद्धति से मिलते-जुलते हैं। यह ठेका मजदूरी का एक रूप है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से राज्य के बाहर स्थित विशाल परियोजनाओं/सिविल कार्यों में काम करने के लिए एजेंटों के जरिए राज्य के विभिन्न भागों से मजदूर भरती किए जाते हैं। इन एजेंटों को "सरदार" कहा जाता है। उड़ीसा राज्य में, राज्य से बाहर काम करने के लिए अधिकतर मजदूर गंजम और पुरी जिलों से भरती किए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मजदूरों को भी राज्य से बाहर काम करने के लिए भरती किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा दादन श्रम (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 1975 पारित किया था जिसका उद्देश्य दादन श्रम को भरती की शर्तों का विनियमन और दादन एजेंटों का पंजीकरण था। इस अधिनियम में इन मजदूरों की नौकरी की पूरी अवधि के लिए इनके शोषण के विरुद्ध प्रभावी संरक्षण नहीं है। श्रम मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने अंतःराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए समुचित केन्द्रीय कानून की सिफारिश की है। समिति ने इस संदर्भ में विशेषकर मजदूरों की गैर-अदायगी या कम अदायगी या वेतन रिकार्डों के अनुरक्षण करने पर निवारक सजाओं की भी सिफारिश की है। इसने लगातार और बार-बार किए जा रहे अपराधों के लिए निवारक सजाओं का सुझाव दिया है। आशा की जाती है कि दादन श्रम सहित प्रवासी श्रमिकों को केन्द्रीय कानून से बहुत राहत मिल सकेगी।

शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

2.38. संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अधीन राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे विभिन्न शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित

जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करें। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, सभी शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों में 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होने चाहिए, जिनमें से 15 प्रतिशत स्थान स्पष्टतः अनुसूचित जातियों के लिए और 5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए होने चाहिए। यह आरक्षण अंतःपरिवर्तनीय है यानी अगर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो ये स्थान अनुसूचित जाति के योग्य उम्मीदवारों द्वारा भरे जा सकते हैं और इससे विपरीत अवस्था में भी यही बात लागू हो सकती है। यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए और अनुसूचित जातियों द्वारा तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अगर वे न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लें, प्रवेश का हक मिलना चाहिए। इस स्थिति में चाहे उनके द्वारा प्राप्त अंकों और अनारक्षित स्थानों में प्रवेश पाने वाले अंतिम उम्मीदवारों के अंकों के बीच कितना भी अंतर क्यों न हो। जहां प्रवेश के लिए कुछ न्यूनतम अंकों की प्राप्ति की शर्त लगी हो, न कि केवल उत्तीर्णता की, वहां अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अंकों में 5 प्रतिशत की कमी की जा सकती है। अधिकतम आयु सीमा के बारे में भी, इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को तीन वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।

राज्य सरकारों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थानों का आरक्षण

2.39. यह संतोषदायी बात है कि अधिकांश शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों ने, जिनमें इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तथा चिकित्सा संस्थाएं भी शामिल हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातक स्तर तक स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया है। फिर भी, स्नातकोत्तर स्तर पर इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है। अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने से इंकार कर दिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि वह स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए किसी आरक्षण या छूट देने के पक्ष में नहीं है। उसने तर्क दिया है कि स्नातकोत्तर चिकित्सा सेवाएं चिकित्सा-विज्ञान की किसी विशेष शाखा में विशिष्ट प्रशिक्षण है और चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल में इसकी प्रमुख भूमिका है, इसलिए इसके स्तर में कमी करना उचित नहीं होगा। मंत्रालय ने हमारे सुझाव के बावजूद अपनी राय पर अभी तक कोई पुनर्विचार नहीं किया है। हमारा सुझाव है कि स्थानों का आरक्षण या न्यूनतम स्तर में छूट का उद्देश्य इन उम्मीदवारों का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश-मात्र ही होगा और इससे स्नातकोत्तर चिकित्सा-स्तर नीचा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उन्हें जिस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, उसका स्तर भी नहीं होगा। आई० आई० टी० संस्थानों ने भी स्नातकोत्तर स्तर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता पर अभी तक सहमति नहीं प्रकट की है। इसलिए यह वांछित है कि स्वास्थ्य मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए और आई० आई० टी० संस्थानों तथा चिकित्सा कालेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रवेश के लिए स्थानों के निर्धारित आरक्षण की दिशा में कदम उठाना चाहिए। आंध्रप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के कुछ निजी चिकित्सा कालेजों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश तक के लिए भी प्रतिव्यक्ति शुल्क (कॅनोटेसन फीस) लेना जारी रखा हुआ है और उनके लिए स्थान भी आरक्षित नहीं हैं। इसी प्रकार, मल्लिक मुस्लिम

विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थानों का आरक्षण निर्धारित नहीं किया है।

2.40. शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रवेश में स्थानों के आरक्षण से मदद तो मिलती है, लेकिन इन समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये अपने-आप में पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए वित्तीय सहायता भी की जानी चाहिए। यह पाया गया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों, विशेषकर अनुसूचित जनजाति के छात्रों, की संख्या मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का प्रोत्साहन देने के बावजूद बहुत कम है। इस स्थिति का कारण यह प्रतीत होता है कि इन समुदायों के छात्र बहुत बड़ी संख्या में प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देते हैं और कभी मैट्रिकोत्तर अवस्था तक नहीं पहुंचते। प्राथमिक और मिडिल कक्षाओं के छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी योग्य छात्रों को मैट्रिक-पूर्व स्तर पर मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों के रूप में वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ताकि उनके अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने का प्रोत्साहन मिल सके। राजस्थान, सरकार ने हाल ही में इस सम्बन्ध में एक स्वागत-योग्य कदम उठाया है और ऐसा दावा किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी योग्य छात्रों को मिडिल और माध्यमिक कक्षाओं में 10.00 रुपये और 20.00 रुपये महोने की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, जिन्होंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों के मामले में अभी तक वांछित उपलब्धि प्राप्त नहीं की है, को भी ऐसे ही कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा, इन छात्रों को होस्टल सुविधाओं, निःशुल्क पुस्तकें और कापियां, पोशाकें आदि के रूप में अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाने चाहिए, ताकि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिक-अधिक छात्र मैट्रिक-पूर्व शिक्षा पूरी कर सकें और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकें।

पेशाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2.41 संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 335 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं के मामलों में सुरक्षाओं की यह व्यवस्था की गई है कि संघ या किसी राज्य के मामलों से सम्बन्धित पदों और नियुक्तियों में समाज के पिछड़े वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके बावजूद, कुछ ही राज्यों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों से सम्बन्धित कानून लागू किए हैं। भारत सरकार ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं है और महसूस करती है कि कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश और निर्देश संविधान के अपर कहे गए दो अनुच्छेदों की व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे आदेशों और अनुदेशों को समय-समय पर आशोधित कर लिया जाता है। भारत सरकार इन आदेशों के बारे में राज्य सरकारों को भी अवगत कराती रही है। फिर भी, भारत सरकार के आदेश उन पर स्वयमेव लागू नहीं हो जाते।

राज्य सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने ही आदेश और अनुदेश जारी किए हैं, लेकिन ये एक समान नहीं हैं और उनमें से अनेक द्वारा भारत सरकार के आरक्षण आदेश, जिनमें पदोन्नति में आरक्षण भी शामिल है, कुछ प्रमुख व्यवस्थाओं का पालन किया जाना शेष है।

2.42 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जारी किए गए आरक्षण आदेश अक्सर कुछ उन्नत समुदायों से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल हैं। दरअसल, उन आदेशों की कुछ व्यवस्थाओं को उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई। हमारी पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रकाश भी डाला गया था और इस रिपोर्ट में भी कुछ स्थलों पर बार-बार उन्हें उद्धृत किया गया है। संघ के मामलों तथा राज्यों के मामलों से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों में इन आरक्षण आदेशों पर की गई कारवाही का विवरण इस रिपोर्ट के तीसरे अध्याय में विस्तार से दिया गया है।

अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र

अनुसूचित क्षेत्र

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपालों की रिपोर्टें

2.43 संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड (3) के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यों के प्रत्येक राज्यपाल को उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। इन रिपोर्टों को पेश करना एक दस्तूर (स्टूटिन) सा हो गया है और वे आदिवासी कल्याण विभागों की रिपोर्टों से बन गई हैं। राज्यपाल को संविधान के खंड 5(2) के अधीन अधिकार है कि वह अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और अच्छा प्रशासन बनाए रखने के लिए विनियम बनाए। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के पहले परन्तुक के अधीन केन्द्र सरकार पर इन क्षेत्रों के प्रशासन का स्तर ऊंचा उठाने का दायित्व है। इस सन्दर्भ में, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली रिपोर्टें का विशेष महत्व हो जाता है।

2.44 संविधान के अनुच्छेद 339(2) के अधीन केन्द्र की कार्यकारी शक्ति में राज्यों को इस विषय में निदेश देना भी शामिल है कि वे राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अत्यावश्यक निदेशों के अनुरूप अपनी योजनाएं बनाए और उन्हें व्यवहार में लाएं। इस प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों से इतर भी, आदिवासी कल्याण कार्यक्रम सामान्य रूप से केन्द्र सरकार के सार्वधानिक दायित्व को आकांक्षित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्यपालों को अपनी रिपोर्टें में राज्यों में आदिवासी कार्यक्रमों का वांछित समीक्षा करना चाहिए। संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड (3) के अधीन फिलहाल इसकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, हालांकि व्यवहार में, रिपोर्टें में अधिकतर पहलुओं पर विचार किया जाता है।

2.45 राज्यपालों को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित अपनी रिपोर्टें प्रति वर्ष 31 अक्टूबर से पहले देनी होती हैं। वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यपालों की रिपोर्टों के गृह सत्रालय में प्राप्त होने के विषय में सूचना निम्नलिखित सारिणी में दिखाई गई है।

| क्र.सं. | राज्य | 1974-75 | | 1975-76 | | 1976-77 | |
|---------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | निर्धारित तिथि | प्राप्ति की तिथि | निर्धारित तिथि | प्राप्ति की तिथि | निर्धारित तिथि | प्राप्ति की तिथि |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | मान्य प्रदेश | 31-10-75 | अगस्त, 78 | 31-10-76 | प्रतीक्षित है | 31-10-77 | प्रतीक्षित है |
| 2. | बिहार | 31-10-75 | 20-12-75 | 31-10-76 | 11-5-77 | 31-10-77 | 16-3-78 |
| 3. | गुजरात | 31-10-75 | 24-5-76 | 31-10-76 | 16-9-76 | 31-10-77 | प्रतीक्षित है |
| 4. | मध्य प्रदेश | 31-10-75 | 11-5-76 | 31-10-76 | प्रतीक्षित है | 31-10-77 | प्रतीक्षित है |
| 5. | महाराष्ट्र | 31-10-75 | 9-9-77 | 31-10-76 | मार्च, 78 | 31-10-77 | प्रतीक्षित है |
| 6. | उड़ीसा | 31-10-75 | 26-5-76 | 31-10-76 | 29-9-77 | 31-10-77 | प्रतीक्षित है |
| 7. | राजस्थान | 31-10-75 | 31-5-76 | 31-10-76 | 16-5-77 | 31-10-77 | प्रतीक्षित है |

ऊपर दी गई सारिणी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पिछले दो वर्षों से आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के सन्दर्भ में कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई। वर्ष 1976-77 के लिए, बिहार को छोड़कर किसी अन्य राज्यों ने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

वर्ष 1976-77 के लिए बिहार के अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्यपाल की रिपोर्ट

2.46. आदिवासी भूमि से उन्हें (आदिवासियों को) बेदखल करना और उनमें भूमि वितरण करने के सम्बन्ध में स्थिति की इस संगठन की पिछली रिपोर्ट में समीक्षा की गई है। यह रिपोर्ट इस संगठन में विभिन्न राज्यों से प्राप्त 1975-76 तक की राज्यपालों द्वारा दी गई रिपोर्टों में निहित सूचना के आधार पर तैयार की गई थी। वर्ष 1976-77 के लिए बिहार के राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर भूमि के वितरण, बेदखल जमीनों की आदिवासियों को वापिसी, लैम्स की कार्य-प्रणाली की एक संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी जा रही है।

2.47 जहां तक कृषि-योग्य भूमि दिये जाने की बात है, प्रति परिवार कृषि के 2 एकड़ भूमि और रहने के लिए 1/4 एकड़ आवासीय भू-खंड दिया गया। 1976-77 के दौरान सिंहभूम जिले में अनुसूचित जातियों के 2,836 व्यक्तियों को 4,015 एकड़ भूमि और अनुसूचित जनजातियों के 24,318 व्यक्तियों को 33,267 एकड़ भूमि आवंटित की गई। इसी तरह, इमी अंचल में पलामू जिले में 62 अनुसूचित जनजातियों को 986 एकड़ भूमि और 278 अनुसूचित जातियों में 412 एकड़ भूमि दी गई।

2.48 बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अधीन, 1976-77 में, उस वर्ष 4,060 मामले दर्ज किए गए और 3,477 मामले निपटाए गए। इस वर्ष के पहले से 1,653 मामले विचाराधीन भी थे। आदिवासियों को 2,709 एकड़ भूमि लौटाई गई और 1976-77 के अन्त तक 2,236 मामले विचाराधीन रह गए थे। छोट्टा नागपुर और संयाल परगना काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 1969 के अधीन 1527 मामले निपटाए गए, 916 एकड़ भूमि आदिवासियों को लौटाई गई। उपर्युक्त अधिनियम के अधीन, वर्ष 1976-77 के अन्त में 2,045 मामले विचाराधीन थे। बिहार विशेषाधिकृत व्यक्ति वासभूमि काश्तकारी अधिनियम, 1947 के अधीन 31,144 व्यक्तियों में पच्चे बाटे गए।

2.49 रात्तू खंड को छोड़कर, अनुसूचित क्षेत्रों में खंड स्तर पर 47 लैम्स स्थापित किए गए। 1,305 की कुल सदस्यता में से, 405 सदस्य अनुसूचित जातियों के, 250 अनुसूचित जनजातियों के तथा 650 सदस्य अन्य समुदायों के थे। 30 जून, 1977 तक बिहार राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, रांची से रिपोर्ट में उल्लिखित वर्ष के दौरान 143 सहकारी समितियां सम्बद्ध थीं। 1976-77 के दौरान, निगम ने अपनी रांची और दुमका शाखाओं के जरिये, तैदु पत्तियों के व्यापार का कार्य सीधा अपने निरीक्षण में ले लिया। उपर्युक्त व्यापार में, लगभग, 20,000 आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

आदिवासी सलाहकार परिषदें

2.50 संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड (4) के अधीन उन राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था है, जहां अनुसूचित क्षेत्र हैं। राष्ट्रपति उन राज्यों में भी आदिवासी सलाहकार परिषदों की स्थापना करने का निर्देश दे सकते हैं, जहां अनुसूचित क्षेत्र न होने के बावजूद अनुसूचित जनजातियां हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं लेकिन आदिवासी सलाहकार परिषदें स्थापित हैं।

वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान, आदिवासी सलाहकार परिषदों की बैठकों की संख्या की राज्यवार जानकारी, उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्न सारिणी में दी गई है :

| क्रम सं० | राज्य | आदिवासी सलाहकार परिषदों की बैठकों की संख्या | | |
|----------|---------------|---|---|--|
| | | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | .. | (3-12-76 (31-1-78) 5-2-77 और 16-5-77) | 1 |
| 2. | बिहार | 1 | 2 (24-6-75) (31-7-76 और 14-12-76) | .. |
| 3. | मध्य प्रदेश | 1 | 5 (17-7-75) (27-4-76, 19-8-76, 26-11-76, 30-12-76 और 28-1-77) | 1 (24-5-78) |
| 4. | महाराष्ट्र | 1 | (11-7-75 से 27-7-75 तक) | उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं |
| 5. | उड़ीसा | 2 | 3 (7-7-75 और 25-9-75) | 1 (21-5-76, (23-1-78) 31-8-76 और 10-12-76) |
| 6. | राजस्थान | .. | 1 (3-7-76) | 1 (27-2-78) |
| 7. | पश्चिम बंगाल | 1 | 1 (11-6-75) (9-6-76) | 2 2-10-77 और 27-4-78) |

2.51 वर्ष 1977-78 में, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषदों की बैठक होने की कोई सूचना नहीं मिली है। यह आवश्यक समझा गया है कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाले सभी राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषदें गठित की जा सकती हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड (4) के अधीन समुचित निर्देश देने की वांछनीयता पर विचार कर सकते हैं। वर्ष 1977-78 के दौरान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में हुई आदिवासी सलाहकार परिषदों की बैठकों में जिन महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श किया गया, उनका व्यौरा परिशिष्ट-2 में देखा जा सकता है।

आदिवासी क्षेत्र

2.52 असम और मेघालय राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र मिज़ोरम में आदिवासी क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की छठी सूची के उपबन्धों के अनुसार होता है। आदिवासी क्षेत्रों को स्वशासी जिलों में बांटा गया है। असम में उत्तरी कछार पहाड़ियां और मिकिर पहाड़ियां जिले नामक 8 ऐसे जिले हैं, मेघालय में खासी पहाड़ियां जैलिया पहाड़ियां और गारो पहाड़ियां जिले और मिज़ोरम में चकमा, लखर और पबी जिले हैं। प्रत्येक स्वशासी जिले की एक जिला परिषद है, जिसके 30 से अधिक सदस्य नहीं होते। इनमें से 4 से अधिक को मनोनित नहीं किया जा सकता और शेष व्यक्त मतधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। इन परिषदों को कुछ प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं।

2.53 संविधान ने अनुच्छेद 371(ख) और 371(ग) के अधीन असम और मणिपुर राज्यों के सन्दर्भ में विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और असम राज्य के आदिवासी क्षेत्रों से राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की एक समिति के गठन की व्यवस्था है। राष्ट्रपति इन दो समितियों के गठन और कार्य के लिए आदेश जारी कर सकते हैं।

2.54 मई, 1978 में, मणिपुर में अपने दोरे के बीच, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने मणिपुर विधानसभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष से इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए भेंट की कि समिति किस प्रकार कार्य कर रही है और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए यह क्या प्रयास कर रही है। भारत के राष्ट्रपति ने 10 जुलाई, 1972 को मणिपुर विधानसभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 जारी किए थे जिसमें यह कहा गया था कि निम्नलिखित क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्र माना जावेगा :

“(1) उत्तरी मणिपुर, पूर्वी मणिपुर, पश्चिमी मणिपुर, दक्षिणी मणिपुर राजस्व जिले,

(2) मणिपुर केन्द्रीय राजस्व जिले के बबेल, चाकांपकरंग और लैगनोपल राजस्व उपमण्डल।”

अधिनियम में व्यवस्था है कि वे सभी “अनुसूचित मामले” जो पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, पहाड़ी क्षेत्र समिति की अधिकार-सीमा में रहेंगे। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि ऐसे कोई भी विधेयक, धनराशि के विधेयक को छोड़कर, जिसका पूर्णतया या आंशिक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के साथ सम्बन्ध है और जिसमें मुख्यतया अनुसूचित मामलों में सम्बन्धित उपबन्ध हैं, को विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद पहाड़ी क्षेत्र समिति के हवाने किया जाएगा, और यह समिति विधान सभा को अपनी रिपोर्ट देगी। इसमें यह भी व्यवस्था है कि पहाड़ी क्षेत्र समिति अनुसूचित मामलों से सम्बन्धित किसी भी प्रस्ताव पर विचार करके उसे पारित कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव में राज्य सरकार से पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावी कानून और प्रशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश की जा सकती है। अगर पहाड़ी क्षेत्र समिति कुछ परिवर्तनों का सुझाव दे तो विधानसभा उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में व्यवहार-योग्य बनाने के लिए प्रावश्यक फेर-बदल करके अपनी स्वीकृति दे। यह व्यवस्था भी की गई थी कि पहाड़ी क्षेत्र समिति को उस सीमा तक वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार करने का अधिकार होगा, जिस सीमा तक इसका सम्बन्ध पहाड़ी क्षेत्रों से है। इस विचार-विमर्श को सरल बनाने के लिए, जहां तक व्यावहारिक हो सके, ऐसे विवरण में पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित आय और व्यय को अलग-अलग दिखाया जाएगा। और राज्य की पंच-वर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले, पहाड़ी क्षेत्रों और शेष राज्य में लागू की जाने वाली योजना-स्कीमों को अलग-अलग तैयार करके पहाड़ी क्षेत्र समिति के सामने पेश किया जाएगा और योजना को अंतिम रूप देने से पहले, उसके विचारों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित

योजना-कार्यान्वयन की त्रैमासिक रिपोर्ट पहाड़ी क्षेत्र समिति के सामने रखेगी। अधिनियम में मणिपुर सरकार तथा मणिपुर विधानसभा की कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में कुछ परिवर्तनों की भी शामिल किया गया है।

2.55 फिर भी, मणिपुर विधान सभा (पहाड़ी क्षेत्र समिति) आदेश, 1972 और मणिपुर विधानसभा की क्रियाविधि नियमों और कार्य संचालन में संशोधनों पर पहाड़ी क्षेत्र समिति की पांचवीं रिपोर्ट में दो गई सूचना के आधार पर यह पाया गया है कि मार्च, 1978 में पहाड़ी क्षेत्र समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मणिपुर विधानसभा में स्वीकृति नहीं दी गई। जहां तक समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने और राज्य सरकार द्वारा उस पर कार्रवाई किए जाने का सम्बन्ध है, समिति ने इस मांग से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया था कि संविधान की छठी अनुसूची की व्यवस्थाओं को मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू किया जाये। समिति ने 15 मार्च, 1978 को यह प्रस्ताव स्वीकार किया था और राज्य सरकार के विचाराधीन बताया जाता है, मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद अधिनियम, 1971 नामक अधिनियम में उन विषयों का उल्लेख था जो राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों को हस्तांतरित किये जाने थे। इस बात का ज्ञान नहीं है कि संविधान की छठी अनुसूची की व्यवस्थाओं का जिला परिषदों पर लागू कर देने से स्थिति में किस सीमा तक सुधार किया जा सकेगा। यह पाया गया कि पहाड़ी क्षेत्र समिति ने 13 सितम्बर, 1974 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह कहा गया था कि मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम प्राधिकरण) अधिनियम, 1956 अप्रचलित हो गया है तथा राज्य सरकार को अधिनियम में संशोधन करने के उद्देश्य से विधेयक लाना चाहिए। यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन बताया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष के विचार जानने के लिए उनसे सम्पर्क किया गया था कि समिति अधिनियम में कैसे संशोधन की अपेक्षा करती है।

2.56 इसके अलावा, पहाड़ी क्षेत्र समिति से पंच-वर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं का अध्ययन करके उन पर अपने विचार भी व्यक्त करने की और राज्य द्वारा योजना को अंतिम रूप देने से पहले इन विचारों पर ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है। समिति के अनेक कार्यों में एक यह भी था कि वह पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के हितों का वहां विकास को गति तेज करके संरक्षण करे। फिर भी, यह पाया गया है कि समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं का तैयारी के मामले में गति धीमी हो है।

लोकसभा और विधानसभाओं आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

2.57 संविधान के अनुच्छेद 331 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्र-पति लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के अधिक से अधिक दो सदस्य मनोनीत करेंगे। छठी लोकसभा में श्री ए० ई० टी० बैरो और श्री रडोल्फ रोड्रीग्ज को आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के रूप मनोनीत किया गया था।

2.58 संविधान के अनुच्छेद 333 के अधीन यह व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल यह समझे कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देना जरूरी है और उसका वहां उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधान सभा के लिए नामांकित कर सकता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1977-78 में बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के राज्यपालों ने अपनी-अपनी विधान सभाओं में एक-एक आंग्ल भारतीय सदस्य नामांकित किया था।

अध्याय 3

जनशक्ति योजना—सेवा सुरक्षण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं में प्रतिनिधित्व की स्थिति की समीक्षा

(1) अखिल भारतीय सेवाएं और केन्द्रीय सेवाएं

अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं में से कुछ सेवाओं में 1-1-1968 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवाएं

| क्र० सं० | सेवा का नाम | वर्तमान अधिकारियों की संख्या | | | | |
|----------|---|------------------------------|---------------|---------|-----------------|---------|
| | | कुल | अनुसूचित जाति | प्रतिशत | अनुसूचित जनजाति | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | आई० ए० एस० | 3,538 | 333 | 9.41 | 168 | 4.75 |
| 2 | आई० पी० एस० | 2,098 | 188 | 8.96 | 69 | 3.29 |
| 3 | भारतीय विदेश सेवा | 349 | 36 | 10.31 | 18 | 5.16 |
| 4 | भारतीय सांख्यिकी सेवा (ग्रेड से) | 246 | 8 | 3.25 | 1 | 0.41 |
| 5 | भारतीय आर्थिक सेवा | 453 | 24 | 5.30 | 5 | 1.10 |
| 6 | भारतीय रक्षा लेखा सेवा | 184 | 14 | 7.61 | 7 | 3.80 |
| 7 | केन्द्रीय सूचना सेवा | 737 | 63 | 8.55 | 13 | 1.76 |
| 8 | आई० ए० एंड ए० एस० | 493 | 31 | 6.29 | 11 | 2.23 |
| 9 | ए० एफ० एच० क्यू० सिविल सेवा | 650 | 5 | 0.77 | — | 0.00 |
| 10 | भारतीय निरीक्षण सेवा | 117 | 12 | 10.26 | — | 0.00 |
| 11 | भारतीय पूति सेवा | 135 | 6 | 4.44 | — | 0.00 |
| 12 | केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) श्रेणी— | 202 | 9 | 4.46 | 1 | 0.50 |
| 13 | केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा, श्रेणी— | 200 | 9 | 4.50 | 2 | 1.00 |
| 14 | केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सिविल/इलेक्ट्रिकल) श्रेणी— | 596 | 29 | 4.87 | 1 | 0.17 |
| | श्रेणी— | 1,180 | 55 | 4.66 | 5 | 0.42 |
| 15 | सहायक ड्रिलिंग इंजीनियर, श्रेणी— | 56 | 3 | 5.36 | 1 | 1.79 |
| 16 | मेकेनिकल इंजीनियर (कनिष्ठ) वर्ग | 15+5* | 1 | 5.00 | .. | 0.00 |
| 17 | भारतीय नौसेना आयुध सेवा (उप आयुध पूति अधिकारी, ग्रेड (श्रेणी—), भारतीय नौसेना | 16 | .. | 0.00 | .. | 0.00 |
| 18 | मिलिट्री इंजिनियर्स सेवा श्रेणी— | | | | | |
| | भवन तथा सड़क | 350 | 8 | 2.29 | .. | 0.00 |
| | विद्युत और मेकेनिकल | 160 | 4 | 2.50 | 1 | 0.62 |
| 19 | रक्षा भूमि और सैनिक छावनियां सेवा, श्रेणी— | 80 | 7 | 8.75 | 3 | 3.75 |
| 20 | टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सेवा | 947 | 57 | 6.02 | 4 | 0.42 |
| 21 | सहायक विकास अधिकारी (इंजीनियरिंग) | 45 | 3 | 6.67 | .. | 0.00 |
| 22 | डाक एवं तार इंजीनियरिंग सेवा सहायक अधिशासी (सिविल और विद्युत) श्रेणी— | 45 | 3 | 6.67 | .. | 0.00 |
| | सहायक इंजीनियर (सिविल और विद्युत) श्रेणी— | 239 | 19 | 7.95 | 2 | 0.84 |
| 23 | केन्द्रीय सचिवालय सेवा | | | | | |
| | (1) श्रेणी—(अवर सचिव तथा समकक्ष) | 614 | 70 | 11.40 | 7 | 1.14 |
| | (2) सँ लोकेशन ग्रेड (उपसचिव तथा समकक्ष) | 192 | 10† | 5.28 | .. | 0.00 |

* 5 व्यक्तियों को नियुक्ति-प्रस्ताव भेजा गया था जिनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है।

† सँ० ए० ए० ए० की पराकाष्ठा प्रवर्णन ग्रेड ? में है। फिर भी, इन अधिकारियों पर अन्य केन्द्रीय सेवाओं, श्रेणी ? /ए० ए० अधिकारियों सहित विचार किया गया है जिनकी नियुक्ति निदेशकों/संयुक्त सचिव इत्यादि पर होती है। दस में से एक अधिकारी संयुक्त सचिव के पद पर था।

3.2 उपर्युक्त सारणी में प्रयुक्त आंकड़ों की हमारी पिछली रिपोर्ट (पैरा 3.68) में 1-1-1976 की स्थिति से तुलना की जाये तो उससे स्पष्ट हो जायेगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का अखिल भारतीय सेवाओं/केन्द्रीय सेवाओं जैसे कि भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय लेखापरीक्षा सेवा में थोड़ी वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भारतीय निरीक्षण सेवा (10.26 प्रतिशत) था। फिर भी, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय पूति सेवा, केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क), केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा और मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा जैसी कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व 5 प्रतिशत से भी कम था। भारतीय नौसेना आयुध सेवा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व शून्य था और ए० एफ० एच० क्यू० सिविल सेवा में केवल एक प्रतिशत।

3.3 जहाँ तक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय रक्षा सेवा, भारतीय पुलिस सेवा,

भारतीय लेखा परीक्षा सेवा, रक्षा भूमि और सैनिक छावनियाँ सेवा जैसी कुछ सेवाओं को छोड़कर उनके प्रतिनिधित्व या तो शून्य था या 2 प्रतिशत से कम। इस तर्क को मानने का कोई कारण नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में पर्याप्त मात्रा में पढ़े-लिखे अथवा प्रशिक्षित लोगों की कोई कमी है और उनमें इन सेवाओं की पात्रता नहीं है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के उपयोग के लिए ईमानदारी से प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन समुदायों के प्रत्याशियों के लिए समुचित प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रादेशात्मक होना चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकार की सेवाएं

3.4 निम्नलिखित सारणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भारत सरकार की सेवाओं में 1 जनवरी, 1977 और 1 जनवरी, 1978 को प्रतिनिधित्व की स्थिति दी गई है :

| श्रेणी | कुल संख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित | अनुसूचित जातियाँ | | अनुसूचित जनजातियाँ | |
|------------------------------|---|------------------|---------|--------------------|---------|
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1-1-1977 | | | | | |
| वर्ग | 39,908 | 1,662 | 4.16 | 309 | 0.77 |
| वर्ग | 56,322 | 3,421 | 6.07 | 434 | 0.77 |
| वर्ग | 1,677,256 | 198,662 | 11.84 | 46,603 | 2.78 |
| वर्ग | 1,246,464 | 237,718 | 19.07 | 54,206 | 4.35 |
| (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) | | | | | |
| 1-1-1978 | | | | | |
| वर्ग | 31,635 | 1,420 | 4.49 | 265 | 0.84 |
| वर्ग | 39,792 | 2,519 | 6.33 | 296 | 0.74 |
| वर्ग | 1,079,018 | 123,686 | 11.46 | 21,712 | 2.01 |
| वर्ग | 1,109,450 | 211,561 | 19.07 | 51,293 | 4.62 |
| (मेहतारों को छोड़कर) | | | | | |

संघ का पता चलता है कि वर्ष 1977 में भारत सरकार के 58 मंत्रालयों / विभागों से सूचनाएँ मिली थीं, जबकि वर्ष 1978 में केवल 48 मंत्रालयों / विभागों से। इस संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग जो, हमें इस सम्बन्ध में समेकित सूचनाएँ उपलब्ध कराए हैं, हमें सूचित किया है कि सितम्बर 1978 में 10 मंत्रालयों, जिसमें गृह मंत्रालय (मुख्य) भी शामिल है, ने अपेक्षित जानकारी नहीं भेजी है और उन्हें अर्ध-शासकीय स्मरण-पत्र भी भेजे गये थे। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण तथा समझ में न आने वाली बात है कि इन मंत्रालयों/विभागों के लिए सूचनाएँ भेजना क्यों संभव नहीं हो सका, जबकि दूसरे निर्धारित समय में भेजने में सफल रहे। तथ्य तो यह है कि इस प्रकार के बुनियादी आंकड़े हर मंत्रालय / विभाग को प्रतिदिन के काम के रूप में जमा करने चाहिए। गृह मंत्रालय द्वारा उक्त जानकारी एकत्र कर न भेजना उन कार्मिकों की असहायता तथा उदासीनता का पर्याय है जिन पर विभिन्न सेवा सुरक्षाओं को लागू करने का दायित्व है।

3.5 वर्ष 1977 और 1978 के आंकड़ों की तुलना करने पर पता चलेगा कि ग्रुप-ए और सी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत में सुधार नहीं हुआ है। 1-1-1978 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ग्रुप-डी की

छोड़कर अन्य किसी भी ग्रुप में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं था। ग्रुप "ए" और "बी" के पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक असंतोषजनक था। पिछले बस वर्षों के दौरान हमारी विभिन्न वार्षिक रिपोर्टों में इस बात पर बल दिया जाता रहा है और सरकार से तत्सम्बन्धी पत्र-व्यवहार भी होता रहा है कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में इन समुदायों के सभी वर्गों विशेष कर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए इन समुदायों का संयुक्त प्रतिशत तब तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक इन समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी काफी मात्रा में कम नहीं हो जाती। यहाँ इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि सार्वजनिक उपक्रम इस कमी को पूरा करने के लिए एकमात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को भर्ती कर रहे हैं और विभिन्न वर्गों में उनके प्रतिनिधित्व की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक इसी तरह भारत सरकार भी नयी रिक्तियों/पदों को भरने के लिए केवलमात्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को ही चुन सकती है।

इस समस्या पर "विशेष भर्ती अभियान" शीर्षक पैरा में अलग से विस्तारपूर्वक लिखा गया है।

(3) रेलवे सेवाएं

3.6. रेलवे सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 1-1-1978 को प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आंकड़े परिशिष्ट 3 में देखे जा सकते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट पता चल जाता है कि ग्रुप ए, बी और सी श्रेणियों में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अभी भी कम है। सभी श्रेणियों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अल्प या नाममात्र का था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1977-78 में इस संगठन को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रेलवे कर्मचारियों से बहुत बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन सभी अभ्यावेदनों में शिकायतों की हल करने की प्रार्थना की गई थी इससे यह संकेत मिलता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों में सुरक्षण नीति को अप्रभावकारी ढंग से लागू किये जाने के प्रति गहरा असंतोष है। इस संगठन ने रेलवे बोर्ड को ऐसे अनेक मागलों के बारे में लिखा था किन्तु उसकी ओर से उचित संख्या में जवाब नहीं मिले। इस प्रकार, हमारे प्रयत्न निष्फल रहे। तब इस मामले को रेलमंत्री के सामने रखा गया। उन्होंने अपने ताजा पत्र-व्यवहार में शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने इस हमारे सुझाव का भी स्वागत किया है कि शीघ्र कार्रवाई के लिए ऐसे अभ्यावेदन सीधे जोमल रेलवेज के मुख्य कार्मिक अधिकारियों तथा उत्पादन एककों के रूप में उप मुख्य कार्मिक अधिकारियों को भेजे जायें। इस बात के लिए भी आश्वासन दिया गया कि उक्त अधिकारियों को सलाह दी गई है कि हमारे पत्र-व्यवहार का तुरंत उत्तर दें। यह आशा की जाती है कि रेल मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेगा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने का काम निपुणता तथा प्रभावशाली ढंग से पूरा होगा ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को न्याय मिल सके।

(4) सशस्त्र सेनाएं

3.7. पिछले दो दसकों से हम अपनी वार्षिक रिपोर्टों में लगातार इस बात की ओर संकेत करते रहे हैं कि सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण शुरू नहीं किया है। और इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व आज तक बहुत थोड़ा है। इस बात पर भी बल दिया जाता रहा है कि रक्षा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की परिधि से बाहर रखना संविधान के आशय तथा भावना के अनुरूप अतीत नहीं होता। किन्तु रक्षा मंत्रालय का विचार है कि रक्षा सेवाओं की विशिष्ट प्रकृति के कारण भर्ती के लिए अपनाई गई प्रणाली कुछ भिन्न प्रकार की थी और वह अनुभव करता है कि इस लक्ष्य को निष्पादक निर्देशों तथा अन्य उपयुक्त उपायों को अपनाने के बाद प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों वाले अदरुनी/दूर-दराज के क्षेत्रों में भर्ती दलों को भेज कर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भर्ती के विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं, तब भी निष्पादक निर्देशों का अपेक्षित प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा हालांकि इन निर्देशों में, अन्य चीजों के समान रहते हुए, तरजीह दिये जाने की व्यवस्था है। जब तक यह बाधता नहीं होगी कि किसी विशिष्ट संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती हो, तब तक निकट भविष्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार की आशा नहीं की जा सकती। हमारे इस निरीक्षण की संपुष्टि निम्नलिखित सारणी में दिए गए आंकड़ों से हो जायेगी। इस सारणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत में वृद्धि/कमी की 1.1.1977 और 1.1.1978 की स्थिति से तुलना की गई है।

| सेना के ग्रंथ | संवर्ग | वृद्धि/कमी का प्रतिशत 1.1.1978 में व्यक्तियों की संख्या की 1.1.1977 में व्यक्तियों की संख्या की तुलना में |
|------------------|----------------------|---|
| | | अनुसूचित जातियां |
| | | अनुसूचित जनजातियां |
| भारतीय स्थल सेना | सेवा अधिकारी | + 00.58 + 02.22 |
| | जे०सी०ओ०/ओ०ओ० | - 03.68 - 03.62 |
| | एन०सी०ओ०/ओ०आर० | - 02.02 - 02.11 |
| | रंगस्ट | - 18.57 - 05.34 |
| | एन०सी०एस०इ० | - 20.99 - 100.00 |
| | ब्वॉयज | - 91.84 - 50.00 |
| भारतीय नौसेना | सिविलियन राजपत्रित | + 13.33 - 00.00 |
| | सिविलियन अ-राजपत्रित | - 0.02 00.31 |
| | सेवा अधिकारी | - 0.00 00.00 |
| भारतीय वा सेना | सेलर्ज | - 04.50 - 10.00 |
| | सिविलियन राजपत्रित | - 42.90 - 50.00 |
| | सिविलियन अ-राजपत्रित | - 04.40 - 23.00 |
| | सेवा अधिकारी | - 07.70 00.00 |
| | केडेट्स | - 66.00 00.00 |
| भारतीय वा सेना | एयरमैन | - 03.50 - 00.00 |
| | सिविलियन राजपत्रित | - 03.10 - 00.79 |
| | सिविलियन अ-राजपत्रित | - 01.64 - 00.32 |

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि सशस्त्र सेनाओं के सभी संवर्गों की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत में कमी हुई है। अपवाद रूप में सेवा अधिकारियों के ग्रेड में अनुसूचित जनजातियों की सीमांत वृद्धि (2.22 प्रति शत) और भारतीय स्थल सेना के सिविलियन राजपत्रित स्टाफ में अनुसूचित जातियों में 13.33 प्रतिशत वृद्धि हुई है। भारतीय नौसेना में सिविलियन राजपत्रित संवर्ग को छोड़कर शेष किसी भी संवर्ग में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि नहीं हुई। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, सिविलियन अ-राजपत्रित और सेलर्ज संवर्गों में कुछ संवर्गों में प्रायः कोई वृद्धि नहीं हुई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की संसदीय समिति ने अपनी अठारहवीं रिपोर्ट (छठी लोकसभा) में ठीक ही लिखा है कि जब सरकार सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है, तब सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए के आरक्षण न करना कोई अर्थ नहीं रखता। अतः इस बात की जोरदार सिफारिश की जाती है कि सरकार अपने पहले के निर्णय पर फिर से विचार करे और सशस्त्र सेनाओं में कार्मिकों की भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की नीति को दृढ़ करे-खास तौर पर सिविलियन राजपत्रित, सिविलियन अ-राजपत्रित, केडेट्स, जूनियर अधिकारियों आदि के संवर्गों में।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3.8. समीक्ष्य वर्ष के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण में काम करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में सांख्यिकी सूचना एकत्र करने के प्रयत्न किये गये थे लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। किन्तु मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को हर वर्ष सांख्यिकी सूचना भेजने का आग्रह किया जाता है लेकिन हमारे सारे प्रयत्नों और बार-बार स्मरण पत्र भेजने के उपरांत भी 1.1.1975, 1.1.1976, 1.1.1977 और 1.1.1978 तक के आवश्यक आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं।

3.9. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों के सुरक्षण तथा अन्य छूटों के बारे में इस संगठन ने अध्ययन किये थे। इनसे हमें पता चला कि भारत सरकार द्वारा नौकरियों के सुरक्षण से सम्बन्धित जारी विभिन्न आदेशों/ अनुदेशों की समुचित ढंग से लागू न किये जाने के प्रमुख कारण थे : (1) नियमों की जानकारी न होना, और (2) इन सुरक्षणों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार कार्मिकों में अपेक्षित रुचि का अभाव। यह भी देखा गया कि जब कभी अधिकारियों ने इस ओर सचमुच रुचि दिखाई तो सम्बन्धित संगठनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है।

3.10. सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश इकाइयों में पदोन्नति सम्बन्धी आरक्षण को, विशेषकर प्रचरण पदों के मामले में, समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। हमने सार्वजनिक क्षेत्र के जिन अनेक उपक्रमों का अध्ययन किया था, वहाँ आरक्षित रिक्तियों के समूहन तथा इन्हें अनारक्षित करने की प्रवृत्ति के बारे में भारी भ्रांति थी। हमने दो वर्ष पूर्व सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से प्रार्थना की थी कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को यह मामला स्पष्ट कर दे लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। जोरदार सिफारिश करते हैं कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो एक ऐसे संल का निर्माण करें जिसका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सम्बन्धी विभिन्न संलों के साथ तालमेल हो, इस दिशा में उठाए गये कदमों की समय-समय पर रिपोर्ट मांगे और नौकरियों के सुरक्षण को लागू करवाने में संलग्न सम्पर्क अधिकारियों तथा अन्य स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये सभी वर्तमान आदेशों/नियमों तथा उनमें समय-समय पर हुए संशोधनों को सार्वजनिक

उद्यम ब्यूरो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक साथ वितरित करे ताकि वे अपने यहाँ उन्हें लागू कर सकें।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकृत बैंक

3.11 आर्थिक मामलों के विभाग के नियंत्रण में कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए उक्त विभाग में अलग से एक बैंकिंग डिवीजन के गठन की सूचना मिली है। यह काम उक्त विभाग के एक उपनिधिव की देखरेख में हो रहा था और इस उद्देश्य के लिए उसे सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया था लेकिन अब यह काम सीधे निदेशक स्तर के एक अधिकारी की देखरेख में हो रहा है। सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को मिलाह दो है कि वे समस्त आरक्षित रिक्तियों के जमा काम को शीघ्रता से निपटायें। अगर जरूरी हो तो इसके लिए केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रार्थियों के लिए विशेष परीक्षा का प्रबन्ध करें। इस तथ्य के बावजूद कि बैंकों की नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए प्राधिकारियों ने कुछ प्रयत्न किये हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि आरक्षित रिक्तियों का पूरा कोटा नहीं भरा जा सका क्योंकि इन समुदायों के योग्य अभ्याथियों की कमी थी। 1-1-1978 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकाधिकारियों, लिपिकों तथा अन्य अधीनस्थ स्टाफ के संवर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल वर्तमान संख्या के बारे में सांख्यिकी सूचना निम्नलिखित सारिणी में देवी जा सकती है :

| बैंक का नाम | अधिकारी | | लिपिक | | अधीनस्थ स्टाफ | |
|--|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | कुल | अनु० जातियाँ और अनु० जनजातियाँ | कुल | अनु० जातियाँ और अनु० जनजातियाँ | कुल | अनु० जातियाँ और अनु० जनजातियाँ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| रिजर्व बैंक आफ इंडिया | 4,796 | 90 (1.88) | 16,119 | 2,174 (13.49) | 6,761 | 1,452 (21.48) |
| स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा उसके अनुषंगी कार्यालय | 31,210 | 324 (1.36) | 82,241 | 8,518 (10.36) | 43,762 | 9,433 (21.56) |
| राष्ट्रीयकृत बैंक | 56,269 | 1,016 (1.80) | 132,036 | 15,566 (11.79) | 59,006 | 11,696 (19.82) |

टिप्पणी :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उपर्युक्त सारिणी से पता चलता है कि तीन संवर्गों के बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं हैं। पिछली बार प्राधिकारियों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अलग-अलग आंकड़े दिये थे और हमने भी अलग-अलग आंकड़ों के लिए प्राधिकारियों को लिखा था। हम यह बात समझने में असमर्थ हैं कि अलग-अलग आंकड़े क्यों नहीं भेजे गये जबकि इन दोनों संवर्गों के लिए निश्चित कोटा निर्धारित है। फिर भी संयुक्त आंकड़ों से यह तो इंगित हो ही जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत से बहुत कम था—खासतौर पर अधिकारी संवर्ग में। लिपिकों तथा अधीनस्थ स्टाफ की श्रेणियों में स्थिति कुछ

अच्छी थी। इसका कारण यह है कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इसके लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष भर्ती की गई थी। हम वृद्धता से यह अनुभव करते हैं कि आरक्षित रिक्तियों के बड़ी मात्रा में जमा होने से सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस तरह जमा रिक्तियों को भरने की सावधि योजना बनाने के निकट लक्ष्य में सुधारने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती।

3.12 जहाँ तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पदोन्नति के माध्यम से पदों के भरने की आरक्षण स्कीम को शुरू करने का प्रश्न है, हमारी पिछली रिपोर्ट (1975-77) में सिफारिश की गई थी कि वित्त

मंत्रालय राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुरूप नीति अपनाने के लिए शोध कार्रवाई करे और इसके लिए बैंक भी पदोन्नति में आरक्षण के सिद्धांतों को स्वीकृति दें। सरकार ने इस नीति के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को सलाह दी है कि वर्तमान आरक्षण स्कीम में आवश्यक संशोधन कर पदोन्नति में भी आरक्षण के सरकारी आदेश का पालन करें। पर पता चला है कि 31 दिसम्बर, 1977 को आर्थिक मामलों के विभाग के बैंकिंग डिवीजन ने जो अनुदेश जारी किये थे, वे रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जुलाई, 1976 में लागू पदोन्नति में आरक्षण स्कीम का विस्तार भर है। बैंक प्रबंधकों से केवल मात्र यह आग्रह किया गया है कि वे आवश्यक प्रक्रियात्मक संशोधनों के बाद इन आदेशों को समुचित ढंग से लागू करें और उन्हें तत्सम्बन्धी स्कीमों को बनाने की पूरी स्वतंत्रता भी दे दी गई है। हमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की बैंक एसोसिएशनों द्वारा अनेक अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें कहा गया है कि अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रमुखतया पदोन्नति द्वारा पदों के आरक्षण की स्कीम इस कारण नहीं अपनायी गई है क्योंकि बैंकों में लिपिक से अधिकारी ग्रेड की पदोन्नति कर्मचारियों की यूनियनों तथा बैंक प्रबंधकों के बीच हुए समझौतों/वचनों पर निर्भर करती है।

3.13 रिज़र्व बैंक आफ इंडिया की पदोन्नति स्कीम की छामबीन करने से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था केवल उस अवस्था में है, जबकि सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। अतः यह स्कीम अधीनस्थ स्टाफ (श्रेणी का स्टाफ) की लिपिक वर्ग के लिए पदोन्नति के समय लागू नहीं होती क्योंकि लिपिक पदों में सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक होती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर प्रवर्ण पदों को अधिकारी ग्रेड के प्रत्याशियों को पदोन्नति देकर भरे जाने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी ऐसी परीक्षाओं में कितनी संख्या में बैठ सकते हैं, इसका हिसाब ऐसे प्रत्याशियों के लिए निर्धारित आरक्षण के आधार पर लगाया जाता है। परीक्षाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपेक्षित संख्या में प्रत्याशियों के न होने की अवस्था में अथवा स्कीम के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की अवस्था में अपेक्षित पद स्वतः अनारक्षित मान लिए जायेंगे। इस स्कीम में योग्यता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा पदों के भरे जाने के मामले में अपेक्षित रिक्तियों से दुगुनी संख्या में रिक्तियों के आकलन जोन (जोन आफ कन्सीडरेशन) की व्यवस्था है। वरिष्ठता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के न मिलने की स्थिति में सूची में सबसे नीचे के स्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रवर्ण सूची में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है अगर जेम्मे उम्मीदवार पुष्टि पद के साथ आकलन जोन (जोन आफ कन्सीडरेशन) के अंतर्गत स्थायी हों।

3.14 इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जा सकता है कि जोनिंग स्कीम अमतौर पर पदोन्नति देकर भरे जाने वाले पदों के लिए लागू नहीं होती हालांकि वरिष्ठता का आधार दुस्ती/योग्यता होती है। विशिष्ट सेवा अवधि को पात्रता की शर्त बनाने में कोई एतराज नहीं हो सकता। अतः यह जोरदार सिफारिश की जाती है कि रिज़र्व बैंक आफ इंडिया और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाई गई पदोन्नति आरक्षण स्कीम में आवश्यक संशोधन किये जायें ताकि सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सुपात्र अभ्यर्थी वरिष्ठता के आधार पर, दुस्स्तता को ध्यान में रखते हुए, पदोन्नति पा सकें। इस तात्पर्य का एक सरकारी निर्देश सभी बैंकों के लिए उन्हीं लाइनों पर जारी किया जाना चाहिए जैसाकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने पहले से ही भारत

सरकार के निर्देशों का पालन स्वीकार किया है। अतः यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सांविधानिक सुरक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए प्रबंधकों तथा कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए अनुबंधों की वंछता को रद्द किया जाये। इस मामले को लेकर उठने वाले चिरकालिक संदेहों को भी स्पष्ट करना होगा।

(घ) सांविधानिक/कानूनी निकाय

3.15 सेवा सुरक्षणों की पड़ताल करने तथा सरकारी विभागों से सम्बन्धित फाइलें तथा दस्तावेज मंगवाने के बारे में आयुक्त के अधिकारों का मामला पहले भी सरकार के सामने रखा गया था और पिछली रिपोर्टों तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्यशील उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में भी उठाया गया था। सरकार ऐसी व्यवस्था के लिए सहमत हो चुकी है और उसने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के आवश्यक अनुदेश भी जारी किये हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर अब भी आयुक्त का ध्यान आकर्षित है, वह यह है कि क्या लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालयों और सांविधिक निकायों में नौकरी करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नौकरियों के सुरक्षणों की जांच कर सकते हैं अथवा नहीं। यदि उन्हें यह अधिकार प्राप्त है तो क्या वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ऐसे तथ्यों को शामिल कर सकते हैं, जो सांविधानिक अनुच्छेद 338(2) के अधीन राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जानी होती है और जिस पर संसद के दोनों सदनों में बहस होती है।

3.16 जहां तक लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालयों का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमारी 1971-73 की वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 3.89 और 3.90 में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। उक्त रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 335 में आने वाले वाक्यांश "संघ अथवा एक राज्य के मामलों के सम्बन्ध में" वाक्यांश के लिए आयुक्त ने जो कानूनी राय मांगी थी, उसके अनुसार यह वाक्यांश सरकार के न केवल अधिशासी अपितु विधायी तथा न्यायिक अंगों को भी शामिल करता है। इस कानूनी राय के बावजूद आयुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी पाने में सफल हो सके। दोनों सदनों के सचिवालयों की दलील यह थी कि संसदीय प्रथा के अनुसार किसी भी सरकारी रिपोर्ट में—जो सदन में पेश की जा सकती है और सदन में बहस का विषय बन जाती है—ऐसे मामलों का उल्लेख नहीं किया जा सकता, जो अध्यक्ष के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कानूनी राय तथा साद की प्रथाओं ने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है क्योंकि एक ओर तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं, दूसरी ओर वह अपने सांविधानिक दायित्व को निभाने में उनका प्रयोग नहीं कर सके। इस सांविधानिक दायित्व के अधीन उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह "इस संविधान द्वारा प्रदत्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षण के सभी मामलों की पड़ताल करें और इन सुरक्षणों की कार्य-प्रणाली को रिपोर्ट राष्ट्रपति को दें..." दृष्टता में यह अनुभव किया जाता है कि इस मामले का स्पष्टीकरण अपेक्षित है और इसे हमेशा के लिए सुलझा लिया जाना चाहिए। कांफिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में सरकार इस मामले का दोबारा परीक्षण कर सकती है। अगर जरूरी हों तो विधि मंत्रालय से सलाह-मशविरा किया जा सकता है और इसके बारे में संकेत कर सकती है कि क्या लोकसभा तथा राज्यसभा के सचिवालय संविधान के अनुच्छेद 338(2) के उपबंधों में शामिल नहीं हैं।

3.17 अब भारत निर्वाचन आयोग ने भी कई आपत्तियां की हैं। आयोग से अनुरोध किया गया कि वह आयुक्त का प्रतिनिधित्व करने

बाले एक अध्ययन दल की रोस्टरों तथा अन्य दस्तावेजों का अध्ययन करने दे ताकि उपर्युक्त अनुच्छेद में आयुक्त को प्रदत्त संवैधानिक कर्तव्यों के अनुरूप वह आरक्षण आदेशों को कार्यरूप दे सके। भारत निर्वाचन आयोग से सम्पर्क करते समय निर्वाचन आयोग को उपर्युक्त सांविधानिक स्थिति से परिचित कराया गया था। तब हमें सूचना दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग में नियुक्तियाँ करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जारी सुरक्षण अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। किन्तु इस तथ्य के बावजूद निर्वाचन आयोग को स्पष्ट किया गया कि यह अध्ययन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को प्रदत्त संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए किया जा रहा है। इसके उत्तर में आयोग ने सूचना दी कि "किसी भी बाहरी प्राधिकारी द्वारा सांविधानिक प्राधिकरण के दस्तावेजों का परीक्षण इच्छित नहीं होगा।" निर्वाचन आयोग ने आगे लिखा कि "आयोग की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता हर व्यक्ति का विश्वास पाने के लिए अनिवार्य है", अतः इस स्थिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को "हमारे द्वारा दिये गये विवरणों पर विश्वास करना चाहिए और तब तक पहुँचने के लिए हमारे दस्तावेज, रजिस्टर वगैरह की जाँच नहीं करनी चाहिये।" तब निर्वाचन आयोग को स्पष्ट किया गया कि आयुक्त की मंशा आयोग की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न लगाना नहीं है या सेवा सुरक्षणों के अलावा किसी अन्य अभिलेख का परीक्षण करना भी नहीं है। इसके अलावा, सेवा सुरक्षणों को लागू करने से सम्बन्धित अभिलेखों को इतना गोपनीय भी नहीं माना जा सकता कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को न दिखाये जा सकें जिनकी नियुक्ति ही अन्य बर्तों के साथ-साथ सेवा सुरक्षणों की जाँच के काम के लिए विशेष रूप से की गई है। प्रत्यक्षतः यह एक ऐसा प्रयास था कि संविधान द्वारा उपबंधित सुरक्षणों को समुचित रीति से लागू किये जाने के बारे में निश्चित हुआ जा सके। यह संकेत भी किया गया कि संगठन के दलों द्वारा रोस्टरों तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालयों को भी हो सकता है क्योंकि इससे कार्यालयों को आरक्षण के विभिन्न पहलुओं को लेकर उठने वाले सदेहों का भी निराकरण हो जाता है तथा आरक्षण आदेशों को प्रभावशाली ढंग से लागू करना संभव हो जाता है।

3.18 आयुक्त के संगठन के साथ 8 फरवरी 1978 को विस्तृत चर्चा करने के बाद आयोग ने अनुभव किया कि "यदि रोस्टरों आदि के अध्ययन से आपका उद्देश्य प्रक्रिया में सुधार सम्बन्धी सुझाव देना है, तब हम (निर्वाचन आयुक्त) रोस्टर आदि न दिखाने के आयोग के विशेषाधिकार को परित्याग देंगे " और आर्क द्वारा सुधार आदि के बारे में किये गये सुझाव केवल हमारे विचार के लिए हो सकते हैं और इन सुझावों का प्रकाशित रिपोर्ट इत्यादी में उल्लेख नहीं होना चाहिए।" निर्वाचन आयोग के इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे आयुक्त पर वार्षिक रिपोर्ट में अपने दलों के जाँच-परिणामों को शामिल करने पर पाबंदी लग जाती है, जोकि संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अधीन राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है और प्रकाशित होने के बाद संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है। इस पाबंदी के कारण आयुक्त सेवा सुरक्षणों के कार्य-संपादन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने के संविधानिक दायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं।

3.19 इस प्रकार, यह प्रश्न उठता है कि सांविधानिक प्राधिकरण को प्राप्त विशेषाधिकार के अधीन यदि निर्वाचन आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को वार्षिक रिपोर्ट में अपने अध्ययन दलों के जाँच-परिणामों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देता जोकि सांविधानिक दायित्व के अनुरूप राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जानी होती है, तो यही बात अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय के लिए भी लागू होती है। यदि ऐसा है तो क्या यह बात संविधान के अनुच्छेद 338 के उपबंधों के विरोध में नहीं जाती।

3.20 उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त कम से कम निर्वाचन आयोग के मामले में अपने सांविधानिक दायित्व के कर्तव्य पालन में असमर्थ हैं। हम संविधानिक प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले अन्य संगठनों जैसेकि संघ लोक सेवा आयोग, भारत सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय आदि के अध्ययन का सुझाव देते हैं। यदि उक्त सभी संगठन भी यही राय प्रकट करते हैं तो हमें व्यर्थ का पक्ष-व्यवहार करते रहने होगा जोकि हमारे अध्ययनों को विलंबित करेगा ही, साथ ही अनुच्छेद 338(2) के अधीन आयुक्त के अधिकार-क्षेत्र को परि सीमित करेगा। इस मामले को पहले ही गृह मंत्रालय को सौंपा जा चुका है और यद्यत्से अनुभव किया जाता है कि इस मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जाये तथा स्पष्ट अनुदेश/निर्देश जारी किये जायें ताकि आयुक्त विशिष्ट सांविधानिक उपबंधों के अधीन स्थापित सभी संगठनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवा सुरक्षणों की जाँच कर सकें।

(इ) विश्वविद्यालय सेवाएं

3.21 यह दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुचित अर्हता प्राप्त लोग शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में मिल जाते हैं और इनमें से अनेक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त भी होते हैं, तब भी विश्वविद्यालय सेवाओं में आरक्षण का काम शुरू कर पाना संभव नहीं हो सका है। हमारी पिछले 10 वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में विश्वविद्यालय के लिपिक वर्गीय तथा शैक्षिक स्टाफ में आरक्षण के शुरू करने के मामले पर बल दिया जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा आरक्षण/छूटों इत्यादि के बारे में जारी अनेक अनुदेश शिक्षा मंत्रालय के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अप्रेषित किये जाते रहे हैं और आयोग उन्हें सभी विश्वविद्यालयों को भेजते रहें हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि वे गैर-शैक्षिक पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण को लागू करें लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति में भी चर्चा के लिए यह विषय उठाया था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि यदि सम्बन्धित विश्वविद्यालयों में स्टाफ की भर्तियों से सम्बन्धित प्रासंगिक कानूनों अथवा संस्था के अंतर्नियमों में समुचित संशोधन कर दिया जाये तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण लागू करने में कोई समस्या नहीं उठेगी। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सुझाव दिया है कि वह विभिन्न विश्वविद्यालयों को आरक्षण आदेशों तथा अन्य उपबंधों के बारे की संक्षिप्त रूपरेखा देते हुए लिखे और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों की भर्तियों के नियमों में आरक्षण उपबंधों की व्यवस्था करने के बारे में अनुदेश जारी करे। हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह सुझाव भी दिया कि यदि कोई विश्वविद्यालय आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पालन में चूक करता है तो उसे गंभीर चूक माना जाये और यदि आवश्यक हो तो उसकी अनुदान-राशि भी रोक ली जाये। काफी पहले 1975 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपकुलपतियों को लिखा था कि लेक्चरर पदों पर भर्तियों के समय आरक्षण सिद्धान्तों का पालन किया जाये। विश्वविद्यालयों को तत्सम्बन्धी दृढ़ अनुदेश न भेजे जाने के कारण, कि इस निर्णय का पालन उनके लिए कानूनी अनिवार्यता हो, इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। यह प्रश्न कि केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण

के मामले में विश्वविद्यालयों की कोई अनुदेश जारी कर सकता है अथवा ऐसे अनुदेशों का पालन न करने की स्थिति में उनका अनुदान रोक सकता है अथवा नहीं—इस प्रश्न का भारत सरकार परीक्षण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अंभान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम आयोग को यह अधिकार नहीं देता कि वह विश्व-विद्यालय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नौकरियों में आरक्षण के बारे में कोई अनुदेश जारी कर सके। हमारी पिछली रिपोर्ट (1975-77 : पैरा 3.14) में इस बात पर बल दिया गया था कि शिक्षा मंत्रालय सभी केंद्रीय तथा राज्य विश्व-विद्यालयों को सम्बन्धित दिशानिर्देश दे कि वे केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के पैटर्न पर इनमें से जो भी वांछित हो, संवैधानिक उपबंधों का पालन करें। इस लक्ष्य को पाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में सम्बन्धित उपबंधों में संशोधन भी किया जा सकता है। हमने विश्वविद्यालय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में सांख्यिकी सूचना एकत्र करने के प्रयत्न किये थे किन्तु शिक्षा मंत्रालय से हमें अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। हमने यह सूचना एकत्र करने का भी प्रयत्न किया कि उक्त मंत्रालय ने सम्बन्धित नियमों/अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विश्वविद्यालयों अथवा विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग को सबसे ताजा आदेश/अनुदेश कौन से जारी किये हैं ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकारी अनुदेशों का पालन न करने वाले विश्वविद्यालयों के अनुदान को रोकने के बारे में निर्देश जारी कर सके और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यासियों के आरक्षण की व्यवस्था करवा सके। लेकिन हमें अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सम्बन्धित अधिकारियों ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया है और एक महत्वपूर्ण सांविधानिक उपबंध को लागू करवाने के निमित्त रचनात्मक रवैया नहीं अपनाया है।

(च) उच्च न्यायालय के जज और न्यायिक सेवाएं

3.22 पिछले 10 वर्षों से, उच्च न्यायालयों तथा न्यायिक सेवाओं के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियुक्तियों के प्रश्न पर सरकार से विचार-विमर्श चल रहा है और यह विचार विभिन्न चरणों में है। अपनी विभिन्न वार्षिक रिपोर्टों में हमने सांविधानिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण आदेशों में जरूरी संशोधन किये जाने पर बल दिया है ताकि उच्च न्यायालयों के जजों तथा विभिन्न न्यायिक सेवाओं में नियुक्तियों के मामले में उसे लागू किया जा सके। यह प्रश्न उच्चधिकार प्राप्त समिति में भी चर्चा के लिए रखा गया था। इस समिति का गठन भारत सरकार की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण आदेशों के लागू किये जाने की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। सरकार के प्रशासनिक खंड ने आदेश जारी किये हैं कि सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाये। लक्ष्य है कि जजों तथा उच्च न्यायालय के अन्य स्टाफ पर ये आदेश यथा तथ्यतः लागू नहीं हैं। उच्च न्यायालयों को कोई आदेश नहीं रोक पाता और वे संविधान के अनुच्छेद 335 तथा 16(4) के उपबंधों को इस प्रकार कार्यरूप दे लेते हैं।

3.23 अप्रैल, 1978 को विधि, कानून और कम्पनी मामलों के मंत्री ने लोकसभा में यह वक्तव्य दिया था कि "उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां संविधान के उपबंधों के अनुरूप की जाती हैं जिनमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।" यह सच है कि अनुच्छेद 217 में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि जजों की नियुक्तियों के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों के लिए प्राधान्य

रहेगा। इस तरह तो संविधान के किसी भी अन्य अनुच्छेद में (अनुच्छेद 16(4) और 335 को छोड़कर) यह उल्लेख नहीं किया गया कि किसी विशिष्ट सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण किया जायेगा। फिर भी न्यायिक सेवाओं तथा पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्तियों के लिए आरक्षण के सिद्धांत को अनुच्छेद 335 के अधीन समुचित संरक्षण प्राप्त है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि "संघ अथवा किसी राज्य की सेवाओं तथा पदों पर नियुक्तियों के मामले में, प्रशासन के सुचारु निर्वहण को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार किया जाना चाहिए।" अनुच्छेद 16(4) में स्पष्ट कहा गया है कि "इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों के वास्ते नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण के उपबंधों के निर्माण से नहीं रोकती। जिनका राज्य के मत, में राज्य की सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है।" विधि और न्याय मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 234 का सहारा लिया जा सकता है और उच्च न्यायिक सेवाओं के मामले में अनुच्छेद 309 का।

3.24 हमें उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के 18 उच्च न्यायालयों में कुल 316 स्थायी तथा अतिरिक्त जजों में से केवल 4 जज अनुसूचित जाति के समुदायों में से हैं और अनुसूचित जनजाति का कोई भी नहीं। उच्च न्यायिक सेवाओं और अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में भी स्थिति उल्लाहवर्धक नहीं है।

3.25 लिपि वर्गीय पदों पर नियुक्तियों के मामले में भी स्थिति असंतोषजनक है। हम नहीं जानते कि राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के लिए ऐसी कौनसी प्रवृत्ति है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के लिए वर्तमान भर्ती कानूनों में ऐसे उपबन्ध क्यों नहीं शामिल कर लेते अथवा उनमें संशोधन क्यों नहीं कर लेते। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करना राष्ट्रीय नीति है और संविधान में इसके लिए समुचित सुरक्षाओं की व्यवस्था है। हमारा यह निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है कि सांविधानिक अनुबंधों का उचित सम्मान करें।

3.26 उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पटना, पंजाब, और हरियाणा राजस्थान और तमिलनाडु के उच्च न्यायालयों ने राज्य न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सिद्धांत के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु के उच्च न्यायालयों ने उच्च न्यायिक सेवाओं में आरक्षण के सिद्धांत के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। इलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पटना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु के उच्च न्यायालयों ने केवल लिपिकवर्गीय पदों के लिए सीधी भर्तियों में आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकृति दी है। अतः यह देखा जा सकता है कि केवल कुछ उच्च न्यायालयों ने ही आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकृति दी है और वह भी संकोच के साथ। अभी भी अनेक उच्च न्यायालयों ने इस मसले पर विचार करना है कि उच्च न्यायालयों के जजों तथा उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आरक्षण हो या नहीं। हम यह नहीं समझ पाये कि आंध्र प्रदेश, बम्बई, गोवा, गुजरात और जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय स्वतंत्रता मिलने 30 वर्ष हो जाने तथा सांविधानिक उपबंधों के बावजूद

लिपिकवर्गीय पदों में आरक्षण के बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं ल सके। विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में जिला जजों, अतिरिक्त जजों, सिविल जजों आदि की नियुक्तियों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की सूचना (31-7-1978 तक की) परिशिष्ट IV में देखी जा सकती है।

3.27 ऊपर की गई चर्चा तथा परिशिष्ट IV में दिये गये आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालयों, राज्य न्यायिक सेवाओं तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन लिपिकवर्गीय पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व या तो बहुत कम है या फिर नगण्य। इन समस्याओं के कम प्रतिनिधित्व का प्रमुख कारण यह था कि अधिकांश उच्च न्यायालयों ने उच्च न्यायालयों की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण शुरू करने के बारे में अभी निर्णय लेना है। यह बुझता है अनुभव किया जाता है कि जिन उच्च न्यायालयों में अभी तक आरक्षण के पक्ष में निर्णय नहीं लिया है, वह शीघ्रता से ऐसा करें, यदि आवश्यक हो तो इसके लिए भर्ती के नियमों में संशोधन करें या तत्सम्बन्धी धाराएं जोड़ें और इसे न्यायिक सेवाओं तथा लिपिकवर्गीय पदों के लिए शीघ्र लागू करें।

(छ) निजी क्षेत्र

3.28 अतीत में भारत सरकार को इस बात के प्रति सहमत होने के प्रयास किये गये थे कि वह निजी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक तथा वाणिज्यिक इकाइयों को प्रेरित करे कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अपनी कुल रोजगार क्षमता का एक भ्रंश आरक्षित रखें, जैसा कि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि कर रहे हैं। हमारी पिछली रिपोर्ट (1975-77) में यह सिफारिश की गई थी कि निजी क्षेत्र के उद्योगों को लाइसेंस जारी करने, वित्तीय सहायता की मंजूरी देने, औद्योगिक स्थलों/घाटों के आबंटन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करते समय यह शर्त लगा दी जाये कि अपने यहां की नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी सरकारी नीति को अनिवार्य रूप से मानें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की संसदीय समिति ने भी अपनी 41 वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोकसभा) में इससे मिलते-जुलते सुझाव दिये हैं और इस बात पर बल दिया है कि ऐसे सभी मामलों में निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का पालन करने के लिए विवश किया जाये, जहां सरकार से उन्हें किसी भी रूप में सहायता मिली हो।

3.29 औद्योगिक विकास मंत्रालय, जो निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में आरक्षण के मामले में प्रमुखतया सम्बन्धित है और जिसे समिति ने उपर्युक्त सिफारिशें भेजी थीं, ने बताया कि उनके विचार से निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को तत्सम्बन्धी किसी आदेश अथवा अनुदेश जारी करने के बजाय अपील करना समुचित रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास मंत्रालय ने 27-12-1975 को निजी क्षेत्र की सभी औद्योगिक इकाइयों को इस आशय की अपील भेजी किंतु इस उद्देश्य की सफलता के लिए उन्होंने इसके अन्तर्गत अन्य जरूरी कदम नहीं उठाये। मार्च 1978 में उद्योग मंत्री द्वारा एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में दी गई सूचना के अनुसार, "निजी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए रोजगार के एक विशेष प्रतिशत के आरक्षण से सम्बन्धित एक सुझाव पर सरकार ने विचार किया था और यह महसूस किया गया कि ऐसे आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक या अन्य तरीकों का अपना उचित नहीं होगा। यह विचार किया गया कि सांविध्य संगठनों को ऐसे कदम उठाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा सकता है

कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार में पर्याप्त भ्रंश देने की ओर ध्यान दें।" कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से हाल ही में प्राप्त एक पत्र में उल्लेख है कि वह निजी क्षेत्र के उन सभी ऋण लेने वालों को एक ऐसा आशय-पत्र लिखने वाले हैं जिसमें ऋण की मंजूरी की शर्तों के साथ-साथ यह अनुरोध भी किया जायेगा कि वे भविष्य में अपने सभी संवर्गों की भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखें। भारत औद्योगिक विकास बैंक भी समस्त भारत तथा राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओं को इसी आशय का एक पत्र लिखने की सोच रहा है जिसमें इन संस्थाओं को सलाह दी जायेगी कि वे भी इस समय तक ऋण ले चुके लोगों को भी हम निर्णय के बारे में सूचित कर दें। पर यह दुर्भाग्य की बात है कि उद्योग मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त तथा संसदीय समिति की इस बारे में की गई सभी सिफारिशों को यह कह कर उपेक्षा की है कि उसका विश्वास अनुभवों पर ही है। अतः हम इस बात को फिर दोहराते हैं कि निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों का एक भ्रंश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने के लिए सांविधानिक उपबन्धों के निर्माण की दिशा में शीघ्र कदम उठाए जाएं क्योंकि मात्र अपील करने से कोई परिणाम नहीं निकला है।

महत्वपूर्ण मामले

(क) बकाया भर्ती को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान

3.30 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों तथा नियुक्तियों में आरक्षण के सिद्धांत के अन्तर्गत तथा लागू हुए लगभग तीन दशक हो चुके हैं, इसके बावजूद इन कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व श्रेणी तक के पदों में अत्यन्त अपर्याप्त रहा है। श्रेणी और श्रेणी के पदों की तो चर्चा ही व्यर्थ है। केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के पदों में दी गई सूचना में हम इसे देख सकते हैं। यद्यपि आंकड़े पूर्ण नहीं हैं (कुल 58 मंत्रालयों/विभागों में से केवल 48 मंत्रालयों/विभागों की सूचना ही उपलब्ध है), तब भी यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वांछित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जैसाकि आरक्षण आदेशों में अपेक्षित था और इन आदेशों को लागू हुए 30 वर्ष बीत चुके हैं। जब तक इन्हें वांछित प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ प्रबल निदानकारी कदम नहीं उठाये जाते, तब तक राष्ट्र के ये कमजोर वर्ग ज्ञात भविष्य में भी पेशों तथा नियुक्तियों में वांछित भाग नहीं पा सकेंगे—खासतौर पर उच्च पदों में। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भारत सरकार, राज्य सरकारें और वे सभी संगठन जो आरक्षण आदेश के प्रविधान में आते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त पदों तथा नियुक्तियों में संविधान के उपबन्धों के अनुसूचित समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष कदम उठाये।

3.31 उच्चतम न्यायालय के "केरल राज्य बनाम एन० एम० थामस तथा अन्य" केस पर दिये गये फैसले को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा एक कानून ज्ञापन सं० 16/3/73-एस्ट० (एस०सी०टी०) दिनांक 27-12-1977 को जारी किया था। इस ज्ञापन के अनुसार 50 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित तथा भरी जानी चाहिए, जबकि ऐसी रिक्तियां 50 प्रतिशत से अधिक हों और उसमें अग्नेय तथा चाबू आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हों। इसके अलावा यह आरक्षण तब भी रहना चाहिए, जबकि सम्बन्धित ग्रेड अथवा संवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कुल संख्या की तुलना में अपर्याप्त हो यानी कुल मिलाकर निर्दिष्ट ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत से कम रह गई हो।

3.32 यह अनुभव किया जाता है कि किसी संवर्ग की कुल संख्या में रह जाने वाली कमी को समाप्त करने का एक उपाय यह है कि केवल मात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भर्ती के विशेष अभियान का निश्चित कार्यक्रम बनाया जाए। इसके लिए किसी संवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कमी और उक्त संवर्ग में चालू रिक्तियों को ध्यान से रखा जाये। इसके साथ, स्टाफ की सामान्य संख्या में अधिक नये पद निम्नित किये जायें और जहाँ कहीं भी नई भर्ती पर अल्पसंख्यक लगा हो, उसे समाप्त किया जाये।

3.33 इसके लिए जोरदार सिफारिश की जाती है कि सम्बन्धित सभी संगठन/इकाइयों इन विशेष कार्यक्रमों/स्कीमों को अपने प्रतिष्ठानों के लिए प्राथम्य तथा अनुकूलता का ध्यान रखते हुये अपनायें। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें उचित कदम उठावें और इसके लिए अनुदेश जारी करें।

(ख) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण—आकलन क्षेत्र (जोन ग्राफ कन्सीडरेशन)

3.34 विभागीय पदोन्नति समिति के विवेक पर निर्भर करने के बजाय दृढ़ आकलन क्षेत्र बनाने और आरक्षित रिक्तियों के लिए अलग से आकलन क्षेत्र को लागू करने के प्रश्न पर हम पिछले वर्षों 1970-71 (पैरा 3.31—3.32), 1973-74 (पैरा 3.25 से 3.32) और 1974-75 [पैरा 3.3—विषय (ख)] की रिपोर्टों में विचार कर चुके हैं।

3.35 कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर आकलन क्षेत्र के बारे में प्रेषित टिप्पणियों की समीक्षा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हित-साधन इस तरह हो सकता है कि वर्ष भर में अपेक्षित रिक्तियों की संख्या से पांच या छह गुना दृढ़ क्षेत्र निर्धारित करने के बजाय आरक्षित रिक्तियों के लिए अलग से आकलन क्षेत्र को लागू किया जाये। और यह प्रवर्ण पद्धति द्वारा श्रेणी III से श्रेणी II में, श्रेणी II से श्रेणी I में और श्रेणी I के सबसे कम वरिष्ठ सदस्य के मामले में—जैसाकि श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों में होता है—पदोन्नति के लिए भी लागू किया जाये।

3.36 यह बात बड़ी निराशाजनक है कि सरकार हमारे दृष्टिकोण से यह तक देते हुए सहमत नहीं हुई कि इससे उच्च स्तर की सेवाओं के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने विचार प्रकट किया है कि किसी भी आरक्षण स्कोम का यह आवश्यकभावी परिणाम होता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कनिष्ठ अधिकारियों के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के आगे निकलने की गुंजायश होती है। यह भी सर्वविदित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रश्न छोड़ दें, तब भी योग्यता के आधार पर साधारण तरीके से होने वाली पदोन्नति के मामलों में भी सामान्य उम्मीदवार अपने मूलपूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के काम का पर्यवेक्षण करते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि हमसे वे किसी असमजस से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ श्रेणी के पदों के मामले में अलग क्षेत्र की प्रणति देते समय यह तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः यह बात समझ से परे है कि प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में पदोन्नति के मामले में ऐसा क्यों हो सकता है। जो बात तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिसंख्य सरकारी कर्मचारियों के लिए ठीक हो सकती है, वह प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों के मामले में भी रह नहीं की जा सकती। जब एक बार सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति पदों में आरक्षण को अनिवार्य तथा युक्तिमय सिद्धांत के आधार पर स्वीकार कर लिया है, तो इस दलील में बहुत दम है कि सरकार को बीच में ही रुक जाने के बजाय अच्छी तरह इस कार्य को सम्पन्न करना चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का विचार है कि आकलन क्षेत्र

की पद्धति, जो अपनी प्रकृति में विवेक-आधारित है, पदोन्नति में आरक्षण के सिद्धांत को ही निष्फल कर दे सकती है हालांकि इस सिद्धांत के लिए सरकार की स्वीकृति है तथा उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की है।

3.37 ऊपर उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण के निर्दिष्ट लाभ पहुंचाने तथा सभी श्रेणियों के पदों में उन्हें अधिक अवसर देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में आकलन क्षेत्र पद्धति को स्वयं विधा जाये। दूसरे शब्दों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार यदि न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा करता है तो वरिष्ठता सूची में उसका चाहे जो स्थान हो, आरक्षण कौटा को भरने के लिए उसे पदोन्नति के लिए विचारणीय माना जाना चाहिए। यदि किन्हीं वास्तविक तथा तर्कसंगत कारणों से इस दृष्टिकोण से सहमत होना कठिन लगे तो यह सिफारिश की जाती है कि सभी श्रेणियों के पदों तथा नियुक्तियों में आरक्षण रिक्तियों के लिए समान रूप में आकलन क्षेत्र अलग से रखा जाये।

(ग) प्रथम श्रेणी में ही पदोन्नति—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

3.38 भारत सरकार ने 1963 से ही विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति द्वारा पदों के भरे जाने में आरक्षण का विधान किया हुआ है। वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर, दुहली को ध्यान में रखते हुए, सभी श्रेणियों के पदों को पदोन्नति द्वारा भरने में आरक्षण की व्यवस्था है। जहाँ पदोन्नति का आधार प्रवर्णता है, वहाँ चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के निम्न स्तर के सभी पदों में आरक्षण को व्यवस्था है। प्रथम श्रेणी पदों में ही पदोन्नति के लिए आरक्षण नहीं है। प्रथम श्रेणी में ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए पदों या नियुक्तियों के आरक्षण का प्रश्न भारत सरकार के विचारार्थ हम पहले भी उठा चुके हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय (कामिक प्रशासनिक सुधार विभाग) ने प्रशासन की कार्यकुशलता बनाये रखने तथा उच्च स्तर की सेवाओं का मनोबल उचा रखने के विचार से इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि ये (प्रथम श्रेणी के पद) उल्लूक पद हैं जिनसे नीति नियंत्रण तथा व्यापार स्तर पर तकनीकी श्रेष्ठता का निर्वाह किया है और इसी तरह की अन्य बातें विचारणीय हैं, अतः सरकार का विचार है कि ऐसे पदों में आरक्षण नहीं होना चाहिए।

3.39 सीधे भर्ती द्वारा सभी पदों को भरने के मामले में आरक्षण का सिद्धांत लागू रहा है। हाल ही के वर्षों में आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और एलाइड सर्विस जैसी प्रमुख सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लगभग सभी रिक्तियों को भरना संभव रहा है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की नियुक्ति के बाद प्रशासनिक कार्यकुशलता को हानि पहुंची हो। इस संदर्भ में, 1960 में सिविल अपील संख्या 341 जो महाप्रबन्ध परिचयी रेलवे बनाम के० रंगाचारी से सम्बन्धित थी, उच्चतम न्यायालय ने 1963 में अपना फैसला सुनाते हुए सभी पदों तथा नियुक्तियों में आरक्षण को उचित ठहराया था। इस फैसले का एक प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है :—

“अनुच्छेद 16(4) में प्रतिष्ठित अधिकारों के प्रयोग की पूर्ववर्ती शर्त यह है कि राज्य का संतुष्ट होना चाहिए कि किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों को सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इस पूर्ववर्ती शर्त का सम्बन्ध या तो सेवाओं में अपर्याप्त मात्रात्मक प्रतिनिधित्व से हो सकता है या फिर गुणात्मक प्रतिनिधित्व से। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए

यह आवश्यक है कि न केवल उन्हें सेवाओं में निम्न स्तर पर समुचित प्रतिनिधित्व मिले बल्कि वे सेवाओं में प्रवर्णन पदों के लिए समुचित प्रतिनिधित्व के आकांक्षी भी हो सकते हैं। इस संदर्भ में "समुचित प्रतिनिधित्व" से तात्पर्य "अनुपात" और "मूल्यों" दोनों से है, संख्या के साथ-साथ नियुक्तियों की प्रकृति से भी है और इसलिए हममें न केवल मात्रात्मक परीक्षण बल्कि गुणात्मक परीक्षण भी शामिल है। इस प्रकार मात्रात्मक तथा गुणात्मक परीक्षणों के सहयोग से औचित्य अथवा किसी भी सेवा में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का निर्णय किया जा सकता है; अगर ऐसा है तो यह सोचना तर्कसंगत न होगा कि समुचित प्रतिनिधित्व का हल आरंभिक चरण में आरक्षण का अनुपात अधिक प्रतिशत रखकर और ऐसा ही कर खोजा जा सकता है। दिये हुए केंस में राज्य यह दृष्टिकोण अपना सकता है कि प्रवर्णन पदों का भी कुछ प्रतिशत आरक्षित रखा जाये क्योंकि ऐसे पदों के आरक्षण से सेवाओं में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व समुचित हो सकता है, ऐसे प्रतिनिधित्व का समुचित होना गुणात्मक होगा। यदि यह स्वीकृत किया जाता है कि संदर्भित "पदों" से संकेत सेवाओं में पदों से है और प्रवर्णन पदों का आरक्षण किया जा सकता है लेकिन वादों द्वारा सुझायी गई विधि से ही इन्हें भरा जाना चाहिए, तब इस बात को मानने का हमें कोई तर्क नहीं दिखता कि प्रवर्णन पद पिछड़े वर्गों के नागरिकों में योग्य सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नहीं भरे जा सकते जैसा कि परिपत्र में जित पदों का उल्लेख है। "... दूसरी ओर, वाक्य-रचना में "पद" शब्द में प्रवर्णन पद भी शामिल है और "पद" शब्द निश्चयोजन नहीं है बल्कि इससे महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होता है। इससे ज्ञात होता है कि आरक्षण न केवल आरंभिक नियुक्तियों में किया जा सकता है बल्कि प्रवर्णन पदों में भी किया जा सकता है जो रोजगार प्राप्त कर लेने के बाद कर्मचारियों द्वारा भरे जाने हैं। इस वाक्य-रचना के कारण "नियुक्तियों" और "पदों" शब्दों का व्यापक तथा असकीर्ण अर्थ निकाला जा सकता है और उस नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहृत किया जा सकता है जो अनुच्छेद 16(4) के उपबंधों का आधार है। अतः हम यह दृष्टिकोण अपनाने के लिए निर्णीत हैं कि राज्य को आरक्षण का जो अधिकार अनुच्छेद 16(4) के अधीन प्राप्त है, सही केंस में राज्य द्वारा न केवल नियुक्तियों में बल्कि प्रवर्णन पदों में भी अपनाया जा सकता है। हमारे विचार में यह वाक्य-रचना संविधान-निर्माताओं के इस प्रयोजन को प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सकती है कि पिछड़े वर्गों के विकास के लिए समुचित सुरक्षण किये जा सकें और सेवाओं में उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जा सके।"

3.40 उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय, 1968 की एक सिविल अपील संख्या 1218 जो पंजाब राज्य बनाम हीरा लाल तथा अन्य केंस से सम्बन्धित थी, का एक अंश आगे बिया गया है। पंजाब उच्च न्यायालय के एक निर्णय, जो पंजाब सरकार द्वारा जारी एक पदोन्नति आदेश के बारे में है, के विरुद्ध पंजाब सरकार ने अपील की थी :—

"यह सच है कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन हर आरक्षण भेदभाव का आभास देता है, खासकर जब पदोन्नति का प्रश्न हो, पदों के आरक्षण का यह अनिवार्य परिणाम है कि कनिष्ठ अधिकारी अपने से बरिष्ठ अधिकारियों से आगे निकल जाते हैं। इस परिणाम से बरिष्ठ अधिकारियों का असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ भुठित अनुभव करें लेकिन संविधान निर्माताओं ने सारे समाज के हित में इसे उचित समझा कि इस देश के पिछड़े वर्गों के नागरिकों को कुछ विशेष आरक्षण दिया

जाये" "... न तो उच्च न्यायालय के पास और न हमारे पास कोई ऐसी सामग्री है जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकें कि प्रतिवादी आदेश अनुच्छेद 16(1) का अतिक्रमण करता है। अनुच्छेद 16(4) के अधीन नियुक्तियों के आरक्षण को अनुमानित आधाओं या काल्पनिक संभावनाओं के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।"

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के उपरोक्त अंशों से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 16(4) की प्रकृति अधिदेशात्मक है और समस्त पदोन्नति पदों पर आरक्षण लागू होता है चाहे वे प्रवर्णन आधारित हों या न हों।

3.41 इन परिस्थितियों में, प्रथम श्रेणी में पदोन्नति में आरक्षण के सिद्धांत के लिए स्वीकृति न देने का भारत सरकार का तर्क तथा अप्रतिष्ठा अग्रगण्य प्रतीत होती है। अतः जोरदार सिफारिश की जाती है कि प्रथम श्रेणी के भीतर पदोन्नति पदों या नियुक्तियों में आरक्षण होना चाहिए और यह न केवल भारत सरकार बल्कि राज्य सरकारों और सांख्यिक उपक्रमों में लागू भी होना चाहिए।

(घ) आरक्षित खाली रिक्तियों को अग्रणीत करना

3.42 वर्तमान में, सीधी भर्तियों के मामले में आरक्षित खाली रिक्तियों को आगामी तीन भर्ती वर्षों तक अग्रणीत करने की व्यवस्था है। पदोन्नति के मामले में भी कुछ संवर्गों में अग्रणीत करने की व्यवस्था है, जबकि कुछ अन्य पदोन्नति पदों में अग्रणीत व्यवस्था नहीं है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, यदि अग्रणीत अवधि में आरक्षित रिक्तियां भरी नहीं जाती तो रिक्तियां अनारक्षित हो जाती हैं और सामान्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कर दी जाती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय को अनारक्षण प्रस्ताव बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं और परिणामस्वरूप काफी मात्रा में आरक्षित रिक्तियां व्ययगत हो जाती हैं। यदि इसे जारी रहने दिया जाता है तो ज्ञात भविष्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व होने की कोई संभावना नहीं है।

ऐसी परिस्थितियों में यह सिफारिश की जाती है कि आरक्षित खाली रिक्तियों को अग्रणीत अवधि तीन वर्षों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि यह अवधि तब तक के लिए अग्रणीत रहनी चाहिए जब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा यह रिक्तियां भर ली नहीं जाती।

(ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का अधिक्रमण

3.43 भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के निमित्त अधिक्रमण के मामलों में इस सीमा तक छूट दी गई है कि अधिक्रमण के ऐसे मामलों की सूचना, यथा आवश्यकता अनुसार, मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री/विभागाध्यक्ष को दी जायेगी। इस पर भी, अनारक्षित रिक्तियों के मामले में अधिक्रमण को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छूट नहीं दी गई है।

3.44 जब ज्येष्ठता और योग्यता के आधार पर पदों को भरने के लिए पदोन्नति आरक्षण नहीं था, तब अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिक्रमण के मामले मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की पूर्व-अनुमति के लिए प्रस्तुत किये जाने होते थे। इससे इन समुदायों के सेवा सुरक्षणों तथा हितों को संरक्षण प्राप्त हो जाता था। 1972 में ज्येष्ठता तथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति में संरक्षण शुरू हो जाने से सरकार ने अनुभव किया कि सामान्यतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सुपात्र बरिष्ठ उम्मीदवारों का अधिक्रमण नहीं होगा, जब तक कि वे अयोग्य घोषित न कर दिये जायें। अतः अधिक्रमण के मामलों के लिए सम्बन्धित मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री से पूर्व-अनुमति लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई।

3.45 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में वर्ष 1977 क दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकरण के मामलों के बारे में सूचना एकत्र करने का प्रयास किया गया था। 29 मंत्रालयों/विभागों* से प्राप्त सूचना के अनुसार, 4 मंत्रालयों/विभागों के 27 मामलों में से अधिकरण के 5 मामलों आरक्षित रिक्तियों से सम्बन्धित थे और इनकी सूचना मंत्री/विभागाध्यक्ष को भेजी जानी थी, जबकि 13 ऐसे मामलों अनारक्षित रिक्तियों से सम्बन्धित थे जिनके लिए कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता था। बाकी के 9 मामलों में आरक्षित संवर्गों के उम्मीदवार अपने ही समुदाय के कर्मचारियों द्वारा अधिकृत किये गये थे और ऐसे मामलों सम्बन्धित प्राधिकारी को नहीं दिखाये गये। चयन द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, कुछ मामलों में, चयन सूची में शामिल नहीं हो किए जा सकें क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति ने उन्हें निम्न वर्गीकरण में रखा होगा हालांकि पदोन्नति के लिए उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता और वे अधिकृत नहीं किए जा सकते। अतः यह दृढ़ता से अनुभव किया जाता है कि चयन के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अधिकरण के सभी मामलों के लिए सम्बन्धित मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री को पूर्ण अनुमति के लिए प्रस्तुत किये जाने चाहिए, अतः आरक्षित रिक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अधिकरण के मामले में किया जाता है। यह क्रिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्राधिकारी द्वारा अत्याय किये जाने पर प्रतिरोधक का काम करेगी।

(घ) आरम्भ में स्थानीय/आंचलिक आधार पर भरे गये पदों में पदोन्नति आरक्षण

3.46 पदोन्नति द्वारा पदों के भरे जाने का आरक्षण प्रतिशत समरूपेण अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत निर्धारित किया गया है—भले ही वे पदोन्नति या रूप "ए" और "बी" (श्रेणी 1 और श्रेणी 2) में हों अथवा रूप "सी" और "डी" (श्रेणी 3 और 4) में। फिर भी, श्रेणी 3 और 4 में कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए विभिन्न अंचलों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में स्थानीय अथवा आंचलिक आधार पर भर्ती की जाती है। ऐसे पदों के लिए आरक्षण का प्रतिशत अलग से निर्धारित किया गया है और इसका आधार सम्बन्धित राज्य/संघशासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। लेकिन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आरक्षण समरूपेण 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और 7½ प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए रखा है, जो स्थानीय अथवा आंचलिक आधार पर निर्धारित आरक्षण के अनुरूप नहीं है। अतः विचारणीय प्रश्न यह रहा है कि क्या पदोन्नति में ऐसे पदों का अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण रखना न्यायोचित होगा क्योंकि इनके फोडर संवर्ग आरम्भ में स्थानीय अथवा आंचलिक आधार पर भरे गये थे और इन पदों की प्रतिशत दर में पदोन्नति पदों की प्रतिशत दर से बहुत अधिक अंतर है। नवम्बर, 1976 में यह मामला कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के आगे रखा गया था। हमें विदित किया गया कि आंचलिक रॉस्टर में निर्धारित प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू नहीं किया जा सकता और पदोन्नति के उद्देश्य के लिए आरक्षण की समरूपेण प्रतिशतता से हो मान्य होगी। उक्त विभाग को यह संकेत किया गया कि ऐसे अंचल में पदोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए समरूपेण प्रतिशत को अपना उचित नहीं है क्योंकि श्रेणी 3 अथवा श्रेणी 4 के फोडर पद आरम्भ में स्थानीय/आंचलिक आधार पर भरे गये हैं, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ जनसंख्या के आधार पर आंचलिक प्रतिशत का पदोन्नति द्वारा

भरे जाने वाले पदों के प्रतिशत में बहुत अधिक अंतर है। उदाहरण के लिए मणिपुर में स्थानीय/आंचलिक आधार पर भरे जाने वाले पदों में श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के केवल 2 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि इन पदों से उच्च पदों पर पदोन्नति के समय अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण दर 15 प्रतिशत है। इस प्रकार, अनुसूचित जातियों के ऐसे बहुत कम कर्मचारी होंगे, जो उच्च ग्रेड के पद हों और पर्याप्त संख्या में हों क्योंकि आरम्भिक भर्ती के समय श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों पर इनके लिए आरक्षण केवल 2 प्रतिशत का था। अतः उक्त राज्य में पदोन्नति कोटा के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए उच्च ग्रेड वाले आरक्षित अधिकांश पद अनारक्षित करने होंगे और सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरे जायेंगे क्योंकि उसी वर्ष में रिक्तियों के बंदन का कोई उपबन्ध नहीं है। यही तर्क ऐसे अनेक राज्यों पर लागू होता है, जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशत और पदोन्नति के समय निर्धारित प्रतिशत में अंतर है। हमें अभी तक कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने अंतिम निर्णय के बारे में नहीं लिखा है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों तथा स्थानीय/आंचलिक आधार पर की गई आरम्भिक भर्तियों के फोडर संवर्गों में आरक्षण का समान प्रतिशत रखा जा सके।

(घ) जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी पदोन्नति का आरक्षित कोटा भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ सीधी भर्तियों को फिर से चालू करना

3.46-क पदोन्नति द्वारा पदों के भरने में आरक्षण के सरकारी निर्णय से उच्च पदों के सभी वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कुछ हद तक बढ़ा है। फिर भी, पदोन्नति में आरक्षण में अनेक प्रतिष्ठानों, विशेषकर सांख्यिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों, में स्थिति सुधारने में वस्तुतः अप्रभावकारी रहा है। इन संगठनों में उच्च पद, जिसमें अधिशासी पद भी शामिल हैं, प्रायः पदोन्नति द्वारा निम्न वर्गों जैसे कि लिपिकवर्गीय संवर्ग से भरे जाते हैं। लेकिन फोडर संवर्गों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी शायद ही होते हैं जिनकी उच्च वर्गों के पदों में पदोन्नति की जा सके क्योंकि इन संगठनों में आरक्षण आदेश हाल ही में जारी किये गये हैं और प्रायः इन्हें प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किया जाता। परिणामस्वरूप पदोन्नति के आरक्षित पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा नहीं भरे जा सकते और इन्हें सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भर लिया जाता है। समझा जाता है कि आजकल इनमें से कुछ संगठनों में उच्च पदों का निश्चित प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाता है, आगे से उसे सीधी भर्तियों द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है। जिन कठिनाइयों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, इस कदम से उनके प्रभावशाली ढंग से हल होने की आशा नहीं है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे मामलों में भर्तियों के नियमों में संशोधन होना चाहिए ताकि पदोन्नति के खाली पड़े आरक्षण कोटा को सीधी भर्तियों के जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरा जा सके। ऐसे कदम न केवल तार्किक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उठाये जाने चाहिए बल्कि उन संगठनों द्वारा भी उठाए जाने चाहिए, जहाँ आरक्षण आदेश लागू हैं।

(ज) सम्यक अधिकारी और विशेष प्रकोष्ठ

3.47 भारत सरकार ने अनेक कार्यपालक आदेश जारी किये हैं ताकि विभिन्न पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। फिर भी, यह अनुभव किया जाता है कि जिस भावना तथा उत्साह से ये आदेश जारी किये गये थे, विभिन्न स्तरों पर उन्हें लागू करने में इसका अभाव नजर आता

*शेष 25 मंत्रालयों/विभागों ने कोई सूचना नहीं दी।

है। इसका परिणाम यह हुआ है इन प्रादेशों का प्रायः समुचित विधि से पालन नहीं हुआ है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित अध्ययनों तथा अन्वेषणों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवा सुरक्षणों के इस दुर्भाग्यपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला है। इन प्रादेशों को लागू करने की दिशा में सुधार करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सम्पर्क अधिकारियों तथा उनकी सहायता के लिए गठित विशेष प्रकोष्ठ के महत्व तथा भूमिका पर बल दिया जाये।

3.48 सेवा सुरक्षणों के अध्ययन के सिलसिले में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, संगठनों और उपक्रमों का दौरा करने के बाद हमने देखा कि अनेक मामलों में सम्पर्क अधिकारी वर्तमान नियमों/प्रादेशों आदि से पूरी तरह परिचित नहीं थे। परिणामस्वरूप ये अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति रुचि तथा ईमानदारी होने के बावजूद उत्तम प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो रहे हैं, जितना कि उन्हें होना चाहिए। ऐसे अधिकारी अपने अधीनस्थ स्टाफ पर निर्भर हो सकते हैं, जो जाने या अनजाने प्रायः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। ऐसे अधिकारी रिजर्व काटा से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों तथा कारवाइयों पर अपने हस्ताक्षर भर करके अनुमोदन दे देते हैं। अनेक मामलों में हमने पाया कि सम्पर्क अधिकारी अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों से परिचित तक नहीं थे। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसे अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हितों के सुरक्षण में प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा सके होंगे। इसलिये सम्पर्क अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है ताकि वे आरक्षण प्रादेशों को प्रभावशाली ढंग से लागू होते देख सकें। इस पहलू पर विस्तारपूर्वक इसी अध्याय में अन्यत्र विचार किया गया है।

विशेष प्रकोष्ठ

3.49 प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक प्रकोष्ठ (सैल) है, जो सम्पर्क अधिकारी को अपने कर्तव्य-पालन में सहायता करता है। इन विशेष प्रकोष्ठों का स्टाफ प्रायः अशकालिक आधार पर काम करता है क्योंकि उसे दूसरे मामलों को भी निपटाना होता है। यह भी अनुभव किया जाता है कि इन विशेष प्रकोष्ठों का स्टाफ अनिवार्यता अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध नहीं होता, अतः उसकी इस मामले में बहुत कम रुचि होती है क्योंकि उनमें से अनेक कर्मचारियों का ख्याल है कि उनका हित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों के आगे बाधित होता है। अतः यह अनुभव किया जाता है कि विशेष प्रकोष्ठों में केवल ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी भर्ती किये जाने चाहिए, जो या तो इनमें से एक समुदाय से सम्बद्ध हों या फिर सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के प्रति विशेष अभिमुखता हो। जिस सम्पर्क अधिकारी को वह सहायता देने के निमित्त भर्ती किये जाते हैं, वह स्वयं इन्हें तब आवश्यक सुरक्षण दे जब वे आरक्षण प्रादेशों के लागू किये जाने की अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करा रहे हों और इस क्रिया से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आघात पहुंचा रहे हों।

3.50. इन विशेष प्रकोष्ठों में स्टाफ को भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए ताकि उसमें निरीक्षण स्टाफ भी शामिल किया जा सके। ये लोग समय-समय पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा पुष्टि के समय आरक्षित रिक्तियों से भरे जाने से सम्बन्धित रीस्टर्स तथा अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण स्टाफ को अधिकार होना चाहिए कि वह नियुक्ति और पदोन्नति के बारे में फाइलें तथा चयन मंडल अथवा विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवृत्त को देख सके। इससे वह जांच

कर सकें कि आरक्षण के बारे में दिये गये प्रादेशों का ठीक मतलब निकाला गया है और उनका समुचित विधि से पालन किया गया है।

3.51 समस्त मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ब्यूरो को भी मलाहू दी जानी चाहिए कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सम्पर्क अधिकारियों को नियुक्ति तथा विशेष प्रकोष्ठों के निर्माण के लिए जारी अनुदेश उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर आधारित हों तथा उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधानिक निकायों तथा अर्ध-सरकारी निकायों के लिए भी लागू हों जहां आरक्षण प्रादेशों का पालन किया जाता है। जिस मंत्रालय/विभाग से ये सार्वजनिक उपक्रम/सांविधानिक निकाय सम्बद्ध हैं, वे ध्यान रखें कि ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधानिक निकायों में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त हों तथा उनकी सहायता के लिए विशेष प्रकोष्ठ शुरू किये जायें। मंत्रालय/विभाग का सम्पर्क अधिकारी अपने अधीन संगठनों के कार्य का संचारक्षण करे ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षण प्रभावशाली ढंग से लागू हो सके।

3.52 इसी प्रकार सम्पर्क अधिकारी स्वयं निकायों/संस्थानों जिसमें नगर निगम, सहकारी संस्थान, विश्वविद्यालय आदि भी शामिल हैं, में भी नियुक्त किये जाने चाहिए और विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की जानी चाहिए।

3.53 सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाली स्वीच्छिक एजेंसियों को भी चाहिए कि वे सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करें और सेवा सुरक्षणों को लागू करवाने के लिए विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना करें।

(ग) सामान्य पूल आवासों का आवागमन

3.54 भारत सरकार द्वारा जारी प्रादेशों के अनुसार वर्तमान में सामान्य पूल आवासों के टाइप I और II में 10 प्रतिशत स्पष्ट रिक्तियों और टाइप III और IV में 5 प्रतिशत स्पष्ट रिक्तियों के लिए आरक्षण है। भारत सरकार के समुदाय निदेशालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों में उनकी सेवा-अर्थात् के आधार पर इनका आवंटन किया जाता है। यह बात केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के विरुद्ध पड़ती है।

3.55 यह एक सामान्य अनुभव है कि कमजोर वर्गों के लोग विशेषकर अनुसूचित जातियों के लोगों को सामान्य समुदायों की प्रधानता वाली बस्तियों में अनुकूल आवास खोजने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रायः टोल तक उनके लिए आवास खोजने में सहायक सिद्ध नहीं हो पाते और जब वे आवास खोज भी लेते हैं तो अनुसूचित जातियों के कुछ सदस्यों को तब कष्टकर स्थिति का सामना करना पड़ता है जब मकान-मालिक को उनके बारे में असली जाति का पता चल जाता है। इस प्रकार दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास इत्यादि स्थानों तक में, जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास देने की व्यवस्था है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बजारों का-सा जीवन व्यतीत करना पड़ता है क्योंकि मकान-मालिक को सनको के कारण उन्हें जल्दी-जल्दी आवास बदलना पड़ता है। मकान-मालिक या अन्य किरायेदार भी इन समुदायों की जाति जान लेने के बाद उन्हें अपने साथ रहना सहन नहीं कर पाते।

3.56 इससे अलावा, दूर-दराज के गांवों तथा पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी शहरों में आने से हिचकते हैं क्योंकि उन्हें वहां काफी संख्या में नौकरियों के अवसर उपलब्ध होते हैं। उनके प्रपण क्षेत्र से बाहर न आने का एक प्रमुख कारण यह तथ्य है कि तब उन्हें दूसरे समुदायों के साथ रहना पड़ेगा जिनके रीति-रिवाज तथा परम्पराएं उनकी अपनी परम्पराओं से बहुत भिन्न होती

है। इसलिए वे किराये के आवास ढूँढ देने के बाद भी दूसरे समुदायों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। अनुसूचित जनजातियों को यदि यह प्रोत्साहन प्राप्त हो कि ऐसे नगरों में नौकरी पा लेने के बाद उनमें आवास आबंटित किये जायेंगे, तब वे दूर-दराज के क्षेत्रों को छोड़कर नगरों की सेवाओं में आरक्षण लाभों को पाने के लिए आ जायेंगे। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आवास का कोटा आरक्षित करने का निर्णय किया था। यद्यपि सरकार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, फिर भी यह अनुभव किया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए सामान्य पुल आवास के आबंटन का जो कोटा निर्धारित किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि सामान्य पुल आवास के आबंटन में जो सेवाओं में आरक्षण के समान अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। यदि इन लक्ष्यों को पर्याप्त आवास-सुविधाएँ उपलब्ध होंगी तो इससे दुहरा लाभ होगा। एक तो सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और दूसरे, शेष जन संख्या के साथ इन लक्ष्यों का आत्मोत्थरण हो जाएगा। यह छठ टाइप V से टाइप VIII संवर्गों के हकदार कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए, न कि टाइप I से टाइप IV तक ही सीमित रह जाये।

आरक्षण कोटा में संलग्न कामिकों का प्रशिक्षण

3.57 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजात के लोगों के सेवा हितों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सम्पर्क अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के महत्व तथा सार्थकता और ऐसे पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) का आरम्भ करने की बात पर हम पहले ही अर्चा कर चुके हैं कि इन समुदायों के लिए विभिन्न सेवा सुरक्षाओं के कार्यान्वयन में ये कतन अधिक प्रभावशाली सिद्ध होंगे।

3.58 हमारी पिछली रिपोर्ट में (पैरा 3.35 से 3.37), अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जारी आरक्षण आदेशों तथा अन्य छूटों के कार्यान्वयन में संलग्न अधिकारियों/स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने के महत्व तथा अत्यावश्यकता पर बल दिया जा चुका है। हमने उल्लेख किया था कि हमारे निरंतर अनुरोध करते रहने के बाद सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा मनोनीत सम्पर्क अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एक चार दिवसीय मूल्यांकन पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय किया था। हमने इस प्रस्तावित कार्यक्रम का स्वागत किया था लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया था कि दो अलग-अलग पाठ्यक्रम होने चाहिए : (1) आरक्षण नियमों के कार्यान्वयन के काम में लगे सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों के लिए; और (2) अवर सचिवों और उप सचिवों/सम्पर्क अधिकारियों के लिए जो वर्तमान नियमों/आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के काम में संलग्न हैं।

3.59 कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय, ने नवम्बर, 1977 में हमसे प्रार्थना की थी कि हम सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम के बारे में टिप्पणी करें। यह पाठ्यक्रम चार भागों में बांटा गया था और इसमें मोटेतौर पर ये विषय लिये गये थे : (1) पृष्ठभूमि सूचना, संवैधानिक उपबंध, आयुक्त की सिफारिशें, आरक्षण कोटा, छूटों की प्रकृतियाँ इत्यादि ; (2) रोस्टर्स का अनुरक्षण, रिक्तियों को अग्रणीत करना ; (3) पदों का वर्गीकरण, आरक्षित पदों का अनारक्षण, अग्रणीत रिक्तियों का संयोजन ; और (4) आरक्षण के कार्यान्वयन की निश्चयता के बारे में सोचे गये अनेक उपाय।

3.60 पाठ्यक्रम के विवरण पर टिप्पणी करते हुए हमने इस बात पर बल दिया कि पहले सत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सेवा विषयों पर उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के सदर्भ भी दिये जायें। आवेदन-पत्र भेजने के उपबंध तथा छूटनी अनुदेश भी पाठ्यक्रम में शामिल किये जायें। दूसरे सत्र के लिए यह सुझाव दिया गया कि विभागीय पदाभित्ति समिति/चयन बोर्डों की भूमिका, विशेष छूटों के आधार पर चुने जाने वाले उम्मीदवारों का प्रशिक्षण देने की सार्थकता और प्रथम श्रेणी अधिकारियों को उच्च पदों तथा दायित्वों के लिए प्रशिक्षण देने की बात को भी शामिल किया जाये। अतः इस बात पर बल दिया गया कि प्रशिक्षुओं को आयुक्त के संगठन की ओर से प्राप्त होने वाले पत्र-व्यवहार का महत्व समझाया जाये और वे ऐसे समस्त पत्र-व्यवहार के उत्तर में आवश्यक सूचना, टिप्पणी इत्यादि भेजने में प्राथमिकता दें। सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान ने सभी सुझावों के लिए अपनी स्वीकृति प्रकट की और अप्रैल 1978 में उन्होंने हमें जो पत्र भेजा था, उसमें संशोधित पाठ्यविवरण की सूचना दी थी। हमने इसके अलावा कुछ अतिरिक्त सुझाव भी भेजे थे। फिर भी अन्तिम पत्र-व्यवहार से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्पर्क अधिकारियों, उपसचिव, अवर सचिवों, मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक प्रभारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हाल ही में शुरू की गई है। यह आशा की जाती है कि इसी तरह के काम करने वाले सहायकों/अधिकारियों के लिए भी शीघ्र प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा ताकि यह प्रणाली अर्थगर्भित तथा प्रभावी सिद्ध हो सके।

प्रशिक्षण और रोजगार

3.61 देश के विभिन्न भागों में स्थित अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन के अनुसंधान दलों ने अपने अध्ययनों के दौरान पाया कि भर्ती प्राधिकारियों ने अपने यहाँ के विविध तकनीकी पदों पर प्रशिक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए अनेक तरह के उपाय किये हैं। ऐसा इसलिए किया गया कि इन समुदायों के लिए आरक्षित कोटे को भरा जा सके। अतीत में सरकार द्वारा प्रयास किये गये थे और अभी भी ये विभिन्न चरणों में जारी है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त संख्या में अनेक तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/स्कीमों में प्रवेश दिया जाये ताकि उन्हें आरक्षित रिक्तियों में नियुक्त होने के लिए सक्षम बनाया जा सके। इस दिशा में उठाये गये कदमों पर आगामी पैराग्राफों में विचार किया गया है। इसके बावजूद यह देखा गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ऐसे पद सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरे जा रहे थे और पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कामिकों के लिए भर्ती प्राधिकारियों को कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अतः समय-शमराल को भरने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की व्यवस्था में जो आरक्षित रिक्तियाँ इन समुदायों द्वारा भरी जानी थीं, तब ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती छोटे पदों पर की जा सकती है जिसके ये पात्र हैं। समय बीतने पर आवश्यक व्यावसायिक योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद तब इनकी ऐसे पदों के लिए पदोन्नति की जा सकती है।

(क) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र*

3.62 जैसा कि पिछली रिपोर्टों में उल्लेख किया जा चुका है, छह परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, मद्रास, पटियाला और शिलांग में अब भी कार्यशील हैं। यहाँ अखिल भारतीय सेवाओं और एलाइड सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे दो केन्द्रों में, इलाहाबाद और

*इलाहाबाद, जयपुर, मद्रास, पटियाला और शिलांग।

तिरुचिरापल्ली में एक-एक, इंजीनियरिंग सेवाओं की परीक्षाओं के लिए भी परीक्षा-पूर्व कोचिंग दी जा रही है। छह केन्द्रों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, वर्ष 1977 की परीक्षाओं में 129 अनुसूचित जातियों और 71 अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार बैठे थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आइ० ए० एस०/आइ० पी० एस० और एलाइड सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी परिशिष्ट-5 में दी गई है। जहां तक इंजीनियरी सेवाओं के केन्द्रों का सम्बन्ध है, तिरुचिरापल्ली केन्द्र में अनुसूचित जाति के 31 उम्मीदवारों ने परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण लिया था। 22 उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग की 1977 की इंजीनियरी सेवा परीक्षा में बैठे थे। इनमें से 12 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 8 उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए चुन लिए गए। इलाहाबाद केन्द्र से इसी परीक्षा के लिए 17 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार बैठे थे। इनमें से 8 ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति के कितने लोगों की इंजीनियरी सेवाओं के लिए संस्तुति की, यह सूचना हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई है हालांकि हमने तार द्वारा स्मरण-पत्र तक भेजे थे।

3.63 राज्य सिविल सेवाओं और राज्य-स्तर की अन्य सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा-पूर्व कोचिंग देने के लिए 16 परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र समीक्ष्य अर्थात् के दौरान भी कार्यरत थे। ऐसे केन्द्र हर निम्न राज्य/संघशासित क्षेत्र में एक-एक हैं—आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। कुछ राज्य-स्तर के केन्द्र भी ऐसे भी हैं, जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की व्यवस्था है, और इन केन्द्रों में संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित क्लर्क ग्रेड परीक्षा और राष्ट्रीयकृत तथा सार्व-जनिक क्षेत्र के बैंकों के अधीन बैंकिंग सेवाओं की परीक्षाओं को तैयारी करवाई जाती है। समीक्ष्य वर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण पाने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में सांख्यिकी सूचना केवल छह केन्द्रों से प्राप्त हो सकी—इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, कटक, दिल्ली और एर्नाकुलम। निम्न सारिणी में यह सूचना दी गई है। यह बड़े खेद की बात है कि हमारे द्वारा तार द्वारा स्मरण-पत्र भेजे जाने के बावजूद राज्य सरकारों ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी।

| केन्द्र का स्थान | प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या | | परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या | | अंतिम रूप से निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या | |
|------------------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | अनु-सूचित जातियां | अनु-सूचित जनजातियां | अनु-सूचित जातियां | अनु-सूचित जनजातियां | अनु-सूचित जातियां | अनु-सूचित जनजातियां |
| इलाहाबाद | 48 | 1 | 37 | .. | लागू नहीं | लागू नहीं |
| बंगलौर | 111 | 1 | 62 | 1 | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कटक | 14 | 2 | पाठ्यक्रम जारी है और कोई परीक्षा नहीं हुई। | | | |
| दिल्ली* | 231 | .. | 81 | .. | 23 | .. |
| एर्नाकुलम | 33 | .. | 33 | .. | 14 | .. |
| भोपाल | 26 | 18 | 22 | 17 | लागू नहीं | लागू नहीं |

*यह सूचना कुल 10 पाठ्यक्रमों में से केवल 6 पाठ्यक्रमों के बारे में है।

†जबलपुर केन्द्र के आंकड़े अंतिम हैं।

(ख) कर्मचारी चयन आयोग

3.64 कर्मचारी चयन आयोग ने 1-7-1976 से काम करना शुरू किया था और यह समस्त देश में फैले सरकारी कार्यालयों में श्रेणी-3 के गैर-तकनीकी पदों का भरने के लिए अनेक मुक्त तथा सीमित विभागीय परीक्षाओं को आयोजित करता है। परिशिष्ट-6 में इसके द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं का विश्लेषणात्मक विवरण दिया गया है। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की संख्या भी दी गई है कि वर्ष 1977 में कितने उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन दिया, कितने परीक्षाओं में बैठे और कितने सफल घोषित किये गये।

3.65 स्टेनोग्राफर (सामान्य ग्रेड) परीक्षा से, जो 1977 में आयोजित की गई थी, बड़ा निराशाजनक चित्र देखने को मिलता है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का निष्पादन असंतोषजनक तो था ही, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का निष्पादन दारुण था। अनुसूचित जाति के 190 आवेदनकर्ताओं में से केवल 4 सफल रहे। अनुसूचित जनजाति के मामले में कुल 22 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 14 परीक्षा में बैठे और केवल 2 उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। इन दो उम्मीदवारों में से भी केवल एक ने शार्टहैंड टेस्ट दिया लेकिन उत्तीर्ण नहीं हुआ। अन्य अनेक परीक्षाओं में भी स्थिति अधिक संतोषजनक न थी—विशेषतः अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में। इसके यह संकेत मिलता है कि अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं थे ताकि उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरा जा सके। इस बात का उल्लेख करना अनावश्यक है कि जब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की समुचित विधि से प्रशिक्षित तथा तैयार नहीं किया जाता, तब तक वे मुक्त परीक्षा में प्रभावी ढंग से सकाबला नहीं कर सकते। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण स्कौम का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर कार्यचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी होना चाहिए ताकि इन समुदायों के उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिल सकें।

(ग) प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शक केन्द्र

3.66 चार प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शक केन्द्रों ने, दिल्ली, जबलपुर, कानपुर और भद्रास प्रत्येक में एक, समीक्ष्य वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देने का प्रयास जारी रखा जिन्होंने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड करवाये थे। इन कार्यालयों ने अधिसूचित रिक्तियों के लिए नियोजकों को इन उम्मीदवारों के नाम भेजे थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को नौकरी की शर्तों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और उन्हें नियोजकों द्वारा बुलाये जाने पर संभावित टेस्ट/इंटरव्यू के स्वरूप के बारे में बताया जाता है। ये केन्द्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए नियोजकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी करते रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इन चार केन्द्रों में स्थापना से लेकर दिसम्बर 1977 तक जो मार्गदर्शन दिया गया, उस की सूचना नीचे की सारिणी में दी गई है :—

| व्योरा | जबलपुर | दिल्ली | भद्रास | कानपुर |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1. रजिस्ट्रेशन/सामूहिक मार्गदर्शन | 10590 | 83087 | 16410 | 19947 |
| 2. आवेदन-पूर्व मार्गदर्शन | 11959 | 10514 | 12396 | 12596 |

| ब्योरा | *जबलपुर | दिल्ली | मद्रास | कानपुर |
|---|---------|--------|--------|--------|
| 3. व्यक्तिगत सूचना और मार्गदर्शन | 8245 | 12170 | 16156 | 18188 |
| 4. माता-पिता को मशविरा | 124 | 480 | 238 | 98 |
| 5. स्थानन | 744 | 2412 | 2725 | 1213 |
| 6. शिक्षार्थी की संख्या, जिन्होंने विश्वास पैदा करने वाले प्रशिक्षण में हिस्सा लिया | 6341 | 6709 | 3502 | 3179 |

3. 67 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि यह स्कीम उपयोगी सिद्ध हुई है और यह सिफारिश की गई थी कि सभी राज्यों की राजधानियों और सांख्यिक क्षेत्र के निकायों, निजी उद्योगों तथा बैंकिंग सेवाओं में रोजगार के पर्याप्त अवसर वाले अन्य केन्द्रों में लागू करने के लिए इस योजना का क्षेत्र बढ़ाया जाये। श्रम मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार छह और मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र शीघ्र ही गठित करने का निर्णय लिया गया है। कलकत्ता, सूरत, जयपुर, हैदराबाद, त्रिबेन्द्रम और रांची में एक-एक नया केन्द्र होगा। यह आशा की जाती है कि सरकार शेष महत्वपूर्ण नगरों में भी ऐसे केन्द्र खोलने की वाछनीयता पर ध्यान देगी।

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आबेदकों के प्रशिक्षण की प्रायोगिक योजना

3. 68 योजना आयोग की प्रेरणा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आबेदकों के प्रशिक्षण के लिए प्रायोगिक योजना का प्रथम चरण सितंबर 1973 में शुरु हुआ था ताकि वे निम्न श्रेणी लिपिकों, टाइपिस्टों, स्टेनोग्राफरों के पदों के लिए होने वाली विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं में चुने जा सकें। इस योजना का उद्देश्य इनकी रोजगार-क्षमता को बढ़ाना था। यह योजना "पांच लाख नौकरियों के कार्यक्रम" का अंग थी। इस योजना के अधीन दरभंगा (दिल्ली) और गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के रोजगार कार्यालयों से 1100 आबेदकों का चुनाव किया गया था और 15 शैक्षणिक संस्थाओं (14 दिल्ली और एक गाजियाबाद का) में इन्हें छह महीने तक प्रशिक्षण दिया गया था। इस उद्देश्य के लिए योजना आयोग ने 4.95 लाख रुपये की धन-राशि का प्रावधान किया था।

3. 69 प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण नवम्बर 1974 में शुरू किया गया था और 500 आबेदकों को 11 शैक्षणिक संस्थाओं (10 दिल्ली और एक गाजियाबाद को) में प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण को अर्ध-समय से बढ़ाकर नौ महीने को कर दी गई थी और इस योजना पर होने वाले खर्च के लिए 5.9 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। योजना का तीसरा चरण 1 अगस्त 1976 को 11 शैक्षणिक संस्थाओं में शुरू किया था। इनमें से 16 संस्थाएँ दिल्ली और एक संस्था गाजियाबाद में थी। इन संस्थाओं में 500 आबेदकों को स्थान दिया गया। तीसरे चरण के पूरा हो जाने पर गृह मंत्रालय ने योजना को जारी रखने के लिए 5.73 लाख रुपये का प्रावधान किया और जनवरी 1978 में यह योजना शुरू हो गई। कार्यक्रम में स्टेनोग्राफी (180 सीटें) और लिपिकीय कोर्स (320 सीटें) शामिल हैं। प्रशिक्षण की अवधि लिपिक प्रेड के लिए 9 महीने और स्टेनोग्राफी के लिए 11 महीने की है।

3. 70 देश के अन्य भागों में इस योजना का विस्तार करने के लिए श्रम मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को लिखा है।

(ङ) दस्तकार प्रशिक्षण योजना

3. 71 विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अधीन 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में भर्ती होने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण सम्बन्धित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा चुका है। इन संस्थानों/केन्द्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थी बढ़ी हुई दरों पर वजीफा प्राप्त करते हैं। इजीनियरिंग तथा गैर-इजीनियरिंग व्यवसायों में कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या और इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में 31-12-1977 तक की सूचना निम्न सारिणी में दी गई है :-

पंजी में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

| व्यवसाय | कुल संख्या | अनुसूचित | अनुसूचित |
|------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित | जातियाँ | जनजातियाँ |
| इजीनियरिंग व्यवसाय | 143616 | 17801 (12.4 प्रतिशत) | 4486 (3.1 प्रतिशत) |
| गैर-इजीनियरिंग व्यवसाय | 12402 | 1625 (13.1 प्रतिशत) | 287 (2.3 प्रतिशत) |
| जोड़ | 156018 | 19426 (12.3 प्रतिशत) | 4773 (3.1 प्रतिशत) |

31-12-1977 तक का इजीनियरिंग और गैर-इजीनियरिंग व्यवसायों में दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों का राज्यवार ब्योरा ; व्यवसाय-वार सीटों की संख्या, प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या, और कुल प्रशिक्षणार्थियों में इनके प्रतिशत आदि की सूचना परिशिष्ट-7 में दी गई है।

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण

3.72 शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, शिक्षु अधिनियम के अधीन विनियमित की गई है। इसके अंतर्गत रोजगार और प्रशिक्षण महा-निदेशालय ने लगभग सभी व्यवसायों, जो रेलवे, भारतीय वायु सेना आयुध फैक्ट्रियों, नागरिक विमानन और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अधीन हैं, सवेतन शिक्षुता प्रशिक्षण पद्धति का आयोजन किया है। इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में समुचित आरक्षण का उपबंध भी है। 1-1-1978 को सारे देश में शिक्षुता प्रशिक्षण लेने वाले कुल 1,54,576 शिक्षुओं में से 16,653 अनुसूचित जाति और 4,059 अनुसूचित जनजाति के शिक्षु थे। जहाँ तक इजीनियरिंग स्नातकों और तकनीकी शिक्षुओं का सम्बन्ध है, 1-1-1978 तक सारे देश में प्रशिक्षण पाने वाले कुल 13,217 शिक्षुओं में से 158 अनुसूचित जातियों और 37 अनुसूचित जनजातियों

* जबलपुर केन्द्र के आंकड़े अनंतिम हैं।

के शिक्षक थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राज्य/निजी प्रतिष्ठानों तथा केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में प्रतिनिधित्व और कुल संख्या में उनके प्रतिशत के आंकड़े निम्न सारणी में देखे जा सकते हैं :-

| श्रेणी | प्रशिक्षण लेने वाले कुल शिक्षकों की संख्या | शिक्षकों की संख्या | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------------|---------|---------|
| | | अनुसूचित जातियों की संख्या | अनुसूचित जनजातियों की संख्या | प्रतिशत | प्रतिशत |
| 1. व्यवसाय शिक्षा : | | | | | |
| (1) राज्य/निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान | 104,490 | 8,831 | 8.45 | 1,763 | 1.68 |
| (2) केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठान | 50,086 | 7,822 | 15.51 | 2,296 | 4.58 |
| जोड़ | 154,576 | 16,653 | 10.77 | 4,059 | 2.62 |
| 2. इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा होल्डर राज्य/निजी प्रतिष्ठान | | | | | |
| | 13,217 | 158 | 1.19 | 37 | 0.28 |

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षकों की व्यस्तता का 31-12-1977 (1-1-1978) तक का राज्यवार ब्यौरा, व्यवसाय शिक्षकों तथा स्नातक/डिप्लोमा होल्डर दोनों के संदर्भ में, परिशिष्ट-8 में देखा जा सकता है। उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य/निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिनिधित्व शिक्षकों की दोनों श्रेणियों में बहुत कम है। इसलिए यह जोरदार सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकारें इस दिशा में विशेष प्रयास करें कि शिक्षता योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी सीटें केवल इन समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरी जायें। इस बात को भी सुनिश्चित किया जाये कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में शिक्षुता अवधि पूरी कर लेने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षु उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किये जाते हैं।

(घ) रोजगार कार्यालय

3.73 रजिस्ट्रेशनों की संख्या और प्रभावी स्थान, आरक्षित रिक्तियों की अधिसूचना और नियुक्तियों की संख्या, विभिन्न राज्यों के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रो में वर्ष 1977 के अंत तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या, और इन समुदायों के व्यावसायिक समूहों तथा शैक्षणिक स्तर की सांख्यिकी सूचना परिशिष्ट-9 में देखी जा सकती है। रोजगार कार्यालयों द्वारा वर्ष 1977 में किये गये काम का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

| | अनुसूचित जातियां | अनुसूचित जनजातियां |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| (1) किये गये रजिस्ट्रेशनों की संख्या | 637,372 | 161,082 |
| (2) की गई नियुक्तियों की संख्या | 68,973 | 26,258 |
| (3) किये गये रजिस्ट्रेशन की प्रतिशतता | 10.82 | 16.30 |

| | अनुसूचित जातियां | अनुसूचित जनजातियां |
|---|------------------|--------------------|
| (4) अधिसूचित आरक्षित रिक्तियों की संख्या | 57,969 | 27,467 |
| (5) भरी गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या | 31,961 | 9,087 |
| (6) भरी गई आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत* | 55.15 | 33.08 |
| (7) वर्ष के अंत में चालू रजिस्टर में संख्या | 12,81,881 | 2,87,504 |

3.74 उपरोक्त सारणी में दी गई सूचना से देखा जा सकता है कि वर्ष 1977 के अंत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रो में बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक अपनी बारी की प्रतीक्षा में थे, इस तथ्य के बावजूद केवल 55.15 प्रतिशत आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जातियों और 33.08 प्रतिशत आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरी गईं। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की नियुक्ति का प्रतिशत (10.82 अनुसूचित जातियों और 16.30 अनुसूचित जनजातियों के लिए) वर्ष के अंत में रोजगार कार्यालयों में किये गये कुल रजिस्ट्रेशन की तुलना में बहुत कम था। 1976 की स्थिति से जब इसकी तुलना करते हैं तो स्थिति और भी खराब हुई है (तब का प्रतिशत 11.01 अनुसूचित जातियों के लिए और 16.85 अनुसूचित जनजातियों के लिए था)।

3.75 रोजगार कार्यालयों की कार्य-विधि की समीक्षा करने और समस्या के विविध पहलुओं का व्यापक परीक्षण करने के लिए भारत सरकार ने कार्य 1978 में एक समिति गठित करने का निर्णय किया, जो स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त सुझाव देगी। समिति के विचार-संग्रह में यह भी शामिल है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ समाज के अन्य सुविधा वंशित तथा अपंग व्यक्तियों को भी नौकरी दिलवाने के लिए उठाये गये विशेष कदमों की परीक्षा और सिफारिश करेगी। यह अनुभव किया जाता है कि समिति इस बात की भी परीक्षा करे कि आरक्षित रिक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता की कमी के कारण क्या है, जबकि बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति नामांकन के लिए उपलब्ध हैं। इसके लिए वह निदानात्मक उपायों की सिफारिश करे। परिशिष्ट-9 के विवरण-3 और विवरण-4 में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रो पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि अनेक संगठनों ने हमें लिखा है कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पक्ष उम्मीदवारों की सूचना देने में हम उनकी मदद करें। अतः रोजगार कार्यालयों की चिन्तपूर्वक तथा गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है कि वे नियोजकों द्वारा प्राप्त मांगों और उनके चालू रजिस्ट्रो में उपलब्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के बीच सम्यक तालमेल बिठावें।

3.76 विविध राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के रोजगार अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बहुत संख्या वाले क्षेत्रों का दौरा करते हैं। उनका उद्देश्य यह होता है कि नौकरी के इच्छुक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नाम रजिस्टर किये जायें और उनके लिए उपलब्ध खाली स्थानों के लिए उन्हें

रोजगार दिलवाने में मदद कर सकें। इन दौरों के दौरान वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इस उद्देश्य से 1977 में रोजगार अधिकारियों के दौरों का विस्तृत विवरण बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पांडिचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त हो चुका है। सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली संघ शासित क्षेत्रों में रोजगार कार्यालय नहीं हैं। अद्यतन और निकोबार द्वीपसमूहों ने सूचना दी है कि परिवहन समस्या के कारण वहां दौरा नहीं लगा। आसाम ने सूचना दी है कि रोजगार अधिकारियों को दौरा करने तथा उसका विवरण देने के लिए कहा गया था लेकिन दौरों की संख्या इत्यादि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के बारे में सूचना मिली है कि वहां दूर-दराज के ऐसे विशेष क्षेत्र नहीं हैं, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की बहुत जनसंख्या हो। लेकिन इस उद्देश्य के लिए पहले से ही समुचित व्यवस्था है। महाराष्ट्र से सूचना मिली है कि रोजगार अधिकारियों के दौरों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ। राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन के लिए चलते-फिरते कैंपों के दौरों का राज्यवार ब्योरा निम्न सारणी में दिया गया है :—

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | कुल दौरों की संख्या | रोजगार पान के इच्छुक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या | |
|--------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
| 1. बिहार | 17 | 85 | 180 |
| 2. चंडीगढ़ | 24 | 54 | .. |
| 3. गुजरात | 46 | 425 | 717 |
| 4. हिमाचल प्रदेश | 17 | 68 | 232 |
| 5. कर्नाटक | 95 | 490 | 1 |
| 6. केरल | 20 | 183 | 156 |
| 7. लक्षद्वीप | लागू नहीं | लागू नहीं | 139 |
| 8. मध्य प्रदेश | 136 | 418 | 1,740 |
| 9. मणिपुर | 3 | .. | 44 |
| 10. मेघालय | 5 | .. | 71 |
| 11. उड़ीसा | 163 | 217 | 977 |
| 12. पांडिचेरी | 6 | 11 | .. |
| 13. तमिलनाडु | 23 | 24 | 214 |
| 14. त्रिपुरा | 16 | 5 | 11 |
| 15. उत्तर प्रदेश | 76 | 2,002 | .. |

उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है कि रोजगार अधिकारियों के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दौरों के बाद इन समुदायों के रजिस्ट्रेशन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी, कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन की संख्या अधिक नहीं थी। दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह योजना उपयोगी सिद्ध हुई है, इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देने के लिए जब रोजगार अधिकारों दौरे करते हैं तो कैंपों

की व्यवस्था करके इसका कार्य-क्षेत्र बढ़ाना चाहिए और इसका आघार प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्रों की कार्यपद्धति होना चाहिए। दौरों से पहले स्थानीय प्रशासन तथा अन्य संस्थानों, जैसे कि स्कूल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघों इत्यादि, के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए ताकि ये समुदाय ऐसी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें।

आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण

3.77 वर्ष 1975 में विभिन्न संघों के पदों की रिक्तियों के अनारक्षण की संख्या के बारे में परिशिष्ट-10 (विवरण-I और II) में सूचना दी गई है। इस रिपोर्ट में 1976 और 1977 के वर्षों की सूचना शामिल नहीं की जा सकी है क्योंकि हमारे द्वारा कई बार स्मरण-पत्र भेजे जाने पर भी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने तत्सम्बन्धी सूचना नहीं भेजी थी।

3.78 विवरण-I से देखा जा सकता है कि कुल 9,965 रिक्तियों को अनारक्षित करने का प्रस्ताव था। इनमें से 6,554 (66 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों और 3,411 (34 प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई थीं। इस बात का उल्लेख भी किया जा सकता है कि जिन 9,965 रिक्तियों को अनारक्षित करने का प्रस्ताव था, उनमें से काफी बड़ी संख्या में यानी 8,425 (5,683 अनुसूचित जातियों और 2,742 अनुसूचित जनजातियों के लिए) श्रेणी III की थीं; 1,317 (773 अनुसूचित जातियों और 544 अनुसूचित जनजातियों के लिए) श्रेणी II की थीं; केवल 172 (93 अनुसूचित जातियों और 79 अनुसूचित जनजातियों के लिए) और 51 (5 अनुसूचित जातियों और 46 अनुसूचित जनजातियों के लिए) क्रमशः श्रेणी I और IV की थीं। श्रेणी I, II, III और IV के पदों की अनारक्षित रिक्तियों का प्रतिशत क्रमशः 1.72, 13.22, 84.55 और 0.51 बनता है। विवरण-II में देखा जा सकता है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग श्रेणी-I के 172 पदों में से 1 रिक्त स्थान, श्रेणी II के 1,317 पदों में से 73, श्रेणी-III के 8,425 पदों में से 85 रिक्त स्थानों के अनारक्षण के लिए सहमत नहीं हुआ।

3.79 आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण करने का एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं था, जो किसी भी संघ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवार न मिलने के तथ्य पर आधारित हो। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को विधिवत ढंग और छूटों के आधार पर परखने के सभी संभव उपाय किये गये थे। वर्ष 1975 के दौरान एक भी मामला ऐसा नहीं था कि किसी भी संघ के पद में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध तो हो लेकिन उस पद के योग्य न हो। यह एक आदर्श स्थिति लग सकती है लेकिन व्यवहार तथा अपने अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह स्थिति सत्य से कोसों दूर है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1974 में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के 276 ऐसे मामले थे, जहां वे नियुक्तियों के लिए योग्य करार नहीं पाये गये। इसमें से भी अधिसंख्य यानी 271 (17 अनुसूचित जातियों और 254 अनुसूचित जनजातियों के) श्रेणी III के पदों से सम्बन्धित थे। वर्ष 1975 की सूचना से जो एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि सम्बन्धित प्राधिकारियों ने इस प्रस्ताव को भेजते समय यह कहना अधिक सुविधाजनक समझा कि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न थे। उन्होंने यह नहीं लिखा कि उम्मीदवार योग्य नहीं पाये गये क्योंकि तब उनसे और पूछताछ की जाती और उन्हें संभवतः अर्हिकर स्थितियों का सामना करना पड़ता। इस पर भी हम ऐसे मामलों में अधिक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने के हर मामले की पूछताछ करना व्यावहारिक दृष्टि से

असंभव है और यह कि आरक्षित पदों के होते हुए भी उनका चयन न हो पाने के असली कारण क्या थे।

3.80 कुल 9,965 रिक्तियों में से 6,680 रिक्तियों के लिए (5,046 अनुसूचित जातियों और 1,634 अनुसूचित जनजातियों के लिए) कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई। इन रिक्तियों (6,680) में से अधिकतर का सम्बन्ध सीमा सड़क विकास मंडल से था। कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए हुए एक नोट के अनुसार, यह पाया गया कि सीमा सड़क विकास मंडल से इनका सम्बन्ध 1967 से 1971 के बीच की अवधि तक रहा। यह पुनः स्मरण कराना होगा कि वर्ष 1970-71 की रिपोर्ट में (पैरा 3.53) में हमने सीमा सड़क विकास मंडल के आरक्षण के कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर सहमति प्रगट नहीं की थी और गृह मंत्रालय तथा सीमा सड़क विकास मंडल को सलाह दी गई थी कि वे तीन और वर्षों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों को प्राप्त करने के अपने प्रयास जारी रखें। रिपोर्ट में उल्लिखित बातों के बावजूद, ये समझ में नहीं आया कि सीमा सड़क विकास मंडल ने आरक्षित पदों को कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्वस्वीकृति प्राप्त किए बिना, कैसे सामान्य उम्मीदवारों से भरना जारी रखा। जहाजदारों और परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है कि वह सीमा सड़क विकास मंडल को स्थिति स्पष्ट कर दे कि आरक्षित रिक्तियों की इतनी बड़ी संख्या वाले ऐसे प्रस्तावों का अर्थ है कि निर्धारित कार्य-विधि का पालन नहीं किया गया है और कार्योत्तर स्वीकृति सिर्फ उन अपवाद-स्वरूप मामलों में ही प्राप्त की जा सकती है, जहां अत्यावश्यक काम पड़ जाने के कारण कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व-स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना इन पदों को भरना पड़ जाए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के सेवा संघों की मान्यता

3.81 विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राज्य सरकार के विभागों आदि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के भंगठन के अधिकारियों द्वारा दौरा करने के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य कर्मचारियों में यह भावना उत्तरोत्तर जोर पकड़ती महसूस की गई कि सेवा सुरक्षण उनके हितों के प्रतिकूल पड़ते हैं। अधिकतर कर्मचारी संघों ने सेवाओं में, सीधी भरती में तथा पदोन्नति के समय भी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण शुरू किए जाने का विरोध इन कमीलों के आधार पर किया था : (1) आरक्षणों का कर्मचारी यूनियनों और नियोक्ता के बीच हुए समझौतों पर विपरीत अक्षर पड़ेगा, (2) सामान्य कर्मचारियों का आत्मचल गिरेबा जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई घनिष्ठ कर्मचारी अधिक्रमण करता है या उनसे कम आय का ऐसा कर्मचारी उनका पर्यवेक्षण करता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों का सामान्य संघ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों को समर्थन नहीं देगा, चाहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी खुद ही उसे ऐसा करने के लिए कहें। यह शायद स्वाभाविक ही है कि सामान्य संघ, जो सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के प्रबन्ध में है और उनके द्वारा चलाया जा रहा है, से आशा नहीं की जा सकती कि वह कर्मचारियों के उस भाग के लिए जो अल्पसंख्यक है और कभी-कभी कुल कर्मचारियों की संख्या के 10 प्रतिशत से भी कम होता है, प्रभावशाली ढंग से काम करे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सेवा संघों को मान्यता देने का माहला उठाया ताकि वे अपनी शिकायतों विशेषकर आरक्षित कोटे में निर्धारित नियुक्तियों/पदोन्नतियों और आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन न होने से सम्बन्धित अपनी शिकायतों को समुचित स्तर पर प्रकाश में ला सकें।

3.82 वर्ष 1973-74 की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट में इस समस्या पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था और यह निष्कर्ष निकाला था कि सरकार के जाति, जनजाति या धर्म पर आधारित सेवा संघों को मान्यता न देने के निर्णय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवा संघों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में किसी विशेष जाति, जनजाति या धर्म पर आधारित नहीं है। यह सिफारिश की गई थी कि सरकार को ऐसे संघों आदि के मान्यता दिए जाने के दावे पर गुणावगुण के आधार पर विचार करना चाहिए जैसाकि हमारे संघों के मामले में इस तथ्य के बावजूद किया जाता है कि एक ही संस्था में एक या एक से अधिक संघों की सेवा-उद्देश्यों के लिए पहले से ही मान्यता दी जा चुकी होती है। गृह मंत्रालय को यह मामला अनेक बार पुनर्विचार के लिए सौंपा जा चुका है, लेकिन कोई रचनात्मक उपलब्धि नहीं हो सकी है।

3.83 यह भी पाया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संस्थाएं और संघ, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा आरक्षित पदों के विज्ञापनों/रिक्ति परिपत्रों की प्रतियां बेचान किए जाने के उद्देश्य से मान्यता दी गई है, वांछित परिणाम देने में असफल रहे हैं और आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए उन्हें ढूँढ नहीं पाये हैं। अनेक मामलों में, यह भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की जानकारी में लाया गया कि ऐसे कुछ संघों को भेजे गए पत्र उन्हें बिना प्राप्त हुए वापिस आ गए। यह तथ्य गृह मामलों के मंत्रालय की जानकारी में भी लाया गया। यह वृद्धता से महसूस किया गया है कि नियोक्ताओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए यह वांछित होगा कि ऐसी संस्थाओं का स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की अखिल भारतीय संस्थाओं से से कुछ संस्थाएं ले लें ताकि इन मामलों में प्रभावशाली भूमिका निभाई जा सके। हर संस्था में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का एक संघ होना चाहिए जिसे 'आरक्षित कोटे' के अनुसूचित नियुक्तियों, रिक्ति परिपत्रों, शिकायतों को दूर करने आदि के सम्बन्ध में प्रबन्धक वर्ग से बातचीत करने का अधिकार प्राप्त हो।

लोक सेवा आयोग


(क) संघ लोक सेवा आयोग

3.84 रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान, संघ लोक सेवा आयोग के 9 सदस्यों में (अध्यक्ष सहित) से केवल एक सदस्य अनुसूचित जाति से सम्बन्धित था। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सदस्य को नियुक्ति जुलाई, 1974 में की गई थी।

(ख) राज्य लोक सेवा आयोग

3.85 हमें 14 राज्यों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोगों में अध्यक्ष महित कुल 61 सदस्य थे। दो राज्यों, गुजरात और कर्नाटक राज्यों के लोक सेवा आयोगों में अध्यक्ष अनुसूचित जाति से सम्बन्धित थे और * असम राज्य लोक सेवा आयोग तथा मेघालय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित था। शेष 57 सदस्यों में से, चार सदस्य (केरल, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रत्येक में एक) अनुसूचित जाति समुदायों से सम्बन्धित थे और पांच सदस्य (गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और उड़ीसा राज्यों में प्रत्येक में एक) अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित थे।

* 23 दिसम्बर, 1977 से त्यागपत्र दिया हुआ है।



3.86 हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोगों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों का कोई भी सदस्य/अध्यक्ष नहीं था। शेष राज्यों, विशेषकर वे राज्य जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पर्याप्त है जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, ने हमारे द्वारा बार-बार स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद समीक्ष्य अवधि के लिए आवश्यक सूचना नहीं भेजी। विभिन्न लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के बारे में नवीनतम जानकारी परिशिष्ट-11 में दी गई है।

3.87 यहाँ इस बात पर बल दिया जा सकता है कि हमारी सभी पिछली रिपोर्टों में हम राज्य सरकारों के इस दिशा में सहयोग के महत्व-पर जोर देते रहे हैं कि वे हमारी रिपोर्ट का निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन और विश्लेषण करें और हमारा यह अनुभव रहा है कि अधिकतर राज्य सरकारें हमें यह आवश्यक सहयोग/सहायता देने में असफल रही हैं। इसलिए यह बोहराया जाता है कि जब भी अल्पसंख्यक संगठन राज्य सरकारों को सूचना भेजने के लिए लिखे, राज्य सरकारों को निर्धारित समयवधि में आवश्यक सूचना भेजने पर बाध्य होना चाहिए।

(ग) रेल सेवा आयोग

3.88 वर्ष 1977 में इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, मुजफ्फरपुर और सिक्ंदराबाद में 6 रेल सेवा आयोग कार्य कर रहे थे। प्रत्येक आयोग में अध्यक्ष सहित 2 सदस्य थे। 20-9-1978 को रेल सेवा आयोग, बम्बई में सिर्फ एक अध्यक्ष था जो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित था और इलाहाबाद, मद्रास और सिक्ंदराबाद में प्रत्येक आयोग में एक-एक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सदस्य था। हाल में गोहाटी में एक और रेल सेवा आयोग शुरू किया गया है। लेकिन वहाँ अभी तक अध्यक्ष/सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई है। रिपोर्ट की समीक्ष्य अवधि में, अनुसूचित जनजाति समुदायों से किसी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई।

राज्यों/संघशासित प्रदेशों के अधिन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

3.89 अतीत में यह प्रयास किए गए हैं कि रिपोर्ट में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत आरक्षण और दी गई अन्य रियायतों/छूटों से सम्बन्धित जानकारी दें और इस बात का मूल्यांकन करें कि भारत सरकार के अधीन सेवाओं में इन समुदायों को किस सीमा तक इन्हें यह सुविधाएं दी गई हैं। इस तरह का पहला प्रयास वर्ष 1970-71 के लिए तैयार की गई बीसवीं रिपोर्ट में (पैरा 3.132 से 3.134 तक परिशिष्ट-XXIV सहित पढ़ें) किया गया था। बाद में वर्ष 1971-72 और 1972-73 की 21वीं रिपोर्ट में (पैरा 3.131 से 3.169 तक) और वर्ष 1973-74 को 22वीं रिपोर्ट में (पैरा 3.193 से 3.216 तक) इसका विस्तृत और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। बाद में, इस सम्बन्ध में जो परिवर्तन हमारी जानकारी में आए, उन्हें 23वीं रिपोर्ट (पैरा 3.89 से 3.103 तक) और 24वीं रिपोर्ट (पैरा 3.81 से 3.84 तक) में यथोचित स्थान दिया गया।

3.90 ऊपर कही गई पहली रिपोर्टों में प्रकाशित सामग्री से यह स्पष्ट है कि किसी एक वर्ष की एक अकेली रिपोर्ट में यह संभव नहीं हो सकता कि उसमें सभी राज्यों की अधोपार्त व्यापक जानकारी दी जा सके। राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित सांख्यिकी सूचनाएं किसी

भी एक विशेष वर्ष में सभी राज्य सरकारों से समय पर नहीं प्राप्त हुई हैं। इसलिए, किसी भी राज्य से वहाँ के किसी भी अंतिम वर्ष की सांख्यिकी सूचना हमें प्राप्त हुई है, रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है। जहाँ तक विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता और उन्हें दी गई विभिन्न छूटों तथा रियायतों के बारे में सामान्य सूचना का सवाल है, यहाँ भी वही समस्या थी; क्योंकि किसी भी एक विशेष समय पर आरक्षणों, छूटों आदि के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी कभी उपलब्ध नहीं हो पाई। और जहाँ कुछ सूचना उपलब्ध थी, तो वह विशिष्ट नहीं थी और इसके बारे में और स्पष्टीकरण आवश्यक था जिसके फलस्वरूप देर हो जाती। इसलिए सभी राज्य सरकारों को एक व्यापक प्रभावली इस विचार से भेजी गई कि प्रत्येक राज्य के नियम-निर्माता या नीति-निर्धारक प्राधिकारी प्रत्येक प्रश्न के मामले अपने राज्य की स्थिति—स्वयं द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों के आधार पर—को चिन्तित भर कर सकें। इस रिपोर्ट को लिखने के समय तक, इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी सिर्फ बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से ही प्राप्त हो सकी। इसलिए कुछ राज्य सरकारों की विवरणिकाओं/पुस्तिकाओं/संग्रहों में निहित उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों/निर्देशों से संगत सूचनाएं छांटने और इस सम्बन्ध में पिछली रिपोर्टों में संग्रहीत सूचनाओं से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के विशेष प्रयास किए गए। अब यह संभव हो गया है कि एकमात्र अपवाद मंगालूर सरकार को छोड़कर, सभी राज्य सरकारों के बारे में व्यापक-सा चित्र प्रस्तुत किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के बारे में दी गई जानकारी का विश्लेषण अन्य राज्यों के साथ यहाँ इसलिए नहीं किया गया है कि उस सरकार का कहना है कि वह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन करती रही है। जहाँ तक सिक्किम राज्य का सम्बन्ध है, वहाँ के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना से सम्बन्धित सांख्यिकीय आदेश जून, 1978 में जारी किए गए थे। यह सूचना सारांश रूप में परिशिष्ट -12 में विवरण I से III तक में निहित है। विवरण संख्या I में दी गई सूचना प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन समुदायों के लिए निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता की जानकारी देती है। विवरण के नीचे दी गई टिप्पणों विभिन्न वर्गों के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में हुई कमी को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ राज्यों द्वारा अपने यहाँ आरक्षण-प्रतिशतता को बढ़ाने की सूचक है। इस बात की जानकारी भी मिलेगी कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण को कानूनी प्रतिशतता उन राज्यों में जनसंख्या की प्रतिशतता से कम है। इस तथ्य की ओर वर्ष 1971-72 और 1972-73 की हमारी इक्कीसवीं रिपोर्ट में (पैरा 3.128—3.129) में इशारा किया गया था। यह एक सुखद सूचना है कि पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा की सरकारों ने तब से अब तक इस कमी को पूरा कर लिया है, जबकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में ऐसा किया जाना शेष है। फिर भी यह मालूम हुआ है कि यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। हालांकि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ पदों में अस्थायी रूप से आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ा दी है, यह आशा की जाती है कि यथाशीघ्र इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा और आरक्षण की कानूनी प्रतिशतता बढ़ा दी जाएगी, और इसे उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में उनकी जनसंख्या के स्तर तक लाया जा सकेगा।

3.91 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 को धारा 5(1) के अनुरूप क्षेत्रीय प्रतिबंध समाप्त करने के परिणामस्वरूप, भारत के महापञ्जीयक ने 1971 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में परिवर्तन को अभिकलित किया और इनका उल्लेख वर्ष 1975-77 की पिछली रिपोर्ट के पैरा 2.7 की तालिका में किया गया था। यह मालूम होगा कि केरल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में 2.30 लाख की वृद्धि हुई। इसमें से 0.76 लाख की वृद्धि का कारण मालाबार जिले में अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वासन समुदाय का अनुसूचित जातियों में आना था। यह समुदाय समस्त केरल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में माना जाता है। केरल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता 8.30 बढ़कर लगभग 9.40 हो गई है। इस प्रकार सेवाओं में आरक्षण की प्रतिशतता में भी यह बढ़ोतरी 8 प्रतिशत से बढ़कर कम से कम 9.00 प्रतिशत आवश्यक हो गई है। यह आशा की जाती है कि केरल सरकार इस आशय के आवश्यक आदेशों को जारी करेगी।

(I) रोस्टर पद्धति

3.92 संविधान के अनुच्छेद 16(4) की व्यवस्था के अनुरूप, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इन समुदायों की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण निर्धारित किया। लेकिन अनुभव यह दर्शाता है कि मात्र यह कह देने से कि इन समुदायों के लिए पदों में कुछ प्रतिशत तक आरक्षण रहेगा या सब कुछ समान होने के बावजूद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित प्राथियों को प्राथमिकता दी जाएगी, इन आरक्षणों को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करना संभव नहीं। समय-समय पर यह बुद्धिपूर्वक करने के लिए कि आरक्षणों की निर्धारित प्रतिशतता के अनुरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हिस्से में वास्तव में कितनी रिक्तियों आनी चाहिए, केन्द्रीय सरकार ने रोस्टर रखने की एक पद्धति निकाली। अखिल भारतीय आधार पर भर्ती करने के लिए 40 पाइंट के दो तरह के रोस्टर निर्धारित किए गए : (1) खुली प्रतियोगिता पर आधारित, और (2) खुली प्रतियोगिता के अभाव में दूसरे तरह से जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ पाइंट अलग से रखे जाते हैं। देश भर में फैले केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की एक बड़ी संख्या में वर्ग-III और वर्ग-IV के पदों की भरती के लिए प्राथी उन्हीं क्षेत्रों/प्रदेशों से लिए जाते हैं, जहां यह कार्यालय स्थित हैं। ऐसे कार्यालयों के लिए, केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेशों के वास्तु 100-पाइंट का रोस्टर निर्धारित किया है। यह पाया गया कि लगभग सभी राज्य सरकारों ने रोस्टरों के रखने की अपनी पद्धति को ही अपनाया है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रोस्टरों के लिए अपनाई गई पद्धतियों को परिशिष्ट-12 के विवरण संख्या-2 में देखा जा सकता है। इस विवरण से यह जानकारी मिल जाएगी कि मेघालय सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की निश्चित संख्या निर्धारित करने के लिए अभी तक रोस्टर पद्धति शुरू नहीं की है। मणिपुर में पदों और सेवाओं में रिक्तियों, का आरक्षण (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए) अधिनियम, 1976 खे बंड-5 में रोस्टरों के निर्धारण से संबंधित उल्लेख है लेकिन इस उद्देश्य के लिए निर्धारित आदर्श रोस्टर के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(II) पदों का समूहन

3.93 सीधी भरती द्वारा पदों में प्रायः ऐसे पद होते हैं, जिनकी प्रकृति अलग होती है या वे इतनी कम संख्या में होते हैं कि उनकी रिक्तियों की आवृत्ति आमतौर पर बहान कम होती है। इसलिए यह सदा संभव नहीं होता कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण का समुचित भाग सुनिश्चित किया जा सके। इस

कठिनाई पर नियंत्रण पाने के लिए, केन्द्र में ऐसे पृथक पदों और उसी क्लास में ग्युनाधिक वैसे ही अन्य पदों के छोटे कैडरों के समूहन की पद्धति अपनाई जाती है। पदों का समूहन करते समय उन पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं, बतन और हैसियत का ध्यान रखा जाता है। ऐसे समूहन का उद्देश्य यह रहना है कि समान प्रकृति, बतनमानों आदि के अनेक पदों का इस तरह समूहन करने के पश्चात्, आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों के लिए इस तरह बनाए गए समूहों में पदों का तर्कसंगत अनुपात सुनिश्चित करना संभव हो जाना चाहिए। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों ने इससे मिलती-जुलती पद्धति को अपनाया है। यह पद्धति आंध्र प्रदेश, पंजाब, मेघालय, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विद्यमान नहीं है। असम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर (1976 का अधिनियम), उड़ीसा (1976 का अधिनियम), राजस्थान और त्रिपुरा राज्यों से प्राप्त विवरणिकाओं/संश्लेषों या आदेशों/निर्देशों की प्रतियों में ऐसी किसी पद्धति का कोई उल्लेख नहीं है। नगर्नाट से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(III) पृथक साक्षात्कार

3.94 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों का चयन न होने, आरक्षित रिक्तियों के स्थात पर भी चयन न होने का एक बहुत आम कारण बताया जाता था कि वे पदों के योग्य नहीं पाए गए। इस निर्णय के लिए जाने के पीछे जिम्मेदार कारण यह था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को योग्यता की तुलना अन्य जानियों से सम्बन्धित उन उम्मीदवारों के साथ की जाती थी, जिन्हें बेहतर शिक्षा मिली होती थी और जिनका बेहतर पालन-पोषण हुआ होता था। स्पष्ट था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार साक्षात्कार में उनके मुकाबले में टिक नहीं पाते थे और साक्षात्कार मंडल का इन समुदायों के प्राथियों के बारे में यह राय बनती थी कि ये प्राथी इन पदों के योग्य नहीं हैं। इस कठिनाई को आसान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आदेश जारी किए कि आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों का साक्षात्कार एक ही दिन वा चयन समिति की एक ही बैठक में होना चाहिए और यह दिन सामान्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार से अलग होना चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में न आंका जाए। साथ ही, साक्षात्कार में भाग लेने वाले प्राधिकारियों को इस आवश्यकता से सजग कराना बहुत जरूरी है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों के बारे में निर्णय लेते समय उनके स्तर में ढील दें। बिहार, गुजरात, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा भी ऐसे ही निर्देश जारी किए जाने की सूचना मिली है। केरल में, पृथक साक्षात्कार की व्यवस्था सिर्फ तभी है जब पूरक सूची बनाई गई हो। यह सूची तब तैयार की जाती है जब सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों। पंजाब में, पृथक साक्षात्कार की कार्यविधि को आमतौर पर तभी अपनाया जाता है जब इन समुदायों के प्राथियों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो। असम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों में इस सुविधा से मिलना-जुलना कोई आदेश/निर्देश नहीं उपलब्ध होता है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी, जैसा हमने अपनी 22 वीं रिपोर्ट में (1973-74, पैरा 3.203) कहा था, यह प्रश्न आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु की सरकारों के विचाराधीन था। उस रिपोर्ट में की गयी सिफारिश को दोहराया जाता है कि सभी राज्य सरकारें इस व्यवस्था को शुरू करें ताकि चयन कर रहे प्राधिकारी इस तथ्य के प्रति प्रमुख रूप से सजग रहे कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित प्राथियों के साथ साक्षात्कार में भाग लेंगे और इन समुदायों के लिए स्तर में छूट देने के आदेश भी उनके ध्यान में रहना आवश्यक है।

(IV) उपयुक्तता के स्तरों में छूट

3.95 वर्ष 1971—73 (पैरा 3.202) और वर्ष 1973-74 (पैरा 3.136 से 3.137 तक) की हमारी पिछली रिपोर्टों में उपयुक्तता के स्तरों में छूट से सम्बन्धित स्थिति की व्याख्या की गई थी। फिर भी, पदों की कुछ विशेष श्रेणियों में, किसी न किसी रूप में, इस रियायत की उपलब्धता के बारे में जानकारी का सारांश परिशिष्ट-12 के विवरण संख्या III के स्तंभ-5 में दिया गया है। इससे यह मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने अपने नियमों में इस आशय की व्यवस्था की हुई है। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को यह रियायत प्रतियोगी परीक्षाओं में दी है। मेघालय में, आदेशों/निर्देशों में ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है, जबकि शेष राज्य इस व्यवस्था के विषय में मौन हैं। यह एक सामान्य अनुभव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अनेक प्रार्थी सामान्य उम्मीदवारों से सम्भावित आम स्तर के नहीं होते और, इसलिए उनके लिए आरक्षित रिक्तियाँ तब तक नहीं भरी जाती जब तक उनके स्तर में छूट देकर उन्हें न प्रवेश जाए। सभी राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की व्यवस्थाओं का पालन करें। सिर्फ तभी इन समुदायों के लिए निर्धारित आरक्षण के कोटे का उपयोग सम्भव हो सकेगा।

(V) आरक्षित रिक्तियों को अग्रणीत करना

3.96 पिछली रिपोर्टों में यह कहा जा चुका है कि सभी निर्धारित कदम उठाने के बाद भी सीधी भरती द्वारा पदों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों की अनुपलब्धता बनी रहे, जैसा कि पदोन्नतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों में भी हो सकता है, न भरी गई शेष आरक्षित रिक्तियों को अग्रणीत किया जाना होता है और उन चाल रिक्तियों में जमा कर देना होता है जो बाद के तीन भरती वर्षों में होती हैं; ताकि ये जमा रिक्तियों इन समुदाय के उम्मीदवारों को बाहरी प्राथियों के रूप में या उन्हें जो बाद में पदोन्नति द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, उपलब्ध बनो रहें। न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को अग्रणीत करने की यह व्यवस्था अधिकतर राज्य सरकारों की सेवाओं में भी उपलब्ध है और इससे सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट-12 के विवरण संख्या III के स्तंभ-7 में निहित है। आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तरप्रदेश राज्यों में न भरी गई आरक्षित जमा (या संचित) रिक्तियों को बाद के तीन भरती वर्षों में अग्रणीत किया जाता है। असम, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में (सिर्फ सीधी भरती के लिए) इन्हें सिर्फ दो वर्षों तक अग्रणीत किया जाता है। गुजरात और कर्नाटक में, अग्रणीत व्यवस्था भरती के क्रमशः तीन और दो अवसरों तक ही सीमित है। मेघालय में यह व्यवस्था सिर्फ एक वर्ष के लिए है। जम्मू और कश्मीर के मामले में यह सूचना उपलब्ध नहीं है। तमिलनाडु राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है। सिर्फ मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जहां न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को बाद के अवसरों तक, बिना किसी निर्धारित काल सीमा तक, अग्रणीत किया जाता है, जब तक आरक्षित पदों की कुल संख्या एक समय में 45 प्रतिशत से अधिक न हो जाए। इस सम्बन्ध में, मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान भारत सरकार द्वारा 27 दिसम्बर, 1977 को जारी किए गए आदेशों की ओर आकृष्ट कराया जाता है, जो "केरल राज्य और एक अन्य बनाम एन० एम० थामस और अन्य" के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का परिणाम था। ऐसे मामलों में, जहां चाल आरक्षित रिक्तियों की संख्या और अग्रणीत आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या मिलाकर एक वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है; क्योंकि पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में रिक्तियाँ अग्रणीत की गई थीं, तो प्रश्न यह उठता कि क्या आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से आगे

जाया जा सकता है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों द्वारा अलग-अलग दिए गए निर्णयों के प्रकाश में विचार किया गया और सरकार ने निर्णय लिया है कि रिक्तियों का अग्रणीत करने के कारण आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से आगे ले जाने में कोई बाधा नहीं है; बशर्त सम्बन्ध ग्रेड या कैडर की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कुल प्रतिनिधित्व नमूचित न पाया जाए, यानी उस पूरे ग्रेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता तक न पहुँच गई हो। सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय पर आधारित भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश सरकार तथा अन्य सभी राज्य सरकारों को भी एक वर्ष में कुल आरक्षण पर लगाए 50 प्रतिशत के प्रतिबन्ध को समाप्त कर देना चाहिए। सभी राज्यों में समान रूप से इस व्यवस्था की आवश्यकता है कि न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को बाद के तीन भरती वर्षों तक अग्रणीत किया जाए।

(VI) रिक्तियों का विनिमय

3.97 कुछ पदों/कैडर में किसी विशेष समुदाय, उदाहरण के लिए अनुसूचित जनजातियों, के लिए आरक्षित रिक्तियों के वास्ते सभी निर्धारित उपाय अनेक के बावजूद किसी विशेष वर्ष में प्रार्थी उपलब्ध नहीं होते। ऐसी रिक्तियों को, आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के लिए निर्धारित कार्यविधि का पालन करने के बाद सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया जाता है और बाद के तीन भरती वर्षों के लिए अग्रणीत कर लेते हैं। इन वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को अग्रणीत के अंतिम (तीसरे) वर्ष तक दोहराया जाता है और अगर उस वर्ष भी अनुसूचित जनजाति के प्रार्थी उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए खोल दिया जाता है और इससे विपरित परिस्थिति में भी यही होता है। इस कार्यविधि का उद्देश्य यह है कि किसी विशेष समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों, हालांकि तीन वर्षों की अवधि में सामान्य उम्मीदवार भी इनका लाभ उठाते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—इन समुदायों से छिनती नहीं है। और अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों, अगर उपलब्ध हों, द्वारा लाभ उठाने के लिए उपलब्ध रहती हैं। बिहार, गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की विद्यमानता बताई जाती है। केरल और उड़ीसा में, किसी विशेष समुदाय के प्रार्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भरती के प्रत्येक अवसर पर रिक्तियाँ विनिमय-योग्य रहती हैं। हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के न होने से ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है। आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों—दोनों के होने के बावजूद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेघालय में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नगण्य है और शायद इसीलिए इस राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों के विनिमय की व्यवस्था नहीं है। असम, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। जिन राज्यों ने यह कार्यविधि नहीं अपनाई है, उन्हें ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

(VII) आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण

3.98 प्रायः यह शिकायत की जाती है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य समुदायों के उम्मीदवारों से भर दी जाती हैं। हालांकि विभिन्न कार्यान्वयन प्राधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का तात्पर्य भलीभाँति समझते हैं, फिर भी

यह महसूस किया गया है कि इनमें से उदासीन प्राधिकारी, अगर मामला इन पर ही छोड़ दिया जाए तो वे किसी न किसी उपाय से आदेशों का निवारण कर देंगे और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नियुक्तियों और पदोन्नतियों में उनके न्यायोचित भाग से वंचित कर देंगे। इसीलिए, भारत सरकार ने इस आशय के आदेश जारी किए कि सभी निर्धारित उपाय करने के बावजूद अगर आरक्षित कोटे को भरने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो नियुक्ति प्राधिकारियों को आरक्षित रिक्ति के स्थान पर सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति का आदेश जारी करने से पहले, कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को स्वतः पूर्ण प्रस्ताव भेजना चाहिए, जिसकी एक प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के लिए हो। इस स्वतः-पूर्ण प्रस्ताव में उन परिस्थितियों का उल्लेख होना चाहिए, जिनमें आरक्षित रिक्तियां भरी नहीं जा सकी। कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व-स्वीकृति के बाद ही, सम्बद्ध विभाग/कार्यालय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर सामान्य उम्मीदवारों की नियुक्ति कर सकते हैं। यह कार्यविधि निवारक का कार्य करती है और नियुक्ति प्राधिकारियों को आरक्षण आदेशों का उल्लंघन करने का प्रयास करने से पूर्व दो बार संचना पड़ता है और किसी न किसी कारण से ही आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर सामान्य उम्मीदवारों को नियुक्त करना पड़ता है।

3.99 उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें इस कार्यविधि का पालन करती हैं। केरल और मेघालय राज्य में इस कार्यविधि को नहीं अपनाया गया है। महाराष्ट्र में, सीधी भरती द्वारा भरे गए पदों में इसका पालन नहीं किया गया है, लेकिन पदोन्नति द्वारा पदों को भरने के मामले में इसे अपनाया गया है। असम, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल के इस पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। जैसा ऊपर कहा गया है, कामिक विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग से पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यविधि में सम्बद्ध प्राधिकारी को उन परिस्थितियों का विवरण देना होता है, जिनमें वे आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर सामान्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना चाहते हैं। इससे नियुक्ति प्राधिकारियों को आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर सामान्य उम्मीदवारों की अग्रगण्य नियुक्ति करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में सहायता मिलती है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जिन राज्य सरकारों ने अभी तक इस कार्यविधि को नहीं अपनाया है, उन्हें यथाशीघ्र ऐसा करना चाहिए।

(VIII) पदोन्नतियों द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण

3.100 पिछली रिपोर्टों में पदोन्नतियों द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू किए जाने के मामले पर विचार किया जा चुका है। अंतिम उपलब्ध सूचना के अनुसार, पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण की व्यवस्था बिहार (सभी क्लास के पदों में), गुजरात (क्लास-I की निम्नतम श्रेणी तक), हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश (क्लास-I की निम्नतम श्रेणी तक), मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश (सभी क्लास के पदों में) और पश्चिम बंगाल राज्य में भी। आंध्रप्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति की व्यवस्था में आरक्षण नहीं है, फिर भी, पदोन्नति के समय उन्हें कुछ छूट दी जाती है। असम में भी पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण नहीं है, लेकिन क्लास-III और इससे ऊपर के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकरण के मामले स्वीकृति के लिए मंत्री महोदय के समक्ष रखे गए हैं। केरल, मेघालय और तमिलनाडू राज्यों में, पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण का विधान नहीं है। कर्नाटक के

सम्बन्ध में कोई सूचना हमें उपलब्ध नहीं है। हम अनेक बार यह बात बहरा चुके हैं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को वरिष्ठ अवस्थाओं के पदों में उनका न्यायोचित भाग देने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि पदोन्नति के समय भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। यह बोहराया जाता है कि जिन राज्य सरकारों ने पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में आरक्षण-व्यवस्था शुरू नहीं की है, उन्हें यह प्रवृत्ति शुरू करनी चाहिए क्योंकि यह उच्च पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने को एक पद्धति है।

(IX) पुष्टि के समय आरक्षण

3.101 केन्द्रीय सरकार ने प्रारंभ में सीधी भरती द्वारा भरे गए पदों में पुष्टि की अवस्था में भी आरक्षण की व्यवस्था की है। भारत सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार, जिस व्यक्ति की पद पर पुष्टि हो जाए, वह उस ग्रेड के सभी अस्थाई कर्मचारियों से वरिष्ठ हो जाता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की आरक्षण व्यवस्था के कारण शीघ्र पुष्टि कर दिए जाने से वे उन कुछ सामान्य कर्मचारियों से भी वरिष्ठ हो जाते हैं, जिनकी नियुक्ति उनसे पहले की गई थी। इसके फलस्वरूप उच्च पदों पर उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया में भी गति आ जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए यह छूट जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की सेवाओं के अलावा कहीं और उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पुष्टि की अवस्था में आरक्षण व्यवस्था का परिणाम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों के शीघ्र पदोन्नति की सम्भावनाओं को बढ़ाने के रूप में होता है, यह वांछित होगा कि राज्य सरकारें भी इसे अपनाएं और पुष्टि की अवस्था में आरक्षण-व्यवस्था शुरू करें।

(X) चयन मंडलों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का मनोनयन

3.102 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बद्ध संसदीय समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सभी चयन मंडलों या भरती प्राधिकारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कम से कम एक सक्षम अथवा शामिल रहना चाहिए। संसदीय समिति ने यह भी महसूस किया था कि विभागीय पदोन्नति समितियों को और अधिक प्रतिनिधि बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की ऐसी प्रत्येक समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी अवश्य होना चाहिए। भारत सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली थी और सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुरोध किया था कि वे अपने अर्धन पदों और सेवाओं में पदोन्नति/भरती के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों/चयन मंडलों में अधिकारियों का मनोनयन करते समय इन सिफारिशों का ध्यान रखें। सरकारी निर्देशों के अनुसार, हालांकि मंत्रालय/विभाग विभागीय पदोन्नति समितियों/चयन मंडलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित एक अधिकारी को हमेशा शामिल करने पर बाध्य नहीं है, लेकिन जहां भी ऐसी समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित एक अधिकारी को शामिल किया गया है, वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन प्राथियों के चयन में सहायता मिली है जो अन्य परिस्थितियों में अस्वीकार कर दिए जाते। इसके अलावा, ऐसे मंडलों/समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी की उपस्थिति, शेष सदस्यों को आरक्षित पदों के स्थान पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों के चयन, चाहे इसके लिए स्तर में ढील देने की रियायत लागू करनी पड़े, की आवश्यकता के प्रति सजग रखती है।

3.103 बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में चयन मंडलों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का मनोनयन की व्यवस्था

है। यह सिफारिश की जाती है कि अन्य राज्य सरकारों को भी इन्हीं आधारों पर ऐसी प्रणाली शुरू करनी चाहिए क्योंकि इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन प्राथियों को अस्वीकृत किए जाने के अवसर समाप्त होंगे, जो वस्तुतः नियुक्ति के पात्र हैं।

(XI) ऊपरी आय सीमा में छूट

3.104 इस तथ्य के प्रकाश में कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति स्वाधीनता के पश्चात् से ही बड़े पैमाने पर शिक्षा सुविधाओं का लाभ उठा पाए हैं और सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आय में सेवाओं में प्रवेश शुरू किया है, भारत सरकार ने इन समुदायों के पक्ष में, सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए ऊपरी आय सीमा में, 5 वर्ष तक की छूट देने की व्यवस्था की। यह संतोष का विषय है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऊपरी आय सीमा में यह छूट सभी राज्यों में समान रूप से 5 वर्ष तक के लिए है। केवल असम राज्य में यह छूट 2 वर्षों के लिए है। नगालैंड और त्रिपुरा राज्यों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(XII) शुल्क में छूट

3.105 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कम-जोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने इन समुदायों के सदस्यों को, सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में चयन के लिए या परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क के मामले में कुछ छूट दी है। इन समुदायों के सदस्यों को अन्य व्यक्तियों के लिए निर्धारित शुल्क का एक चौथाई भाग अदा करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में, कुछ राज्य सरकारों ने और भी बेहतर व्यवस्थाएँ की हुई हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को पूरा शुल्क माफ किया हुआ है। जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और मेघालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शुल्क में 50 प्रतिशत तक की सीमा तक छूट दी हुई है। बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को निर्धारित शुल्क की एक चौथाई सीमा तक छूट दी हुई है। इस सम्बन्ध में हरियाणा, नगालैंड और त्रिपुरा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। यह महसूस किया गया है कि अगर इस मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को शुल्क में पूरी छूट दी जाए तो इससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकाधिक प्राथियों को आरक्षित पदों में लाने में सहायता मिल सकेगी। इस आशय की व्यवस्था सभी राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार को भी करनी चाहिए।

(XIII) यात्रा भत्ता प्रदान करना

3.106 भारत सरकार ने व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को संघ लोक सेवा आयोग या अन्य किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो ये प्राथी अपने निवास-स्थल से साक्षात्कार के स्थल और वापसी के दूसरे दर्जे के एक तरफ के रेल-भाड़े के अधिकारी हैं। यह रियायत वहाँ भी लागू होती है, जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को उच्च लिखित परीक्षण के लिए बुलाया जाता है, जिसके आधार पर क्लास-III और क्लास-IV के विज्ञापित पदों पर नियुक्तियों की जाती है। फिर भी, इसमें यह शर्त रहती है कि लिखित परीक्षण और साक्षात्कार, जो आवश्यक हो सकता है, एक ही स्थान पर एक ही या साथ-साथ की तारीखों में आयोजित किया जाएगा ताकि प्राथियों को चयन स्थान तक और वहाँ से वापसी की एक यात्रा का यात्रा-भत्ता

मिले। ये आदेश रोजगार कार्यालयों के जरिए क्लास-III और क्लास-IV के पदों में नियुक्ति के लिए, जिनकी भरती विभागीय आधार पर की जाती है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को साक्षात्कार/लिखित परीक्षण के लिए बुलाने पर भी लागू होते हैं। यात्रा भत्ते की प्रदान करने की रियायत उनके बारे में लागू नहीं होती है, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही रत हैं।

3.107 उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को यह रियायत आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रदान की गई है। बिहार राज्य में, इन समुदायों के प्राथियों को यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है। मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों में यह रियायत नहीं दी जाती है। शेष राज्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। हमारा यह अनुभव रहा है कि अगर साक्षात्कार परीक्षण के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को यात्रा भत्ता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं होता, तो अनेक प्राथी, जो उस पद के योग्य और सुपात्र हो, अपने प्रार्थना पत्र भेजने का साहस नहीं करते, और अगर वे प्रार्थना-पत्र भी भेजते हैं तो भी यात्रा पर होने वाले व्यय के कारण साक्षात्कार/परीक्षण में भाग लेने से हिचकिचाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आरक्षित रिक्तियाँ पुरी तरह से इन समुदायों के प्राथियों से नहीं भरी जाती। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को अधिकाधिक संख्या में उनके लिए आरक्षित पदों को और आकर्षित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सभी राज्य सरकारों के नियमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों के लिए यात्रा भत्ता दिए जाने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए और इसके विज्ञापनों में इसका अवश्य उल्लेख होना चाहिए। यह भी वांछित होगा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में रेल द्वारा 50 मिल (80 किलोमीटर) और सड़क द्वारा 20 मील (32 किलोमीटर) की न्यूनतम यात्रा के प्रतिबन्ध को कम करके रेल या सड़क द्वारा नगर सीमा के क्षेत्रों तक कर देना चाहिए। यह सुझाव केंद्रीय और राज्य सरकारों—दोनों के विचार के लिए है।

(XIV) वर्क चांज्ड इस्टेब्लिशमेंट में आरक्षण

3.108 स्थाई नियुक्तियों और अनिश्चित काल तक चलने की संभावना वाली स्थाई नियुक्तियों के अलावा, दिहाड़ी पर नैमित्तिक (कैजुअल) नियुक्तियों और एक विशेष अवधि के लिए आकस्मिक नियुक्तियों भी की जाती हैं। आकस्मिक नियुक्तियों के पदों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती। कुछ सरकारी कार्यालयों में ऐसे निर्देश मौजूद थे कि दिहाड़ी पर और वर्क चांज्ड इस्टेब्लिशमेंट में नियुक्त व्यक्तियों को सेवा में कुछ विशेष अवधि पूरी करने के बाद नियमित आधारों पर नियुक्ति किया जाएगा। उस अवस्था में, क्योंकि केवल उन्हीं प्राथियों को नियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिन्होंने एक विशेष अवधि तक दिहाड़ी पर काम किया था, इसलिए ऐसे पदों में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता। इस मामले पर बहुत ध्यान से विचार करने के बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि वर्क चांज्ड पदों में भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का सिद्धान्त उपयुक्तता के आधार पर यथासंभव लागू किया जाना चाहिए। इनमें बाढ़ सहायता कार्य, राहत कार्य, दुर्घटना सहायता आदि जैसी आपात्स्थितियों के वर्क चांज्ड पद शामिल नहीं हैं।

3.109 ऐसे पदों में आरक्षण का सिद्धान्त असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र राज्यों में लागू है। त्रिपुरा में, ऐसी अवस्था में आरक्षण नहीं है, लेकिन सभी विभागों के प्रधानों

को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को आरक्षण के सिद्धान्त के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशतता के अनुसार न्यायोचित भाग मिले। आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर, उड़ीसा और मेघालय राज्यों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। शेष राज्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। जिन राज्य सरकारों ने वर्क चाउंड इस्टब्लिशमेंट/दिहाड़ी पर आधारित पदों में आरक्षण का सिद्धान्त अभी तक नहीं शुरू किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी इस्टब्लिशमेंट के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का न्यायोचित भाग सुनिश्चित करने के लिए इस व्यवस्था को लागू करे ताकि नियमितकरण के समय इन समुदायों के उम्मीदवार भी नियमित नियुक्तियों के लिए उपलब्ध हो सकें।

(XV) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों का योग्यता के आधार पर चयन

3.110 कुछ राज्य सरकारों जैसे आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मेघालय, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने निर्देश जारी किए हैं कि जब भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथी सामान्य स्तर के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाएं, तो उनकी नियुक्ति गैर-आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर की जाए और उनकी नियुक्तियों का प्रभाव आरक्षित कांटे के अधीन रिक्तियों/प्रतिशतता पर नहीं पड़ेगा। यह उचित दिशा में उठाया गया कदम है, और इसका उद्देश्य उन विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन पदों की विभिन्न श्रेणियों में इन समुदायों से सम्बन्धित प्राथियों की भरती को बढ़ाना है, जहां सेवाओं में इनका अभी तक अनुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। केन्द्रीय सरकार और बिहार, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों में भी इस कार्यविधि का पालन नहीं किया जाता है। केन्द्रीय सरकार तथा उन राज्य सरकारों से भी, जिन्होंने इस कार्यविधि को अभी तक नहीं अपनाया है, अनुरोध है कि वे इसे अपनाएं क्योंकि इससे सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की गति तेज होगी।

(XVI) सम्पर्क अधिकारी

3.111 आरक्षण से सम्बन्धित आदेशों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी गई अन्य छूटों और रियायतों के समुचित पालन के लिए, भारत सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक सम्पर्क अधिकारी होगा जो अपने मंत्रालय/विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन सभी सेवाओं के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करेगा। सम्पर्क अधिकारी ये कार्य देखेंगे :

- (1) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित निर्देशों और आदेशों का अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाना सुनिश्चित तथा करना इन समुदायों को स्वीकृत अन्य लाभ दिलवाना;
- (2) मंत्रालय/विभाग के नियंत्रण के अधीन सभी सेवाओं और संस्थानों के विषय में ऊपर कहे गये धार्मिक विवरण की पड़ताल और समेकित करना तथा समेकित विवरणों को सम्बद्ध प्राधिकारियों के पास भेजना।
- (3) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के लिए प्रस्तावों को भेजने से पूर्व उनकी छानबीन करना तथा ऐसे प्रस्तावों को

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के लिए पृष्ठांकन करना।

- (4) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने से पहले आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के प्रस्तावों की पड़ताल करना और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से समर्थन प्राप्त करना।
- (5) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की सेवा मामलों के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच और अपनी वार्षिक रिपोर्ट के लिए सूचना एकट्ठी करने में सभी आवश्यक सहायता देना।
- (6) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में अपने अधिकार क्षेत्र में रखे गए रीस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करना, ताकि आरक्षण आदेशों का समुचित पालन हो सके।
- (7) अपने मंत्रालय/विभाग और कार्मिक विभाग के बीच अन्य सूचनाएं लेने, आरक्षण आदेशों के मामलों से सम्बन्धित संशयों को दूर करने, प्रश्नों आदि का उत्तर देने के लिए सम्पर्क अधिकारियों के रूप में कार्य करना।

3.112 ऊपर के विवरण से मालूम हो जाएगा कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में मनोनीत सम्पर्क अधिकारी को महत्वपूर्ण दायित्व निम्नलिखित हुए यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्तियों/पदाश्रितियों में न्यायोचित भाग मिल रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में सम्पर्क अधिकारियों के मनोनयन की पद्धति विद्यमान है। शेष राज्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है लेकिन यह सिफारिश की जाती है कि इन राज्यों को भी सेवा मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की देखभाल के लिए सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए।

(XVII) विशेष सैल

3.113 यह समझा जाता है कि अधिकतर राज्य सरकारों में ऐसे विशेष सैल हैं जो आरक्षण आदेशों के पालन की देखरेख और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित सूचना का संकलन और संग्रह करते हैं। इन सैलों के कार्य करने के बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। और यह सत्य कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित सांख्यिकी उल्लेख तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, इन सैलों के कमजोर प्रदर्शन का सूचक है। इस बात की भी जानकारी नहीं है कि क्या इन सैलों का स्टाफ पूर्णकालिक आधार पर इस कार्य की देखरेख कर रहा है या अन्य कार्यों के अलावा इस कार्य को कर रहा है। यह सिफारिश की जाती है कि इन विशेष सैलों में पूर्णकालिक आधार पर स्टाफ की नियुक्ति की जानी चाहिए और साथ ही यहां निरीक्षण स्टाफ भी होना चाहिए, जिसके पास स्टॉन्डरो का निरीक्षण करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त आरक्षण आदेशों और अन्य छूटों तथा रियायतों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य संगत रिकार्डों का निरीक्षण करने का अधिकार हो।

(XVIII) राज्य स्तरीय समितियों की नियुक्ति

3.114 अधिकतर राज्यों में ऐसी राज्य स्तरीय समितियां हैं जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के मामले में विभिन्न विभागों द्वारा उठाए

गए कदमों की समीक्षा करती है। कुछ राज्यों में, मुख्यमंत्री या आदिवासी और ग्रामीण कल्याण मंत्री या समाज कल्याण मंत्री आदि इन समितियों के अध्यक्ष तथा राज्य विधान सभा के सदस्य इस समिति के सदस्य हैं। कुछ अन्य राज्यों में, इसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव जैसे प्रशासन प्राधिकारी और अन्य विभागों के सचिव इसके सदस्य हैं। परिशिष्ट-13 में दिया गया विवरण विभिन्न राज्यों की इन समितियों के गठन पर प्रकाश डालता है। यह पाया गया है कि विभिन्न विभागों में सेवा सुरक्षाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से इन समितियों की बैठकें अधिक नहीं होती हैं और ये कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए यह सुझाव है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस समितियों को समय-समय पर गठित किया जाए और अच्छा रहे कि वर्ष में उसकी दो बैठकें हों जिनमें वे अपने सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करें और मुख्यमंत्री को विस्तृत रिपोर्ट दें तथा इस रिपोर्टों की प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भी भेजें।

(XIX) स्थानीय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि

3.115. राज्य सरकारों के अलावा, राज्य स्तर के स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले सविधिक और स्वशासी निकाय तथा अनुदान-सहायता प्राप्त करने वाला स्वैच्छिक एजेंसियां भी होती हैं, जिनमें स्थानीय स्तर पर राजगार का विशाल क्षमता होता है और यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को राज्य-स्तर पर उनके लिए निर्धारित आरक्षण प्रतिशतता के अनुरूप उनका भाग उन्हें मिल सके। परिशिष्ट-12 के विवरण संख्या III के स्तम्भ 19 से 22 में दी गई जानकारी सूचित करती है कि अधिकतर राज्यों में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वशासी निकायों और सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों पर भी लागू होते हैं। यह सुझाव है कि जिन राज्यों में ऐसे निकायों की सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहाँ यह सुझाव है कि जानी चाहिए ताकि इन संस्थाओं में अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनका न्यायोचित भाग सुनिश्चित किया जा सके।

(XX) सांख्यिकी सूचना

3.116. वर्तमान रिपोर्ट वर्ष 1977-78 के लिए है। इस रिपोर्ट के लिए, एक जनवरी, 1978 तक की सामान्य सांख्यिकी सूचना को इस रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट होगा कि 1-1-1978 तक वांछित सूचना केवल कुछ संघ शासित प्रदेशों और महाराष्ट्र राज्य से ही प्राप्त हो सकी।

| सूचना प्राप्त होने की तिथि | इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हुई |
|----------------------------|---|
| 1-1-1978 | महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप, मिजोरम और पांडिचेर |
| 1-1-1977 | हaryana, कर्नाट, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पंजाब |
| 31-3-1977 | त्रिपुरा |
| 31-3-1975 | राजस्थान और तमिलनाडु |
| 1-1-1975 | गुजरात, कर्नाटक |
| 1-1-1973 | आंध्र प्रदेश, मणिपुर |

सूचना प्राप्त होने की तिथि

| | |
|-----------|---------------|
| 1-1-1971 | उड़ीसा |
| 31-3-1970 | पश्चिम बंगाल |
| 31-3-1967 | नागालैंड |
| 1-1-1967 | हिमाचल प्रदेश |

यहां से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

असम
बिहार
जम्मू और कश्मीर
नेपाल

3.117. ऊपर की तालिका से यह मालूम होगा कि रिपोर्टों की समीक्षा अवधि के लिए सूचना लगभग सभी राज्यों से उपलब्ध नहीं हुई है। 1-1-1977 तक भी सिर्फ 5 राज्यों—हaryana, कर्नाट, मध्यप्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश से सूचना मिल सकी थी। प्रति वर्ष दुःख के साथ यही कहना पड़ता है कि राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में सांख्यिकी सूचना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं भेजी जा रही है, हालांकि पिछली रिपोर्टों में इस सम्बन्ध में आलोचनात्मक टिप्पणों की गयी थी। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि गृह मंत्रालय इस मामले को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों के सम्मेलन में उठाए। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपलब्ध सूचनाएँ परिशिष्ट-14 में देखी जा सकती हैं।

(XXI) संघ शासित क्षेत्र

3.118. हालांकि इस रिपोर्ट में संघ शासित प्रदेशों के बारे में सांख्यिकी सूचना शामिल की गई है (परिशिष्ट-14), फिर भी संघ शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी जा रही रियायतों और छूटों के बारे में अन्य निर्देशों से सम्बन्धित सूचना को इस रिपोर्ट में नहीं लिया गया है क्योंकि संघ शासित क्षेत्रों को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करना होता है।

आयुक्त का संस्था का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की संसदीय समिति से सम्बन्ध

3.119. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित संसदीय समिति ने भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सेवा सुरक्षाओं का अध्ययन किया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय ने समिति द्वारा बनाई गई प्रश्नावली में सुधार करने से सम्बन्धित आवश्यक सहयोग संसदीय समिति को दिया। इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयुक्त के संगठन द्वारा दिए गए सुझावों और टिप्पणियों को उत्तर रेलवे और केंद्रीय राजस्व और कस्टम बोर्ड के अध्ययन से सम्बन्धित समिति के पास भेजा गया/समिति ने जिन संस्थानों का अध्ययन किया, संसदीय समिति ने दिल्ली में आयोजित बैठक में इन संस्थानों के अधिकारियों से मौखिक पूछताछ की। इस बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आयुक्त के प्रतिनिधि उन बैठकों में भी मौजूद थे, जिनमें

आकाशवाणी, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद बैंक, केन्द्रीय राजस्व और कस्टम बोर्ड तथा भारतीय खाद्य निगम से पूछताछ की गई थी। इसके अलावा, संसदीय समिति के अनुरोध पर इस संगठन ने भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली और कोल इंडिया लिमिटेड कलकत्ता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षाओं के सम्बन्ध में उठाया गए कदमों का अध्ययन किया।

सेवा सुरक्षाओं के बारे में विशेष अध्ययन

3.120. संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 335 में सेवाओं के मामले से सम्बन्धित सुरक्षाओं की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए दिए गए सुरक्षाओं से सम्बन्धित सभी मामलों (जिनमें सेवा सुरक्षा भी शामिल है) की जांच करनी होती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए बनाए गए सेवा सुरक्षाओं से सम्बन्धित व्यवस्थाएं केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों, उनसे सम्बद्ध तथा अधीन कार्यालयों, राज्य सरकारों तथा उनके उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, अनुदान सहायता प्राप्त कर रही स्वयं-सेवी संस्थाओं आदि पर थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ, विशेष कर राज्य सरकार के कार्यालयों के संदर्भ में, लागू होती हैं। हमारे विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों, केन्द्र सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों आदि में काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा भेजे गए अनेक सम्भावितों में यह पाया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सेवा हितों के संरक्षण के लिए वर्तमान नियमों/आदेशों का समुचित रूप से पालन या उन्हें लागू नहीं किया जाता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सेवा सुरक्षाओं की प्रकृति और सीमा का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए, इस संगठन ने केन्द्रीय सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उच्च शिक्षा संस्थानों, राज्य सरकार के कार्यालयों आदि का वही जाकर अध्ययन किया। इस रिपोर्ट की एक वर्ष की अवधि के दौरान अपर्याप्त स्टाफ होने के बावजूद, ऐसे 28 अध्ययन किए गए। विभिन्न अध्ययनों के फलस्वरूप निम्नलिखित समान कमियाँ नोटिस की गईं :

- (क) रोस्टरो को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा गया था और प्रविष्टियों अपूर्ण थीं;
- (ख) आरक्षित रिक्त स्थानों पर सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति करने से पूर्व अनारक्षण सम्बन्धी प्रणाली का समुचित पालन नहीं किया गया था;
- (ग) आरक्षित रिक्त स्थानों को अप्रेनीत करने की प्रणाली और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्त स्थानों के विनिमय के सिद्धांत को ठीक तरह से न तो समझा गया और न उल्का पालन किया गया;
- (घ) विभागीय पदोन्नति समिति/चयन बोर्ड की बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को इस बहाने शामिल नहीं होने दिया कि वह संस्था में उपलब्ध नहीं थे;
- (च) आंतरिक परिपत्रों और समाचारों में भेजे गई मांगों के अनेक मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की वास्तविक संख्या और रियायतों/

छूट की प्रकृति और सीमा, जिनमें यात्रा भत्ते की अदायगी की व्यवस्था भी शामिल है, का समुचित उल्लेख नहीं किया गया था;

- (छ) समाचारपत्रों को भेजे गए मांग-पत्र केवल महत्वपूर्ण नगरों और कस्बों में अधिक सर्कुलेशन वाले कुछ प्रमुख अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय दैनिक तक ही सीमित थे;
- (ज) जिन संस्थाओं में कई हजार कर्मचारी काम करते हैं, वहां भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रदत्त सेवा सुरक्षाओं को लागू करने से सम्बद्ध कार्यों को अनन्य रूप से निपटाने के लिए विशेष प्रकोष्ठ नहीं थे। जहां विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया गया था, वहां काम कर रहे कर्मचारी या तो वर्तमान नियमों/आदेशों से अनभिज्ञ थे और या किन्हीं कारणों से ऐसे नियमों/व्यवस्थाओं का समुचित व्यवहार मुनिश्चित करने में असमर्थ थे;
- (झ) अनेकानेक उपक्रमों में, स्टाफ कर्मचारियों की संख्या संतुष्टि बिन्दु तक पहुंच गई थी और किन्हीं कारणों से नई भरती पर प्रतिबंध लगा हुआ था;
- (ञ) आरक्षित रिक्त स्थानों को इसलिए पदोन्नति द्वारा भर दिया कि निम्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के योग्य प्रत्याशी बांछित संख्या में उपलब्ध होने के कारण उन रिक्त स्थानों को आरक्षित घोषित कर दिया था; और
- (ट) राज्यों में, उन शैक्षिक संस्थानों में जिन्हें स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही हैं और 80 प्रतिशत तक अनुदान मिल रहा है, आरक्षित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था।

3.121. रिपोर्ट के समीक्ष वर्ष के दौरान, इस संगठन के अनुसंधान दलों ने जिन संस्थाओं का अध्ययन किया, उन के बारे में मुख्य सिफारिशों/सम्प्रेक्षण स्था-वार संक्षिप्त रूप में नीचे दिए जा रहे हैं। अध्ययन दलों की इन रिपोर्टों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-15 से परिशिष्ट-42 में देखा जा सकता है :

1. कोल इंडिया लिमिटेड कलकत्ता

- (1) कार्यपालक पदों के लिए रखे गए रोस्टरो में आरक्षित रिक्त स्थानों को सामान्य प्रत्याशियों द्वारा भरे जाने से पहले आरक्षित स्थानों के न भरे जाने के बारे में कोई संकेत तक नहीं दिया गया था।
- (2) रोस्टरो में की गई प्रविष्टियों की तसदीक नियुक्ति प्राधिकारी ने नहीं की थी और जैसा कि नियमों के अधीन किया जाना चाहिए, कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर सारांश भी तैयार नहीं किया गया था।
- (3) नेकट अतीत में रोस्टरो का कोई निरीक्षण हुआ नहीं लगता था और सम्पर्क अधिकारी की कोई निरीक्षण रिपोर्टें भी नहीं थी। प्राधिकारी सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के जरिए पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में जारी किए निर्देशों के बारे में स्पष्ट नहीं थे और इस उद्देश्य से कोई रोस्टर भी नहीं बनाया गया था।
- (4) आरक्षित रिक्त स्थानों पर सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति करने से पहले ऐसी रिक्ति को आनारक्षित करने से सम्बन्धित कार्यविधि का पालन नहीं किया गया।
- (5) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की मुख्य कार्यालय में अनुपलब्धता के बहाने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

किसी भी सदस्य को सम्बद्ध नहीं किया गया। प्राधिकारी वर्ग को सलाह दी गई थी कि वे विभागीय पदावधि समिति/चयन बोर्ड की बैठकों, चाहे वे जब भी हों, से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को सम्बद्ध करने के लिए कलकत्ता में स्थित सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से ऐसे अधिकारियों की एक नामिका बनाएं।

- (6) समाचारपत्रों में भेजी गई मांग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या और ऐसे प्राथियों को दी जाने वाली रियायतों/छूट की प्रकृति का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। ये भी पाया गया कि मांग-पत्रों और रिक्त-परिपत्रों की प्रतियां मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संस्थाओं में नहीं भेजे गए और प्राधिकारी वर्ग को इस सम्बन्ध में समुचित सलाह दी गई।

उच्च पदों पर अनुसूचित जनजाति के प्राथियों की नियुक्ति-संख्या में सुधार करने के लिए, इस बात पर बल दिया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन ऐसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों को दिए जाने चाहिए, जिनकी सर्कुलेशन आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में अधिक हो। जिन अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी गई छूट के फलस्वरूप नियुक्त किया जाता है, उन्हें प्रबन्ध-व्यवस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे अरिष्ठ पदों के दायित्व का मंतीभोगत निर्वहण कर सकें।

- (7) यह महसूस किया गया कि मुख्य-कार्यालय में सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण के अधीन एक प्रकोष्ठ (सैल) का गठन किया जाए। उसका यह दायित्व होना चाहिए कि वह मुख्य कार्यालय में आरक्षण आदेशों के प्रभावो कार्यान्वयन की देखभाल करे तथा यह देखे कि कोकला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्राधिकारियों द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई विभिन्न सहायक कम्पनियों में भी इन्हीं आरक्षण आदेशों का पालन किया जा रहा है। हालांकि कार्मिक प्रभाग का मुख्य-अधिकारी मुख्यालय में आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामलों को देख रहा था, लेकिन इस दायित्व के लिए उसे सम्पर्क अधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाना चाहिए, जैसा नियमों के अधीन व्यवस्था है।

2. भारतीय खाद्य निगम नई दिल्ली

- (1) यह पुनराध्ययन था। पहला अध्ययन 1971 में किया गया था और अध्ययन दल के प्रेक्षणों के बारे में भारतीय खाद्य निगम को सूचित कर दिया गया था ताकि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करे। वर्ष 1970-71 की आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट में दल द्वारा किए गए अध्ययन का सारांश भी शामिल किया गया था। पुनराध्ययन में यह पाया गया कि पूर्ववर्ती दल की अधिकतर सिफारिशों का निगम द्वारा पालन नहीं किया गया है। पूर्ववर्ती दल द्वारा ग्रुप-प्रणाली के दायों को दूर करने से सम्बन्धित दिए गए सुझावों के वावजूद पूर्ववर्ती पद्धति अभी तक जारी है।
- (2) आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण करने की कार्यविधि का निगम द्वारा विषमकुल पालन नहीं किया गया, हालांकि इस

बारे में पूर्ववर्ती दल ने भी ठीक यही टिप्पणी की थी। प्राधिकारी वर्ग को सलाह दी गई थी कि वह भविष्य में अनारक्षण के मामले में सही कार्यविधि अपनाए। वर्तमान सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति 1977 में की गई थी और यह पाया गया कि न तो पूर्ववर्ती सम्पर्क अधिकारी ने और न ही वर्तमान सम्पर्क अधिकारी ने रोस्टरों के निरीक्षण की कोई रिपोर्ट पेश की, जैसा कि नियमों के अधीन व्यवस्था है।

- (3) वर्ष 1976 और 1977 में, अरिष्ठ पदों के लिए चयन बोर्ड की 12 बैठकें हुईं, लेकिन इनमें से किसी बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को सम्बद्ध नहीं किया गया। इसी अवधि में विभागीय पदावधि समिति की भी 23 बैठकें हुईं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी इनसे भी सम्बद्ध नहीं थे। फिर भी, श्रेणी-III और श्रेणी-IV के लिए हुई चयन बोर्ड की 14 बैठकों में से 7 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी सम्बद्ध थे।

- (4) ग्रुप "क" श्रेणी के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार के बारे में यह पाया गया कि वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान 9 प्राथियों को (अनुसूचित जाति के 5 और अनुसूचित जनजातियों के 4) विभाग में ही प्रशिक्षित किया गया और अनुसूचित जाति के 9 व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए निगम के बाहर भेजा गया। चूंकि प्रशिक्षित/प्रायोजित प्राथियों की कुल संख्या के ब्योरेदार अंकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इस कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के हिस्से के अनुमान नहीं लगाया जा सका। प्रशिक्षण प्रशिक्षण अधिनियम के अधीन, अनुसूचित जातियों के उन्मीदवार नहीं थे और प्राधिकारी-वर्ग को सलाह दी गई कि भावी प्रेस विज्ञापनों में इसका उल्लेख रहना चाहिए कि स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन व्यक्तियों को लिया जायेगा, उन्हें बाद में निगम में जरूर खपा लिया जाएगा। इस तरह का कदम उठाने से इन समुदायों के अधिकाधिक प्रशिक्षु इस ओर आकर्षित होंगे।

- (5) रोस्टरों को, सामान्य रूप से, ठीक तरह नहीं रखा गया था और ज्यादातर मामलों में समर्थ अधिकारी ने प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए थे। और वर्ष के अंत में सारांश भी नहीं तैयार किया गया था, जिनमें रिक्तियों की अग्रानित/अग्रानित स्थिति स्पष्ट की गई हो।

3. गार्डन रीच जहाज निर्माण एवं इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता

- (1) ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का विशेषकर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। इसका कारण यह था कि इस संस्था में आरक्षण आदेश मुख्य रूप से 1973 से लागू हुए।
- (2) कर्मकार श्रेणी के मामले में प्रबन्धक वर्ग की यह नीति रही है कि इन पदों के लिए सेवा निवृत्त कर्मचारियों के बेटों को ही नियुक्ति की जाये। परिणामस्वरूप कारखाने के विस्तार के साथ-साथ कर्मकार श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में जरूर वृद्धि हुई है लेकिन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
- (3) चूंकि यहां भर्ती की स्थिति संतुष्टि बिंदु तक पहुंच गयी है इसलिए जो भी सीमित रिक्तियां उपलब्ध हों, उन्हें सिर्फ

इन समुदायों से सम्बन्धित उम्मीदवारों से ही भरा जाना चाहिए। अगर संस्था में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो इन पदों को बाहरी उम्मीदवारों के लिए छोड़ देना चाहिए।

- (4) हालांकि पदोन्नति के जरिये पद भरणे के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित आदेश 1972 में जारी किये गये थे लेकिन प्रबन्धक वर्ग ने इन आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है।
- (5) प्राधिकारियों का विचार था कि पदों की आरक्षित स्थिति समाप्त होने से पूर्व रिक्तियों के तीसरे वर्ष में अग्रणीत किया जाना चाहिए और उसके बाद वे अनारक्षित हो जाती हैं। लेकिन नियमों के अनुसार ऐसा नहीं था और प्राधिकारी वर्ग को यह सलाह दी गयी कि वे सही कार्यविधि का पालन करें।
- (6) रोस्टर्स के अद्ययन से मालूम हुआ कि अनेक मामलों में बिना भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को समाप्त घोषित कर दिया गया। प्रबन्धक वर्ग को सलाह दी गयी कि वे इस मामले में वर्तमान नियमों का पालन करें जिसके अनुसार आरक्षित रिक्त स्थानों को तीन भारतीय वर्षों तक अग्रणीत किया जाये और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के बीच विनिमय सिद्धांत को पूरा करने के बाद ही उन्हें समाप्त घोषित किया जाये।
- (7) पिछले दो वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति/चयन बोर्ड की बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य सम्बद्ध नहीं किया गया। प्राधिकारी वर्ग को सलाह दी गयी कि ऐसी बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को सम्बद्ध करने के आवश्यक कदम उठाये ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में आत्म-विश्वास पैदा हो सके।
- (8) यह महसूस किया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी, जिनकी संख्या कुल 11,000 कर्मचारियों में करीब 1,500 है, के हितों की देखभाल के लिए एक अलग सैल का गठन किया जाना चाहिए। ऐसा कदम उठाने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को सगन अवधि के भीतर आवश्यक राहत देने और आरक्षण से सम्बन्धित सरकारी आदेशों को समुचित रूप से कार्यान्वित करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इससे कर्मचारियों के कल्याण विभाग का कार्यभार भी कम होगा, जो सभी कर्मचारियों के हितों की देखता है।
- (9) प्रबन्धक वर्ग द्वारा आरक्षित और सामान्य रिक्तियों को भरे जाने से सम्बन्धित जारी किये गये आंतरिक परिपत्रों में इस बात का उल्लेख नहीं था कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की वास्तविक संख्या कितनी थी और उन्हें क्या छूट/रियायतें दी जा सकती थीं। समाचारपत्रों और रोजगार कार्यालयों में भेजे गये अधिकतर मांगपत्रों में आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या और उन्हें किये जाने वाली रियायतों का कोई जिक्र नहीं था। प्राधिकारियों को सलाह दी गयी कि वे इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि इन रिक्तियों की जानकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मिल सके और वे इनके लिए प्रार्थनापत्र भेज सकें।

4. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)

- (1) रोस्टर और अन्य संगत रिकार्ड पिछली तारीख से यानि 1971 से तैयार करवाये गये थे और आरक्षण आदेशों का वास्तविक

कार्यान्वयन मार्च 1976 से प्रारंभ हुआ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि प्रबन्धक वर्ग को श्रमिक संघों से मामले निपटाने में करीब पांच वर्ष लग गये जिसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सेवा हितों में अपने न्यायोचित भाग से वंचित रहना पड़ा।

- (2) रोस्टर्स में की गयी प्रविष्टियों पर सक्षम प्राधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किये थे और अधिकतर मामलों में रोस्टर रजिस्ट्रारों में विनिमय नियम और अनारक्षित रिक्तियों को सांगू करने से सम्बन्धित कोई उल्लेख नहीं था।
- (3) निम्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कमजोर प्रतिनिधित्व होने के कारण प्रबन्धक वर्ग के लिए यह संभव नहीं हो पाया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरा जा सके। इस दोष को ठीक करने का एकमात्र तरीका यह है कि प्राधिकारी वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से ही अप्रेंटिसों की भर्ती शुरू करें और बाद में उन्हें अपनी संस्था में खपा लें।
- (4) न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण करने की कार्यविधि 1976 के बाद ही शुरू हुई। इससे पहले आरक्षित पदों को अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत किया दिखाया जाता था। 1976 से आगे सीधी भर्ती पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया गया और भर्ती सिर्फ संयंत्र के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दी गयी। 1976 के दौरान न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों की बड़ी संख्या को समाप्त दिखा दिया गया था। ये सिफारिश की गयी थी कि न भरी गयी रिक्तियों को व्यपगत करने के उद्देश्य से 1976 को पहला भर्ती वर्ष माना जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की देखभाल करने के लिए 1975 में गठित विशेष सैल के पास सामान्य आंकड़े तैयार करने के सहित बड़ी संख्या में अन्य काम भी थे। यह सैल सम्पर्क अधिकारियों के पथ-प्रदर्शन में काम कर रहा था। यह महसूस किया गया कि सैल में कम से कम दो या तीन और अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिये और काम की समाप्ति के बाद उन्हें वापस बुलाये जाने की भी व्यवस्था हो सकती है। एक समीक्षा समिति का भी गठन किया जा सकता था, जो अधिकरण से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा करे। इस संस्था के प्रबन्ध-निदेशक के पास उत्पादन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण काम थे और साथ ही उसे लगभग 31 हजार कर्मचारियों की संख्या वाले विशाल संगठन का प्रबन्ध भी संभालना था, इसलिए उसके लिए अधिकरण के मामलों की समीक्षा करना संभव वहीं भी हो सकता था।

5. हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलोर

- (1) तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों का वर्गीकरण वर्तमान नियमों के अनुरूप नहीं किया गया था। यह पाया गया कि पदोन्नति के पदों के मामले में भी वर्गीकरण किया गया था, जबकि इस सम्बन्ध में सरकार विशेष निर्देश जारी कर चुकी थी कि पदोन्नति के पदों में आरक्षण आदेशों के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए।
- (2) ग्रेड 265-900 रुपये के पदों में 75 प्रतिशत और ग्रेड 1350-1700 रुपये के पदों में 50 प्रतिशत पद सिर्फ पदोन्नतियों द्वारा भरे गये। इस प्रकार उन ग्रेडों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के आरक्षण

के अक्षर कम हो गये। इसका कारण यह था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निम्न पदों पर समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं थे।

- (3) प्रबन्धक वर्ग/प्रशिक्षु स्कीम के अधीन अनुसूचित जातियों और विशेषकर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं था। प्राधिकारियों को सलाह दी गयी कि इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या को विभिन्न स्कीमों के अधीन प्रशिक्षु के रूप में लिया जाये ताकि वे बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के योग्य बन सकें।
- (4) संस्था के कर्मचारियों के लिए जारी किये गये आंतरिक परिपत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं था जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ योग्य उम्मीदवारों को उच्च पद प्राप्त करने के अवसर से वंचित रहना पड़ा।
- (5) हालांकि प्रति-नियुक्ति द्वारा भरे गये पदों में आरक्षण का कोई विधान नहीं है लेकिन ऐसे निर्देश विद्यमान हैं जिनके अनुसार ऐसे पदों का एक न्यायोचित भाग इन समुदायों से सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा भरा जाना चाहिए। वर्ष 1975-76, 1976-77 की अवधि में यह पाया गया कि प्रति नियुक्ति द्वारा भरे गये पदों में से कोई भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नहीं मिला।
- (6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सेवा हितों की देखभाल के लिए एक सैल का गठन किया जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भर्ती अधिक हो।

6. हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कानपुर

- (1) यद्यपि अधिकतर गैर-आरक्षित मामलों से सम्बन्धित भर्ती की कार्रवाई 1970 में पूरी कर ली गयी थी लेकिन आरक्षित रिक्तियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से लम्बा समय लग गया और जब 1971 में भर्ती शुरू की गयी तो भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश प्राप्त हो गये। यह बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि संस्था के कुल 3,355 कर्मचारियों में से अनुसूचित जनजाति का सिर्फ एक कर्मचारी ग्रेड III पद पर काम करता था।
- (2) क्लास I और क्लास II के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था और क्लास III पदों में उनका प्रतिनिधित्व 5 प्रतिशत से कुछ कम था। पदों के वर्गीकरण में यह पाया गया कि विभिन्न अनुशासनों से सम्बन्धित पदों को एक ग्रुप में रख लिया गया था। इसलिए प्राधिकारियों को सलाह दी गयी कि वे इस सम्बन्ध से विद्यमान सरकारी आदेशों का पालन करें।
- (3) हालांकि सम्पर्क अधिकारी की वर्ष 1974 और 1975 की रिपोर्ट बहुत आलोचनात्मक थी और उसमें अनेक उपयोगी सुझाव भी दिए गए थे, लेकिन उसके अनुरूप समुचित कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार, ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया।
- (4) यह महसूस किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के कार्यों की अनन्य देखभाल के लिए संस्था में एक विशेष सैल का गठन किया जाना चाहिए और यह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों को भी निपटा सकता है।

(5) अध्ययन के दौरान यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ग्रेड-I और उससे निम्न श्रेणी के पदों में पदोन्नति के आरक्षण आदेश 1975 से और ग्रेड-II और ग्रेड-III के आरक्षण आदेश 1976 से लागू किए गए। हालांकि भारत सरकार ने बरिष्ठता और क्षमता (या औचित्य) के आधार पर पदोन्नति सम्बन्धी आदेश 27-11-1972 को और चयन के आधार पर पदोन्नति सम्बन्धी आदेश 20-7-1974 को जारी कर दिए थे।

(6) रोस्टर ग्रेड-वार और ग्रुप-वार रखे हुए थे, न कि पद-वार। रोस्टरों में अनेक बातां की जानकारी नहीं दी हुई थी। रोस्टरों में न भरी गई आरक्षित रिक्तियों के अग्रणीत किए जाने का उल्लेख नहीं था और पदोन्नति से सम्बन्धित रोस्टरों को संयुक्त रूप से बना लिया गया था हालांकि हर-पद के लिए इन्हें अलग-अलग बनाया जाना चाहिए था। 1975 तक, अधिकतर मांगों में, आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए छूट/रियायतों की निश्चित प्रकृति पर समुचित प्रकाश नहीं डाला गया था और प्राधिकारियों को सलाह दी गई थी कि भावी विज्ञापनों में वे ऐसी व्यवस्था का उल्लेख अवश्य करें।

7. भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

- (1) ग्रुप "क" "ख" और "ग" के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व नगण्य था। आरक्षित रिक्तियों, विशेषकर ग्रुप 'ग' के पदों में, बढ़ती जा रही संख्या (पिछले वर्षों में न भरने के कारण) को रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण कम नहीं किया जा सका क्योंकि नए पदों के सर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रबन्धक वर्ग को सलाह दी गई कि आरक्षित रिक्तियों की संचित संख्या को समाप्त करने के उद्देश्य से इन पर से प्रतिबंध आदेशों को हटा लें।
- (2) 1970-76 के वर्षों के दौरान रोस्टरों का निरीक्षण नहीं किया गया था जो इस बात का सूचक है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए।
- (3) हालांकि रोस्टर उचित रूप से रखे गए थे, लेकिन आरक्षित रिक्तियों के समायोजन, रिक्तियों के विनिमय, अग्रणीत रिक्तियों की संख्या और नियुक्तियों की जानकारी के लिए सारांश की तैयारी के मामलों में समुचित कार्यविधि का पालन नहीं किया गया था।
- (4) रोस्टरों में की गई प्रविष्टियों पर नियुक्ति अधिकारी या इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे।
- (5) समाचार-पत्रों को भेजे गई मांगों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या, इन उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाने वाली रियायतों/छूट की प्रकृति और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि वे इस सम्बन्ध में सही कार्यविधि का पालन करें।

- (6) आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के लिए किसी समर्थ प्राधिकारी से पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करने से सम्बन्धित कार्यविधि का विलकुल पालन नहीं किया गया था।
- (7) विभागीय पदोन्नति समिति/चयन बोर्ड की बैठकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की भागीदारी लगभग नगण्य थी। प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य अधिकारी सम्बद्ध मंत्रालय या किसी उपक्रम से उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए। क्योंकि ऐसे अधिकारी की भागीदारी से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में आत्मविश्वास का संचार होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों/विचार-गोष्ठियों/सम्मेलनों आदि में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की भागीदारी लगभग न के बराबर थी और प्रबंधक वर्ग से अनुरोध किया गया कि वह इस पहलू की ओर अधिक ध्यान दे ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी अधिक अनुभव और उच्च दायित्वों को निभाने में आत्म-विश्वास प्राप्त कर सकें।

8. कलकत्ता पोस्ट ट्रस्ट, कलकत्ता

- (1) रोस्टर पिछली तारीख से तैयार किए गए थे और इसलिए ऐसे रोस्टरों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का प्रभाव-शाली उपाय नहीं माना जा सकता।
- (2) हालांकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भरती/पदोन्नति के मामलों में विशेष अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों की भरती की स्वीकृति से सम्बद्ध निर्देश 1976 में जारी कर दिए गए थे, लेकिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवारों के अभाव में आरक्षित रिक्तियों को अग्रणीत करना पड़ा।
- (3) चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों के लिए चिकित्सा अधिकारियों के पदों में आरक्षित रिक्तियों को भरने में निश्चित रूप से रुचि ली हालांकि कलकत्ता में स्थित अनेक संस्थाओं की शिकायत थी कि चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के योग्य प्रार्थी नहीं मिलते। यह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि अगर सम्बद्ध प्राधिकारी वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य प्रार्थियों को भरती करने में उचित रुचि दिखाएँ तो ठीक उम्मीदवार उपलब्ध हो सकते हैं।
- (4) हालांकि प्राधिकारी वर्ग ने इस आशय के निर्देश जारी किए थे कि संस्था में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार अनुपलब्ध होने की स्थिति में, आरक्षित रिक्तियों को सीधी भरती द्वारा भरा जा सकता है, लेकिन ट्रेड यूनियनों से कुछ समझौता होने के फलस्वरूप प्रबंधक वर्ग इस व्यवस्था का पालन नहीं कर सका और उन्हें सलाह दी गई कि वे ऐसी आरक्षित रिक्तियों को सामान्य चयन के लिए खोल दें।
- (5) ऐसी विशाल संस्था में आरक्षण आदेशों को प्रभावी रूप देने और विभिन्न विभागों की गतिविधियों में बेहतर तालमेल के लिए सचिवालय कार्यालय में एक विशेष सैल के गठन का सुझाव दिया गया जिसका कार्य विभिन्न आंकड़ों को

इकट्ठा करना, उनका सन्वय करना तथा अध्ययन करना होगा। इसके अलावा, यह सैल अनारक्षण के प्रस्तावों और आरक्षण नियमों के न्यायोचित पालन को सुनिश्चित करेगा।

9. राष्ट्रीय उपकरण लिमिटेड कलकत्ता

- (1) जैसाकि रोस्टरों में दिखाया गया था, आरक्षित रिक्तियों को तीन वर्ष तक अग्रणीत करने के बाद समाप्त घोषित करने का कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं था वर्यो कि इन रिक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से भरने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, जैसाकि नियमों के अग्रणीत व्यवस्था है। इसके अलावा, रिक्तियों को समाप्त घोषित करने से पहले विनियम सिद्धांत को भी लागू किया जाना चाहिए था।
- (2) प्राधिकारी वर्ग को सलाह दी गई कि जो पद आरक्षण की परिधि में नहीं रखे गए हैं, उन सभी पदों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू करें। इन श्रेणियों के पदों में यह कारण दिया गया कि यहाँ सीधी भरती 50 प्रतिशत से बढ़ गई है और फरवरी 1976 से यह सीमा 50 प्रतिशत से बढ़कर 66% प्रतिशत कर दी गई है।
- (3) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों के सुरक्षण के लिए यह महसूस किया गया कि आरक्षण "8 प्रतिशत अग्रिभता" की स्कीम के अंतर्गत प्रारंभ किया जाना चाहिए, जिसके अग्रणीत सदस्यों को वरिष्ठता के अनुरूप उच्च वेतन का लाभ मिलता है।
- (4) जिन पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जा चुका है और जिन श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की प्रतिशतता बहुत कम है, वे बाहरी भरती के लिए खोल दिये जाने चाहिए और सीधी भरती द्वारा नियुक्तियां कर लेनी चाहिए। अगर आवश्यकता सम्झी जाए तो भरती नियमों में संशोधन किया जा सकता है।
- (5) पृथक-पृथक पदों का समूहन सरकारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालय की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।
- (6) कुशल और अकुशल श्रमिकों का अलग-अलग समूहन किया जाना चाहिए क्योंकि यह सम्भावना हो सकती है कि आरक्षित रिक्तियों को अकुशल श्रमिकों से भर दिया जाए।
- (7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सफाई शर्तों के काम से हटाकर किसी अन्य साफ-सुथरे व्यवसाय में लगाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है और उनकी ऐसे पदों पर नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए, जिनका आधार "जाति" नहीं है।

10. हिन्दुस्तान नरौन टुल्स लिमिटेड, बंगलौर

- (1) ग्रुप "क" और "ख" में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों, का प्रतिनिधित्व बहुत कमजोर था और कुछ श्रेणियों में तो 1 प्रतिशत से भी कम था।
- (2) 1976 से पूर्व समाचार-पत्रों के विज्ञापनों में और आंतरिक परिपत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों की वास्तविक संख्या, इन समुदायों को दी जा सकने वाली रियायतों/छूट का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। प्रबंधक वर्ग को सलाह

दी गई कि अखिल भारतीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों को, जिनका घनी जनसंख्या के आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त सर्कुलेशन है, विज्ञापन जारी किए जाएं। यह भी सुझाव दिया गया कि वे स्थानीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर ऐसे व्यक्तियों को भर्ती करें, जिनकी मांग हो ताकि उनकी भावी आवश्यकताएं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा पूरी की जा सकें।

- (3) प्रबंधक वर्ग अनारक्षण के मामले में कार्यविधि का पालन नहीं कर रहा था और वे न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को अग्रणीत कर रहे थे। प्रबंधक वर्ग से अनुरोध किया गया कि पदों को अनारक्षित करने के स्थान पर वे विशेष भरती द्वारा संचित रिक्तियों को पूरा कर लें। प्रबंधक वर्ग ने अनन्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन प्राथियों को भरती करने के लिए एक स्कौम शुरू की, जो एस० एस० एल० सी० की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद उनकी पुष्टि भी कर दी गई। प्रबंधक वर्ग को सलाह दी गई कि तकनीकी पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों को भरती बढ़ाने के लिए डिग्री और डिप्लोमाधारियों के लिए भी एक ऐसी योजना शुरू करें।
- (4) ग्रुप 'ग' के पदोन्नति रोस्टर्स में यह पाया गया कि जब 1976 में बड़ी संख्या में पदोन्नति की गई तो आरक्षण से सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर नई पदोन्नतियों का उल्लेख किया गया था, जबकि इससे पूर्व की अग्रणीत रिक्तियों को संचित-रिक्तियों के रूप में ही बन रहे दिये गए थे। प्राधिकारी वर्ग को सही कार्यविधि का पालन करने की सलाह दी गई।

11. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलूर

- (1) संस्था में 1-1-1978 तक, ग्रुप "क" और "ख" के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं था। ग्रुप "क", "ख" एवं "ग" में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत से भी कम था। अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को इस ओर आकर्षित करने के लिए इस बात पर बल दिया गया कि रिक्तियों के लिए मांगे उन क्षेत्रीय समाचारपत्रों को भेजी जानी चाहिए, जिनका सर्कुलेशन आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त हो।
- (2) ग्रुप "क" और "ख" में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कम प्रतिनिधित्व प्रबंधक वर्ग को उस नीति का परिणाम था जिसके अनुसार इन ग्रुपों के वरिष्ठ पदों को अग्रणीत प्राथियों को रखा था। चूंकि निम्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था, इसलिए प्रबंधक वर्ग के लिए यह संभव नहीं था कि संस्था में पर्याप्त संख्या में पदार्थ प्राप्त किए जा सकें और इसलिए यह सिफारिश की गई कि ऐसे पदों को बाहरी प्राथियों के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए।
- (3) रोस्टर्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्रविष्टियों को खाली छोड़ दिया गया था क्योंकि आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार प्राप्त नहीं किया जा सका था।
- (4) न भरी गई रिक्तियों के अनारक्षण के लिए गमथ प्राधिकारी से पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यविधि को पहले से नहीं अपनाया गया था।

- (5) पदोन्नति द्वारा पदों को भरने से सम्बंधित रोस्टर्स में यह पाया गया कि आरक्षण आदेशों के उद्देश्य के लिए पदों/व्यवसायों की कुछ श्रेणियों का ही समूहन किया गया था, जो नहीं किया जाना चाहिए था।
- (6) संस्था द्वारा जारी किए गए अनेक विज्ञापनों की पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों के लिए आवश्यक योग्यताओं, छूट की प्रकृति और सीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।
- (7) प्रबंधक वर्ग को सलाह दी गई कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकाधिक प्रशिक्षण सुविधाएं देने का प्रयास करें ताकि वे उच्च दायित्वों को निभाने में समर्थ बन सकें।

12. राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली

- (1) आरक्षण आदेशों को लागू करते समय पदों का समूह ठीक तरह से नहीं किया गया था।
- (2) आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण से सम्बंधित कार्यविधि का समुचित पालन नहीं किया गया था।
- (3) वर्ष 1977 की सम्पर्क अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि रोस्टर्स को रखने और आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता बरती गई है। लेकिन अध्ययन दल ने अपने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि सम्पर्क अधिकारी ने कुछ अनियमितताएं अग्रदेखी कर दी थीं।
- (4) विभिन्न रोस्टर्स की पड़ताल से मालूम हुआ कि सम्पर्क अधिकारी ने न इन्हें देखा था और न ही इनका अध्ययन किया था।
- (5) यह महसूस किया गया कि आरक्षण आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक अधिकारी द्वारा प्रबंधित विशेष सैल को अतिरिक्त स्टाफ दिया जाना चाहिए।
- (6) जिन संवर्गों में नियुक्तियां सिर्फ पदोन्नति के जरिये होती हैं, उनके भरती नियमों में संशोधन करके उसमें सीधी भरती को भी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथी संस्था के बाहर से उपलब्ध कराए जा सकें।
- (7) 1975 की हमारी पहले की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया था कि सभाकार पदों/रोजगार कार्यालयों में भेजी गई मांगों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या और इन उम्मीदवारों को निगम की ओर से दी जाने वाली छूट/रियायतों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। फिर भी, हाल ही में सभाकार पदों में प्रकाशित विज्ञापनों में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं (सिर्फ उन विज्ञापनों को छोड़ कर जो सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए थे) पाया गया।
- (8) नियमों के अनुसार कार्यालय प्रबंधक के पद के लिए पदोन्नति चयन के आधार पर होनी चाहिए लेकिन व्यवहार रूप में सभी पदों को वरिष्ठता के आधार पर भर लिया गया। यह सुझाव दिया गया कि कार्यालय प्रबंधक के पद के लिए पदोन्नति का आधार वरिष्ठता और क्षमता (या श्रेष्ठता) होना चाहिए।

13. हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)

- (1) हालांकि निगम को ताजी भरती करने की कोई योजना नहीं है लेकिन संचित रिक्तियों की विशाल संख्या को समाप्त करने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लक्ष्य से नई भरती, सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, शुरू करना पड़ेगी।
- (2) प्राधिकारी वर्ग 1975 से अनारक्षण की कार्यविधि का पालन कर रहा था। अनारक्षण रिक्ति समाप्त करने के लिए अग्रणीत के तीसरे वर्ष को स्थल के अनारक्षण होने के पहले वर्ष से गिनना चाहिए।
- (3) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भागीदारी नगण्य थी और उन्हें सलाह दी गयी कि मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को समुचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए ताकि संघन के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठा सकें और वरिष्ठ पदों के लिए पात्र बन सकें।
- (4) समाचारपत्रों/रोजगार कार्यालयों में भेजी गई मांगों तथा कई बार आंतरिक परिपत्रों में छूट/रियायतों की प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया गया था और यात्रा-भत्ते की व्यवस्था का भी उल्लेख नहीं था। प्राधिकारी वर्ग को भविष्य में मांगों में संशोधन करने की सलाह दी गई।

14. भारत का महा-पंजीयक, नई दिल्ली

- (1) 1970 से नए रोस्टर रखे गए लेकिन सम्बद्ध अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों की पुष्टि नहीं की गई थी।
- (2) रोस्टरों के रखने के उद्देश्य से किया गया पदों का समूहन करते समय कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई थी।
- (3) ऐसा प्रतीत हुआ कि पदोन्नति-पदों के लिए कोई रोस्टर तैयार नहीं किए गए थे। इसके स्थान पर सिर्फ एक सूची थी, जिसमें पदोन्नत व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे। पदोन्नति के वर्ष और न भरे गए आरक्षित स्थलों के अग्रणीत करने का विवरण, अनारक्षण से सम्बन्धित कार्यविधि आदि के ब्यौरे का रोस्टरों में स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
- (4) प्राधिकारियों ने अनारक्षण का कोई भी मामला प्रस्तुत नहीं किया। सिर्फ एक मामला ऐसा था, जो 1969 में कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास पहुंचा था।
- (5) अनेक मामलों में, जहां न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को तीन वर्षों तक अग्रणीत करते हुए दिखावा गया था और तीन भरती वर्षों तक अग्रणीत करते रहने के बाद अनारक्षण रिक्ति की समाप्त घोषित कर दिया था, इन पदों का औपचारिक रूप से अनारक्षण नहीं किया गया था।
- (6) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सम्पर्क अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट अध्ययन दल का दौरा करने से पहले कभी प्रस्तुत ही नहीं की गई।
- (7) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रायोजन के लिए रोजगार कार्यालयों में भेजी गई व्यवस्थित नहीं थी और अनेक मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित

जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की वास्तु का उल्लेख नहीं किया गया था।

- (8) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की मान्यता-प्राप्त संख्याओं को आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया था, जो व्यापक प्रचार की दृष्टि से आवश्यक था।

15. दक्षिण-पूर्व रेलवे, कलकत्ता

- (1) अगर रेलवे सेवा आयोग सामान्य स्तरों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों को आरक्षित रिक्तियों पर मनोनीत करने में असफल रहे तो दक्षिणपूर्व रेलवे के महानिदेशक को यह अधिकार है कि सामान्य स्तर में छूट देकर आरक्षित रिक्तियों पर इन प्राथियों की भरती कर ले। प्राधिकारियों ने 1976-77 की अवधि में न्यूनता को समाप्त करने के लिए इस अधिकार का प्रयोग किया। यह पाया गया कि अगस्त, 1976 से पूर्व रोस्टरों को रखने की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कार्य-विधि या निर्देश नहीं थे।
- (2) हालांकि मुख्य कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की देखभाल के लिए विशेष सैल था लेकिन मुख्य कार्यालय के सी०पी०ओ० के दफ्तर में रखे गए रिकार्डों में कोई प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं थी।
- (3) अनेक रोस्टरों में संचित रिक्तियों की गणना ही नहीं की गई थी और न भरी गई आरक्षित रिक्तियों के अग्रणीत किए जाने के अनेक मामले भी ठीक तरह नहीं दर्शाए गए थे। अग्रणीत के तीसरे वर्ष रिक्तियों के विनिमय या अनारक्षण से सम्बन्धित कार्यविधि के बारे में जानकारी का अभाव था, और कई मामलों में, रोस्टरों में प्रविष्टियों पर किसी प्राधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे।
- (4) हालांकि 1976-77 में संचित रिक्तियों को समाप्त करने के विशेष प्रयास किए गए थे लेकिन अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि 1977-78 के अंत में संचित रिक्तियों की संख्या कमोबेश उतनी ही रही क्योंकि उन पदों की श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या बहुत कम थी। यह पाया गया कि आरक्षित रिक्तियों को शायद सिर्फ विचार से अग्रणीत किया गया कि रिक्ति को समाप्त घोषित करने से पूर्व अनारक्षण की स्थिति अग्रणीत के तीसरे वर्ष अती है। और यह स्थिति रेलवे बोर्ड द्वारा स्थिति करने से पूर्व 1977 तक धर्नी रही।
- (5) विशेष सैल को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के जो अभ्यावेदन प्राप्त होते थे, वह उन्हें सम्बद्ध अधिकारियों के पास टिप्पणी के लिए भेज देता था। यह महसूस किया गया कि उन सम्बद्ध व्यक्तियों, जिन्होंने जानबूझकर या अनजाने में कोई गलत पूर्वग्रहयुक्त कार्रवाई की है, को अभ्यावेदन भेजने के स्थान पर विशेष सैल से सम्बद्ध निरीक्षकों को जांच के लिए सौंपने चाहिए। लेकिन यह मामले ठोस बुनियाद पर आधारित होने चाहिए।
- (6) दक्षिण रेलवे के अग्रणीत उन प्रभागों, जहां कर्मचारियों की संख्या 15,000 से अधिक है, में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामलों को निपटाने के लिए अलग सैल होने चाहिए। इन सैलों

में ऐसे सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में रुचि रखते हैं।

- (7) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी अधिकाधिक संख्या में वर्तमान सुविधाओं का लाभ उठा सकें। चयनपूर्व कोचिंग (अनुशिक्षण) स्कॉम, जिसे समाप्त कर दिया गया था, को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को अधिक सुविधाएं दी जा सकें। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित तकनीकी पदों के लिए—जो लम्बी अवधि से अपूरित पड़े हैं—मांगें ऐसे समाचारपत्रों को (अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं—दोनों के) भेजी जानी चाहिए जिनका अधिकतर पाठक-वर्ग अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में है।

16. आकाशवाणी, मद्रास

- (1) क्लास III और IV की सीधी भरती से सम्बन्धित रोस्टर—ऐसे रोस्टर 100 पाइंट वाले थे—1976 से रखे जरूर गए थे लेकिन उनमें पिछले वर्षों की संचित रिक्तियों नहीं दिखाई गई थीं। संचित रिक्तियों की गणना करके उन्हें रोस्टरों में दिखाया जाना चाहिए था।
- (2) रोस्टरों में कुछ प्रविष्टियां खाली छोड़ दी गई थीं और प्राधिकारियों को कोई भी रिक्त स्थान न छोड़ने की सलाह दी गई थी। सीधी भरती के स्थानों के लिए सामान्य उम्मीदवारों पर और आरक्षित स्थलों को अनारक्षित किए बिना पदोन्नति पर विचार किया गया था।
- (3) 1977 तक, संस्था में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की देखभाल के लिए कोई सम्पर्क अधिकारी नहीं था।
- (4) विभिन्न वेतन-मानों के अनेक पदों का एक साथ समूहन कर दिया गया था और इस सम्बन्ध में सम्बद्ध अधिकारी से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। यह सलाह दी गई कि तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों के लिए अलग-अलग समूहन किए जाएं और इस सम्बन्ध में कांसिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।
- (5) वर्ष 1975 और 1976 में समाचारपत्रों में भेजी कुछ मांगों में यात्रा भरते की व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया था और ऐसे विज्ञापनों में आयु और अनुभव से सम्बन्धित वास्तविक छूट का भी उल्लेख नहीं किया गया था। प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि भावी आवश्यकताओं के लिए भेजी जाने वाली मांगों में समुचित संशोधन करना चाहिए।

17. इंटिग्रल कोच फैक्टरी, मसब्रा

- (1) प्रत्येक व्यवसाय में बहुत कम संख्या में कर्मचारी काम करते थे और चूंकि वहां पदोन्नति का मामला उसी व्यवसाय तक ही सीमित था, इसलिए ऐसे अवसर बहुत दुर्लभ थे जब किसी विशेष व्यवसाय में एक से अधिक रिक्तियां, उपलब्ध/बनाई गई हों। अधिकतर रिक्तियां गैर-आरक्षित माननी जाती थी क्योंकि यह वर्ष की एकमात्र रिक्ति होती थी।

- (2) क्लास I और II अधिकारी ग्रेड में अनुसूचित जाति का एक भी प्रतिनिधि नहीं था। अधिकतर मामलों में इन श्रेणियों के पद निम्न श्रेणियों से पदोन्नति करके भरे गए थे। लेकिन निम्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था, इसलिए उच्च पदों उनके प्रतिनिधित्व में सुधार कर सकने की कोई संभावना नहीं थी।
- (3) फैक्टरी की निम्न श्रेणियों और संस्थान के लिपिक-वर्गीय पदों, जहां क्लास- II के 25 प्रतिशत पद सीधी भरती से लिए जाने की व्यवस्था है, के अलावा सीधी भरती की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह महसूस किया गया कि इस वर्तमान कर्मो को दूर करने के लिए जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, वहां आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बाहरी प्राथियों के लिए छोड़ा जा सकता है।
- (4) ग्रुप “क”, “ख”, “ग” और “घ” श्रेणियों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था या बिल्कुल नहीं था। चूंकि तमिलनाडु राज्य में आदिवासी जनसंख्या नगण्य के समान है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में इन पदों को पड़ोसी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति के प्राथियों से भरा जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि अपनी मांगें ऐसे क्षेत्रीय तथा स्थानीय समाचारपत्रों में भेजें जिनकी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो।
- (5) अध्ययन दल के दौरे से पहले तक, रोस्टरों को रखने के सम्बन्ध में सम्पर्क अधिकारियों द्वारा कोई भी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई लगती थी और प्राधिकारियों की इस सिलसिले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
- (6) 1975 से पूर्व अनारक्षण से सम्बन्धित कार्यविधि की उपेक्षा की गई।
- (7) फैक्टरी में करीब 13,000 कर्मचारी थे, जिनमें से 3,000 अनुसूचित जातियों और 100 अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित थे। इस बात की बहुत सख्त जरूरत महसूस की गई कि विशेष सैल का गठन किए बिना वर्तमान प्रशासन-तंत्र के लिए यह कठिन हो जाएगा कि आरक्षित समुदाय के प्राथियों के उचित न्याय किया जा सके।
- (8) प्रबंधक वर्ग ने फैसला किया कि खलासियों के 10 प्रतिशत पद फैक्टरी के सफाई कर्मचारियों में से भरे जाएंगे। लेकिन अब तक भरती किए गए 483 खलासियों में से सिर्फ दस को नियुक्ति सफाई कर्मचारियों में से की गई। यह मुद्दा दिया गया कि सफाई कर्मचारियों को जाति पर आधारित अस्वच्छ व्यवसाय से हटाने के उद्देश्य से खलासी के पद पर उनकी और अधिक नियुक्तियों की जानी चाहिए।
- (9) यह देखा गया कि अनियत (कैजुएल) स्टाफ की भरती के मामले में आरक्षण आदेशों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। इसलिए प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि अनियत स्टाफ की भरती के मामले में भी वे आरक्षण आदेशों को लागू करवाने की व्यवस्था करें ताकि अनियत स्टाफ को बाद में जब नियमित रिक्तियों के स्थान पर खपाया जाए तो उसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का भाग सुनिश्चित हो।

18. समुद्रपार संचार सेवा, नई दिल्ली:

- (1) कुछ पदों, जहाँ कर्मचारियों की मंजूर (अनुशासित) संख्या 20 से अधिक थी, का समूहन कर लिया गया था और प्राधिकारियों को यह दायें दूर करने की सलाह दी गई। दो मामलों में यह देखा गया कि पदोन्नति के पदों का समूहन सीधी भरती के पदों के साथ कर दिया गया था और संयुक्त रोस्टर शुरू कर दिए गए थे और परिणामस्वरूप इन पदों को द्विभाजित कर दिया गया था।
- (2) वर्ष 1971, 1972 और 1973 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों की अनुपलब्धता के कारण कुछ आरक्षण स्थल सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भर लिए गए थे। और दिखाया यह गया था कि कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व-स्वीकृति के बिना ही उन्हें अग्रणीत कर लिया गया। प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि वे ऐसे सभी मामलों में सरकार से कार्यान्तर स्वीकृति प्राप्त करें।
- (3) वर्ष 1976-77 की चयन बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में से चयन बोर्डों की 8 बैठकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी शामिल नहीं था। इसलिए प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि वे सम्बद्ध मंत्रालय या दिल्ली स्थिति किसी अन्य मंत्रालय/विभाग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य अधिकारियों को प्राप्त करने के प्रयास करें।

19. समुद्रपार संचार सेवा, मद्रास

- (1) ग्रुप "ग" के अनेक पदों का बहुत पहले एक साथ समूहन कर लिया गया था और पदों की कुछ श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी की मंजूरी के बावजूद पुराना व्यवस्था-जारी रहा।
- (2) प्राधिकारियों का विचार था कि 3 भरती वर्षों तक आरक्षित रिक्तियों को अग्रणीत करने के बाद ही अनारक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। प्राधिकारियों को उचित कार्य-विधि की जानकारी दी गई। उसके पश्चात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के हितों को—एक मामले को छोड़कर, जहाँ अनारक्षण को आवश्यक बनाने का कोई अवसर नहीं था, हानि नहीं उठानी पड़ी।
- (3) जिन व्यक्तियों के पूर्वज अस्पृश्य माने जाते थे और इस कारण अनेक वर्ष पूर्व वे ईसाई धर्म के मतानुयायी बन गए थे, उनका दावा था कि वे पुनः हिन्दु धर्म में दीक्षित हो गए हैं और उन्हें जाति का प्रमाणपत्र दिया जाए। प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि वे उन्हें अनुसूचित जातियों के रूप में स्वीकार करने और उन्हें उन्हीं जातियों को दी जा रही वैध रियायतें देने से पूर्व भारत सरकार के गृह मामलों के मंत्रालय को ऐसे सभी मामले सौंप दें।

20. जनरल पोस्ट आफिस, नई दिल्ली एवं सौनियर सुपरिटेण्डेंट आफ पोस्ट आफिस, नई दिल्ली

- (1) सीधी भरती के कुछ पदों में रोस्टर आदर्श रोस्टर के अनुरूप नहीं रखे गए थे और अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे रोस्टरों को दुबारा से बनाएं। नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों से अधिक थी, जो स्पष्ट रूप से उनके लिए सराहनीय है। ऐसे मामलों में इन रिक्तियों को

बाद के वर्षों में भावी स्थलों के लिए अग्रणीत किया हुआ दिखाया गया था।

- (2) डाकियों के मामले में (सीधी भरती) तैयार किए गए सारांश रोस्टरों में की गई वास्तविक प्रविष्टियों को प्रति-बिम्बित नहीं कर रहे थे। रिक्तियों को निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों के विनिमय के सिद्धांत को लागू किए बगैर ही—समाप्त घोषित कर दी गई थीं।
- (3) परीक्षण-श्रेणी और गैर-परीक्षण-श्रेणी के क्लास IV के मामले में भरती नियमों के अंतर्गत 50 प्रतिशत सीधी भरती और 50 प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था है। लेकिन यह पाया गया कि इन सभी पदों के लिए संयुक्त रोस्टर रखे हुए थे।
- (4) आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की कार्यविधि का पालन नहीं किया गया था और प्राधिकारी वर्ष की वर्तमान आदेशों की भली-भांति जानकारी नहीं थी। उन्हें सलाह दी गई कि भविष्य में वे निर्धारित नियमों का पालन करें।
- (5) समाचारपत्रों के विज्ञापनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को याता भत्ते की अदायगी की व्यवस्था पर उचित प्रकाश नहीं डाला गया था। प्राधिकारियों को भावी रिक्तियों के लिए भेजी जाने वाली मांगों में संशोधन की सलाह दी गई।

21. पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली अंचल

- (1) उच्च श्रेणियों लिपिकों के पदों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि उन श्रेणियों में जहाँ समय-मात्र कतकों में 50 प्रतिशत पद प्रतियोगिता परीक्षाओं के जरिए भरे गए, अनारक्षण से सम्बन्धित कार्यविधि का पालन नहीं किया गया।
- (2) यह पाया गया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा जो रिक्तियां नहीं भरी जा सकीं, उन्हें अग्रणीत नहीं किया गया।
- (3) समाचारपत्रों को भेजी गई मांगों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा/इंटरव्यू में प्रवेश के लिए स्वीकार्य याता भत्ते का कोई उल्लेख नहीं था। यह सुझाव दिया गया कि भविष्य में भेजी जाने वाली ऐसी सभी मांगों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को बड़ी संख्या में आरक्षित करने के उद्देश्य से याता भत्ते की व्यवस्था का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- (4) पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय में रखे गए रोस्टरों के संदर्भ में सम्पर्क अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट पहले से तैयार/प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्राधिकारियों को इस सम्बन्ध में सरकारी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया।

22. केन्द्रीय राजस्व एवं सौभाग्य-शुल्क समाहर्ता, बंगलौर

- (1) पृथक् पदों का समूहन विद्यमान नियमों के अनुरूप नहीं किया गया था। इसलिए प्राधिकारियों को निर्धारित नियमों का पालन करने की सलाह दी गई।
- (2) कई मामलों में रोस्टरों में की गई प्रविष्टियों की समर्थ प्राधिकारी द्वारा पुष्टि या उन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।
- (3) समाचारपत्रों को भेजे गए विज्ञापनों/मांगों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए छूट/रियायतों की वास्तविक प्रकृति का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

- (4) कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों को परीक्षा/इंटरव्यू में प्रवेश के लिए दिए जाने वाले यात्रा भत्ते की व्यवस्था का उल्लेख नहीं था।

23. भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान, कानपुर

- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को सितंबर, 1974 में लागू किया गया। सीधे भरती के पदों के लिए भी स्थिति यही थी।
- (2) भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान के अधीन पदों और सेवाओं में आरक्षण की उपेक्षा की गई तथा ढाला गया, जबकि कानून में इससे सम्बन्धित आवश्यक कानून मौजूद हैं।
- (3) सशक्त नीति के अभाव में संस्थान में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की व्यवस्था लगभग प्रभावहीन हो रही।
- (4) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भरती में इसलिए सुधार नहीं हो सका कि संस्थान में अधिकतर भरती (संस्था के) अंदरूनी उम्मीदवारों में से की गई। बाहरी प्रार्थी से पद सिर्फ तभी भरे गए, जब संस्था में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो सके।
- (5) संस्थान में आरक्षण की कार्यविधि का पालन नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में प्राधिकारियों को विद्यमान नियमों का पालन करने की सलाह दी गई।
- (6) अधिकतर रोस्टर ठीक तरह से नहीं रखे गए थे और उनमें गलत प्रविष्टियां भी की गई थीं। रिक्तियों के सारांश में समुचित उल्लेख नहीं था। इसलिए उन्हें उचित कार्य-विधि अपनाने की सलाह दी गई।
- (7) समाचारपत्रों/रोज़गार कार्यालयों में भेजी गई मांगों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों की वास्तविक संख्या और इन समुदायों के प्राथियों को दी जाने वाली रियायतों/छूट की प्रकृति और सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं था।

24. भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान, मद्रास

- (1) यह देखा गया कि भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान में लेक्चररों, प्रोफेसरों आदि की नियुक्ति में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। लिपिक-वर्गीय और तकनीकी पदों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था।
- (2) सभी नियुक्तियां संस्थान के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दी गई थीं। इस आशय का फैसला निदेशक ने बहुत पहले इसलिए लिया था कि कर्मचारियों की यूनिटन ने संस्था के बाहर के प्राथियों को लेने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था। इसलिए इस बात पर बल दिया गया कि सांविधानिक सुरक्षाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और मजदूर यूनिटनों के साथ हुए किसी भी समझौते पर आरक्षण आदेशों की अग्रता रहनी चाहिए। संस्था के बाहर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भरती करके उनकी कमी को पूरा किया जाना चाहिए।
- (3) रोस्टर ठीक तरीके से नहीं रखे गये थे तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां भरे न जाने पर उन्हें अग्रणी एवं आगे ले जाने के उचबंधों का पालन नहीं किया गया था।
- (4) प्राधिकारियों को वर्तमान सरकारी आदेशों/नियमों के पालन करने की सलाह दी गई और उन्हें इनके बारे में समझाया भी गया। उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए सम्पर्क अधिकारी मनोनीत करने की सलाह दी गयी। उन्हें यह सलाह भी दी गई कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभागीय पदोन्नति समिति/चयन मंडल की बैठकों में, जब कभी भी ऐसी बैठकें हों, मनोनीत करें।

25. नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर

- (1) इंस्टीट्यूट के सम्पर्क अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत न कर पाने के कारण विश्वसनीय नहीं थे।
- (2) हालांकि प्रशासन अनुभाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं, फिर भी, उन्हें दर्ज करने के लिए न तो रजिस्टर रखा गया और न ही केवल इसी काम के लिए अलग से किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया था। पदों के समूह के बारे में देखा गया कि कुछ पदोन्नति पदों का ग्रुप "ए" तथा "बी" के सीधे भरती के पदों के साथ समूह कर दिया गया था। ग्रुप "सी" तथा "डी" के लिए स्थानीय/आंचलिक आधार पर भरतों की जा रही थी। ग्रुप "सी" के पदों के लिए 40 प्वाइंट वाला आदर्श रोस्टर रखा गया था, जबकि इस ग्रुप के लिए 100 प्वाइंट वाले आदर्श रोस्टर का अनुपालन होना चाहिए।
- (3) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्तियां उनके लिए निर्धारित प्वाइंटों के विरुद्ध नहीं दिखाई गई थीं और न ही ठीक से अग्रणी स्थिति वर्णित की गई थी।
- (4) वर्ष 1977 तक आरक्षित रिक्तियों के आरक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। रोस्टरों में नियुक्तियों की प्रविष्टियां समर्थ प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थीं।
- (5) जनवरी 1977 में प्रयोगात्मक चीनी फैक्टरी में असंख्य नियुक्तियां तबर्ष आधार पर की गई थीं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया था। प्राधिकारियों को सलाह दी गई थी कि इन पदों को नियमित आधार पर भरते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हितों की हानि नहीं होनी चाहिए। रोजगार कार्यालयों तथा समाचारपत्रों में भेजी गई मांगों में यह जानकारी पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितने पद आरक्षित हैं, इन उम्मीदवारों को कौन-कौन सी छूट/रियायतें उपलब्ध की जायेंगी और इंटरव्यू/लिखित परीक्षा में आने के लिए यात्रा भत्ते की व्यवस्था क्या रहेगी।
- (6) काफी बड़ी संख्या में ₹० 1300-1600, ₹० 1100-1400, ₹० 700-1250, ₹० 450-900, ₹० 350-900 के वेतनमान के पदों को, जिसमें राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों प्रकार के पद शामिल हैं, आरक्षण आदेशों से विमुक्त रखा गया था। प्राधिकारियों को सलाह दी गई थी कि वे वर्तमान नियमों के अनुसार पदों को विमुक्त रखने की समीक्षा करें।

26. शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार

- (1) दल को जानकारी दी गई कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्राथमिक अध्यापकों के 3,000 अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी है। यह मंजूरी लगभग 3,800 प्राथमिक अध्यापकों की सामान्य मांग के अलावा है। अध्यापकों की कुल 6,800 रिक्तियों

में से वर्ष 1978 में 3,150 रक्तियों अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों से भरने का निर्णय लिया गया है। यदि वांछित योग्यता तथा अनुभव वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, तब ऐसे उम्मीदवारों के लिए विशेष छूट देकर विचार किया जायेगा।

- (2) अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों के समय अनुदान-प्राप्त संस्थानों की आरक्षण नियमों का पालन करना होगा। इस क्षेत्र में हुई प्रगति का अंदाज नहीं लगाया जा सके क्योंकि पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं थी। अतः प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि वे आवश्यक सूचना का संग्रह करें और इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे संगठन वर्तमान नियमों/आदेशों का पालन कर रहे हैं।
- (3) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि वे इस संभावना का पता लगायें कि पदोन्नति में भी आरक्षण को कैसी व्यवस्था की जा सकती है।
- (4) सरकार के कल्याण विभाग ने आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जा रहा है। दल को जानकारी दी गई कि जिला समाज कल्याण अधिकारी जब दौरे पर जाते हैं तो वे विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा रखे गये रोस्टर्स तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण भी करते हैं और वे अपनी निरीक्षण रिपोर्टें भी प्रस्तुत करते हैं।
- (5) जिला समाज कल्याण अधिकारी रोजगार अधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के रजिस्टर भी रखते थे। सरकार ऐसे अनुदेशों को जारी करने की वांछनीयता पर विचार कर सकती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार अपने नाम जिला कल्याण अधिकारियों के पास रजिस्टर कराए और नियुक्त भी जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को नियुक्तियों के लिये परखों ताकि रोजगार कार्यालयों के काम के साथ इसका कोई विरोध न रहे।
- (6) दल को सूचना दी गई थी कि दो प्रकार के जाति प्रमाणपत्र जारी किये जा रहे हैं : (क) शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, और (ख) सेवा उद्देश्यों के लिए। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रमाणपत्र बिना कठिनाई के जारी किये जा रहे थे। दूसरे तरह के प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जा रहे थे लेकिन अनेक मामलों में प्रक्रिया सरल रखी गई थी। ये प्रमाणपत्र उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर जारी किये गये थे या विधान सभाओं के सदस्यों या राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर। गलत व्यक्तियों द्वारा जाति प्रमाणपत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिये यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए जारी प्रमाणपत्र यदि सेवा उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उम्मीदवार की नियुक्ति अस्वायी होनी चाहिए और उसे यह बता दिया जाना चाहिए कि भविष्य में वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिप्रमाणित प्रमाणपत्र जमा करेगा। सरकार को नियमों में ऐसी व्यवस्था शुरू करने की वांछनीयता पर भी विचार करना चाहिए कि झूठा प्रमाणपत्र जारी करने वाला व्यक्ति और झूठा प्रमाणपत्र जमा करने वाला व्यक्ति—इन दोनों पर वर्तमान आचरण नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

27. शिक्षा विभाग तमिलनाडु सरकार

- (1) सरकारी अनुदेशों के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग को छोड़कर शेष सभी पदों की भर्तियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के वास्ते सम्मिलित आरक्षण 18 प्रतिशत था। 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से अकेली अनुसूचित जातियों की जनसंख्या ही 18 प्रतिशत थी और ऐसी स्थिति में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया है, कम से कम 5 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होने चाहिए हालांकि इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 5 प्रतिशत से भी कम होगी।
- (2) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उच्च स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों तथा प्राथमिक स्कूलों में 1-8-1976 को कुल अध्यापकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की प्रतिशतता से साफ जाहिर होता है कि निर्धारित कोटे से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कम था और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व तो शून्य था।
- (3) चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों को आरक्षण आदेशों के अधिकार-क्षेत्र से विमुक्त रखने की कसौटी स्पष्ट नहीं थी। इस पर जोर दिया गया था कि इस संवर्ग के पदों के लिए भी आरक्षण लागू करने की दिशा में सरकार शीघ्र कदम उठाये।
- (4) प्रवरण पदों के लिए आरक्षण लागू नहीं था, जोकि होना चाहिए था।
- (5) रोस्टर रजिस्ट्रों में अग्रणीत/आगे लाई गई/भरी न जाने वाली रक्तियों को दर्शाने वाला कोई कालम नहीं था। ऐसी स्थिति में आवर्ती वर्षों में होने वाली भर्तियों के समय इन प्लाइंट्स की उपेक्षा हो सकती थी। यह सुझाव दिया गया था कि रोस्ट्रों में ऐसे उपबंध किये जाने चाहिये।
- (6) सरकारी अनुदेशों के अनुसार भरे न जाने वाले आरक्षित प्लाइंट्स एक साल तक अग्रणीत करने के बाद व्यपगत हो जाते हैं। यह सुझाव दिया गया था कि व्यपगमन से पहले नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए और इसके लिए उसे स्थिति को स्पष्ट करने वाली एक स्पष्ट टिप्पणी भेजनी चाहिए।
- (7) यह देखा गया कि राज्य सरकार के आरक्षण आदेश बड़ी संख्या में ऐसी शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं थे, जो सरकार से सहायता-अनुदान पा रही थीं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह देखा गया कि अगस्त 1976 तक 2137 प्राथमिक स्कूलों का संचालन विभिन्न मिशनों द्वारा किया जा रहा था और 2885 प्राथमिक स्कूलों का संचालन अन्य एजेंसियों द्वारा किया जा रहा था। 782 माध्यमिक स्कूलों का संचालन मिशनों द्वारा और ऐसे 1188 स्कूलों का संचालन अन्य एजेंसियों द्वारा किया जा रहा था। 295 उच्च स्कूलों का संचालन अन्य एजेंसियों द्वारा हो रहा था। अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार के व्यापक अवसरों से वंचित किया जा रहा था जो अन्यथा इन संस्थाओं में अध्यापकों तथा लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किये जा सकते थे।

यदि संभव हो तो तमिलनाडु सरकार को तमिलनाडु मान्यताप्राप्त प्राइवेट स्कूल (विनियमन) नियम, 1974 में संशोधन करना चाहिए ताकि प्राइवेट संस्थाओं के लिए भी सरकार तथा केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति का पालन करना अनिवार्य हो जाये ।

28. शिक्षा विभाग पश्चिम बंगाल सरकार

- (1) पिछले दो वर्षों में शिक्षा भाग में बहुत कम प्रगति हुई है । रोस्टर अभी-अभी शुरू किये गये थे, इसलिए समुचित अनुमान लगा पाना बहुत कठिन था ।
- (2) राज्य में 7000 से अधिक उच्च तथा जूनियर स्कूल थे जिनका संचालन स्वयंसेवी एजेंसियों, सामाजिक तथा धार्मिक संगठन कर रहे थे । इन स्कूलों को राज्य सरकार से वेतन तथा अल्पे सहित सहायता-अनुदान, प्रबंधकों द्वारा फीस आदि के रूप में एकत्र की गई राशि को घटाकर, दिया जा रहा था । सहायता-प्राप्त अन्य स्कूल भी थे, जिन्हें सरकार से 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान मिल रहा था । प्राधिकारी इन संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं करवा सके । पहले प्राइवेट सहायता-प्राप्त स्कूलों के अपने प्रलग नियम होते थे और नियुक्तियों में सरकार की कोई पूछ नहीं थी । पर 1976 में अधिनियम के लागू हो जाने के बाद से सहायता प्राप्त स्कूलों को भी सरकार की आरक्षण नीति का पालन करना होता था । प्राधिकारियों को सलाह दी गई कि वह आवश्यक आंकड़े एकत्र करें और आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के बारे में समुचित कार्रवाई करें ।
- (3) ऐसा देखा गया कि आरक्षण नीति को लागू करवाने के लिए उचित स्तर पर प्रशासन-तंत्र के न होने से सरकार को जारी अनुदेशों के फलदायी परिणाम नहीं मिल रहे । आरक्षण नियमों को लागू करवाने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कल्याण विभाग उत्तरदायी था । लेकिन यह पता लगा कि विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं था और अन्य मंत्रालयों/विभागों से भी इसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं था ।
- (4) प्रत्येक प्रमुख मंत्रालय में, जिसमें शिक्षा मंत्रालय भी शामिल है, एक-एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हित साधन के लिए पश्चिम बंगाल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1976 के अनुरूप प्रत्येक में एक विशेष प्रकोष्ठ गठित किया जाना चाहिए । विशेष प्रकोष्ठों को संचिका सूचना एकत्र करने तथा सेवा सुरक्षाओं के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन का काम सौंपा जा सकता है । उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विभाग से सम्पर्क भी बनाये रखना चाहिए ।
- (5) वर्तमान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विभाग निदेशक को विभिन्न विभागों/उपक्रमों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहिए । यह काम साधारण तौर पर सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान स्टाफ की सहायता से किया जा सकता है, जो सेवा सुरक्षाओं के कार्यान्वयन की जांच करेगा । सरकार को भी इन अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों का वर्तमान, नियमों के संशोधन तथा विनियमन के लिए उपयोगी ढंग से प्रयोग करना चाहिए ।

ऊपर जिन अनेक अध्ययनों से प्राप्त खोजों का उल्लेख किया गया है तथा इससे पहले भी जो अन्य अध्ययन हो चुके हैं, उनके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विभिन्न सेवा सुरक्षाओं को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए निम्न कदम उठाने के बारे में गंभीरता से विचार करना आवश्यक होगा :—

- (1) जो कार्मिक सेवा सुरक्षाओं को समुचित रूप से लागू करवाने के दायित्व को संभाले हैं, उन्हें अपने काम में वाकई रुचि होनी चाहिए और उन्हें समय समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये वर्तमान नियमों/आदेशों की समुचित जानकारी रहनी चाहिए ।
- (2) जो व्यक्ति जानबूझ कर या अज्ञानवश/असहानुभूतिशील अभिवृत्ति के कारण वर्तमान नियमों और आदेशों का उल्लंघन करने के दोषी पाये जायें, उन्हें सम्बद्ध आचरण/सेवा नियम अथवा इसके लिए जिस भी अन्य नियम की व्यवस्था हो, उसके अधीन दंडता से नियमानुसार दंडित किया जाना चाहिए ।

3.122 हम पिछली रिपोर्टों में इस आवश्यकता पर बल देते रहे हैं कि हमारे द्वारा किये गये विशेष अध्ययनों पर आधारित सिफारिशों/प्रेक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सरकार स्पष्ट अनुदेश जारी करे । स्पष्ट अनुदेशों के अभाव में ये अध्ययन अनुपयोगी तथा निरद्देश्य हो जाते हैं । हम कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को स्मरण कराते रहे हैं कि वे सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि को समुचित अनुदेश जारी करें कि ये निर्दिष्ट अवधि में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट भेजें और ऐसी अवधि तीन महीने से अधिक की नहीं होनी चाहिए । अतः सरकार द्वारा अनुदेश (ओ०एम०सं० 36024/1/78-एस्ट० (एस्०सी०टी०) दिनांक 27 जून, 1978) जारी कर दिये गये कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन द्वारा किये गये अध्ययनों पर अनुवर्ती कार्रवाई यथाशीघ्र होनी चाहिए और रिपोर्ट के अनुरूप की गई कार्रवाई की सूचना आयुक्त को दी जानी चाहिए । हम इसका कारण समझने में असमर्थ हैं कि सरकार इस मामले पर स्पष्ट अनुदेश जारी करने में संकोच क्यों कर रही है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं । जब तक इस तात्पर्य के स्पष्ट तथा विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किये जाते, तब तक विभिन्न संगठनों में जाने का हमारा प्रयोजन अनुपयोगी ही रहेगा और दोनों तथा विसंगतियों की प्रकाश में लाने के प्रयत्न व श्रम बर्था जायेंगे । इसके अतिरिक्त, ऐसे अधिकारियों की कठोर वंड विया जाना चाहिए जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आर्त व्यक्तियों की न्याय न देने के दोषी पाये जाते हैं ।

सेवा मामलों में न्याय न मिल पाने सम्बन्धी शिकायतें

3.123 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों आदि में हमने जो अध्ययन किये, उनसे प्राप्त तथ्यों से हमने देखा कि जो कार्मिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवा सुरक्षाओं को समुचित ढंग से लागू करवाने के प्रति उत्तरदायी थे, वे कमीबेश : (I) वर्तमान नियमों/आदेशों आदि से पूरी तरह परिचित नहीं थे; (II) सही परिप्रेक्ष्य में वर्तमान नियमों की व्याख्या करने में असमर्थ थे; और (III) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामलों को निपटाने में सहानुभूतिशील नहीं थे । कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि यह काम एक या दो व्यक्तियों को अतिरिक्त काम के रूप में सौंपा गया था । अपनी ईमानदारी के कावजद ये व्यक्ति ऐसे मामलों को कुशलता, शीघ्रता तथा प्रभावी ढंग से निपटाने में असमर्थ रहते थे । अन्य मामलों में, जहां इस काम के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किये गये थे, कम स्टाफ के कारण पूरा काम निपटाया नहीं जा सका । इन प्रकोष्ठों द्वारा विभिन्न विभाग/उपक्रमों को जो मामले भेजे गये थे, अधिकांश मामलों में उनकी प्रतिक्रिया उरसाहजनक नहीं

थी। ये मामलों के लिए अनावश्यक देरी की गई और इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को निराशा तथा अन्याय का शिकार होना पड़ा जिससे आमानी से बचा जा सकता था।

3.124 आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और उसमें शामिल करने के लिए इस संगठन ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों को जिन मामलों पर आवश्यक जानकारी मांगी थी, उसके प्रति इनके रवैये तथा प्रतिक्रिया का उदाहरण इस बात से दिया जा सकता है कि अधिकांश मामलों में हमें आवश्यक जानकारी बहुत देरी से प्राप्त हुई और अनेक मामलों में तो यह जानकारी अधूरी ही थी। हमारे द्वारा बार-बार स्मरण-पत्र भेजे जाने के बावजूद सार्वजनिक उपक्रमों के व्यूरो (वित्त मंत्रालय) ने वर्ष 1975, 1976, 1977 और 1978 के वे आंकड़े नहीं भेजे हैं, जिनसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति का पता चल सके। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को हर वर्ष हम आरक्षित रिक्तियों के अरक्षण में सम्बन्धित सांख्यिकी सूचना भेजने के लिए कहते हैं और वर्ष 1975 से सम्बन्धित सूचना अभी-अभी प्राप्त हुई है और वह भी लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद। वर्ष 1976 और 1977 से सम्बन्धित सूचना हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बार-बार स्मरण-पत्र भेजे जाने के बावजूद रेल मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड को लिखे गये हमारे पत्रों का उत्तर नहीं मिला है। वर्ष 1976, 1977 और 1978 (जुलाई 1978 तक) के सांख्यिकी आंकड़े परिशिष्ट-43 में दिये गये हैं। इससे अंदाज लग जायेगा कि विभिन्न राज्य सरकारें, मंत्रालय/विभाग विशेषकर रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, निर्माण एवं आवास मंत्रालय किस तरह अभ्यावेदन के मामलों के लिए असहयोगी रहे हैं। वर्ष 1976-78 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संगठनों/मंत्रालयों/विभागों को कुल 4853 मामले भेजे गये थे, इनमें से सम्बन्धित प्राधिकारियों ने अप्रैल 1978 के अंत तक केवल 1986 मामले ही निपटाए। इस प्रकार लगभग 2867 (59.08 प्रतिशत) मामले अभी तक अनिणति पड़े हैं।

3.125 स्पष्ट है कि नियमों/अनुदेशों आदि की गलत व्याख्या और अभ्यावेदनों पर अधिष्ठित कार्रवाई में देरी होने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों को निरुद्धित, क्लिष्टता, पुष्टि, पदोन्नति इत्यादि मामलों में हानि हुई है। यह वृद्धता से अनुभव किया जाता है कि जहाँ कहीं प्रशासनिक दृष्टि के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ी है, वहाँ उन्हें पुष्टि, पदोन्नति आदि के अवसरों पर नियत तिथियों से लाभ मिलना चाहिए। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को बिना विरोध किए समुचित अनुदेश जारी करने चाहिए कि प्रशासनिक दृष्टि के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को यदि लाभ नहीं मिल सके हैं तो उन्हें ऐसे लाभ पूर्वस्थापनी अवधि से मिलें।

3.126 हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि जब तक गृह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को यह स्पष्ट अनुदेश जारी नहीं करता कि वे आयुक्त के संगठन से प्राप्त होने वाले पत्रों के उत्तर देने के काम को प्राथमिकता तथा महत्व दें, विशेषकर अपनी शिक्कायतों के समाधान के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में, तब तक असंतुष्ट व्यक्तियों के साथ न्याय करने में कठिनाई बनी रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा मंत्रालयों/विभागों को जारी अनुदेश (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ओ० एम० सं० 16/8/69-एस्ट० (एस०सी०टी०) दिनांक: 24-4-1970) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों में मनोनीत सम्पर्क अधिकारियों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यावेदनों से सम्बन्धित काम करने वाले विभाग-प्रमुखों के अधीन कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त

को प्राप्त शिकारतों को पड़ताल करने में आवश्यक सहायता दें। गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र क्रमांक ओ० एम० सं० 36/24/1/78-एस्ट० (एस०सी०टी०) दिनांक 27 जून, 1978 में दोबारा इस बात पर बल दिया गया है कि सम्पर्क अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा सेवाओं सम्बन्धी व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और तत्संबन्धी तथ्यों, टिप्पणी आदि की मांग की जाती है तो यथाशीघ्र उत्तर/रिपोर्ट भेजने सम्बन्धी कार्रवाई की जाये। मंत्रालयों/विभागों द्वारा हमारे पत्रों के लिए जिस तरह का रवैया अपनाया जाता है और जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, उससे देखा जा सकता है कि केवल मात्र "शीघ्रतापूर्वक" शब्द जोड़ देने मात्र से सार्थक परिणाम नहीं निकलेंगे। इस बात की अविलंब आवश्यकता अनुभव की जाती है कि हमारे पत्रों का उत्तर देने की एक निश्चित समय-अवधि निर्धारित की जानी चाहिए और जो अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को न्याय दिलवाने में देर करने तथा उपेक्षा करने के दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध आचरण नियमों के अधीन कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक इस तरह के दृढ़ कदम नहीं उठाए जायेंगे, तब तक तर्कसंगत अवधि में अपेक्षित परिणाम पाने में अत्यंत कठिनाई प्राप्ती रहेगी।

3.127 अभी के कुछ पैराग्राफों में ऐसे मामलों का सारांश दिया गया है, जिनमें हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अपने निरंतर प्रयासों से न्याय दिलवाने में सफल रहे और कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें अपने अनथक प्रयासों के बावजूद हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सके। अनेक प्रभावित व्यक्तियों में से वे मामले कुछ व्यक्तियों के संतप से ही परिचय करवाते हैं और कष्ट पाने वाले व्यक्तियों को हमारे द्वार समय पर न्याय न दिलवा पाने की असमर्थता का बोध भी :

- (1) श्री सर्वोदय कालेज, नैल्लोर के शासी निकाय के एक सदस्य ने दिसम्बर, 1975 में आयुक्त को सूचित किया कि उक्त कालेज में अग्रणी के विभागाध्यक्ष के चयन में उसके द्वारा असंतुष्टि-लेख लिखने के बावजूद एक गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति का चयन कर लिया गया, जो आवश्यक योग्यता की शर्तों तक पूरा नहीं करता था। इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की उपेक्षा की गई, जबकि वह आवश्यक योग्यता की शर्तों पर भी पूरा उतरता था। कालेज के प्रिंसिपल ने भी अनुसूचित जाति के लेक्चरर का पक्ष लिया था लेकिन प्रमुखों ने सभी तर्कों को ठुकरा दिया। तब मामला कालेज के प्राधिकारियों के सामने ले जाया गया। कालेज ने जून 1978 में सूचित किया कि उक्त नियुक्ति अब रद्द कर दी गई है।
- (2) अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार दिसंबर, 1977 में कंप्यूटर असिस्टेंट के पद के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित एक इंटरव्यू में शामिल हुआ था। उसने इस कार्यालय को अभ्यावेदन दिया कि छह या सात उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के बाद प्रशासन द्वारा तैयार पैन्ल मार्च, 1978 में संपन्न कर दिया हालांकि अभी भी रिक्तियाँ बाकी थीं। मामला दिल्ली प्रशासन के सामने ले जाया गया तो हमें सूचना दी गई कि उक्त उम्मीदवार की उपायुक्त के कार्यालय में नियुक्ति कर दी गई है और वह झूठी पर आ रहा है।
- (3) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने इस कार्यालय में दिसंबर, 1976 में अभ्यावेदन दिया कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के एक वर्कलैट लिपिक की पदोन्नति के मामले में भेदभाव करता

- गया है। मामला जांच के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों के सामने ले जाया गया। मार्च, 1977 में हमें सूचित किया गया कि उक्त वरिष्ठ लिपिक की सहायक लेखापाल के रूप में पदोन्नति कर दी गई है।
- (4) जून, 1970 में एक व्यावसायिक एवं अधिशासी रोजगार अधिकारी, पंजाब ने इस कार्यालय को अपनी शिकायत भेजी थी। उसने अपनी इस शिकायत में क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी के रूप में पदोन्नति न दिये जाने और एक गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का चयन कर उस पद को भरे जाने का आरोप लगाया। सम्बद्ध प्राधिकारियों को मामले से सम्बन्धित तथ्यों को भेजने के लिए कहा गया और उन्हें उनसे यह भी कहा गया कि इन तथ्यों को भेजते समय आरक्षण नियमों का ध्यान भी रखें। सितम्बर, 1977 में हमें सूचित किया गया कि सम्बन्धित अधिकारी को अगस्त 1977 में क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी के रूप में पदोन्नति दी जा चुकी है।
- (5) दिल्ली दुग्ध योजना में अनुसूचित जाति के एक लेखापाल ने जून 1976 में इस कार्यालय में अग्र्यावेदन दिया कि प्रबंधकों ने न तो उसके पद की पृष्ठ की है और न ही प्रधान लेखापाल के लिए उसकी पदोन्नति के मामले पर विचार किया हालांकि वह आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव की शर्तों को पूरा करता है। मामला दिल्ली दुग्ध योजना के सामने रखा गया तो दिसम्बर 1976 में उन्होंने सूचित किया कि उक्त कर्मचारी की प्रधान लेखापाल के रूप में पदोन्नति की जा चुकी है।
- (6) खादी ग्रामोद्योग भवन कर्मचारों संघ ने अक्टूबर 1976 में इस कार्यालय को लिखा कि उनके प्रबंधक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के नियम का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने अनुसूचित जाति के एक ऐसे कर्मचारी के मामले पर प्रकाश डाला कि जिसे उच्च श्रेणी लिपिक की पदोन्नति नहीं दी गई थी। प्रबंधकों से कहा गया कि वे इस मामले पर अपनी टिप्पणी भेजें। अप्रैल 1978 में हमें सूचित किया गया कि उक्त कर्मचारी की मार्च 1978 में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नति की जा चुकी है।
- (7) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कल्याण की समिति ने मई 1975 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को लिखा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण अनुदेशों का पालन नहीं कर रहा है। परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ कर्मचारियों को उच्च श्रेणी लिपिकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। इस कार्यालय ने यह मामला जुलाई 1975 में सम्बद्ध प्राधिकारियों के सामने रखा। लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद मार्च, 1978 में हमें सूचित किया गया कि मुख्यालय से इसके बारे में स्पष्टीकरण मिल चुका है और पहले जारी आदेश को संशोधित कर दिया गया है। अब उच्च श्रेणी लिपिकों के आवेदन में 3 अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को शामिल कर लिया गया है।
- (8) भारतीय खाद्य निगम के इंजीनियरिंग प्रभाग में काम करने वाले अनुसूचित जाति के ट्रेसर-कम-ब्लूप्रिंटर ने जनवरी 1976 में अग्र्यावेदन दिया कि ग्रेड-11 में काम कर रहे नौ डाफ्ट्समैनों में से एक भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का नहीं है और उसे इस ग्रेड में पदोन्नति देने से इंकार किया जा रहा है। मामला भारतीय खाद्य निगम के सामने लाया गया। उन्होंने दिसम्बर 1976 में हमें सूचित किया कि उक्त कर्मचारी को पदोन्नति की जा चुकी है।
- (9) केन्द्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय, श्रम मंत्रालय में औजार भंडार इंचार्ज के रूप में (बिछले पांच वर्षों से) काम कर रहे एक कर्मचारी ने मार्च, 1976 में हमारे कार्यालय को लिखा कि उक्त संस्थान के प्रिंसिपल ने बिना कोई कारण बताये 13-5-1976 से उसकी नौकरी समाप्त कर दी है हालांकि उसकी गोपनीय रिपोर्ट में उसके काम के बारे में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि भी नहीं थी। अप्रैल 1976 में मामला रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम और रोजगार मंत्रालय के सामने अर्ध-शासकीय स्तर पर लाया गया और औजार भंडार इंचार्ज की नौकरी समाप्त करने के कारणों तथा आधार के बारे में पूछताछ की गई। मई 1976 में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक ने सूचित किया कि उक्त कर्मचारी उसी संस्थान के एक कर्मचारी के मूल पद पर काम कर रहा था, जो प्रतिनियुक्ति पर था और उसकी प्रतिनियुक्ति की अवधि 14-5-1976 को समाप्त हो गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उक्त कर्मचारी की परसक सहायता करने का प्रयत्न किया जा रहा है और दूसरे कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। जुलाई, 1976 में इस कर्मचारी को एक महीने के नोटिस के साथ नौकरी से निकाल दिया गया। मामला फिर रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया कि वे सम्बद्ध कर्मचारी को किसी उपयुक्त पद पर नियुक्त कर लें। हमें सूचित किया गया कि फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलूर के निदेशक ने उक्त कर्मचारी को सहायक भंडारी के पद का नियुक्ति-प्रस्ताव रखा था लेकिन उसने यह पद स्वीकार नहीं किया। उक्त कर्मचारी द्वारा यह पद स्वीकार नहीं करने के कारण ये दिये गये कि एक तो उसकी पत्नी बीमार है और दूसरे उसी ग्रेड का एक पद पहले वाली योग्यताओं सहित निमित्त किया जा चुका है। इन तथ्यों के बारे में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक को अवगत कराया गया तथा उनकी टिप्पणी तथा विचार मांगे गये। इसके उत्तर में हमें सूचित किया गया कि कानपुर के संस्थान में ऐसा कोई समरूप पद खाली नहीं है, अतः यह मामला कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को सौंप दिया गया है ताकि उक्त कर्मचारी को घरेलू परेशानियों के कारण कानपुर में ही उसके पुनर्परिनियोजन के लिए समुचित पद के बारे में विचार कर सकें। दिसम्बर, 1977 में उक्त कर्मचारी ने दोबारा अग्र्यावेदन दिया कि कानपुर के संस्थान में सहायक भंडारी का एक पद निमित्त किया गया है और उसके मामले पर वांछित विचार होना चाहिए। यह तथ्य रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुरोध किया कि उक्त कर्मचारी को, जो अब अधिशेष प्रकोष्ठ के फर्द पर था, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के सहायक भंडारी के आरक्षित पद पर परिनिर्वाहित कर लिया जाये। श्रम मंत्रालय ने जुलाई 1978 में सूचित किया कि उक्त कर्मचारी को मार्च 1978 से सहायक भंडारी के पद पर नियुक्त कर लिया गया था।

(10) फरवरी, 1976 में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने अभ्यावेदन दिया कि चार अन्य व्यक्तियों के साथ उसकी नियुक्ति भी अस्थायी आधार पर जुलाई 1975 में चपरासी के रूप में प्रशासनिक उप-न्यायाधीश का कार्यालय, दिल्ली में हुई थी। उसने लिखा कि जनवरी 1976 से उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई हालांकि जुलाई 1975 में जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी, उनमें वह अकेला अनुसूचित जाति का कर्मचारी था। मामला सम्बद्ध प्राधिकारियों के सामने रखा गया। अप्रैल 1976 में सूचित किया गया कि उक्त कर्मचारी को निलंबन व्यवस्था के अधीन नियुक्त किया गया था, अतः निलंबित कर्मचारी की बहाली के बाद उसकी नौकरी समाप्त करना आवश्यक हो गया। यह भी सूचित किया गया कि अब यह कर्मचारी एक दूसरी निलंबन व्यवस्था पर काम कर रहा है लेकिन निलंबित कर्मचारी की बहाली पर उसकी नौकरी फिर समाप्त हो सकती है। आरक्षण स्थिति की ओर संकेत करते हुए इस मामले पर एक बार फिर प्राधिकारियों को पुनर्विचार करने के लिए कहा गया और इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया गया कि उसके साथ के नियुक्त व्यक्ति सेवा में हैं, इस बात पर भी गौर किया जाये। मार्च 1978 में हमें सूचित किया गया कि उक्त कर्मचारी को स्थायी रिक्ति के अधीन समाहृत कर लिया गया है।

(11) जनवरी, 1977 में एक कर्मचारी ने अभ्यावेदन दिया कि वह दिल्ली परिवहन निगम में सहायक रोकड़िए के रूप में काम कर रहा था और सम्बन्धित प्राधिकारी कुछ बलों को पास करवाने में उसे अनियमितताओं के लिए बाध्य कर रहे थे। उसके द्वारा मना कर देने से धमकियां दी गईं तथा बेमतलब तग किया गया और रोकड़िए के पद के लिए इंटरव्यू के समय उसके प्रांत पूर्वग्रह का वातावरण बना दिया गया। दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों को मामले से सम्बन्धित तथ्य भेजने के लिए कहा गया। अक्टूबर 1977 में हमें सूचित किया गया कि सम्बद्ध अधिकारी की रोकड़िए के पद पर पदोन्नति कर दी गई है।

(12) अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने इस कार्यालय को अभ्यावेदन दिया कि जनवरी 1977 में उसके पिता की मृत्यु हुई तो वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में मेहतर के रूप में काम कर रहे थे लेकिन इस पर भी उसे अनुकंपा आधार पर नियुक्ति नहीं की गई। उसने यह भी लिखा कि सरकारी आवास का, दो उसके पिता को मिला हुआ था, बाजार किराया देने के अलावा अन्य अनेक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो गई हैं। मामला सम्बन्धित प्राधिकारियों के सामने लाया गया तो उन्होंने हमें सूचित किया कि उक्त व्यक्ति को चपरासी के रूप में नियुक्त कर लिया गया है।

(13) अनुसूचित जाति के एक अधिकारी ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अभ्यावेदन दिया कि वह 1968 से नगर निगम, दिल्ली के अधीन टी०बी० स्वास्थ्य परिचारक के रूप में काम कर रहा था और विभागीय उम्मीदवार के रूप में अप्रैल 1977 में उसका होम्योपैथ डाक्टर के रूप में चयन भी हो गया था। उसने यह भी लिखा कि स्वास्थ्य केन्द्रों में काम कर रहे 10 डाक्टरों में से एक भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नहीं था और उसे अभी तक नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किया गया है। सम्बद्ध अधिकारी के चयन की तथ्यात्मक स्थिति जानने के लिए नगर निगम को मामले के बारे में लिखा गया। लम्बे

समय तक चलने वाले पत्र-व्यवहार के बाद सितंबर 1978 में हमें सूचित किया गया कि सम्बद्ध कर्मचारी की होम्योपैथ डाक्टर के पद पर आरक्षित उम्मीदवार के रूप में जून 1978 में नियुक्ति की जा चुकी है।

(14) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इलाहाबाद के कार्यालय में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में काम कर रहे एक कर्मचारी ने मार्च, 1976 में अभ्यावेदन दिया कि उसकी पदोन्नति का मामला उसके कार्यालय ने अक्तुबर, 1975 में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास भेजा था लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिणामस्वरूप उसकी पदोन्नति रुकी पड़ी है। सम्बन्धित प्राधिकारियों ने शीघ्र निर्णय देने के बारे में लिखा गया तो मार्च, 1978 में हमें सूचित किया गया कि उक्त कर्मचारी की प्रभारी उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नति कर दी गई है और प्रधान लिपिक के पद पर उसकी स्थानापन्न पदोन्नति विचाराधीन है। उसकी बदली भी सूत्र से ब्रह्मदाबाद कर दी गई।

(15) दिल्ली प्रशासन के अधीन अनुसूचित जाति के एक सब-इंस्पेक्टर ने अपने अभ्यावेदन में आरोप लगाया कि पदोन्नति के समय उसकी उपेक्षा की गई और वह अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा अधिक्रमित किया गया। उसके अभ्यावेदन में यह भी कहा गया था कि उसके सेवा-वृत्त में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी और उसे एक प्रशंसा-पत्र भी प्रदान किया गया था। जनवरी, 1977 में यह मामला दिल्ली प्रशासन के सामने ले जाया गया और अब भी अधःशासकीय पत्र-व्यवहार जारी है। अगस्त 1977 तक सम्बन्धित अधिकारी का मामला निपटाया नहीं गया था क्योंकि, जैसा कि हमें सूचित किया गया, एक दूसरा मामला नीति-निर्णय के कारण रुका पड़ा है। लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद मार्च 1978 में इस कार्यालय को सूचित किया गया कि यह मामला इसलिए रुका पड़ा है क्योंकि अभ्यावेदनकर्ता को गोपनीय निजी फाइल पुलिस मुख्यालय से नहीं आई है। अब तक यही स्थिति बनी हुई है। परिणामस्वरूप सब-इंस्पेक्टर को शिकायत दूर नहीं हुई है।

(16) एक शिल्प इंस्ट्रक्टर (डॉमैन मैकेनिकल) ने सितंबर 1975 में अभ्यावेदन दिया कि उसे वर्तमान पद पर लब्ध आधार पर रखा हुआ है हालांकि नियमित आरक्षित पद पर उसका चयन हुए दो वर्ष बीतने वाले हैं। इस व्यवस्था के कारण अन्य बातों के अलावा उसकी वरिष्ठता पर असर पड़ेगा और यह सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर के ग्रेड में पदोन्नति को प्रभावित भी करेगी। नवम्बर 1975 को यह मामला दिल्ली प्रशासन के सामने रखा गया और सम्बन्धित तथ्यों की मांग की गई। लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद मई 1977 में दिल्ली प्रशासन ने हमें सूचित किया कि शिल्प इंस्ट्रक्टर को एक आरक्षित रिक्ति के अधीन सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर के रूप में पदोन्नति कर दी गई है। उक्त अधिकारी ने दोबारा शिल्प इंस्ट्रक्टर के पद की पुष्टि, नियत तिथि से पदोन्नति और चालू वरिष्ठता के निर्धारण के लिए अभ्यावेदन दिया। दिल्ली प्रशासन को फिर से इस मामले के बारे में लिखा गया और अगस्त, 1978 में हमें सूचित किया गया कि यह मामला शीघ्र ही विभागीय पदोन्नति समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(17) जुलाई 1976 में राजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोस्ट्रो आदि के अध्ययन के बाद देखा गया कि उक्त कार्यालय में 'की पंच ओपरेटर' की पुष्टि करते समय अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित एक प्लाइट अनुसूचित जाति के एक 'की पंच ओपरेटर' को दिया गया है। इसी दौरान फरवरी

1977 में सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। इस गलत कार्रवाई की ओर अध्ययन दल की रिपोर्ट द्वारा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय का ध्यान आकर्षित किया गया। अगल से भी उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया ताकि वह अपनी गलती सुधार कर अनुसूचित जनजाति के पात्र कर्मचारी को पुष्टि करें। पिछले दो वर्षों से भेजे जा रहे अर्ध-शासकीय स्मरण पत्रों के बावजूद रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय ने अपनी गलती का सुधार नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के सेवा हितों को हानि पहुंच रही है।

(18) जून 1976 में एक लोकसभा सदस्य द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि मध्यप्रदेश डाक-तार विभाग में एक्सट्रा डिपार्टमेंटल मेल कैरियर के रूप में काम करने वाले अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस कार्यालय ने अगस्त 1976 में सम्बन्धित प्राधिकारियों को लिखा और जनवरी 1977 में हमें उत्तर दिया गया कि कर्मचारी को नौकरी पर फिर से ले लिया गया है।

(19) अनुसूचित जाति के एक अधिकारी का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि उसकी नौकरी जनवरी 1977 से सी० सी० एस० (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (i) के उपबंधों के अधीन समाप्त कर दी गई है। यह अधिकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के झुग्गी-झोपड़ी विभाग में उच्च श्रेणी क्लिपिक/किराया पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा था। इस मामले के तथ्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को लिखा गया और इस ओर संकेत किया गया था कि मीसा के अंतर्गत नजरबंदी तथा उसके फलस्वरूप नौकरी से निकाल देना बुरे इरादे का प्रकट करता है। सम्बन्धित कर्मचारी की नजरबंदी दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा उठा ली गई थी। यहाँ सबूत काफी हैं कि उसकी नजरबंदी तथा बाद से उसे नौकरी से निकाल दिया जाना कदाश्च कार्रवाई थी। इस कार्यालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच हुए लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद सितम्बर, 1978 में सूचित किया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने निलंबन आदेश वापिस लेने और सम्बद्ध कर्मचारी को दोबारा बहाल करने का निर्णय ले लिया है।

(20) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में काम करने वाले एक परिचर (एटेंडेंट) के अभ्यावेदन में आरोप था कि उसे दोबारा नौकरी पर बहाल कर लिए जाने के बाद प्राधिकारियों ने यह निर्णय किया कि निलंबन अवधि--सितंबर 1972 से मई 1975--को बकाया देय-राशि नहीं दी जायेगी। इसके अलावा इस अवधि को नौकरी पर न होने के रूप में माना जायेगा। अक्टूबर, 1976 को यह मामला दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के अध्यक्ष के सामने लाया गया और उनसे मामले से सम्बन्धित तथ्य मांगे गये। अध्यक्ष ने सूचित किया कि उन्होंने यह मामला बोर्ड के एक सदस्य को परीक्षण के लिए दिसंबर 1976 से सौंप दिया था। इसके बाद समय-समय पर पत्र-व्यवहार होता रहा और मई 1978 में सूचित किया गया कि अध्यक्ष ने यह मामला अब संस्कृति विभाग के कुछ अधिकारियों को परीक्षण के लिए सौंप दिया है। अगस्त, 1978 में हमें सूचित किया गया कि परिचर को इसलिए निलंबित किया गया था कि वह नियमित और समय का पाबंद नहीं था। यह भी सूचित किया गया कि मानवीय आधार पर परिचर का निर्वाह भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है।

(21) लेखापरीक्षा, डाक और तार निदेशालय, नागपुर के अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने अभ्यावेदन दिया कि उसके खिलाफ यद्यपि कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई, उसे सामान्य निवृत्ति की तारीख 31-1-1977 के बजाय 30-9-75 को समय-पूर्व ही सेवा-निवृत्त कर दिया गया। उसने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय हड़ताल के दौरान सरकार के प्रति वफादारी के कारण मुझे अपने सहयोगियों का कोपभाजन बनना पड़ा था। अधिकारियों ने भी आपात अधिकारों का लाभ उठाकर उसे नौकरी से बाहर निकालने का निर्णय ले लिया और इसके लिए उसकी 1974-75 की गोपनीय रिपोर्ट काफी समय बीत जाने के बाद अगस्त, 1975 में प्रतिकूल लिखी गई। उस अवधि की गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल इंदराज के बारे में उसे 22-8-1975 को सूचित किया गया। इससे पहले कि वह 6 हफ्तों की अनुज्ञेय अवधि के अंदर अभ्यावेदन करे, उसे समय-पूर्व निवृत्ति का आदेश दे दिया गया और इसके बदले में 3 महीने का वेतन भी दे दिया गया। पहले यह मामला डाक और तार महानिदेशक के सामने और फिर अतिरिक्त उप-नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सामने रखा गया। उन्होंने सूचित किया कि 55 वर्षीय सरकारी कर्मचारियों के मामलों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें देते समय सम्पूर्ण सेवा-अवधि को आधार बनाया था और उसे जन-हित में सेवा में रखने के योग्य नहीं पाया था। इस तरह सेवा-निवृत्त किये जाने वाले याद व्यक्तियों में से वह भी था, इसलिए उसके प्रति कोई भेदभाव या अन्याय नहीं किया गया। तब इस मामले को अर्धशासकीय स्तर पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक के सामने रखा गया तथा संकेत किया गया कि एफ० आर० 56 (जे०) के उप-बंधों के अनुसार आवेदक को तीन महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए था। यह संकेत भी किया गया कि आवेदक के मामले का नियमानुसार दो बार पहले भी परीक्षण हुआ होगा--एक बार 50 वर्ष आयु का होने पर और दूसरी बार 55 वर्ष आयु का होने पर। यह तथ्य कि उसे सेवा में जारी रखा गया, इस बात का सबूत है कि विभाग ने उसे सेवा के लिए उपयुक्त माना। अतः गोपनीय रिपोर्ट में केवल एक वर्ष के लिए प्रतिकूल इंदराज के कारण सेवा-निवृत्ति का कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए था। ऐसे मामलों का परीक्षण करने वाली विशेष समिति ने भी प्रशासन से यह पूछताछ नहीं की कि आवेदक को अभ्यावेदन करने का सम्बन्धित अवसर क्यों नहीं दिया गया। नियंत्रण महालेखा परीक्षण से अनेक सवाल पूछते हुए प्रशासनिक व्यपगमनों की ओर संकेत किया गया, जो सीमा नियमों के परीक्षण पर पूरा नहीं उतरते। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि वे सम्बन्धित अधिकारी का गोपनीय रिकार्ड भेजें। इसके परिणामस्वरूप नियंत्रक महालेखा परीक्षण ने मामले के पुनरीक्षण का निर्णय किया और अप्रैल, 1978 में हमें सूचित किया कि आवेदक को सैदातिक रूप में सेवा में फिर से बहाल कर लिया गया है और अनिवाय निवृत्ति से वास्तविक निवृत्ति तक की अवधि के लिए उसे ड्यूटी पर माना गया है। इस बात का संकेत करने की कोई आवश्यकता नहीं कि विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनेक कर्मचारियों के साथ इस तरह का अन्याय हुआ होगा और सम्बन्धित प्राधिकारियों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को अभ्यावेदन करने में साहस की कमी के कारण अन्याय में कमी नहीं हुई होगी।

- (22) परिवार नियोजन और स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश का एक कर्मचारी टूडला नामक स्थान में दिसम्बर, 1968 से सहायक के रूप में नौकरी कर रहा था। उसका माचं, 1976 में अभ्यावेदन मिला कि बिना किसी कारण के 8-3-1976 से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है हालांकि वह ईमानदारी तथा निष्ठा से काम करता रहा था। जिला प्राधिकारियों को मामले से सम्बन्धित तथ्य भेजने के लिए कहा गया। मई 1977 में, लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद, हमें सूचित किया गया कि सम्बन्धित अधिकारी को फिर से बहाल कर लिया गया है।
- (23) अप्रैल, 1976 में दिल्ली परिवहन निगम क एक कर्मचारी ने आयुक्त का लिखा कि वह पिछले 14 वर्षों से कंडक्टर के रूप में नौकरी कर रहा था लेकिन बिना कोई समुचित जांच करवाये उसकी नौकरी बिना किसी ठोस आधार के समाप्त कर दी गई। सम्बन्धित प्राधिकारियों को लिखा गया कि कर्मचारी द्वारा वर्णित स्थिति को देखते हुए उसे मिलने वाली सजा बहुत कठोर है, अतः मामले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। अप्रैल, 1978 में सूचित किया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी को नौकरी पर दाबारा बहाल कर दिया गया है।
- (24) फरवरी, 1975 में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने अभ्यावेदन दिया कि उसका पुत्र उद्योग मन्त्रालय में लिपिक के रूप में काम करता था। उसका एक दुश्मन ने मृत्यु हो गई और उसके बहुत बड़े परिवार के पास जीवन-निर्वाह का कोई साधन नहीं है। इस व्यक्ति ने पुत्र के बकाया खर्च की अदायगी को प्रायः करीब आठ वर्षों से लेकर आने का सहायता चाही। यह मामला फरवरी में ही उद्योग और नागरिक प्रति मन्त्रालय के सामने रखा गया। उनके द्वारा सूचित किया गया कि मृतक का विधवा का 6 वर्ष तक के लिए अनुवर्ती अनुदान का मजुरा दे दी गई है। पश्चिमी प्रच्युतरा लामा के अलावा अल्प से एकमुश्त अनुदान भी दिया गया है। लेकिन मृतक कर्मचारी के पिता को रोजगार नहीं दिया जा सकता क्योंकि नियमानुसार मृतक के अपने परिवार के सदस्यों को ही इस तरह की सहायता दी जा सकती है। यह भी सूचित किया गया कि मृतक की पत्नी का नियुक्ति दी गई थी। उसके द्वारा नौकरी पर हाजिर न होने के कारण वह नौकरी बर्खास्त हो गई है। इस पर भी वह मामले पर दाबारा विचार करने के लिए तैयार है यदि मृतक की पत्नी सरकारी नौकरी पर आने का इच्छुक है। पिता ने अपने दाबे का दाबारा पेश किया क्योंकि उसकी बहु उस छोड़कर जा चुकी थी। मामला फिर से मन्त्रालय के सामने रखा गया। मन्त्रालय ने सूचित किया कि मृतक कर्मचारी का विधवा न नौकरी स्वाकार करने की इच्छा प्रकट करे और जुलाई 1977 से वह अतः इयुटी पर आने लगी।
- (25) स्टेट बैंक आफ पाटयाला, चंडीगढ़ के एक कर्मचारी ने मई 1978 में अभ्यावेदन किया कि बैंक प्राधिकारियों ने उसे असिस्टेंट ग्रैड परीक्षा में बैठने के लिए "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने से इंकार कर दिया है। इसके लिए तर्क यह दिया गया कि प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति केवल एक बार दी जा सकती है और सम्बन्धित कर्मचारी यह अवसर प्राप्त कर चुका है। बैंक प्राधिकारियों का लिखा गया कि वह इस मामले में तर्क रखे अनार्य क्योंकि इसमें अनुसूचित जाति के कर्मचारी का लाभ निहित है। जुलाई 1978 में सूचित किया गया कि बैंक की यह नीति है कि वह सभी कर्मचारियों को समान रूप से अपने सेवाकाल में केवल एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति देता है, जबकि उक्त कर्मचारी को दो अवसर दिये जा चुके हैं। फिर भी, विशेष मामले के तौर पर प्राधिकारियों ने सम्बन्धित कर्मचारी को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी कर दिया था।
- (26) मई 1976 में हरियाणा के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का इस बात को ध्यान आकषित किया कि अप्रैल 1976 में बैंक आफ इंडिया द्वारा उसे लिपिक पद के लिए नियुक्ति-पत्र दिया गया था। उसकी स्वास्थ्य परीक्षा हुई थी और उसके चरित्र तथा पूर्ववृत्त की भी पुष्टि कर ली गई थी। फिर भी इस तर्क पर उसे नौकरी नहीं शुरू करने दी गई कि वह टाइपिंग परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका था। यह आरोप भी लगाया गया कि उसी बैंक के अन्य उम्मीदवारों को, जिन्हें नियुक्त किया गया था, टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नहीं कहा गया था और न ही उसे नियुक्ति मिलने से पहले ऐसा कोई अग्रिम शर्त रखी गई थी। मई 1976 में सम्बन्धित प्राधिकारियों के सामने मामला पेश किया गया और परिणामस्वरूप उक्त उम्मीदवार को नवंबर 1976 से नियुक्त कर लिया गया।
- (27) अनुसूचित जाति उत्थान सघ, सी० डी० ए० ब्रांच, मेरठ, उत्तर प्रदेश ने दिसंबर 1977 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त का इस बात को ध्यान दिलाया कि उत्तर प्रदेश राज्य सिविल (न्यायिक) सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा में कोई छूट नहीं दी जाती और इसके अलावा आयु-सीमा को 40 से घटाकर 35 कर दिया गया है। सघ ने यह सूचना भी दी कि मुसफा को परीक्षा नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही और पिछले दो वर्षों से ऐसा कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई। इस कारण पात्र विधि स्नातक, प्रतियोगिता में नहीं बैठ पाये। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने यह मामला रखा गया तो जून 1978 में उसने सूचित किया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा की छूट देना युक्तिसंगत नहीं लगता। उपरोक्त सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद भर नहीं जा सका क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा में छूट न रहने के कारण योग्य उम्मीदवार मिल नहीं पाये थे। सितंबर 1978 को यह मामला एक फेर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखा गया और उनसे अनुरोध किया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा बढ़ाई जाये ताकि उनके लिए आरक्षित खाली पद भर जा सकें। सितंबर 1978 में मुख्यमंत्री द्वारा सूचित किया गया कि मामले पर विचार किया जा रहा है।
- (28) अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के महासघ, पिछड़े और अल्पसंख्यक कर्मचारियों की कल्याण समिति, मद्रास ने इन कार्यालयों को सूचित किया कि मई 1977 में डाक और तार महानिदेशालय द्वारा आयोजित कनिष्ठ इंजीनियरों के पद के लिए विभागीय अग्रक परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कोई छूट नहीं दी गई। समिति ने अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी के मामले को ध्यान भी दिलाया जिसे

एक प्रश्नपत्र में 36 प्रतिशत श्रक (जो बाद में संशोधन के बाद 38 प्रतिशत हो गये) मिले थे यानी 40 प्रतिशत श्रकों के सामान्य अर्हक मानक से केवल 2 श्रक कम मिले थे, इस कर्मचारी को अर्हक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया हालांकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अर्हक मानक में छूट की व्यवस्था थी। सम्बन्धित प्राधिकारियों को लिखा गया कि वे भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों तथा डाक और तार विभाग द्वारा स्वीकृत छूट वाले मानक के आधार पर आवेदक के मामले पर पुनर्विचार करें। डाक और तार महाविदेशालय ने सूचित किया कि मामले का पुनः परीक्षण किया गया था और उक्त परीक्षा में आवेदक को अर्हक उम्मीदवार घोषित कर दिया गया।

(29) अनुसूचित जाति के एक कनिष्ठ श्रम निरीक्षक ने अपने अभ्यावेदन में हमारा इस ओर ध्यान दिलाया कि उसकी पदोन्नति त्रुवर्थ आधार पर श्रम निरीक्षक के रूप में कर दी गई थी (जिसके बाद में "श्रम प्रवर्तन अधिकारी" नाम दिया गया) लेकिन 2 वर्षों की नोकरी के बाद 1961 में उसे प्रत्यावर्तित कर दिया गया क्योंकि उसे प्रतिकूल रिपोर्ट मिली थी। 1965 में दोबारा उसकी पदोन्नति श्रम प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कर दी गई और इस पद पर वह 11 वर्षों तक काम करता रहा लेकिन 1976 में एक प्रतिकूल रिपोर्ट के कारण उसे फिर प्रत्यावर्तित कर दिया गया। अधिकारी ने यह आरोप भी लगाया कि रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारी ने अपनी मासिक रिपोर्ट में उसके प्रतिकूल कभी कुछ नहीं लिखा था। जुलाई 1977 से इस मामले पर प्रधान श्रम आयुक्त ने पत्र-व्यवहार हो रहा है और इस बारे में अभी तक किसी अंतिम निर्णय की सूचना नहीं दी गई है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार के स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद कि स्पष्ट रिकॉर्डों के लिए अनिश्चित काल तक तदर्थ पदोन्नति न की जाये, सम्बन्धित अधिकारी को नियमित नहीं किया गया और अंततः उसे प्रत्यावर्तित करने के बजाय उसे अधिक हानि बल्कि मानसिक आघात भी पहुंचाया गया।

(30) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक सहायक इंजीनियर ने दिसंबर 1976 में हमें लिखा कि उसे बिना किसी दोष के नवंबर 1974 से निलंबित किया हुआ है। उसने आरोप लगाया कि जब वह एक निर्माण-कार्य का निरीक्षण कर रहा था तो निर्माण का एक हिस्सा टूट कर गिर पड़ा। विभाग ने उस पर आरोप लगाये कि उसने घटिया सामग्री प्रयोग करने की इजाजत दी और परिणामस्वरूप उसके निरीक्षण में होने वाला निर्माण बह गया। उसने यह भी लिखा है कि जिस सामग्री का प्रयोग किया गया था, वह घटिया नहीं थी और अपने निरीक्षण के दौरान ज्येष्ठ निरीक्षण अधिकारियों ने भी निर्माण-कार्य में किसी कमी की आर सकेत नहीं किया था, जो बाद में बह गया। सहायक इंजीनियर ने आगे लिखा है कि इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रधान इंजीनियर तथा फोर्लिडल प्लेट्स स्ट्रक्चर के निर्माण के विशेषज्ञ द्वारा जांच भी की गई थी। इस विशेषज्ञ के अनुसार बह जाने वाले निर्माण के डिजाइन में त्रुटि थी। बाद में विभाग ने निर्माण के लिए डिजाइन को संशोधित भी किया था। लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों के सामने दिसंबर 1976 में यह मामला लाया गया और लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद हमें अक्टूबर 1977 में सूचित किया गया कि इस अधिकारी को दो वर्ष तक वेतन-वृद्धि न देने का दंड दिया गया है और निलंबन आदेश वापिस ले लिया

गया है। इस मामले में निर्णायक कारक विशेषज्ञ की राय थी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों को बार-बार स्मरण-पत्र भेजने के बावजूद इस कार्यालय को निष्पत्ति की प्रतिलिपि नहीं मिली है और अपने प्रयासों के निष्फल होने के कारण हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सम्बन्धित अधिकारी के साथ न्याय किया गया है।

(31) भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय, में काम करने वाले एक चित्रकार ने अगस्त 1976 में अभ्यावेदन किया कि भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में 13 वर्षों से नौकरी करते रहने के बाद भी उसकी सेवा की पुष्टि/पदोन्नति की उपेक्षा की जा रही है। महापंजीयक के कार्यालय के सामने जब यह मामला रखा गया तो हमें सूचित किया गया कि जब तक एस० आई० यू० की सिफारिशें अंतिम रूप नहीं मिल जातीं, तब तक पुष्टि/पदोन्नति नहीं की जायेगी। महापंजीयक के कार्यालय को सूचित किया गया कि इस आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पुष्टि/पदोन्नति से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। फिर फरवरी 1977 में हमने लिखा कि एस० आई० यू० की सिफारिशों को अंतिम रूप मिल चुका है, अतः इस तथा अन्य कर्मचारियों की पुष्टि के मामले पर अब विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि उक्त मामले को निपटाने में देरी की जा रही थी, इसलिए हमने गृह मंत्रालय को लिखा। मंत्रालय ने हमें सूचना दी कि विभागीय पदोन्नति समिति इस मामले पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त कर्मचारी पुष्टि के योग्य नहीं हैं और सिफारिश की है कि 1977 की गोपनीय रिपोर्ट के बाद इस कर्मचारी की पुष्टि के मामले को फिर से परीक्षा की जाये। जब हमने 1977 की गोपनीय रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के कारण जानने चाहे तो पता चला कि 1975 की गोपनीय रिपोर्ट में उक्त कर्मचारी के लिए प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं, जिसके लिए 1976 में उसे संसूचित नहीं किया गया था। मई 1978 में बताया गया कि 1977 की गोपनीय रिपोर्ट तैयार हो गई है और विभागीय पदोन्नति समिति ने कर्मचारी की पात्रता पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। 1978 का वर्ष भी आधा बीत चुका है लेकिन विभागीय पदोन्नति की बैठक का परिणाम कई स्मरण-पत्रों के बावजूद हमें प्रेषित नहीं किये गये हैं।

(32) डाक एवं तार विभाग के अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी ने हमें लिखा कि उसके विभाग के पुरातनपंथी हिन्दू अधिकारी कई वर्षों से उसकी गोपनीय रिपोर्ट खराब लिख रहे हैं। उसे दक्षता-रोध पार नहीं करने दिया गया। उसकी वेतन वृद्धि तीन वर्षों से रुकी हुई थी। उसने आरोप लगाया कि उसकी उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में सीधी भर्ती हुई थी और उसके पद की 1-4-1965 को पुष्टि हो गई थी। वह अब प्रवरणता सूची के अनुसार कइयों से वरिष्ठ हो गया था और इससे सामान्य उम्मीदवारों में दुर्भाव तथा आशंका पैदा हो गई थी कि उसे दूसरों को अधिकृत करने का अवसर मिल जायेगा। इस कार्यालय ने पोस्टमास्टर जनरल, नई दिल्ली को अधि-शासकीय पत्र लिखकर मामले के तथ्य मांगे। इसके उत्तर में हमें लिखा गया कि सम्बन्धित कर्मचारी को गोपनीय रिपोर्टों की प्रतिकूल प्रविष्टियों की संसूचना दे दी गई थी लेकिन उसने न तो अपने काम में सुधार किया और न ही उपस्थिति के सिलसिले में समय की पाबंदी बरती। तीन वर्षों तक वेतन-वृद्धि रोकने का दंड अनुसूचित

जनजातियों के एक अधिकारी द्वारा की गई विभागीय जांच के बाद दिया गया था और यह अधिकारी ऐसे आदेश जारी करने में सक्षम था। अपील करने के बाद पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली ने बेतन-वृद्धि रोकने का दंड तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष का कर दिया। यह मामला सम्बन्धित अधिकारियों के सामने फिर रखा गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे सहानुभूति से मामले की समीक्षा करते हुए 1-2-1978 की वजाय पूर्व-व्यापी प्रभाव से उसे दक्षता-रोध लाघने की अनुमति दें क्योंकि 1975-76 तथा बाद के वर्षों में उसकी गोपनीय रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है। इसके अलावा वह अनुसूचित जाति के गरीब परिवार से है। सम्बन्धित प्राधिकारियों ने मामले की दोबारा समीक्षा की और पूर्व-व्यापी प्रभाव से दक्षता-रोध लाघने की अनुमति दे दी। इस कार्यालय ने फिर सम्बन्धित प्राधिकारियों को लिखा और यह आग्रह किया गया कि जब अभ्यावेदक को दक्षता-रोध पूर्व-व्यापी प्रभाव से लाघने की अनुमति दे दी गई है तो इसका कोई कारण नहीं कि कनिष्ठ अधिकारी उसे अधिकृत नहीं करें। प्राधिकारियों ने मामले की फिर समीक्षा की और हमें लिखा कि विभिन्न अधिकारियों ने उसकी गोपनीय रिपोर्टों में समय-समय प्रतिकूल प्रविष्टियां की हैं, अतः अभ्यावेदक इससे अधिक सहानुभूति का पात्र नहीं है। किंतु मानवीय आधार तथा उसके परिवार की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने न केवल उसे दक्षता-रोध लाघने की अनुमति दी बल्कि पदावधि के लिए उसे अनुमोदित किया।

(33) वेस्टर्न रेलवे हास्पिटल, गंगानगर शहर, कोटा प्रभाग में स्टाफ नर्स का काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने अक्टूबर 1977 में इस कार्यालय को एक अभ्यावेदन दिया कि उसकी बदली रतलाम प्रभाग में होनी चाहिए। जब सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया तो नवंबर 1977 को हमें सूचित किया गया कि दोहाद और रतलाम में स्टाफ नर्स का कोई पद खाली नहीं है कि उक्त कर्मचारी को वहां बदली की जा सके। जनवरी 1978 में इस बारे में फिर लिखा गया। मार्च 1978 में हमें सूचना दी गई कि उक्त कर्मचारी का मामला डी० एच० डी० हास्पिटल में बदली के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

(34) भारतीय खाद्य निगम का अनुसूचित जनजाति का एक कर्मचारी सहायक ग्रेड I के रूप में काम कर रहा था। उसने मार्च 1976 में इस कार्यालय को लिखा कि सहायक मनेजर के रूप में पदोन्नति देते समय उसकी दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश प्रंचल में नियुक्ति कर दी गई है। उसने लिखा कि भारतीय खाद्य निगम को उसने अभ्यावेदन दिया कि उसकी नियुक्ति दिल्ली में ही की जाये क्योंकि मुख्यालय में एक पद खाली है, उसकी पत्नी स्टाफ नर्स के रूप में दिल्ली के एक अस्पताल में काम करती है और उसके बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अप्रैल 1976 को यह मामला भारतीय खाद्य निगम के सामने रखा गया कि उक्त कर्मचारी की कठिनियों का देखते हुए इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। हमें सूचित किया गया कि भारतीय खाद्य निगम की यह नीति है कि जब किसी कर्मचारी की पदोन्नति हो तो जहां वह काम कर रहा होता है, वहां से बाहर कहीं उसकी नियुक्ति की जाये और उन्होंने उक्त कर्मचारी के अनुरोध को मनने में अपनी असमर्थता प्रकट की। तब यह मामला अगस्त 1977 में कृषि एवं सिंचाई मंत्रा के सामने रखा गया और उनके विचारार्थ मामले के तथ्य पेश किये गये। दिसम्बर

1977 में कृषि एवं सिंचाई राज्य मंत्रा ने हमें सूचित किया कि भारतीय खाद्य निगम की स्थानांतरण नीति के अनुसार पदोन्नति पाने वाले सभी अधिकारियों की पूर्व-नियुक्ति-स्थान से बदली कर दी जाती है और इसका अपवाद केवल महिलाएं, अपग कर्मचारी अथवा नितात स्वास्थ्य आधार वाले मामले हैं। यह भी कहा गया कि कर्मचारी के अनुरोध पर विचार किया गया था लेकिन पदोन्नति के बाद भी उसे दिल्ली में ही नियुक्त करना भेदभाव तथा ईर्ष्या का कारण बन जायेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि कर्मचारी का पदोन्नति आदेश रद्द हो रहा है और उस पर दो वर्षों के लिए किसी भी प्रकार की पदोन्नति के लिए रोक लगाई जा चुकी है। हमने भारतीय खाद्य निगम का फिर लिखा कि इस मामले में उनके द्वारा लिया गया निर्णय बहुत कठोर है। यह दलील भी दी गई कि भारत सरकार की विभिन्न रियायतों/छूटों का देने की नीति का तात्पर्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का सर्वांगीण विकास करना है। उसका यह अर्थ है कि अन्य लाभों के साथ-साथ वह आर्थिक उन्नति भी कर सके। इस दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम का कारवाई भारत सरकार की नीति के प्रतिकूल जाती है। कम से कम उनकी स्थानांतरण नीति में सुधार करने की जरूरत है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को, जिनकी पत्नियां/पति पदावधि के समय के स्थान पर नौकरी कर रहे हैं, व्यर्थ कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त इस और भी संकेत किया गया कि उक्त कर्मचारी को दो वर्ष तक पदावधि से वंचित करना भी किसी तर्क पर आधारित नहीं है। ऐसी कारवाई ऐसे दंड देने के समान है जिसके कोई ठोस कारण नहीं है। हमेशा सरकारी कर्मचारी की यह इच्छा पर है कि वह पदोन्नति स्वीकार करे या अस्वीकार करे और ऐसा कोई नियम नहीं है जो पदावधि का अस्वीकार करने पर उसके विरुद्ध जाये। इस मामले पर अब भी भारतीय खाद्य निगम से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

(35) केंद्रीय स्कूल सगठन के अंतर्गत फाट विलियम, कलकत्ता में काम करने वाली अनुसूचित जनजाति की एक महिला अध्यापिका ने जुलाई 1977 में इस कार्यालय को एक अभ्यावेदन दिया था। उसका आरोप था कि पिछले चार वर्षों से वह अपने मूल स्थान रांची में बदली के लिए आवेदन कर रही थी लेकिन इस स्थान पर काम करते हुए उसे सात वर्ष का समय हो चुका है। उसने आगे लिखा कि स्कूल की प्रसिद्धि उसे परेशान भी कर रही थी। केंद्रीय स्कूल सगठन को इस मामले के बारे में लिखा गया और दलील दी गई कि उक्त अध्यापिका की रांची बदली कर दी जाये। इसी दौरान उसकी बच्ची आसाम में कर दी गई। जब हमने सगठन को इस बारे में लिखा तो बदली आदेश रद्द कर दिया गया। अनेक स्मरण-पत्र भेजने के बाद उसकी बदली अततः जून 1978 में रांची में कर दी गई।

(36) अचल निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण भारत सरकार, पटना में काम करने वाले अनुसूचित जाति के एक उच्च श्रेणी लिपिक का पटना से भोपाल में भेदना करवाने के बारे में एक अभ्यावेदन इस कार्यालय का प्राप्त हुआ था। प्रतीत होता था कि अभ्यावेदक 1975 से परतू कारणों के कारण भोपाल में अपनी बदली करवाने के लिए अभ्यावेदन दे रहा था लेकिन मई 1977 तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब यह मामला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के सामने आया। इसके बाद यह मामला

अध्याय 4 आर्थिक विकास

हमारे देश में बेरोजगार और अल्परोजगार-प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है और जनसंख्या का 40 प्रतिशत से अधिक भाग गरीबी की सोमारेखा से नीचे रहता है। पंचवर्षीय योजना प्रारूप 1978-83 में यह ठीक ही लिखा गया है, "वर्षों से अपरिवर्तित गरीबी तथा असमानता को हम अपने समाज के दो सबसे अधिक वंचित वर्गों—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—की जीवन-स्थितियों में साफ-साफ देख सकते हैं" बहुत बड़ी संख्या में गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों के जीवन-स्तर को सहनीय स्थिति तक लाने के लिए लम्बा पथ पार करना होगा। पंचवर्षीय योजना प्रारूप 1978-83 में ही एक अन्य स्थान पर लिखा हुआ है, "अब एक के अनुभव की सामान्य सीख यह है कि वितरण प्रणालियों में रिसाव तथा प्रभावहीन प्रशासन के कारण ग्रामीण कार्यक्रमों के अंतर्गत आय के वितरण में सुधार नहीं हो सका।" योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों के पक्ष में संसाधनों की व्यापक स्तर पर मोड़ने का मुद्दा दिया है और लगभग हर कार्यक्रम में अंतर्निहित वितरण स्वरूप विद्यमान रहना चाहिए। किंतु बहुत संसाधनों के अपेक्षित समानकारी प्रभाव इस क्षति पर विभ्रंश करेगा कि शिक्षाधिकारी प्रशासन की कमजोरियों तथा निहित स्वार्थों का विरोध संगठित ही कर करे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास पर किया गया व्यय

4.2 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा को सुधारने के लिए विशेष विकास कार्यक्रम शुरु किये गये थे ताकि इन समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। पिछड़े वर्गों के क्षेत्र के ये कार्यक्रम सामान्य क्षेत्र में किए जाने वाले समस्त विकास कार्यक्रमों के सहायक कार्यक्रमों के रूप में संचे गये हैं ताकि इन व्यक्तियों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों पर किया गया व्यय

4.3 अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन 322.25 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में खर्चे किये गये थे। कुल व्यय में से 60 प्रतिशत से अधिक शैक्षणिक योजनाओं पर, 10 प्रतिशत आर्थिक विकास की योजनाओं पर और शेष 30 प्रतिशत स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य मदों पर व्यय किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 148.92 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे। आगे की तालिका में विकास के तीन मुख्य शीर्षों पर हुए व्यय का अलग-अलग ब्योरा दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

| मुख्य शीर्ष | राज्य क्षेत्र | केन्द्रीय क्षेत्र | जोड़ |
|--------------------------|---------------|-------------------|--------|
| शिक्षा | 37.77 | 45.04 | 82.81 |
| आर्थिक विकास | 14.40 | .. | 14.40 |
| स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य | 48.49 | 3.22 | 51.71 |
| | 100.66 | 48.26 | 148.92 |

एकोद्भूत आदिवासि विकास परियोजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों पर किया गया व्यय

4.4 जहाँ तक अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ऐसे सभी इलाकों, जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है, पहचाने गये और वहाँ अलग से आदिवासोप-योजनाएं तैयार की गईं आदिवासी उप-योजनाओं की परिकल्पना कुल विकास के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों को शामिल करके की गई थी जिनमें चार तत्व शामिल थे अर्थात् (1) राज्य योजनाओं की खुरेखाएं, (2) केन्द्रीय मंत्रालयों का निवेश, (3) स्थानिक वित्त, और (4) इन इलाकों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता। पांचवीं योजना में केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं का निवेश स्पष्ट नहीं किया जा सका। वर्ष 1976-77 के राज्यों के बजटों में आदिवासी उप-योजनाओं के लिए अलग से उप-शीर्ष रखे जाने शुरु हुए। आदिवासी उप-योजनाओं वाले इलाकों में राज्य योजनाओं तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन अनुमानित निवेश की उपलब्ध सूचना* नीचे दी जा रही है :—

(लाख रुपयों में)

| वर्ष | राज्य उप-योजना | विशेष केन्द्रीय सहायता |
|---------|----------------|------------------------|
| 1975-76 | 10911.00 | 2000.00 |
| 1976-77 | 19178.00 | 4000.00 |
| 1977-78 | 25721.74 | 5500.00 |
| 1978-79 | 34412.00 | 6611.00 |

पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों पर किया गया व्यय

4.5 चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि तक अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 225.05 करोड़ रुपये की राशि पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत व्यय की गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 10.80 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में और 58.00 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में व्यय किये गये थे। नीचे की तालिका में राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के अधीन वर्ष-वार किया जाने वाला व्यय अलग-अलग दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | राज्य क्षेत्र | केन्द्रीय क्षेत्र | जोड़ |
|---------|---------------|-------------------|-------|
| 1974-75 | 15.00 | 8.48 | 23.48 |
| 1975-76 | 15.00 | 1.18 | 16.18 |
| 1976-77 | 15.00 | 0.58 | 15.58 |
| 1977-78 | 13.00 | 0.56 | 13.56 |

*राज्यवार ब्योरा अध्याय 8 के परिशिष्ट में देखा जा सकता है।
†मैट्रिकोस्तर छात्रवृत्तियों पर किया गया व्यय शामिल नहीं किया गया है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

4.6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार का गृह मंत्रालय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित छह योजनाओं; कन्या छात्रावास; नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सुझाये गये उपायों; साइकल, मैला ढोने

वाले आदि के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां, प्रशिक्षण तथा समवर्गी योजनाओं; आदिवासी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कामों को देख रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए वर्ष 1977-78 के दौरान निधियों का राज्य-वार ब्रांडेड निम्न तालिका में दिया गया है :-

(लाख रुपये में)

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां | कन्या छात्रावास | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम | साइकलों आदि के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां | प्रशिक्षण और समवर्गी योजनाएं | आदिवासी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. आंध्रप्रदेश | 121.63 | 14.50 | 2.04 | 0.42 | 1.50 | 4.00 |
| 2. असम | 25.00 | 4.75 | .. | .. | .. | 0.65 |
| 3. बिहार | 50.80 | 3.50 | .. | .. | 0.50 | 1.00 |
| 4. गुजरात | 185.01 | 9.00 | 1.60 | 0.57 | 0.55 | 0.50 |
| 5. हरियाणा | 11.76 | 0.50 | .. | .. | 0.63 | .. |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 6.00 | 1.40 | .. | .. | .. | 0.50 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 4.00 | 1.25 | .. | .. | .. | .. |
| 8. कर्नाटक | 105.75 | 1.85 | 8.10 | .. | 0.75 | 0.40 |
| 9. केरल | 28.00 | 3.00 | 3.00 | .. | 0.75 | 2.00 |
| 10. मध्य प्रदेश | 47.40 | 2.50 | .. | .. | 0.50 | 1.25 |
| 11. महाराष्ट्र | 242.61 | 3.80 | 0.80 | .. | .. | 1.00 |
| 12. मणिपुर | 13.50 | 1.25 | .. | .. | .. | 0.45 |
| 13. मेघालय | 10.70 | .. | .. | .. | 2.30 | .. |
| 14. नेपाल | 9.33 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 15. उड़ीसा | 23.59 | 4.50 | .. | .. | 0.30 | 3.00 |
| 16. पंजाब | 50.00 | 0.80 | .. | .. | 0.90 | .. |
| 17. राजस्थान | 39.15 | 6.36 | .. | .. | 0.30 | 2.00 |
| 18. तमिलनाडु | 89.86 | 3.44 | 3.40 | .. | 2.55 | 0.50 |
| 19. त्रिपुरा | 4.00 | 2.00 | .. | .. | .. | 0.30 |
| 20. उत्तर प्रदेश | 331.07 | 4.35 | .. | .. | 1.50 | 1.20 |
| 21. पश्चिम बंगाल | 154.00 | 10.20 | .. | .. | 0.75 | 1.25 |
| 22. दादरा और नगर हवेली | 0.15 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23. दिल्ली | 8.00 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24. गोवा, दमन और दीव | 0.34 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25. मिजोरम | 12.50 | 2.00 | .. | .. | .. | .. |

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

4.7 सार्वजनिक क्षेत्र की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना का युक्तिकरण 1974-75 में हुआ था और छात्रवृत्तियों की दर बढ़ा दी गई थी। हान ही में छात्रावासों में रहने वाले आधुनिक तथा इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों की दर 60 रुपये प्रति माह और बढ़ा दी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पान्तिथिकों की संख्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक 3.25 लाख थी और 1977-78 के दौरान यह संख्या 4 लाख से ऊपर हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त 500 छात्रवृत्तियों ऐसे गैर-अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए रखी गई थीं, जो अपमार्जन, चर्म उतारने और चर्म कमाने के अस्वच्छ व्यवसायों में व्यस्त हैं। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दर ऐसी नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा का खर्च

पूरा कर सके क्योंकि ऐसे अधिकांश विद्यार्थी गरीब परिवारों के होते हैं। इस स्थिति की समीक्षा और छात्रवृत्तियों की दर में समुचित वृद्धि वांछनीय है।

कन्या छात्रावासों का निर्माण

4.8 केन्द्रीय क्षेत्र में कन्या छात्रावासों के निर्माण की योजना का लक्ष्य यह था कि इन स्थातों को बहुदेशीय संस्थाओं में परिवर्तित किया जा सके और इन श्रेणियों को कन्याओं को कलाओं, शिल्प, गृह प्रबंध आदि में प्रशिक्षित किया जा सके। 1977-78 के अंत तक 817 कन्या छात्रावासों के निर्मित होने की आशा थी। इस योजना की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है और गृह मंत्रालय के अनुसार सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि करने में कठिनाई हो रही थी कि छात्रावास वाकई आर्बटिन् राशि तथा निर्धारित समय में तैयार हुए हैं।

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ

4.9 वर्ष 1977-78 में अपमार्जन, चर्म उतारने और चर्म कमाने के व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की एक नई योजना शुरू की गई है ताकि ये बच्चे अस्वच्छ वातावरण से दूर रह सकें, जहाँ उनके माता-पिता रहने क लिए विवश हैं। छात्रवृत्तियों की 145.00 रुपये प्रतिमाह की राशि में शिक्षा शुल्क, आवास तथा भोजन, किताने तथा दूसरा साज-सामान, वर्दी तथा अन्य खर्च शामिल हैं। इस योजना को गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से राज्य सहकारों द्वारा कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव था।

परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

4.10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की विभिन्न श्रेणियों के रोजगार में स्थानन में सुधार करने के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का गठन किया गया था। भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए 7 अखिल भारतीय केन्द्र दिल्ली, इलाहाबाद, मद्रास, पटियाला, जयपुर, शिलांग तथा हैदराबाद में स्थित हैं; संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों की तैयारी के लिए 2 केन्द्र इलाहाबाद तथा तिरुचिरापल्ली में और 13 केन्द्र विभिन्न राज्यों में राज्य सिविल सेवाओं तथा अन्य परीक्षाओं के लिए खोले गये हैं। यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या की सिफारिश करने में मफल रहा है लेकिन स्टाफ प्रवर्ण आयोग आय-कर इंस्पेक्टरों, आवकारी इंस्पेक्टरों आदि अधीनस्थ सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या के लिए सिफारिश करने में मफल नहीं रहा।

स्वयंसेवा संगठन

4.11 जहाँ तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण-कार्य में संलग्न अखिल भारतीय स्तर के स्वयंसेवा संगठनों को सहायता देने का सम्बन्ध है, वर्ष 1977-78 में ऐसे संगठनों को 80 लाख रुपये आवंटित किये गये थे। यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार कुछ ऐसी निधियों को अलग से व्यवस्था करे ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्य के लिए नये संगठन भी प्रोत्साहित हों।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रवर्तन की कार्य-प्रणाली को नजद्वस्त करना।

4.12 अगस्त 1978 को भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय के जरिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रवर्तन की कार्य-प्रणाली को दृढ़ करने के लिए वर्ष 1978-79 में केन्द्रीय सहायता के रूप में 45 लाख रुपये के आवंटन का अनुमोदन कर दिया। यह राशि विभिन्न राज्य सरकारों में आवंटित की जायेगी आन्ध्र प्रदेश (4 लाख रुपये), गुजरात (3.50 लाख रुपये), महाराष्ट्र (3.50 लाख रुपये), तमिलनाडु (4 लाख रुपये), कर्नाटक (5 लाख रुपये), मध्य प्रदेश (3 लाख रुपये), राजस्थान (3 लाख रुपये), उड़ीसा (3 लाख रुपये), बिहार (8 लाख रुपये) और उत्तर प्रदेश (8 लाख रुपये)।

राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर किया गया व्यय

4.13 निम्नलिखित तालिका में 1974-75 से 1977-78 तक शिक्षा, आर्थिक उत्थान, और स्वास्थ्य, आवास एवं ग्राम्य तीन मुख्य क्षेत्रों के अंतर्गत किये गये सभी योजनावार व्यय के बारे में उपलब्ध सूचना दी गई है :-

(लाख रुपये)

| श्रेणी | वर्ग | पांचवी योजना परिव्यय | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 |
|--------------------|---|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| अनुसूचित जातिकां | शिक्षा | 5882.390 | 679.262 | 907.193 | 1081.769 | 1828.480 |
| | आर्थिक उत्थान | 2086.030 | 334.538 | 469.688 | 481.299 | 418.580 |
| | स्वास्थ्य, आवास और अन्य ¹ | 2157.050 | 980.442 | 1714.479 | 1111.891 | 851.660 |
| | | 10125.470 + 567.00@ 10692.470 | 1994.242 | 3091.360 | 2674.959 | 3098.720£ |
| अनुसूचित जनजातियां | शिक्षा | 3643.58 | 461.216 | 578.486 | 710.950 | 823.550 |
| | आर्थिक उत्थान | 2894.31 | 362.654 | 467.188 | 475.379 | 524.640 |
| | स्वास्थ्य आवास और अन्य | 1510.90 | 264.647 | 291.564 | 374.876 | 187.990 |
| | | 8048.79 + 23.80* 8072.59 | 1088.517 | 1337.238 | 1561.205 | 1536.180** |

4.14 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य क्षेत्र में तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पांचवी योजना के अधीन राज्य-वार किये गये व्यय का उपलब्ध व्योरा परिशिष्ट-44 में देखा जा सकता है।

उत्तर पूर्व परिषद द्वारा विकास-कार्यों पर किया गया व्यय

4.15 मई 1978 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के अपने दौरे के निम्नलिखित

में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आवृत्त उत्तर-पूर्व परिषद के साथ अनुसूचित जनजातियों के कल्याणकी विकास योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया। उत्तर-पूर्व परिषद के अनुरोध पर लघु उद्योग संस्थान, हैदराबाद के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के उद्यमवर्तीओं का एक अध्ययन किया था। यह भी समझा गया कि योजना आयोग ने वर्ष 1978-79 के लिए उत्तर-पूर्व परिषद को 35.85 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

@ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (असम) के लिए संयुक्त।

£ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

* अंशमान और निकोबार द्वीपसमूह के संदर्भ में शिक्षा, आर्थिक उत्थान, स्वास्थ्य, आवास तथा ग्राम्य मदों का संयुक्त परिव्यय।

** हिमाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

इस राशि में से 17.50 करोड़ रुपये विद्युत शक्ति पर, 10 करोड़ रुपये सड़कों तथा पुलों पर, 1.18 करोड़ रुपये ग्राम तथा लघु उद्योगों आदि पर ग्रहण के रूप में खर्च किये जा चुके थे। उत्तर-पूर्व परिषद ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में सुचनाएं एकत्र की हैं और ऐसे तकनीकी क्लोक्क उपलब्ध हैं, जो उत्तर-पूर्व के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विकास कार्यों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

शिक्षा-कार्यक्रमों की अपर्याप्त व्याप्ति

4.16 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का निहित स्वार्थों के हाथों कष्ट उठाने का एक प्रमुख कारण यह है कि अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन की दिशा में किया कार्य अपर्याप्त है तथा सामाजिक निषेध इसके आड़े आते हैं। यह आम दावा है कि अनुसूचित जातियों की दशा सुधारने के लिए शुरु की गई सभी योजनाओं में से शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के परिणाम सबसे अधिक उत्साहवर्धक रहे हैं। निस्संदेह यह बात कुछ हद तक सत्य है लेकिन इसमें उतनी प्रगति नहीं हुई है, जितनी की आशा की जाती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में 1951 से 1971 के दौरान अनुसूचित जातियों में साक्षरता की दर 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई थी लेकिन सामान्य साक्षरता दर 10.7 प्रतिशत से बढ़कर 21.7 प्रतिशत हुई। प्राथमिक स्कूलों की अपेक्षा महा-विद्यालयों, हाई स्कूलों तथा माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर कहीं अधिक बल दिया गया था। प्राथमिक स्तर का मुख्य लाभ निःशुल्क शिक्षा था और छात्रवृत्तियों के उपबंधों के अधीन केवल एक प्रतिशत विद्यार्थियों की नगण्य संख्या ही लाभान्वित होती थी। माध्यमिक तथा हाई स्कूलों में एक-तिहाई विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों का लाभ मिलता था लेकिन नकन्याओं और अपमार्जन जातियों के बच्चों को भी इस योजना में शामिल कर लिया जाता था; और मेट्रिकोत्तर स्तर पर भारत सरकार की मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां उपलब्ध हो जाती थी। यह देखा गया कि जहाँ तक मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों का सम्बन्ध है, उसमें अवांछित देरी तथा निर्धियों का दुष्प्रयोग हो रहा था। छात्रवृत्तियों की पद्धति के कारण बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रारम्भिक चरणों में ही उसे अग्रुदा छोड़ कर अपनी जिम्मेदारियों में जुट जाना पड़ता था और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर अपेक्ष्य एवं रुकावट का यह बहुत बड़ा कारक था। यह देखा गया कि देश के अनेक भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मेट्रिकपूर्व चरण में शिक्षा की पर्याप्त सविधाएं प्राप्त नहीं हैं और इस कमी के कारण इन वर्गों के विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा के उच्च चरणों तक नहीं पहुँच पाते।

अन्वच्छ पारंपरिक व्यवसायों से सम्बद्ध समस्याएं

4.17 1961 की जनगणना के अनुसार मैला ढोने वाले, चर्म उतारने और चर्म कमाने के अन्वच्छ व्यवसायों में जुटे हुए व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 10,40,193 थी और इनमें से 8,02,336 व्यक्ति मैला ढोने तथा झाड़ूकशों का काम करते थे। 1971 की जनगणना के समय मैला ढोने, चर्म उतारने और चर्म कमाने का काम करने वाले व्यक्तियों के अलग-अलग आँकड़े एकत्र नहीं किये गये थे। यह सर्वविदित है कि इन समुदायों के व्यक्ति असुस्थता के सबसे अधिक शिकार हैं। तृतीय योजना के दौरान मैला ढोने वाले और झाड़ूकशी का काम करने वालों की कार्य-स्थितियों को सुधारने के लिए केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन एक योजना बनाई गई थी और इसके लिए 114.19 लाख रुपयों का योजना विनिधान किया गया था। 299 लाख रुपयों का विनिधान आवासों और आवासीय भू-खंडों के लिए था। चौथी योजना के दौरान सर्वांग योजनाओं के लिए 300 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था। तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अपमार्जन का काम करने वालों को नगर निगमों द्वारा 39,000 पहिये वाली गाड़ियां, हस्तदले और 11,000 गम-बट तथा क्वाथ ग्लोब, खरचने के रवे, दाढ़ियां आदि उपकरण बाँटे गये थे। अस्वच्छ

व्यवसायों में जुटे मैला ढोने वाले, झाड़ूकश तथा अन्य व्यक्तियों को 54,000 आवासीय भू-खंड तथा 30,000 मकान भी उपलब्ध किये गये थे। लेकिन इसके अतिरिक्त उनके जीवन-स्तर अथवा कार्य-स्थितियों में विशेष सुधार नहीं हुआ। लेकिन खेद की बात यह है कि पांचवी योजना के दौरान इस उपायों को भी केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल नहीं रखा गया और राज्यों को सलाह दी गई कि वे सामान्य क्षेत्रों में से इस तरह के कार्यक्रम बनायें कि इन समुदायों के लोगों को भी लाभ पहुँचे। केन्द्र के निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालय में बदलने की योजना शुरू की थी। यह योजना देश के 30 चुने हुए नगरों में लागू होगी और इस उद्देश्य के लिए पांचवी योजना में 4.40 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निधियों का परिमाणन

4.18 पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक बार इस पर बल दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सामान्य क्षेत्र की योजनाओं का समुचित लाभ मिलना चाहिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाते समय योजना आयोग ने निर्णय किया कि सामान्य क्षेत्र के अधीन के हर विभाग ऐसी योजनाओं को पहचान करेगा जिससे अनुसूचित जातियों व्यक्तियों को सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों से लाभ पहुँच सकता है और इस उद्देश्य के लिए अलग निधि सुरक्षित रखेगा। अप्रैल 1975 में पिछड़े वर्गों के कल्याण-कार्य के इंचार्ज राज्य मंत्रियों की एक कान्फ्रेंस में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके अंतर्गत हर विभाग को सामान्य क्षेत्र में ऐसी योजनाओं की समीक्षा करनी थी और उससे अनुसूचित जातियों को होने वाले लाभों की मात्रा का अनुमान लगाना था। इस तरह के परिमाणन करते समय, जहाँ कहीं संभव हो, इन समुदायों के पक्ष में पात्रता की शर्तों में छूट देनी थी। यह अनुभव किया गया कि ऐसे परिमाणन योजना तथा बजट बनाने समय ही कर लिए जाने चाहिए। प्रत्येक विभागीय कार्यक्रम, जो केन्द्र तथा राज्य दोनों में हो सकता है, की समीक्षा पात्रता की उन शर्तों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए जो अनुसूचित जातियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में केबिनेट की एक उप-समिति और एक सचिवों की समिति को इस काम को देखरेख करनी चाहिए तथा इन समुदायों के लिए विभागीय परिमाणन की मात्रा के बारे में निर्देश देना चाहिए। यह भी जरूरी समझा गया कि संसाधनों की उपलब्धता को निश्चित करने के लिए योजना / वित्त विभागों में इस काम के लिए अलग सैल होने चाहिए। वित्त विभाग से सम्बन्धित विभाग के वार्षिक बजट प्रस्तावों को केवल तभी स्वीकार करे, जब इस तरह के परिमाणन बना लिए गये हों और पिछले वर्ष के काम की समीक्षा की जा चुकी हो। अनुसूचित जाति के बहुसंख्यक भूमिहीन श्रमिकों अथवा सीमांत कृषकों के लिए आर्थिक विकास का एक व्यापक कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें कृषि के लिए आ-दाओं, लघु सिंचाई, पशुपालन, कुटीर उद्योगों की व्यवस्था हो—जैसा कि सम्बद्ध राज्यों में नियमित विकास विभागों के कार्यक्रम होते हैं। राज्य शिक्षा विभाग को अनुसूचित जाति की समस्त जनसंख्या को मेट्रिक-पूर्व शिक्षा देने का दायित्व संभालना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा बजट में से छात्रवृत्तियों, वृत्तीकाओं किताबों, दोपहर के भोजन, वर्दी, आवासिक स्कूलों—विशेषकर अनुसूचित जातियों के सबसे पिछड़े वर्गों के लिए—की व्यवस्था कर्नी चाहिए। हरिजन कल्याण प्रभारी विभाग को विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे परिमाणन पर नजर रखनी चाहिए और जिला स्तर पर इस बात का भूखण्डन भी करना चाहिए कि हिताधिकारियों के लिए निर्धारित लाभ उन्हें मिल रहे हैं या नहीं।

4.19 कान्फ्रेंस द्वारा की गई उक्त सिफारिशें भारत सरकार ने अगस्त 1975 में राज्य सरकारों को भेज दी थीं। परिमाणन लाभों के

बारे में अन्य दिशा निर्देश गृह मंत्रालय ने मार्च 1976 में सुझाये थे। विभिन्न विकास क्षेत्रों में उदारहण के रूप में प्रस्तुत की जा सकने वाली योजनाओं, जहाँ लाभों का परिमाण संभव था, से भी राज्य सरकारों को अवगत कराया गया।

4.20. आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए निधियों ने परिमाण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक सूचना परिशिष्ट-45 में दी गई है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा 1974-75 से 1977-78 तक की अवधि में अनुसूचित जातियों के लिये परिमाणित राशि का विवरण परिशिष्ट-46 में दिया गया है।

4.21. 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आंकड़ों से देखा जा सकता है कि सामान्य क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1974-75 से 1977-78 तक की अवधि में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए केवल 151.16 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई थी और यह राशि किसी भी तरह पर्याप्त नहीं कहीं जा सकती।

4.22. किसी भी तरह के विश्वसनीय तथा तुलनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और ऐसा लगता है कि अभी तक पहचाने जा सकने वाले कार्यक्रमों से निधियों के परिमाणन के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई है और न ही, जहाँ तक संभव हो सके, इन कार्यक्रमों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अनुकूल ढांसा गया है। सामान्य क्षेत्र से अनुसूचित जातियों के कल्याण के निधियों का परिमाणन बजट तथा योजना बनाने समय किया जाना चाहिए। योजना आयोग ने सस्स्त केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि अपने यहां के विकास कार्यक्रमों से वे अनुसूचित जातियों को कम से कम जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप लाभ तो अवश्य पहुंचा सकें।

पशु-पालन तथा अन्य आवश्यक कार्यक्रम

4.23. पशु-पालन, मत्स्य-पालन आदि कार्यक्रमों के द्वारा इन श्रेणियों के व्यक्तियों की आर्थिक दशा में काफी अधिक सुधार किया जा सकता है। मत्स्य-पालन कार्यक्रम के अंतर्गत इन श्रेणियों के व्यक्तियों की जल संसाधनों के अधिकार देकर सहायता की जा सकती है और उन्हें मत्स्य-पालन की बेहतर तकनीकों की शिक्षा दी जा सकती है।

4.24 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में कारीगरों के ऐसे समूहों, जैसे की चमड़े का काम, बुनाई, टोकरियां, शंख की चीजें आदि बनाने वाले, के हितों को प्रोत्साहन करने के लिए विशेष कदम उठाये जा सकते हैं। ऐसे व्यवसायों के लिए व्यापक योजनाएं बनायी जानी चाहिए बल्कि ऐसा कोई भी व्यवसाय जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हों, उसे अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रम की सीमाओं के अधीन ले लिया जाना चाहिए। गांवों के गरीब लोगों को संगठित करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे ताकि वे भी आर्थिक विकास के लिए किये जा रहे कामों में प्राप्त अंश पा सकें। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अर्थ-व्यवस्था के विकासमान क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार करना होगा। सार्वजनिक उपक्रमों के स्तरों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसके अधिकार-क्षेत्र में आने वाले उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उनका प्राप्य अंश मिलता रहे। खाती और ग्रामीण उद्योग आयोग आदि को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, ताकि ये लोग उत्पादन

की पद्धतियों का प्राथमिकीकरण कर सकें। साथ ही, उनके उत्पादों की बिक्री के लिए विभिन्न श्रृंखलों को आवश्यकताओं की पड़ताल तथा ऐसे उत्पादों की मांग के बारे में सूचना एकत्र कर आयोग को इनकी सहायता करनी चाहिए।

अनुसूचित जाति की बहुत जनसंख्या वाले क्षेत्रों का विकास

4.25. 1971 की जनगणना के अनुसार देश में 666 ताल्लुका ऐसे थे, जहाँ कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत से अधिक भाग अनुसूचित जातियों का था। पिछली रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि सम्बद्ध राज्य सरकारें विशेष परियोजनाओं की स्थापना की वांछनीयता पर विचार करें तथा उचित ढंग से सोची गई स्कीमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अलग से निधियों की व्यवस्था करें ताकि पहचाने जा चुके क्षेत्रों के निवासी विकास कर सकें। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि बिहार तथा उड़ीसा राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों ने इस दिशा में कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की है। बिहार सरकार ने 1978-79 के दौरान गया तथा नवादा जिलों में अनुसूचित जातियों के लिए 10 लाख रुपये के परिष्वय वाली एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। ऐसा समझा जाता है कि राज्य सरकार ऐसी परियोजनाएं रोहतास-भोजपुर, पटना, पूर्बी चंपारन तथा पश्चिमी चंपारन जिलों में भी आरंभ करने का विचार कर रही है। रिपोर्ट की समीक्षा अवधि में, अनुसूचित जातियों के लिए उड़ीसा राज्य के कटक जिले में जाजपुर प्रायोगिक परियोजना के कार्यचालन का अध्ययन करने से पता चला है कि अनुसूचित जातियों के लगभग सभी परिवारों (27,873 अनुमानित) को अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। फिर भी प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत गृह की गई विभिन्न योजनाओं से अनुसूचित जाति के केवल 1,388 परिवार ही लाभ उठा सके। जहाँ तक पशु-पालन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यह पाया गया है कि हिताधिकारियों को जो बकरियां दी गई थीं, वे चिकित्सा-सहायता के अभाव में मर रही थीं। ब्लाक क्षेत्र में नियुक्त पशु चिकित्सा के कर्मचारी प्रायोगिक परियोजना के अधीन प्रदत्त बकरियों को चिकित्सा-सुविधाएं नहीं दे रहे थे। अनुसूचित जाति के खेतहारों को कृषि आ-दाओं सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्परिणाम रहे हैं। अनुसूचित जाति के खेतहारों के लिए कुछ खोद कर देने की स्कीम भी उपयोगी साबित हुई है। जहाँ तक बैलों को खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता का सम्बन्ध है, यह संकेत किया गया कि इसके लिए दी जानेवाली 500 रुपये की सहायता अपर्याप्त है और इसे बढ़ाकर कम से कम 1,000 रुपये कर देना चाहिये। नारियल बागान के लिये वित्तीय सहायता के रूप में प्रति हिताधिकारी 50 रुपये का अनुदान दिया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों को साइकिल-रिक्शा देने की स्कीम भी उपयोगी सिद्ध हुई है। जहाँ तक नये कार्यक्रम शुरू करने का सम्बन्ध है, यह सुझाव दिया गया कि डेरी फार्मिंग, उष्ण किस्मों के बीच, उर्वरक तथा कृषिनाशक दवाओं का वितरण 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत सहायता के आधार पर होना चायेहि ताकि अनुसूचित जातियों के खेतहारों को विभिन्न किस्मों के फल तथा सब्जियां उगाने के काम में प्रोत्साहन मिल सके। इस कार्यक्रम में मत्स्य-पालन विकास, सिलाई मशीनों को बांटने, टूट बनाने, लोहारी का काम, डेरी फार्मिंग, बड़ईगिरी और मध्यमस्वी पालन आदि को योजनाओं को भी सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है।

एकीकृत ग्रामीण विकास

4.26. कृषि और मिर्चाई मंत्रालय, भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने पूर्ण रोजगार के लिए 1976-77 में एक क्षेत्र योजना कार्यक्रम शुरू किया था। फिर भी इस कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत 1976-77 के दौरान नहीं हो सकी और उसके अगले वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 8 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया था। भारत सरकारने 16 जिलों के लिए बजट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी और बजट की राशि

32.68 लाख रुपये बढ़ाने की व्यवस्था कर दी। लगभग 90 प्रतिशत राशि की उत्पादन स्कीमों जैसे कि कृषि, सिंचाई, पशु-पालन, भू-संरक्षण और वानिकी आदि के निमित्त मंजूरी दी गई। 1978-79 के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान "पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्र नियोजन" शीर्षक के अंतर्गत किया गया है।

4.27. अनुसूचित जातियों के व्यक्ति काफी बड़ी संख्या में भूमिहीन श्रमिक, बंटाईदार और इनमें अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति वाले सीमांत काश्तकार हैं। एस० एफ० डी० ए०, डी० पी० ए० पी०, सम्पूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम, टी० डी० ए० आदि विभिन्न विकास कार्यक्रमों को अब 'एकीकृत ग्रामीण विकास' जैसे एक कार्यक्रम के अंतर्गत ले लिया गया है जिसमें नियोजन को इकाई एक ब्लाक होगा। 1978-79 के दौरान इस कार्यक्रम की गति कुल 3,000 ब्लाकों में से 2,000 ब्लाकों में तेज की जायेगी। यह संख्या पहले से चल रहे किन्हीं कार्यक्रमों में शामिल है। जिन ब्लाकों में 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को होगी, उन ब्लाकों को गहन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल करने के सिलसिले में उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। यह वांछनीय है कि जिन ब्लाकों में 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को है, ऐसे सभी ब्लाक आगामी दो वर्षों में सघन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधिन

ले लिए जाने चाहिए। लक्ष्य समूह में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ मिलना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई सहायता

4.28. मई 1977 में वित्त और बैंकिंग के केन्द्रीय विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, अराष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देश भेजे गये थे कि वे विभेदीय ब्याज की दरों की स्कीम के अंतर्गत दिये जाने वाले बैंक ऋण का एक-तिहाई से अधिक भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उपलब्ध कराये—इस सम्बन्ध में सूचना हमारी पिछली रिपोर्ट में दी जा चुकी है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को मिलने वाले लाभों की वास्तविक स्थिति को विस्तार से जानने के लिए इस कार्यालय ने सम्बद्ध प्राधिकारियों से पत्र-व्यवहार किया था। 1977 के दौरान ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तथा शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली धनराशि और वास्तविकता में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में संवितरित धनराशि की सम्पूर्ण जानकारी हमें तीन बैंकों से प्राप्त हुई थी जिसका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :-

(लाक रुपये)

| बैंक का नाम] | ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली धनराशि | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में संवितरित वास्तविक धनराशि | शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में दी जाने वाली धनराशि | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में संवितरित वास्तविक धनराशि |
|-------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| बक आफ इंडिया | 106.90 | 968.00* | 53.45 | तिसरे कालम में शामिल है। |
| यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 57.00 | 42.76* | 29.00 | वही |
| यूनियन बैंक आफ इंडिया | 60.83 | 188.62* | 30.41 | वही |
| | 224.73 | 1199.38* | 112.86 | |

इस सारणी से देखा जा सकता है कि बैंक आफ इंडिया तथा यूनियन बैंक आफ इंडिया ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में निर्धारित धनराशि से अधिक का ऋण संवितरित किया, जबकि यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये गये लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका।

4.29. जून, 1976 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित जातिगत बैंकों को दिशा-निर्देश भेजे थे कि वे ग्रामीण आवासीय स्कीमों सहित सभी छात्रावासों तथा आवासीय स्कीमों के लिए ऋण दें। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि ऐसी परियोजना के लिए दिया जाने वाला ऋण लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शुरु की गई आवासीय तथा छात्रावासों की स्कीमों के लिए दिये गये ऋण की ब्याज की दर विभेदीय ब्याज की दर की स्कीम के अधीन निर्धारित ब्याज दर अर्थात् 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। हिताधिकारियों को सोचे ऋण देने की मंजूरी देते समय यह व्यवस्था की गई कि कोठरी/घर पर आने वाली कुल लागत का 80 प्रतिशत से अधिक व्यक्तगत ऋण नहीं दिया जाये। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के बारे में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :-

| बैंक का नाम | टिप्पणियां |
|---------------------------------------|--|
| 1. यूनियन बैंक आफ इंडिया, | दिसम्बर 1977 तक कमजोर वर्गों के [बम्बई] 1486 हिताधिकारियों को मकान बनाने के लिए 10.75 लाख रुपये की सहायता दी गई। |
| 2. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, [कलकत्ता] | मार्च, 1978 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 81 हिताधिकारियों को गुजरात राज्य में 2.45 लाख रुपये के ऋण दिये गये। |
| 3. इंडियन ओवरसीज बैंक, मद्रास। | 1976-77 तक कमजोर वर्गों के 3629 हिताधिकारियों को 21 राज्यों में 85.78 लाख रुपये के ऋण दिये गये। |
| 4. इंडियन बैंक, मद्रास | 1976-77 तक नासिक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 10 व्यक्तियों को 400 रुपये |

*ये आंकड़े ग्रामीण और अर्ध-शहरी तथा शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों के लिए सम्मिलित आंकड़े हैं।

| बैंक का नाम | टिप्पणियाँ |
|---------------------------------|--|
| | प्रति हिताधिकारी के अनुसार सहायता दी गई। बैंक ने चंडीगढ़ में ग्रामीण आवासीय स्कीमों में वित्तीय सहायता देना भी स्वीकार कर लिया और अनुसूचित जातियों सहित 300 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना था; मुख्यतः अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लाभार्थ गुजरात में कम लागत वाली आवासीय स्कीम को वित्तीय सहायता देना भी बैंक ने स्वीकार कर लिया। बैंक ने तमिलनाडु में हरिजन आवास तथा छात्रावासों के कार्यक्रम में कुल 50 लाख रुपये की राशि लगाना भी स्वीकार कर लिया। |
| 5. फोनरा बैंक, बंगलौर | दिसम्बर, 1976 तक आवासीय परियोजनाओं के लिए 19.39 लाख रुपये की राशि संवितरित की गई जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी सम्मिलित था। |
| 6. इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता | मार्च, 1977 तक ग्राम आवासीय योजना के अंतर्गत 2.44 लाख रुपये की राशि की मंजूरी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 95 व्यक्तियों को दी गई और 0.13 लाख रुपये वास्तविक रूप में संवितरित किये गये। |
| 7. पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली। | 1976-77 के दौरान पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में बैंक ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 55 व्यक्तियों को मकान/छात्रावास बनाने के 0.94 लाख रुपये की राशि की मंजूरी दी। हरियाणा में 987 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए 29.25 लाख रुपये की राशि के लिए मंजूरी दी गई और इसमें से 24.64 लाख रुपये वास्तविक रूप में संवितरित किये गये। |
| | 4.30 पूर्वोक्तलिखित विवरणों से देखा जा सकता है कि बैंकों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सहायता करना शुरू कर दिया है। आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में इसकी गति तेज की जायेगी ताकि इन श्रेणियों के व्यक्ति अपनी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को सुधार सकें। |
| | 4.31 पिछली रिपोर्ट में यह सुझाया गया था कि बैंक अपने धन से कुल दिये जा रहे ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मध्य-अवधि तथा दीर्घ-अवधि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दें। यह भी जरूरी समझा गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए गठित |

सहकारिताओं को विश्वेदीय ब्याज दर स्कीम के अंतर्गत ऋण देने की पावता प्राप्त होनी चाहिए। यह सुझाव फिर दोहराया जाता है क्योंकि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ग्रामीण बैंक

4.32. जून, 1977 तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्न राज्यों में खोले गये थे :—अरुणाचल प्रदेश (3), असम (1), बिहार (7), हरियाणा (2), हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू और कश्मीर (1), कर्नाटक (3), केरल (2), मध्य प्रदेश (4), महाराष्ट्र (1), उड़ीसा (4), राजस्थान (3), तमिलनाडु (1), त्रिपुरा (1), उत्तर प्रदेश (10), और पश्चिम बंगाल (4), 23 ग्रामीण बैंकों की उपलब्ध सूचना के अनुसार 42,332 अनुसूचित जातियों और 23,206 अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को क्रमशः 449.31 लाख और 327.61 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। इन बैंकों द्वारा दी गई सहायता का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-47 में देखा जा सकता है।

4.33 समझा जाता है कि 1 मार्च, 1978 से प्राथमिक सहकारिता कृषि ऋण समितियों ने छोटी अवधि के ऋणों के लिए ब्याज की दर औसतन 1 प्रतिशत से 1½ प्रतिशत तक घटा दी है। यह भी समझा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जून, 1978 से विपणन ऋणों तथा उर्वरक वितरण की पुनर्वित्त दरों में क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत की कमी कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को यह सलाह दी थी कि वे जहां तक संभव हो, ग्रामीण इलाकों के कमजोर वर्गों के लिए रियायती ब्याज दर शुरू करें। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ राज्य सरकारों, जैसे कि गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, और तमिलनाडु, ने छोटे तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों के लिए रियायती ब्याज की दर शुरू कर दी है और इनमें सहकारी ऋण समितियों द्वारा ऋण लेने वाली अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं। ब्याज की यह दर 9 से 11 प्रतिशत तक है, जबकि सामान्य ब्याज दर 11 से 13 प्रतिशत तक है।

वितरण एजेंसियों की आर्बटन

4.34 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में वितरण एजेंसियों के आर्बटन की स्थिति की उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

1. मध्य प्रदेश . कुल 16,128 उचित दर दुकानों में से 954 दुकानों का संचालन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति कर रहे थे।
2. हिमाचल प्रदेश . 1976-77 के दौरान 25 अनुसूचित जनजाति और 12 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उचित दर दुकानें आर्बटन की गईं।
3. महाराष्ट्र . कुल 4,299 उचित दर दुकानों/मिट्टी के तेल की एजेंसियों में से 283 दुकानें एजेंसियां अनुसूचित जाति और 229 दुकानें/एजेंसियां अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में आर्बटन की गईं थीं।
4. उड़ीसा . उड़ीसा सरकार ने ऐसे ठेकेदारों/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और भागीदारी फर्मों के लिए लोक निर्माण विभाग का काम करने के शर्तों विशेष छूटों/सुविधाओं की घोषणा की जिनमें कम से कम 51 प्रतिशत गैर अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के हों। यह उपबंध रखा गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों की निविदाओं की दर यदि सबसे कम दर वाले निविदा-दाताओं की निविदा से 10 प्रतिशत तक कम हों तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को वह काम सौंपा जा सकता है। यह उपबंध भी रखा गया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदक यदि अपना नाम ठेकेदारों के रूप में दर्ज कराना चाहें तो विभिन्न वर्गों के ठेकेदारों के लिए निर्धारित ऋण शोधन-क्षमता के मुकाबले उनसे केवल 50 प्रतिशत तक की राशि के लिए ऋण शोधन-क्षमता प्रमाणपत्र देने के लिए कहा जाये।

5. हरियाणा . 1976-77 के दौरान राज्य में कुल 4418 राशन के डिपो कार्यशील थे। इनमें से 137 राशन के डिपों का संचालन अनुसूचित जातियों के व्यक्ति कर रहे थे।
6. केरल . 1975-77 के दौरान राज्य में 11 राशन के डिपो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में आबंटित किये गये थे।
7. मेघालय . कुल 1,602 वितरण एजेंसियों में से 1,206 एजेंसियां तथा 17 उचित दर/राशन दुकानें क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आबंटित की गईं।

4.35 ऐसा प्रकृत होता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उचित दर दुकानों/वितरण एजेंसियों के आबंटन की ओर राज्य सरकारों / संघ शासित प्रशासनों न अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया है। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को वितरण एजेंसियों/उचित दर दुकानें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में आबंटित करनी चाहिए और इसके लिए प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रशासन को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात को आधार बनाना चाहिए।

सबू उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता

4.36. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में तरजीह मिलनी चाहिए। लेकिन केवल यही एक बात लक्ष्य-प्राप्ति के लिए काफी नहीं होगी क्योंकि नौकरियों की संख्या कम है। अतः उन्हें सबू उद्योगों की स्थापना के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में अन्य व्यक्तियों की तुलना में तरजीह देना जरूरी है। सबू उद्योग विकास संगठन की 1955 में स्थापना हुई थी और 1977 के अंत तक संगठन के पास 2.69 लाख इकाइयां रजिस्टर्ड थीं और इन इकाइयों में 29 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था। सबू उद्योगपतियों की सहायता के लिए संगठन ने अनेक स्कीमों तैयार की हुई हैं। संगठन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है यदि उसकी स्कीमों में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाये और इन श्रेणियों के उद्योगपतियों की सहायता देने की दिशा में सजग प्रयास किये जायें।

भारतीय उर्बरक निगम

4.37 पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि भारतीय उर्बरक निगम मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और फटीलाइजर्स एंड कैमोकेल्स ट्रावनकोर लिमिटेड उर्बरकों के वितरण के लिए डीलरों आदि को नियुक्त करते हैं लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को इस तरह की डीलरशिप से लाभ पहुंचाने की कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है। अतः यह सुझाव दिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम उर्बरक एजेंसियों के आबंटन के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए विशिष्ट आरक्षणों की व्यवस्था करें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने जुलाई, 1977 में पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्बरक मंत्रों से इस मामले पर विचार-विमर्श किया था। यह हर्ष की बात है कि सितंबर, 1978 में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय उर्बरक निगम द्वारा समस्त भावी उर्बरक डीलरशिप नियुक्तियों में से कम से कम 25 प्रतिशत इन श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए कुछ रियायतों की भी व्यवस्था की गई है। इन व्यक्तियों के लिए प्रतिभूति जमा की अनिवार्यता नहीं होगी और उनके डीलर बनने के पहले तीन वर्षों में शीघ्र बिक जाने वाले माल की पूति को तरजीह दी जायेगी। केवल 10,000 रुपये के अल्प निवेश की ही आवश्यकता होगी। अन्य वर्गों द्वारा इन व्यक्तियों की संभावित शोषण से रक्षा करने के लिए उन्हें अन्य समुदायों के व्यक्तियों के साथ साझेदारी करने की आज्ञा नहीं दी जायेगी। भारतीय उर्बरक निगम के क्षेत्र अधिकारी बैंकों के साथ सम्पर्क-कार्य करेंगे ताकि जब कभी जरूरी हो तो उन्हें ऋण सम्बन्धी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो जायें। यद्यपि इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं है कि यह निर्णय अन्य दो उर्बरक इकाइयों यानी मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा फटीलाइजर्स एंड कैमोकेल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के लिए भी लागू होगा, जो पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्बरक मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित हैं। आशा की जाती है कि बाकी की दो इकाइयों में भी डीलरों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

इंडियन ग्रायल कारपोरेशन

4.38 1977-78 के दौरान इंडियन ग्रायल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई ने कुल 44 आई० ओ० सी० एजेंसियां/डीलरशिप्स दी थी जिनमें से 17 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्रदान की गई। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को तो जाने वाली एजेंसियों/डीलरशिप्स की संख्या की अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं थी।

रेस मंत्रालय

4.39 रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार भोजन-वर्ध/खोमचों के ठेकों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सबसे अधिक तरजीह दी जाती है। इस पर भी भोजन-वर्ध/खोमचों के ठेकों के आबंटन में कोई विशिष्ट प्रतिशतता निर्धारित नहीं की गई है। समझा जाता है कि इस रिपोर्ट को समीक्ष्य-अवधि में दिये गये कुल 397 ठेकों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 110 व्यक्तियों ने ठेकों के लिए आवेदन दिये थे और इनमें से ऐसे केवल 41 व्यक्तियों को ही ठेके आबंटित किये गये। इस प्रकार दिये गये कुल ठेकों में से यह 10.32 प्रतिशत बैठता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में आबंटित ठेकों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

4.40. यह सुझाव दिया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को चलती रेखाइयों, जैसे भोजन-यान आदि में भोजन-प्रबंध को ठेके देने के मामले में तरजीह दी जानी चाहिए।
बसों का आबंधन

4.41 दिल्ली विश्वविद्यालय के बेरोजगार स्नातकों को 200 फिनी बसों के आबंधन की स्कीम में 30 बसों का आबंधन अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया गया था। यह समझा जाता है की दिसंबर, 1977 तक आवंटित कुल 91 बसों में से 20 बसें अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में आवंटित की गई थीं।

4.42 दिल्ली परिवहन निगम ने 400 प्राइवेट बसें किलोमीटर प्रभार स्कीम के अंतर्गत लेनी थीं। उनमें नियंत्रण लिया कि उक्त संख्या में से 60 बसें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को स्वीकार की जायेंगी। किंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किन्हने व्यक्तियों को बसें वास्तविकता में इस योजना के अधीन ली गईं, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं थी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्त निगमों का गठन

4.43 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक विकास की दशा में अच्छे प्रबंध वाले विकास निगमों द्वारा सहायता की व्यवस्था करके काफी मात्रा में सुधार लाया जा सकता है। पिछली रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी राज्य सरकारों को विकास निगमों का गठन करना चाहिए।

4.44 उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विकास निगम पहले से ही काम कर रहे हैं। ये निगम कृषि विकास, विपणन तथा प्रक्रमण, व्यापार/व्यवसाय जिसमें लघु उद्योग भी शामिल हैं, प्रति तथा स्टोरेज, परिवहन, डेरी फार्मिंग, सुअरपालन, मुर्गी-पालन आदि आर्थिक कार्य-कलापों के लिए ऋण प्रदान करते हैं।

असम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निगम

4.45 असम में 3 निगम केवलमात्र अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गठित किये गये थे। लेकिन आयुक्त द्वारा असम का दौरा करने के बाद यह पता लगा कि ये निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने की दिशा में अपेक्षित ढंग से प्रभावी सिद्ध नहीं हुए हैं। आयुक्त को बताया गया कि तीनों निगमों के प्रबंध-निर्देशकों के काम को केवल एक अधिकारी संभाल रहा है और राष्ट्रीयकृत बैंक व्यापक स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आवेदकों को ऋण दे कर उनकी आर्थिक दशा सुधारने में सहयोग नहीं दे रहे। तब आयुक्त ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार अन्य राज्यों के विकास निगमों की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करे, विशेषकर आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम का ताकि वे भी अपने यहां के निगमों की कार्य-प्रणाली में सुधार कर सकें। राज्य सरकार को ऐसे सुझाव दिये गये कि वह निगमों में फिर से जीवन-संचार करने के लिए उपयुक्त उपायों का कारगर ढंग से इन्ते-माल कर सकें।

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम

4.46 1976-77 के अंत तक हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने 3,367 अनुसूचित जाति के परिवारों को 4 से 7 प्रतिशत की ब्याज-दर पर ऋण प्रदान किया था। जून, 1977 तक निगम 42.66

लाख रुपये के कुल ऋण में से 27.63 लाख रुपये वापिस लेने में सफल रहा। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर मुहैया करने के लिए निगम ने तीन इकाइयां भी स्थापित की हैं अर्थात् शू प्रोडक्शन सेंटर, कर्नाल; हरकल्याण बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स, पंचनूला; और हरकल्याण पेकेजर्स, मुरथल। इन इकाइयों में 212 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया जिसमें से 66 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे। निगम औद्योगिक इकाइयों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अकुशल कारीगर नहीं करके उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। वह ऐसे व्यक्तियों से कुशल कारीगरों के अधीन काम कराता है ताकि वे कुशल तथा प्रशिक्षण पा सकें। निगम को राष्ट्रीयकृत बैंकों से काफी मात्रा में धन-राशि लेनी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नाममात्र की ब्याज दरों पर ऋण दिया जा सके। बैंक से लिए गये ऋण तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को निगम द्वारा दिये गये ऋण की व्याज-दरों में जो अंतर होगा, उसे निगम को बहन करना चाहिए। हरियाणा सरकार को चाहिए कि इस अंतर को घटाने के लिए वह निगम को समूचित अनुदान दे।

पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास तथा वित्त निगम

4.47 फरवरी, 1978 के अंत तक पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास तथा वित्त निगम ने 5.80 करोड़ रुपये के ऋण संचितरित किये थे और इसका 13,126 हरिजन परिवारों को लाभ पहुंचा था। निगम की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन करने से पता चला कि मार्च, 1977 के अंत तक निगम ने अनुसूचित जातियों के 10,800 परिवारों को 4.53 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे। फरवरी, 1978 तक बकाया ऋण की राशि 2.38 करोड़ रुपये थी। इसमें से 181 लाख रुपये की राशि वापिस मिल चुकी थी और इसमें 36.18 लाख रुपये ब्याज भी शामिल था। लेकिन अनुसूचित जातियों के सबसे कमशोर वर्ग निगम की स्कीमों से काफी मात्रा में अभी तक लाभ नहीं उठा सके हैं।

4.48 यह भी देखा गया कि निगम निधियां उपलब्ध न होने की समस्या के कारण अनुसूचित जाति के पाल आवेदकों को भी धन-राशि संचितरित नहीं कर पा रहा। फिलहाल निगम ने राज्य सरकार से निधियां ली हैं किंतु जबतक निगम की शेरर पूंजी नहीं बढ़ाई जाती, तब तक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नाममात्र की ब्याज-दर पर ऋणों का संचितरण संभव नहीं हो सकता। निगम ने अपनी निधि को बढ़ाने के लिए कुछ स्कीमों के शुरु करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें से एक प्रस्ताव यह है कि आई० ओ० सी० पेट्रोल पंप किन्हीं व्यक्तियों के बजाय निगम को आवंटित किये जायें। इसी प्रकार का एक प्रस्ताव यह है कि 25 प्रतिशत छूट परमिट निगम को आवंटित किये जायें। निगम बड़े स्तर पर साबुन बनाने के लिए इकाइयां भी खोलना चाहता है। यदि इन प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया जाता है तो निगम के संसाधनों में वृद्धि होगी और यह अधिक संख्या में अनुसूचित जाति के परिवारों को ऋण देने में समर्थ हो जायेगा। 1977-78 के दौरान स्टेट बैंक आफ पटियाला ने निगम को 25 लाख रुपये दिये थे ताकि वह अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों को ऋण दे सके जिनकी प्रति वर्ष आय 2,000 रुपये से कम है। इस सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा 6,000 रुपये रखी गई थी। यह अनुभव किया जाता है कि या तो राज्य सरकार बड़े पैमाने पर निगम को प्रकृत अनुदान दे या विभेदीय ब्याज दर स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में निगम को सहायता की जाये, यदि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को ऋण देने की गति को बिना किसी अडचन के बनाये रखना है।

गुजरात अनुसूचित जाति आर्थिक विकास निगम

4.49 1977-78 के दौरान गुजरात अनुसूचित जाति आर्थिक विकास निगम ने 1,000 व्यक्तियों को भैसे खरीदने के लिए 25 लाख रुपये का ऋण दिया। पिछले दो वर्षों में निगम ने 746 हितार्थकारियों

की सहायता दी है और आयल इंजिन, मोटर पंप, रैहट, लघु उद्योगों आदि की खरीद के लिए 5.08 लाख रुपये की कुल राशि सवितरित की है। इसके अतिरिक्त 8 सहकारी समितियाँ भी संगठित की गईं जिसमें 1,500 बांस का काम करने वाले कर्मचारी शामिल थे।

आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड

4.50 31 दिसंबर, 1977 तक आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड, हैदराबाद को 54.38 लाख रुपये की धनराशि दी जा चुकी थी ताकि वह अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दे सके जिन्हें अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई थी। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने भी निगम को मार्च 1978 में 41.08 लाख रुपये की राशि दी थी। आंध्र प्रदेश के 21 जिलों में 15,52,016 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी और इसमें से 1,60,715 एकड़ भूमि 58,284 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में आवंटित की गई। जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई थी, उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए 18 जिला अनुसूचित जातियों समितियों को निगम ने 53.26 लाख रुपये की धनराशि दी थी। निगम ने कृषि, मत्स्य-पालन और उद्योगों के अंतर्गत चालू कई स्कीमों को प्रोत्साहित करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की। अनुसूचित जातियों के 1.02 लाख हिताधिकारियों का कृषि तथा पशु-पालन क्षेत्र के अंतर्गत 9.53 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। औद्योगिक क्षेत्र में निगम ने उन उद्यमियों के लिए गारंटी देकर सहायता दी जिन्हें व्यावसायिक बैंकों, वित्त निगमों आदि की ओर से ऋण लेने की मजूरी मिल गई थी। ड्रिलिंग और कृषि, इंजीनियरी कार्यशालाओं, छापाखानों, निटिंग उद्योग, कागज के लिफाफे बनाने, चावल मिल लगाने आदि के उद्देश्यों के लिए 9,86,640 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मत्स्य-पालन के लिए भी 11,65,350 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

4.51 इन गतिविधियों के अलावा निगम ने विभिन्न जिलों में लड़कों तथा लड़कियों के लिए 200 छात्रावासों के निर्माण का कार्यक्रम भी बनाया। विभेदीय ब्याज दर स्कीम के अंतर्गत उसने इंडियन बैंक से 80 लाख रुपये की राशि का ऋण लिया और इसके लिए राज्य सरकार की गारंटी दी गयी। राज्य सरकार ने भी 1977-78 के दौरान ब्याज-मुक्त 40 लाख रुपयों की मजूरी दी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का केरल राज्य विकास निगम लिमिटेड।

4.52 अगस्त 1978 के अंत तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का केरल राज्य विकास निगम लिमिटेड, त्रिचूर 2151 मकान बना चुका था और 49 मकानों के निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में जारी था। यह पता भी चला कि केरल सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 10,000 कम लागत वाले आर्थिक-सहायता प्राप्त मकानों के निर्माण के लिए ऋणों की मजूरी प्रदान कर दी है। एक मकान की अनुमानित लागत 3,000 रुपये आंकी गई है। इसके लिए सरकार 1,500 रुपये की राशि अनुदान के रूप में देगी और शेष 1,500 रुपये की राशि तुल्लुको 5 प्रतिशत ब्याज-दर पर ऋण के रूप में देगा। कृषि भूमि की खरीद के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 1,169 व्यक्तियों को 41,91,695 रुपये का कुल ऋण दिया गया; 998 व्यक्तियों को लघु कारोबार, व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए 32,34,700 रुपये ऋण के रूप में दिये गये। निगम ने 232 व्यक्तियों को आटो-रिक्शा खरीदने में मदद दी और इस पर 28.50 लाख रुपये व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 15 उद्यम-कर्ताओं को लघु-औद्योगिक एस्टेटों में उद्योग शुरू करने के लिए 11.86 लाख रुपये की धनराशि दी गई। देविकोलम् में इलायची के विपणन

कार्यक्रम के अंतर्गत 250 आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 245 व्यक्तियों को आटो-रिक्शा ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया और इसके लिए 0.77 लाख रुपये की सहायता दी गई। निगम त्रिचूर जिले में दियासलाई का एक कारखाना भी लगा रहा है ताकि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को रोजगार मिल सके और इस परियोजना पर 2.86 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निगम हरिजनों के पारंपरिक उद्योगों, जैसे कि टोंकरिया बनाना आदि, को भी प्रोत्साहन दे रहा है।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड

4.53 पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति के 4,305 परिवारों को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड ने कुल 54.78 लाख रुपये की राशि के ऋण दिये हैं। निगम अभी तक इन ऋणों के रूप में दी गई राशि में से कुछ भी वास्तुपाने में सफल नहीं हो सका है।

तमिलनाडु हरिजन आवास और विकास निगम

4.54 1976-77 के दौरान तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु हरिजन आवास और विकास निगम को 5,023 मकान बनाने के लिए अपनी मजूरी दी और इस उद्देश्य के लिए 2.2 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की। वर्ष 1977-78 के लिए राज्य सरकार ने 5,000 मकान बनाने की मजूरी दी। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार 3619 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और हिताधिकारियों को बिना किसी लागत के वितरित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, निगम ने 1976-77 के दौरान 41 छात्रावासों का निर्माण-कार्य शुरू करवा दिया था और 1977-78 के दौरान 29 छात्रावासों का। इन पर क्रमशः 125.58 लाख रुपये तथा 158.36 लाख रुपये की लागत आयेगी। अभी तक 38 छात्रावास बनकर तैयार हो चुके हैं। यह सूचना भी मिली है कि निगम स्कूल की इमारतों, प्रयोगशालाओं, बालवाडियों, सामुदायिक भवनों आदि के निर्माण-कार्य में व्यस्त है।

पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति विकास निगम

4.55 पश्चिम बंगाल में निगम का आरंभ 1976 में 25 लाख रुपये की प्राधिकृत पूंजी के साथ हुआ था लेकिन अभी तक इसकी कोई उपलब्धि नहीं है।

कर्नाटक राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहकारी आवास निगम

4.56 कर्नाटक राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहकारी आवास निगम लि०, बंगलौर का आरंभ 1956 में हुआ था। इसका प्रधान उद्देश्य राज्य सरकार तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहकारी समितियों के मध्य सम्पर्क कायम करवाना था और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मकानों के निर्माण-कार्य की गति को तेज करना था। निगम ने व्यक्तिगत तौर पर सदस्यों को 22,669 मकानों के निर्माण के लिए 4.86 करोड़ रुपये की धनराशि की मजूरी प्रदान की और यह निर्माण-कार्य ताल्लुका स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहकारी आवास समितियों के जरिए पूरा होना था। निगम 4.32 करोड़ रुपये पहले ही दे चुका है। 17,752 मकानों के बन चुकने की सूचना है। निगम ने राज्य सरकार से 3.40 करोड़ रुपये का और 40 लाख रुपये का भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण लिया था ताकि वह आगे अपने सदस्यों को ऋण दे सके। ये ऋण कम ब्याज-दरों पर लंबी अवधि के आधार पर दिये गये थे लेकिन इनकी वसूली की स्थिति बहुत खराब है।

राजस्थान राज्य वित्त सहकारी आवास समिति लिमिटेड

4.57 राजस्थान राज्य वित्त सहकारी आवास समिति लि०, जयपुर एक शिखर संगठन के रूप में 31 दिसंबर, 1970 को रजिस्टर्ड हुई थी

तांकि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए मकान बनाने के काम के लिए ऋण दे सके। राज्य सरकार ने अगस्त 1972 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवासीय ऋण प्रदान करने की एक विशेष स्कीम के लिए अपनी मजूरी दी थी। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है :—

1. प्रति सदस्य 300 रुपये शेरर पूजा सहायिकी (सबसिडि) का अनुदान।
2. 4,000 रुपये तक के ऋण पर संपूर्ण ब्याज की प्रतिपूर्ति।
3. विधिक व्यय के लिए प्रति सदस्य को 10 रुपये का सहायिकी अनुदान।

4.58 स्कीम की स्थापना के समय से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आवास सहकारी समितियों को निम्नलिखित ऋणों की मजूरी दी गई थी :—

(लाख रुपयों में)

| वर्ष | सदस्यों की संख्या | राशि |
|---------|-------------------|--------|
| | | ₹० |
| 1972-73 | 4,777 | 191.05 |
| 1973-74 | 1,217 | 48.68 |
| 1974-75 | 15,482 | 619.28 |
| जोड़ | 21,476 | 859.01 |

4.59 समझा जाता है कि बाद में जीवन बीमा निगम ने निधियों की मजूरी नहीं दी जिसके परिणामस्वरूप नई समितियों वा ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ऐसी समितियों को, बिनको अभी तक ऋण की कोई भी किस्त नहीं दी गई थी, ऋण की मजूरी देने के बावजूद ऋण की किस्तें नहीं दी गईं। इस कारण 6,292 सदस्यों वाली कुल 244 समितियों को ऋण नहीं दिया जा सका। हालांकि इनके लिए 251.65 लाख रुपये की मजूरी दी जा चुकी थी। राज्य सरकार ने सहायिकी देने तथा ब्याज की प्रतिपूर्ति की प्रथा भी समाप्त कर दी।

4.60 ऋणों की मजूरी तथा संवितरण की 31 रई, 1978 तक की स्थिति नीचे दी गई है :—

| | ऋणों की मजूरी | देए गए ऋण |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 1. समितियों की संख्या | 748 | 611 |
| 2. सदस्यों की संख्या | 21,476 | 17,129 |
| 3. राशि | ₹० 859.01 | ₹० 390.50 लाख |

समिति का दावा था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवास समितियों को 80 प्रतिशत से अधिक ऋण दिया जा चुका है।

4.61 जिन समितियों के ऋण 1975 में मंजूर किये जा चुके थे उन पर से जीवन बीमा निगम ने जून 1977 में प्रतिबंध डटा लिया लेकिन, इस बीच 1,211 सदस्यों वाली 49 समितियों ने ऋण लेना अस्वीकार कर दिया और उनकी शेरर राशि वापिस लौटानी पड़ी। 102 समितियों जिनकी सदस्य संख्या लगभग 2,400 थी, को ऋण वा पहली किस्त दे दी, गई। समझा जाता है कि अनेक द्विआधिकारी अपना ऋण वापिस करने में त्रुटिकारी हैं।

राजस्थान आदिवासी विकास निगम

4.62 राजस्थान आदिवासी विकास निगम की स्थापना 27 मार्च, 1976 को राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 के अधीन

हुई थी। इस निगम की 1975-76 के तीन महीनों तथा 1976-77 के आठमां छह महीनों में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं थी। बाद में 44 लैस और 170 पी०ए०सी०एस० गिणित किये गये। निगम के चार क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर, डूंगरपुर, बंसवाड़ा और बाड़ा (कोटा जिला) में स्थित हैं। निगम को निम्न कार्य सौंपे गये हैं :—

1. सहकारी समितियों के सहयोग से उर्वरकों, बीजों, कृषि औजारों और कीटनाशक दवाओं जैसी कृषि निविष्टों की व्यवस्था करना।
2. सहकारी समितियों के सहयोग से उचित दामों पर उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री।
3. आदिवासियों से कृषि तथा गौण वन उत्पादों की खरीद और उनका निपटान।
4. उपलब्ध कृषि उत्पाद तथा गौण वन उत्पाद पर आधारित औद्योगिक एककों की स्थापना।
5. उपभोक्ता ऋणों की व्यवस्था करना।

4.63 1976-77 के दौरान 8.06 लाख रुपये के कृषि निविष्ट आदिवासियों को उपलब्ध करवाये गये थे। जहां तक 1976-77 में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का सम्बन्ध है, 3.22 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं की बिक्री की गई। गौण वन उत्पाद के क्षेत्र में 1976-77 में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं हुई थी। कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय के मामले में देखा गया कि आदिवासियों की जोतें अपेक्षाकृत छोटी हैं और उनके पास बिक्री के लिए अतिरिक्त कृषि उत्पाद लगभग नहीं थे। फिर भी इस दिशा में हुए वास्तविक काम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसी प्रकार उपभोक्ता ऋण देने के काम में भी कोई प्रगति नहीं हुई। औद्योगिक एककों की स्थापना के बारे में समझा जाता है कि बीड़ी बनाने, तेल मिलें, खंडसारी, रई ओटने के एकक स्थापित करने के प्रस्ताव दिये गये हैं। निगम को गोदामों के निर्माण के लिए 1,23,750 रुपये (82,500 रुपये ऋण तथा 41,250 रुपये सहायिकी के रूप में) की विलीय सहायता दी गई। लेकिन उदयपुर तथा डूंगरपुर जिलों में गोदाम बनाने के लिए जमीन लेने में कठिनाइयां आने का उल्लेख किया गया था। निगम को जयसमंद झील में मत्स्यपालन शुरू करने और इसके द्वारा 400 अनुसूचित जनजाति परिवारों को रोजगार प्रदान करनेकी भी आशा थी।

4.64. स्थापना के पहले वर्ष में निगम ने लैस पर 2,47,697 रुपये व्यय किये, जबकि इसके लिए 1,32,575.04 रुपये की सरकारी सहायता प्राप्त हुई थी। पहले ही वर्ष निगम ने 1,15,122.48 रुपये का अतिरिक्त व्यय कर दिया। लेकिन दूसरे वर्ष इसे 30,363.15 रुपये का लाभ पहुंचा।

4.65. उपलब्ध सूचना के अनुसार 1977-78 के दौरान निगम द्वारा मददवार किये गये व्यय और 1978-79 के परिव्ययों की व्यवस्था की जानकारी नीचे दी गई है :—

(लाख रुपयों में)

| मदद | 1977-78 | 1978-79 |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| | के दौरान किया गया व्यय | के लिये परिव्यय की व्यवस्था |
| 1 | 2 | 3 |
| रासायनिक उर्वरक | 38.49 | 35.00 |
| उन्नत किस्म के बीज | 7.32 | 7.00 |
| कीटनाशक दवाएं | 0.45 | 0.50 |
| | 46.26 | 42.50 |

| 1 | 2 | 3 |
|--|-------------|--------|
| उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण ¹ | 99.89 | 155.00 |
| कृषि उत्पाद | 2.50 | 25.00 |
| गौण वन उत्पाद | 4.46 | 10.00 |
| उपभोक्ता ऋण | उपलब्ध नहीं | 15.00 |
| मत्स्य-पालन | 8.47 | 25.00 |
| | 15.43 | 75.00 |

4.66 उपर दी गई सूचना से देखा जा सकता है कि निगम की गति-विधियाँ फिलहाल बहुत सीमित हैं। राजस्थान सरकार ने गोंद, शहद तथा मांस, प्रवर छाल, महुआ तथा अन्य तेल-बीजों जैसे गौण वन उत्पादों का संग्रह करने का आदेश 22 अक्टूबर, 1977 को जारी किया था। इसी प्रकार निगम द्वारा आदिवासीयों को उपभोक्ता ऋण देने का अनु-मोदन-आदेश 18 मई, 1978 को जारी हो सका।

लाहल आलू-उत्पादकों की सहकारी विपणन-व-प्रक्रमण समिति, हिमाचल प्रदेश

4.67. हिमाचल प्रदेश के लाहल और स्पति जिले की लाहल घाटी में लाहल आलू-उत्पादकों की सहकारी विपणन-व-प्रक्रमण समिति लि० की स्थापना 1967 में हुई थी और आदिवासी काश्तकारों के आर्थिक विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतीत में लाहल घाटी में कुछ नकदी फसल के रूप में उपभोगा जाता था और भारत से बाहर इसका निर्यात किया जाता था। लेकिन अनेक कारणों से कुछ को आसानी से बिक्री भारत तथा बाहर होना बंद हो गई और यातायात का सुवि-धाओं के शुरू हो जाने के बाद आदिवासी लोगों ने आलू की व्यवसायिक स्तर पर खेती शुरू कर दी। सूखा जोन होने के कारण लाहल घाटी में उप-जाए जाने वाले आलू की बहुत अधिक मांग है और पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नागालैंड, असम तथा मणिपुर के आलू उत्पादक बाज के रूप में यहाँ के आलूओं की बड़ी माता में खरीद करते हैं। फिलहाल 1,200 काश्तकार समिति के सदस्य हैं और उनके उत्पाद का उचित तथा सही धन लौटाने में समर्थ हैं। कुल उत्पाद का 70 प्रतिशत भाग समिति संभाल रही है। 1978-79 के आलू वर्ष के दौरान समिति को 13.6 लाख आलू के बोरे संभालने की आशा है। लाहल घाटी में खेती के लिए मूल बीज राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्राप्त किया जाता है और आलू की फसल तैयार हो जाने के बाद उत्पादक उसे मनाली ले जाते हैं, जहाँ उन्हें प्रति बोरा 80 रुपये से 95 रुपये की दर से अग्रिम कीमत मिल जाती है।

4.68 अपने हाल ही के मनाली के दौर के सिलसिले में आयुक्त को बताया गया कि कुछ निजी व्यापारी गरीब आदिवासी काश्तकारों का शोषण कर रहे हैं। कुछ अन्य नकदी फसलों जैसे हाँप तथा चिकरी को खेती तथा विपणन की भी गुंजाइश है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार समुचित विनियम/विधान अधिनियमित कर घोषित करे कि लाहल आलू-उत्पादकों की सहकारी विपणन-व-प्रक्रमण समिति लिमिटेड आलू तथा अन्य नकदी फसलों जैसे हाँप तथा चिकरी खरीदने की एकमात्र एजेंसी है ताकि बीच में निजी व्यापारी न रहे। बिल दूसरी समस्या की ओर तुरंत ध्यान देना जरूरी है, वह

है लाहल घाटी में ही अनुसंधान केंद्र की स्थापना ताकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आलू उत्पादकों के लिए मूल बीज का उत्पादन किया जा सके। लाहल घाटी में हलांग नामक स्थान पर वर्तमान आलू विकास स्टेशन का कार्य-संचालन राज्य कृषि विभाग करता है और सिंचाई की सुविधाओं के न होने के कारण मूल बीज की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति अब नहीं है। वस्तुतः अधिकांश बीज पंजाब से लाया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् घाटी में ही मूल बीज के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दे क्योंकि इस कार्यक्रम का सीधा सम्बन्ध आदिवासी काश्तकारों के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है।

4.69 यह उल्लेखनीय है कि मई 1978 में गृह मंत्रालय ने विभिन्न वित्तीय विकास निगमों के प्रबंध निदेशकों की एक बैठक बुलाई थी। उसके बाद राज्य सरकारों को दिशा-निदेश जारी किये गये थे। यह सिफारिश की गई थी कि जिन राज्यों में अनुसूचित जातियों की पर्याप्त जनसंख्या है, वहाँ अनुसूचित जाति विकास निगमों की स्थापना की जानी चाहिए। निगम की गतिविधियों का उद्देश्य अनुसूचित जातियों की अर्थ-व्यवस्था के सभी पहलुओं को प्रोत्साहन देना होना चाहिए। निगम को स्वयं किसी ऋण या अनुदान-सहायता को वितरण करने और किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रम को खुद चलाने का कार्य नहीं करना चाहिये। निगम को उपयुक्त विभागों, वित्तीय संस्थाओं, सांजनिज क्षेत्र की संस्थाओं या इसी कार्य-विशेष के लिए गठित सहकारी समिति के जरिये काम करना चाहिए। इन संस्थानों के माध्यम से, निगम को आवश्यक धनराशि प्रदान करवाने या ऋण और अग्रिम राशि की गारंटी देने का कार्य करना चाहिए, विशेषकर जहाँ कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। निगम को स्वयं या अन्य संस्थानों के माध्यम से लाभग्राही और सुविधाएं प्रदान कर रहे संस्थानों के बीच सक्रिय संपर्क रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभग्राही को शीघ्रतः शीघ्र सुविधाएं प्राप्त हों और अनहोनी परिस्थितियों में उसकी मदद के लिए तैयार रहे। निगम वरिष्ठ व्यक्तियों की एक सुगठित संस्था होनी चाहिए जिसमें निम्न-स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों की न्यूनतम सहायता की आवश्यकता पड़े। इसकी जिला और खंड स्तर तक भी शाखाएं होनी चाहिए। निगम का स्थानीय शाखा का प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट को होना चाहिए। निगम के मुख्य कार्यालय में नियुक्त निदेशक बोर्ड के सदस्य सम्बद्ध विकास विभागों, वित्तीय संस्थाओं और अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्य कर रहे गैर-अधिकारियों में से चुने जाने चाहिए। निगम का स्वयं या अन्य संस्थाओं के सहयोग से मध्य-अवधि योजना के अंत तक कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित परिवारों की सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहायता से ऋणों की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि किसी भी एक लाभ-ग्राही को निगम 5000.00 रुपये से अधिक की राशि प्राप्त न हो। शेष धनराशि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा मिलनी चाहिए। निगम को चाहिए कि वह बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को अपनी ऋण सुविधा का एक भाग नौजुदा बैंक दरों पर लाभग्राहियों को अग्रिम तौर पर देने को प्रेरित करे। ऋण-वापसी की अवधि 3 से 5 वर्ष होनी चाहिए।

4.70 आशा की जाती है कि राज्य सरकारें गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निदेशों पर वांछित कार्रवाई करेंगी और मध्यम अवधि योजना के अंत तक कम से कम 50 प्रति-शत अनुसूचित जाति परिवारों को इनका लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगी।

न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम

4.71 1976-77 में तथा 1977-78 के प्रस्तावित प्राहूप के दौरान, कार्यक्रम के विभिन्न अंगों पर हुए व्यय से संबन्धित सारी जानकारी नीचे दी जा रही है :—

(लाख रुपयों में)

| वर्ष | ग्रामीण विद्युतीकरण | ग्रामीण मार्ग | बुनियादी शिक्षा | ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा | ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति | भूमिहीन कृषकों के लिए आवासीय भूखण्ड | झुग्गी-बस्तियों के पर्यावरण में सुधार | पौष्टिकता | कुल |
|----------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1976-77. | 2341.00 | 5585.00 | 6025.00 | 2430.00 | 7529.00 | 1375.00 | 728.00 | 1475.00 | 27788.00 |
| 1977-78. | 3449.00 | 6792.00 | 7181.00 | 2929.00 | 7620.00 | 1172.00 | 1208.00 | 1684.00 | 32038.00 |

4.72 पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में गरीबों को कम करने के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी करने का दृष्टिकोण अपनाया गया था। 1976 से 1978 के बीच इस पर 800.00 करोड़ रुपये की लागत आई। समझा जाता है कि 1978-79 अवधि वाली पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनियादी जरूरतों की पूर्ण सूची में जिसमें पीने के पानी की आपूर्ति, आवासीय भूखण्डों की व्यवस्था, गांव तक जाने वाले मार्गों का निर्माण, ग्रामीण-निर्धनों के लिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान, ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार, झुग्गी बस्तियों में पर्यावरण सुधार और कुपोषण के शिकार को पौष्टिक आहार शामिल हैं, में प्रौढ़ शिक्षा को भी जोड़ दिया गया है। कार्यक्रम के अर्धान विभिन्न व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन का प्रस्ताव है ताकि इसका अधिकाधिक लाभ मिल सके और कुल परिव्यय बढ़ाकर 4,180 करोड़ रुपये कर दिया गया है। परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 1978-83 के दौरान निर्धारित प्रतिमानों और प्रस्तावित परिव्यय से सम्बन्धित जानकारी नीचे दी जा रही है :—

(करोड़ रुपयों में)

| क्रम संख्या | मद | प्रतिमान | परिव्यय 1978-83 |
|-------------|---------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | (क) बुनियादी शिक्षा | 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए | 900 |
| | (ख) प्रौढ़ शिक्षा | 15-25 वर्ष के सभी प्रौढ़ों के लिए | 200 |
| 2. | ग्रामीण स्वास्थ्य | (क) सभी गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (स्वच्छता, प्रतिरक्षण, साधारण इलाज सम्बन्धित सेवाएँ) | 490 |
| | | (ख) प्रति 50 हजार जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रति 5000 व्यक्तियों के लिये एक उपकेन्द्र | |
| 3. | गांवों में पानी की सप्लाई | इन सभी गांवों के लिए जहां यह समस्या है | 675 |
| 4. | ग्रामीण मार्ग | 1000 या अधिक जनसंख्या के सभी गांवों को जोड़ना | 800 |
| 5. | ग्रामीण विद्युतीकरण | प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र के 50 प्रतिशत गांवों में बिजली की आपूर्ति | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|---|-------------|
| 6. (क) | भूमिहीनों के लिए आवासीय भूखण्ड और ग्रामीण आवास | सभी भूमिहीन के लिए | मजदूरों 500 |
| (ख) | शहरी झुग्गी-बस्तियों में पर्यावरण सुधार | पर्यावरण सुधार में यह बातें शामिल हैं: (क) पानी की सप्लाई, (ख) भूमिगत नालियां बिछाना, (ग) सड़के पक्की बनाना, (घ) झुग्गी क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था। अनुसूचित जातियों विशेषकर मैला ढोने वालों के क्षेत्रों को प्राथमिकता देना। | 190 |
| 7. पौष्टिक आहार कार्यक्रम | 1. 6—11 वर्ष के एक चौथाई बच्चों के लिए दो-पहर के भोजन की व्यवस्था 2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सघन जनसंख्या वाले खंडों में रहने वाले 0—6 वर्ष के कुपोषित शिशुओं, गर्भवती माताओं तथा दूध पिलाने वाले माताओं के लिए पूरक आहार का कार्यक्रम। | | 175 |
| | | कुल राशि | 4180.00 |

4.73 ऊपर की तालिका से ज्ञात हो सकेगा कि शहरी झुग्गी बस्तियों के पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां अनुसूचित जातियों विशेषकर मैला ढोने वाले लोग रहते हैं। इसी तरह पौष्टिक आहार कार्यक्रम के अंतर्गत भी उन्ही खंडों को लिया जाएगा, जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिसंख्य लोग रहते हैं। जैसे भी ग्रामीण विद्युतीकरण, गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति और ग्रामीण स्वास्थ्य आदि कार्यक्रमों से भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पर्याप्त लाभ पहुंच सकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्राप्त लाभों से संबंधित विवरण को प्राप्त करने हेतु एक उपयुक्त प्रपत्र बनाया जाना चाहिए।

अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन

4.74 राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर, 1978 से अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत राजस्थान के प्रत्येक गांव में दरिद्रतम परिवारों की पहचान करना और ग्राम सभा के परामर्श से उनकी उन्नति के उपाय निकालना था। इसके साथ ही, डेरी फार्मिंग, भुर्गापालन, भेड़ पालन, सुअर पालन जैसे पशु-पालन-कार्यक्रमों, लघु कूटीर उद्योग जैसे सहाय्यक व्यवसायों और राज्य में हो रहे विभिन्न निर्माण कार्यों में रोजगार तथा स्वरोजगार के द्वारा उनके कल्याण के साधन मुहैया करना भी शामिल था। पहचाने गए कुछ परिवारों को कृषि भूमि भी प्रदान की गई और वृद्ध तथा शारीरिक रूप से अप्रयुक्त व्यक्तियों को पेंशन देने की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दायित्व जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया। जिला कलेक्टर ने इसे जिला विकास एजेंसी/छोटे किसान विकास एजेंसी के जरिए से लागू किया। जिला विकास एजेंसी और छोटे किसान और विकास एजेंसी ने अनुदान-सहायता के मामले में मदद की और सहकारिताओं/आणिज्यिक बैंकों ने संस्थानगत वित्तीय सहयोग दिया।

4.75 अक्टूबर, 1977 में किए गए पहचान के पहले दौर में, 32,638 गांवों में बसे 1.60 लाख ऐसे परिवारों की पहचान की गई। 1,60,143 पहचाने गये परिवारों में से 75,662 परिवारों को, जो पहचाने गए कुल परिवारों का 47 प्रतिशत भाग है, मई, 1978 तक कार्यक्रम के अंतर्गत ले लिया गया। कुल मिलाकर, 24,891 परिवारों को भूमि आवंटित की गई; 22,820 परिवारों के बृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन दी गई; 10,908 परिवारों को आर्थिक सहायता तथा ऋण दिए गए; 5,032 परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया और 1,731 परिवारों को अन्य गतिविधियों के तहत ले लिया गया। आशा थी कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 84,000 परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत ले लिया जाएगा। राजस्थान के 13 जिलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभग्राहियों से सम्बन्धित पृथक-पृथक विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

| क्रम संख्या | जिला | अनुसूचित जातियों | अनुसूचित जनजातियां | अन्य | कुल संख्या |
|-------------|-------------|------------------|--------------------|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बांसवाड़ा . | 261 | 4937 | 489 | 5687 |
| 2. | बाड़मेर . | 122 | 49 | 1267 | 1438 |
| 3. | भीलवाड़ा . | 623 | 422 | 609 | 1654 |
| 4. | बूंदी . | 506 | 198 | 776 | 1480 |
| 5. | चुरू . | 996 | -- | 683 | 1679 |
| 6. | डूंगरपुर . | 162 | 1249 | 392 | 1803 |
| 7. | जालौर . | 768 | 455 | 928 | 2151 |
| 8. | झुंझुनू . | 764 | 132 | 931 | 1827 |
| 9. | जोधपुर . | 872 | 205 | 1130 | 2207 |
| 10. | कोटा . | 1229 | 858 | 1319 | 3406 |
| 11. | सीकर . | 675 | 80 | 1605 | 2360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------|------|------|-------|-------|
| 12. | सिरोही | 610 | 520 | 239 | 1369 |
| 13. | टोंक | 1123 | 462 | 1295 | 2880 |
| कुल संख्या | | 8711 | 9567 | 11663 | 29941 |

4.76 ऊपर के विवरण से ज्ञात होगा कि कुल 29941 लाभग्राहियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्रमशः 8711 और 9567 व्यक्ति थे, जो कुल लाभग्राहियों का 61.04 प्रतिशत भाग है। उसका अर्थ यह है कि राजस्थान के 13 जिलों में शुरू किये गये अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही स्कीमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रोत्साहन देने की दिशा में पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

4.77 अनेक राज्य सरकारों ने निकट भविष्य में अंत्योदय कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है, जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निःसंदेह लाभ होगा। समाचारपत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अनेक नई अंत्योदय स्कीमें शुरू की गईं जिनका उद्देश्य निर्धन रेखा से नीचे रह रहे 67 प्रतिशत लोगों की स्थिति को सुधारना है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार गांव के लघु उद्योगों को चलाने के लिए ऐसे अंत्योदय औद्योगिक केंद्रों की स्थापना पर विचार कर रही थी, जिसका प्रबन्ध कमजोर वर्गों के सदस्यों की सहकारिता के हाथ में होना था। इन औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए सरकार वित्तीय सहायता और सदस्यों की शेर-राशि की भी व्यवस्था करनी थी। सदस्यों को इन इकाइयों का स्वामी बना दिया जाता। बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने अंत्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई स्कीमों का विवरण हमें नहीं भेजा है।

4.78 अपने हाल ही के हिमाचल प्रदेश के बारे में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को सूचित किया गया कि वहां 2 अक्टूबर, 1978 से अंत्योदय कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में इन परिवारों की संख्या निश्चित करने के सिलसिले में शांघ्रता से एक सर्वेक्षण शुरू किया जिन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता की आवश्यकता है। लेकिन, इस सर्वेक्षण से यह ज्ञात नहीं होता कि इस प्रकार पहचाने गए परिवारों में से कितने परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। अनुमान लगाया गया कि पहचाने गए परिवारों में से 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों के होंगे। इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही आवास तथा विभिन्न स्कीमों के अधीन उपलब्ध निधि को पहचाने गए अंत्योदय परिवारों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इस्तेमाल किए लिया जाए। यह पाया गया कि अनुसूचित जाति के जिन परिवारों को आवास-निर्माण के लिए सहायता दी जा सकती है, उनकी संख्या बहुत कम है इसलिए राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों सहित सभी अंत्योदय परिवारों के लिए पृथक निधि की व्यवस्था करनी चाहिए और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विद्यमान निधि को इन वर्गों के अंत्योदय परिवारों पर नहीं व्यय करना चाहिए। चूंकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकतर व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति हैं, इस लिए अनुसूचित जातियों के विकास के वास्तविक विद्यमान योजनाओं की निधि को अंत्योदय के अधीन अनुसूचित जाति के परिवारों पर व्यय करना अनुचित होगा और उनके लिए अलग से निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अध्याय 5

भूमि, कृषि और आवास कार्यक्रम

अनुसूचित जातियों में भूमिहीनता की अधिक विद्यमानता

हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के खेतिहर मजदूरों की एक बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों के लोगों की है। 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के खेतिहर मजदूरों का अनुपात (18.80 प्रतिशत) सामान्य जनसंख्या (8.67 प्रतिशत) के दुगुने से भी अधिक है। खेतिहर मजदूरों में अनुसूचित जाति की स्त्रियों की भागीदारी की दर सामान्य स्त्रियों की जनसंख्या के दस गुणा से भी अधिक है। यह एक ज्ञात तथ्य है की अनेक क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम कृषि मजदूरी की अदायगी से अभी भी वंचित रखा जाता है। हाल ही में इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि कुछ राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में खेतिहर मजदूरों को निर्धारित दरों के अनुसंधान मजदूरी नहीं दी जाती है।

अनुसूचित जातियों में सीमांत कृषकों की अधिक विद्यमानता

5.2 अनुसूचित जातियों के कृषकों की एक अन्य समस्या उनमें भूमिहीनता की अधिक विद्यमानता है। 1971 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति के कृषकों की प्रतिशतता (10.13 प्रतिशत) अन्य से कम (14.27 प्रतिशत) थी। 1961 की जनगणना के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में जुटे नमूना परिवारों (20 प्रतिशत नमूने पर आधारित) जिनका वर्गीकरण भूमि पर उनकी निर्भरता तथा उनके द्वारा काशत भूमि के प्रकार के आधार पर किया गया, के आकड़ों के विश्लेषण से यह मालूम हुआ, जिनके पास 2.4 एकड़ से कम भूमि थी, उनमें अनुसूचित जातियों का अनुपात 50.96 प्रतिशत था, जबकि अन्य में यह प्रतिशतता सिर्फ 34.53 प्रतिशत थी। और अगर 4.9 एकड़ तक को भूमि को जोतों की मितिकयत के अनुसार यह अनुपात निकाला गया तो अनुसूचित जातियों का भाग 73.64 प्रतिशत निकला, जबकि अन्य को यही प्रतिशतता 57.35 प्रतिशत थी।

अदि 150 क्षेत्रों में कृषि की विशिष्टताएं

5.3 कुछ आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में भूमिहीनता की समस्या इतनी गंभीर नहीं है। इन क्षेत्रों में कृषि ऐसी जातों पर की जाती है जो अधिक रूप से अधिक लाभप्रद नहीं है। ये लोग आदिवासी परम्पराओं के अनुसार स्थानीय तथा सादे उपकरणों की सहायता से काशत करते हैं। आदिवासियों को दखल अधिकारों, भूमि वियोजन आदि मामलों से सम्बन्धित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में भूमि कम उपजाऊ होती है और वहां की मुख्य फसलें बाजरा और अन्य मोटे अनाज हैं।

आर्थिक कारणों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

5.4 अगर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई की कम सुविधाओं और निवेश को भी विचार करते समय ध्यान में रखें तो उनकी स्थिति और भी बर्तुर निकलेगी। विभिन्न कारणों से भूमि का स्वामित्व सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। हालांकि राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने ऐसे कुछ प्रयास किए हैं जिनसे अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में कृषि-भूमि आवंटित की जा सके, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे

लाभग्राहियों को सक्षम कृषक बनाया गया है। कई स्थानों पर, अनुसूचित जातियों के भूमि-आवंटितियों की समाज के अन्य वर्गों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है।

5.5 गृह मामलों के केन्द्रीय मंत्रालय ने आर्थिक कारणों से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर 1974 से जून, 1976 के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा राज्यों और संघ शासित प्रदेश पांडीचर्री में हुई हिसात्मक घटनाओं से सम्बन्धित मामलों का विश्लेषण करने से मालूम हुआ कि इस अवधि में भूमि-विवादों से सम्बन्धित 491 (18.6 प्रतिशत) घटनाएं हुईं; जबरन फसल काटने की 185 (7.00 प्रतिशत) घटनाएं; मजदूरी सम्बन्धी विवादों के कारण 191 (7.2 प्रतिशत) घटनाएं; बंधुवा मजदूरी की 192 (7.2 प्रतिशत) घटनाएं; ऋणग्रस्तता से सम्बन्धित 107 (4.1 प्रतिशत) घटनाएं और 1,464 अन्य घटनाएं (55.5 प्रतिशत) घटीं। भूमि विवादों से सम्बन्धित अधिकतर घटनाएं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पाई गईं। जबरन फसल काटने की घटनाएं अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में अधिक हुईं। मजदूरी सम्बन्धी विवादों को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात में अधिक घटनाएं हुईं।

5.6 देश के विभिन्न भागों में अत्याचार की घटनाएं होने के कुछ कारणों में जनसंख्या के अन्य वर्गों द्वारा अनुसूचित जातियों को भूमि आवंटन के प्रांत असह्यशीलता का परिचय देना या इन समुदायों के कृषि मजदूरों का निर्धारित दरों के अनुसार मजदूरी मांगना था। बाद के पंरों में ऐसी कुछ घटनाओं का संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया जा रहा है।

असम के कछार जिले में अनुसूचित जाति के परिवारों को भूमि से बेदखल करना

5.7 अगस्त, 1978 में असम के सिलचर क्षेत्र (कछार जिला) में, कनकपुर में कुछ अनुसूचित जाति परिवारों पर कथित अत्याचारों की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। घटना की जांच करने से मालूम हुआ कि कनकपुर के गैर-अनुसूचित जाति के कुछ भूपति अनुसूचित जाति के पांच काशतकारों को जबरन उनकी जातों से उन्हें हटाना चाहते थे। काशतकारों पर उनके खेतों से हमला किया गया जिन में से कुछ को गंभीर चोटें आईं और तीन मकानों की आग लगा दी गई। काशतकार पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उन्हें खस सफलता नहीं मिली। अनुसूचित जाति के एक काशतकार की दाईं बांह बर्छों की चोट से गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे सिलचर मेडिकल कालेज अस्पताल में ले जाना पड़ा जहां उसकी समुचित रूप से देखभाल नहीं की गई। संदेह प्रकट किया गया कि भूपतियों ने मेडिकल कालेज अस्पताल के डाक्टरों के साथ साठ-गांठ कर ली थी। हालांकि मजबूतों (उत्पीड़ितों) ने जिला प्राधिकारियों से और जिला पुलिस अधीक्षक से काफी पहले से शिकायत की हुई थी, लेकिन फिर भी अनुसूचित जाति के काशतकारों के जीवन या भूमि जातों पर उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई समुचित कार्रवाई नहीं की गई। बताया जाता है कि अनुसूचित जाति के पांच परिवार पिछले अनेक वर्षों से गैर-अनुसूचित जाति के भूपतियों के पास काशतकार के रूप में काम कर रहे

थे। 1975 में, उनके द्वारा जोती गई भूमि के आधार पर उन्हें उसका व्याप्योचित स्वामी बना दिया गया। यह मालूम हुआ कि इससे पूर्व अनुसूचित जाति के दो काश्तकार परिवारों को भूपतियों ने बेदखल कर दिया था। और हालांकि इस सिलसिले में जिला प्राधिकारियों के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन भूपतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। समय के साथ-साथ, भूमि की कीमत में कई गुना वृद्धि हो गई। शायद, अनुसूचित जाति के दो परिवारों को भूमि से सफलतापूर्वक बेदखल करने की अपनी पहले की कार्रवाई से प्रोत्साहन पाकर और भूमि की कीमत में विशाल वृद्धि के लालच में आकर, भूपतियों ने दस वर्ष अनुसूचित जाति के काश्तकारों को बेदखल करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के परिवारों पर अत्याचारों की वर्तमान घटनाएं हुईं और उनके घर जलाए गए।

5.8 जिला प्राधिकारियों का मत था कि यह गैर-अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार की घटना नहीं थी, बल्कि बुनियादी तौर पर भूपति-काश्तकार विवाद था। जिला अधिकारियों ने उस स्थल का दौरा नहीं किया जहां अत्याचार-पूर्ण घटना घटी थी, हालांकि यह स्थान जिला मुख्यालय से ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर दूरी पर था। जिला प्रशासन के लिए यह उचित नहीं था कि इसे भूपति-काश्तकार मामला माने; क्योंकि यह जानकारी सभी को है कि अनुसूचित जातियों पर अकारण अत्याचार नहीं किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के अधिकतर कारण, भूमि सम्बन्धी विवाद, काश्तकारी अधिकार या कृषि मजदूरी आदि होते हैं।

5.9 इस घटना की छानबीन करने से, कठार जिले में अनुसूचित जाति के काश्तकारों पर ऐसे ही अन्य अनेक अत्याचारों के मामले प्रकाश में आए, जहां उन्हें तंग किया गया और उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। यह महसूस किया गया कि कठार जिले में जहां असम राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का घनत्व (12.19 प्रतिशत) सबसे अधिक है, अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों और उत्पीड़न के कठित मामलों की समुचित और पथेष्ट जांच कराई जानी चाहिए।

बिहार में अनुसूचित जातियों के साथ कृषि विवाद

5.10 बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों को लेकर अनेक कृषि विवादों के समाचार प्राप्त हुए हैं। कुछ विवादों में तो अनुसूचित जाति के निर्दोष व्यक्ति तक मारें गए बताए जाते हैं। 25 मार्च, 1978 को, दो अनुसूचित जातियों, एक कुर्मी समुदाय के और कानू समुदाय के दो व्यक्तियों को रोहतास जिले के विशरामपुर और कानियरी गांवों में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। हिंसात्मक घटनाओं में अनेक घरों को आग लगा दी गई। राज्य प्रशासन ने इस तथ्य को नकारा कि लूटपाट, आगजनी और हत्या की इन घटनाओं में जातिगत विद्वेष का हाथ है और इसे अपराधियों के दो गुटों के बीच झगड़े की संज्ञा दी। लेकिन कुछ के अनुसार यह घटना "लम्बे अरसे से चले आ रहे कृषि विवाद का चरम परिणाम था; क्योंकि समृद्ध पिछड़ा समुदाय नहीं चाहता था कि कुछ हरिजन भूमि के स्वामी बनें।" विवादास्पद रिपोर्टें मिलने के आयुक्त ने फैसला किया कि घटना-स्थल पर जाकर अपनी एजेंसी के द्वारा इस घटना का आकलन किया जाए और इस उद्देश्य से अपने मुख्यालय से एक अध्ययन दल भेजा। दल ने अप्रैल, 1978 के पहले सप्ताह में रोहतास जिले* के 4 गांवों का दौरा किया और वहां के जिम्मेदार अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों से मुलाकात की। दल को मालूम हुआ कि इन गांवों में अनुसूचित जातियों के 18 व्यक्तियों के पास 42.93 एकड़ भूमि थी, जबकि इन गांवों में भूपति कृषकों की कुल संख्या 558 थी और उनके पास कुल मिलाकर 688.07 एकड़ भूमि थी। अनुसूचित जातियों के अधिकतर व्यक्ति मजदूर के तौर

पर काम करते थे और उन्हें बिहाड़ी, मासिक या वार्षिक आधारों पर मजदूरी दी जाती थी। वार्षिक आधार पर काम करने वाले व्यक्ति बानिहार भी कहलाते थे। कुछ मजदूर बानिहार के तौर पर काम करते थे। और उन्हें पहले से निर्धारित की गई दर के हिसाब से उपज का भाग मिलता था। कुछ अन्य मजदूर खेतों से बोझा उठाने के लिए काम करते थे यह पाया गया कि घटना के पीछे विभिन्न कारणों का हाथ है। विशरामपुर गांव के निवासियों और अखोरी गांव के कुछ कुर्मियों के बीच पोखर के किनारे पर स्थित गैर-मजदूर-मालिक भूमि जो लगभग 7 एकड़ थी, पर आवास के सिलसिले में एक भूमि विवाद था। कुछ मजदूरी सम्बन्धी विवाद भी थे। कुर्मी भूपतियों द्वारा अनुसूचित जाति के एक मजदूर की उस समय हत्या तक कर देने की खबर मिली जब मजदूरों की अदायगी के बारे में बातचीत चल रही थी। इसे अपराधियों के दो गुटों के बीच झगड़े की संज्ञा देना पूरी तरह सही नहीं था, क्योंकि राज्य सरकार इस झगड़े में शामिल 500-600 व्यक्तियों में से सिर्फ 4 या 5 व्यक्तियों के खिलाफ कुछ अपराधों के मामलों को सूची बना सकी। कमोवेश, कुर्मियों ने जातिगत आधार पर स्वयं को संगठित किया हुआ था और उनमें से कुछ का अपराधी होने का रिकार्ड भी था। कुर्मी समुदाय कुछ सदस्यों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अन्य व्यक्तियों पर श्रेष्ठता धारण के प्रयास भी किए गए। क्षेत्र में इस बात की भी पुष्टि की गई कि रोहतास जिले में अनेक अपराध हुए और कई बार ऐसे हत्याएं भी हो गईं जिनका रिकार्ड नहीं रखा गया। अधिकारियों तक ने यह स्वीकार किया कि ग्रामीणों के पास बिना लाइसेंस के हथियार थे, लेकिन विशरामपुर गांव के अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के पास से बिना लाइसेंस के ऐसे हथियारों को बरामद किए जाने का कोई रिकार्ड नहीं मौजूद था। विशरामपुर गांव में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की अनेक झोपड़ियां जला दी गईं, लेकिन कम से कम इस विशेष गांव से गैर-लाइसेंस के हथियारों के बरामद होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस घटना के पीड़ितों को अपराधियों की संज्ञा देने से पहले, अधिकारियों को प्रत्येक घर को तलाशी में यह जानकारी प्राप्त करके कि कितने व्यक्तियों के पास गैर-लाइसेंस वाले हथियार हैं या अपराधिक गतिविधियों में कितने व्यक्ति शामिल हैं, स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए था। विशरामपुर गांव के अनुसूचित जाति के अधिकतर पीड़ित अपराधी नहीं थे बल्कि कुर्मी समुदाय के व्यक्तियों द्वारा सताए गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य उन्हें अपने अधीनस्थ बनाए रखना था ताकि वे भूमि आवंटन या अधिक मजदूरी दिए जाने के लिए अपनी आवाज न उठा सकें।

5.11 एक अन्य मामले में, पोपरी गांव बाना कारघर, जिला रोहतास के अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों की 28 अगस्त 1978 को कुर्मी समुदाय के कुछ व्यक्तियों ने हत्या कर दी। यह बताया गया कि अपराधियों ने इन हत्याओं को योजनाबद्ध तरीके से कार्यरूप दिया। कारण यह था कि 1975-76 में अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों में से प्रत्येक को सरकार ने जो 0.7 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी, उसे अपराधी क्षुभित थे। समृद्ध किसानों ने इस पर आपत्ति प्रकट की थी और अनुसूचित जातियों ने उनके खिलाफ मामले दायर कर दिए थे। इसके फलस्वरूप अनेक झगड़े हुए और किसानों ने अनुसूचित जाति के मजदूरों का बाँयकांट कर दिया। यह भी बताया गया कि गड़बड़ तो तभी से चल रही थी, जब से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने करीब एक वर्ष पूर्व किसानों द्वारा खोदी गई नहर को बंद कर दिया था। नहर इसलिए बंद करनी पड़ी थी कि यह हरिजनों के घरों के साथ से होकर निकलती थी और इससे इन घरों की बुनियाद को खतरा था। मजदूरों सम्बन्धी विवादों ने इस मामले को और गंभीर कर दिया। 28 अगस्त, 1978 को मामला सिर पर ही आ गया जब अनुसूचित जातियों के दो व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया।

5.12 समाचार पत्रों में खबर थी कि मधुबनी जिले के नदनिया पुलिस थाने के अधीन गरहा गांव में 31 अगस्त 1978 को भूमि विवाद के कारण कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित हमला किये जाने से अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अनेक व्यक्ति घायल हो गए।

5.13 रोहतास जिले के गांव रुपया में फरवरी 1978 को, गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ भूमि विवाद के कारण अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को हत्या कर दी गई। इस मामले की छानबीन से मालूम हुआ कि यहाँ अनुसूचित जाति के व्यक्ति और ऊंची जात के कुछ व्यक्तियों के बीच भूमि विवाद चल रहा था।

5.14 निर्धारित न्यूनतम कृषि मजदूरी के न दिए जाने के फलस्वरूप भी अनेक विवादों ने जन्म लिया। यह बताया गया कि बेगूसराय जिले के टेगरा पुलिस थाने के अधीन दुलारपुर पिरहौली गांव के अनुसूचित जाति के एक खेत मजदूर को जुलाई 1977 में पीटा गया और अचेतन अवस्था में एक गढ़े में फँक दिया गया। उसका कसूर यह था कि उसने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन अनुबंधित मजदूरी और बकाया धनराशि को अदायगी की मांग की थी।

5.15 भागलपुर जिले के पठड़ा गांव में, अनुसूचित जाति के 11 व्यक्तियों को भूपतियों द्वारा पीटा गया और उन्हें 3 दिन तक गैर-कानूनी रूप से बंद रखा गया। ये भूपति उन्हें न्यूनतम कृषि मजदूरी नहीं देना चाहते थे।

गुजरात में अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर हमला

5.16 गुजरात में, अहमदाबाद जिले के वीरमगाव ताल्लुके में बेकारिया गांव में एक व्यक्ति को अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति पर सितंबर, 1978 को दसो बंदूक से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। विवाद का कारण उपज-सुरक्षण था।

हरियाणा में हत्या, विशेष बाँयकाट और फसल का विनाश

5.17 हरियाणा राज्य में भी कृषि-कार्यों में लगी अनुसूचित जातियों को परेशान करने के मामलों के समाचार प्राप्त हुए हैं। इस आशय के समाचार प्राप्त हुए कि हिसार से करीब 10 किलोमीटर दूर रावलावास खुद गांव के अनुसूचित जाति के एक कृषक की 10 हजार रुपए की खड़ी फसल को कुछ शरारती तत्वों ने नष्ट कर दिया था। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अनुसूचित जाति के चार परिवार 1966 में डाला गांव से हलासपुर गांव आ गए। हलालपुर गांव में श्रमिकों की कमी महसूस होने के कारण गांव वालों ने अनुसूचित जाति के इन परिवारों से ऐसा करने का अनुरोध किया था। अनुसूचित जाति के व्यक्ति पंचायत की भूमि पर आकर बस गए। समय के साथ-साथ उनके परिवारों में वृद्धि होती गई और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों ने और अधिक भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। करीब 2 1/2 वर्ष पहले, उनके और गांव के अन्य निवासियों के बीच शत्रुता हो गई जिसके फलस्वरूप अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बहिष्कार कर दिया गया। गांव में उनके किसी भी तरह काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके खिलाफ निकाले जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अनुसूचित जाति के व्यक्ति मार्च, 1978 में गांव से उस समय भाग गए जब गांव के अन्य व्यक्तियों ने उनकी झोंपड़ियां गिरा दीं। लेकिन जुलाई, 1978, में, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ और मालूम हुआ कि उसके पश्चात् अनुसूचित जाति के परिवार अपने घरों को लौट आए। अगस्त 21 और 22 के बीच की रात, को रोहतक से 20 किलोमीटर दूर मोरखेरी में एक हरिजन दम्पति की हत्या का कारण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और जाट समुदाय के उनके पड़ोसियों के बीच एक कथित भूमि सम्बन्धी विवाद था।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के चार व्यक्तियों की कथित हत्या और फसलो का विनाश

5.18 मध्य प्रदेश में, रतलाम जिले को अलोट तहसील के कनाडिया गांव में अगस्त, 1977 को अनुसूचित जाति के चार व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। यह बताया गया कि गांव वालों का एक वर्ग अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटित किए जाने से असंतुष्ट था और उसने संघर्ष के जरिए यह मामला निपटाने का फैसला किया। उन्होंने अपने मवेशियों को हरिजनों के खेतों में खड़ी फसल को चरने के लिए हांक दिया। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने जब इस ज्यादती को रोकना चाहा तो उन पर हमला किया गया जिससे अनुसूचित जाति के चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। समाचार पत्रों के अनुसार, भोपाल जिले के दोराहा पुलिस थाने के अधीन तारा सेमानिया गांव में हुई एक अन्य घटना में, अनुसूचित जाति के 6 व्यक्तियों ने ऊंची जात वाले शक्तिवाली ग्रामीणों के खिलाफ शिकायत की थी कि वे उन पर निरंतर अत्याचार कर जा रहे हैं और चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति सरकार द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा छोड़ दें। आवंटित भूमि के टुकड़े पर खड़ी खरीफ की फसल को भी सवर्ण हिन्दुओं ने नष्ट कर दिया।

उड़ीसा में न्यूनतम कृषि मजदूरी की अदायगी मांगने पर अनुसूचित जातियों के दो व्यक्तियों पर कथित हमला

5.19 समाचार पत्रों में छपे रिपोर्टों के अनुसार उड़ीसा के कटक जिले के डेराबार गांव में, अगस्त, 1977 को कुछ सवर्ण हिन्दुओं ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर उस समय कथित हमला कर दिया जब उन्होंने निर्धारित दिहाड़ी मजदूरी 4.00 रुपए के स्थान पर 3.00 रुपए के लिए खेतों पर काम करने से इनकार कर दिया।

पंजाब में सामाजिक बहिष्कार

5.20 पंजाब के पटियाला जिले के गधेरा गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने अपने गांव में भूपतियों द्वारा सामाजिक बहिष्कार कर दिए जाने के खिलाफ अभिवेदन दिया। यह बहिष्कार खेत मजदूरों को दिहाड़ी मजदूरी की अदायगी सम्बन्धी विवाद का परिणाम था। यह आरोप लगाया गया कि आधिकारिक तौर पर निर्धारित न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरी रु० 6.65 पैसे और भोजन के स्थान पर, भूपति 5.00 रुपए दिहाड़ी मजदूरी तथा भोजन भी देने के लिए तैयार नहीं थे।

राजस्थान में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए भूमि को जुताई में कथित बाधाएं

5.21 समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार, राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील के हांगावेदी गांव में अनुसूचित जाति के 30 परिवारों को 140 बोधा भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन अहीरों ने भूमि पर कब्जा करके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की फसले नष्ट करने की कोशिश की। इसी तरह, जलालपुर गांव के गूजरों ने कमजोर वर्गों के 22 आवंटितियों की भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा करने की कोशिश की थी। मुदावर तहसील के डालाहेड़ी गांव में भी, अनुसूचित जाति के पांच परिवारों को अपनी भूमि को जोखने के मांग में बाधाएं खड़ी की गई थी। इसी तरह, सरतपुर, बवाड़ और बिचौला गांवों में भी कुछ व्यक्ति अनुसूचित जाति के काश्तकारों को परेशान कर रहे थे।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अश्व भूमिहानों को आवंटित भूमि को जुताई में बाधाएं

5.22 दिल्ली के नागकोई खंड के कझावला गांव में, भूमिहान व्यक्तियों के 120 परिवारों (67 अनुसूचित जातियों और 53 गैर-अनुसूचित जातियों के) को 1970 में भूमि आवंटित किए जाने से सम्बन्धित मामले को काफी प्रचार प्राप्त हुआ है। भूमिहान व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने के बावजूद, 1200 बोधा जमीन मवेशियों के चरने के लिए उपलब्ध है। लेकिन फिर भी भूपतियों में असंतोष बना हुआ है

जो सारी भूमि को मवेशियों के चरने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। ये अदालतों में विवाद का मामला भी बना रहा। नवम्बर, 1977 में, अनुसूचित जाति और अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को अपनी भूमि पर काश्त करने के लिए पुलिस की सुरक्षा प्रदान की गई। जुलाई, 1978 में, आवंटितियों को अपनी भूमि जोतने के योग्य बनाने के लिए पुलिस की व्यवस्था का सहारा लेना पड़ा। लेकिन 7 जुलाई, 1978 को, कुछ गैर-हरिजन भूपतियों ने लाठियों अदि से लैस होकर हरिजनों और अन्य भूमिहीन व्यक्तियों पर हमला कर दिया और उन्हें अपनी भूमि पर जताई करने में बाधा पहुंचाई, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के चार और दो अन्य व्यक्ति घायल हो गए। अनुसूचित जाति की दो महिलाएं भी तब घायल हो गईं जब उनके घरों पर हमला किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार, नागलैंड पुलिस थाने में इन घटनाओं के सम्बन्ध में दो मामले—प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 578 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 427 और 323 के अधीन तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 579 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 452 और 323 के अधीन—दर्ज किए गए। 23 गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मामला यहीं तक सीमित नहीं था। अनुसूचित जातियों और अन्य भूमिहीन व्यक्तियों के खिलाफ विवाद में इन भूपतियों की मदद पड़ोसी राज्यों के कृषक कर रहे थे। नए भूमि आवंटितियों को सहायता के संदर्भ में सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा अर्पण किए गए अडिग सब का अन्वय राज्य सरकारों को अनुकरण करना चाहिए।

अनुसूचित जातियों को आवंटित भूमि का हथियाना

5.23 ऊपर के पैरों में दिए विवरण से इस बात की पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी कि ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब ग्रामीण क्षेत्रों में निहित स्वार्थों ने अनुसूचित जातियों को उन्हें आवंटित भूमि पर काश्त करने से रोकने की कोशिश की है। कभी-कभी इससे लम्बी मकदमेबाजी में भी फसना पड़ा है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक तनाव जन्म लेते रहे हैं। अनुसूचित जाति समुदायों के प्रति उपयुक्त सामाजिक चेतना के अभाव और

समुचित प्रशासनिक सहायता के न उपलब्ध होने से भी भूपतियों के लिए यह संभव हो सका है कि वे अनुसूचित जातियों को आवंटित भूमि जबरन हथिया लें। अनेक स्थानों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्ति फसल चुराने के अपराधी हुए हैं।

5.24 हिमाचल प्रदेश में आयुक्त के हाल ही के दौरों के बीच, यह तथ्य उनकी जानकारी में लाया गया कि अनुसूचित जाति के ऐसे अनेक व्यक्तियों को जिन्हें जमीनें आवंटित की गई थी, प्रभावशाली वर्गों द्वारा किसी न किसी बहाने अदालतों में बसीटा जा रहा है। यह भी मालम हुआ कि कई मामलों में, राजस्व विभाग ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अरक्षित वनों में भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े आवंटित कर लिए, लेकिन इसके लिए वन विभाग से कोई सहमति नहीं प्राप्त की। इस सिलसिले में, उन्हें वैकल्पिक भूमि देने के कदम उठाए गए। आयुक्त ने वन और आदिवासी कल्याण के मंत्रों से इस मामले पर विचार-विमर्श किया और सुझाव दिया कि ऐसे सभी मामलों में जहां सरकारी भूमि आवंटित की गई है, सरकार को ही कानूनी अदालतों में मुकदमे लड़ने चाहिए। यह जरूरत महसूस की गई कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को वास्तविक कब्जा दिए जाने के संदर्भ में भूमि आवंटनों की राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर समय रहते ही प्रतिकारक कार्रवाई भी की जा सकती है।

भूमि का आवंटन

5.25 विभिन्न प्रकार की कृषि भूमि के आवंटन के मामले में, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की है, ताकि वे भी भूमि के स्वामी बन सकें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य व्यक्तियों को भूमि आवंटित किए जाने से सम्बन्धित नवीनतम उपलब्ध सूचना नीचे के विवरण में दी जा रही है :—

| क्रम संख्या | राज्य | अवधि | आवंटन के लिए उपलब्ध कुल भूमि | अनुसूचित जातियां | |
|-------------|------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | लाभग्राहियों की संख्या | आवंटित भूमि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | . . . अगत, 77 तक | अनुपलब्ध | 48,679 | अनुपलब्ध |
| 2. | केरल | . . . 1975-76 | 1,81,216.88 हेक्टर | 5,426 | 1445.88 हेक्टर |
| 3. | केरल | . . . 31-3-76 तक | अनुपलब्ध | 6,459 | 1781.00 हेक्टर |
| 4. | केरल | . . . 1-5-78 | अनुपलब्ध | 24,005 | 14076.83 एकड़ |
| 5. | महाराष्ट्र | . . . 1975-76 | 51,819.00 हेक्टर | 9,074 | 16924.00 हेक्टर |
| 6. | महाराष्ट्र | . . . 1976-77 | 71,838.00 हेक्टर | 16,083 | 23657.00 हेक्टर |
| 7. | मेघालय | . . . 1975-76 | 1987.02 एकड़ | 10 | 3.83 एकड़ |
| 8. | उड़ीसा | . . . 1976-77 | 5,99,408.17 एकड़ | 8,295 | 10,932.62 एकड़ |
| 9. | उड़ीसा | . . . 1977-78 | 5,99,408.17 एकड़ | 2,237 | 3033.26 एकड़ |
| 10. | उड़ीसा | . . . मई 1978 तक | . . . | 61,767 | 1,14,043 एकड़ |
| 11. | राजस्थान | . . . 1977-78 | अनुपलब्ध | 27,629 | 90,782 एकड़ |
| 12. | तमिलनाडु | . . . 1975-76 | 95,782 एकड़ | 6,717 | 11,538 एकड़ |
| 13. | त्रिपुरा | . . . 1977-78 | अनुपलब्ध | 273 | 261.85 एकड़ |
| 14. | पश्चिम बंगाल | . . . मार्च 1977 तक | अनुपलब्ध | 3,54,033 | 2,12,400 एकड़ |
| 15. | पांडिचेरी | . . . 1976-77 | एच०ए०सी०ए० 303-85-61 | 600 | एच०ए०सी०ए० 201-75-61 |
| 16. | पांडिचेरी | . . . 1977-78 | एच० ए० कै० 23-55-81 | 34 | एच०ए०कै० 12-61-36 |
| 17. | गोवा, दमन और दीव | . . . | अनुपलब्ध | 69 | 6 1/8 एकड़ |

| क्रम संख्या | राज्य संख्या | अनुसूचित जनजातियों | | अन्य | | कुल संख्या | |
|-------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| | | लाभग्राहियों की संख्या | आवंटित भूमि | लाभग्राहियों की संख्या | आवंटित भूमि | लाभग्राहियों की संख्या | आवंटित भूमि |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 18,056 | अनुपलब्ध | 26,991 | अनुपलब्ध | 93,726 | 1,45,611 एकड़ |
| 2 | केरल | 5,610 | 1698.00 हेक्टर | .. | .. | 37,399 | 10,730.88 हेक्टर |
| 3 | केरल | 936 | 328.00 हेक्टर | .. | .. | .. | .. |
| 4 | केरल | 4,461 | 3718.68 एकड़ | .. | .. | .. | .. |
| 5 | महाराष्ट्र | 4,627 | 7032.00 हेक्टर | .. | .. | 31,963 | 51,819.00 हेक्टर |
| 6 | महाराष्ट्र | 12,966 | 20,998.00 हेक्टर | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 48,704 | 71,833 हेक्टर |
| 7 | मेघालय | 1,048 | 1935.34 एकड़ | .. | .. | 1073 | 1,987.02 एकड़ |
| 8 | उड़ीसा | 21,089 | 32,356.82 एकड़ | .. | .. | 39,370 | 56,612.67 एकड़ |
| 9 | उड़ीसा | 7,228 | 11,424.55 एकड़ | 4370 | 6,085.77 एकड़ | 13835 | 20,543.58 एकड़ |
| 10 | उड़ीसा | 1,57,025 | 2,92,698 एकड़ | 71,950 | 95,333 एकड़ | 2,90,742 | 502074 एकड़ |
| 11 | राज्यस्थान | 19,938 | 48,650 एकड़ | .. | .. | .. | .. |
| 12 | तमिलनाडु | 1 | 4.00 एकड़ | .. | .. | 20,215 | 33,487 एकड़ |
| 13 | त्रिपुरा | 1,174 | 916.59 एकड़ | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 2,692 | 2008.60 हेक्टर |
| 14 | पश्चिम बंगाल | 1,90,371 | 90,000.00 एकड़ | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 77,468 | 6,23,956 एकड़ |
| 15 | पांडिचेरी | .. | .. | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 703 | एच०एच० 243-85-61 |
| 16 | पांडिचेरी | .. | .. | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | 59 | एच०एच० 23-55-21 |
| 17 | गोवा, दमन और दीव | 3 | 2314 एकड़ | .. | .. | 353 | 386.75 एकड़ |

5.26 लगभग 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में से मुक्ति से 25 प्रतिशत क्षेत्र का ही क्लियरिंग किया गया है। वितरित भूमि का करीब एक तिहाई भाग ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त हो सका है। इस दिशा में धीमी प्रगति का कारण उच्चतम सीमा कानूनों का असंतोषजनक कार्यान्वयन बताया जाता है।

बेनामी हस्तांतरण

5.27 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अतिरिक्त भूमि के आवंटन का कार्य सम्बद्ध प्राधिकारियों की ईमानदारी को जांचने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। ये पाया गया कि कुछ क्षेत्रों में बेनामी हस्तांतरण की दर बहुत ऊंची रही है। कुछ मामलों में, भूमि भूतपूर्व भूपति के नामिती को हस्तांतरित कर दी गई। ये नामिती या तो नाम-मात्र के स्वामी होते थे या भूतपूर्व भूपति को कुछ विशेष घनराशि की अदायगी या पैदावार में कुछ भाग देकर काश्त करते थे। क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे हस्तांतरणों की कार्य प्रणाली अलग-अलग होती है, इसलिए यह जरूरी है कि समस्या पर विस्तारपूर्वक विचार करें और समुचित निवारक उपाय लें।

भूमि रिकार्ड परिवर्तन आदि

5.28 कई मामलों में, उच्चतम सीमा के अधीन अतिरिक्त भूमि के आवंटितियों के नाम रिकार्डों में नहीं दर्ज किए गए और उनके नाम परिवर्तित नहीं किए गए। इसका कारण या तो प्रशासनिक देरी रही है या भूमि को आवंटितियों के नाम तक नहीं किया जा सकता, जब तक वह भूमि का क्रय मूल्य न चुका दे। सभी मामलों में, भूमि को देने के समय ही आवंटितियों का नाम रिकार्डों में फौरन दर्ज कर दिया जाना चाहिए और यह वांछनीय होगा कि हस्तांतरण के अधिकार पर टोक लगाकर, भूमि पूरी तरह से उनके नाम चढ़ा दी जाए। जब तक काश्तकारों को भूमि का स्वामी नहीं बनाया जाता, उनके कार्यकाल की निरंतरता बनाई रखी जाए तथा उसे दाययोग्य अधिकार बना दिया जाना चाहिए और साथ ही, उसे अतिशय-उत्पन्न प्रणाली से बचना

चाहिए। भूपतियों के पास काश्तकारों को निकालने का अधिकार नहीं होना चाहिए और अगर बकाया लगान वसूलना बाकी है तो उसे बकाया राशि वसूलने के लिए कानून का सहारा लेना चाहिए। काश्तकारी अधिकार तब तक समाप्त नहीं किए जाने चाहिए, जब तक राजस्व प्राधिकारी यह निर्णय न दे कि भूमि का गैर-कृषि कार्यों या हानिकारक कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है और ऐसे आदेश भी आगे प्रपील किए जाने योग्य होने चाहिए। भूमिसम्बन्धी रिकार्डों को पूरा करने के काम को प्राथमिकता देकर किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिर्फ उन क्षेत्रों को छोड़कर समस्त देश को ले लिया जाना चाहिए, जहां परंपराएं और स्थानीय भावनाएं सर्वेक्षण के अधीन बसाने के कार्यक्रमों को बढ़ावा नहीं देती। लेकिन पुनर्वास कार्यक्रमों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी है। और यह उद्देश्य रहना चाहिए कि सभी क्षेत्रों के बुनियादी भूमि रिकार्ड तैयार कर लिए जाएं।

कृषि सहायता की व्यवस्था

5.29 केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा गठित भूमि सुधारों के कार्यकारी दल ने भी इस ओर संकेत किया है कि आवंटित भूमि को विकसित करने और उसकी उत्पादन क्षमता बनाने के लिए केन्द्रीय योजनाओं के अधीन उपलब्ध पूंजी से कहीं अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। आवंटित भूमि का मूल्य रु० 700.00 प्रति एकड़ से कम नहीं था, जबकि केन्द्रीय योजनाओं के अधीन उपलब्ध सहायता सिर्फ 200.00 रुपए प्रति एकड़ थी। कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के अलावा कम से कम 50 प्रतिशत पूरक सहायता अवश्य देनी चाहिए और कुल जमाराशि को आवंटितियों के समुचित पुनर्वास कार्यक्रमों को शुरू करने के उद्देश्य से पूल कर लेना चाहिए। वित्तीय सहायता जिनकी व्यवस्था करनी पड़ सकती है, के अतिरिक्त राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे भूमि को वैज्ञानिक आधुनिकीकरण पर विकसित करने और उसे ठीक प्रकार प्रदान करने का प्रयत्न करें। कार्यकारी दल ने यह भी पाया कि आवंटितियों को ऋण की सुविधाएं प्राप्त करने में पर्याप्त कठिनाई हुई। वाणिज्यिक बैंकों से नगण्य मात्रा में ही ऋण प्राप्त किए जा सके

और सहकारी क्षेत्र में भी नाममात्र की ऋण सुविधाएं जुटाई गई थीं। इस और ध्यान आकर्षित किया गया कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने लघु और उपान्त ऋणकों के लिए ऋण सुविधाएं देने से सम्बन्धित दिशानिर्देश भी जारी किए थे और कार्यकारी दल ने यह सुझाव दिया कि सभी प्राथमिक समितियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का निश्चित रूप से पालन किया जाना चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भूमि आवंटितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इन आवंटितियों को सहकारी समितियों की सदस्यता दी जानी चाहिए और उनकी शेरर पूंजी की श्रादायणी सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राजस्व अभियान को शुरूआत

5.30 राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर, 1977 से 15 नवम्बर, 1977 तक एक राजस्व अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य राजस्व सम्बन्धी अनिर्णीत मामलों को निपटाना था। कार्यक्रम के अनुसार उप-मंडल अधिकारियों ने तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों तथा सम्बद्ध अन्य अधिकारियों के साथ गांवों का दौरा करना था। इन अधिकारियों ने विभिन्न मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक रिकार्डों और रुकी हुई फाइलों को अपने साथ गांवों में ले जाना था। ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों ने इस कार्य को निपटाने के उद्देश्य से पूर्वनिर्धारित स्थल पर इकट्ठा होना होता था। इस अभियान ने किन्ना कार्य किया और कितने मामले निपटाए गए, इसकी जानकारी नीचे दी जा रही है :-

| | |
|--|----------|
| 1. खातेदारी अधिकारों की पुष्टि | 1,36,262 |
| 2. नामांतरण का साफ्यांकन | 5,77,395 |
| 3. सिवाईचक सहित कृषि भूमि का आवंटन और अतिरिक्त भूमि की अधिकतम सीमा : | |

| वर्ग | लानआहियों की संख्या | आवंटित भूमि (एकड़ में) |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| अनुसूचित जातियों | 12,949 | 33,100 |
| अनुसूचित जनजातियों | 27,012 | 51,249 |
| अन्य | 34,086 | 66,471 |
| कुल संख्या | 74,047 | 1,50,820 |

4. सिवाईचक, वन और चरागाह भूमि में अनधिकार हस्तक्षेप के मामले :

| पद्धति | निर्णीत मामलों की संख्या |
|---|--------------------------|
| नियमतीकरण द्वारा (भूमि से) हटाकर | 48,157 |
| 5. भोगाधिकारी रेहन की भूमि को वापसी | 2,18,382 |
| 6. पूर्व प्राप्त भूमि क लगान में कमी : | |
| निर्णीत मामलों की संख्या | 32,713 |
| लगान में कमी | ६० 63,194 |
| 7. गैर-कृषि कार्यों के लिए कृषि भूमि का हस्तांतरण : | |
| निर्णीत मामले | 12,778 |
| 8. गांव वालों के लिए आवादी भूमि की व्यवस्था : | |
| निर्णीत मामले | 1,838 |
| 9. ग्रामीण दलकारों, कास्तकारों आदि के ऋण-प्रार्थना-पत्र निपटाना : | |
| मामलों की संख्या | 27,095 |

5.31 राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया राजस्व अभियान सही दिशा में उठाया गया एक कदम है और यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस अभियान के दौरान, कृषि भूमि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में भी बांटी गई। आशा की जाती है कि अन्य राज्य सरकारें भी राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित आदेश का अनुकरण करेंगी।

आदिवासी भूमि का हस्तांतरण

5.32 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी भूमि की हस्तांतरण समस्या न्यून-अधिक रूप में पायी गई है। हमारी पिछली रिपोर्ट में भी कहा गया था कि देश के सभी आदिवासी क्षेत्र में इस समस्या का वास्तविक आकार अब तक नहीं जाना जा सका है और यह सुझाव दिया गया कि जिन आदिवासी क्षेत्रों में यह समस्या गंभीर रूप में मौजूद है, वहां विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा व्यापक सर्वेक्षण करवाया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बद्ध राज्य सरकारों ने इस सिफारिश पर अमल करने का गंभीर प्रयास नहीं किया।

5.33 गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासी भूमि को हथियाने के ताजा आंकड़े पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। बिहार और उड़ीसा की सरकारों ने निम्नलिखित जानकारी भेजी है :

| राज्य का नाम | दर्ज किए हुए मामलों की संख्या | भूमि का क्षेत्रफल | निर्णीत मामलों की संख्या | वापिस की गई भूमि का क्षेत्रफल |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| बिहार (जुलाई से सितम्बर, 1977 तक) | 2,139 | 3,539 | 1,689 | 1,619.52 |
| उड़ीसा (मई से अक्टूबर, 1977 तक) | 2,165 | 1,458.48 | अनुपलब्ध | 593.22 |

यह उल्लेखनीय है कि कृषि और सिवाई मंत्रालय द्वारा नियुक्त भूमि सुधारों से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने वर्तमान कानून में कुछ कमियों की ओर संकेत किया था, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। कुछ अदालती फैसलों में, यह कहा गया कि अनधिकृत हस्तक्षेप को हस्तांतरण नहीं माना जा सकता। अगर कोई गैर-आदिवासी आदिवासी की भूमि पर अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करता है और उस पर अपना कब्जा जारी रखता है तो गैर-आदिवासी द्वारा भूमि के हस्तांतरण को विनियमित करने की व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया जा सकता और व्यक्ति पक्ष को दीवानी अदालत में न्याय मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अनेक आदिवासी इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठाते और हालांकि उनकी अनिच्छा से ही सही, लेकिन ऐसा अनधिकृत हस्तक्षेप कानूनी रूप धारण कर लेता है। अगर और आगे देखा जाए तो मालूम होगा कि अनेक राज्यों के कानूनों में, भारतीय परिसीमन अधिनियम की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के निम्न स्तर और उनमें अपने अधिकारों का लाभ प्राप्त करने के प्रयोजनों के अभाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी दल ने परिसीमन काल 30 वर्ष तक बढ़ाने की वांछनीय माना। इसने यह भी पाया कि कुछ मामलों में कानून द्वारा दिया जा सकने वाला संरक्षण नहीं दिया जा सका; क्योंकि कुछ अदालतों ने अपने निर्णय में यह भी

कहा था कि वो पक्ष इस संरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता गो कार्रवाई को पूर्व अवस्था में इसका लाभ उठाने में असफल रहा है। यह सर्वविदित है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति प्रायः सक्षम कानूनी सलाह प्राप्त नहीं करते। कार्यकारी दल ने उचित ही कहा है कि "कानून का इन समुदायों को कुछ संरक्षण देने का स्पष्ट अभिप्राय है और अगर पूर्व निर्णित व्याख्याओं के कारण उन्हें इन संरक्षणों से वंचित रखा जाता है तो हितकारी कानून अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा।"

5.34 इसलिए यह आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातियों की जमीनों का हस्तांतरण विनियमित करने से संबंधित वर्तमान कानूनों की तत्काल समीक्षा की जाए ताकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जमीनों को संरक्षण दिया जा सके। प्रायः सभी सुधारों से संबंधित कार्यकारी दल के सुझावों से पूरी तरह सहमत है कि राज्य सरकार नागरिक कार्य विधि की आचारसंहिता या किसी अन्य कानून में कोई व्यवस्था रहने के बावजूद अपने कानूनों में यह स्पष्ट व्यवस्था करे कि अनुसूचित जनजाति के किसी भी एक सदस्य के जोत को किसी गैर-कानूनी होगी, अगर उसे अनुसूचित जनजाति का ही अन्य व्यक्ति नहीं खरीदता है। कानूनों में यह स्पष्ट व्यवस्था रहनी चाहिए कि इस आग्रह के तर्कों को कार्य-विधि की किसी भी अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है। यही तर्क किसी सफलता या हित-साधना में स्वीकार किया जा सकता है। जिन आदिवासी क्षेत्रों में वेदखरी गृह अधिक हुई है, उन्हें पहचाना जाना चाहिए और भूमि की आपत्ति का कार्य अभियान के रूप में किया जाना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ इस उद्देश्य के लिए विशेष स्टाफ को नियुक्त भी की जा सकती है।

झूम कृषि (शिफ्टिंग कल्टीवेशन)

5.35 एक अनुमान के अनुसार, असम, अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, और तमिलनाडु के वनक्षेत्रों में लगभग 10 लाख परिवार झूम पद्धति से कृषि करते हैं। पिछली रिपोर्टों में विभिन्न राज्यों में झूम कृषि के अंतर्गत भूमि से सम्बन्धित जानकारी दी जा चुकी है। अनेक क्षेत्रों में, संसाधनों को पूरी तरह इस्तेमाल किया जा चुका है और वहाँ जीवों के लिए आवश्यक खाद्य-पदार्थ जटाने भी मुश्किल हो गए हैं। इन क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या भूमि क्षरण भी हो गई है। उपलब्ध सूचन के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेघालय में, 3600 परिवारों को बसाने के लिए 421.66 लाख रुपये की धनराशि खर्च करण का प्रस्ताव रखा गया था। 1976-77 में, 509 परिवारों के पुनर्वास के लिए 76.71 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। 1974-75 से 1975-77 के बीच, झूम पद्धति से कृषि करने वाले 1840 परिवारों को 228.58 लाख रुपये की कुल लागत पर दुष्प्राग बसाया गया था।

5.36 उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में, इस कार्यालय से गए एक अध्ययन दल के दौरे में, यह पाया गया कि यहाँ की करीब 12,000 एकड़ भूमि झूम कृषि के अंतर्गत है और करीब 45,000 परिवार इस पद्धति की खेतीबाड़ी में लगे हुए थे। यह भी मालूम हुआ कि झूम कृषि पर नियंत्रण करने के लिए लघु परियोजनाएँ भी तैयार की गई थीं, लेकिन टी० डी० ए० गुणपुर के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। यह सर्वविदित है कि झूम कृषि ने गुणपुर उपमंडल के पुष्टासिग त्रेत्र के वनों को पर्याप्त नुकसान पहुंचाया है। टी० डी० ए० के अंतर्गत क्षेत्रों के अन्य स्थानों में भी इस पद्धति की कृषि ने बहुत विनाश किया है। यह भी पाया गया कि अभी तक शुरू की गई योजनाएँ स्थानीय आवश्यकताओं का विकल्प नहीं दे सकी हैं और अधिकतर स्थानों में एकीकृत आवास बस्तियों के लाभग्राहियों ने बताया कि उन्हें आर्बटिड की ग. भूमि उन्हें आजीविका देने में अपर्याप्त थी और उन्हें झूम कृषि करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

5.37 उड़ीसा में, राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया गया है जो झूम कृषि की रोकथाम के लिए बनाए गए और झूम कृषकों के पुनर्वास के कार्यक्रम को देखेगी। कोरापुट जिले में झूम कृषकों के पुनर्वास के लिए लघु परियोजनाएँ बनाने के लिए उद्यान विज्ञान, वन विज्ञान और सामान्य प्रशासन जैसे विभिन्न विज्ञानों से सम्बद्ध अधिकारियों के एक अंतःविज्ञानी दल के गठन की भी सूचना मिली है। राज्य सरकार का कार्यक्रम था कि 1977-78 के दौरान झूम कृषि में लग 5,000 परिवारों को दुबारा बसाया जाए और 1978-79 में कोरापुट (3,400), सुदरगढ़ (900), कालाहांडी (400), फूलबानी (1,600) केओनझार (1,000) और गंजम जिले में (700) परिवारों के पुनर्वास का प्रस्ताव था।

5.38 1977-78 के दौरान त्रिपुरा सरकार ने 274 झूमियाँ परिवारों को पुनर्वास का प्रस्ताव किया था ताकि उन्हें झूम कृषि करने में रोक जा सके। योजना में प्रत्येक झूमिया परिवार के लिए 1.25 हेक्टर भूमि पर फलदार बाग, उद्धार की गई 0.4 हेक्टर भूमि सुगा के लिए और धान की खेती के 0.8 हेक्टर भूमि की व्यवस्था थी। इसके अलावा, कृषि कार्यों के लिए अन्य आवश्यक महायता का भी प्रबन्ध था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, 3,400 झूमिया परिवारों को बसाने के लिए 15.00 लाख रुपये खर्च किए गए थे। उन्होंने एक लाख रुपये के मूल्य से अधिक का धान और फलों की पैदावार की थी। ये भी मालूम हुआ कि आरक्षित वनों में झूम कृषि पर कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद लगभग 20,000 आदिवासी परिवार झूम कृषि करते थे।

5.39 पिछली रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि सम्बद्ध राज्य सरकारें झूम कृषकों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाएँ। फिर भी, राज्य सरकारों द्वारा इस मामले में की गई कार्रवाई की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

5.40 झूम कृषकों के पुनर्वास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनोए जाने चाहिए, जिसमें पहाड़ी ढलानों पर वन लगाने, तराई के क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि, जहाँ भी संभव हो—सिचाई की व्यवस्थाएँ, अगर दुबारा वृक्ष लगाए गए क्षेत्रों में चरागाह की संभावना, ही तो वहाँ पशु पालन का पूरक कार्यक्रम, पीने के पानी तथा आवास वगैरह की सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में झूम कृषकों वाले राज्यों में कृषि तथा सहयोगी क्षेत्रों के लिए निर्धारित कुल प्रारूप का एक निश्चित भाग इन क्षेत्रों के लिए रखा जाना चाहिए।

भूमि संरक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव

5.41 अनेक आदिवासी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण एक गंभीर समस्या है। अभी तक इन क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्यक्रमों को पर्याप्त स्तर पर शुरू नहीं किया गया है। इधर-उधर बिखरे क्षेत्रों में ही लघु भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ऐसे कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, जबकि उनमें कुछ पर प्राथमिक आधारों पर ध्यान देने की जरूरत रहती है और कुछ के लिए अभी प्रतीक्षा की जा सकती है।

5.42 भोपाल के क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (पिछड़े वर्ग कल्याण) केन्द्रीय अंचल ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अलिराजपुर उपमंडल में भूमि संरक्षण योजनाओं का आदिवासियों पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए क्षेत्र का दौरा किया। मध्य प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम, 1967 की व्यवस्था के अनुसार, झाबुआ जिले के लिए एक भूमि सुधार समिति का गठन किया गया था। इसमें जिला कलेक्टर को अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्यों को चुना गया। समिति ने 1974-75 में झाबुआ, पेटलावाड और अलिराजपुर के 3 उप-मंडलों में 14,558 हेक्टर भूमि में भूमि संरक्षण के कार्य को अपनी देखरेख में लिया था। 1975-76 में इस कार्य की प्रगति में ह्रास हुआ (5,467 हेक्टर)। 1976-77 में इसमें कुछ प्रगति (7,445 हेक्टर) हुई लेकिन 1977-78 में फिर यह कार्य

3,701 हेक्टर तक रह गया। ये पाया गया कि इसमें पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता दी गई थी, लेकिन प्रशासनिक समस्याओं के कारण उल्लेखनीय प्रगति नहीं प्राप्त की जा सकी। फसलों के पैटर्न में हुए परिवर्तन के माध्यम से स्कीमो का स्थिर प्रभाव महसूस किया जा सकता है। 1955-56 में जिले की अलिराजपुर तहसील में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया था। 1972-73 से पूर्व, सिंक बांध परियोजना कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1972-73 के बाद, अन्य उपाय जैसे एकीकृत निर्माण, सीढ़ीदार खेत निर्माण, बरमूडा बांध, नालियां बंद करना, पानी का बहाव बदलने वाली नहरों का निर्माण, खंड परियोजना निर्माण आदि शुरू किए गए। कृषि मंत्रालय के ग्रामीण रोजगार परियोजना के अग्रगामी कार्यान्वयन (ग्र० रो० प० अ० का०) के अंतर्गत यहां अनेक निर्माण कार्य किए गए। यह स्कीम विशेषकर अलिराजपुर आदिवासी विकास खंड के लिए थी। अलिराजपुर उप-मंडल को कुल 1,60,700 हेक्टर कृषि भूमि में से 25 प्रतिशत क्षेत्र को 1956—78 के बीच भूमि संरक्षण उपायों के अंतर्गत लाया गया। 1972—76 के दौरान, अलिराजपुर आदिवासी विकास खंड में इस दिशा में बहुत कार्य किया गया। अडवाडा गांव में यह पाया गया कि गेहूं और चने के क्षेत्र में वृद्धि और बाजरे तथा ज्वार के क्षेत्र में कमी हुई थी। अलिराजपुर खंड के मलावी गांव के आदिवासियों ने बताया कि उन्हें अपने क्षेत्र में गेहूं की बुआई की जानकारी नहीं, लेकिन पष वे लोग करेंगे। 1977-78 में इंदर सिंह की चौकी गांव में, भूमि को समतल करने का कार्य किया गया और इसमें प्रति एकड़ 500—600 रुपये की लागत आई। आदिवासियों ने बताया कि वे अब विकसित भूमि में गेहूं की बुआई करेंगे। यह पाया गया कि आदिवासी एवं आदिवासी कल्याण विभाग ने भूमि संरक्षण कार्यों के लिए सहायता-अनुदान नहीं दिया। आदिवासियों और कृषि विभाग के अधिकारियों का भी यह कहना था कि 10 एकड़ से कम भूमि वालों को 100 रुपये प्रति एकड़ या 200 रुपये प्रति परिवार की अधिकतम सीमा दर पर 50 प्रतिशत अनुदान-सहायता देनी चाहिए और आदिम जातियों को अनुदान-सहायता और ऊंची दर से देनी चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों का यह विचार था कि झाबुआ जिले में भूमि संरक्षण को रोकने के लिए जंगल लगाना एकमात्र हल है और तब तक कृषि विभाग द्वारा किया गया कार्य समुद्र में बूंद के समान है। ऐसा समझा जाता है कि लगभग 70 प्रतिशत आदिवासियों ने भूमि संरक्षण कार्यक्रम का स्वागत किया। आदिवासी समुदायों में भिलाल समुदाय के लोगों ने कार्यक्रम के प्रति सबसे अधिक उत्साह व्यक्त किया। फिर भी यह पाया गया कि धनराशि के ब्यय के मामले में कुछ दुरुपयोग होने की शिकायत है और इस मामले में जांच शुरू की जा चुकी है।

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की कमी

5.43 आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई का स्तर बहुत निम्न है। पूरे देश में 25 प्रतिशत की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों में यह एक प्रतिशत से भी कम है। अधिकतर राज्यों में, बड़ी और मध्यम सिंचाई पर लगाई गई कुल पूंजी का बड़ा भाग अविरत परियोजनाओं पर व्यय होता है। ऐसी नीति आदिवासी क्षेत्रों के हितों के विरुद्ध है; क्योंकि अधिकतर अविरत परियोजनाएं इन क्षेत्रों से बाहर हैं। अधिकतर आदिवासी क्षेत्र नदियों और नालों की ऊपरी हदों में हैं। पानी की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अनेक सिंचाई कार्य नदियों की नीची हदों में किए गए हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नदी-नाले के कुल पानी का कुछ भाग सिर्फ ऊंची हदों के प्रयोग के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। गुजरात और महाराष्ट्र में यह नीति अपनाई जा चुकी है और वहां इस उद्देश्य के कानूनों को लागू कर दिया गया है। कभी-कभी यह भी देखा गया है कि सिंचाई जैसे कार्यक्रमों को शुरू तो आदिवासी क्षेत्रों में किया गया, लेकिन उसका प्रमुख लाभ गैर-आदिवासियों को मिला है।

5.44 गुणा के आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ने थाना जिले में स्थित सूर्य सिंचाई परियोजना और नासिक जिले में स्थित वाघेड़ सिंचाई परियोजना से आदिवासियों को मिल रहे लाभों से सम्बन्धित एक रीचक अध्ययन किया था। अध्ययन से मालूम हुआ कि आदिवासी क्षेत्रों को प्रदान की जा रही नई सिंचाई सुविधाओं का बड़ा भाग गैर-आदिवासियों द्वारा हथियाया गया।

5.45 वाघेड़ सिंचाई परियोजना के सिलसिले में पाया गया कि परियोजना से दिनदोरी ताल्लुके के 18 गांवों को लाभ पहुंचा है। इनमें से 13 गांव उप-योजना क्षेत्र में थे और 5 गांव आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के बाहर। उप-योजना क्षेत्र के गांवों में आदिवासियों की जनसंख्या 29 प्रतिशत थी, जबकि सभी 18 आदिवासी गांवों में आदिवासियों की जनसंख्या 30 प्रतिशत थी। परियोजना के अंतर्गत कुल 12,661.93 हेक्टर भूमि थी, जिसमें गैर-आदिवासियों की भूमि 11,935.6 हेक्टर तथा आदिवासियों की 706.26 हेक्टर भूमि थी। कमान क्षेत्र में आदिवासियों की भूमि सिर्फ 5.6 प्रतिशत थी। इन गांवों के जिन कुल 2,900 खातेदारों को लाभ पहुंचा उनमें सिर्फ 323 खातेदार आदिवासी थे, और 2,577 खातेदार गैर-आदिवासी। वाघेड़ परियोजना से सिर्फ 11 प्रतिशत आदिवासी खातेदारों को लाभ पहुंचा। प्रत्येक आदिवासी खातेदार के पास औसत भूमि जोत 2.19 हेक्टर थी जबकि परियोजना के कमान क्षेत्र में गैर-आदिवासी खातेदार के पास औसत जोत 4.64 हेक्टर थी। परियोजना से जिन आदिवासी खातेदारों को लाभ पहुंचा, उनमें से 65 प्रतिशत के पास 2 हेक्टर से भी कम भूमि थी।

5.46 सूर्य नदी परियोजना के सिलसिले में यह बताया गया कि परियोजना का कुल कमान क्षेत्र 25,334 हेक्टर था और इसमें सिंचित क्षेत्र 12,667 हेक्टर था। फसल क्षेत्र 23,440 हेक्टर में था। परियोजना से जवहर, दहानु और पालघर ताल्लुके की दो वार्डों और 82 गांवों को लाभ पहुंचना था। आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में 77 गांव थे। 63 गांवों में, 77 प्रतिशत गांव ऐसे थे जहां आदिवासी जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी और शेष गांवों में 50 प्रतिशत से कम। अध्ययन के लिए दहानु ताल्लुके से 15 गांवों और पालघर ताल्लुके से 16 गांवों को चुना गया। इन 31 गांवों में, खातेदारों की कुल संख्या 2,972 थी और इनकी कुल भूमि जोत 6,433.87 हेक्टर थी। इन 2,972 खातेदारों में से आदिवासी खातेदार 1,680 और गैर-आदिवासी खातेदार में आदिवासी खातेदारों की प्रतिशतता 57 थी। आदिवासी खातेदारों के पास 2,870 हेक्टर भूमि थी जो कुल भूमि का 45 प्रतिशत है। आदिवासी खातेदार की औसत भूमि जोत 1.71 हेक्टर थी, जबकि गैर-आदिवासी खातेदार के पास औसत जोत 2.76 हेक्टर थी। यह मालूम हुआ कि गांवों और खातेदारों की संख्या को देखते हुए परियोजना से अधिकतर लाभ आदिवासी गांवों और खातेदारों को पहुंचेगा, लेकिन परियोजना के कमान क्षेत्र में स्थित फसल क्षेत्र की वास्तविकता को देखते हुए मालूम होगा कि इसमें आदिवासी लाभग्राही 47 प्रतिशत और गैर-आदिवासी लाभग्राही 53 प्रतिशत रहे। यह वांछित रहेगा कि अधिक आदिवासी खातेदारों और उनकी भूमि को परियोजना के अंतर्गत खाने की संभावनाओं का पता लगाया जाए और इसके कमान-क्षेत्र से गैर-आदिवासी गांवों को हटाया जाये, जो संभव भी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुविधाओं की व्यवस्था

5.47 ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थ की बहुलता का उपयोग इतना माल कृषि प्रक्रम कर्मों में किया जा सकता है। ताजे मटरों, हरी सब्जियों आदि को डिब्बबंद करने की काफी संभावना है। इससे मट्ट होने वाली वस्तुओं की संख्या भी की जा सकती है। खाद्य-पदार्थों के संरक्षण और उन्हें टिब्बाबंद करने के मामले में किसानों और उनके परिवारों को

प्रशिक्षण देने के हेतु ऐसे केन्द्र शुरू करने की आवश्यकत है। संरक्षण केन्द्रों को सामुदायिक प्राधाराओं पर भी शुरू किया जा सकता है। और प्रशिक्षण प्राप्त स्थानीय व्यक्तियों को स्थानीय उत्पादों को प्रक्रम करने के लिए रोजगार दिया जा सकता है। सम्बद्ध अधिकायों द्वारा उपयुक्त डिब्बे और रसायनों को उचित दर पर उपलब्ध कराने का आवश्यक प्रबन्ध करना चाहिए। इसी सिलसिले में, मूर्गीपालन के विकास की भी अच्छी संभावना है और अच्छे चूजों, संतुलित मूर्गीदाने, तकनीकी जानकारी, विक्रय सुविधाओं और बीमारियों पर नियंत्रण जाने के तरीकों के अच्छे इस्तेमाल द्वारा कृषकों की सहायता करके उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। पिछड़े वर्गों के कृषकों को ऋण प्रवधि का प्रशिक्षण देकर अनुसूचित रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है। मूर्गीपालकों के सहकारी समितियों बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। उन्हें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सूअर पालन के विकास की भी काफी गुंजाइश है। सहायक दरों पर प्रजनक देकर सूअर तथा सूअरी को नस्ल में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है। कृषकों को अपने फसल-चक्र में पीला मक्का शामिल करने का भी प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि स्थानीय पैदावार का बना सस्ता आहार भी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा, ऐसे विशाल क्षेत्र भी हैं जिनमें स्थाई रूप से पानी जमा रहता है। ऐसे स्थानों में अच्छी पालन को विकसित करके उनका उपयोग किया जा सकता है। इससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा और ग्रामीण तथा नगरों की जनता को भी मांस प्राप्त हो सकेगा। धान के खेतों में मछली का उत्पन्न करने की कोशिश की जा सकती है और इस संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञ सलाह-मशवि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

छोटे कृषक, सीमांत कृषक और कृषक मजदूर विकास एजेंसियाँ

5.48 देश के ग्रामीण भागों में रोजगार और अतिरिक्त आय के साधन पैदा करने के लिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे किसान और कृषक मजदूर एजेंसियों की स्कीमें शुरू की गई थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में, ऐसी परियोजनाओं की संख्या 87 से बढ़ाकर 160 कर दी गई थी। नवीनतम उपलब्ध सूचा के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में इस समय ऐसी 171 परियोजनाएँ चल रही हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन के केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान आकषित कराया था कि इन सामान्य स्कीमों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो और बाद में मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों से निर्देश जारी किये कि वे अपने क्षेत्र की एजेंसियों को सलाह दें कि इन स्कीमों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को लाभ पहुंचाने के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और इनस्कीमों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को हृदि लाभ की जानकारी सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने के लिए उन्हीं एक प्रयत्न भी बनाया था। इस कार्यालय ने देश में कार्यरत सभी छोटे विकास एजेंसियों (छो.कि.वि.ए.) को परिपक्व भेजकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्राप्त लाभों की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए थे। कुल 171 छो.कि.वि.ए.में सिर्फ 78 एजेंसियों ने वांछित विवरण भेजा। 1977-78 में निधि व परियोजनाओं के आधार पर विवरण, उसका उपयोग और भौतिक गति परिशिष्ट 49 में देखा जा सकता है। उसमें यह देखा गया कि व्यक्तियों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को क्रमशः 12.48 प्रतिशत और 8.46 प्रतिशत लाभ आया और किए गए व्यय के संदर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर क्रमशः 11.36 प्रतिशत और 5.83 प्रतिशत व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर

9.48 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय भी किया गया। फिर भी, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होने से सम्बन्धित आंशिक जानकारी ही मिल सकी है। ऐसे लगभग 100 से अधिक परियोजनाएँ हैं जिनके बारे में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कि उनसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को क्या लाभ पहुंचा। पूरे आंकड़े न मिलने के कारण, यह कहना कठिन है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को इस कार्यक्रम से उनका न्यायोजित भाग मिलना शुरू हो गया है।

आवास कार्यक्रम

5.49 अनुसूचित जनजातियों के अधिकतर व्यक्ति ग्रंथनी क्षेत्रों में रहते हैं। गरीबी और निर्माण सामग्री की कमी के कारण इनमें से अधिकांश फूस की झोंपड़ियों में रहते हैं। कुछ मामलों में, वर्गों के विनाश के कारण स्थानीय निर्माण-सामग्री तक उपलब्ध नहीं है और उनकी आवास परिस्थितियाँ और खराब हो गई हैं। यह महसूस किया गया कि जंगल लगाने तथा इससे सम्बद्ध कार्यक्रमों में आवास निर्माण सामग्री सहित स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

5.50 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अलग-अलग टोलों या प्रमुख बस्ती के बाहरी क्षेत्र में आवास बनाने के कारण कमजोर और अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहना पड़ता है। आवास योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के औसत सदस्य के आवास का स्तर क्षेत्र के औसत ग्रामवासी के स्तर तक पहुंचाना होना चाहिए।

5.51 आवास एवं निर्माण, आपूर्ति एवं पुनर्वास मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जून, 1977 के अंत तक, 72.86 लाख भूमिहीन परिवारों के आवासीय खंड आवंटित किए जा चुके थे। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभ-प्राप्ति की संख्या से सम्बन्धित जानकारी मार्च, 1977 के अंत तक की उपलब्ध हुई थी। भूमिहीन परिवारों में आवंटित आवासीय खंडों की संख्या और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित परिवारों के भाग के सम्बन्ध में राज्य-वार स्थिति नीचे दी गई है :

| क्रम | राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | भूमिहीन परिवारों को आवंटित आवासीय खंडों की कुल संख्या (30-6-77 तक) | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को दिए गए आवासीय खंडों की संख्या (31-3-77 तक) |
|------|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 6,57,000 | अनुपलब्ध |
| 2 | असम | 49,056 | 7,834 |
| 3 | बिहार | 7,15,000 | अनुपलब्ध |
| 4 | गुजरात | 3,01,701 | 1,51,921 |
| 5 | हरियाणा | 2,13,377 | 1,36,130 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 4,451 | 2,556 |
| 7 | जम्मू और कश्मीर | 5,186 | अनुपलब्ध |
| 8 | कान्छिक | 7,54,163 | 2,59,727 |
| 9 | केरल | 90,000 | 28,760 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 7,73,000 | 4,54,862 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|------------------------------|-----------|-----------|
| 11 | महाराष्ट्र . | 3,57,957 | 1,63,800 |
| 12 | उड़ीसा . | 1,17,845 | 31,278 |
| 13 | पंजाब . | 3,00,976 | 2,25,000 |
| 14 | राजस्थान . | 8,54,023 | 6,11,820 |
| 15 | तमिलनाडु . | 5,23,076 | अनुपलब्ध |
| 16 | त्रिपुरा . | 38,307 | अनुपलब्ध |
| 17 | उत्तर प्रदेश] | 12,12,014 | 9,93,816 |
| 18 | पश्चिम बंगाल . | 2,97,929 | 1,77,787 |
| 19 | अंडमान, निकोबार द्वीप समूह . | 1,312 | नहीं |
| 20 | चंडीगढ़] . | 50 | 13 |
| 21 | दादरा और नगर हवेली | 715 | 715 |
| 22 | दिल्ली . | 12,228 | 5,934 |
| 23 | गोवा, दमन और दीव | 700 | 318 |
| 24 | पांडिचेरी . | 6,322 | 1,138 |
| | | 72,86,388 | 32,53,409 |

5.52 यद्यपि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषकों में आवासीय भूखंड वितरित करना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, फिर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में आवासीय

भूखंड या आवास कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रगति नहीं की है। अनेक मामलों में, इन समुदायों के सदस्यों में आवासीय भूखंडों का आवंटन नाममात्र को ही था, क्योंकि वे भूखंड मकान बनाने के योग्य नहीं थे। यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न चरणों में एक आवास कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए जो स्थानीय डिजाइनों और दक्षता पर आधारित हो। विभिन्न समुदाय के सदस्यों में सामाजिक समंजस्य पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम सामूहिक आवास के स्तर पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। आवास-निर्माण में उनको उदार श्रेणियों और समुचित सहायता-अनुदान देकर मदद की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु आदि कुछ सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की आवास स्थिति में सुधार करने के लिए निगमों का गठन किया है। आवासीय बोर्डों का गठन करने के अलावा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्लाटों/निर्मित मकानों के आवंटन को प्राथमिकता दी हुई है। लेकिन, विभिन्न राज्य आवास बोर्डों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को होने वाले वास्तविक लाभों से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

5.53 आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में एक नई बात छोटे कस्बों का उदय होना है और यह वांछनीय है कि आदिवासी अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन करने तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निकटवर्ती क्षेत्रों के आदिवासियों को बसाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

अध्याय 6

शैक्षिक विकास

पिछड़ा वर्ग क्षेत्र (सेक्टर) के अंतर्गत व्यय

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रसार केन्द्र तथा राज्य की योजनाओं के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि छठी योजना प्रारूप में पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत 312 करोड़ रुपये का परिष्कृत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजनाओं में केन्द्रीय सहायता वाले कार्यक्रमों का प्रावधान अलग से किया गया है। पिछड़ा वर्ग क्षेत्र की स्कीमों के कुल परिष्कृत 545 करोड़ रुपये का यह प्रमुख भाग है।

केन्द्रीय क्षेत्र (सेक्टर)

6.2 केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन दो शैक्षिक स्कीमों अर्थात् मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों तथा कन्या छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रावधान किया जाता है। पांचवीं योजना परिष्कृत तथा वर्ष 1974-75 से 1977-78 तक इन स्कीमों के अंतर्गत किया गया व्यय नीचे सारणी में दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

| स्कीम का नाम | पांचवी योजना परिष्कृत | किया गया खर्च ¹ | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 1974- 75 | 1975- 76 | 1976- 77 | 1977- 78 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ | 100.00 | 10.09 | 13.61 | 15.50 | 15.75 |
| 2. कन्या छात्रावास अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के लिए | 3.77 | 0.56 | 0.68 | 0.79 | 0.81 |

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की स्कीम के अधीन व्यय, निर्धारित व्यय की छोड़कर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि अब अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उदात्त छात्र मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए आने लगे हैं।

राज्य क्षेत्र (सेक्टर)

6.3 पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत राज्य योजनाओं में शैक्षिक स्कीमों पूर्व-मैट्रिक वृत्तिकाएँ, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, छात्रावास आश्रम

स्कूल आदि हैं। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न शैक्षिक स्कीमों के निम्नलिखित पांचवी योजना परिष्कृत 95.25 करोड़ रुपये का था, जिसमें से वर्ष 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में क्रमशः 11.40 करोड़ रुपये, 14.85 करोड़ रुपये, 17.92 करोड़ रुपये और 26.52 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के व्यय में क्रमशः वृद्धि हुई है जिससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए अपने बच्चों को मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए ज्यादा संख्या में भेजना संभव हो सका है।

नामांकन

6.4 6—14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा देना सांविधानिक निर्देश है। पांचवीं योजना की शुरुआत के समय केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने 1978-79 तक आयु वर्ग 6—11 में 100 प्रतिशत तथा आयु-वर्ग 11—14 में 50 प्रतिशत नामांकन का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया था। शिक्षा विभाग ने अभी तक सामान्य जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के केवल 1974-75 के अखिल भारतीय नामांकन आंकड़े ही प्रस्तुत किये हैं जिसका उल्लेख हम अपनी पिछली रिपोर्ट में कर चुके हैं। यह देखा गया कि 6—11 आयु-वर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य समुदायों का नामांकन प्रतिशत क्रमशः 67.1, 59.7 और 87.6 था। अतः इस आयु-वर्ग में 1974-75 में नामांकन, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में, 100 प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य से बहुत कम था। आयु-वर्ग 11—14 में भी नामांकन की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1978-79 तक इस आयु वर्ग के 50 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 1974-75 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में यह नामांकन प्रतिशत क्रमशः 22.7 और 15.7 था। इसके विपरीत अन्य समुदायों में यह प्रतिशत 40.2 था।

राजस्थान में पांचवीं योजना के दौरान हुई प्रगति

6.5 इस संदर्भ में हमारे संगठन के अध्ययन दल ने राजस्थान जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों का जुलाई 1978 में दौरा किया। अन्य बातों के साथ-साथ इस दल का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में नामांकन की प्रगति का पता लगाना भी था। राज्य सरकार ने 1977-78 के नामांकन आंकड़े भी उपलब्ध करवाये थे। 6—11, 11—14 और 14—17 आयु-वर्गों के वर्ष 1974-75, 1976-77 और 1977-78 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक नामांकन और राज्य में सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या के

अनुपात में नामांकन प्रतिशत का वर्ष 1977-78 में विवरण निम्न सारणी में देखा जा सकता है :—

| आयु वर्ग | वर्ष | सामान्य | | | अनुसूचित जातियाँ | | | अनुसूचित जनजातियाँ | | |
|----------|-------|----------|---------|----------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | जोड़ | लड़के | लड़कियाँ | जोड़ | लड़के | लड़कियाँ | जोड़ | लड़के | लड़कियाँ |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6—11 | 74-75 | | | | 222549 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 129926 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| | 76-77 | | | | 292020 | 251138 | 40982 | 180848 | 159489 | 21359 |
| | 77-78 | | | | 294755 | 252254 | 42501 | 187752 | 166706 | 21046 |
| | | (57.29)* | (82.49) | (29.43) | (44.25) | (72.28) | (13.41) | (36.75) | (62.81) | (8.58) |
| 11—14 | 74-75 | | | | 35209 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 19473 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| | 76-77 | | | | 50773 | 47992 | 2781 | 28822 | 27923 | 909 |
| | 77-78 | | | | 55828 | 52490 | 3340 | 31862 | 30842 | 1020 |
| | | (27.22) | (41.93) | (10.96) | (15.32) | (27.52) | (1.93) | (11.40) | (21.25) | (0.76) |
| 14—17 | 74-75 | | | | 15545 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 8232 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| | 76-77 | | | | 21218 | 20390 | 828 | 11232 | 10982 | 251 |
| | 77-78 | | | | 23018 | 22115 | 902 | 13125 | 12873 | 252 |
| | | (14.94) | (23.55) | (5.54) | (6.93) | (12.78) | (0.57) | (5.15) | (9.78) | (0.20) |

उपर्युक्त सारणी को देखने से पता चलेगा 1974-75 से 1977-78 के दौरान राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामांकन में कुछ प्रगति हुई है लेकिन 1977-78 में नामांकन का प्रतिशत राष्ट्रीय लक्ष्य से कहीं बहुत ज्यादा कम था। उदाहरण के लिए, 6—11 आयु वर्ग में 100 प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नामांकन उक्त वर्ष के दौरान क्रमशः 44.25 प्रतिशत और 36.75 प्रतिशत ही था। इसी प्रकार, 11—14 आयु वर्ग में 50 प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य की तुलना में उक्त वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नामांकन क्रमशः 15.32 प्रतिशत तथा 11.40 प्रतिशत था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के नामांकन की स्थिति को बहुत खराब थी। उदाहरण के लिए, 1977-78 में 6—11 आयु वर्ग की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत क्रमशः 13.41 और 8.58 था। 11—14 आयु वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों का प्रतिशत 1.93 और 0.76 और 14—17 आयु वर्ग में यह प्रतिशत क्रमशः 0.57 और 0.20 था। अतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बहुत कम लड़कियाँ शिक्षा के माध्यमिक स्तर तक पहुँच पायीं। इस तथ्य की पुष्टि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जयपुर जिले के कन्या विद्यालयों में नामांकन संख्या तथा इंगरपुर शिक्षा के सभी स्कूलों में नामांकन की संख्या से हो जाती है। इसका विवरण परिशिष्ट 50 में देखा जा सकता है। राज्य सरकार को इस दिशा में तुरंत समुचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अनुसूचित जनजात/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों के इन आयु-वर्गों में नामांकन के प्रतिशत में वृद्धि हो सके।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सब के लिए प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम

6.6 शिक्षा मंत्रालय द्वारा छठी योजना अधि (1978—83) के दौरान 6—14 आयु वर्ग के 320 लाख बच्चों के औपचारिक तथा

गैर-औपचारिक शिक्षा संस्थानों में नामांकन का एक व्यापक अभियान शुरू करने का प्रस्ताव है। ज्ञात हुआ है कि अगले पाँच वर्षों के दौरान बच्चों के वर्तमान 26 लाख नामांकन को बढ़ाकर 46 लाख नामांकन करने का प्रस्ताव है। औपचारिक पूर्णकालिक कक्षाओं I से VIII तक में 160 लाख बच्चों को प्रवेश देने का प्रस्ताव है। इतनी ही बड़ी संख्या में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों को भी औपचारिक तथा गैर-औपचारिक संस्थाओं में अंशकालिक शिक्षा दी जायेगी।

नामांकन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

6.7 ज्ञात हुआ है कि जिन आठ राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छठी योजना के दौरान 320 लाख बच्चों का नामांकन किया जायेगा, उनमें से 75 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। 6—14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार इन राज्यों की ओर विशेष ध्यान देगी। इन प्रयोजन के लिए इन राज्यों को सहायता देने की एक विशेष स्कीम का प्रस्ताव है जिसका बजट 50 करोड़ रुपये का होगा। सबके लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव श्लाघनीय है। अधिकांश गैर-नामांकित बच्चे कमजोर वर्गों के हैं, विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के। कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हुए उपर्युक्त शासक सरकारों के अलावा उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को भी, जहाँ अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक है, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इन समुदायों के बच्चों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये क्योंकि ये पिछड़े हुए हैं। समुचित निधियों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में छात्रवृत्तियाँ और वृत्तिकारण, निःशुल्क वर्दी, किताबें लेखन-सामग्री, बोपहर का भोजन जैसे प्रोत्साहन किये जा सकें। छितरी आबादी वाले इलाकों में आश्रम स्कूल भी खोले जाने चाहिए ताकि इन समुदायों के नामांकन कार्य को प्रोत्साहन मिल सके। इस संदर्भ में, समझा जाता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की

*ब्रैकेट में दिये गये आंकड़े प्रतिशत के संकेतक हैं।

सरकारें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र विद्यार्थियों को मेट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां प्रदान कर इलायमीय कार्य कर रही हैं। यह शिफारिश की जाती है कि केव राज्‍य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र विद्यार्थियों को मेट्रिक-पूर्व वृत्तियां देकर इसी तरह की कार्रवाई करें ताकि ये बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित अनुभव करें।

गैर-औपचारिक शिक्षा

6.8 6—14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा देने का कार्यक्रम देश से निरक्षरता को दूर करने के लिए काफी नहीं होगा। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है जो स्कूल जाते ही नहीं लेकिन इसके अतिरिक्त, एक अनुमान के अनुसार, लगभग 60 प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल जाना छोड़ देते हैं और इसी तरह आठवीं कक्षा से पहले पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चे लगभग 75 प्रतिशत होते हैं। अनुमान है कि देश में 15—35 आयु वर्ग के 10 करोड़ व्यक्ति निरक्षर हैं। कभी स्कूल न जाने वाले और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले व्यक्तियों में अधिकतर जनसंख्या के कमजोर वर्गों के होते हैं—विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के। अतः देश के विशाल जनसमुदाय के लिए साक्षरता सम्बन्धी कोई भी कार्यक्रम तब तक पूर्ण नहीं कहना सकता, जब तक बड़ी संख्या में स्कूल न जाने वाले और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले व्यक्तियों में भी साक्षरता के प्रसार के लिए समुचित कदम नहीं उठाये जाते। ऐसे व्यक्तियों के लिए औपचारिक शिक्षा काफी

नहीं होगी। इसी संदर्भ में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ गैर-औपचारिक शिक्षा को भी अपेक्षित महत्व दिया गया था। निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया था :—

- (1) 6—14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा।
- (2) 15—25 आयु वर्ग के युवकों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा।
- (3) विकास की स्कीमों के साथ प्रकार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम को सम्बद्ध करना।

6.9 उपर्युक्त कार्यक्रम सामान्य जनसंख्या के लिए था किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता की दर अधिक होने के कारण इन समुदायों के अधिकतम लाभान्वित होने की अपेक्षा की जाती थी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में हमारे एक अध्ययन दल ने जुलाई 1978 में एक अध्ययन किया था। इससे ज्ञात हुआ कि इस जिले में गैर-औपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम 8—14 और 15—25 आयु वर्गों के लिए चलाया जा रहा था। जिले में 8—14 आयु वर्ग के लिए 50 केन्द्र, 15—25 आयु वर्ग के लिए 100 केन्द्र कार्य कर रहे थे। इस स्कीम के अंतर्गत दो आयु वर्गों के लिए संचालित केन्द्रों की संख्या तथा लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :—

| आयु वर्ग 8—14 | केन्द्रों की संख्या | | | लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|-------|------|--|-------|------|------------------|-------------|------|--------------------|-------|------|
| | पुरुष | महिला | जोड़ | जोड़ | | | अनुसूचित जातियां | | | अनुसूचित जनजातियां | | |
| | | | | पुरुष | महिला | जोड़ | पुरुष | महिला | जोड़ | पुरुष | महिला | जोड़ |
| ग्रामीण | 30 | 3 | 33 | .. | .. | .. | .. | उपलब्ध नहीं | .. | .. | .. | .. |
| शहरी | 10 | 7 | 17 | .. | .. | .. | .. | —बंदी— | .. | .. | .. | .. |
| | 40 | 10 | 50 | 730 | 609 | 1339 | 140 | 142 | 282 | 341 | 290 | 631 |
| आयु वर्ग 15—25 | | | | | | | | | | | | |
| ग्रामीण | 85 | 7 | 92 | .. | .. | .. | .. | उपलब्ध नहीं | .. | .. | .. | .. |
| शहरी | 5 | 3 | 8 | .. | .. | .. | .. | —बंदी— | .. | .. | .. | .. |
| जोड़ | 90 | 10 | 100 | 1573 | 412 | 1985 | 179 | 93 | 262 | 1137 | 248 | 1385 |

ऊपर की सारणी से देखा जा सकता है कि 8—14 और 15—25 आयु वर्गों में लाभान्वित होने वाले कुल व्यक्तियों में से क्रमशः 68 प्रतिशत और 83 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे।

प्रौढ़ शिक्षा

6.10 2 जनवरी, 1978 को सभारंभ हुए राष्ट्रीय रीढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 15—35 आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी। ऐसे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 10 करोड़ है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों को आतात्मनिम्बुध शिक्षा का कौशल प्रदान करना है ताकि वे आत्म-निर्भर बन सकें और अपने परिवेश को विकसित कर सकें। प्रस्ताव है कि 1983-84

तक इस योजना के अंतर्गत 15—35 आयु वर्ग के समस्त निरक्षर व्यक्ति लाभ उठा सकें क्योंकि निरक्षर व्यक्तियों का बड़ा भाग कमजोर वर्गों से सम्बन्ध रखता है—विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से, अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे। इस कार्यक्रम को राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन कार्यान्वित करेंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए काम कर रहे कुछ स्वयंसेवी संगठनों को भी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बद्ध किया जायेगा। केन्द्र में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा मंडल की स्थापना की गई है, जो इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन करेगा। जुलाई 1978 में अपने दौरे के सिलसिले में हमारे अध्ययन दल ने राजस्थान के डूंगरपुर जिले

में देखा कि निम्नलिखित एजेंसियां/कार्यालय जिले के निम्न स्थानों में प्रस्तावित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन करेंगे :-

| एजेंसो/कार्यालय | प्रस्तावित क्षेत्र, जिनमें केन्द्र शुरू किये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या | जायें |
|---|--|-----------------------|
| 1. राजस्थान सेवा सघ, डूंगर पुर | 30 | डूंगरपुर |
| 2. गोवर्धन विद्यापीठ, गडबडा | 150 | सगवाड़ा और सीमालवाड़ा |
| 3. राजस्थान विद्यापीठ, डूंगरपुर | 51 | बीछीवाड़ा और डूंगरपुर |
| 4. नेहरू युवक केन्द्र, डूंगरपुर | 35 | बीछीवाड़ा |
| 5. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर | 182 | असपुर और सीमालवाड़ा |
| जोड़ | 448 | |

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि इन केन्द्रों के लिए जो स्थान चुने गये हैं, उनमें से अधिकांश जनजातीय जनसंख्या बहुल इलाके हैं।

आशा की जाती है कि शेष सभी राज्य सरकारें भी प्रस्तावित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र जनजातीय जनसंख्या बहुल क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों की बस्तियों में खोलने के बारे में इसी तरह की कार्यवाही करेंगी ताकि 15—35 आयु वर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निरक्षर व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से लाभ उठा पायें। कार्यक्रम के विषय तथा पैटर्न भी इस तरह के होने चाहिए कि इन समुदायों से सम्बन्ध व्यक्ति अपने सामाजिक-आर्थिक परिवेश को समझ सकें और नये आर्थिक कार्यकलापों को सीख कर अपने वर्तमान कौशल में सुधार कर सकें।

छात्रावास

6.11 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था इन समुदायों में शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह देखा गया है कि गरीबी के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनके माता-पिता गांवों से दूर बसे स्थानों के स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने में असमर्थ होते हैं। यह समस्या अनुसूचित जनजातियों में कहीं अधिक उग्र है क्योंकि वे लोग छितरी हुई आबादी वाले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहाँ स्कूली शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे अपने गांवों को छोड़कर स्कूलों के पास बने छात्रावासों में रह सकें। राज्य योजनाओं के पिछड़े वग क्षेत्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निमित्त आदिवासी उप-योजनाओं के अंतर्गत ऐसे उपबंध किये गये हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछड़े वर्गों के छात्रावास निमित्त तथा संचालित किये जा सकें। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए केवल कन्या छात्रावासों के निर्माण के लिए ही निधि देने का प्रावधान है।

राज्य क्षेत्र (संघटन)

6.12 राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त सहायता-अनुदान से अनेक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पिछड़े वर्गों के छात्रावासों का संचालन किया जाता है। इस रिपोर्ट की समीक्ष-अवधि के दौरान ऐसे छात्रावासों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने का प्रयास किया गया था। उक्त सूचना नीचे की सारणी में दी गई है :-

| राज्य | के लिए छात्रावासों की संख्या | | | इन छात्रावासों के सहवासियों की संख्या | | | |
|---|------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------|-----------------|-------|----------|
| | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | जोड़ | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. आंध्र प्रदेश . . . (1977-78) | 1,047 | 330 | 1,377 | ६5,790 | 23,594 | .. | 1,09,384 |
| 2. बिहार . . . (1973-74) | 90 | 180 | 270 | 3,635 | 5,176 | .. | 8,811 |
| 3. गुजरात . . . (1976-77) | 171 | 294 | 465 | 6,952 | 13,389 | .. | 20,341 |
| 4. हिमाचल प्रदेश . . . (1976-77) | 13 | 3 | 16 | 400 | 100 | 100 | 600 |
| 5. कर्नाटक . . . (1976-77) | 668 | 17 | 685 | 28,300 | 856 | 1,764 | 30,920 |
| 6. केरल . . . (1975-76) | 77 | 6 | 83 | 4,634 | 1,857 | 189 | 6,680 |
| 7. मध्य प्रदेश . . . (1974-75) | 259 | 1,452 | 1,711 | 5,549 | 29,918 | .. | 35,467 |
| 8. महाराष्ट्र . . . (1976-77) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 1,303 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | .. | 60,779 |
| 9. उड़ीसा . . . (1977-78) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 1,003 | 12,640 | 18,080 | .. | 30,720 |
| 10. राजस्थान . . . (1976-77) | 118 | 124 | 252 | 5,054 | 4,681 | .. | 9,735 |
| 11. तमिलनाडु . . . (1977-78) | 644 | 19 | 663 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | .. | 39,400 |
| 12. उत्तर प्रदेश . . . (1973-74) | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 110 | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | .. | 5,500 |
| 13. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह . . . (1977-78) | .. | 2 | 2 | .. | 54 | .. | 54 |
| 14. अरुणाचल प्रदेश . . . (1974-75) | .. | 75 | 75 | .. | 2,800 | .. | 2,800 |
| 15. दादरा और नगर हवेली . . . (1977-78) | 11 | .. | 11 | .. | .. | .. | 751 |
| 16. लक्षद्वीप . . . (1972-73) | .. | 5 | 5 | .. | 256 | .. | 256 |
| 17. मिजोरम . . . | .. | 55 | 55 | .. | 697 | .. | 697 |
| 18. पाण्डिचेरी . . . | 11 | .. | 11 | 600 | .. | 150 | 750 |

ऊपर दी गई सारणी से देखा जा सकता है कि बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पिछड़े वर्गों के छात्रावासों की संख्या अब भी अपर्याप्त है। अन्य राज्यों में भी ऐसे छात्रावासों की संख्या पर्याप्त नहीं मानी जा सकती यदि हम उन राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को विचाराधीन रखेंगे। उदाहरण के लिए छात्रावासों की सुविधाओं के उपयोग का जानने के लिए महाराष्ट्र में किये गये एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि वहाँ भी पिछड़े वर्ग छात्रावासों की कल मिलाकर कमी है और वर्तमान छात्रावासों की सुविधाओं का भी पूर्ण उपयोग नहीं किम जा रहा था। इसका कारण यह दिया गया कि सहायता-प्राप्त छात्रावासों की संख्या में अनगिनत वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि किन्हीं क्षेत्रों में तो बहुत अधिक छात्रावास खुल गये हैं, जबकि दूर-दराज के क्षेत्रों में ऐसे छात्रावासों की बहुत कमी है हालांकि वहाँ इनकी आवश्यकता अधिक है। पिछड़े वर्गों के छात्रावासों की ऐसी बेहंगी वृद्धि को दूर करना चाहिए। सरकारी स्तर पर सुनियोजित नीति अपनाकर ऐसा किया जा सकता है। निर्धारित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप छात्रावासों की क्षेत्रवार संतुलित वृद्धि की जा सकती है और ऐसा निर्णय सर्वेक्षण करने के बाद लिया जाना चाहिए। यह वांछनीय है कि बाकी के राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी इसी तरह की कार्यवाई करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप नये छात्रावास खुल रहे हैं और इन छात्रावासों का पूर्ण उपयोग हो पा रहा है। जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के छात्रावास पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहाँ की सरकारों/प्रशासनों को भी अपने वहाँ ऐसे छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के लिए शीघ्र कार्यवाई करनी चाहिए। जिन राज्यों में अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, वहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनुसूक्षण (कोचिंग) की सुविधाएं भी छात्रावासों में उपलब्ध की जानी चाहिए।

सहायता-प्राप्त छात्रावासों को अनुदान-सहायता]

6.13 हमने अपने पिछली रिपोर्टों में सिफारिश की थी कि सहायता-प्राप्त छात्रावासों को प्रति सहवासी अनुदान-सहायता की राशि समुचित रीति से बढ़ा दी जानी चाहिए क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों ने ये राशियाँ बहुत पहले निर्धारित की थीं और इस दौरान मूल्य स्तर में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। इस संदर्भ में, हमारे संगठन ने जुलाई 1978 में राजस्थान के डूंगरपुर जिले का दौरा किया तो देखा कि जनवरी 1977 से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित पिछड़े वर्गों के छात्रावासों की प्रति सहवासी सहायता-अनुदान की राशि कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के लिये 55 रुपये से बढ़ाकर 95 रुपये और कक्षा 9 से कक्षा 11 तक के लिए 95 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये की जा चुकी थी। राज्य सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त छात्रावासों की अनुदान-सहायता राशि में वृद्धि करने सम्बन्धी कार्यवाई श्लाघनीय है। आशा की जाती है कि व राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन भी, जहाँ अनुदान-सहायता की राशि अभी तक कम है, इसकी दर बढ़ाने के लिए शीघ्र कार्यवाई करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता-प्राप्त छात्रावास सहवासियों को संतुलित भोजन बेटे हैं। राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिन मठों के लिए इन छात्रावासों को अनुदान-सहायता दी जा रही है, इसकी सूचना सहवासियों को भी दी गई है।

केंद्रीय क्षेत्र (सेक्टर)

कन्या छात्रावास

6.14 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कन्याएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों अथवा सामान्य जनसंख्या की कन्याओं की तुलना में कहीं अधिक पीछे हैं। इन समुदायों

की कन्याओं की शिक्षा में गति लाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कन्या छात्रावासों की स्कीम केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। आरंभ में इस स्कीम में केवल छात्रावास भवनों के निर्माण/विस्तार की व्यवस्था की गई थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को व्यापक बनाया गया ताकि भवनों के निर्माण, वृत्तिकाएँ देने, छात्रावासों के रख-रखाव और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कन्याओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल करने का प्रावधान किया जा सके। एकीकृत स्कीम में छात्रावास भवनों, छात्रावासों को फर्नीचर से सज्जित करना, सिलाई व कढ़ाई जैसे शिल्पों के लिए प्रारंभिक उपकरण खरीदना, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए आवश्यक उपकरणों के लिए प्रारंभिक अनुदान और छात्रावासों के साथ लगे क्लॉथ प्लांटों के लिए आवर्ती पूंजी के निम्नलिखित प्रारंभिक अनुदान देने का प्रावधान था। यह प्रावधान इसलिए किया गया था ताकि छात्रावासों को बहु-उद्देश्यीय संस्थानों में परिवर्तित किया जा सके और कन्याओं को कलाओं, शिल्पों, कौशलों, खेलों, गृह प्रबंध आदि में प्रशिक्षित किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान सहायता की दर 1975-76 में बढ़ा दी गई थी। संशोधित दरों के अनुसार प्रति विद्यार्थी अधिकतम अनुदान सहायता 3,200 रुपये थी यदि विद्यार्थी को केवल आवास की सुविधा प्रदान की जानी है। यदि डाइनिंग हॉल, स्टाई, स्वच्छता ब्लाक आदि आनुषंगिक सुविधाएँ भी आवास के साथ-साथ दी जानी हैं तो प्रति विद्यार्थी अनुदान-सहायता की राशि 4,450 रुपये रखी गई थी।

6.15 इस स्कीम के अंतर्गत 1976-77 में हुए व्यय तथा 1977-78 के प्रस्तावित परिव्यय की जानकारी परिशिष्ट -51 में दी गई है। इस परिशिष्ट में दी गई सारणी से देखा जा सकता है कि बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्कीसा, राजस्थान, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश व स्कीम की प्रगति असतोषजनक है। कुछ वर्तमान छात्रावासों की कार्य-प्रणाली में भी कमियाँ पाई गई हैं। उदाहरण के लिए, आगस्त 1977 में आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास श्रीकाकुलम की कार्य-प्रणाली का अध्ययन किया गया था। ज्ञात हुआ कि छात्रावास का पांचवी योजना अवधि में ही निर्माण हो गया था लेकिन संशोधित स्कीम में निर्धारित अतिरिक्त सुविधाओं के लिए वहाँ कोई प्रावधान नहीं था। छात्रावास के कमरे भी छोटे तथा तंग देखे क्योंकि 50 सहवासियों के रहने की मंजूरी थी, जबकि वहाँ 120 सहवासी रह रहे थे। सहवासियों को चारपाई, रैक, शोल्फ, खेल, समाचारपत्र आदि न्यूनतम आवश्यकताएँ भी उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। हालांकि वहाँ पानी के नल से लेकर पानी जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण शौचालयों को उचित सफाई नहीं हो पाती थी। राज्य सरकार को ऊपर लिखित बातों की धीरे ध्यान देना चाहिए और छात्रावास की कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिए आवश्यक कार्यवाई करनी चाहिए। यह सिफारिश भी की जाती है कि केन्द्र सरकार तथा उन राज्य सरकारों को भी, जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कन्या छात्रावासों की संख्या कम है, ऐसे छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के लिए शीघ्र कबज उठाने चाहिए।

आश्रम स्कूल

6.16 आश्रम स्कूल एक तरह से आवासीय प्राथमिक स्कूल हैं जो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास तथा भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। ये स्कूल छिंदी आबादी वाले आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से अनुकूल हैं। यहाँ दिन को लगने वाले सामान्य स्कूल स्थापित नहीं किये जा सकते और इनका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त ये स्कूल विद्यार्थियों को क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप शिल्प-कला पर आधारित शिक्षा प्रदान करते हैं। कुछ राज्यों में ऐसे स्कूल

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी शुरू किये गये हैं। इन स्कूलों का संचालन राज्य सरकारें तथा कुछ स्वयंसेवी संगठन करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में आश्रम स्कूलों की संख्या तथा उनमें रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है :—

| राज्य | आश्रम स्कूलों की संख्या | सहवासियों की संख्या |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. आंध्र प्रदेश (1976-77) | 291 | 17,267 |
| 2. बिहार (1975-76) | 76 | 9,534 |
| 3. गुजरात (1976-77) | 136 | 14,856 |
| 4. हिमाचल प्रदेश (1976-77) | 5 | 125 |
| 5. कर्नाटक (1977-78) | 65 | 4,125 |
| 6. केरल (1972-73) | 55 | 1,650 |
| 7. मध्य प्रदेश (1975-76') | 138 | 5,520 |
| 8. महाराष्ट्र (1977-78) | 329 | 16,230 |
| 9. मणिपुर (1973-74) | 6 | 527 |
| 10. उड़ीसा (1977-78) | 160 | उपलब्ध नहीं |
| 11. राजस्थान (1976-77) | 8 | 195 |
| 12. तमिलनाडु (1975-76) | 79 | 4,433 |
| 13. उत्तर प्रदेश (1976-77) | 10 | 935 |
| 14. पश्चिम बंगाल (1976-77) | 5 | 480 |
| 15. जम्मू और कश्मीर (1977-78) | 1 | 20 |

उपर्युक्त सारणी में हम देख सकते हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आश्रम स्कूलों की संख्या काफी अपर्याप्त है, जबकि इन राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक है। आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, पुणे ने एक अध्ययन किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि महाराष्ट्र में कितने आश्रम स्कूल खोले जायें कि राज्य की समस्त आदिवासी जनसंख्या इसके अंतर्गत आ सके। मूलतः 1971-72 में राज्य में आश्रम शाला काम्प्लैक्स स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत एकीकृत क्षेत्र चुना जाता था, जहाँ आश्रम स्कूल, बालवाड़ी, कृषि प्रदर्शन फार्म, पशु-पालन एकक और व्यवसाय-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाती थी। इसकी पीछे दृष्टिकोण यह था कि उक्त क्षेत्र में एक बुनियादी ढांचा तैयार हो सके जिससे अंततः क्षेत्र तथा वहाँ के निवासियों का सर्वांगीण विकास हो सके। किंतु कुछ कठिनाइयों के कारण आश्रम शाला काम्प्लैक्स के कार्यक्रमलाप आश्रम स्कूलों तथा बालवाड़ियों तक ही सीमित रह गये हैं। आदिवासी शोध संस्थान ने सुझाव दिया कि राज्य में कुल आश्रम स्कूलों की संख्या 613 होनी चाहिए। इनमें से 368 आश्रम स्कूल उप-योजना क्षेत्र में और 245 आश्रम स्कूल उप-योजना क्षेत्र से बाहर खोले जाने चाहिए। 329 आश्रम स्कूल इस समय चालू हैं और यह प्रस्तावित किया गया है कि 1978-79 से शुरू कर चार वर्षों तक 284 और आश्रम स्कूल खोलने का क्रमिक कार्यक्रम बनाना चाहिए। 1978-79 के दौरान 80 आश्रम स्कूल खोले जायेंगे। इन स्कूलों की संख्या तथा स्थान का निर्णय 6,000 जनजातीय जनसंख्या के लिए एक आश्रम शाला काम्प्लैक्स को आधार बनाकर किया गया है। पहाड़ी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए 4,000 से 5,000 आदिवासी जनसंख्या के पीछे एक आश्रम-शाला काम्प्लैक्स बनाने की योजना है। यह आस्था की जाती है कि राज्य सरकार कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित आश्रम स्कूल खोलने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगी। यह सिफारिश की जाती है वे सभी राज्य सरकारें, जहाँ आश्रम स्कूलों की संख्या अपर्याप्त है, शीघ्र ऐसे कदम उठाएं ताकि वहाँ भी आश्रम स्कूलों की आवश्यकता की जानकारी के लिए अध्ययन किये जा सकें। साथ ही, ऐसे क्षेत्रों का भी

ध्यान दिया जा सकेगा, जहाँ जनसंख्या तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे स्कूल खोलने हैं। आश्रम स्कूलों की असंतुलित तथा असमान वृद्धि को रोकने में भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

6.17 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ देने की स्कीम केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है, जो 1944-45 में प्रारंभ की गई थी। इन समुदायों में उच्चतर शिक्षा के विकास को यह सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है। अनुसूचित जाति के जिन लोगों ने बोर्ड धर्म अपना लिया है, वे भी अब इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इस स्कीम की, जिसका संचालन राज्य सरकारें/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन करते हैं, एक विशिष्टता यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं और उनकी संख्या राशियों से निर्धारित नहीं होती। उम्मीदवार जिस राज्य के मूल निवासी होते हैं, वहाँ की सरकार उन्हें छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है—भले ही वह देश में किसी भी स्थान पर पढ़ रहे हों। यह स्कीम 1974-75 में संशोधित की गई थी। तब अन्य बातों के साथ-साथ छात्रवृत्तियों की दर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 25 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई थी और जीविकोपार्जन की शर्त में भाँ छूट दी गई थी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 750 रुपये तक थी, उन सभी को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा सकती थीं। ये नियम पहले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों पर लागू नहीं होते थे लेकिन अब उन्हें भी जीविकोपार्जन की शर्त का अनुसूचित जातियों के समान पावन करना होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी चिकित्सा और इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स कर रहे हैं तथा छात्रवास में रहते हैं, 1-1-78 से उनकी छात्रवृत्तियों की दर और भी बढ़ा दी गई है। इन कोर्सों के पहले वर्ष के दौरान लड़कें और लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियों की दर 125 रुपये और 135 रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 185 रुपये और 195 रुपये कर दी गई थी। दूसरे तथा आगामी वर्षों के लिए छात्रवृत्तियों की दर 125 रुपये और 140 रुपये से बढ़ाकर लड़कें और लड़कियों के लिए क्रमशः 185 रुपये और 200 रुपये प्रति माह कर दी गई थी। दिवा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की दर नहीं बढ़ाई गई थी।

6.18 1944-45 में छात्रवृत्तियों की संख्या 114 थी, जो 1977-78 में बढ़कर लगभग 4.22 लाख हो गई है (अनुसूचित जातियों 3.9 लाख, अनुसूचित जनजातियों 0.63 लाख)। इन छात्रवृत्तियों की संख्या 1978-79 में 4.60 लाख हो जाने की आशा की जाती है। स्कीम के व्यय में भी इसी प्रकार वृद्धि होती रही है। प्रत्येक योजना अवधि के अंतिम वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा किया गया व्यय वचनबद्ध व्यय माना जाता है और ये राज्य सरकारें उसे वहन करती हैं। पांचवी योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकारें ने 14.18 करोड़ रुपये का व्यय किया था, जो केन्द्र की सहायता से कहीं अधिक था। 1975-76 के दौरान केन्द्र की सहायता में से 1.71 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे और 1978-79 में इस व्यय के बँकर 20 करोड़ रुपये हो जाने की आशा की जाती है (अनुसूचित जातियाँ 16.47 करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजातियाँ 3.53 करोड़ रुपये)। यह व्यय 15.40 करोड़ रुपये के वचनबद्ध व्यय से अतिक्रि होगा। इस स्कीम पर अचानक बढ़ जाने वाले व्यय का कारण यह है कि 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कक्षा-XI के विद्यार्थी भी न छात्रवृत्तियों के पात्र बन गये हैं, जबकि 1975-76 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी पहले से ही बहुत बड़ी संख्या में मैट्रिकोत्तर शिक्षा में आने लगे थे। उस वर्ष से पहले हायर सेकेण्डरी कोर्स के 11 वीं कक्षा के विद्यार्थी छात्रवृत्तियाँ पाने के पात्र नहीं थे।

एक ही परिवार के दो बच्चों की छात्रवृत्तियां

6.19 उपर वर्णित संशोधित विनियमों की एक धारा यह है कि किसी माता-पिता/अभिभावक के दो से अधिक बच्चे यदि मैट्रिकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो केवल दो बच्चों को ही छात्रवृत्ति के पात्र उम्मीदवार माना जायेगा। बाद में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध किसी विशिष्ट समय पर दो बच्चों के बारे में न होकर किसी एक परिवार के दो बच्चों के बारे में है और यह हमेशा के लिए लागू रहेगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, कि दो बच्चों वाला प्रतिबंध समाप्त किया जाये, यह मामला मंत्रालय के सामने लाया गया। हमारी 1973-74 की रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई थी कि यह धारा प्रतिगामी तथा अतर्कसंगत है, अतः इसे निकाल देना चाहिए। लेकिन यह सिफारिश मानी नहीं गई। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विभिन्न संघों तथा व्यक्तियों द्वारा अभ्यावेदन देना जारी रहेगा और उनमें यह शिकायत रहेगी कि इस धारा के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है यदि उनके दो से अधिक बच्चे मैट्रिकोत्तर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे विचार से जो स्क्रीम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है, उसे परिवार नियोजन का लक्ष्य सिद्ध करने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। यह धारा इन समुदायों के मातापिताओं को अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेजने से हतोत्साहित करेगी और तब जिस उद्देश्य से छात्रवृत्ति स्कीम से शुरु की गई थी, वह निष्फल हो जाता है। कुछ बच्चों को छात्रवृत्तियों से वंचित रखने का रस्ती भर भी श्रोत्रिय नहीं है, जिसके लिए उनके भाई और बहनें पात्र हैं, सिर्फ इसलिए कि वे अपने माता-पिताओं की तीसरी या चौथी संतान हैं। अतः यह बात फिर से दोहराई जाती है कि विनियमों में से किसी माता-पिता/अभिभावक के केवल दो ही बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रतिबंध निकाल देना चाहिए और ऐसे माता-पिताओं/अभिभावकों के सभी मैट्रिकोत्तर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों, यदि अन्यथा वे इसके पात्र हों, को छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए।

छात्रवृत्तियां बांटने में विलंब होना

6.20 गृह मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का समय-समय पर उच्चतम स्तर पर ये अनुदेश जारी करता रहा है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों की मंजूरी देने तथा उन्हें बांटने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये और विलंब से बचा जाये। लेकिन इसके बावजूद हमारे संगठन को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिकायतें मिलती रहती हैं कि उनकी छात्रवृत्तियों की मंजूरी में देरी की जा रही है। इन शिकायतों में जो मुद्दे उठाये जाते हैं, उनमें से कुछ पर नीचे विचार किया जा रहा है :-

- (1) 10+2 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 11 वीं कक्षा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी भी 1975-76 से छात्रवृत्तियां पाने के पात्र उम्मीदवार हो गये थे। विभिन्न राज्य सरकारों इन छात्रवृत्तियों के लिए आवश्यक आवेदन-पत्र कालेजों को सप्लाई करती रही हैं न कि स्कूलों को। अतः ये नये विद्यार्थी आवेदन-पत्र प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। अतः राज्य सरकारों को चाहिये कि वे उन स्कूलों को भी आवेदन-पत्र सप्लाई करें, जहाँ 10+2 शिक्षा पद्धति शुरू की जा चुकी है ताकि 11 वीं कक्षा के विद्यार्थी आवेदन पत्र प्राप्त करने में कठिनाईयों से बच सकें।

- (2) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को बार-बार लिखा है कि वे सत्र शुरू होने से पहले ही काफी संख्या में रिक्त आवेदन-पत्र शिक्षा संस्थाओं को सप्लाई कर दें ताकि उम्मीदवार कालेज में प्रवेश लेने के तुरंत बाद अपने आवेदनपत्र भर कर दे सकें। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों काफी मात्रा में रिक्त आवेदन-पत्रों की मैट्रिकोत्तर शिक्षा संस्थाओं में समय पर सप्लाई करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। लेकिन यह पाया गया है कि कुछ राज्य/संघ शासित क्षेत्र तत्सम्बन्धी अनदेशों का पालन नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए, बिस्ली प्रशासन आवश्यक संख्या में आवेदन-पत्र शिक्षा संस्थाओं को नहीं भेजता बल्कि आवेदन-पत्र की केवल एक प्रति नमून के तौर पर भेज देता है और शिक्षा संस्थाओं को अपने कार्यालयों में जरूरत के अनुसार उसकी प्रतिलिपियां तैयार करने के अनुदेश देता है। पता लगा है कि कुछ कालेज, उपकरणों या निधियों के अभाव के कारण, इन आवेदन-पत्रों की साइक्लोस्टाइल प्रतियां निकालने में हिचकिचाहट अनुभव करते हैं। अतः इन संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को इन आवेदन-पत्रों को पाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः यह वांछनीय है कि गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार बिस्ली प्रशासन तथा अन्य राज्य सरकारें / संघ शासित क्षेत्र प्रशासन इन आवेदन पत्रों को मुद्रित करवाने की स्वयं व्यवस्था करें और पर्याप्त संख्या में कालेजों तथा 10+2 शिक्षा पद्धति वाले स्कूलों को सप्लाई करें। वे इन आवेदन-पत्रों को सप्लाई समय पर करें ताकि विद्यार्थियों को इसके लिए परेशान न होना पड़े।

- (3) यद्यपि अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दृष्टान फीस न देने की छूट मिली हुई है लेकिन किसी कालेज में प्रवेश लेते समय उन्हें प्रवेश शुल्क, खेल शुल्क आदि एकमुश्त देना होता है। इसमें सन्देह नहीं कि बाद में ये शुल्क इन विद्यार्थियों को वापिस कर दिये जाते हैं लेकिन आरंभ में यह राशि एक मुश्त देने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। इन कठिनाई को समाप्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनेक बार सुझाव दिया है कि वे हक्दारी-कांड जारी करने की पद्धति शुरू करें। इस पद्धति के अनुसार जाति-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकारें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को ये कांड जारी कर देंगी। ये कांड खिबाकर विद्यार्थी ऊपर उल्लिखित शुल्क दिये बिना कालेज में दाखिल कर लिए जायेंगे, जो इस समय कालेज द्वारा नियमित छात्रवृत्तियों की राशि में भागे चलकर समायोजित कर लिए जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह पद्धति गुजरात, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पाँडिचरी और दादरा और नगर हवेली जैसे कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में ही शुरू की गई है और शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अभी इसे अपनाता है। राजस्थान के दोरे पर गये हमारे एक अध्ययन दल ने देखा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी प्रवेश के समय विभिन्न शुल्क एकमुश्त देने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। अतः यह सिफारिश की जाती है कि राजस्थान तथा अन्य राज्य सरकारें / संघ शासित क्षेत्र, जहाँ हक्दारी-कांड जारी करने की पद्धति अभी तक नहीं अपनाई गई है, इस पद्धति को अपनाने के लिए शिघ्र कार्रवाई करें।

समुदाय-वार मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का आवंटन

6.21 जैसाकि हम अपनी पिछली रिपोर्ट में चर्चा कर चुके हैं, मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न समुदायों को समान रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। उक्त रिपोर्ट में हमने अपनी बात की पुष्टि के लिए कुछ अध्ययनों के निष्कर्ष प्रस्तुत किये थे। हम संदर्भ में पंजाब में 1976-77 के दौरान दी गई छात्रवृत्तियों के बारे में एक और अध्ययन किया गया था। स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उक्त वर्ष के दौरान पंजाब में दी गई छात्रवृत्तियों का समुदायवार ब्यौरा, जो हमारे अध्ययन के निष्कर्षों से प्राप्त हुआ था, परिशिष्ट-52 में दी गई सारणी में देखा जा सकता है। इस सारणी को देखने से ज्ञात होगा कि रामदासी, आदिवासी आदि समुदायों के विद्यार्थी इस स्कीम का अधिक लाभ उठा रहे थे, जबकि आर्थिक दृष्टि से ज्यादा पिछड़े समुदायों जैसेकि मजहबी और बाल्मोकी को इस योजना का बहुत कम लाभ मिल पा रहा था। स्पष्ट है कि मेट्रिक-पूर्व पढाई बीच में ही छोड़ने वालों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण ज्यादा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी मेट्रिकोत्तर चरण तक नहीं पहुँच पाते। इन समुदायों में बीच में ही पढाई छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दिशा में प्रयत्न करने होंगे। जैसाकि हम अपनी पिछली रिपोर्ट में सिफारिश कर चुके हैं, यहाँ यह बात फिर से दोहराई जाती है कि सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में भी आर्थिक दृष्टि से ज्यादा पिछड़े समुदायों की पहचान करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें। वे विशेष कार्यक्रम शुरू करें जिसके अंतर्गत विशेष अनुशिक्षण कक्षाओं, मेट्रिक-पूर्व वृत्तिकार्यों की दर में वृद्धि, निःशुल्क किताबें, बर्तों, दोपहर के भोजन की व्यवस्था हो और आश्रम स्कूलों की तरह विशेष आवासीय स्कूल भी शुरू करें ताकि इन समुदायों के विद्यार्थी अधिक संख्या में मेट्रिकोत्तर शिक्षा के स्तर तक पहुँच सकें तथा मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ उठा सकें। इन समुदायों के विद्यार्थियों की मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दर में भी समुचित वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे मेट्रिकोत्तर शिक्षा में जाने के लिए प्रोत्साहित अनुभव कर सकें।

मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर ब्याज-राशि का उपयोग]

6.22 छात्रों में बांटने के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की जो राशियाँ, महाविद्यालयों के प्राधिकारियों के व्ययन हेतु, बैंकों में जमा करा दी जाती हैं, वे किसी न किसी कारण से छात्रों में बांटने के बाजाय बैंकों में रहने दी जाती हैं। कुछ मामलों में तो इन्हे बचत खातों में रखा जाता है और इस तरह उन पर भारी ब्याज कमाया जाता है। यह भी पता चला है कि कुछ महाविद्यालय अपने कामों में इस रकम का उपयोग कर रहे हैं। जैसे 1977 के दौरान बिहार में किये गये एक अध्ययन से उजागर हुआ था कि रांची का एक महाविद्यालय अपने प्रशासनिक व्ययों का भुगतान, मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर अर्जित ब्याज की राशि से कर रहा था। यह अनियमित है। इसलिए गृह मंत्रालय को इस मामले की छानबीन करानी चाहिए और सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि छात्रवृत्तियों की राशियाँ अनावश्यक समय लगाये बिना आवंटित कर दी जायें और ना उन्हें अनुसूचित रूप से बैंकों में न रहने दें।

शुष्क शीचालयों की सफाई और खाल उतारने के कामों में स्वयं गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ

6.23 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त जो जातियाँ शुष्क शीचालयों को साफ करने, खाल उतारने और चमड़ा कमाने के कामों में लगे होने के कारण अनुसूचित जातियों के समान सामाजिक अशक्तता के शिकार हैं। उनके बच्चे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की मौजूदा

योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों के लिए पात्र नहीं हैं। इस वर्ग के बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को पूरी करने के लिए भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों प्रदान करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना बनायी है, जो अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए हैं; जैसे (1) शुष्क शीचालयों की सफाई, (2) चमड़ा कमाना, और (3) खाल उतारना। यह योजना 1977-78 के शैक्षणिक वर्ष से प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत शुष्क शीचालय साफ करने वालों से भिन्न मेहतारी के बच्चे नहीं आते हैं। वर्ष के दौरान कुल 500 छात्रवृत्तियाँ दी जायेंगी। उस योजना पर व्यय उन निधियों में से किया जायेगा, जो केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के लिए दी है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों का मौजूदा योजना के लिए निर्धारित साधनों की कमी, छात्रवृत्तियों की दर और दूसरी शर्तें इस योजना पर भी लागू होती हैं। यदि किसी वर्ष में छात्रवृत्तियों की संख्या से अधिक आवेदन आ जाते हैं तो चुनाव छात्रों द्वारा प्राप्तियों के आधार पर किया जायेगा। रिपोर्टाधीन वर्ष में प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी है। यह नयी योजना स्वागत योग्य है। किंतु छात्रवृत्तियों की संख्या कम रखी गयी है और हो सकता है कि जिन वर्ग के बच्चों के लिए यह बनायी गयी है, वे सब इसके अंतर्गत न आ पायें। इसलिए सिफारिश की जाती है कि छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित न की जाये, जैसाकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के मामले में है और योजना के अंतर्गत सभी पात्र बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायें। साथ ही ये सिफारिश भी है कि इस योजना के अंतर्गत किये जाने वाला व्यय, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए आवंटित बजट में से न किया जाये, बल्कि यह व्यय पृथक बजट शीर्ष में से दिया जाये।

मेट्रिक पूर्व-वृत्तिकारण

6.24 लगभग सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मेट्रिक-पूर्व वृत्तिकारण प्रदान करते हैं ताकि उनके माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय में पढने भेजें। इन वृत्तिकारणों की दरें और साधनों की कमीयों हर राज्य में अलग अलग निर्धारित हैं। अधिकांश राज्यों में वृत्तिकारणों की संख्या उपलब्ध निधियों के अनुसार रखी गयी है। मध्यप्रदेश और पंजाब जैसे कुछ राज्यों वा तो दावा है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी मात्र छात्रों को वृत्तिका प्रदान करते हैं। राजस्थान सरकार ने भी दावा किया है कि उसने पिछले दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र मेट्रिक पूर्व छात्रों की वृत्तिकारण प्रदान की थी। ज्ञात हुआ है कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में, आदिवासी छात्रों के माता-पिताओं को अपने बच्चे विद्यालयों में भेजने के लिए प्रोत्साहन हेतु एक प्रेरक-योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अनुसार आदिवासी माता-पिताओं को स्कूल में पढने वाले प्रत्येक बच्चों के लिए 10 रुपये दिये जाते हैं। राज्य में किये गये एक अध्ययन के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के माता-पिताओं की ओर से इस योजना में बहुत अधिक रुचि दिखयी गयी है और विद्यालयों/छात्रावासों में अनुसूचित जाति के बच्चों व प्रवेश कराने की होड़-सी लग गयी है। राज्य सरकार ने 1975 में इस योजना पर 1.54 लाख रुपये खर्च किये थे, जो 1977-78 में बढ़कर 3.00 लाख (प्रस्तावित) रुपये हो गये। योजना प्रशस्तनीय प्रयास है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने को प्रेरित करने के लिए, अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन भी इसी तरह की योजनाएं अपने यहाँ भी चलायें।

यह प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समुचित साधन-कसौटी का भी निर्धारण करना बेहतर रहेगा। सिफारिश की जाती है कि जो राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र छात्रों को मैट्रिक-पूर्व वृत्तिकार्य प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे इस उद्देश्य के लिए मुक्त परिव्ययों की व्यवस्था करके इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करें।

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रोत्साहन

6.25 देखा गया है कि अधिकांश राज्यों ने शिक्षा के माध्यमिक या मिडिल चरणों पर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व वृत्तिका प्रदान करने की व्यवस्था कर रखी है, किंतु प्राथमिक शिक्षा के चरणों पर पढ़ने वाले छात्रों की इस विषय में अवहेलना की गयी है। उदाहरणार्थ, राजस्थान में हमारे संगठन के एक अध्ययन दल द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि उस राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को न तो कोई वृत्तिका या पुस्तक-अनुदान आदि दिया जा रहा था और न ही वे पिछड़ी जातियों के छात्रावासों में प्रवेश के पात्र थे। वास्तव में प्राथमिक शिक्षा के चरण में ही इन कक्षाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार के प्रेरकों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आयुक्त के हिमाचल प्रदेश के हाल ही के वीरे में उन्हें बताया गया था कि मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनित निधियां विद्यालय-शिक्षा के सभी चरणों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अपर्याप्त ठहरती है। सामान्यतया छात्रवृत्तियां सबसे पहले नवीं और दसवीं के विद्यार्थियों को दी जाती हैं और इसके बाद यदि निधियों में कुछ शेष रहता है तो माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को वृत्तिकार्य दी जाती है। जब तक इन दो कोटियों के छात्र निपटते हैं, तब तक निधियां समाप्त हो चुकी होती हैं और प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि जब तक प्राथमिक से लेकर उच्च/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के चरणों तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक सभी की शिक्षा देने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सिफारिश की जाती है कि राजस्थान और जिन अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों में मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों और पुस्तक-अनुदान, बर्दी, दीपहर का भोजन जैसे प्रोत्साहनों की कोई योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अभी तक लागू नहीं की है, वे शीघ्र अपने अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करें। हिमाचल प्रदेश और जिन अन्य राज्यों की सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक कक्षाओं तक के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व वृत्तिकार्य की योजना चला रखी है वे इसके लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करें ताकि इन समुदायों के प्राथमिक कक्षाओं के सभी पात्र छात्रों को वृत्तिकार्य प्रदान को जा सके।

शुष्क शौचालयों की सफाई करने, चमड़ा कमाने और चमड़ा उतारने के अस्वच्छ कामों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां

6.26 शुष्क शौचालयों की सफाई, चमड़ा कमाने और चमड़ा उतारने जैसे अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की केंद्र द्वारा आयोजित एक योजना 1977 के शैक्षणिक वर्ष से प्रारंभ की गयी थी ताकि उन्हें विद्यालय स्तर की अच्छी शिक्षा दी जा सके, चाहे उनका धर्म कोई भी क्यों न हो। इस योजना के अंतर्गत

छठों से दसवीं कक्षाओं के ऐसे बच्चों को प्रति वर्ष 1,000 छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जो छात्रावास की सुविधाओं वाले संस्थानों में पढ़ रहे होंगे और जिनके माता-पिताओं को आय 500 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी। यह छात्रवृत्ति परिवार में से एक ही बच्चे को मिलेगी। राज्य-सरकारों ने विख्यात स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से यह योजना लागू की है। यदि आवेदकों की संख्या छात्रवृत्तियों की संख्या से अधिक हुई तो गरीब और योग्य विद्यार्थियों को वरीयता दी जायेगी।

6.27 शिक्षा-शुल्क, आवास और भोजन पर व्यय, पुस्तकों तथा अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए 100 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। बर्दी, वस्त्र, तौलिये, प्रसाधान आदि पर व्यय के लिए 45 रुपये प्रतिमाह का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है। छात्रवृत्ति पाने वाले को अध्ययन के दौरान कोई रोजगार या अपने मातापिता की कोई सहायता करने की अनुमति नहीं है। नीचे की तालिका में राज्यवार अनुमोदित छात्रवृत्तियों की संख्या और 1978-79 वर्ष के लिए प्रस्तावित परिव्यय दिये गये हैं :-

| क्रमांक | राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम | अनुमोदित छात्रवृत्तियों की संख्या | 1978-79 के लिए प्रस्तावित राशि |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आंध्रप्रदेश | 60* | { 50,900** 37,000* |
| 2 | बिहार | 50 | 72,500* |
| 3 | गुजरात | 50* | 72,500* 58,000** |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 20 | 29,000 |
| 5 | जम्मू और कश्मीर | 30 | 43,500 |
| 6 | कर्नाटक | 30 | 43,500 |
| 7 | केरल | 30 | 43,500 |
| 8 | मध्य प्रदेश | 80 | 1,16,000 |
| 9 | महाराष्ट्र | 60 | 87,000 |
| 10 | मेघालय | 30 | 43,500 |
| 11 | उड़ीसा | 30 | 43,500 |
| 12 | पंजाब | 50 | 72,500 |
| 13 | हरियाणा | 50 | 72,500 |
| 14 | राजस्थान | 50 | 72,500 |
| 15 | तमिलनाडु | 60 | 87,000 |
| 16 | उत्तर प्रदेश | 200 | 2,90,000 |
| 17 | पश्चिमी बंगाल | 10 | 14,500 |
| 18 | दिल्ली | 30 | 43,500 |
| | जाड़ | 1,000 | 14,52,900 |

*नये छात्रवृत्ति प्राप्त बग

**पुराने छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं का अनुरक्षण

चूंकि यह योजना हाल ही में प्रारंभ की गयी है, इसलिए इसके कार्यान्वयन पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। किंतु इतना अभी भी स्पष्ट है कि जिन वर्गों के बच्चों के लिए बनी है, वे सभी इसके अंतर्गत नहीं आ पायेंगे—क्योंकि छात्रवृत्तियों की संख्या बहुत ही कम है : इसलिए छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करने का सुझाव किया जा रहा है ताकि इन वर्गों के और बच्चे इसके अंतर्गत आ सकें।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नव बौद्धों, विमुक्त खानाबदोशी और अर्ध-खानाबदोशी कबीलों को राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्तियां

6.28 भारत सरकार ने 1954-55 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त, खानाबदोशी और अर्ध-खानाबदोशी कबीलों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों को राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्तियां देने की योजना प्रारंभ की थी ताकि जिन विषयों के अध्ययन की उपयुक्त सुविधाएं भारत में उपलब्ध नहीं हैं, उनमें विदेशों में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान हेतु इन समुदायों के छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सके। नवबौद्ध पहले अनुसूचित जनजातियों में ही आते थे, उन्हें भी 1977 से इन छात्रवृत्तियों का पात्र बना दिया गया था। अनुसूचित जातियों के कोटे में से ही इनके लिए एक स्थान प्रति वर्ष आरक्षित कर दिया गया था। अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, कृषि और विज्ञान के विद्यार्थियों को बरीयता दी जाती है। विमुक्त, खानाबदोशी और अर्ध-खानाबदोशी कबीलों के केवल वही उम्मीदवार पात्र होते हैं, जिनकी अपनी आय समेत उनके माता-पिता/अभिभावकों की आय 1,000 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं हो। आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए आय की सीमा 500 रुपये प्रतिमास है। प्रारंभ में इन छात्रवृत्तियों की संख्या 9 थी, किन्तु 1972-73 में इन्हें 211 कर दिया गया था। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :—

| | | |
|--|-------|--|
| (1) अनुसूचित जातियां | . -11 | (इनमें से एकस्थान, 1977 से नवबौद्धों के लिए आरक्षित) |
| (2) अनुसूचित जनजातियां | . - 6 | |
| (3) विमुक्त, खानाबदोशी और अर्ध-खानाबदोशी कबीले | . - 1 | |
| (4) आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्ग | - 3 | |
| योग : | 21 | |

पिछले वर्षों से आगे लायी गयी अनप्रयुक्त छात्रवृत्तियों के शेष के कारण 1976-77 और 1977-78, दोनों संयुक्त वर्षों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या 49 है। हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, इन छात्रवृत्तियों को इस प्रकार आवंटित किया गया है :—

| | |
|--|--------------|
| (1) अनुसूचित जातियां | 21 |
| (2) अनुसूचित जनजातियां | 16 |
| (3) नवबौद्ध | 2 |
| (4) विमुक्त, खानाबदोशी एवं अर्ध-खानाबदोशी कबीलों | 4 |
| (5) आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्ग | 6 |
| योग : | 49 |

इन छात्रवृत्तियों को प्रदान करने के लिए, गृहमंत्रालय ने जनवरी, 1978 में आवेदन मांगे थे और आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख 15 मार्च, 1978 थी। किन्तु मंत्रालय से अभी तक इस बारे में सूचना नहीं प्राप्त हुई कि कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने को संस्वीकृति दी गयी। आशा की जाती है कि मंत्रालय सभी संगठित एवं अविभाजित क्षेत्रों पर छात्रवृत्तियों को शीघ्र संस्वीकृति दे देगा ताकि वे जमा न हों।

विभिन्न शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों का प्रवेश

6.29 शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा विश्वविद्यालयों को अनुदेश जारी किये हैं कि वे सभी शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों में 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखें

इसमें 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। यह आरक्षण परस्पर परिवर्तनीय है अर्थात् यदि अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार अपने लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो उन्हें अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरा जा सकता है। इसी तरह अनुसूचित जाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में न आये तो अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उनके स्थानों पर आ सकते हैं। मंत्रालय ने इस प्रकार के अनुदेश भी जारी किये हैं कि जहाँ केवल कोई परीक्षा पास होने के ब्यापक प्रकोटों की न्यूनतम प्रतिशतता पाने वाले उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाता है, वहाँ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जाये बशर्त निर्धारित निम्नतर प्रतिशतता, परीक्षा में सफल होने के लिए अपेक्षित प्रतिशतता, से कम न हो। उपरोक्त अनुदेशों का पालन कुच्छेक को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों में होता है। अलीगढ़ मुलीम विश्वविद्यालय उन कुछ में से है। विभिन्न आयुर्विज्ञान और तकनीकी संस्थानों में मंत्रालय के इन अनुदेशों के पालन की स्थिति आगे के पैराग्राफों में दी गयी है।

मेडीकल कालेज

स्नातक पाठ्यक्रम

6.30 देश के सभी मेडीकल कालेज स्नातक स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण और प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर में छूट के बारे में जारी अनुदेशों का पालन कर रहे हैं। किन्तु कुछ और गैर-सरकारी मेडीकल कालेजों में प्रवेश उम्मीदवारों के योग्यतास्तर की अपेक्षा प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपी-टेशन फीस) के भुगतान के आधार पर किया जाता है। हमने अपनी पहले की रिपोर्टों में कर्नाटक के कुछ गैर-सरकारी मेडीकल कालेजों में बताया जा रहा प्रति व्यक्ति शुल्क की प्रणाली का विवरण दिया था। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 1977-78 वर्ष के दौरान कर्नाटक के निम्नलिखित गैर-सरकारी मेडीकल कालेजों में प्रति व्यक्ति शुल्क की प्रणाली अभी तक जारी है :

1. कस्तुरबा मेडीकल कालेज, मणिपाल।
2. जे० ए० मेडीकल कालेज, बेलगाम।
3. जे० जे० एम० मेडीकल कालेज, गुलबर्गा।

ये कालेज कर्नाटक से बाहर के विद्यार्थियों से प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपी-टेशन फीस) 54,000 रुपये से भी अधिक बसूल कर रहे हैं। कर्नाटक के अविभाजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्रति-व्यक्ति शुल्क (कैपी-टेशन फीस) का भुगतान कर्नाटक सरकार स्वयं करती है।

6.31 प्रति व्यक्ति शुल्क प्रणाली और अग्रजातांत्रिक प्रणाली है। एक घनी माता-पिता के बच्चे को प्रवेश देने के लिए, एक योग्य उम्मीदवार को प्रवेश से बंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार इन गैर-सरकारी मेडीकल कालेजों को अपने अधिकार में लेकर इस प्रणाली को तुरंत समाप्त करे और विशुद्ध योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का प्रवेश प्रारंभ करे। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्र को उनके लिए आरक्षित सीटों पर न्यूनतम स्तर में निर्धारित छूट लेकर प्रवेश दिया जाये।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

6.32 सभी राज्य-सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर संस्थान को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार विभिन्न मेडीकल कालेजों में, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों

में प्रवेश के लिए, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों हेतु क्रमशः 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जानी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तर में 5 प्रतिशत की छूट भी है। मंत्रालय के सुझावों पर विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है। मंत्रालय ने भी इस आधार पर मामले को आगे चलाने से इंकार कर दिया कि चिकित्सा शास्त्र की स्नातकोत्तर शिक्षा को आयु विज्ञान की किसी चुनिन्दा शाखा में विशिष्ट प्रशिक्षण होने के कारण चिकित्साशास्त्र के स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के समान नहीं माना जा सकता। इसलिए चिकित्सा शास्त्र की स्नातकोत्तर शिक्षा के स्तर को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण या इनमें उनके प्रवेश के लिए न्यूनतम स्तर में छूट देकर, नीचे खाना उचित नहीं होगा।

6.33 हम अपनी पहली रिपोर्ट में भी उल्लेख कर चुके हैं कि मंत्रालय का यह दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता क्योंकि सीटों का आरक्षण या स्तर में छूट केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केवल प्रवेश के लिए दी जा रही है; न कि पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए परीक्षाओं में सफल होने के हेतु। सुझाव था कि प्रवेश के बाद उन्हें अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक लाने के लिए तीन माह का विशेष अनुशिक्षण दिया जा सकता है। मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है कि वह अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करे और इन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सीटों के आरक्षण या प्रवेश हेतु योग्यता-स्तर में छूट की शीघ्र व्यवस्था के लिए उन राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों पर जोर डाले, जो अभी तक इनमें सहमत नहीं हुए हैं। किंतु जहां तक हमारी जानकारी है, मंत्रालय से इस विषय में अपना मत नहीं बदला है। इसलिए इन सुझावों पर अमल करने के लिए इन्हें फिर से दोहराया जाता है तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है कि वे इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें।

भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान

6.34 देश में 6 भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान हैं, जो बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और वाराणसी में स्थित हैं और जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी आदि विषयों में शिक्षा प्रदान करते हैं। इन संस्थानों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश होता है। इन संस्थानों के स्नातक-स्तर के पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संयुक्त रूप से 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इस प्रकार, स्नातक स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 220 आरक्षित सीटें हैं।

6.35 1973 वर्ष तक इन समुदायों के छात्रों द्वारा इन आरक्षित सीटों का उपयोग बहुत कम संख्या में किया गया था। 1973 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को प्रवेश देने का निर्णय लिया गया। 1974 में इन समुदायों के उन सभी उम्मीदवारों को प्रवेश देने का निर्णय किया गया, जिन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कुल अंकों में से कम से कम 15 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिये थे। किंतु प्रवेश के बाद, इन उम्मीदवारों के कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया गया, इसलिए 1975 में उन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अंकों में निर्धारित कटौती देने का निर्णय किया गया, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इतर उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कटौती का 2/3 हो, इस तरह उन्हें प्रवेश दे दिया जाय। अतः अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चुने गये अंतिम सामान्य उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से, 66.6 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते। किंतु इस तरीके से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 60 प्रतिशत उम्मीदवार ही आरक्षित सीटों पर चुने जा सके। इन बाकी आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपनी योग्यता स्तर के अनुसार 1975-76 के शैक्षणिक वर्ष से सीधे प्रवेश देने का निर्णय लिया गया, जिसे प्रमुख समाचारपत्रों में भी प्रकाशित किया गया। विज्ञान/तकनीकी विषयों की उच्चतर माध्यमिक या अन्य परीक्षाओं में 50 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवार प्रवेश के लिए आवेदन दे सकते थे। सीधे प्रवेश की इस पद्धति पर 1977-78 क शैक्षणिक वर्ष तक अमल किया गया।

6.36 भारतीय टैक्नोलोजी संस्थानों में सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जिन कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें समाचारपत्रों और संसद में अनेक लोकसभा सदस्यों ने उजागर किया। इसके अतिरिक्त इन समुदायों के विद्यार्थियों से प्राप्त प्रतिवेदनों में भी इनका उल्लेख था। आरोप था कि नई दिल्ली के भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 1973 से प्रवेश प्राप्त लगभग 50 प्रतिशत उम्मीदवारों के नाम ही शैक्षणिक निष्पादन के आधार पर नामावतियों से खारिज कर दिये थे। यह भी आरोप था कि नए नियमों के अंतर्गत "विशिष्ट स्तर" की कोटिकरण प्रणाली के आधार पर शैक्षणिक निष्पादन आंका जाते लगे हैं और यह नए नियम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के विरुद्ध लागू किये जा रहे हैं। उनके कथनानुसार यह भय 1978 के दौरान और पुष्ट हो गया क्योंकि संस्थान से निकाले गये 12 छात्रों में से 10 छात्र अनुसूचित जातियों के थे।

6.37 इस मामले को शिक्षा मंत्रालय और नई दिल्ली के भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान के साथ उठाया गया। शिक्षा मंत्रालय के उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। भारतीय टैक्नोलोजी संस्थान ने सूचित किया था कि 1973 से लेकर 1978 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवेश प्राप्त छात्रों की कुल संख्या में से 13 प्रतिशत छात्र संस्थान में पहुँचे नहीं, 10 प्रतिशत छात्रों ने या तो अपने आप संस्थाप से अपने को अलग कर लिया था या वे सत्र से अनुपस्थित रहे थे और 23 प्रतिशत छात्रों से शैक्षणिक निष्पादन के आधार पर अपना अध्ययन समाप्त करने को कहा गया था। केवल 4 प्रतिशत छात्र ही अपना अध्ययन पूर्ण कर पाए थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के शैक्षणिक निष्पादन के मूल्यांकन के लिए पृथक नियम नहीं थे। इसके बजाय, संस्थान के कथनानुसार, इन समुदायों के छात्रों के लिए कम शैक्षणिक अंक, विशेष अनुशिक्षण, गर्मियों और सर्दियों के सत्रों में कक्षाओं आदि को जरी रखने की निर्धारित पद्धति थी ताकि वे कम भार के कारण सत्र के दौरान पाठ्यक्रमों में रह गयी अपनी कमी को पूरा कर सकें।

6.38 भारतीय टैक्नोलोजी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का हीन निष्पादन बहुत भारी चिंताका विषय है। तत्कालीन शिक्षामंत्री द्वारा 1975 में बुलायी गयी एक बैठक में इस विषय पर विचार किया गया था और साथ-साथ यह भी निर्णय लिया गया था कि 1976 वर्ष से देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उसी तरह के विशेष केन्द्र खोले जाने चाहिए, जैसे गृह मंत्रालय ने अभियांत्रिकी सेवकों और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं के लिए पहले से ही चला रखे हैं। किंतु खेद है कि मंत्रालय ने अभी तक ऐसा कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

भारतीय टैक्नोलोजी संस्थानों के निदेशकों के साथ शिक्षा मंत्री की बैठक

6.39 केन्द्रीय शिक्षामंत्री ने जुलाई, 1977 में विभिन्न भारतीय टैक्नोलोजी संस्थानों के निदेशकों की बैठक बुलायी थी, जिसमें इन संस्थानों और इनमें अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के सामने

पेश आने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श किया जाना था। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थानों के निदेशकों का विचार था कि 2/3 अंकों की कटीती पाकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा में से आने वाले छात्र अपने शैक्षणिक निष्पादन में सुधार कर सकें थे और उन्होंने कोई गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं की किंतु प्रवेश परीक्षा के बिना सीधा प्रवेश पाने वाले छात्र ही इस प्रणाली पर भार बन गये थे और वे संस्थान में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाये थे। उन्हीं को पाठ्यक्रमों के विषयों को समझने में दिक्कत पेश आयी थी और इसलिए वे विषयों में सफल नहीं हो पाये थे। उनका यह भी विचार था कि उन्हें विशेष सहायता दिए जाने के बावजूद वे छात्र पाठ्यक्रम पूरे नहीं कर सकें थे और कुछ छात्रों के अध्ययन की अवधि आठ से दस वर्ष तक बढ़ा भी पड़ी थी। इससे इन छात्रों को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि जब तक वे संस्थान में सफल होकर निकलेंगे, तब तक उनकी आयु सरकारी सेवा में प्रवेश की निर्धारित आयु-सीमा से आगे निकल चुकेगी। यदि इस स्थिति को इसी तरह चलने दिया गया तो अनेक मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संक्षेप में निदेशकों की यही राय थी।

6.40 अनुभव किया गया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों को स्कूल के स्तर पर जैसे नहीं, दसवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं में ही खोजा जाये और उन्हें प्रारंभ से ही इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाये। विशेष प्रशिक्षण देकर इन लड़कों को सामान्यतया इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए तैयार किया जाये। इसलिए इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय किये गये :-

- (1) 1977-78 वर्ष के लिए घोषित कार्यक्रमों को उसी प्रकार चलने दिया जाये और उसके साथ 1978-79 के शैक्षणिक वर्ष से भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में निष्पादन के आधार पर ही लिया जाये और सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित निष्पादन-कटौती में उनके लिए छील रखी जाये। सामान्य उम्मीदवारों के लिए प्रार्थकों में निर्धारित कटौती-मानों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो 2/3 कटौती-मान की छूट दी जाती है, उसका पुनरीक्षण किया जाये और इस विषय में सभी संस्थान कोई निर्णय लें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की सीधी भर्ती की प्रवृत्ति इसी वर्ष से समाप्त कर दी जाये।
- (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों के लिए एक संयुक्त परीक्षा की व्यवस्था, उनके स्कूल में रहने की अवधि के दौरान ही की जाये, जो अभियांत्रिकी आयुर्विज्ञान जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हों। उन्हें इस परीक्षा की तैयारी कराने के लिए अग्रेजी, गणित और भौतिक विज्ञान का विशेष प्रशिक्षण दिया जाये इस तरह का प्रशिक्षण विद्यालयशिक्षा की तैयारी का ही अंग होना चाहिए और इसका दायित्व राज्य सरकारों पर होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए गृह मंत्रालय के परामर्श से शिक्षा-मंत्रालय को एक योजना की रूप रेखा तैयार करनी चाहिए।

6.41 यह निर्णय वास्तव में स्वागत योग्य है कि अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवेश पाने के इच्छुक प्रतिभाशाली छात्रों को विद्यालय के स्तर पर देना जाये और इनमें प्रवेश के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाये। स्पष्ट है कि विद्यालय स्तर पर प्रस्तावित प्रशिक्षण उन्हें विशेष केंद्रों का विकल्प है जिन्हें प्रारंभ करने का प्रस्ताव पहले आया था और जो कभी प्रारंभ नहीं किये गये थे। आशा की जाती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विशाल तर पर दिये

जाने वाले प्रस्तावित प्रशिक्षण का वही हल नहीं होगा। प्रस्तावित प्रशिक्षण योजना को प्रारंभ करने के लिए शिक्षा और गृह मंत्रालयों ने आगे क्या कार्रवाई की है, इस विषय में कुछ पता नहीं। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विद्यालय-स्तर पर प्रशिक्षण देने की योजना प्रारंभ करने के लिए यह मंत्रालय तुरंत कार्रवाई करें ताकि वे विद्यार्थी भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थानों में अध्ययन के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जायें, क्योंकि इन संस्थानों में उंचे दर्जे का शैक्षणिक निष्पादन आवश्यक होता है।

केन्द्रीय विद्यालय

6.42 केन्द्रीय विद्यालय संगठन अनेक राष्ट्रीय/संघ शासित क्षेत्रों में बहुत से केन्द्रीय विद्यालय चला रहा है। यह विद्यालय मूल रूप से रक्षा कामियों तथा केन्द्रीय सरकार और सरकारी उपक्रमों के स्थानांतरण पदों वाले कर्मचारियों के लिए है, हालांकि स्थान हों तो संगठन द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार औरों के बच्चों को भी इनमें प्रवेश दे दिया जाता है :- (1) स्थानांतरण पद वाले रक्षा कामियों के बच्चे; (2) केंद्र सरकार के स्थानांतरण-पटक पद वाले कर्मचारियों के बच्चे; (3) अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं/स्वायत्त निकायों/भारत सरकार के पूर्णतया वित्त-प्रबंध के अंतर्गत परियोजनाओं और सरकारी उपक्रमों/निगमों आदि के उन कर्मचारियों के बच्चे, जिनकी सेवाएं स्थानांतरण-परक हों; (4) गैर-स्थानांतरण-परक पदों वाले रक्षा कामियों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे; (5) अन्य कौनसे हुए जन, जिनमें वे गैर-सरकारी जन भी आ जाते हैं जो केन्द्रीय विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा के पैमाने पर अपने बच्चों को पढाने के इच्छुक हों।

6.43 इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रवेश के बारे में 1976-77 वर्ष तक की घोषणा अपेक्षित सूचना मांगने पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस संगठन की वार्षिक रिपोर्ट भेजी थी। किंतु जब 1977-78 वर्ष की यह सूचना भेजने के लिए संगठन को पत्र भेजा गया तो उन्होंने यह सूचना देने से इंकार कर दिया और लिखा कि अपेक्षित सूचना केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय से मांगी जाये। तब शिक्षा मंत्रालय से ये सूचना भेजने का अनुरोध किया गया और अभी तक उसकी प्रतीक्षा की जा रही है। इस सूचना के अभाव में रिपोर्ट-धीन वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के प्रगति-स्थिति का मूल्यांकन संभव नहीं। आशा की जाती है कि शिक्षा मंत्रालय और संगठन भविष्य में हमारे अनुरोध का प्रत्युत्तर देने में अधिक समय नहीं लगायेंगे

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण

6.44 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के संगठन द्वारा शिक्षामंत्रालय के साथ उच्चतम स्तर पर मामला चलाने के बाद, केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने विद्यालयों में 1976-77 के शैक्षणिक वर्ष से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए सहमत हो गया था। इन समुदायों के उम्मीदवारों को योग्यता-स्तर में भी छूट का प्रावधान किया गया था। लेकिन छूट की सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न विद्यालयों द्वारा दी गयी प्रतिशत छूट समान नहीं रही। इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने अपनी पिछली रिपोर्टों में सिफारिश की थी कि इस विषय में असमानता को दूर करने के लिए संगठन छूट की विशेष प्रतिशतता निर्धारित कर दे, जैसे 10 प्रतिशत ताकि उसके आधार पर इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रवेश मिल सके। यह भी सुझाव दिया गया कि यदि 10 प्रतिशत की छूट देने के बाद भी कुछ आरक्षित

सीटें खाली रह जायें तो छूट में और ढील दी जानी चाहिए ताकि सभी आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से वास्तविक रूप से भर जायें। लगता है कि मंत्रालय ने उपरोक्त सिफारिशों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और इसी कारण विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य मनमाने ढंग से छूट के स्तर निर्धारित करते रहते हैं। इसलिए उपरोक्त सिफारिश फिर से जोर दिया जाता है। शिक्षा मंत्रालय को इस मामले पर विचार करना चाहिए और इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्तर में 10 या उससे अधिक प्रतिशत की विशेष छूट निर्धारित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों में पर-पर अंतर्वेदल

6.45 इस संगठन में इस प्रकार के अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें लिखा गया था कि यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 7.2 प्रतिशत सीटें भरने की उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में इन्हें अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को देने के बजाय सामान्य उम्मीदवारों को दे दिया गया था। केन्द्रीय विद्यालय संगठन को इस मामले के बारे में लिखा गया। वहां से उत्तर मिला कि अनुसूचित जनजातियों

के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजातियों को स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तब संगठन और शिक्षा मंत्रालय का ध्यान मंत्रालय द्वारा जारी उन सामान्य अनुदेशों की ओर दिलाया गया जिनमें स्पष्ट उल्लेख है कि "यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार न मिलें तो वे अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों से भरी जा सकती हैं। इसी तरह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार न मिलने पर उन्हें अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरा जा सकता है।" शिक्षा मंत्रालय से इस मामले पर फिर से विचार और सभी केन्द्रीय विद्यालयों को शिक्षामंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था। किंतु बार-बार अनुस्मारक भेजने पर भी अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए सुझाव है कि शिक्षा मंत्रालय को इस मामले पर विचार करना चाहिए और संगठन को अपने उपरोक्त अनुदेशों के अनुपालन के लिए शीघ्र निर्देश जारी करने चाहिए ताकि केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों का आपस में परस्पर अंतर्वेदल किया जा सके।

सामाजिक विकास

(अस्थाचारों और उत्पीड़न को छोड़कर)

1950 में भारत के संविधान को अपनाने तथा भेदभाव के लिए संरक्षक गारंटी के संवेष्टन और अनुसूचित जातियों के विकास के लिए किये गये उपायों से शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास व अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रश्न परिणाम निकले हैं। किंतु देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मनोभाव सम्बन्धी अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए सघन प्रयत्नों की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जातियों और धनी वर्गों के बीच विद्यमान जीवन-स्तर के अंतर को पाटा जा सके। शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिशीलता तथा उनके परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के आपस में मिलने-जुलने के कारण अस्पृश्यता की प्रथा कुछ हद तक दब गई है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हरिजनों की सवर्ण हिन्दुओं पर पारंपरिक आर्थिक निर्भरता है वहां यह प्रथा अभी तक अपने उग्र रूप में विद्यमान है। कमजोर वर्गों के खिलाफ हिंसात्मक अस्थाचारों की घटनाओं की गूँज समाचारपत्रों तथा संसद में सुनायी देती रहती है, जो इस बात का संकेत है कि इस समस्या को जड़े अभी तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में गहराई से जमी हुई हैं।

अस्पृश्यता

7.2 हमारे देश में अनुसूचित जातियाँ और अस्पृश्यता की समस्या युगों पुरानी है और इसके बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक आशय हैं। कुछ नेताओं ने हमारे समाज से एस बुराई को समाप्त करने के अनेक प्रयास किये थे, लेकिन अपने नीति कार्यक्रम के अंग के रूप में इसे प्रस्ताव की शक्ति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में पेश किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन का आरंभ वस्तुतः 1932 में हुआ था। आगे की अवधि में अनेक प्रमुख नेताओं ने भी हमारे समाज की इस बुराई को समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था लेकिन यह प्रथा किसी न किसी रूप में जारी रही। संविधान ने पहली बार एक आंतरिक ढाँचे की व्यवस्था की और कानून ने व्यावहारिक रूप से अस्पृश्यता निवारण के क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति राज्य से पहली बार ग्रहण कर ली। अस्पृश्यता का व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 35 के उपबंधों के अनुसार अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को संसद द्वारा पारित किया गया ताकि अस्पृश्यता के व्यवहार को कानून के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध बनाया जा सके। इस अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता को आधार बनाकर किसी भी व्यक्ति को पूजा के सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने अथवा किसी पवित्र तालाब, कुण्ड या झरने में से पानी लेने से रोकना दंडनीय अपराध है। किसी भी प्रकार की सामाजिक अशक्तता (सीशल डिस्पैबिलिटी) का प्रवर्तन करने पर दंड देने के उपबंध भी किये गये जैसे कि किसी दुकान, रेस्तरा, सार्वजनिक अस्पताल या संस्था, छात्रावास तथा मनोरंजन के सार्वजनिक स्थल पर जाने से रोकने अथवा किसी सड़क नदी, कुण्ड, तालाब, पानी के नल, धर्मशाला या मुसाफिर थाने में प्रवेश करने से मना करने अथवा ऐसी संस्थाओं तथा होटलों में अलग से बर्तन रखने को दंडनीय अपराध करार दे दिया गया। पूर्ततः न्यास से मिलने वाले किसी भी लाभ से वंचित रखने, किसी भी मोहल्ले में आवास के निर्माण या किसी मकान में रहने से मना करने अथवा किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्य या संस्कार को पूरा करने में बाधा डालने जैसे व्यावसायिक

अथवा व्यापारिक अशक्तता के प्रवर्तन को भी इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय माना गया है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को लागू करना

7.3 जब से अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 लागू हुआ, तभी से संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह यह आलोचना होती रही है कि अधिनियम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा जिसके लिए उसे अधिनियमित किया गया था। इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि अधिनियम के अधीन दी जाने वाली सजाएं संख्या में बहुत कम तथा अपर्याप्त थी। इस आलोचना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अधिनियम के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने तथा उसे संशोधित करने का प्रयास किया। अब यह अधिनियम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कहलाता है और इसका उद्देश्य मुख्य अधिनियम की कमियों को दूर करना है। यह अधिनियम 19 नवम्बर, 1976 को लागू हुआ। संशोधित अधिनियम की कुछ विशेषताओं का नीचे उल्लेख किया गया है :—

- (1) अस्पृश्यता के अपराधों के लिए सजा काफी बढ़ा दी गई है और ऐसे अपराधों के लिए कैद तथा जुर्माना दोनों भुगतने पड़ते हैं।
- (2) अस्पृश्यता के अपराधों को अप्रशम्य बना दिया गया है।
- (3) ऐसे हर अपराध के लिए, उन मामलों को छोड़ कर जहां दंड के रूप में कैद की कम से कम अवधि तीन महीनों से अधिक है, सख्ति मूकदम चलाये जा सकते हैं।
- (4) इस अधिनियम के अंतर्गत अस्पृश्यता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार या ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक अथवा पारंपरिक आधार पर उसे न्यायसंगत घोषित करना दंडनीय अपराध बना दिया गया है।
- (5) राज्य सरकारों को ऐसे किसी भी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना करने के अधिकार दे दिये गये हैं, जहां के निवासी अस्पृश्यता अपराधों से सम्बद्ध हैं या अस्पृश्यता अपराधों को प्रोत्साहन देते हैं।
- (6) इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के अन्वेषण-कार्य की कोई सार्वजनिक कर्मचारी जानबूझ कर उपेक्षा करता है तो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध को प्रोत्साहन देने वाला माना जायेगा।
- (7) 'अस्पृश्यता' के कारण किसी व्यक्ति के अशक्तता के शिकार हो जाने की अवस्था में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवश्यक कदम उठाएँ ताकि ऐसे व्यक्तियों को 'अस्पृश्यता' के निवारण से उपचित अधिकार मिल सकें और यह कि ऐसे व्यक्ति उन अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं।

7.4 अधिनियम की धारा 15-क की उप-धारा (2) में राज्य सरकारों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय करें :—

- (1) 'अस्पृश्यता' के कारण किसी तरह की अशक्तता के शिकार हो जाने वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं, जिसमें कानूनी सलाह भी शामिल है, उपबंध ताकि वे इन अधिकारों का उपयोग कर सकें;

- (2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन होने के कारण चलाये जा रहे दारों के निरीक्षण या ऐसे दावे शुरू करने के निमित्त अधिकारियों की नियुक्ति;
- (3) अधिनियम के अधीन ऐसे अपराधों के मुकादमों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन;
- (4) ऐसे उपायों के निरूपण या कार्यान्वयन के काम के लिए राज्य सरकार की सहायता के निमित्त समितियों का समुचित स्तरों पर गठन जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे;
- (5) अधिनियम के उपबंधों की कार्यविधि का कालिक सर्वेक्षण इस दृष्टिकोण से करना कि अधिनियम के उपबंधों को बेहतर तरीके से लागू करने के वास्ते उपाय सुझाये जा सकें।
- (6) 'अस्पृश्यता' के कारण अशक्तता के शिकार हो जाने वाले व्यक्तियों वाले क्षेत्रों की पहचान करना और ऐसे कदम उठाना कि इन क्षेत्रों से अशक्तता दूर हो सके।

7.5 देखा जा सकता है कि धारा 15-क के जुड़ जाने के बाद अधिनियम को एक नया आयाम मिल गया है और उसके कार्य-क्षेत्र में विस्तार हो गया है। यह उसे व्यापक सामाजिक विधान में बदल देती है। अस्पृश्यता की समस्या का स्पष्ट उल्लेख होना जरूरी है ताकि उन चयनित क्षेत्रों में सम्मिलित यास किये जा सकें, जहां अस्पृश्यता की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। पहला कदम यह होना चाहिए कि जिन राज्यों में अस्पृश्यता की समस्या अपने उग्र रूप में विद्यमान है, उनकी पहचान की जाये। ऐसे हर राज्य में इस समस्या का सबसे अधिक प्रभावित जिलों को और उन जिलों में भी समस्या से सबसे अधिक ग्रस्त ब्लकों की पहचाना जाये। अगला कदम यह होना चाहिए कि ऐसे पहचान गए ब्लकों में तुरंत सर्वेक्षण-कार्य शुरू किया जाये ताकी उन सभी गांवों की, जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, गणना की जा सके। धारा 15-क में दीर्घाविधि उपायों के लिए उपबंध हैं और उसमें अधिनियम के उपबंधों की कार्यविधि के कालिक सर्वेक्षण की भी व्यवस्था है ताकि उसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। अनेक राज्य सरकारों ने अभी तक इन प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य के लिए कदम नहीं उठाये हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि सम्बन्धित राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन इस पहलू पर तुरंत ध्यान दें और अशक्तता क्षेत्रों में कालिक सर्वेक्षण करवाये। अधिनियम में ऐसे उपबंध भी हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध मान लिए जाने वाले मामलों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाये। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों का विचार है कि वर्तमान न्यायालय इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मामलों को निपटाने में सक्षम हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल के न्यायालय इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले मामलों के लिए मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक जिले में एक मैजिस्ट्रेट को मनोनीत किया जा रहा है और सभी संबन्धित मामले इस न्यायालय को हस्तांतरित किये जा रहे हैं ताकि उन पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय दिया जा सके। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय राज्य सरकार के इस सुझाव से सहमत नहीं है कि दो विशेष न्यायालय गठित किये जायें, एक नासिक तथा दूसरा अहमद नगर में। जैसाकि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में सुझाव दिया था, यह बात फिर से दोहराई जाती है कि राज्य सरकारें अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड मामलों की संख्या से निर्देशित न हों बल्कि मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता और साथ ही अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाले व्यक्तियों पर पड़ने वाले निवारक प्रभाव की ओर ध्यान दें। यह धारणा

की जाती है कि संशोधित अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का ईमानदारी से पालन किया जाये तो हमारे समाज से इस बुराई को समाप्त करने में इसका काफी बड़ा हाथ रहेगा। ध्यान देने की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों को हिन्दी तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अपेक्षित मात्रा में प्रचारित नहीं किया गया है। अक्टूबर, 1978 में आयुक्त जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे तो उन्होंने देखा कि अधिनियम की एक प्रति तक जिला समाज कल्याण का लिये में उपलब्ध नहीं थी। जिला स्तर के उच्च अधिकारी भी अधिनियम के नये उपबंधों से अनभिज्ञ थे। अतः यह सिफारिश की जाती है कि सभी राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों का व्यापक प्रचार करें और इसकी प्रतियां वितरण के लिए अंग्रेजी तथा प्रांतीय भाषाओं में मुद्रित करें।

7.6 इस मामले का एक पहलू ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ के साधनों से सम्बन्ध है और उस ओर, ऐसा लगता है कि, अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत "जो कोई व्यक्ति 'अस्पृश्यता' के आधार पर किसी व्यक्ति को नदी, धारा, सोते, कुएं, तालाब, बावली, पानी के तल या जल के अन्य स्थानों पर जाने से रोकता है या उसका प्रयोग करने से मना करता है" तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी हो सकता है। अनेक गांवों में सवर्ण हिन्दुओं के निजी कुएं हैं लेकिन इनका निर्माण उनके अपने घर की चार दीवारी से बाहर किया गया है और कभी-कभी तो इनका निर्माण गांव-गभा की भूमि पर किया गया है किंतु इनका प्रयोग इन कुओं के स्वामियों, सवर्ण हिन्दुओं की अपनी बिरादरी के लोगों तथा समान सार्वजनिक स्तर वाले अन्य समुदायों द्वारा ही किया जाता है। यह अनुभव किया जाता है कि अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अधिनियम सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर लागू होता है, ऐसी संपत्तियों के स्वामी चाहें जो भी हों, और जो कुएं निजी भवन की चारदीवारी में नहीं हैं तथा लोग बड़ी संख्या में उनका प्रयोग करते हैं तो ऐसे कुओं को सार्वजनिक कुएं मान लिया जाना चाहिए तथा जनसंख्या के सभी वर्गों को उनका प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

कानूनी सहायता

7.7 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 15(क) की उप-धारा 2(i) में इस व्यवस्था का उल्लेख है कि अस्पृश्यता के व्यवहार के कारण यदि किसी व्यक्ति को अशक्तता का शिकार होगा पड़ता है तो उसे कानूनी सहायता की सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि अस्पृश्यता के उन्मूलन से प्राप्त अधिकारों का वह लाभ उठा सके। कुछ राज्यों ने कानूनी सहायता कार्यक्रम शुरू किये हुए हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 53 में दिया गया है। यह देखा गया है कि कमजोर वित्तीय व्यवस्था समुचित प्रशासनिक व्यवस्था की कमी और प्रचार के अभाव के कारण यह कार्यक्रम विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि नियम ऐसे बनाये जायें कि निर्धारित श्रेणियों में कानूनी सहायता उपलब्ध हो जाय और पारिश्रमिक की राशि ऐसी होनी चाहिए कि उपयुक्त कोर्ट के अनुभवों तथा हकदारों को नियुक्त किया जा सके। साथ-साथ पात्रता की कसौटी इस प्रकार की निर्धारित की जानी चाहिए कि बड़ी संख्या में जबरनसंब तथा योग्य व्यक्ति इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ सकें।

अस्पृश्यता की प्रथा शिकार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

7.8 धारा 15(क) की उप-धारा 2(i) में राज्य सरकारों के लिए इस बात का भी निर्देश है कि अस्पृश्यता के व्यवहार के कारण

अशक्तता के शिकार ही जाने वाले व्यक्तियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें ताकि वे इन अधिकारों का लाभ उठा सकें। अनेक राज्य सरकारें अत्याचारों के शिकार, व्यक्तियों को सहायता-अनुदान देने के मामले पर पहले से ही कार्रवाई कर चुकी हैं। यद्यपि मृत्यु या घायल ही जाने वाले व्यक्तियों के मामलों के लिए ही ऐसा कदम उठाया गया है किंतु अस्पृश्यता के शिकार अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों के साथ यह स्थिति भी आ सकती है कि उनकी आजीविका या सम्पत्ति ही नष्ट हो जाये और उनके व्यवसाय, व्यापार आदि पर पूरा प्रभाव पड़े। अतः राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अस्पृश्यता के शिकार सभी व्यक्तियों को भूमि, ऋण तथा उचित रोजगार उपलब्ध करके क्षतिपूर्ति करने की समुचित व्यवस्था करें।

समितियों का गठन

7.9 धारा 15-क की उप-धारा 2 (iv) में समुचित स्तर पर समितियों के गठन का प्रावधान है जिसका निर्णय स्वयं राज्य सरकारों को करना है। ये समितियां न केवल अधिनियम को लागू करवाने के काम की देखरेख के निमित्त प्रभावशाली हो सकती हैं बल्कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के अन्य उपायों के संदर्भ में भी प्रभावशाली हो सकती हैं जिससे अस्पृश्यता उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त होता है। राज्य में सबसे उच्च स्तर की समितियां इस मामले में शीघ्रता बरतने की ओर ध्यान देंगी। बिहार, गुजरात और राजस्थान में मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तर की समितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं और इस मामले के प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी समितियां गठित हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, ऊड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में भी जिला स्तर की समितियां कार्यशील हैं। विभिन्न स्तरों पर गठित समितियां केवल तभी प्रभावशाली सिद्ध हो सकती हैं, जब उनकी नियमित तथा समय-समय पर बैठके होती रहें और इसके अलावा इन समितियों द्वारा कार्यपत्र न के लिए दिये गये सुझावों पर प्रभावी ढंग से आवर्ती कार्रवाई की जाये। यह सुभाव दिया जाता है कि इन सभी राज्यों में राज्य स्तर की समितियों, जहां अस्पृश्यता की समस्या अपने उग्र रूप में विद्यमान है, की अध्यक्षता मुख्य मंत्री करें ताकि ऐसे मामलों पर उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जा सके। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को इस सुझाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कार्यकारी दल की रिपोर्ट

7.10 समीक्ष्य अवधि में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि विसम्बर, 1977 में गृह मंत्रालय ने एक कार्यकारी दल का गठन किया था, जिसे मध्यावधि योजना 1978-83 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये रणनीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना था। इस कार्यकारी दल ने एक उप-दल का गठन किया जिसे आगामी चार वर्षों में अस्पृश्यता के उन्मूलन के निमित्त एक सावधि कार्रवाई योजना पर गहराई से विचार करना था। इस संबंध में की गई सिफारिशों नीचे दी गई हैं :-

(1) समस्त सार्वजनिक धार्मिक स्थानों में आने-जाने की स्वतंत्रता तथा हमारे समाज के सभी वर्गों के लिये व्यावसायिक सेवाओं की उपलब्धता को निश्चित करना। सघन कार्य के लिए उग्र जिले तथा श्लोकों को पहचाना जाना चाहिए। इन स्तरों पर व्यापक आधार वाली समितियों का गठन किया जाना चाहिए तथा सदस्यों पर निर्धारित गांवों में सघन कार्य करने की सीधी जिम्मेदारी होनी चाहिए। समय-समय योजना को ध्यान में रखते हुए उग्र प्रभाव वाले सभी क्षेत्र तीन वर्षों के भीतर समस्त

अंतर्गत आ जाने चाहिए। इन क्षेत्रों की विकास परियोजना के अधीन चालू आर्थिक कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए ;

- (2) अस्पृश्य शीचालयों के अपमार्जन के काम का शीघ्र व्यावसायिकरण तथा नगरपालिकाकरण किया जाना चाहिये ताकि ऐसा व्यवसाय करने वाले श्रमिक को जाति तथा सामाजिक जोड़न को उसके व्यवसाय से विलग किया जा सके। ऐसे व्यक्तियों के लिये विशेष कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिये जिसके लिये नगरपालिका, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें निधि दें। यह कार्य तीन वर्षों के भीतर पूरा हो जाना चाहिये;
- (3) सघन आर्थिक विकास कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें सम्मिलित होनी चाहिए :-
 - (क) समस्त आर्थिक कार्यक्रमों में लक्षित समूहों के अधीन अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या के अनुपात में परिष्कृत निर्धारित किये जाने चाहिए और इन लोगों के पक्ष में कुछ रियायतें दी जानी चाहिये;
 - (ख) आगामी चार वर्षों में कम से कम 50 प्रतिशत भूमिहीन श्रमिकों तथा जोतदारों को इन कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना चाहिए ;
 - (ग) ऐसे सभी पहचाने गये व्यवसायों में, जिसमें श्रमिसंख्य कर्मचारी अनुसूचित जातियों के हैं, व्यापक कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए। पारंपरिक अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों के अंतर्गत उच्च तकनीकी, बेहतर विपणन, ऋण आदि के लाभ मिलने चाहिये ;
 - (घ) राज्य तथा केन्द्र द्वारा प्राप्त समुचित वित्तीय सहायता से अनुसूचित जातियों विकास निगम की स्थापना की जानी चाहिये।
- (4) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को शीघ्र कार्रवाई की योजना से सम्बन्धित समुचित स्कीम बनानी चाहिये। केन्द्र तथा राज्यों में भी ऐसी समितियों का गठन होना चाहिये जो इन योजनाओं के लिए स्वीकृति दें ताकि सम्बद्ध मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं में इन्हें सम्मिलित किया जा सके ;
- (5) केन्द्र में गृह मंत्रालय और राज्यों में अनुसूचित जातियों विकास विभागों को, अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रमों के अधीन प्राथमिकता वाली स्कीमों के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए एक केन्द्रीय निधि बनानी चाहिए। सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों को आने वाले वर्षों में इन कार्यक्रमों के लिए काम करना होगा ;
- (6) नागरिक अधिकार अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू करवाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए और इस काम के लिए केन्द्र तथा राज्यों में प्रकोष्ठ (सेल) बनाने चाहिए ;
- (7) केन्द्र तथा राज्यों में उच्च स्तर की व्यापक कार्यक्रमों वाली समितियों का गठन किया जा सकता है और इसमें राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। ये प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप दे सकते हैं ; और
- (8) इसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकोष्ठ भी होना चाहिये, जो ऊपर सुझाए गए उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा करे। इससे अपेक्षित शीघ्रता तथा प्राथमिकता पर बल दिया जा सकेगा। ऐसा तभी हो सकता है, जब राज्य का उच्चतम प्राधिकारी अर्थात् मुख्य मंत्री इस प्रकोष्ठ को अपने निर्देशन में कार्य करने के लिये कहे।

7.11 कार्यकारी दल की सिफारिशों को प्रभावशाली ढंग से लागू करवाने से निश्चित रूप से लम्बे अवधि तक एवं निर्धारित अवधि में अस्पृश्यता की कु प्रथा का उन्मूलन हो सकेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया जाना बाकी है, वह है प्रस्तावित सिफारिशों पर खर्च होने वाले वित्तीय परिव्यय का निर्धारण। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि सम्बद्ध केंद्रीय मंत्रालय अपने सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में से क्षेत्र-विशेष के परिव्यय का भूलांकन करे तथा राज्य सरकारों में इसी तरह के काम से सम्बद्ध विभागों से संवाद स्थापित करे। विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करने के काम में गृह मंत्रालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका निम्नानी है।

7.12 हमारे संविधान का उद्देश्य यह है कि समाज से जातिवाद का उन्मूलन किया जाये। अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की दशा को देखते हुए संविधान में इन समुदायों तथा वर्गों के लिए सुरक्षाओं की व्यवस्था की गई थी ताकि वे अपने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तरों में सुधार ला सकें और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकें। एक बात साफ-साफ ममझ लेनी चाहिये कि केवल कानून को सहायता से जाति-प्रथा का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। यह एक उन कार्य क्षेत्रों में से है, जिसमें गैर-सरकारी एजेंसियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिये और समाज के सभी वर्गों में इस चेतना का निर्माण करने में राष्ट्र के साथ सहयोग देना चाहिये कि अस्पृश्यता की प्रथा का चलन किसी भी रूप में बुराई है और उसका उन्मूलन होना चाहिये।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दर्ज किये गये मामलों

7.13 1971 से 1977 तक नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दर्ज किये गये मामलों की संख्या तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके निपटान को दिखाने वाला विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

| वर्ष | पुलिस में दर्ज कराये गये वर्ष के अंत में मामलों का | | | निपटान | | |
|--------|--|----------------|-------|--------|------------|-------|
| | कुल | चालान किये गये | दंडित | बरी | आपसी फौसला | लंबित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1971. | 626 | 439 | 91 | 96 | 138 | 114 |
| 1972. | 1515 | 1416 | 631 | 253 | 233 | 299 |
| 1973. | 2949 | 2356 | 1207 | 312 | 388 | 499 |
| 1974. | 1908 | 1588 | 669 | 247 | 288 | 384 |
| 1975. | 3528 | 2528 | 936 | 480 | 611 | 561 |
| 1976 | 5108 | 4427 | 925 | 867 | 341 | 2564 |
| 1977** | 3425 | 2920 | 551 | 1463 | — | 3479 |

7.14 1976-77 के दौरान दर्ज किये गये मामलों से तुलना करने पर पता चलता है कि 1977 में ऐसे मामलों की संख्या में काफी कमी हुई है और न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है; दूसरी ओर 1975 और 1976 में दर्ज मामलों की तुलना से यह पता चलता है कि 1976 में दर्ज होने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका कारण अनुसूचित जातियों द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग पर बल देना तथा भेदभाव के व्यवहार के प्रति उनमें जागरूकता का बढ़ना हो सकता है। पर एक बात स्पष्ट है कि दर्ज मामलों की संख्या देश के विभिन्न भागों में अस्पृश्यता की प्रथा के प्रचलन का संकेतक नहीं हो सकती। 1976 में

गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में दर्ज मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि संभवतया इस बात का परिणाम थी कि वहां अधिनियम को लागू करवाने के लिए विशेष प्रकोष्ठों के रूप में पुलिस-तंत्र और जल जल्यों (मोबाइल स्वाइड) का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में यह पाया गया कि वहां दर्ज किये गये मामलों की संख्या बहुत कम है, जबकि वहां यह समस्या कहीं अधिक उग्र रूप में विद्यमान है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिनियम के उपबंधों को लागू करवाने में संलग्न एजेंसियों कानून का उचित मात्रा में प्रयोग नहीं कर रही। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि अधिनियम को लागू करवाने के लिए राज्यों में विशेष पुलिस-तंत्र के गठन के प्रश्न पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों में विशेष शासन-तंत्र के गठन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-54 में देखा जा सकता है। यह देखा गया है कि इस व्यवस्था में कई जगह समुचित सहायक स्टाफ नहीं है और यह कमी राज्य स्तर के साथ-साथ क्षेत्र स्तर में भी विद्यमान है। इस बात को निश्चित कर लेना चाहिए कि विशेष शासन-तंत्र के लिए समुचित स्टाफ ही। विशेष शासन-तंत्र इसके अलावा अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों अथवा हिंसा के मामलों से सम्बद्ध काम को भी कर सकता है। अस्पृश्यता का व्यवहार

7.15 यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि अनुसूचित जातियों को व्यक्तियों का अनेक प्रकार की सामाजिक अशक्तता का शिकार होना जारी है। अस्पृश्यता का व्यवहार विशेष रूप से ग्रामीण तथा अंदरूनी क्षेत्रों में अधिक किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में पुरातनपंथी लोगों का निवास तथा प्रभुत्व है। देश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को समान साधनों से पीने का पानी तक लेने से मना कर दिया जाता है। समाचारपत्रों में ऐसे समाचार प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं जिससे पता चलता है कि देश के अनेक भागों में इस समुदाय के व्यक्तियों को अनादर, अपमान, दुर्व्यवहार, आक्रमण, जिन्दा जला देने की यंत्रणा आदि का शिकार होना पड़ता है और उनकी स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। उनका दुख तब और बढ़ जाता है, जब सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है।

7.16 1978 के अगस्त महीने के पहले सप्ताह में लखनऊ में हरिजन तथा सामाजिक कल्याण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस संगोष्ठी का उद्देश्य अनुसूचित जातियों की शिक्षा, परिवेशगत विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक अशक्तता के उन्मूलन, स्वास्थ्य तथा आवास से सम्बन्धित स्कीमों की विस्तार से समीक्षा करना था। संगोष्ठी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपायुक्त श्री एस० के० कौल ने भी एक निबंध पढ़ा था जिसका विषय था : "सामाजिक अशक्तता का प्रसार तथा उससे उत्पन्न तनाव और इसका सामना करने के लिए आवश्यक सामाजिक-विधिक ढांचा"। इस निबंध की प्रतिलिपि परिशिष्ट-55 में दी गई है। इस निबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के साधनों के प्रयोग से सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ बरते जाने वाले भेदभाव पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है।

7.17 रिपोर्ट की समीक्ष्य अवधि के दौरान इस संगठन के एक अध्ययन दल ने अस्पृश्यता की प्रथा के प्रसार को जानने के लिए कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले के दो गांवों कुसुनूर तथा महागांव में एक मवक्षण किया था। इस अध्ययन दल के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं :-

- (1) कुसुनूर गांव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये पीने के पानी का केवल एक कुआरा था और यह कुआरा भी गर्मी के मौसम में सूख जाता था। वर्ष के कुछ महीने में पीने के पानी की

* गृह मंत्रालय द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार वर्ष के अंत में 2497 मामले लंबित थे।

** बिहार, केरल तथा महाराष्ट्र राज्यों के संदर्भ में, उक्त सूचना 30 जन, 1977 तक की है।

स्रोत : गृह मंत्रालय।

समस्या बहुत धिकट रूप ले लेती थी और इन व्यक्तियों को सवर्ण हिन्दुओं के कुए पर जाने के लिये विवश होना पड़ता था। यहां मवर्ण हिन्दु उनके बतनों में पानी उडेल देते थे। महागाव में अनुसूचित जाति के लोग गांव के एक कोने में बसे हुए थे और उनके लिये केवल एक पानी का नल था। जब कभी नल में पानी आना बन्द हो जाता तो ऐसी स्थिति में भी सवर्ण हिन्दुओं के मोहल्लों के निजी कुओं से अनुसूचित जाति के लोगों को पानी लेने की मनाही रहती थी।

- (2) अनुसूचित जाति के लोग केवल त्यौहार के दिन ही मंदिर जाते थे और वह देवता के लिये अर्पण की जाने वाली भेंट केवल पुजारी को ही दे सकते थे। पूजा भी वह दूर खड़े रह कर ही कर सकते थे।
- (3) अस्पृश्यता का व्यवहार श्मशान भूमि में भी देखा गया। सिर मूडाने आदि संस्कारों के लिये अनुसूचित जाति के लोग नाई की सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाल कटवाने आदि के लिए इन लोगों को गुलबर्ग जाना होता था। कुसनूर में चाय की एक भी दुकान नहीं थी, जबकि महागाव में चाय के स्टाल पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अलग बर्तन रखे गये थे।
- (4) कुसनूर गांव की प्राथमिक पाठशाला में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जब कभी प्यास लगती थी तो उन्हें पानी पीने के लिए अपने घरों को जाना पड़ता था।
- (5) दोनों गांवों में, जीवन के हर क्षेत्र में, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था। कुसनूर गांव गुलबर्ग शहर से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर भी, उस पर शहरी जीवन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अधिकांश गांववासियों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की जानकारी नहीं थी।

7.18. इस संगठन ने 1977-78 के दौरान उड़ीसा के छह जिलों के छह गांवों में एक अध्ययन किया था जिससे कुछ प्रासंगिक पहलू सामने आते हैं। ये छह गांव थे : माचमाड़ा (जिला गंजम), गंजगुडा (जिला फूलबनी), बलीपाखड़ी (जिला बालेश्वर), कोरडापीपल (जिला कटक), बड़ा हंतुआड़ा (जिला पुरी) और संतारपुर (जिला घन-कनाल)। सर्वेक्षण के छहों गांव बहु-जातियों वाले गांव थे और प्रत्येक गांव जिले के अंदरूनी क्षेत्र में स्थित था। इन छह गांवों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 26.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक थी। इन गांवों की अनुसूचित जातियां गांव के एक छोर पर रह रही थीं और इन जातियों के लगभग सभी व्यक्ति भूमिहीन थे। ये व्यक्ति कृषि मजदूर के रूप में अपना निर्वाह कर रहे थे और इनकी मजदूरी 3 रुपये से 3 रुपये 50 पैसे प्रतिदिन थी हालांकि प्रतिदिन की अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी 4 रुपये थी। अध्ययन से पता चला कि गंजम, फूलबनी और पुरी जिलों के सवर्ण जातियों के ग्रामवासी यदि भूल से भी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को छू लेते थे तो वे स्वयं को अपवित्र समझने लगते थे। अतः फिर से पवित्र होने के लिये स्नान करना तथा कपड़ों का धोना आम रिवाज था। अध्ययन से यह भी पता चला कि ऐसे ग्रामवासियों को जेठ भी बदलना होता था। अध्ययन के अंतर्गत आने वाले छहों गांवों में अनुसूचित जातियों को मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी और वह दूर खड़े होकर ही प्रार्थना कर सकते थे। विवाह तथा मृत्यु से संबंधित संस्कारों के लिये भी इन लोगों को पुजारी की सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं। इन छह गांवों में जो नाई मवर्ण हिन्दुओं के बाल काटते थे, वे अनुसूचित जातियों के बाल नहीं काटते थे। इसी प्रकार दो गांवों अर्थात् माचुमाड़ा तथा संतारपुर के दोबो अनुसूचित जातियों के कपड़े नहीं धोते थे। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि माचुमाड़ा,

गंजगुडा तथा संतारपुर में चाय की दुकानों में अनुसूचित जातियों के लिये अलग से बर्तन रखे जाते थे। जहां तक जल के साधनों के प्रयोग का सम्बन्ध था, गंजगुडा तथा बड़ा-हंतुआड़ा गांवों में अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। गंजगुडा, संतारपुर, माचुमाड़ा और बड़ा-हंतुआड़ा गांवों में अनुसूचित जातियों को सवर्ण हिन्दुओं के साथ चौपाल में बैठने की आज्ञा नहीं थी, जहां ग्रामवासी आपसी झगड़ों को निपटाने तथा ग्राम कल्याण कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते थे। गांवों की समस्याओं को सुलझाते समय सवर्ण हिन्दु उनके सुझावों पर विचार भी नहीं करते थे। इस अध्ययन के अंतर्गत आने वाले छह गांवों में कभी भी अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय सह-भोज नहीं हुआ था।

7.19. इन अध्ययनों से स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि कनाटक तथा उड़ीसा के कुछ भागों में अस्पृश्यता की प्रथा किसी न किसी रूप में अब भी प्रचलित है। देश के अशक्तता क्षेत्रों में इस समस्या का व्यापक स्तर पर सामना करना जरूरी है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की लागू करवाने के काम के साथ विशेष महत्व तथा शीघ्रता का भाव आ जुड़ा है, जो पहले नहीं था। अस्पृश्यता उन्मूलन को राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप मिल चुका है और पांच वर्षों के भीतर इसका उन्मूलन करने के संकल्प ने इसे समय-बद्ध कार्यक्रम बना दिया है।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन के लिए उठाये गये कदम

7.20. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के विभिन्न उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदम नीचे दिये जा रहे हैं :-

आन्ध्र प्रदेश

राज्य सरकार ने राज्य स्तर की एक समिति का गठन किया हुआ है जिसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति शामिल हैं। इस समिति का काम अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयासों के परिणामों तथा अधिनियम के अधीन, दर्ज आंच किये तथा अभियोजित मामलों की समीक्षा करना है। जिला स्तर पर भी सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है। क्षेत्र के सभी आधिकारियों, जिनमें पुलिस तथा राजस्व अधिकारी भी शामिल हैं, पर यह दायित्व सौंपा गया है कि वे अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को सार्वजनिक कुओं से बिना रोकटोक पानी ले सकने तथा हीटलों व पूजा के स्थानों पर आने-जाने में सहायता करें।

बिहार

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जो अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी। अगस्त, 1977 में बिहार राज्य की सरकार ने सभी मंडल आयुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों/पुलिस अधिक्षकों/उप-निदेशकों (कल्याण) और समस्त जिला कल्याण अधिकारियों को अनुदेश जारी किये थे कि वे 1 सितम्बर, 1977 से 15 सितम्बर, 1977 तक अस्पृश्यता उन्मूलन का पखवाड़ा मनायें। जिला अधिकारियों को ये अनुदेश भी दिये गये थे कि वे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों की ओर जनता का ध्यान आक-र्षित करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित राज्य में 1 सितम्बर से

30 सितम्बर, 1977 के दौरान हुई बैठकों आदि का व्यौरा नीचे दिया जा रहा है :-

| मंडल का नाम | आयोजित बैठकों की संख्या | स्कूलों/छात्रावासों के अंतर्गत आयोजित बैठकों की संख्या |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 1. पटना | 447 | 76 |
| 2. छोटा नागपुर (उत्तर तथा दक्षिण) | 1004 | 192 |
| 3. भागलपुर (कोसी सहित) | 1448 | 246 |
| 4. तिरहुत (दरभंगा सहित) | 1223 | 43 |
| जोड़ (पश्चिम चंपारन को छोड़कर) | 4122 | 557 |

हिनाचल प्रदेश

मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर की एक समिति का गठन किया गया है, जो हरिजनों और अन्य व्यक्तियों की अस्पृश्यता तथा ऐसे अन्य अपराधों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करेगी। इसी उद्देश्य से एक मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तर समिति का भी गठन किया गया है। जिला पुलिस अधिकारियों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे जब कभी अपने अधिकार-क्षेत्र के इलाकों का दौरा करें तो अनुसूचित जातियों और समाजके अन्य निबंल वर्गों के व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करें। वे इन लोगों की शिकायतें सुनें और स्थल पर ही आवश्यक कार्रवाई करें। इन पुलिस अधिकारियों को यह अनुदेश भी दिये गये हैं कि वे इन समुदायों के व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे यात्रा कर रहे अधिकारियों को अपनी शिकायतों को दूर करवाने के लिए उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करायें।

इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में विशेष प्रकोष्ठों का गठन किया है। ये प्रकोष्ठ जिला पुलिस अधीक्षकों की देखरेख में काम करेंगे। राज्य की अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य निबंल वर्गों के साथ हुए अत्याचारों के मामलों का वे सैल निपटारा करेंगे। राज्य सरकार के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग में एक विशेष सैल का भी गठन किया गया है। यह सैल पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्य करेगा। यह सैल अनुसूचित जातियों के साथ हुए अत्याचारों की उन शिकायतों पर गौर करेगा जिसके लिए जिला विशेष सैल जानकारी देगा। इस सैल को जिला विशेष सैल पाक्षिक रिपोर्ट भी भेजेंगे।

जम्मू और कश्मीर

जिला, अधिकारियों—उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक—और विभागों के अध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती थी कि जब कभी वे दौरे पर हों तो हरिजनों की बहुत जनसंख्या वाले गांवों में जायें और इस बात की जांच करें कि वहां अस्पृश्यता आदि की शिकायतें तो नहीं हैं। ऐसा दौरा छह महीने में कम से कम एक बार अवश्य करना होगा। ये अधिकारी अपने दौरो को रिपोर्ट राज्य गृह विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को देंगे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर ऐसी कार्रवाई भी की जानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों को पूर्ण संरक्षण मिल रहा है। पंचायतें, ब्लाक समितियां और अन्य स्वयंसेवी संगठन अनुकूल वातावरण बनाने में सक्रिय भाग लें, इस दिशा में भी कार्य होना चाहिए। नागरिक अधिकारों के हनन तथा अन्य अपराधों, जो जाति को आधार बनाकर किये जाते हैं, की जांच विशेष मामलों के तौर पर होनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग को यह बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सदस्यों द्वारा अत्याचार की घटना का यदि कोई मामला पुलिस या न्यायालय में पेश होता है तो इन लोगों को स्थानीय सहायता उपलब्ध है।

कर्नाटक

राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष विधि, समाज कल्याण तथा पिछड़े वर्गों के मंत्री होंगे। इसका काम अन्य बातों के साथ-साथ नागरिक अधिकार कार्यान्वयन सैल की समीक्षा करना भी होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिकायतें दूर करने के लिए आवश्यक संरक्षण तथा सुरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य, जिला और उप-मंडल/तालुका स्तर की सलाहकार समितियां भी गठित की गई हैं।

केरल

राज्य में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए केरल सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे कि "हरिजन दिवस समारोह", "हरिजनों का मंदिरों में प्रवेश कराना", "फिल्म-शो तथा जव-सभाओं के माध्यम से प्रचार तथा प्रसार" और "संगोष्ठियां" आदि। 2 दिसम्बर, 1972 से कन्नानूर जिले के कासरगोड नामक स्थान पर अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए एक विशेष गश्ती पुलिस दस्ता कार्यशील है। इस दस्ते का कार्यभार इलाका पुलिस निरीक्षक के जिम्मे है और उसकी सहायता के लिए एक दरोंगा, दो हवलदार और दो सिपाही संलग्न किये गये हैं। इसके अलावा, कासरगोड क्षेत्र में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए एक विशेष समिति भी कार्य कर रही है। यह समिति अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए प्रचार के प्रभावी माध्यमों तथा अन्य उपायों का सहारा लेती है।

रिपोर्ट की समीक्ष्य अवधि के दौरान हरिजन कल्याण विभाग के प्रसारण स्कंध ने अपनी गतिविधियां जारी रखी थीं और सामाजिक समानता के बारे में पांच संगोष्ठियां जैसे कन्नानूर, पालघाट, मल्लापुरम, कोशिकोंड में आयोजित की थीं। इसके अतिरिक्त पीची में एक साहित्यिक कार्यशाला आयोजित की गई थी और त्रिवेन्द्रम के टैगोर सेंटर की थियेटर में लोक कलाओं का एक मेला भी मंचित किया गया था। 15 साहित्यकारों को हज्जार-हज्जार रुपये का अनुदान दिया गया। मल्लापुरम जिले में 10,000 रुपये मूल्य के कपड़े बांट कर कल्लुमाल हटाने की व्यवस्था की गई। कासरगोड में अस्पृश्यता की प्रथा अभी समाप्त नहीं हुई है और वहां स्थापित विशेष समिति की बैठकें समय-समय पर होती रहती हैं। उक्त समिति हर महीने की 30 तारीख को हरिजन दिवस मनाती है।

महाराष्ट्र

राज्य सरकार ने "समता वर्ष" नाम से एक समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष राजस्व मंत्री हैं। यह समिति महात्मा गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में 2-10-77 से 2-10-78 तक की अवधि में समता वर्ष के कार्यक्रमों का निर्धारण करेगी। महात्मा गांधी, डाक्टर आम्बेडकर, महात्मा फुले आदि महान समाजसेवियों द्वारा सामाजिक एकता तथा स्त्रियों की स्वाधीनता के क्षेत्र में किये गये काम से सम्बन्धित लेखों के संग्रह के निमित्त एक विशेष समिति का गठन भी किया गया था, जो पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम की ओर ध्यान देगी। रिपोर्ट की समीक्ष्य अवधि के दौरान अस्पृश्यता के निवारण से सम्बन्धित 61 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन पर 13,000 रुपये का व्यय हुआ। इसी अवधि में समाज कल्याण के क्षेत्र में की गई सेवाओं तथा अन्य समाजसेवियों को प्रोत्साहन व प्रेरणा देने के लिए, ताकि वे इन समुदायों की सेवा करने के निमित्त आगे आयें, "दलित मित्र" नामक एक स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत कुछ चुने हुए समाजसेवियों का सांवेदनिक अभिनंदन किया गया था और ऐसे प्रत्येक समाजसेवी को नकदपुरस्कार के साथ-साथ प्रमाणपत्र भी बांटा गया था। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 67,617 रुपये की राशि व्यय की गई और 37 व्यक्तियों को प्रमाणपत्र दिये गये थे। 14 अप्रैल से 1 मई, 1977 तक "हरिजन पखवाड़ा" भी मनाया गया था और इस पर 13,700 रुपये खर्च किये गये।

चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन ने जिलाधीनों तथा पुलिस इस्पेक्टरों को अनुदेश दिये हैं कि किसी सार्वजनिक स्थल पर अस्पृश्यता की प्रथा का कोई मामला यदि उन के ध्यान में लाया जाता है तो वे उस पर तुरंत कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है, जो हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों तथा उल्टाड़न के मामलों की समीक्षा करेगी।

गोआ, दमन और दीव

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए किये गये विभिन्न उपायों की समीक्षा करेगी। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 1977 तक अस्पृश्यता-विरोधी सप्ताह का आयोजन भी किया गया था। इस आयोजन का उद्देश्य अस्पृश्यता की सामाजिक बुराई के बारे में जनता को शिक्षित तथा सावधान करना था।

अंतर्जातीय विवाह

7.21. जातिवाद तथा अस्पृश्यता के व्यवहार की मत्तनाओं के शमन के लिए अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिन्दुओं के मध्य होने वाले अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :—

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति को 1,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई एक अनुसूचित जाति का हो और यदि इन दोनों में से एक अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखता हो तो अनुदान की राशि 500 रुपये निर्धारित की गई है। यह अनुदान धरलु कामकाज की जरूरी वस्तुओं के रूप में दिया जाता है। अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को गैर-सांविधिक रियायतें जैसे कि छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास सुविधाएँ तथा अन्य शैक्षणिक छूटें प्रदान की जाती हैं और उनके बच्चों को अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के समान सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

बिहार

बिहार सरकार ने "अंतर्जातीय विवाहित दम्पतियों के लिए प्रोत्साहन" स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है और बिहार की स्थायी निवासी है तो ऐसे दम्पति को विवाह के दिन जिला कल्याण अधिकारी द्वारा 2,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। 1977-78 के दौरान बिहार सरकार ने इस स्कीम पर कुल 1,00,000 रुपये का व्यय किया था।

गुजरात

गुजरात सरकार अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जाति के अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति को 5,000 रुपये की राशि का पुरस्कार देती है। इस राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

- (1) विवाह की रस्म तथा भोज पर खर्च करने के लिए 300 रुपये;
- (2) पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से 4,000 रुपये की लघु बचत योजना प्रमाणपत्र ;
- (3) दम्पति को धरलु आवश्यकता का सामान खरीदने के लिए 700 रुपये

कर्नाटक

कर्नाटक सरकार अंतर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सहायता के लिए पति या पत्नी में से किसी एक का अनुसूचित जाति से सम्बन्धित

होना जरूरी है और उन दोनों में से किसी एक को मासिक आय 3,000 रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए। यह सहायता केवल उन दम्पतियों को दी जाती है, जो वैधानिक तरीके से विवाहित हैं और उनकी शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में रजिस्टर्ड हो, भले ही उन्होंने किसी भी रीति-रिवाज से शादी करवाई हो।

इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान की मंजूरी तथा व्यापार शुरू करने या मकान बनवाने या पूजा के निवेश के निमित्त दी जाती है ताकि हिताधिकारी जीवनचर्या के लिए आवर्ती आय का लाभ उठा सकें। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन केवल तभी किया जा सकता है, जब दम्पति को पति-पत्नी के रूप में साथ रहते हुए कम से कम एक वर्ष बीत चुका हो।

केरल

अंतर्जातीय विवाह करने वाले ऐसे दम्पतियों को अनुदान दिया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो। यह अनुदान ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें अंतर्जातीय विवाह के कारण घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो। वर्ष 1977-78 के दौरान 275 दम्पतियों को अंतर्जातीय विवाह अनुदान दिया गया था और इस मद पर 4.52 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ऐसे हर दम्पति को 1,000 रुपये की अनुदान राशि देती है, जो अंतर्जातीय विवाह करवाते हैं। ऐसे दम्पति को अपने निवास स्थान से भोपाल आने-जाने का किराया भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस को मध्य प्रदेश के गवर्नर ऐसे दम्पतियों को समाज सेवा के कार्य में योगदान देने के निमित्त प्रमाणपत्र तथा स्वर्ण/रजत पदक भी प्रदान करते हैं।

महाराष्ट्र

ऐसे गांवों को पुरस्कृत किया जाता है जिनमें अस्पृश्यता निवारण के क्षेत्र में असाधारण काम किया होता है। वर्ष 1977-78 के दौरान कम से कम 13 गांवों को ऐसे पुरस्कार दिये गये थे और इस पर 10,500 रुपये का व्यय किया गया था। यह स्कीम जाति-याति के बंधनों को तोड़ने तथा हरिजनों का सवर्ण हिन्दुओं के निकट लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों का सार्वजनिक स्वागत किया जाता है और उन्हें 200 से 300 रुपये का उपहार दिया जाता है। इस रिपोर्ट की समीक्ष्य-अवधि में इस स्कीम पर 7,300 का व्यय किया गया था और 28 विवाहों का आयोजन हुआ था।

पांडिचेरी

समोक्ष्य अवधि के दौरान अंतर्जातीय विवाह करने वाले पांच दम्पतियों ने इस योजना का लाभ उठाया था। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र में यह स्कीम अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

तमिलनाडु

जन्म पर आधारित जाति तथा समुदाय की भावनाओं को समाप्त करने और अस्पृश्यता की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए तमिलनाडु सरकार अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करती है। ऐसी दम्पति का कम से कम एक सदस्य हरिजन (अथवा अनुसूचित जाति का) हो, तो अंतर्जातीय विवाह करवाने वाले दम्पतियों को निम्न रियायतें दी जाती हैं :—

- (1) कम से कम 1½ तोले का स्वर्ण पदक (14 कैरेट का) और साथ में प्रमाणपत्र या प्रशंसापत्र।

- (2) 4-10-1973 से ऐसे दम्पतियों को 200 रुपए का नकद अनुदान दिया जा रहा है ।
- (3) दम्पति के अनुसूचित जाति के वर को ब्याज-मुक्त 250 रुपए से 15,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है ताकि वह "खुदरा व्यापार ऋण स्कीम" के अंतर्गत छोटा-मोटा व्यापार शुरू कर सके ।
- (4) विवाहित दम्पति में से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को आवासीय भू-खंड के लिए एक-तिहाई राशि की सहायता ।
- (5) विवाहित दम्पति में से हरिजन सदस्य को हरिजनों के लिए दी जाने वाली छूटों के अधीन वरीयता ।

त्रिपुरा

त्रिपुरा सरकार ने अंतर्जातीय विवाहों के लिए पुरस्कार देने की स्कीम दिसम्बर 1977 में शुरू की थी। राज्य सरकार ने सर्वार्थ हिन्दू और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में अंतर्जातीय विवाह करने वालों को 2000 रुपए का अनुदान तथा प्रशिक्षणार्थी प्रमाणपत्र देने का प्रस्ताव रखा है। 2,000 रुपए के पुरस्कार का रूप निम्न प्रकार होगा :--

- (क) विवाह की रस्म तथा भोज पर खर्च करने के लिए 500 रुपए।

(ख) धरेलू सामान खरीदने के लिए दम्पति को 500 रुपए का उपहार।

(ग) पति और पत्नी के संयुक्त नाम से 1000 रुपए का लघु बचत योजना प्रमाणपत्र ।

7.22 उक्त राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात तथा तमिलनाडु की सरकारों, द्वारा अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गये कदम प्रशंसनीय हैं। यह सिफारिश की जाती है कि जिन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं, वे अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न सम्पर्क माध्यमों द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किया गया कार्य

7.23 सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जनमत तैयार करने का कार्य करता आ रहा है। कुछ प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन जैसे कि हरिजन सेवक संघ तथा भारतीय दलित वर्ग लीग अपने प्रचारकों के माध्यम से अस्पृश्यता निवारण की दिशा में उपयोगी कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय के विभिन्न सम्पर्क माध्यमों द्वारा किये गये काम का ब्योरा परिशिष्ट-56 में देखा जा सकता है।

अध्याय 8

जनजातीय विकास

जनजातीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

1971 की जनगणना के अनुसार जनजातियों को कुल जनसंख्या 380 लाख अथवा कुल आबादी का लगभग 7 प्रतिशत थी। 1976 में क्षेत्रीय प्रतिबंधों के हट जाने से अनुमानित जनजातीय आबादी 411 लाख अथवा कुल आबादी का लगभग 7.5 प्रतिशत होगी। जैसा कि पहले की रिपोर्टों में अभी कहा गया है, भौगोलिक तथा सामाजिक दृष्टि से जनजातियों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास की अवस्थाओं में व्यापक अंतर है तथा क्षेत्र-क्षेत्र में और उनके अपने समूहों में उनकी समस्याएँ भिन्न हुआ करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब तक के प्रायः दुर्गम वन्य क्षेत्रों में, जहाँ आदिवासी सामान्य रूप से निवास करते हैं, का द्वार खोलने में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा उनकी दशा सुधारने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विस्तार किया गया है। औसत जनजातीय व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने के लिए पहला उपाय यह है कि उन्हें उस बहुविध शोषण प्रक्रियाओं के शिकार से बचाना होगा जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ और मजबूत होती जाती है। यद्यपि 5 वी योजना में शोषण का समाप्त करने की उच्च प्राथमिकता दी गयी थी पर नये विकास कार्यक्रमों के साथ प्रभावी वितरण व्यवस्था के अभाव एवं उनमें स्थानीय समुदायों के समावेश होने की सीमित क्षमता की महत्वपूर्ण विसंगति देखी गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि इस देश में जनजातीय लोगों की समस्याओं का तथाकथित सभ्य और संस्कारित लोगों की शिक्षा तथा दृष्टिकोण से उलाना ही सरोकार है जितना कि जनजातियों का खुद अपने विकास करने से है। इसलिए संस्कारित वर्गों की जनजातीय जीवन पद्धती के गुणों को सिखाया जाना पड़ेगा और उनकी सम्मान भावना को आवर देना और संस्कृति को पारस्परिक सम्मान भाव से समझना पड़ेगा, न कि क्रुपा दृष्टि अथवा पंडितजनोचित भाव से।

उप-योजना का सूत्रीकरण

8.2 जनजातीय विकास के प्रति तथा दृष्टिकोण पाँचवीं योजना के प्रारंभिक दौर में विकसित हुआ था। जनजातीय दशा की व्यापक छानबीन की गयी थी और जनजातीय आबादी वाले सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को मुख्य तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया :

(1) 80 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र जैसा कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय, दादरा और नगर हवेली, तथा लक्षद्वीप

(2) बाकी राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र।

पहली श्रेणी के समूह वाले राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की योजना से जनजातीय विकास की समस्या की ओर उन्मुख होने की अपेक्षा थी। इसलिए उनमें विशेष प्रयत्नों का आवश्यकता नहीं थी। बाकी 18 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के जनजातीय विकास की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इनके मामले में भी मोटे तौर पर समस्या को दो भागों में विभाजित किया गया :- (1) जनजातीय सकेन्द्रण के क्षेत्र, (2) बिखरी हुई जनजातियाँ। इन दोनों के प्रति भी भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण आवश्यक थे। पहले मामले में क्षेत्र-विशेष के विकास का

कार्यक्रम ही सकता था जिसमें जनजातीय समुदायों के विकास का खास-तौर पर ध्यान रखा जाता; जबकि दूसरे मामले में समुदाय या परिवार पर आधारित कार्यक्रम लिया जाना था। इन वर्गीकरणों के अतिरिक्त जिन विशिष्ट समस्याओं की पहचाना गया, वे इस प्रकार हैं :

(1) आदिम समूह (प्रिभिक्वि ग्रुप्स) : ये छोटे-छोटे समुदाय हैं तथा-आमतौर पर साक्षरता से पहले की स्थिति में हैं। इनका विकास स्तर खेती के स्तर से भी पहले का है; तथा

(2) औद्योगिक तथा खदान समूहों का पृष्ठ प्रदेश।

8.3 इन क्षेत्रों में तेजी से बदलती स्थिति में सामाजिक विघटन तथा आर्थिक वचना की विशेष समस्याएँ हैं जिन पर खासतौर से ध्यान देना जरूरी है।

8.4 इस नीति के अधीन 50 प्रतिशत से भी अधिक जनजातीय सकेन्द्रण वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया तथा उनके लिए अलग से उप-योजनाएँ तैयार की गयीं। जनजातीय उप-योजना को अवधारणा को अपने-आप में लचोला रखा गया और प्रत्येक राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उसे अपनाया गया। प्रारम्भ में उप-योजनाओं में उन सभी अनुसूचित क्षेत्रों तथा तहसीलों/ग्रहणों को शामिल किया जाना था, जहाँ 50 प्रतिशत से भी अधिक जनजातीय आबादी हो। इस तरह उप-योजना सूत्रीकरण के अंतर्गत मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्यों को पर्याप्त जनजातीय आबादी को सम्मिलित किया गया। जिन दूसरे राज्यों में जनजातीय आबादी ज्यादा बिखरी हुई थी; जनजातीय आबादी के समुचित अंश को सम्मिलित करने के लिए इस मानदण्ड में ढील बरती गयी। इस तरह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा असम में लगभग 20,000 अवसीमा वाली न्यूनतम आबादी को अपनाया गया। तमिलनाडु तथा केरल के मामलों में लगभग 10,000 तक इस मानदंड में और भी ढील दी गयी। त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में जनजातियों को आबादी और भी बिखरी हुई थी, इसलिए 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय सकेन्द्रण वाले ग्राम-समूहों को उप-योजना में शामिल किया गया। कर्नाटक, गोवा, दमन तथा दीव में जनजातीय आबादी अपेक्षाकृत ज्यादा बिखरी हुई थी, इसलिए वहाँ परिवार आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। इसलिए 10,000 की आबादी की जनजातीय बहुसंख्या वाले सभी राज्यों में उप-योजना कार्यक्रम लागू करने का निर्णय किया गया।

8.5 जनजातीय उप-योजना में चार मूल तत्व हैं : (1) राज्य-ी योजनाओं में से परिच्यय, (2) केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा निवेश, (3) संस्थागत वित्त, (4) विशेष केन्द्रीय सहायता। इस तरह जनजातीय क्षेत्रों के विकासार्थक प्रयत्नों की एक पूरी तस्वीर प्राप्त करने तथा उसे समुचित दिशानिर्देश देने का प्रयास किया गया। ऐसा देखा गया है किसी क्षेत्र की परियोजना की किस्म तथा ऋण पर उसकी निर्भरता के अनुसार ही संस्थागत वित्त प्राप्त होता है। इसी कारण इस सम्बन्ध में निश्चित आंकड़े नहीं तैयार किए जा सके हैं। राज्य योजना के अंतर्गत जनजातीय उप-योजना-क्षेत्रों को रूपरेखा तैयार करने तथा धन्य का परिणाम निर्धारित करने में पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा समय लग गया। यह उप-योजनाएँ 1975-76 में अंतिम रूप से तैयार की जा सकीं। इतनी देर ही जाने पर केन्द्रीय मंत्रालयों

के पांचवीं योजना में निवेश के लिए स्पष्ट कार्यक्रम नहीं पहचाने जा सके। राज्य योजना तथा विशेष केन्द्रीय सहायता से निवेश को ही अंतिम रूप में 1976-77 तक सुनिश्चित किया जा सका। राज्य योजना से जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में पूंजी-निवेश तथा विशेष केन्द्रीय सहायता को परिशिष्ट 57 में देखा जा सकता है। उप-योजना की रणनीति में प्रशासनिक ढांचे और कामिक नीतियों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि इसे प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य शर्त माना गया था। ऐसा देखा गया कि जनजातीय विकास का वास्तविक सभी विकास सम्बन्धी विभागों पर है, इस अवधारण को स्पष्टतः समझने में काफी समय लगा। अब भी सभी राज्यों में जनजातीय विकास विभागों के प्रधान वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं। इसी तरह एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के स्तर पर ज्यादातर मामलों में परियोजना प्रशासकों की नियुक्ति नहीं की गयी है। परियोजना प्राधिकारियों को प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार देने में भी बहुत समय लगाया गया और ढकावट डाली गयी। ऊपर की स्थिति से साफ आहिर होता है कि यद्यपि स्वतः पांचवीं योजना में दृष्टिकोण तथा रणनीति स्पष्टतः निर्धारित कर दी गयी थी पर उपलब्धियां इन प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं रहीं। हालांकि इन क्षेत्रों में निवेश के स्तर को तुलना में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई किन्तु इन निवेशों का प्रमुख भाग बड़े कार्यक्रमों तथा मूलभूत साधनों के विकास से लग गया जबकि जनजातियों को तात्कालिक लाभ देने वाले छोटे कार्यक्रम जोर नहीं पकड़ सके।

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं

8.6 जनजातीय उप-योजना में, योजनाकरण तथा क्रियान्वयन की इकाई, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को रखा गया है। उप-योजना की एक प्रभेदक विशेषता यह है की प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में ही कार्यक्रम तैयार करने पड़ते हैं। इस लिए उम्मीद विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक लचीला ढांचा अपनाया गया। यह कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जाता था। इसलिए सम्पूर्ण उप-योजना क्षेत्र को 180 एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं में विभाजित किया गया जिनमें से 1977-78 तक केवल 129 ही तैयार की जा सकीं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की तैयारी की प्रगति दिखाने वाला विवरण परिशिष्ट-58 में दिया गया है।

8.7 इस तथ्य को दिखाने हुए कि उप-योजनाओं को ही तैयार करने में पूर्वनिर्धारित समय से कहीं जादा समय लग गया, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं को तैयार करने में भी बहुत ज्यादा समय लगा। उत्तर प्रदेश तथा गोवा के लिए बनी-उप-योजना में, एक-एक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना शामिल है। इनके अलावा अधिकांश परियोजनाएं मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा बिहार में मंजूर की गयीं। अब भी असम, मणिपुर तथा पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं की तैयारी की प्रगति बहुत ही धीमी रही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रायुक्त जब मणिपुर राज्यों के बारे पर ये तो वहाँ के मुख्य मंत्री को यह बात खासतौर से बताया कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये क्योंकि राज्य ने अब तक कोई भी परियोजना तैयार नहीं की है। इसलिए असम, मणिपुर तथा पश्चिम बंगाल को अपने संगठन तंत्र को तेज करने तथा और समय मष्ट किये बिना परियोजनाएं तैयार करने का सुझाव दिया जाता है।

8.8 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रायुक्त के संगठन ने बिहार के रांची जिले के सिमडेगा की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तथा उड़ीसा के कोणपुर जिले के गुनपुर की जनजाति विकास एजेंसी के अंतर्गत क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं के जनजातियों पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में कुछ अध्ययन किए हैं। अध्ययन से कई प्रासंगिक बातों का पता चला है जिन पर सम्बन्धित सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। रांची जिले में सिमडेगा की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना पर दिसम्बर 1977 में, कार्य-क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण से पता चला कि यद्यपि परियोजना क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों पर अच्छी खासी धनराशि खर्च की गयी किन्तु परियोजना कार्यालय में उम्मीद क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। निर्धारित तिमाही और छमाही जैसी सांविधिक रिपोर्टों में मंजूरी भूमि पुनरुद्धार सहकारिता तथा विपणन, लघु सिंचाई, पशुपालन, लघु तथा कुटीर उद्योग-घघों इत्यादी विषयक पूर्ण सूचना देनी जरूरी थी किन्तु इस परियोजना के संबन्ध में कोई प्रगति-रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गयी। सिमडेगा तथा भूकटोली के दो बीज गुणन फार्मों को देखा गया। यह पाया गया कि इन फार्मों को पानी तथा कृषियंत्रों की जरूरत थी, लेकिन सिमडेगा के एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना से कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई। यद्यपि इस क्षेत्र में बागवानी विकास के अवसर थे लेकिन केवल शाक-सब्जी उगाने वाले लघु क्षेत्रों का ही विस्तार किया गया है। यह पाया गया कि परियोजना क्षेत्र में बागवानी विकास को हाथ में लेने के लिए बस्तुतः कोई प्रयास नहीं किये गये। भूमि संरक्षण के लिए 1977-78 में 8.83 लाख रुपया निर्धारित किया गया, जिसमें से 4.13 लाख रुपया व्यय किया जा चुका था। बताया गया कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा निजी सिंचाई अधिनियम के अंतर्गत 22 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गयीं और देखरेख के लिए उन्हें ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया। किन्तु यह देखा गया कि पंचायतों ठीक से उनकी देखरेख करने में असफल रही हैं। यद्यपि परियोजना क्षेत्र टसर उगाने के लिए ज्यादा उपयुक्त है किन्तु इसको उगाने का कार्यक्रम नहीं अपनाया गया। सिमडेगा में उद्योग विभाग द्वारा स्थापित एक टसर बीज प्रुति केन्द्र मृतप्रायसा है। जहाँ तक दूसरी औद्योगिक इकाईयाँ का सवाल है, यह देखा गया कि उनमें जनजातियों की सहभागिता नहीं के बराबर है। सिमडेगा परियोजना में कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र अत्यंत अस्तोच-जनक ढंग से कार्य करता हुआ पाया गया।

8.9 सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि सोमावती क्षेत्रों में भभके से उतारी शराब की 23 दुकानें चल रही थी जिसे जनजातीय अर्थ-व्यवस्था की बहुत क्षति हुई थी। यहाँ सिमडेगा जल प्रुति परियोजना नाम की सिर्फ एक शहरी जल प्रुति परियोजना थी। इस परियोजना को चौथी योजना के अंत में ही मंजूरी दे दी गयी थी, लेकिन वह अभी भी पूरी नहीं हुई। छेती को और लाभकर बनाने के लिए भूमि को उर्वरता सुधारने का प्रयास तथा मौजूदा अर्थात् सिंचाई सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि करना जरूरी है। लघु सिंचाई कार्यों के लिए किसी सर्वेक्षण तथा छानबीन करने वाली एजेंसी की व्यवस्था नहीं की गई है। यह मानस हुमा कि बोड़े व्यास वाले कुओं की परियोजना का लाभ ज्यादातर गैर-जनजातियों के व्यक्तियों को मिला है। मौजूदा बीज गुणन फार्मों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। परियोजना क्षेत्र की अधिकांश भूमि खारी किस्म की है जिसके उपचार की जरूरत है किन्तु इस बात पर प्राधिकारियों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। हालांकि इस क्षेत्र में बागवानी के विकास की बहुत संभावनाएं हैं लेकिन जनजातियों को रियायती दर पर फलदायक पौधे देने के प्रारंभिक कदम भी नहीं उठाये गये। इसी तरह परियोजना क्षेत्र में

बहलनों तथा तिलहमों की ज्यादा लाभकर खेती की जा सकती है, किंतु जनजातीय किसानों को इस खेती के लिए न तो समझाया गया और न ही उनकी सहायता की गयी। यह भी मालूम हुआ कि परियोजनाक्षेत्र के दूर-दराज के इलाकों में उर्वरक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसकी ढलाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था भी बहुत अपर्याप्त है। सरकार ने मत्स्य-पालन की ओर ध्यान नहीं दिया है। मालूम हुआ कि सिमडेगा रोजगार दफ्तर के चालू रजिस्टर में जनजाति के 441 शिक्षित युवक हैं। इनमें 250 मैट्रिक, 126 हायरसकेण्डरी तथा स्नातक-पूर्व, 64 स्नातक तथा 1 स्नातकोत्तर थे। तकनीकी मार्ग-दर्शन तथा वित्तीय सहायता देकर इनमें से कई को जनजातिय उद्यमी बनने में मदद की जा सकती है। खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के सम्बन्ध में मालूम हुआ कि जनजातियों द्वारा उपकरणों तथा मशीनों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता के कार्यक्रम थे तथा 1978-79 में इसके लिए ₹० 43,000 का प्रस्ताव था। किंतु यह परियोजना कब शुरू हुई और इसके अन्तर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुईं वहां इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी परियोजना क्षेत्र में ऐसे बहुत से स्थान हैं, जो कच्ची और उबड़-खाबड़ सड़कों तक से भी ठीक से जुड़े नहीं हैं। यद्यपि परियोजना क्षेत्र में 400 आदिम समुदायों के होने का अनुमान है लेकिन उनके कल्याण के लिए किये गये मात्र एक प्रयास की जानकारी यहां मिली थी कि परियोजना अधिकारी ने प्रखंड विकास अधिकारियों को लिखा था और उस समुदाय के सदस्यों को स्थायी रूप से जमीन पर बसाने के तरीके का विवरण प्रस्तुत करने को कहा था।

8.10 इसलिए यह कहा जा सकता है कि केवल परियोजना रिपोर्ट तैयार कर देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि योजनाओं को गंभीरता से लागू करना है तो उन पर सतत निगरानी रखनी पड़ेगी तथा विभिन्न परियोजनाओं के क्रिया-कलापों से सम्बन्धित सांख्यिकी आंकड़े एक स्थान पर एकत्र रखना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी सम्पूर्ण प्रभाविता का पता चल सके। इसलिए परियोजना में छानबीन सर्वेक्षण खंड खोलने का सूझाव दिया जाता है ताकि वह क्षेत्र में लागू विभिन्न योजनाओं की प्रगति की देख-रेख कर सके।

8.11 उड़ीसा के कोरापुर जिले के गुनपुर के जनजातीय विकास एजेंसी क्षेत्र में, विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रभाव के बारे में किये गये एक दूसरे अध्ययन से पता चला कि अनुसूचित जनजातीय किसानों को दशा सुधारने के लिए अच्छी-खासी राशि व्यय की जा चुकी थी। उनमें बहलनों को पूर्णतः आर्थिक सहायता पर निर्भर रहते हुए पाया गया तथा आर्थिक सहायता की सुविधा वापस लिये जाने पर उन्नत तरीकों को जसाते रहने से वे अक्रुसाही देखे गये। अब तक किये गये रक्षात्मक उपायों को सीमित सफलता ही मिल पायी है। वास्तव में महाजनी ऋण और अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण से सम्बन्धित विनियम इस क्षेत्र में अभी ठीक से परीक्षित नहीं किये गये हैं। व्यापारी तथा महाजन अपने जनजातीय कर्जदारों से अतिशय ऊँची दरों पर ब्याज लेते थे। परियोजना के प्राधिकारियों ने माना कि भूमि हस्तांतरण की समस्या इतनी गंभीर थी कि बिना कानून बनाये उसे रोकना संभव नहीं हो पायेगा। परियोजना क्षेत्र में भूमि के प्रचलन हस्तांतरण या बेनामी सौदों का प्रचलन बताया गया। सरदारपुर, पदमपुर प्रखंड के कोई 20 जनजातीय व्यक्तियों से बातचीत में पता चला कि उनके नियोजक उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देते। इसी तरह लिमायोदार के निवासियों से एकत्र किये गये विवरणों से ठीके के मजदूरों के शोषण का आभास मिला। इसलिए ऐसे मजदूरों की हित रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी के प्रगति को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए तथा इसके रिकार्ड रखने के लिए उन पर जोर डालना

चाहिए। नियोजकों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं का पता लगाने के लिए समय-समय पर राजस्व प्राधिकारियों को छापामार पड़ताल करनी चाहिए। जहां तक झूम कृषि (शिकटिंग कल्टीवेशन) की प्रथा का सवाल है, यद्यपि अनुमान लगाया गया है कि कोरापुर जिले में 12,000 एकड़ भूमि इसके अधीन है तथा लगभग 45,000 परिवार इस तरह की कृषि में लग चुके हैं, लेकिन जनजातीय विकास एजेंसी के अंतर्गत क्षेत्र के बारे में इसकी कोई सूचना नहीं थी। गुनपुर परगना के पुस्तासिंह क्षेत्र के जंगल में झूम कृषि से व्यापक पैमाने पर क्षति हुई है। जनजातीय विकास एजेंसी के भीतरी क्षेत्रों में भी झूम कृषि के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह देखा गया कि झूम कृषि की प्रथा को रोकने के लिए अब तक अमल में लायी गयी परियोजनाओं ने अक्षुब्धता को पूरा नहीं किया है। यह भी देखा गया था कि संघटित आवासीय कालोनी के अधिकांश लाभ-भोगी निकटवर्ती पहाड़ियों पर झूम कृषि करने वाले लोग थे। जनजातीय लोगों ने यह स्वीकार किया कि आर्बिट्रि भूमि उनकी जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त नहीं थी और उन्हें मजदूरन झूम कृषि करनी पड़ी थी।

8.12 सहकारी समितियों की वित्तीय दशा अच्छी नहीं पायी गयी। पूरे गुनपुर परगने में कुल 9 लैम्स रजिस्टर किये गये, पर इनमें से तीन अपनी ठीक स्थिति नहीं बना पाये थे और इसलिये जनजातीय लोगों की ऋण तथा विपणन की आवश्यकताओं को पूरा करने की दशा में नहीं थे। अध्ययन से यह भी पता चला कि जनजातीय विकास एजेंसी के अंतर्गत जनजातीय लोगों के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती था, जो अपने आदिम रूप में प्रचलित था। क्षेत्र में नाम के लिए भी कोई उद्योग या शिल्प केन्द्र नहीं था। फलस्वरूप जनजातीय लोगों को बैकल्पिक रोजगार के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे। नाविगडा सहकारी शक्कर उद्योग लिमिटेड नामक एकमात्र इकाई की दशा शोचनीय थी। भीतरी इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों की शिक्षा का स्तर विशेषतौर पर नीचा था। अध्ययन से पता चला कि बच्चों की शिक्षा की बात उनके माता-पिता के मन में अच्छी तरह से नहीं बैठायी गयी थी। मैट्रिक-पूर्व शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाएँ भी अपर्याप्त थी। वहां स्कूलों का अभाव तथा क्षेत्रीय छात्रावासों में साधनों की कमी थी।

आदिम जातियों और उनकी समस्याएँ

8.13 पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय ज्यादा पिछड़ी जनजातियों की समस्याओं पर भी विस्तृत से विचार हुआ था। उनकी संख्या अल्पत थोड़ी है। वे सामान्यतः पूर्व-कृषि स्तर की प्रौद्योगिकी में हैं जिसकी विकास दर सीमांत है तथा वे निरक्षरता में डूबे हुए हैं। कुछ तो उनमें विलक्षण शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं से पीड़ित थे तथा अधिक विकसित जनजातिय एवं गैर-जनजातिय समुदायों के बीच और क्षीयमान एवं अच्छी तरह प्रशासित जंगलों के बीच पिस रहे थे।

8.14 1975 में राज्यों के आदिवासी अनुसंधान संस्थानों की सहायता से इन समूहों का पता लगाने के अभ्यास शुरू किये गये। पता लगाते समय एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत ऐसे दूसरे कमजोर समूहों का भी पता चला, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी। अब तक 49 आदिम समुदायों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 19 दूसरे समुदायों की पहचान करना अभी बाकी है। आदिम जाति के रूप में पहचाने गये तथा पहचाने जाने वाले समुदायों के नाम का विवरण परिशिष्ट-59 में देखा जा सकता है। यह देखा गया कि आदिम समूहों के पहचान का कार्यक्रम तेजी से नहीं चलाया गया जबकि इसके लिए वित्तीय परिष्यय निर्धारित किया गया था।

आदिम समूहों की विशेष समस्याएँ

8.15 अब तक पहचाने गये 49 आदिम समुदाय ज्यादातर छोटे-छोटे समुदाय हैं तथा अलग-विलग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें अधिकांश समुदाय पूर्व-कृषि प्रौद्योगिकी स्तर पर हैं तथा अपने आवासीय

जंगलों से जीने के साधनों के समाप्त होने जाने की कमी को पूरा करना उन्हें मुश्किल पड़ रहा है। यह भी पाया गया कि सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रम से वे कुल मिलाकर अछूते ही रहे हैं। उनके लिए उपलब्ध विस्तृत भू-भाग को या तो ज्यादा विकसित समुदायों ने अतिक्रमित कर लिया अथवा उनके आवासीय जंगल वन विभाग के नियंत्रण में आ गये हैं। इन समुदायों में से बहुतेरे विरक्षण बीमारियों तथा दूसरी आनुवंशिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिससे उनकी वृद्धि कम होती जाती है और कई बार तेजी से आबादी का क्षय हो जाता है। कई मामलों में तो समूचा समुदाय रोग-ग्रस्त होता है और उन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत होती है। यह उत्साहजनक है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा पांडिचेरी स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान, संस्थान अडमान व निकोबार द्वीपों और तमिलनाडु में सक्रियतापूर्वक सर्वेक्षण कार्य में लगे हैं तथा उपयुक्त चिकित्सा भी कर रहे हैं। इन समुदायों के लिए परियोजना तैयार करने वाले उपयुक्त व्यक्ति पाने में भी कठिनाई अनुभव हो रही है। प्रत्येक समूह के लिए एक ऐसा समाज गठित करने का उपाय सुझाया गया है, जो कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार हो। इस क्षेत्र में, इन समुदायों के लिए बनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने में, गैर-सरकारी एजेंसियां उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

घनराशि निर्धारण

8.16 गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की आदिम जातियों के लिए 1977-78 तक 1.34 करोड़ रुपये अग्रिम कार्यवाही के रूप में निर्धारित किया था। इसका विवरण परिशिष्ट-60 में देखा जा सकता है। पांचवी योजना में आदिम जातियों के लिए 10 करोड़ रुपये की घनराशि अलग रख दी गयी थी किंतु परियोजनाओं के तैयार करने में देरी तथा राज्यों के तैयार न हो पाने के कारण सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

8.17 आदिम समूहों के सकेन्द्रण वाले सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से तैयार की गयी परियोजना रिपोर्टों की प्रतियां तथा चलाये गये कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया था, किंतु किसी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन ने रिपोर्ट-वर्ष के लिए आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की। आदिवासी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, पुणे द्वारा मारिया गोडो, कतकरियों तथा कोलामों के स्वास्थ्य एवं पोषण की समस्याओं पर किये गये तीन अध्ययनों से कई महत्वपूर्ण बातों का पता चला है, जिन पर राज्य तथा केन्द्र सरकारों को विचार करना चाहिए। चूंकि अभी महाराष्ट्र की राज्य सरकार की इन समुदायों पर परियोजनाएं तैयार करनी हैं, इसलिए यह उचित रहेगा कि नीचे दिये गये इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर समुचित कार्यक्रम तैयार किये जायें।

| | |
|-------------------|--|
| जाति का नाम | : मारिया गोडो |
| अध्ययन का क्षेत्र | : चन्द्रपुर जिले के भामरगाद, लाहेरी तथा कुवेकेडी के वन्य क्षेत्र |

निष्कर्ष :-

- (1) तपेदिक का विस्तार बिलकुल स्पष्ट है तथा तपेदिक के रोगी अपने परिवार के सदस्यों से धनिष्ठ सम्पर्क करने में परहेज नहीं करते। फलस्वरूप बीमारी से दूसरे भी प्रभावित होते हैं।
- (2) कुष्ठ इस क्षेत्र की एक भयंकर बीमारी बतायी जाती है। भामरगाद के वन विभाग के विश्राम गृह के निकट नदी के पार वाले गांव में सिर्फ कुष्ठ रोगियों की ही आबादी है और गांव के दुर्गम स्थान पर होने से वे चिकित्सा साधनों से एकदम वंचित हैं।

- (3) बहुत से बीमार गांव के पुरोहितों तथा सयानों के हाथों मारे जाते हैं। वे बीमारी के कारण के निदान में किसी दैवी शक्ति या प्रतात्मा का कोप बतलाते हैं और इस तरह लोगों को कोई और सहारा लेने से रोकते हैं।
- (4) भामरगाद क्षेत्र (सिरोंचा तहसील) में बाल-मृत्यु दर बहुत ऊंची है।
- (5) लोक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर की सहायता से सिरोंचा ताल्लुका के बामनी तथा तेकाडा एवं गडचिरोली ताल्लुका के मंडतोला तथा घटगाव, इन चार गांवों के 238 घरों पर किये गये अध्ययन से पता चला कि अनाजों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की औसत खपत 196 ग्राम से 875 ग्राम तक है तथा 41 प्रतिशत परिवारों में अनाज की खपत बताये गये स्तर से नीचे पायी गयी।
- (6) हरी तथा दूसरी सन्धिचों, दूध तथा दुग्ध निर्मित पदार्थ कद-मूल तथा पोष्टक तत्वों के रूप में कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरी तथा लीहू तत्वों की खपत निर्दिष्ट मात्रा से बहुत ही नीचे के स्तर पर पायी गई।
- (7) क्लिनीकल असेसमेंट करने पर 37.6 प्रतिशत व्यक्तियों में पोषण की कमी के एक या अधिक लक्षण पाये गये। विटामिन "ए" की कमी, एनीमिया, सहतजानुकता, कोणिक मुखाति, मुखाग्र उभाड़ तथा दंतहीनता की कमियां आमतौर से पायी गयीं।

| | |
|-------------------|--|
| जाति का नाम | कठकरिया |
| अध्ययन का क्षेत्र | रतनागिरि तथा कोलाबा जिलों के मदनगाड, दपोली तथा म्हापरालाव। |

निष्कर्ष :-

- (1) अधिकांश कठकरिया जन काठकोयला बनाने के काम में लगे हुए हैं और उनमें सिर्फ 25 प्रतिशत के पास भूमि है।
- (2) चूंकि ज्यादातर भूमि चट्टानी और कम उर्वर है, इसलिए 75 प्रतिशत कठकरिया गैर-जनजातीय भू-स्वामियों के यहाँ खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हैं।
- (3) इनका भोजन बहुत ही निकट है। खाद्य पदार्थों के अभाव में कुछ लोग चूहे पकड़ कर खाते हैं।
- (4) जलामात्र एक प्रमुख समस्या है।
- (5) प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की विकास दर धीमी होती है।
- (6) भोजन में चर्बी तथा प्रोटीन की कमी तथा विटामिनों का अभाव बताया गया।
- (7) पूर्वकाल में कोई स्वास्थ्य सर्वेक्षण नहीं कराया गया था और लोगों की देख-रेख के लिए कोई विशिष्ट नियमित स्वास्थ्य सेवा नहीं है।
- (8) कोलाबा जिले के खोपोली, चौक, खालापुर, कुण, होम्डी, आप्ती तथा खाडकीवाडी इन सात गांवों में प्रतिदशों की आनुवंशिक दशा का अध्ययन करने पर पता चला कि उनमें 10 प्रतिशत लाल कणिका एंजाइम से ग्रस्त थे। उनमें ग्लूकोज 6 फास्फेट निर्जलन जीन की कमी थी और उनमें असामान्य होमोग्लोबीन थे, जिन्हें सिकलसेल होमो ग्लोबीन कहा जाता है। इन दो जीनों की असामान्यता से अपनी सभी ज्ञात पंचिद-मियों सहित होमालिटिक एनीमिया की उत्पत्ति होती है।

जाति का नाम : कोलाम
अध्ययन का क्षेत्र : जिला यवतमाल

निष्कर्ष :-

- (1) कुष्ठ रोग का बहुत व्यापक प्रकोप है और रुग्ण व्यक्ति परिवार के साथ ही रहते हैं।
- (2) आदिम जाति के लोग जंगल में पाये जाने वाले थोर ककड़ी तथा "घोरककादि" मूलों का भोजन करते हैं।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए आवश्यक नीति :

8.18 शोषण से जनजातियों की रक्षा करने के निमित्त 1975 में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शराब की बिक्री बंद करने का निश्चय किया गया। यह भी निश्चय किया गया कि निर्जी इस्तेमाल के लिए जनजातियों को शराब उतारने की छूट दी जाये तथा जहाँ जनजातियाँ बहुलता से नहीं हैं, वहाँ शराब सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही बेची जाये और जनजातियों को शराब पीने से रोकने के प्रयत्न किये जायें। गुजरात तथा तमिलनाडु राज्यों में पूर्ण शराब बंदी है। इससे बेशक आमतौर पर इन राज्यों को जनता और खासतौर से जनजातियों की हालत में सुधार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा मिज़ोरम में शराब की दुकानें नहीं हैं। राजस्थान के कुछ जिलों में पूर्ण शराब बंदी लागू है।

8.19 ऊपर दिये गये दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर कुछ राज्य सरकारों ने धीरे-धीरे नई आबकारी नीति पर अमल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वह इस प्रकार है :-

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सितम्बर, 1977 में निकाले गये आदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में "अरीक" की दुकानें सिर्फ जनजातियों की सहकारी समितियों को ही आबंटित की जायेगी। जहाँ जनजातीय सहकारी समितियों को दुकानें आबंटित करना संभव न हो, वहाँ उन्हें नीलाम किया जाये और नीलामी में सिर्फ जनजातीय लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। जहाँ जनजातीय आबादी 50 प्रतिशत से कम हो, वहाँ "अरीक" की दुकान देने में जनजातीय सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी। अगर वे दुकानें लेने में असफल रहें तो उनकी खाली नीलामी की जायेगी।

असम

ठेकेदारों के जरिये शराब नहीं बिकती। विक्रेता को आमतौर पर बिक्री की निश्चित फीस पर पट्टा दिया जाता है और उसे शराब की सप्लाय सरकारी गोदामों से की जाती है। जिन मैदानी भागों में मिश्रित जनजातीय आबादी है, शराब सरकारी दुकानों पर बिकती है। फिर भी, सरकार धीरे-धीरे पूरे राज्य में शराब बंदी करना चाहती है। पहले दौर में चार जिलों में शराबबंदी लागू की गयी है।

मणिपुर

राज्य सरकार ने सिर्फ जनजातियों द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत शराब उतारने के कानून बनाये हैं। देसी शराब पूरी तौर पर बंद कर दी गयी है और वस्तुतः ठेकेदारों को शराब बेचने की इजाजत नहीं है। जैसे ही देसी शराब उतारने की परियोजना अमल में आयेगी, शराब की बिक्री लाइसेंस-शुदा व्यक्ति ही करेंगे।]

हिमाचल प्रदेश

1 अप्रैल, 1978 से जनजातीय क्षेत्रों में सभी शराब की दुकानें बंद कर दी गयी हैं। जनजातियों को बरेलू खपत के लिए २०.5 के नाममात्र वार्षिक शुल्क पर हल्की शराब उतारने की इजाजत है। इसके अलावा उन्हें प्रति लाइसेंस 25 रुपए वार्षिक देकर फली तथा अनाज से कड़ी शराब उतारने की भी इजाजत है।

उड़ीसा

कोरापुट, मयूरभंज तथा सुन्दरगढ़ के अनुसूचित जिलों में 1 अप्रैल, 1978 से ठेके से शराब की बिक्री की प्रथा समाप्त कर दी गयी है और इस क्षेत्र की 180 दुकानें बंद कर दी गयी हैं। किणु जिला परगना तथा तहसील मुख्यालयों, अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों, म्युनिसिपल तथा खदान क्षेत्रों तथा शहरी प्रकृति के स्थानों में शराब बेचने की ठेकेदारी प्रथा पहले की तरह चलती रहेगी। जनजातियों को सिर्फ बरेलू इस्तेमाल के लिए शराब उतारने की इजाजत है।

मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश सरकार ने पहले नई आबकारी नीति लागू कर दी थी और उसमें बस्तर, सरगुजा, झाबुआ, मंडला जिले तथा रायगढ़ जिले की जसपुर तहसील शामिल थे। 1 अप्रैल, 1978 से इसे रायपुर, बिलासपुर, सौधी जिलों तथा पूरे रायगढ़ जिले में लागू कर दिया गया।

बिहार

राज्य सरकार ने उप-योजना क्षेत्र के बाहर के प्रखंडों में, जहाँ जनजातियों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, 1 अप्रैल, 1978 तक के लिए देसी तथा भभके की शराब, ताड़ी तथा पंचवाड़ी की 407 दुकानें बंद कर दी हैं। रांचा, सिद्धभूम, पलामू तथा मधाल परगना के उपयोजना क्षेत्रों में ठेके से शराब की बिक्री उन सभी ग्राम पंचायतों में बंद कर दी गयी है, जहाँ बहुसंख्यक आबादी जनजातियों की है। जिन प्रखंडों की पंचायतों में जनजातियों की आबादी 50 प्रतिशत से कम है, वे इसके अपवाद माने गये हैं और उन पंचायतों में भभके की शराब की 41 दुकानों को कारखानों की शराब की दुकानों में बदल दिया गया है। इसके अलावा शराब बंदी की आम नीति पर अमल के पहले चरण में राज्य सरकार ने जनजातीय उप-योजना क्षेत्र की शराब तथा नशीले पदार्थों की 172 दुकानें बंद कर दी हैं।

8.20 ऊपर दी गयी सूचना से यह स्पष्ट हो जायेगा कि मध्य-प्रदेश तथा उड़ीसा के कतिपय जनजातीय क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों की नयी आबकारी नीति पर अमल किया गया है। यदि उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों, मध्य भाग के कतिपय नगरों में ठेके की प्रथा से शराब की बिक्री चालू रही तो शराब के ठेकेदारों से जनजातियों के शोषण को रोकना संभव नहीं होगा। यह भी देखा गया कि बिहार में हटाये गये शराब के ठेकेदार अवैध शराब बहाकर तथा पड़ोस के क्षेत्रों से घनी शराब लाकर फिर जम गये हैं। इसके अलावा स्वयं जनजातियाँ भी न सिर्फ अपनी खपत के लिए बल्कि स्थानीय बाजार में बेचने के लिए भी शराब बनाती हैं। ठेकेदार इस स्थिति का और भी लाभ उठाते हैं और जनजातियों के नाम पर व्यापार चला रहे हैं। राज्य सरकार भी मानती है कि शराब की दुकानें बंद करने से जनजातियों का शराब पीना कम नहीं हुआ है बल्कि इसके विपरीत अवैध शराब बनाने के 1976-77 में 9821 मामलों से बढ़कर 1977-78 में 13029 मामले हो गये हैं।

8.21 इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय आबादी 50 प्रतिशत से भी कम हो, उनमें भी भभके से शराब उतारने की कोई गुंजाइश छोड़े बगैर शराब की बिक्री तत्काल बंद कर दी जाये। सिद्धांत रूप में कई क्षेत्रों से भभके से उतारी शराब बंद कर देने के बावजूद वह सप्लाय की जाने वाली शराब का रूप ले चुकी है। चार वर्षों में पूर्ण नशाबंदी के निर्णय का उपयोग जनजातीय क्षेत्रों से शराब की व्यापारिक बिक्री को पूर्णतया समाप्त करने में किया जाना चाहिए। सरकारी प्रयत्नों को तभी सफलता मिलेगी जब जनजातियों की शराब पीने की आवृत्ति छुड़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का भी उपयोग किया जायेगा।

वन

8.22 यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बहुत से क्षेत्रों की जनजातीय अर्थ-व्यवस्था वनों पर आधारित है। बहुत से जनजातीय समुदाय खेतों, पशुपालन, लकड़ी काटने तथा वन्य उत्पादों का संग्रह करके निकटवर्ती बाजार में बेचने के काम में लगे हैं। रेलवे, जहाज निर्माण, कागज तथा दूसरे उद्योगों की औद्योगिक आवश्यकताओं से वन समाप्त से हो गये हैं। वास्तव में वनों के उत्पादक क्रिया-रूप लक्ष्यपूर्णता बड़े पैमाने के उद्योगों की जरूरतों से जुड़े रहे हैं। स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वन्य उत्पाद वृक्षों को लगाने का बहुत कम काम हुआ है। इस के साथ ही वन विभागों द्वारा वन्य सम्पत्ति की रक्षा तथा छोटे वनों के उत्पादों के राष्ट्रीयकरण के नाम पर प्रशासनिक प्राधिकारियों ने अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों पर पर्याप्त प्रतिबंध लगा दिये हैं। परिणामस्वरूप सारे देश में वन विभागों तथा जनजातीय आबादी के बीच प्रतिरोध की स्थिति है। जनजातीय लोगों को या तो वन विभाग के अधीन अथवा ठेकेदारों या वन भूजूर सहकारी समितियों के अधीन काम करना पड़ता है। यह देखा गया है कि राज्य के वन विभागों के लाभार्जन में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन वनों में रहने वाली जनजातियों की दशा में सुधार नहीं हुआ है। इसलिए वृक्षारोपण के सभी कार्यक्रमों में उन पारंपरिक वृक्षों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, जिनसे जनजातियों को छोटे वन्य उत्पाद तथा आमदनी के दूसरे साधन मिलते हैं।

8.23 जनजातियों के छोटे वन्य उत्पादों के संग्रह को अधिकार को बिना किसी संकोच के मान्यता दी जानी चाहिए। इसके लिए जनजातियों से कोई रायल्टी न वसूली जाये। जनजातियों द्वारा संग्रहीत लघु वन्य उत्पादों का लाभकर दाम मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह दाम निकटवर्ति बाजारों में उपलब्ध वस्तुओं से सम्बद्ध होता है। यह एक रोचक बात है कि रिपोर्ट के अधीन वर्ष में वनों से मिलने वाले एक महत्वपूर्ण लघु उत्पाद साल बीज की खरीद बड़े पैमाने पर गठित सहकारी समितियों द्वारा बिहार में (15,000 टन), मध्य-प्रदेश में (96,000 टन) तथा उड़ीसा में (30,000 टन) की गयी। जनजातियों को 40 रु० प्रति क्विंटल का दाम दिया गया। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्यों में जो लघु वन्य उत्पादों की खरीद सहकारी समितियों द्वारा ही की जानी चाहिए। यह देखा गया है कि जनजातियों द्वारा संग्रहीत अखाद्य तिलहन बाहर भेज दिए जाते हैं और विलयक विस्तार संयंत्रों से संसाधित करके उनका साबुन बनाया जाता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में संसाधन संयंत्र लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए निजी सार्वजनिक तथा सहकारी सेक्टरों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की प्राथमिक कार्रवाई की जाये।

8.24 केरल सरकार द्वारा तेल संग्रहकों की सहकारी समिति तथा इलायची उगाने वालों की सहकारी समिति बनाने के प्रयोगों की चर्चा करना उपयुक्त होगा। पालघाट के निकट मालमपुत्रा के उत्तर के आरक्षित वन में जलाने वाली लकड़ियों को इकट्ठा करने के काम में लगे लगभग 600 जनजातीय परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने तथा पूर्ण रोजगार देने के उद्देश्य से, 1976 में इंडियन ओवरसीज बैंक की पहल पर, 120 सदस्यों की मालमपुत्रा गिरिजन सेवा सहकारी समिति गठित की गयी। जनजातीय कल्याण विभाग ने नियमानुसार 3000 रुपए का शेर पंजी अनुदान, 3000 रुपए का शेर पंजी चंदा, 17200 रुपए का कार्यशील पंजी अनुदान तथा 1800 रुपए की व्यवस्थापकीय सहायता मंजूर की। बैंक ने समिति का सदस्य बनने तथा विभिन्न व्यापारियों की कर्ज अदायगी के लिए जनजातीय लोगों को ऋण दिया। वनों के क्षेत्र से गैर-जनजातियों को अलग रखा गया जिससे

जनजातीय सदस्य संग्रह का एकमात्र अधिकार भोग सकें। सहकारिता उन्हें ईंधन पदार्थों की ज्यादा कीमतें दिलाने में, उपभोक्ता ऋण देकर तथा ईंधन व्यापार के बिचौलियों को समाप्त करके उनकी मदद कर रही है। नवम्बर 1976 में समिति ने तमिनालिया बेलठिका तथा मधु वगैरा जैसे लघु वन्य उत्पादों का संग्रह तथा विक्रय करके लाभ कमाया। समिति ने मार्च 1977 में भी शहद की बिक्री से अच्छा लाभ कमाया। यद्यपि समिति संचित राशि तथा कोष के अभाव में कुछ दिक्कतें उठा रही है तथा वित्तीय सहायता पाने में कठिनाई का सामना करती बसायी गयी है, फिर भी, वह अपना कारोबार बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है तथा उसके सदस्यों ने आमतौर पर स्वीकार किया कि उनकी हालत पहले से अच्छी है।

8.25 केरल के पालघाट जिले के मुन्नर परगने के इमलक्कुडी के आरक्षित वन के 250 परिवारों की सहायता करने के लिए, इलायची तैयार करने तथा बाजार तक पहुंचाने हेतु, ऋण सुविधाएं देने तथा बाहरी व्यापारियों का शोषण समाप्त करने के लिए देविकोलम गिरिजन सेवा सहकारी समिति गठित की गयी। इससे पहले व्यापारी इन वनों में आकर इलायची को उच्च उठा ले जाया करते थे और जनजातीय उसकी कीमतों को बिलकुल नहीं जानते थे। यह सिलसिला दशकों से जारी था और व्यापारी सारा लाभ ले रहे थे। केरल राज्य विकास निगम इलायची को सप्लाई के ठेके पर समिति को धन देने के लिए सहमत हुआ। समिति को 13 लाख रुपए अग्रिम दिया गया था। बताया गया है कि समिति ने निगम को लगभग 9 लाख रुपए की इलायची इकट्ठी करके सप्लाई की। समिति के पास अभी 6,64,000 रुपए का 4150 किलोग्राम माल पड़ा हुआ है। इस सहकारी समिति की स्थापना से एक वर्ष के अंदर ही जनजातीय समुदाय के जीवन में काफी अंतर आया है। रिपोर्ट के समीक्ष्य वर्ष में कुल 15 लाख रुपए का कारोबार हुआ और हर परिवार को 5200 रुपए की औसत आमदनी हुई। इस क्षेत्र के अंदर ही इलायची साफ करने का एक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। सहकारी समिति की नीतियां निश्चित करने के लिए एक खरीद सलाहकार बोर्ड गठित कर दिया गया है। लघु वन्य उत्पादों के व्यापार को संघटित करने से जनजातियों को होने वाली अच्छी आमदनी का यह एक दिलचस्प प्रयोग है। केरल सरकार द्वारा चलाये गये इन दोनों प्रयोगों से लघु वन्य उत्पादों के व्यापार को संघटित करके सबसे कमशोर जनजातियों की आर्थिक दशा में सुधार कर सकने का विश्व-निर्देश मिलता है। इसलिए दूसरी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी सहकारी समितियों के जरिये लघु वन्य उत्पादों को संघटित करने में इसी दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव दिया जाता है।

8.26 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने अपने राज्यों के दुर्गम वनों का उपयोग करने तथा सड़कों और मशीनरी वगैरा पर व्यय करने के लिए वन विकास निगम स्थापित किये हैं। यह देखा गया है कि इन निगमों का अकार्य व्यापारिक सुझों पर होता जा रहा है और वन भूजूर सहकारी समिति से फतरानों की प्रवृत्ति बिकसित हो गयी है।

8.27 यह भी सुझाव दिया जाता है कि जल्दी बढ़ने वाली जाति के वृक्ष लगाने को उच्च प्राथमिकता दी जाये, जिनसे चारा, ईंधन की लकड़ी तथा भवन निर्माण एवं ग्रामीणों की सामग्री मिलती है। उत्पादन कार्य ग्रामीण समुदाय की अपनी सहकारी समिति के जरिये होना चाहिए। इस कार्य में उन्हें वन विभाग के तकनीकी कामियों, विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों अनुसंधानकर्ताओं तथा स्थानीय समुदाय के जानकार नेताओं का सहयोग मिलना चाहिए। वन भूजूर सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और न सिर्फ कच्चा माल निकालने के लिए धरन तैयार माल बनाने के

लिए भी उनका सफलतापूर्वक संचालन किया जाये। वन्य उत्पादों के संग्रह करने के जनजातियों के विशेषाधिकार तथा उन्हें, वी जाने वाली रियायतें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पंफ्लेट के रूप में प्रकाशित की जायें और जनजातियों में उन्हें सुपत बंटवाया जाये।

8.28 केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय ने जुलाई 1978 में, जनजातीय अर्थव्यवस्था में वनों के योगदान पर विचार करने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के वन तथा जनजातीय मामलों के प्रभारी मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने विस्तृत क्षेत्रों में वन लगाकर पारिस्थितिकीय संतुलन कायम करने के लिए जनजातियों को शामिल करने पर जोर दिया था। इस काम के लिए एक निर्धारित क्षेत्र में उगने वाले वृक्षों और उनके उपयोग का अधिकार जनजातियों के व्यक्तियों को दिया जाये। सम्मेलन की टिप्पणियां एवं सिफारिशें नीचे दी गयी हैं :—

- (1) वन प्रशासन ने जनजातियों के लिए विशेष चिन्ता नहीं दिखायी है, जिसके वे पात्र हैं।
- (2) वन सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए जनजातीय समुदायों से सिर्फ श्रम-शक्ति ली गयी है लेकिन बिचौलियों के होने से उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है। यह सुझाव दिया गया कि जनजाति को सिर्फ मजदूरी कमाने वाले श्रमिक के रूप में न बरता जाये। वन्य कार्यक्रमों का उद्देश्य वनों में रहने वाली जनजातियों की आर्थिक दशा तथा जीवन में सुधार करना होना चाहिए।
- (3) फल, चारा तथा ईंधन देने वाले वृक्षों का रोपण तेज किया जाना चाहिए। उसमें यह भी प्रावधान किया जाये कि अधिजात परिवार उनके उत्पादों के उपयोग का लाभ उठाते रहें।
- (4) ऐसी स्थितियां पैदा की जायें ताकि जनजातियों के लोग वनों पर निर्भर हो सकें, न कि उन्हें बिलकुल नये स्थानों पर बसाया जाये।
- (5) जो जमीन चाहते हैं तथा रोजगार ढूँढ रहे हैं उन्हें भू-खंड आवंटित किये जायें ताकि वे वृक्ष लगाकर लाभ उठा सकें।
- (6) जनजातियों को वन प्रबंध हाथ में लेने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे ठेकेदारों तथा अन्य लोगों द्वारा शोषित नहीं किये जायेंगे।
- (7) वन सेवा में सम्पत्तित तथा सच्ची सहानुभूति वाले व्यक्तियों को लेना चाहिए।
- (8) यह कहा गया कि 1949 में राज्यों का विलयन पूरा हो गया था, पर वनों की व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई है और उनके कागजात भी बुरी हालत में पड़े थे। जनजातियों के लोगों के लगातार शोषण के लिए भूमि के गलत रिकार्ड जिम्मेदार थे।
- (9) एक वर्ष के अंदर तब वन्य उत्पादों की बिक्री सहकारिता ढांचा कायम करके और जिन क्षेत्रों में सहकारी व्यवस्था न हो, विभागों द्वारा की जानी चाहिए। दो वर्षों के अंतर्गत सहकारिता का ढांचा बनाने की व्यवस्था पूरी की जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि मजदूर सहकारी समितियों को मजबूत बनाने का समर्थन कार्यक्रम होना चाहिए।
- (10) वन-खंडों तथा जनजातीय कल्याण विभागों को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों से अधिकांश लोगों को लिये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह भी पारित किया गया कि राज्यों के भर्ती नियमों में उपयुक्त रियायतें शामिल करनी चाहिए।

8.29 इसमें कोई संशय नहीं कि यह अच्छी सिफारिशें हैं और यदि इन पर गंभीरता से अमल किया गया तो यह वन्य क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की दशा सुधारने में बहुत दूर तक सहायक हो सकती है।

उद्यान कृषि

8.30 विभिन्न जनजातीय विकास कार्यक्रमों पर अमल करने में उद्यानकृषि विकास परियोजना पर उसके महत्व के अनुसार ध्यान नहीं दिया गया है। यह देखा गया है कि उद्यानकृषि कार्यक्रम को पिछवाड़े फलदार वृक्ष लगाने अथवा वन विभाग के वनरोपण तथा वृक्षारोपण परियोजना के रूप में लिया गया है। अधिकांश जनजातीय क्षेत्र कृष्य-जलवायु के योग्य है, जो उद्योगकृषि विकास के लिए भी अनुकूल है। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं का निकट से परीक्षण करने पर प्रकट होता है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए वृक्षों पर आधारित अर्थ-व्यवस्था सर्वोत्तम है। बहुलता से उपलब्ध भूमि को देखते हुए प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र की कृष्य जलवायु स्थितियों के अनुकूल वृक्षों का पता लगाकर उद्योगकृषि को जनजातियों का एक प्रमुख कार्य कलाप बनाया जा सकता है। भूमि कृषकों को बसाने की समस्या के समाधान में भी उद्योगकृषि मददगार हो सकती है।

8.31 उड़ीसा में जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत उद्योगकृषि को दिए गए नए रूप का विशेष वर्णन आवश्यक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 एकड़ से लगाकर 300 एकड़ तक के सघन क्षेत्र चुने गये हैं। नये वृक्षारोपण के लिए पहले स्पष्टतः निजी मानी जाने वाली भूमि ली जाती है। लाभान्वित व्यक्ति गड़वा खोदने, पीछों के गिर्द बाड़ लगावे तथा उनकी देख-रेख वगैरा के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति के सिधे सहयोग से यह निश्चित होता है कि सिर्फ कार्यक्रम से पूर्णतया संतुष्ट व्यक्ति ही उसमें भाग लेंगे। जो कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लेते वे या तो उससे अलग हो जाते हैं या उन्हें परियोजना से सहमत करने के और प्रयास किये जाते हैं। परियोजना के विस्तार प्रयासों में स्थानीय समुदाय के बागवानी वृक्षारोपण को उत्तम बनाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने का ध्यान रखा जाता है। 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर वृक्षारोपण के लिए एक जनजातीय युवक चुना जाता है और उन युवकों को बुनियादी बागवानी का प्रशिक्षण दिया जाता है। वे पीछों, उनकी सभावित बीमारियों, कलम लगाने वगैरा की तकनीकों के बारे में बुनियादी बातें सीखते हैं। इसके अतिरिक्त समुदाय की ओर से उन्हें 50 एकड़ भूमि पर वृक्षों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यह युवक मुख्यतया लाभभोगियों द्वारा ही चुने जाते हैं। इस तरह उनमें वृक्षों की रक्षा तथा विकास के लिए व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो जाती है। इन कार्यों के लिए समुदाय की ओर से उन्हें सिर्फ 90 रुपए मासिक का नाममात्र का भुगतान किया जाता है। उनसे लगभग 3 वर्षों तक यह काम करने की अपेक्षा रखी जाती है, जब तक पीछे पर्याप्त ऊँचे न हो जायें और कलम भी अच्छी तरह न लग जाये।

8.32 इस नवीन बागवानी कार्यक्रम में भाग लेने वाले जनजातियों को गड़वा खोदो, निष्ठी बकलगे तथा निकटवर्ती वन से बाड़-बंदी की साभरी लाने जैसे आवश्यक कार्यों के लिए पूरी मजदूरी दी जाती है, किंतु यह राशि अधिक से अधिक 140 रुपए प्रति एकड़ तक ही हो सकती है। इस तरह उसका श्रम चिरस्थायी सम्पत्ति के रूप में पूंजीभूत हो जाता है। पूरे तीन सालों के दौरान वृक्षारोपण की कुल लागत 250 रुपए प्रति एकड़ आती है। सामुदायिक भूमि के लिए भी इसी तरह के एक विस्तार कार्यक्रम का प्रस्ताव है, जिसमें पूरे स्थानीय समुदाय को शामिल किया जायेगा और स्वामित्व निजी अथवा सामुदायिक होगा। इसलिए अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उड़ीसा के उदाहरण का अनुसरण करने का सुझाव दिया जाता है। संबद्ध विभागों की शीघ्रता से जनजातीय क्षेत्रों के लिए बागवानी के कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। यदि [पहाड़ी क्षेत्रों में वनरोपण

तथा बागवानी की योजना सोच-विचार कर बनायी जाये तो उससे न सिर्फ जनजातियों को बल्कि असंख्य मनुष्यों की जान लेवा बाढ़ों की रोकथाम से सम्पूर्ण समाज को लाभ पहुंचेगा। उत्तर भारत में हाल ही में आयी बाढ़ समाप्त प्राय वनों तथा विनष्ट पहाड़ी ढलानों का परिणाम थी।

8.33 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय के एक अध्ययन दल ने जनवरी, 1978 में मिजोरम का दौरा किया था और उस संघ शासित क्षेत्र में बागवानी विकास की संभावनाओं का अध्ययन किया था। अध्ययन दल का कहना है कि मिजोरम के कुल 21087 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में धान की काश्त तथा बागवानी के अनुकूल क्रमशः 5,27,00 (3 प्रतिशत) हेक्टेयर तथा 2,63,700 (13 प्रतिशत) हेक्टेयर भूमि है। समुद्र तल से ऊंचाई तीन सौ से दो हजार मीटर तक है। वस का विचार है कि यदि संपूर्ण उपलब्ध भूमि पर दो फसली काश्त की जाये तो मिट्टी की उर्वरता में ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न सप्लाई में कमी का चक्र चलता ही जायेगा। चूंकि धान की खेती लायक सिर्फ 3 प्रतिशत भूमि है, इसलिए नवीनतम कृषि तकनीक को अपनाने का कोई तरीका निकालना जरूरी है। मिजोरम की जनजातियों की सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने के विभिन्न कार्यक्रमों में बागवानी विकास का कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत कुल 263700 हेक्टेयर का क्षेत्रफल आता है। यह भी कहा गया है कि मिजोरम में प्रमुख कार्यक्रम के तौर पर 1974-75 से 12,000 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनायी गयी है, पर वहां अनाज की उपज में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है और खाद्यान्नों का अभाव बराबर बना हुआ है। धान की खेती लायक भूमि भीतरी स्थानों पर 5-10 एकड़ के छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई है और सरकार से काश्तकार को मिलने वाली आर्थिक सहायता अपर्याप्त होने से कृषि योग्य बनायी गयी भूमि वर्षों तक लगातार परती पड़ी रहती है। पांचवीं योजना के अंतर्गत भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा बागवानी के कार्यक्रमों पर किये गये व्यय और कार्य का परिमाण निम्नलिखित विवरण से मालूम हो जायेगा :

(लाख रुपयों में)

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | व्यय | | | | कुल |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | 1977-78 | |
| 1 | भूमि को कृषि योग्य बनाना | 23.25 | 34.32 | 63.34 | 44.70 | 165.61 |
| 2 | बागवानी | 2.60 | 0.80 | 2.79 | 12.00 | 18.19 |

चूंकि पूरे वर्ष जलवायु सम-रहती है, इसलिए विभिन्न प्रकार के फलों की फसल के लिए वह बहुत अनुकूल है। झूम कृषि के अंतर्गत अनुमानतः 50,000 हेक्टेयर से 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसे फलों एवं दूसरी नकदी फसलों की काश्त के अंतर्गत लाया जा सकता है। जब तक इस क्षेत्र में बागवानी की स्थायी कृषि नहीं शुरू की जाती, हर साल इस भूमि का बेकार होना निश्चित ही है। यह काश्तकारों को मुददतों पुरानी झूम खेती से हटाने में सहायक होगा। बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बागवानी की परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य कृषि विभाग के रटाफ द्वारा विस्तार कार्य के अंग के रूप में किये जा रहे हैं। इसलिए कृषि विभाग के निदेशक को समग्र देख-रेख के अधीन बागवानी का स्वतंत्र निदेशालय प्रारंभ करने का सुझाव दिया जाता है और विभिन्न फलों/फसलों के पौधे लगाने के लिए क्षेत्रानुसार भूमि के चुनाव का काम हाथ में लिया जाना चाहिए।

औद्योगीकरण का प्रभाव

सभी जनजातियों के क्षेत्रों की औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र की सूची में शामिल करना तथा उच्च पूंजी सहायता एवं दूसरी रियायतें देना :

8.34 जनजातीय क्षेत्र प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण हैं। यह देखा गया है कि आमतौर पर अन्यत्र लगे उद्योगों में इस्तेमाल के लिए कच्चा माल यहां से बाहर ले जाया जाता है। उद्योगों में पिछड़े क्षेत्रों में, उद्योग लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए, पूंजीगत सहायता तथा अन्य प्रेरकों जैसी कई वित्तीय रियायतें दी जाती हैं। फिर भी, यह आश्चर्यजनक है कि मध्यप्रदेश के बस्तर और उड़ीसा के फूलवनी जैसे पिछड़े जिलों को उद्योगों में पिछड़े जिलों की सूची में नहीं शामिल किया गया है। इसलिए जनजातीय क्षेत्रों के सभी उप-योजना क्षेत्रों को पूंजी सहायता के लिए सूची में शामिल किये जाने का सुझाव दिया जाता है ताकि जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उच्चसी आकृष्ट हो सके। वस्तुतः जनजातीय क्षेत्रों में उच्चतर सहायता दी जानी चाहिए।

8.35 स्वाधीनता के बाद हिन्दुस्तान इस्पात परियोजना, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र तथा उड़ीसा के किरिबूर में खदान समूह एवं मध्य प्रदेश में बैलाडीला जैसे बड़े सैक्टर के उद्यम स्थापित किये गये। यह देखा गया कि इन बड़े उद्योगों/खदान समूहों की स्थापना से इनके आसपास रहने वाले जनजातीय लोगों के हितों को बढ़ावा नहीं मिला है और सरकारी तथा निजी क्षेत्र की यह परियोजनाएं बड़े पैमाने पर गरीबी के बीच सम्मनता के द्वीप-समूह बन गये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा औद्योगिक उद्यमियों का वित्तीय साधनों और अपनी औद्योगिकी द्वारा स्थानीय स्रोतों के अधिक से अधिक उपयोग पर प्रभूत्व रहा है। जहां तक औद्योगीकरण का सवाल है, जनजातियां अपेक्षाकृत आदिम अवस्था में होने के कारण तीव्रतर गति के परिवर्तनों की अभ्यस्त नहीं थीं। इसलिए नई स्थिति में उन्होंने अपने को असहाय पाया। इस असमान प्रतिस्पर्धा में वे मजबूत तंत्र द्वारा रौंद दिए गए प्रतीत होते हैं। मध्य भारत के जनजातीय इलाकों में हो रहे औद्योगिक विकास के कारण उस क्षेत्र का तंजी से नगरीकरण हो रहा है। यह देखा गया है कि इस प्रक्रिया में स्थानीय साधनों पर परम्परागत अधिकार भोगने वाले समुदाय अपने अधिकार खो बैठे हैं। यद्यपि इन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि का उन्हें मुआवजा दिया गया होगा, पर उनके पुनर्वास के समुचित कार्यक्रमों के अभाव में मुआवजों से प्राप्त रकम को उन्होंने आमतौर पर उड़ा दिया होगा। इसके अतिरिक्त दिया गया मुआवजा जनजातियों की नजर में कल्प साधनों की तुलना में महत्वहीन था।

जनजातियों का उच्चशिक्षण तथा कौशल बढ़ाने के प्रबन्ध एवं उन्हें गौण तथा टैरटियरी सेक्टरों में शामिल करना :

8.36 किसी औद्योगिक समूह की स्थापना से गौण तथा टैरटियरी सेक्टर के रोजगार के पर्याप्त अवसर खुलते हैं। दुकानें खोलने तथा विभिन्न वस्तुओं की मांग करने के नये अवसरों का लाभ दिलाने के लिए जनजातियों को प्रोत्साहित करने की सजग नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। जनजातियों के उच्चशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए और यह प्रशिक्षण उद्योगों के लगने से पहले दिया जाना चाहिए।

8.37 इन परियोजनाओं की स्थापना से उत्पन्न एक समस्या यह है कि परियोजनाओं की स्थापना के बाद आने वाले गौण प्रवासियों ने सब्जी उगाने, डेरी फार्मिंग इत्यादी पुरक आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दीं और जनजातियों को और भी घने जंगलों में धकेल दिया।

कुछ समय पश्चात जनजातियों का कौशल समन्वित करने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए कबज उठाना आवश्यक है। कृशल व ग्रथ-कृशल कामगार के रूप में स्थायी रोजगार देने के लिए काम के साथ-प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है। उद्योग समूहों के पष्ठ प्रवेशों में सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा का सघन कार्यक्रम हाब में लिया जाना चाहिए।

जमशेदपुर की घटना

8.38 जमशेदपुर की हाल की घटनाओं से विदित हो गया है कि उद्योग समूहों की स्थापना से जनजातियां न केवल विस्थापित हो गयी हैं, वरन् परियोजना की स्थापना के कई वर्षों बाद भी जनजातीय लोग बहुत हद तक संतोषजनक रोजगार न मिलने की समस्या से लगतातर पीड़ित रहे हैं। 16 अगस्त, 1978 को जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन स्टील लिमिटेड में घटित घटना प्रमुखता से अखबारों में छपी तथा उस पर संसद में भी बहस हुई। रिपोर्टों में बताया गया है कि निकटवर्ती क्षेत्र की गरीब जनजातियां भट्टी से निकले गरम लोह-चून से लोहे के टुकड़े निकाला करती थी। इससे पहले की एक घटना में दो व्यक्ति गरम लोहे के टुकड़े उठाते हुए बुरी तरह जल गये थे, जो बाद में मर गये। इसके बाद टिस्को के प्रबंधकों ने कोई 7 या 8 साल पहले लोह-चूनका पट्टा देने का निर्णय किया। ठेकेदार बड़े डम्परो में भरकर लोह-चून को कारखाने के दरवाजे से काफी दूर जमशेदपुर के उपनगर बाबूडीह जैसी जगहों को ले जाया करते थे। ठेकेदारों के आदमी लोह-चून से टुकड़े निकाल कर जमशेदपुर तथा दूसरी जगहों के लोहे के बड़े व्यापारियों को बेचा करते थे। इस तरह की चुनाई के बाद भी बची डेरियों में से बहुत छोटे लोहे के टुकड़े निकटवर्ती क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग चुन कर स्थानीय व्यापारियों को बेचा करते थे। इस बिन्नी से उन्हें 4 या 5 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिल पाती थी। चूंकि जनजातियों तथा अन्य लोगों को डेर से लोहे के टुकड़े चुनने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, इसलिए ठेकेदारों के आदमी उन्हें तंग किया करते थे। 16-8-1978 को मिली रिपोर्ट में बताया गया है कि राजधानी भट्टा के डेर से सुबह के समय कोई 100 से 150 महिलाएं, बालक तथा बालिकाएं लोहे के टुकड़े चुन रहे थे। दिन के 12 बजे के करीब भूजालियों से लैस ठेकेदार के आदमियों ने चिल्लाना और वहां जमा लोगों को पीटना शुरू कर दिया। उनमें कुछ तो बच निकले पर 25 लोग नदी की ओर गये। ठेकेदारों के आदमियों ने उनका पीछा किया। जब जनजातीय लोग सुवर्णरेखा नदी और नाले की संश्लेषण पर पहुंचे तो उनके बचने का कोई रास्ता न रहा। ऐसा कहा जाता है कि ठेकेदार के आदमियों ने उन्हें पीटना और लबालब भरी नदी में फेंकन-शुरू कर दिया। उनमें से कुछ तो नदी पार कर गये, पर कई डूब मरे। दो अनुसूचित जाति, दो अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को इस तरह कुल पांच लाख बरामद हुई। राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और 22 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। प्रत्येक प्रभावित परिवार को धोतियां, 15 दिम का राशन तथा मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5,000 रुपए दिये गये। इस घटना के बाद भी टिस्को द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही आश्चर्यजनक है। यह भी मालूम हुआ है कि बाबूडीह गांव के निवासी वहां टिस्को के अधीन चल रहे डेरी फार्म की जगह के मूल निवासी होने का दावा करते हैं। हो सकता है कि उनके माता-पिता को मुआवजा दिया गया हो पर अब उनके पास आज्ञिका का कोई सहारा नहीं था, इसलिए इन गांवों के लोगों के पास लोहे के

टुकड़े चुनने के अलावा जीवन-यापन का कोई और उपाय नहीं था। विस्तृत जांच-पड़ताल की गयी और रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी गयी। तत्काल ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं :-

- (1) लोहे के टुकड़े चुनने वाले लोगों की सहकारी समिति गठित की जा सकती है और टिस्को को समिति से कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए।
- (2) वहां रहने वाले बच्चों में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के सघन प्रयास किये जायें और प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाये।
- (3) पेय-जल तथा दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध की जायें।
- (4) वहां के निवासियों को डेरी-फार्मिंग तथा मूर्गीपालन का काम शुरू करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- (5) जनजातियों तथा स्थानीय आबादी के विकास के लिए टिस्को, जनजातीय कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यक्रम बनाने चाहिए।
- (6) भय है कि मामले की जांच तथा फिर सेशन कोर्ट में उस पर होने वाले विचार के दौरान बहुत से भीके के गवाहों को ठेकेदारों के आदमी कुत्सा कर अपने पक्ष में न कर जें। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि प्रत्यक्षदर्शियों तथा आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली जनता को पुलिस सुरक्षा की बहुत सख्त ज़रूरत है।

8.39 जमशेदपुर की घटना कोई अकेली घटना नहीं है। विभिन्न राज्यों में परियोजना क्षेत्रों के आसपास रहने वाले ग्रथिकांश जनजातीय लोग बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश के ग्रथोगीकरण तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे ग्रथोगीकरण के पुराने क्षेत्रों के पहले ही जनजातीय आबादी को प्रभावित कर रखा है। अभी हाल तक वे अलग-थलग और सजातीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। नये ग्रथोगिक नगरीकरण ने जनजातीय जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है तथा अम बाजार में आने वाले प्रवासियों से उन्हें स्पर्धा करनी पड़ रही है। इन प्रोजेक्ट स्थानों में उपलब्ध नये भवसरो का लाभ उठाने के लिए ये लोग प्रशिक्षित नहीं हैं।

ग्रथोगिक तथा दूसरी परियोजनाओं के निर्माण से विस्थापित लोगों का पुनर्वास

8.40 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त की पहले की रिपोर्टों में यह सिफारिश की गयी है कि विस्थापित जनजातीय आबादी का स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना प्रोजेक्ट प्राधिकारियों का कर्तव्य होना चाहिए। उन्हें भरसक वैकल्पिक कृषि भूमि पर बसना चाहिए और नई परियोजनाओं में रोजगार पाने के योग्य बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। इस सिलसिले में सभी राज्य सरकारों को परियोजना निर्माण से विस्थापित जनजातीय लोगों की पुनर्वास सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करने को कहा गया था। रिपोर्ट के अधीन वर्ष में राज्यों से अत्यल्प सूचना प्राप्त हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र तथा केरल के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना नीचे सारणी में दी गयी है :-

| राज्य | वर्ष | अनुसूचित जनजातियों के विस्थापित परिवारों की संख्या | विस्थापित किये स्थान का क्षेत्रफल | अनुसूचित जनजाति के पुनर्वासित परिवारों की संख्या | आवृत्त भूमि का क्षेत्रफल |
|------------|---------|--|-----------------------------------|--|--------------------------|
| गुजरात | 1975-76 | 2923 | 14599.68 | 1995 | 5224.07 |
| महाराष्ट्र | 1976-77 | 1127 | 2364.75 | 797 | 312.23 |
| केरल | 1973-74 | 41 | 98.42 | 27 | 61.80 |

परियोजना के पृष्ठ प्रदेशों का उनके अंग के स्वरूप में विकास

8.41 यह एक उत्साहवर्धक बात है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट की मलजखंड तांबा परियोजना में मलजखंड के प्रस्तावित स्थल के आसपास के क्षेत्र में लगभग 20,000 जनजातीय परिवारों का पता लगाया गया है। प्राधिकारियों ने अधिकांश नये अवसरों को स्थानीय जनजातियों के लिए आरक्षित करने का निश्चय किया है। नई परियोजना की कौशल सम्बन्धी जरूरतों का अनुमान लगा लिया गया है, जिससे क्षेत्र की जनजातियों को नये काम का प्रशिक्षण दिया जा सके। जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले सभी नवोदय उद्योगों के मामले में इस नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि नए उद्योगों की कुशल अम-शक्ति में जनजातियों का प्रतिनिधित्व महत्वहीन-सा है इसलिए उच्चतर कुशल कार्यों के जनजातियों को प्रशिक्षित करने का उपयुक्त तरीका निकालना जरूरी है जिससे वे विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त संख्या में भाग ले सकें। इस कार्य में राज्य सरकार पहल कर सकती है। उसे देखा चाहिए कि इन क्षेत्रों की जनजातियों की औपचारिक प्रशिक्षित संस्थानों में अधिकतम भर्ती की जाये। निजी उद्योगों द्वारा भूमि हथियाना।

8.42 अपने विस्तार कार्यक्रम की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र के उपक्रम सस्ती दर पर भूमि हथियाने के सभी हथकंडे अपनाते हैं। उड़ीसा के कोरापुट जिले के रायगडा परगने में एक निजी मिल-मालिक द्वारा कथित भूमि हथियाने का एक मामला इस संगठन की जानकारी में आया है। कहा जाता है कि यह मिल 1972 में स्थापित की गयी थी और वह अब अपने कार्य-कलाप बढ़ाने के लिए और भूमि चाहते हैं। जब जनजातियों ने सस्ते दर पर अपनी बची हुई भूमि को बेचने से नकार कर दिया, तब मिल के अधिकारियों ने अपने क्ल-क्ल के साथ जनजातियों को कुछ रुपये तथा शराब बाँटी और उन्हें अपनी भूमि को सस्ती दर पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया। इस मामले पर राज्य सरकार से सम्पर्क किया गया है और अभी इस पर उसके उत्तर को प्रतीक्षा है। यह जानकारी भी मिली है कि उड़ीसा के राउरकेला में जनजातियों की भूमि संक्रामित कर ली गयी है। इस मामले में कतिपय राजनेताओं पर अनेक आरोप लगाये गये हैं। इस मामले में भी राज्य सरकार से सम्पर्क किया गया है और उसके उत्तर की भी प्रतीक्षा है।

8.43 ऊपर के सामग्री में उन स्थितियों का स्पष्ट आभास मिलता है जिनमें इन क्षेत्रों के मूल निवासी भाषाघीन जीवन बिता रहे हैं और विभिन्न कानूनों के बावजूद जनजातियों की भूमि संक्रामित कर ली जाती है। इसलिए यह सझाव दिया जाता है कि जो निवासी यह दावा करें कि वे मूल विस्थापित लोग हैं, उनकी ओर से जिला प्रशासन उनकी भूमि तथा हितों की रक्षा की कार्रवाई करे। अनुसूचित क्षेत्रों के उत्तम प्रशासन के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को इस का पक्का ध्यान रखना चाहिए कि इन क्षेत्रों के शोषक तत्वों को प्रभावकारी ढंग से रोक-थाम की जाये। राज्य सरकारों को भी इन क्षेत्रों में जनजातियों को पूरक आर्थिक कार्य-कलाप करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि विभिन्न परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण उनके लिए विस्तृत कार्यक्षेत्र बना है। इन परियोजनाओं को तभी अंतिम स्वीकृति दी जानी चाहिए, जब यह सुनिश्चित हो जाये कि परियोजना के कार्यक्रमों में वहां के पृष्ठ प्रदेशों के विकास के तमाम पहलुओं को शामिल कर लिया गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर अनुसंधान :

8.44 जनजातीय जीवन-पद्धति का अध्ययन करने तथा सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं एवं उपायों के प्रभाव एवं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की प्रकृति तथा गंभीरता का सर्वेक्षण

करने के लिए देश में सोलह जनजातीय शोध संस्थान कार्यरत हैं। वे जनजातीय संस्कृति पर क्रियाभिमूख शोध तथा जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामियों के प्रतिक्षण का भी कार्य करते हैं। इनमें से लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, पूणे, कलकत्ता तथा शिलांग स्थित सिर्फ छह संस्थानों द्वारा भेजी गयी सूचना परिशिष्ट-61 में दी गई है। अपेक्षित सूचना के अभाव में इन संस्थानों के कार्यालय का आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यह आशा जाती है कि जनजातीय शोध संस्थान भविष्य में ज्यादा जिम्मेदार होंगे। फिर भी, उपलब्ध सूचना तथा भ्रमणों में एकत्र की गयी जानकारी के आधार पर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड इन छह राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इन दो संघ शासित क्षेत्रों में अपने क्षेत्रविकारी में पढ़ने वाले जनजातीय शोध संस्थानों के स्तर सुधारने का कारगर उपाय नहीं किये हैं। ऐसे अधिकांश संस्थानों में कामियों की संख्या कम है और इसलिए वे अनुसंधान-अध्ययन का कार्य करने में असमर्थ हैं। फिर भी, जनजातीय क्षेत्रों के लिए उप-योजना की तबीन अवधारणा के संदर्भ में जनजातीय शोध संस्थानों का कार्य बहुत हद तक बढ़ गया। इसके साथ ही अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनका मूल्यांकन करने में उनका कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शोध कार्य के अलावा ये संस्थान जनजातियों के कल्याण कार्यक्रमों में लगे सरकारी एवं गैर-सरकारी कामियों के प्रशिक्षण-अभिमूख पाठ्यक्रम चलाते हैं। जनजातीय शोध संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनसे अपेक्षित भूमिका को ध्यान में रखकर संस्थानों में न्यूनतम तकनीकी जमता लाने के लिए संस्थानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

8.45 जनजातीय शोध संस्थानों की समीक्षा करने तथा उनके शोध कार्यक्रमों के अपनाने पर सुझाव देने के लिए नवम्बर 1972 में केन्द्रीय शोध सलाहकार परिषद का गठन किया गया। अब तक परिषद की तीन बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक 26 जून, 1976 को हुई थी। हमारी पिछली रिपोर्ट में परिषद के सुझाव दिये जा चुके हैं। इस बात को दो वर्ष बीत गये हैं परन्तु परिषद की बैठक अभी होनी है। इसलिए प्रत्येक छह महीनों में परिषद की बैठक अनिवार्यतः होनी चाहिए ताकि संस्थानों की समीक्षा तथा आगे किये जाने वाले शोध के विषय में नई विशा-निर्देश दिया जा सके। यहां यह कहना भी उपयुक्त होगा कि प्रत्येक संस्थान में शोध सलाहकार समिति भी अपेक्षित है, जो सम्बन्धित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर शोध योजना का आधार-सूत्र निर्धारित करे। परन्तु यह देखा गया है कि कोलकाता, कलकत्ता, पूणे, शिलांग, कोहिमा तथा ऐजल स्थित संस्थानों में ऐसी समितियां गठित नहीं की गयी हैं। आशा की जाती है कि इस विशा में भी कदम उठाये जायेंगे।

8.46 जनजातीय शोध संस्थानों के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के मानववैज्ञानिक एवं समाज-वैज्ञानिक भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। यद्यपि यह अध्ययन अधिकांशतः शैक्षणिक महत्त्व के हैं, फिर भी काफी हद तक उपयोगी हैं। इस सिलसिले में उल्लेखनीय है कि विकास के नये प्रयत्नों के चलते गृह मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया के गहन अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शोधवृत्तियां प्रारंभ की हैं। आशा की जाती है कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के विद्वान अपने अकादमिक स्तर को उंचा उठाने और साथ-साथ अपने शोध कार्य से सरकार की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध समस्याओं को समझने में मदद देने में इस सुविधा का लाभ अवश्य उठावेंगे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश के सोलहों जनजातीय शोध संस्थानों में कोलकाता स्थित जनजातीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जिसे मानवविज्ञान में उच्च स्तरीय

शोध के केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। वहाँ छह शोध छात्र विभिन्न जनजातीय समस्याओं तथा जनसंख्या के कमजोर वर्गों की समस्याओं को लेकर मानव विज्ञान में पी०एच०डी० उपाधि के लिए शोध-कार्य कर रहे हैं। अशा की जल्दी है कि अनेक छत्र जनजातीय समस्याओं का अध्ययन करने की ओर आकृष्ट होंगे। यह सुझाव दिया जाता है कि जनजातीय शोध संस्थानों को अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों के समाज-विज्ञान विभागों से सम्पर्क कायम करना चाहिए ताकि छात्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का अध्ययन का

8.47 समाज-विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली बहुत-सी दूसरी एजेंसियां भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर शोध-कार्य में संलग्न हैं और प्रशासन को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की नीतियां बनाने में मदद कर रहे हैं। संस्थानों की सूची परिशिष्ट-62 में दी गई है। रिपोर्ट के अगले वर्ष में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इन संस्थानों द्वारा किये गये शोध कार्य की जानकारी

परिशिष्ट 63 में देखी जा सकती है।

8.48 यह देखा गया है कि देश के आर्थिक प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भाग लेने से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि जनजातियों शोध कार्य में लगे संगठनों तथा जनजातियों शोध संस्थानों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में प्रभाव तथा उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन का अध्ययन करना चाहिए। आदिवासी विकास पार्योोजना की क्रियान्वयेन का समर्थन से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध की जा सकती है। बाद के दिनों में यह देखा गया है कि हरिजनों पर कृपाचार की घटनाओं में वृद्धि होती गयी है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जनजातियों शोध संस्थानों इन मामलों के कारणों के निदान के विषय में अध्ययन करें जिससे इन घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने में सरकार की मदद मिल सके।

अध्याय 9

अत्याचार और उत्पीड़न

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार की घटनाओं की खबरें लगभग देश के हर कोने से प्राप्त हुईं। उत्तर में हरियाणा के एक गांव मोर-खेड़ी में अनुसूचित जाति के एक दम्पति की हत्या कर दी गयी थी तो दक्षिण में तमिलनाडु के विल्लपुरम कस्बे में 12 व्यक्ति नृशंखता से मारा गया था। मध्य प्रदेश में 12 व्यक्ति अत्याचारों से मारे गए थे। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के पांचों जिलों में भी यही आग लगी हुई थी, जहां अनुसूचित जातियों/नवबौद्धों के 2 व्यक्तियों को ग्रामोणों ने मोत के घाट उतार दिया था, बहुत से घायल हो गये थे, 1200 घर जला दिये गये थे। इधर पूर्व में असम के कछार जिले से 1800 व्यक्ति अपने गांवों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गये थे, जबकि इस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों पर नियंत्रण करने के बारे में सुझाव

9.2 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपनी 1975-77 वर्षों की रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे :—

- (1) जिन क्षेत्रों में अक्सर अत्याचार की घटनाएँ होती रहती हैं, उनका पता लगाया जाये और अनुसूचित जातियों की स्थानीय सामाजिक आर्थिक शिकायतों को समय पर दूर करने के निरोधी कदम उठाये जायें ताकि इस प्रकार की दुखद घटनाएँ फिर न घटें।
- (2) राजस्व विभाग के विशिष्ट अधिकारियों को देहातो क्षेत्रों में दौरे पर जाना चाहिए और उन्हें अक्सर घटनाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। उनकी रिपोर्टों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और दुखद घटनाओं को रोकने और सामाजिक तनावों को कम करने के लिए समुचित उपाय किये जाने चाहिए।
- (3) पुलिस अधिकारी कानून और व्यवस्था के रक्षक होते हैं और यदि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किये गये अत्याचारों में योग देने के दोषी पाये जायें तो उन्हें ऐसा दण्ड दिया जाये जिससे और अधिकारियों को भी सबक मिले।

- (4) अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के बहुत बड़ी संख्या में दर्ज मामलों पर अदालत में तुरंत मुकदमें चलाये जाने चाहिए और उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जाना चाहिए।
- (5) सामाजिक-आर्थिक अत्याचार से सम्बन्धित मामलों के लिए छद्म (6) सघारण कानून भंग के मामलों से सामाजिक अत्याचार के मामलों को पथक करने के लिए क्रियाविधि में सुधार और प्रमाण-भार, साक्ष्य अधिनियम और अपराधिक पद्धति संहिता में उसी प्रकार समुचित संशोधन किये जाने चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार निरोधी मामलों के लिए किये गये हैं।
- (7) इस बात का दाखिल पंचाक्तों पर डाल दिया जाना चाहिए कि निहित स्वार्थों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को किसी प्रकार की दिक्कतों में न डाला जाये।
- (8) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिक शिक्षा का वास्तविक कब्जा दिलाया जाये।
- (9) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को अपनी फसलें काटने के लिए सामुदायिक स्तर पर पुलिस द्वारा सुरक्षा का पर्याप्त बंदोबस्त किया जाना चाहिए।
- (10) राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने के लिए कायम किया गया तंत्र सुनिश्चित करे कि मजदूरों को निर्धारित मजदूरी मिले।
- (11) आंध्र प्रदेश की सरकार ने अत्याचारों के शिकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जिस प्रकार आर्थिक राहत देने की व्यवस्था की है, उसी तरह की व्यवस्था सभी राज्यों में भी की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की संख्या

9.3 विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों से, गृह मंत्रालय द्वारा एकत्र सूचना के आधार पर तैयार की गयी निम्न तालिका बताती है कि 1976, 1977 और जून, 1978 तक के वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज अपराधों के मामलों की संख्या कितनी है और 1976 की तुलना में 1977 के दौरान अपराधों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है :—

| राज्य का नाम | दर्ज मामलों की संख्या | | | | 1976 से 1977 में प्रतिशत वृद्धि (+) | | | |
|---------------|-----------------------|------|----------|--------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--|
| | अनुसूचित जातियाँ | | 6/78 *तक | अनुसूचित जनजातियाँ | | या कमी (—) | | |
| | 1976 | 1977 | | 1976 | 1977 | अनुसूचित जातियाँ | अनुसूचित जनजातियाँ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| आंध्र प्रदेश | 34 | 102 | 40 | 6 | 19 | (+) 200 | (+) 216.6 | |
| असम | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| बिहार | 621 | 681 | 192 | 14 | उपलब्ध नहीं | (+) 9.6 | .. | |
| गुजरात | 203 | 331 | 398 | 170 | 407 | (+) 63.5 | (+) 139.6 | |
| हरियाणा | 11 | 26 | 25 | 2 | शून्य | (+) 137 | .. | |
| हिमाचल प्रदेश | 15 | 42 | 37 | .. | 1 | (+) 180 | .. | |

*खानों में दिये अंक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए हैं।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|-------|--------|-------|-------------|-------|-----------|-----------|
| जम्मू और कश्मीर | 23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| कर्नाटक | 79 | 59 | 64 | .. | 4 | (—) 25.3 | .. |
| केरल | 254 | 233 | 153 | 30 | .. | (—) 8.5 | .. |
| मध्य प्रदेश | 1829 | 3366 | 2301 | 521 | 147 | (+) 84 | (—) 71.7 |
| महाराष्ट्र | 211 | 570 | 362 | 292 | 406 | (+) 17.6 | (+) 38.7 |
| मणिपुर | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| मेघालय | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| नागालैंड | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| उड़ीसा | 14 | 69 | 81 | 7 | 24 | (+) 392.8 | (+) 242.8 |
| पंजाब | 147 | 84 | 30 | 2 | शून्य | (—) 42.8 | .. |
| राजस्थान | 71 | 261 | 443 | 15 | 103 | (+) 267.7 | (+) 586.6 |
| तमिलनाडु | 18 | 54 | .. | .. | .. | (+) 200 | .. |
| त्रिपुरा | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| उत्तर प्रदेश | 2656 | 4974 | 2661 | 6 | 6 | (+) 87.3 | शून्य |
| पश्चिम बंगाल | 6 | 7 | 1 | .. | .. | (+) 16.6 | .. |
| पाण्डिचेरी | .. | 9 | 8 | .. | .. | .. | .. |
| फर्रुखाबाद और नगरहवेली | .. | 8 | 12 | उपलब्ध नहीं | 21 | .. | .. |
| दिल्ली | 5 | 3 | 4 | .. | .. | (—) 40 | .. |
| गोवा, दमन और दीव | .. | .. | 1 | .. | .. | .. | .. |
| अरुणाचल प्रदेश | .. | .. | 6 | .. | .. | .. | .. |
| योग : | 6,197 | 10,879 | 6,820 | 1,067 | 1,138 | (+) 75.5 | (+) 6.6 |

9.4 अमर की तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि 1976 की तुलना में, 1977 वर्ष में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के मामलों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी। 1977 वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों पर किये गये अत्याचारों के 10,879 मामले दर्ज हुए थे, जो 1976 वर्ष में दर्ज मामलों की तुलना में 75.5 प्रतिशत अधिक थे। 1977 के वर्ष में, अवरोही क्रम में, अधिकतम मामले उत्तर प्रदेश (4,974), मध्य प्रदेश (3,366), बिहार (681), महाराष्ट्र (570), गुजरात (331), राजस्थान (261), केरल (233) और आंध्र प्रदेश (102) में घटित हुए थे। 1978 वर्ष की प्रथम छमाही में 6,820 मामले वृद्धि के रक्षान का संकेत देते हैं। यदि राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचारों के मामलों को बाढ़ को रोकने के लिए कारगर उपाय नहीं किये गये तो आशंका है कि 1977 वर्ष के मामलों की संख्या से, 1978 के दौरान, अत्याचारों के मामलों की संख्या कहीं बहुत आगे न निकल जाये।

9.5 1976 वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किये गये अत्याचारों का राज्यवार और अपराधवार विवरण उपलब्ध नहीं है। किंतु विभिन्न स्रोतों से 1977 की प्रवृद्धि के आंकड़े इकट्ठे करके इस कार्यालय ने इस सम्बन्ध में सूचना तैयार करने का प्रयास किया है। उस सूचना से देखा जा सकता है कि 1977 वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किये गये अत्याचारों के कुल 10,879 मामलों में से 7,851 और 544 मामले ऐसे हैं जिनके बारे में राज्यवार और अपराधवार विवरण उपलब्ध है। यहाँ यह उल्लेख करना संगत होगा कि चूंकि यह विवरण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं, इसलिए केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों को सांख्यिकीय सूचना में मामूली-सी भिन्नताएं हो सकती हैं। आगे जो दो तालिकाएं दी गयी हैं, उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किये गये अत्याचारों के राज्यवार और अपराधवार विवरण क्रमशः दिये गये हैं :—

तालिका—1

1977 के दौरान अनुसूचित जातियों पर किये गये अत्याचारों के राज्यवार और अपराधवार मामलों की संख्या

| क्रमांक | राज्य का नाम | हत्या | हिंसा | बलात्कार | आगबनी | अन्य अपराध | योग |
|---------|----------------|-------|-------|----------|-------|------------|-----|
| 1 | *आंध्रप्रदेश | 6 | 2 | 4 | 8 | 46 | 66 |
| 2 | @बिहार | 20 | 40 | 22 | 32 | 79 | 193 |
| 3 | गुजरात | 18 | 26 | 9 | 16 | 253 | 322 |
| 4 | @हरियाणा | 2 | 3 | 1 | .. | 1 | 7 |
| 5 | @हिमाचल प्रदेश | .. | .. | 1 | 1 | .. | 2 |

*जनवरी से जुलाई तक की सूचना

@जनवरी से जून तक की सूचना

| क्रमांक | राज्य का नाम | हत्या | हिंसा | बलात्कार | आगजनी | अन्य अपराध | योग |
|---------|-------------------|-------|-------|----------|-------|------------|------|
| 6 | @कर्नाटक | 5 | 1 | .. | 1 | 4 | 11 |
| 7 | केरल | 4 | 5 | 2 | 4 | 245 | 260 |
| 8 | @मध्य प्रदेश | 28 | 137 | 36 | 55 | 918 | 1174 |
| 9 | महाराष्ट्र | 12 | 113 | 15 | 19 | 350 | 509 |
| 10 | @उड़ीसा | .. | 3 | .. | 1 | 2 | 6 |
| 11 | @पंजाब | 11 | 19 | 3 | 2 | 12 | 47 |
| 12 | *राजस्थान | 32 | 99 | 19 | 42 | 163 | 355 |
| 13 | †तमिलनाडु | 1 | 5 | 1 | .. | 46 | 53 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | 148 | 506 | 112 | 281 | 3774 | 4821 |
| 15 | पश्चिम बंगाल | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 16 | *दिल्ली | .. | 1 | .. | 1 | 1 | 3 |
| 17 | *गोवा, दमन और दीव | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 |
| 18 | पांडिचेरी | 2 | .. | .. | .. | 7 | 9 |
| | योग | 292 | 961 | 228 | 465 | 5905 | 7851 |

तालिका—2

1977 वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर किये गये अत्याचारों के मामलों की अपराधवार और राज्यवार संख्या

| क्रमांक | राज्य का नाम | हत्या | हिंसा | बलात्कार | आगजनी | अन्य अपराध | योग |
|---------|--------------------|-------|-------|----------|-------|------------|-----|
| 1 | झारखण्ड | 1 | .. | .. | .. | 3 | 4 |
| 2 | *गुजरात | 9 | 27 | .. | 2 | 103 | 141 |
| 3 | *महाराष्ट्र | 3 | 23 | 8 | 2 | 98 | 134 |
| 4 | राजस्थान | 31 | 71 | 10 | 35 | 79 | 226 |
| 5 | †तमिलनाडु | .. | .. | 1 | .. | .. | 1 |
| 6 | *उत्तर प्रदेश | 1 | .. | .. | .. | 3 | 4 |
| 7 | दादरा और नगर हवेली | .. | .. | .. | .. | 34 | 34 |
| | योग | 45 | 121 | 19 | 39 | 320 | 544 |

9.6 ऊपर की तालिकाओं से देखा जा सकता है कि अत्याचार के 8395 मामलों में से 7851 मामले अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित हैं और 544 मामलों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति अत्याचार के शिकार हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुसूचित जातियों के शिकार व्यक्तियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों के अत्याचारग्रस्त लोगों से 14 गुणा अधिक है। 292 हत्या, 960 हिंसा, 228 स्त्रियों से बलात्कार, 465 आगजनी और शेष 7851 मामले विभिन्न प्रकार के अपराधों के थे। अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित 45 हत्या, 121 हिंसा, 19 बलात्कार, 39 आगजनी और 320 अन्य अपराधों के मामले थे। जहां तक राज्यवार स्थिति का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित कुल 7851 मामलों में से 4821 केवल उत्तर प्रदेश में घटित हुए थे। मध्य प्रदेश (1174), महाराष्ट्र (509), राजस्थान (355) और गुजरात (253) राज्यों से अत्याचारों के अपेक्षाकृत अधिक मामलों की सूचना मिली थी। अनुसूचित जनजातियों के अपेक्षाकृत अधिक मामले राजस्थान (226), गुजरात (141), महाराष्ट्र (134) और दादरा और नगर हवेली (34) से सूचित किये गये थे।

9.7 यहां इस तथ्य का उल्लेख करना संगत रहेगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्धन व्यक्ति, अपेक्षाकृत सम्पन्न व्यक्तियों के क्रोध के शिकार हुए थे और वह भी विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में। भूमि सम्बन्धी झगड़े और निर्धारित दरों पर मजदूरी के भुगतान न देना ही इन मामलों के मुख्य कारण थे। इस सम्बन्ध में भूमि, कृषि और आवास शीर्षक अध्याय भी देखिए।

9.8 यहां उस अध्ययन का उल्लेख करना भी उचित होगा, जो 1974 और जून 1976 के बीच की अवधि में गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों के बारे में कराया था। उस अध्ययन में आर्थिक, सामाजिक-धार्मिक और राजनीतिक तनावों को ही हरिजनों पर अत्याचारों के मुख्य कारण स्वीकार किया गया था। आर्थिक कारणों में भूमि सम्बन्धी झगड़े, जबर्जस्त फसल काटना, मजदूरी सम्बन्धी झगड़े, बंधुभा मजदूरी और ऋणप्रस्तुता आते थे। सामाजिक और राजनीतिक तनाव ही बलात्कार, उत्पीड़न, होटल, रेस्तरां जैसी जनोपयोगी सेवाओं के प्रयोग से रोकने वाले अस्पृश्यता अपराधों के प्रेरक कारण हैं। मोटे तौर पर अध्ययन ने स्पष्ट

@जनवरी से जून तक की सूचना

† अगस्त से दिसम्बर तक की सूचना

*जुलाई से दिसम्बर तक की सूचना

झून और जुलाई की सूचना

किया था कि अत्याचारों की इन घटनाओं में से 70 प्रतिशत ऐसे अपराध सामाजिक-धार्मिक कारणों से होते हैं और 27 प्रतिशत आर्थिक कारणों के फलस्वरूप। भूमि के झगड़ों से उत्पन्न घटनाएँ इस प्रकार की घटनाओं (आर्थिक तनाव) की कुल संख्या का 18.6 प्रतिशत थी। जबरन फसल काटने क 7 प्रतिशत, मजदूरी सम्बन्धी झगड़े 7.2 प्रतिशत, बंधुआ मजदूरी सम्बन्धी 7.6 प्रतिशत और ऋणग्रस्तता से उपजे मामले 4.1 प्रतिशत थे। इन मामलों में से 55.5 प्रतिशत मामले विस्तृत सूचना के अभाव में वर्गीकृत नहीं किये जा सके थे। भूमि सम्बन्धी झगड़ों से सम्बन्धित घटनाओं का अधिक अनुपात उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में देखा गया था। जबरन फसल काटने के मामलों/उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अधिक हुए थे। मजदूरी सम्बन्धी झगड़ों की संख्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और गुजरात, में अपेक्षाकृत अधिक थी। बंधुआ मजदूरी से उपजी घटनाएँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अधिक घटित हुई थीं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से ऋणग्रस्तता से उत्पन्न मामलों की सूचना अधिक प्राप्त हुई थी।

9.9 हरण की अधिकतर घटनाओं की सूचना उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई थीं। उसी अनुपात में बलात्कार और बलात्कार-प्रयासों आदि के काफी बड़ी संख्या में मामलों की सूचना मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिली थीं। इस अध्ययन में धार्मिक आधार पर, भेदभाव मूलक कार्यों से उत्पन्न घटनाएँ अधिक अनुपात में उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में घटित बनायीं थीं। इस प्रकार के मामलों की सूचना महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से प्रतिवर्ष अधिक संख्या में मिलती हैं। अध्ययन में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश राज्यों के 124 जिलों की गंभीर रूप से ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। इनमें से उत्तर प्रदेश (6), मध्य प्रदेश (9), गुजरात (5), तमिलनाडु (2), कर्नाटक (4), महाराष्ट्र (6), आंध्र प्रदेश (3), और बिहार (2) राज्यों के 37 जिलों को विशेष रूप से सर्वाधिक ग्रस्त क्षेत्र बताया गया था। निष्कर्ष यह था 1974 और 1976 के बीच की अवधि में देश में सामान्य अपराध-स्थिति में ह्रासोन्मुखी ख़ान देखा गया है अर्थात् अपराधों में कुल 10 प्रतिशत की गिरावट आयी है; किंतु इसी अवधि में पूरे देश में अनुसूचित जातियों पर किये गये अत्याचारों में 41.9 प्रतिशत की चौकाने वाली वृद्धि हुई है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 1974 और 1976 की अवधि में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की दुर्घटनाओं के अंतर्गत गंभीर अपराधों में गिरावट का रुख देखा गया है। 1974 में 8,860 घटनाओं से घटकर 1975 में 7,781 घटनाएँ हुई यानी 12.2 प्रतिशत की कमी आयी। 1976 में इसमें 23.3 प्रतिशत की कमी आयी और घटनाओं की संख्या 5,968 रह गयी थी। 1974 से 1976 तक कुल कमी 32.6 प्रतिशत थी।

9.10 महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र और तमिलनाडु के दक्षिणी अर्काट जिले में विल्वपुरम नामक स्थान पर घटित अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामलों की छानबीन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने स्वयं की थी। उनके साथ उपायुक्त श्री एस० के० कौल भी थे। आगे के पैराग्राफों में उन्हीं घटनाओं का विवरण प्रस्तुत है।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नए नामकरण के मामले पर हुए दंगे

9.11 अगस्त, 1978 के पहले सप्ताह में समाचारपत्रों में प्रेषण करने वाली कुछ खबरें छपी थीं—“मराठवाड़ा में हरिजन युवक की

कुल्हाड़ी से हत्या”, “हरिजन झोंपड़ियों पर मशालों के साथ घावा” और “मराठवाड़ा में हरिजन मुख्य शिकार” अदि-अदि। खबर थी कि मराठवाड़ा के पांचों जिलों में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर स्वर्गीय बी० आर० ब्रम्हेंकर विश्वविद्यालय करने के कारण सर्वत्र हिन्दुओं और नवबौद्धों के बीच भोषण संघर्ष फैल गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को कई स्थानों पर गोली चलायी पड़ी थी और कर्फ्यू लगाया पड़ा था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने, उपायुक्त श्री एस० के० कौल के साथ 11 अगस्त से 14 अगस्त, 1978 तक औरंगाबाद, पारभनी और नांदेड़ जिलों का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों और गैर-अधिकारियों से भेंट की और इन तीनों जिलों से बहुत से उन गांवों का भी दौरा किया, जहाँ ऐसे घटनाएँ घटी थीं। 14 अगस्त को आयुक्त ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार से बम्बई में भेंट की और अपने निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया तथा दंगाग्रस्त क्षेत्र में सामान्य स्थिति लौटाने के लिए अनेक सुझाव भी दिये। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आयुक्त ने अपनी* रिपोर्ट की एक-एक प्रति भेजी थी। रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रेक्षण/सुझाव नीचे उद्धृत किये जाते हैं :—

9.12 मराठवाड़ा क्षेत्र के एक सौ से अधिक गांवों में हुई गंभीर किस्म की दुखद घटनाओं का वर्णन करना कठिन है। इन दारुण घटनाओं को देखने पर ही इनके घटने का विश्वास ही पाता है। नवबौद्ध/अनुसूचित जातियों के अधिकांश प्रभावित परिवार अपने घरों, अनाज, कपड़ों, बर्तनों, चारों और कृषि उपकरणों से वंचित हो चुके हैं। वे नितांत निरसहाय स्थिति में धखेल दिये गये हैं और इनसे कुछ की आटा पीसने की चक्कियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें छीन ली गयीं हैं। लगभग 1,200 मकान जला दिये गये हैं और कुछ एकदम छ्वस्त स्थिति में हैं। भारी संख्या में व्यक्तियों को गंभीर चोटें आयी थीं और वे अस्पताल में भर्ती थे। दंगों के दौरान 6 व्यक्ति मारे गये थे। इनमें से तीन पुलिस की गोलियों से मरे थे और तीन दंगों में। दंगों में मरे तीन व्यक्तियों में से दो नवबौद्ध/अनुसूचित जातियों के थे और उन्हें उनके गांव वालों ने ही मारा था। दंगे में मरा तीसरा व्यक्ति उस्मानाबाद में पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर था। सर्वाधिक दंगाग्रस्त जिले नांदेड़ और पारभनी थे। एक-दूसरे में काफी फासले पर होने के बावजूद सभी गांवों में हमले और आगजनी का कभीबेश एक जैसा तरीका अपनाया गया था, जो संकेत देता है कि इनकी योजना किसी एक ही स्थान पर बनायी गयी होगी। कमजोर वर्गों की बस्तियों पर हमला करने से पहले औरंगाबाद और अन्य क्षेत्रों के बीच संचार-साधनों को भंग कर दिया गया था। रेल, सड़क और टेलीफोन आदि की संचार लाइनें दंगे के पहले लक्ष्य थे।

9.13 गांवों में सभ्य व्यवस्था नाम की कोई वस्तु नहीं रह गयी थी। प्रशासन कतई तैयार स्थिति में नहीं था और वह क्षेत्र में बढ़ते तनाव से पैदा होने वाली स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाया था। जब तनाव की स्थिति अपने पूरे जोर में भड़की, जिसका उन्हें गुमान तक नहीं था, उनके पास तैयार करने के लिए पुलिस के पर्याप्त जवान तक नहीं थे। संभवतः नीचे स्तरों पर प्रशासन में दंगों के रूप में गंभीर रूप से भड़कने वाले सामाजिक-आर्थिक तन्त्रों की बारीकी से समझने का अनुमान लगाने की प्रवृत्ति उनमें है ही नहीं। इस तरह का भड़काव ऊपरी तौर पर जातिगत दंगे का रूप ले सकता है, किंतु यह सांप्रदायिक दंगे की तरह नहीं होता, जहाँ किसी समुदाय के एक अंग की नाजुक रग छू देने भर से ही भयानक हत्याकांड का रूप ले सकता है। आर्थिक-सामाजिक तनावों से उत्पन्न दंगों के पीछे अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक अभिप्रेरक होते हैं, जिनमें वास्तविक परिणाम के लिए वास्तविक क्षति पहुंचायी जाती है। इनके मामले में अधिक सतर्कता और उसी के अनुरूप कार्रवाई की आवश्यकता होती है। मराठवाड़े के मामले में बड़े स्तर पर शारीरिक हिंसा की सूचनाएँ नहीं मिली थीं, किंतु इसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से पंगु और उनके जीवन

को पूरी तरह से अशक्त बनाना तथा उनके दिमागों में अंतक पैदा करना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी सफलता मिली थी। तनाव जब विस्फोट का रूप ले ले, तब कानून और व्यवस्था तंत्र में हरकत आने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकते।

9.14 मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने को ही इस भीषण कांड का मूल कारण मानना समस्या को छुना भर है। ऐसा प्रतीत होता है कि गांधी में रहने वाले नवबौद्धों और अनुसूचित जातियों पर बुनियादी हमले को चिनगारी देने के लिए यह मोहा चुना गया था। कुछ गांधी का दौरा करने और सरकारी अधिकारियों तथा लोकजनों से दूसरे गांधी की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श करने के बाद निष्कर्ष रूप में यह बेसिक कहा जा सकता है कि इन सभी गांधी में सामाजिक-आर्थिक आघातों पर संघर्षों का एक पूरा इतिहास रहा है। किंतु विस्तृत सर्वेक्षण से ही इन संघर्षों के निष्पिष्ट स्वरूप का पता चल सकता है। खेद की बात है कि लगभग इन सभी गांधी में पुलिस पटेल, अध्यक्ष, ग्राम-सेवक और सरपंच तथा पंचायत-सदस्यों जैसे सरकारी कार्यवाहकों ने अनुसूचित जातियों/नवबौद्धों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का प्रयत्न नहीं किया था। वास्तव में बहुत से मामलों में तो बताया गया कि इन व्यक्तियों ने आगजनी और तहस-नहस को कार्रवाईयों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। ये घटनाएँ उजागर करती हैं कि पंचायत कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने में एकदम असफल रही हैं। समय रहते कुछ ऐसे तरीके निकाले जाने चाहिए जिनसे पंचायतों को अपने क्षेत्रों में कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने में असफलता के लिए जवाबदेह बनाया जा सके।

9.15 दंगे के शिकार व्यक्तियों में फिर से आत्मविश्वास उपजाने और सामान्य स्थिति लौटाने के लिए प्रशासन के प्रयासों में सहयोग देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठन प्रकट रूप से गायब थे।

9.16 15 दिनों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति मात्र निर्बाह भत्ता देने से बे घाब भरने वाले नहीं हैं, जो अनुसूचित जातियों/नवबौद्धों के करीर और मन पर लगे हैं। पता लगा कि अनुसूचित जातियों/नवबौद्धों की एक बड़ी संख्या की मांग यह थी कि उन्हें नये स्थानों पर नई बस्तियों में बसाया जाना चाहिए। इस मांग को संशक्त समर्थन देने वालों में नगरों के कुछ सुशिक्षित बौद्धिक नवबौद्ध थे। आज भी यही स्थिति है कि भयस्त मानसिकता के कारण यह विचार नवबौद्धों और अनुसूचित जातियों में काफी जोर पकड़ गया है। लगता है कि उन्हें इस तथ्य का आभास नहीं है कि इस तरह के प्रस्ताव पर अमल करने से उनके हितों को हानि पहुंचेगी और एकता की जड़ों पर इससे गहरा आघात लगेगा किंतु यह भी एक सच्चाई है कि पार्थक्य हमारे ग्रामीण समुदाय के लिए घातक है, जिसे पृथक बस्तियाँ बसाकर और पक्का करने के बजाय तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता है। किंतु उन्हें इस मार्ग से हटाने के लिए राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि वह ऐसे कठोर कदम उठाये ताकि इन समुदायों में सुरक्षा-भावना फिर से उत्पन्न हो जाये। इसी विचार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सुझाव दिया गया था कि दंगाग्रस्त गांधी पर सामूहिक जुरमाना लगाया जाए और साथ ही इस नीति की घोषणा की जाये कि कमजोर वर्गों पर किये गये अत्याचारों पर इसी प्रकार से दंड दिया जायेगा। इससे निश्चय ही अनुसूचित जातियों और नवबौद्धों को अपने-अपने गांधी में लौटने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

9.17 सूचित किया गया कि डाक्टर बी० आर० अम्बेडकर द्वारा स्थापित औरंगाबाद के मिलिन्द कालिज में, कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि विषयों के अनेक संकायों में, अनुसूचित जातियों/नवबौद्धों के 6,000 छात्र पढ़ते हैं। औरंगाबाद नगर में लगभग सभी महाविद्यालय जातीयता का आधार पकड़े हुए हैं और नितान्त पृथक-पृथक जातियों के संस्थानों के रूप में चल रहे हैं। उदाहरणार्थ,

सरस्वती महाविद्यालय में मुख्य रूप से ऊंची जातियों और गैर-मराठा लोगों का प्रभुत्व है। देवनागरी कालिज मुख्य रूप से मराठा संस्थान बताया जाता है। मौलाना असद कालिज मुख्य रूप से मुस्लिम वर्गों के लिए है और वसन्तराव नायक कालिज का प्रबन्ध बनजारों के हाथों में है। महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों में जाति-पार्थक्य एक विशुद्ध नियम के रूप में प्रचलित है। संभवतः औरंगाबाद के अतिरिक्त ऐसा कोई और नगर नहीं है, जहां अनुसूचित जातियों के और नवबौद्ध छात्र इतनी अच्छी तरह संगठित हैं। निस्संदेह शिक्षा ने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति कुछ सोमा तक सचेत कर दिया है और उनमें विरोध की शक्ति उत्पन्न कर दी है। यह काफी हद तक संभव है कि औरंगाबाद कालिज में पनप रहे जातिगत तनाव उन क्षेत्रों तक भी फैल जायें, जहां से यह छात्र आते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलिन्द कालिज के 80 प्रतिशत छात्र विदर्भ क्षेत्र से आते हैं, जबकि अन्य कालिजों के अधिकांश छात्र मराठवाड़ा के होते हैं।

9.18 मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मांग का भी एक लंबा इतिहास है। नवबौद्धों की काफी समय से यह मांग रही है कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम डा० अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। जून, 1977 में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करने की सिफारिश की गयी थी और इस पर किसी ने विरोध भी प्रकट नहीं किया। सभी धर्मों के नागरिकों की समिति की बैठक औरंगाबाद में हुई थी और उसमें विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव का समर्थन किया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा विश्वविद्यालय के नये नाम रखने का प्रस्ताव पारित हुआ और इसकी घोषणा होते ही तुरंत आंदोलन आरंभ हो गया था। इसलिए यह मानना कि इस प्रस्ताव के समर्थक केवल अनुसूचित जातियों और नवबौद्ध ही थे और इसी कारण उन्हें अपमानित और तिरस्कृत किया जाये, नितान्त अनुचित है। फिर मराठवाड़ा के पांचों जिलों के चुने हुए गांधी के उन निर्धन वर्गों को जातीयता के पागलपन का शिकार बनाया गया, जिन्हें विश्वविद्यालय के मामलों से कुछ लेना देना नहीं था।

9.19 कुछ लोगों और विशेषकर विद्यार्थी कृति समिति के नेताओं, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ने आरोप लगाया था कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू करने और इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के उत्पीड़न के कारण नगर और गांधी में सामाजिक तनाव बढ़ा था। यह भी आरोप था कि अनुसूचित जातियों और नवबौद्धों को सरकारी सेवाओं में प्रबल आरक्षण की प्रतिशतता, स्तरों में छूट देकर उनके प्रवरण और पदोन्नतियों में आरक्षण भी जनता के अन्य वर्गों में कड़वाहट भरने के मुख्य कारण थे। अनुसूचित जातियों और नवबौद्धों से इतर जातियों के बेरोजगार शिक्षित युवक अनुभव करने लगे थे कि उन्हें सरकारी सेवाओं और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में लाभकर रोजगार के अवसरों से वंचित किया जा रहा है। दौरे के दौरान इस बारे में पता लगाने का प्रयत्न किया गया कि ग्राम विशेष में चट्टि घटनाओं और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों के बीच क्या कोई पारस्परिक सम्बन्ध था। किंतु आवश्यक सूचना के उपलब्ध न होने के कारण नवबौद्धों/अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य वर्गों के बीच मन-मुटाव के इस आधार की जांच नहीं की जा सकी।

9.20 हो सकता है कि सेवाओं और विधानसभाओं में आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन की चिनगारी सुलगाने के लिए इस तरह का वातावरण तैयार किया गया हो। वास्तव में इस तथ्य की ओर नदेड़ में एक पत्रकार ने संकेत भी किया था। उसके विचार से आंदोलनकारियों की अगली मांग राजनीतिक और सेवा सम्बन्धी आरक्षण हटाने की

होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर विशेष निगाह रखने की आवश्यकता है क्योंकि इस तरह के आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल सकते हैं और कानून तथा व्यवस्था के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं। सलाह दी जाती है कि ऐसी सशस्त्र शक्तियों का पता लगाकर इनसे समय रहते निपटा जाये।

9.21 इन दंगों ने एक बार फिर हमारे निरोधक तंत्र की अपर्याप्तता स्पष्ट कर दी है। केन्द्र से इस विषय में निर्देशन मिल जाने के बावजूद गंभीरता से कार्य करने का कहीं संकेत नहीं मिला।

9.22 कमजोर वर्गों का इतने बड़े स्तर पर अत्याचार और क्षति सहन करनी पड़ी है कि केवल राहत से उसकी पूति नहीं होगी। उन्हें पूरी तरह से फिर से बसाना होगा और मुआवजा देना होगा। अभी तक सरकार ने घर बनाने के लिए 1,500 रुपये के अनुदान की घोषणा की थी, जो कतई पर्याप्त नहीं। घर को बनाने में ही कम से कम 5,000 रुपये से 6,000 रुपये लागत आयेगी और फिर इतना ही नहीं, उनके समुचित आर्थिक पुनर्वास के लिए एकमुश्त भारी रकम देने की आवश्यकता है।

9.23 यदि राज्य सरकार इन घटनाओं को छानबीन कराने के लिए कोई न्यायिक आयोग खिठाना चाहती है तो सामान्यतया अभिप्रेत न्यायिक आयोग पर्याप्त नहीं रहेगा—क्योंकि इस प्रकार के मामलों के पीछे सामाजिक-आर्थिक कारण होते हैं। उस स्थिति में कम से कम तीन सदस्यों का ऐसा आयोग बनाना अभीष्ट रहेगा, जिसमें दो सदस्य सामाजिकशास्त्री हों ताकि वे गहराई से इन घटनाओं का अध्ययन कर सकें और इनके सुधार के उपाय सुझा सकें।

तामिलनाडु राज्य के दक्षिणी अर्काट जिले के विल्लुपुरम में अनुसूचित जातों के व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाएं

9.24 जुलाई, 1978 में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाओं की रिपोर्ट मिलने पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने, उपायुक्त श्री एस० के० कौल के साथ, दक्षिणी अर्काट जिले के विल्लुपुरम नामक स्थान का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में जाने के अतिरिक्त उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री, हरिजन कल्याण मंत्री, बड़े अधिकारियों, गैर-अधिकारियों तथा अत्याचार के शिकार परिवारों के सदस्यों से भेंट की थी। आयुक्त स्वयं पेरिया कालोनी में अनुसूचित जातियों के घरों में गये, जहां उनके घरों को आग लगाकर फूँक दिया गया था। वे नायकन थोपे कालोनी में भी गये, जहां दूसरे वर्गों के लोगों का भारी क्षति पहुंचायी गयी थी। अनुसूचित जाति की महिलाएं अपने जले हुए घरों के पास अपने बच्चे लिए खुले आसमान के तले बैठी हुई थीं और अभी तक वे अपने को संकट के शिकार में महसूस कर रही थी। इनमें से अनेक स्त्रियों ने आयुक्त को अपनी दुखभरी दास्तान आसू भरी आँखों से सुनाई और बताया कि कैसे उनके घरों को आग लगायी गयी थी और कैसे उनके मर्दा की हत्या की गयी थी। कुछ ने शिकायत की थी कि उन्हें लाशों की पहचान तक नहीं करने दी गयी थी। आयुक्त प्रभावित परिवारों के पुरुष-सदस्यों से मुलाकात नहीं कर पाये क्योंकि वे डर के मारे अपने घरों को छोड़कर कहीं और चले गये थे। स्त्रियों को अपने पुरुषों की सुरक्षा की चिंता बाये जा रही थी। आयुक्त को सूचित किया गया कि जिला अधिकारी प्रभावित परिवारों को भोजन के पैकेट, चावल, मिट्टी का तेल और वस्त्र आदि दे रहे थे। आयुक्त ने स्वयं अपनी आँखों से सड़कों के किनारे जली हुई दुकानें और घर देखे। वे इस घटना में घायल हुए व्यक्तियों की हालत और उनकी संख्या का पता लगाने के लिए अस्पताल में भी पहुंचे और वहां उन्हें पता चला

कि 24 जुलाई से 28 जुलाई, 1978 के बीच गैर-अनुसूचित जाति के 37 व्यक्ति और अनुसूचित जाति के 9 व्यक्ति घायल हुए थे। यह भी बताया गया कि केवल पुरुषों को ही चोटें आयी थीं। दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आयी हैं और शेष की चोटें मामूली थीं। घायल व्यक्तियों में से अधिकांश 20 वर्ष से 30 वर्ष के आयु वर्ग में से थे। इसके बाद आयुक्त ने मरुधुर तालाब का दौरा किया, जो इगमोर (मद्रास) से विल्लुपुरम और आगे त्रिची की ओर जाने वाली रेलवे लाइन के करीब पड़ता है। इस तालाब से 6 लाख निकाली गयी थी। आयुक्त ने रेलवे की वह पुलिया भी देखा, जहां से पुलिस ने तीन लाख बरामद की थी जिनके हाथ-पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। इसके बाद वे इन्स्पेक्शनगारो गये, जहां छोटे से तालाब और नगर के साथ लगी चरागाह में पुलिस को तीन और लाख मिली थीं। कुल 12 व्यक्तियों ने जाने गवायीं थीं और उनमें से आठ की लाशें पहचान ली गयीं थीं। बस सभी के सभी अनुसूचित जातियों के थे। यह भी शत हुआ कि इन घटनाओं में अनुसूचित और उनसे उत्तर जातियों के क्रमशः 94 और 126 परिवार प्रभावित हुए थे। दंगों में अनुसूचित जातियों के 63 घर और उनसे इतर जातियों के 115 घर और 15 दुकानें नष्ट हुईं थीं। आयुक्त के दौरे के बाद प्राप्त सूचनाओं में बताया गया था कि अनुसूचित जातियों के 112 और उनसे इतर जातियों के 174 परिवार प्रभावित हुए थे और इसी क्रम में क्रमशः 90 और 107 घरों की क्षति पहुंची थी। आयुक्त के दौरे के समय लगाये गये एक अनुमान के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 3.34 लाख रुपये की क्षति हुई थी।

9.25 आयुक्त ने 3 अगस्त, 1978 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एन० जी० रामचन्द्रन से भेंट की। भेंट के समय राजस्व, कृषि और श्रम मंत्री, मुख्यमंत्री के सचिव, समाज कल्याण सचिव, हरिजन तथा आदिवासी कल्याण विभाग के निदेशक भी मौजूद थे। आयुक्त ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर खींचा कि उन्हें कुछ अधिकारियों ने बताया है कि हिन्दुओं तथा अनुसूचित जातियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है। किंतु वे अधिकारी मामले की पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर पाये थे। आयुक्त ने विल्लुपुरम की घटनाओं का उल्लेख "भयानक" और "अवर्णनीय" विशेषणों के साथ किया। साथ ही यह भी सूचना दी कि अभी तक उस नगर में स्थिति सामान्य नहीं हो पायी है। शैक्षणिक संस्थान, दुकानें और बसें वगैरा बंद हैं, क्योंकि इन सभी का नियंत्रण गैर-अनुसूचित जातियों के हाथों में है और उस स्थिति में विद्यालयों, दुकानों, बाजारों और बसों के बंद रहने का आरोप अनुसूचित जातियों पर कैसे थोपा जा सकता है। मुख्यमंत्री महोदय को आयुक्त ने सुझाया कि प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ प्रशासन का सबसे पहला काम प्रभावित लोगों में विश्वास लौटाना है और पुनर्वास के लिए लंबी अवधि के उपायों पर अमल करना है। आयुक्त ने फिर से इस बात पर जोर डाला कि जब तक अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के बुनियादी कारणों का दूर नहीं किया जायेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी क्योंकि इन्हें मात कानून भंग होने की घटनाएं मानकर चलने से काफ नहीं चलने वाला है। मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि कभी-कभी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का शांण उनकी अपनी जाति के भाइयों द्वारा किया जाता और अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे पायों को देखकर उन्हीं के जैसी कमांडिंग आर्थिक स्थिति वाले अन्य वर्गों के लोगों में विद्वेष पनपने लगता है। मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि उत्तर भारत के अन्य राज्यों के दलों से भिन्न उनका दल अनुसूचित जातियों को मात्र रियायतें देने से ही संतुष्ट नहीं है बल्कि वह जाति-रहित समाज के आदर्श से बंधा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि 1972 में अनुसूचित जातियों के आग से जल गये घरों को बनाने के लिए सरकार ने उन्हें आगरोधी निर्माण हेतु अनुदान दिया था। किंतु यदि इस बार अनुसूचित जातियों के प्रभावित परिवारों

के लिए ही गृह निर्माण का कार्यक्रम चलाया गया तो इन घटनाओं से प्रभावित अन्य वर्गों के लोगों में भी विद्वेष पैदा होना अनिवार्य है, जो कि वास्तविक होगा। जहाँ तक अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए पुनर्वास-कार्यक्रम का सम्बन्ध है, उनके दो भ्राता पहले ही विल्फुपुरम का दौरा कर चुके हैं किंतु कोई भी महिला या पुरुष अपनी शिकायत लेकर उनके सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि दंगों के दौरान लूटी गयी दुकानों के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं की जा सकी है और यह कार्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग ही कर सकता है। सरकार ने इस प्रकार का आयोग नियुक्त कर दिया है। आयोग ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि इस प्रकार के न्यायिक आयोग कायम करने के लिए भिन्न दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इस प्रकार के आयोग को घटनाओं के मूल कारणों की खोज और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाने चाहिए, न कि केवल भूल-चूक के दोषी व्यक्तियों का पता लगाने का। आयोग ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम अनुसूचित जाति के पुरुषों में विश्वास लौटाना है ताकि वे अपने घरों को लौट सकें और तब तक के लिए अस्थायी शेड डाल सकें, जब तक मकानों के पुनर्निर्माण और आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती।

मई 1978 में आगरा नगर में विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा अनुसूचित जातियों पर गोलियाँ चलाने के मामले

9.26 आयुक्त को सूचना मिली कि आगरा नगर में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर भारी अत्याचार हो रहा है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और कानून तथा व्यवस्था कायम करने के लिए सिविल अधिकारियों के सहायता में सेना बुला ली गयी है। सूचना मिलने पर आयुक्त ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपायुक्त श्री आर० जख्मा के प्रधीन एक अन्वेषक दल आगरा भेजा। इस दल की खोज के निष्कर्षों की रिपोर्ट* आगे के पैराग्राफों में दी गयी है। यहाँ उल्लेख कर दिया जाये कि इस रिपोर्ट में इन घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग की गयी थी और राज्य सरकार ने इस प्रकार की जांच का आदेश दे दिया था।

9.27 इस घटना का बीज 14 अप्रैल, 1978 को घटित अप्रत्याशित घटनाओं में देखा जा सकता था, जब अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों ने डा० बाबा साहेब प्रन्वेडकर का जन्मदिन ममाने के लिए जुलूस निकाला था। 1957 से ही आगरा शहर के कुछ हिस्सों में से इस तरह का जुलूस निकाला जाता रहा है। बरसों के दौरान यह एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है और इस समारोह में भाग लेने के लिए देहाती क्षेत्रों से लोग आगरा शहर आते हैं। इस बार भी जुलूस निकालने के लिए जिला अधिकारियों से अनुमति ले ली गयी थी और उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर लिये थे। जुलूस टीला शेख मन्नु नामक स्थान से शुरू होता था और 20 स्थानों से होता हुआ इसी स्थान पर लौट आता था। 14 अप्रैल को जुलूस रात आठ बजे चला और अगले दिन सुबह 10 बजे विसर्जित हुआ था। जब जुलूस रावतपाड़ा नाम स्थान से गुजर रहा था तो उसके सबसे पिछड़े हिस्से पर एक तीन मंजिला मकान की छत से तीन पत्थर और एक लकड़ फेंका गया। लेकिन किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। लकड़ पुलिस को गाड़ी पर गिरा था और जुलूस में शामिल एक भिखारी को कुछ चोट पहुंची। जुलूस में शामिल लोग चाहते थे कि पुलिस अधिकारी उस छत पर मौजूद बदमाशों को गिरफ्तार करे, जिन्होंने यह बदमाशी की थी। यह घटना रात के ग्यारह बजे हुई थी और उस समय छोटी-छोटी चाय और पान की दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद थीं। बताया गया कि जुलूस में शामिल कुछ लोग क्रोधित हो उठे थे और

उन्होंने पान और चाय वालों की कुछ दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था किंतु जुलूस का मुख्य भाग किसी गड़बड़ के बिना गुजर गया था।

9.28 अध्ययन दल को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, रावतपाड़ा के कुछ सवर्ण हिन्दू दुकानदारों ने 15 अप्रैल, 1978 को स्थानीय थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। कि पिछले दिन उनकी दुकानें लूटी गयी थी। किंतु जुलूस वालों ने जुलूस पर पत्थर फेंक जाने की कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी थी।

9.29 14 अप्रैल की घटना के विरोध में अनुसूचित जातियों के सदस्य 23 अप्रैल, 1978 को एक मौन जुलूस निकालना चाहते थे और उसी पुराने मार्ग से, जो रावतपाड़ा से हो कर गुजरता था। 22 अप्रैल, 1978 को जिला अधिकारियों और अनुसूचित जाति के नेताओं के बीच बातचीत हुई, जो रात के 2 बजे तक चली। जिला अधिकारियों ने उनसे जुलूस न निकालने का आग्रह किया और यदि वे जुलूस निकालने पर अड़े हों हैं तो वह रावतपाड़ा से होकर न निकालें। जिला अधिकारियों ने अध्ययन दल को बताया कि अनुसूचित जातियों के नेताओं ने रावतपाड़ा के बजाय जुलूस जोहरी बाजार से निकालने का वचन दिया था। किंतु अनुसूचित जाति के नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने यह वचन कभी नहीं दिया था कि जुलूस रावतपाड़ा से होकर नहीं निकाला जाएगा, हालांकि उन्होंने जुलूस वालों को रावतपाड़ा से बचाकर ले जाने का ही वचन दिया था। इन दोनों विरोधी बातों को सुनकर अध्ययन दल ने जुलूस के मार्ग की लिखित अनुमति को प्राति देखनी चाही। किंतु जिला अधिकारी इस तरह का कोई कागज नहीं दिखा पाये। अस्तु, जब जुलूस सुबह 11 बजे के लगभग जोहरी बाजार से रावतपाड़ा वाले अग्रभाग पर पहुंचा तो कुछ जुलूस वालों ने रावतपाड़ा की तरफ जुलूस ले जाना चाहा। जिला अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और अनुसूचित जातियों के कुछ नेताओं ने भी जुलूस वालों को समझाने में जिला अधिकारियों का सहयोग दिया। किंतु कुछ जुलूस वाले अड़े गये थे और ज्यों ही जुलूस रावतपाड़ा की ओर बढ़ा, जिला अधिकारियों ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। आरोप था कि लाठीचार्ज जुलूस के केवल उसी हिस्से तक सीमित नहीं रखा गया था, जो रावतपाड़ा बाजार में घुसने की कोशिश कर रहा था, बल्कि जुलूस के आगे, बीच और पीछे के सभी हिस्सों पर एक साथ लाठियां बरसायी गयीं। जिला अधिकारियों ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि जुलूस के केवल उसी हिस्से पर लाठियां बरसाई गयीं थीं, जो रावतपाड़ा में घुसने की कोशिश कर रहा था। किंतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने लाठी चार्ज के बारे में अध्ययन-दल को जो सूचना दी, वह उस आरोप की कुछ सीमा तक पुष्टि करती थी। उन्होंने बताया कि जब लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था तो उसका हर स्थान पर एक साथ पालन हुआ था। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि प्रादेशिक सशस्त्र दल और स्थानीय पुलिस कारमिकों ने लाठी चार्ज किया था, जो रावतपाड़ा चौक पर तैनात थे और जुलूस के साथ चल रहे थे। अनुसूचित जातियों के नेताओं की शिकायत थी कि लाठियां बड़ी बेरहमी से बरसाई गयी थीं। जुलूस के साथ चल रहे पुलिस के एक टुक को फूंक दिया गया था। कुछ जुलूस वालों और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिला अधिकारियों ने बताया कि जुलूस के मौन होकर निकलने की बात थी किंतु उसमें इस तरह के नारे लगाये गये थे, "निकलेगा भई निकलेगा जुलूस रावतपाड़ा से निकलेगा।" यह ज्ञात नहीं हो पाया कि नारे रावतपाड़ा और जोहरी बाजार चौक पर तनाव भरे माहौल के दौरान लगाये गये थे या उससे पहले, जैसा कि जिला अधिकारियों का आरोप था।

9.30 24 अप्रैल, 1978 के बाद से अनुसूचित जातियों के नेताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से दफा 144 भंग करने के लिए कलक्टर के कार्यालय

*पूर्ण रिपोर्ट परिशिष्ट-65 में देखी जा सकती है।

में गिरफ्तारियां देने का निर्णय किया था। 29 अप्रैल, 1979 तक गिरफ्तारियों का मिलसिला चलता रहा। किंतु जिला अधिकारियों से यह पता नहीं चल सका कि इस अवधि में कितने लोगों ने गिरफ्तारियां दी थीं। 30 अप्रैल, 1978 को रविवार था, इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं दी गयी थी।

9.31 अध्ययन दल को सूचना दी गयी कि पहली मई, 1978 को लगभग साढ़े दस बजे सुबह जिला कलक्टर के कार्यालय में अनुसूचित जाति के 200 व्यक्ति पट्टे और लगभग दो ट्रक भर लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और शेष को वहीं पकड़ कर रखा गया। ऐसा लगता है कि अनुसूचित जातियों के कुछ व्यक्ति अदालत के अहाते में घुस गये थे और जिला अधिकारियों तथा उनके बीच कुछ असुबद-कहाँ-पुनी हुई थी। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की शिकायत थी कि एक पुलिस इन्स्पेक्टर ने उनके बकील को गालियां दीं और उनकी जाति के विरुद्ध अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया था। फिर उसने बकील का गिरवाने पकड़ लिया था। इससे भीड़ क्रुद्ध हो उठी और उसने बिड़कियां तोड़ डालीं और फर्नीचर उलट-पुलट डाला। पुलिस ने लाठियां बरसाईं और उन्होंने कलक्टर के दफ्तर से बाहर खदेड़ दिया। लाठीचार्ज की खबर सुनकर लोग भारी संख्या में आ जुटे और जगह-जगह बसों को आग लगा दी गयी। कलक्टर के दफ्तर के निकट की रेलवे लाइनों से फिश प्लेटें विकालने के भी यत्न किये गये। शायद उन्होंने कुछ स्थानों पर तेजी से आग फैलाने वाला ऐसा पदार्थ भी फेंका था, जो जूते बनाने के काम में आता है। दंगा शहर में भी फैल गया।

9.32 चाकीपाट बाजार और काजीपाड़ा जैसे स्थानों पर पहली मई, 1978 को भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिये गये थे। 12-30 बजे के लगभग अशोक बाबू, पुत्र श्री राम सिंह, मैट्रिक की परीक्षा देकर लौट रहा था। चाकीपाट बाजार में पुलिस की गोली से वह मर गया। लड़के के पिता ने बताया कि आगरा के हरी पर्वत पुलिस थाने के सवर्ण हिंदू सब इन्स्पेक्टर श्री बी० के० त्यागी ने गोली चलाई थी और उसे उसी स्थान पर मार डाला गया था। किंतु रकाबगंज पुलिस थाने के एक पुलिस इन्स्पेक्टर श्री हरी राम लाभ ने अध्ययन दल को बताया कि अशोक की मृत्यु गोली लगने से हुई थी क्योंकि उसे आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी थी। श्री लाभ ने बताया कि लड़का हथियारबंद था। यह स्वीकार किया गया कि मृतक अशोक बाबू के खिलाफ एक पुलिस कंस दर्ज था और उसे पहले गिरफ्तार भी किया गया था। स्थल पर पहुंचते ही अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने भीड़ को तितरबितर करने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया था। फलस्वरूप अशोक का बड़ा भाई भरत सिंह भी गोली से घायल हो गया था और घर पर पड़ा था। दया सिंह नामक एक और व्यक्ति को भी गोली लगी थी और उसे अखिल भारतीय आयु-विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दाखिल कराया गया था।

9.33 काजीपाड़ा के पास की हरिजन बस्ती है। इस मोहल्ले में अपने मकान की पहली मंजिल के एक कमरे के भीतर पुलिस की गोली से श्रीमती रामेश्वरी नामक अनुसूचित जाति की एक महिला मारी गयी थी। अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियों ने बताया कि प्रादेशिक सशस्त्र दल नभेत पुलिस के जवानों ने बंसल नामक एक व्यापारी के मकान से गोलियां बरसाईं थीं। वह पुलिस से मिला हुआ था। संदेह तो यह भी था कि मृतक श्रीमती रामेश्वरी को इस व्यापारी के सहयोगियों ने मारा था। बताया गया कि अनुसूचित जाति के तीन व्यक्ति गोलियों से घायल हो गये थे और लगभग 30 व्यक्तियों को लाठीचार्ज में चोटें आई थीं। जब पुलिस फायरिंग और मकान की पहली मंजिल के भीतरी कमरे में श्रीमती रामेश्वरी की मृत्यु के बारे में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री राम कुमार कंवर से पूछ ताछ की गयी तो उन्होंने बताया कि हालांकि वे वहां मौजूद थे किंतु उस समय हर घटना पर निगाह रखना संभव नहीं था।

9.34 चाकीपाट बाजार में प्रादेशिक सशस्त्र सेना के जवान मछली बाजार में चाकीपाट मोहल्ले की हरिजन बस्ती की ओर बढ़े थे जो नगर परिवहन की इमारत के पीछे बसी हुई है। इस स्थान पर अनुसूचित जातियों के 7 और मुस्लिमों के 2 घर जला दिये गये थे। आरोप था कि पुलिस परिवहन निगम के कुछ कर्मचारियों तथा सवर्ण हिन्दुओं ने उन घरों में से दरियां, चमड़े का सामान आदि बहुत-सी वस्तुओं में आग लगायी थी। 30 वर्षीय श्री नरेश लाल पर उस समय गोली चलायी गयी, जब वह अपने मकान की छत पर खड़ा था। गोली लगने पर वह छत से नीचे गिरा और उसे बहुत समय तक मरने के लिए बिना इलाज के पड़ा रहने दिया गया था। बताया गया कि मृतक नरेश लाल की बुढ़िया मां और मोहल्ले के अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियों को पुलिस ने पीटा भी था। अध्ययन-दल से शिवाय की गयी कि मृतक के छोटे भाई श्री द्वारका के विवाह के लिए एकत्र सामान को भी पुलिस उठा ले गयी थी। सामान्यतया जब बेकाबू भीड़ आगजनी में जुटी होती है तो उसके टार्गेट सरकारों सम्पत्ति और सम्पन्न लोगों की जायदाद वगैरा होते हैं। किंतु इस मामले में विचित्र बात यह थी कि गरीब मजदूरों और जूते बनाने वालों के छोटे-छोटे घर जनाये गये थे। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इन छोटे मकानों को इनके मालिकों ने स्वयं आग लगायी थी और उनमें से एक पुलिस की गोली से मारा गया था।

9.35 यह आरोप लगाया गया कि नगर की बहुतसी हरिजन बस्तियों में एक साथ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा क्रूर व्यवहार किया गया। अध्ययन दल ने इस तरह की कुछ बस्तियों का दौरा किया था। शिव दलानी नगर नामक एक बस्ती में पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज तथा गोली चलाने से अनुसूचित जाति के कोई 50 व्यक्ति घायल हुए। गणेश पुत्र समराती लाल तथा रविन्दर पुत्र बाबू लाल नामक अनुसूचित जाति के दो युवकों की जानें गयीं। यह आरोप भी लगाया गया कि पुलिस ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों में घुसकर उनकी सम्पत्ति को लूटा और नष्ट किया। डाक व तार विभाग के अनुसूचित जाति के कर्मचारी को भी पुलिस ने पकड़कर बुरी तरह पीटा। उसकी पत्नी के जेवर तथा बच्चे को पी० ए० सी० के एक जवान ने छीन लिया। उक्त महिला तथा उसकी सास को पीटा गया। इसी मोहल्ले के रत्न सिंह नामक अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की मोटर साइकिल को भी पुलिस ने जला डाला। रत्न सिंह के कुछ जोड़ी तैयार जूते तथा नकदी पी० ए० सी० के जवान उठा ले गये। अध्ययन दल ने अनुसूचित जाति के कम से कम 10 ऐसे घर देखे जिसमें, बताया जाता है, पुलिस कमियों ने जबदस्ती घुस कर सम्पत्ति नष्ट कर दी। अध्ययन दल को इस बस्ती के घायल निवासियों की चोटें भी दिखाई गईं।

9.36 प्रकाश नगर की अनुसूचित जाति की एक विवाहिन नव-युवती मीना, जिसके पति का नाम श्री मोती लाल है, ने अध्ययन दल को बताया कि उनके घर में पी० ए० सी० के कुछ सदस्य जबदस्ती घुस गये और 14 दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ उसे हरि प्रभात पुलिस थाने पर ले गये। इसके जेवर तथा 25,000 रुपये का अन्य सामान पुलिस ने ले लिया। उसके कपड़े फाड़ डाले गये। अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने उसे बुशगट तथा पायजामा पहनने के लिए दिया ताकि वह अपना शरीर ढक सके। पुलिस ने उसकी मां और चाची को भी पीटा। उसने बताया कि अनुसूचित जाति के दूसरे 14 व्यक्तियों सहित उसे 24 घंटे तक थाने में बंद रखा गया और इस दौरान उन्हें पीने का पानी भी नहीं दिया गया। यह आरोप भी लगाया गया कि श्री त्यागी नामक एक सब-इन्स्पेक्टर ने इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। किंतु उसने बताया कि उसके साथ मारपीट नहीं की गई। 24 घंटे तक हवालात में बंद रखने के बाद उन्हें जेल

भेज दिया गया। जेल में लड़की को तीन दिन तक रखकर छोड़ दिया गया। इस अध्ययन दल को टूटे दरवाजे तथा पुलिस द्वारा विनष्ट किया गया एक बड़ा लोहे का संदूक भी दिखाया गया।

9.37 अनुसूचित जाति बहुल बारा खम्बा के निवासियों ने शिकायत की कि 1 मई, 1978 को पुलिस चौकी सराय ख्वाजा की स्थानीय पुलिस टुकड़ी तथा पी० ए० सी० ने मिलकर उनके इलाके पर धावा बोला। कहा जाता है कि 15 व्यक्तियों को गोली लगी तथा 100 से ऊपर व्यक्तियों को लाठी से चोटें आयीं। इस क्षेत्र के अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की सम्पत्ति भी पुलिस कमियों द्वारा लूटी जाने की रिपोर्ट दी गई। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने सराय ख्वाजा चौकी के श्री चौहान नामक एक सब-इस्पेक्टर के व्यवहार की कड़ी शिकायत की।

9.38 जगदीशपुरा नाम की एक दूसरी बस्ती में, जहां अनुसूचित जाति के लोग भारी संख्या में रहते हैं, 2 मई, 1978 को पुलिस के लाठीचार्ज तथा गोली चलाने से कोई 100 व्यक्तियों के घायल होने तथा 10 को गोली लगने की खबर थी पुलिस द्वारा गोली चलाने से अनुसूचित जाति के लगभग 40 वर्षीय रामस्वरूप तथा लगभग 25 वर्षीय रूप सिंह नामक दो व्यक्ति मारे गये। पुलिस ने वहां से लाशें भी नहीं उठाने दीं। लोगों का कहना था कि इस तरह की कोई उस्तै-जक बात नहीं हुई थी कि पुलिस को गोली चलानी पड़े। गोली चलने की घटना के बाद सारी रात के लिए फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। बताया जाता है कि उस सारी रात पी० ए० सी० के जवानों ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों में जबरदस्ती घुसकर हमले किये, उन्हें पीटा और उनकी सम्पत्ति लूटी। दल ने गोली और लाठी से लगे जखम भी देखे।

9.39 अध्ययन दल ने 5 मई, 1978 को आगरा की जिला जेल का दौरा किया और आगरा के जेल अधीक्षक श्री पी० एस० तिसी-दिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के 249 व्यक्ति जेल में रखे गये हैं। इनमें 242 व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की 147, 148, 149, 332, 436 की मुख्य तथा अन्य धाराओं के अधीन गिरफ्तार किये गये हैं। बाकी 7 व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन गिरफ्तार किये गये हैं। जिला जेल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा तयार की गयी जखमी व्यक्तियों की एक सूची देखने के लिए अध्ययन दल को दी गयी। उनमें अनेक बहुत गंभीर रूप से घायल मालूम पड़े। यह पृष्ठ पर कि जेल प्राधिकारियों के पास गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की सूची है, चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उनके पास गंभीर रूप से घायलों की अलग सूची नहीं है। 57 घायल व्यक्तियों में से एक के तपेदिक तथा दो अन्य के पक्षाघात से पीड़ित होने की रिपोर्ट थी। बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाला एक विद्यार्थी भी जेल के अन्दर था। एक 20 वर्षीय बालक की इतनी पीटाई हुई थी कि वह खड़े होने और चल सकने में भी असमर्थ था।

9.40 अध्ययन दल ने जिला अस्पताल और सरौजिनी नायडू अस्पताल नामक दो अस्पतालों का दौरा किया। अनुसूचित जाति के 8 व्यक्ति जिला अस्पताल में गोली लगने के बावजूद गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण वहां भर्ती थे। सिर पर चोट लगने से एक पी० ए० सी० जवान भी वहां भर्ती था। दोरे के दिन बताया गया कि 1 मई, 1978 को अनुसूचित जाति के 32 जखमी व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने अध्ययन दल को बताया कि 18 जखमी व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया था जिनमें 1 की मृत्यु हो गयी, 2 सरौजिनी नायडू अस्पताल भेज दिये गये और बाकी को अस्पताल से मुक्त कर दिया गया --जिनमें एक की मुक्ति विना चिकित्सकीय सलाह के की गयी। 1 से 5 मई, 1978 के बीच 73 पुलिस कमियों को अस्पताल लाया गया।

यहां यह बात ध्यान देने लायक है कि अधिकांश पुलिस कर्मी 3 मई, 1978 के बाद अस्पताल में लाये गये। सिर की चोट वाले एक पी० ए० सी० जवान के अलावा बाकी सभी प्राथमिक उपचार के बाद मुक्त कर दिये गये।

9.41 सरौजिनी नायडू अस्पताल में विभिन्न बस्तियों के अनुसूचित जाति के 21 व्यक्ति भर्ती किये गये थे। इनमें 13 को बंदूक की गोलियां लगीं तथा अन्य 8 व्यक्तियों को भोयरे हथियार से चोटें आई थीं। यह सब 1 मई, 1978 को भरती किये गये थे। दूसरी तरफ 2 मई, 1978 को पी० ए० सी० बल के 7 कास्टेबल भर्ती किये गये। इनमें 5 को मामूली चोटें और 2 को गंभीर जखम भे।

9.42 अध्ययन दल को अनुसूचित जाति के जखमी सभी व्यक्तियों के पूरे शिवरण नहीं मिला पाया। जिला प्राधिकारियों ने केवल यही बताया कि अनुसूचित जाति के सिर्फ 34 व्यक्ति जखमी हुए थे और यह बात समाचारपत्रों में इसी रूप में छपी थी। हालांकि जेल पर अनुसूचित जाति के 57 जखमी व्यक्तियों के लाये जाने की बात मालूम हुई। इसके अतिरिक्त बहुतों का उपचार प्रायवेट डाक्टरों के यहाँ किया गया था। अध्ययन दल का अनुमान है कि अनुसूचित जाति के जखमी व्यक्तियों की संख्या सैकड़ों में होगी, पर पुलिस की गोली से अनुसूचित जाति के 8 मरने वालों की संख्या सही मालूम पड़ती थी।

9.43 दल ने 4 मई, 1978 को श्री रामजी लाल सुमन, संसद सदस्य से मेट की। उनका विचार था कि 14-4-1978 को डा० बाबासाहेब अम्बेडकर की जयन्ती समारोह के अवसर पर जिला प्रशासन तथा अनुसूचित जाति के नेताओं को जिम्मेदार ढंग से काम करना चाहिए था। उनका विचार था कि डा० अम्बेडकर जैसे मान्य राष्ट्रीय नेता के समारोह में अनुसूचित जाति के लोगों को पहले ही की तरह कुछ गैर-अनुसूचित जाति के लोगों का भी सहयोग लेना चाहिए था। इसी तरह जिला प्रशासन में भी पहले जैसी सतर्कता की कमी थी। उनका विचार था कि यदि जिला प्रशासन ने घटना के पहले दिन यानी 14 अप्रैल, 1978 को ही आवश्यक एहतियात बरती होती और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया होता तो स्थिति पर काबू पाया जा सकता था। वह राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं थे।

9.44 संसद सदस्य श्री एस० एन० चतुर्वेदी ने अध्ययन दल को बताया कि उन्होंने 30 अप्रैल, 1978 को ही आगरा छोड़ दिया था और घटना के दिन यानी 1 मई, 1978 को वह शहर में नहीं थे। फिर भी उनका विचार था कि अनुसूचित जाति के लोगों को डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस समारोह में पहले के वर्षों की भांति गैर-अनुसूचित जाति के विभिन्न वर्गों के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निमंत्रित करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि उनको जानकारी में 14 अप्रैल, 1978 को रावतपाड़ा बाजार के गैर-अनुसूचित जाति के दुकानदारों का भी कुछ नुकसान हुआ है और उन लोगों ने थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। उनके अनुसार झगड़ा सिर्फ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तथा स्थानीय पुलिस व पी० ए० सी० बल के बीच हुआ था। उन्होंने महसूस किया जिला प्रशासन ने स्थिति को संभालने में पूरी तत्परता नहीं बरती, फिर भी, उनकी कार्रवाई से वह संतुष्ट थे।

9.45 विधायक श्री गुलाब चन्द सेहमे के मत में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सम्पत्तियों से सर्वत्र हिन्दू ईर्ष्यालु हो गये हैं। उनका विचार था कि संभव है कि 14 अप्रैल, 1978 के जुनूस पर पत्थर फेंकने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ हो। उनके अनुसार पुलिस को बदमाशों तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में असंतोष फैलाने वालों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। उनके विचार में पी० ए० सी० के जवानों ने जात-पात सम्बन्धी पूर्वाग्रहों के चलते अत्याचार किये

क्योंकि पी० ए० सी० दल के अधिकांश व्यक्ति जाट तथा यादव बिरादरी के हैं। वह इस बात से भी सहमत नहीं थे कि रावतपाड़ा स्थित मंदिर के कारण कुछ तत्वों ने उधर जुलूस जाने पर आपत्ति की थी, जैसा कि अनुसूचित जाति के कुछ सदस्यों का कहना है। उनके विचार में इसका कारण वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव था।

9.46 विधायक श्री एस० डी० पालीवाल स्थिति को व्यवस्थित और तर्कसंगत ढंग से विश्लेषित करते हुए मालूम पड़े। उनके विचार में किला प्रशासन ने स्थिति की ठीक से नहीं संभाला। उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाया कि वहाँ जैसी सार्वजनिक सम्पत्ति जहाँ नष्ट की गई, वहाँ गोली नहीं चलाई गई। मसलन सुंदरपाड़ा क्षेत्र तथा रेनने लाइन से लगे हुए क्षेत्र में, जहाँ बसें जलाने या रेलवे की फिगण्टेंटें हटाने का कथित आरोप लगाया जाता है, वहाँ गोली नहीं चलाई गई। पर अनुसूचित जातियों की बस्तियों में, जहाँ हिंसा या आगजनी की कोई वारदात नहीं हुई थी, गोली चलाई गई।

9.47 जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जाटवों के अनुरोध पर हरिजननों के मुहल्ले से पी० ए० सी० को वापस करके उसकी जगह सी० आर० पी० तैनात कर दी गयी है। अध्ययन दल ने देखा कि सी० आर० पी० की तैनाती से अनुसूचित जाति के लोग बहुत संतुष्ट थे। यह भी मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का वहाँ से तबादला कर दिया है। वहाँ तक पीड़ितों का सवाल है, अखबारों में खबर है कि राज्य सरकार ने मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों को 5,000 रुपये नकदी राहत देने का निश्चय किया है। प्रत्येक गंभीर रूप से घायल को 2,000 रुपये की रकम तथा मामूली चोट खाये प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपये दिये जायेंगे। जिला मजिस्ट्रेट से यह भी मालूम हुआ कि मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में स्थानीय नेता, पुलिस महानिरीक्षक, जिला स्तर के अधिकारियों, संसद तथा विधान सभा के स्थानीय सदस्यों तथा विभिन्न समुदायों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में नगर में शांति कायम करने के उपायों पर विचार किया गया।

9.48 जनता के लोगों, अनुसूचित जातियों के नेताओं, जनप्रतिनिधियों तथा आगरा जिले के अधिकारियों से अध्ययन दल को बातचीत के दौरान उक्त घटना के अनेक रूपांतर सुनने को मिले। अध्ययन दल ने उन स्थलों का भी निरीक्षण किया, जहाँ पुलिस ने गोली चलाई थी और हरिजननों के मकान या तो जलाये या पुलिस कमियों द्वारा लूटे गये बताये गये थे। दल ने उन दोनों अस्पतालों को भी देखा, जहाँ जख्मियों का उपचार किया गया था। दल जिला जेल भी गया था।

9.49 ऐसा लगता है कि 14 अप्रैल, 1978 को जुलूस के दिन रावतपाड़ा जैसे नाजूक क्षेत्र में व्यापक निवारक उपाय करके जिला प्रशासन इस घटना को घटित होने से रोक सकता था। दल को बताया गया कि इससे पहले 1974 में भी डा० बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मदिवस समारोहों में वहाँ गड़बड़ी हुई थी। दल को बताया गया कि आगामी वर्षों में ऐसी गड़बड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए डा० बाबा साहेब अम्बेडकर जयन्ती पर जुलूस निकालते समय एहतियाती उपाय किये गये थे। फिर भी, अनुसूचित जाति के कुछ नेताओं के अनुसार 1977 में वहाँ बिजली सप्लाई करने वाले एक जनरेटर को नाकाम करने की कोशिश की गयी थी। जिला-प्राधिकारियों को इन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए था और कम से कम 14 अप्रैल, 1978 को पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के लिए ज्यादा ईमानदारी और प्रत्यक्ष कार्रवाई करने चाहिए थी जिससे अनुसूचित जातियों की भावनाएं शांत हो जातीं। अनुसूचित जाति के कुछ नेताओं का कहना था कि रावतपाड़ा में रहने वाले कुछ लोगों की ओर से, जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर के कारण इस घटना पर आपत्ति थी। अध्ययन दल मंदिर भी गया और उसने वहाँ

के कुछ लोगों से बातचीत भी की। परंतु दल को इस मत के समर्थन में कोई ठोस आधार नहीं मिला। फिर भी, बिना पर्याप्त छानबीन किये, मंदिर के तनाव के कारणों में एक होने की संभावना से इनकार करना मुश्किल है।

9.50 जहाँ तक 23 अप्रैल, 1978 की घटना का सवाल है, ऐसा लगेगा कि जिला प्राधिकारियों ने रावतपाड़ा में गड़बड़ी की संभावना को देखते हुए वहाँ से जुलूस जाने की इजाजत न देकर सही निर्णय किया। यदि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बात को थोड़ा भी महत्व दिया जाये, तो लाठीचार्ज भ्रमणों और ज्यादती की कार्रवाई लगती है। यह भी मालूम हुआ कि कुछ सवर्ण हिन्दू रावतपाड़ा से जुलूस गुजरने पर खुलेआम गड़बड़ी करने के लिए वहाँ जमा हो गये थे। यह नहीं मालूम हो सका कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और यदि कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो उसके कारण क्या थे।

9.51 जहाँ तक 1 मई, 1978 की घटनाओं का सवाल है, सारी बातों का सिलसिलेवार विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना मुश्किल है। शहर की विभिन्न बस्तियों में लगभग एकसाथ ही अनेक घटनाएँ हुई थी। अध्ययन दल द्वारा एकत्र सूचनाओं के आधार पर इस नतीजे पर तो सरलता से पहुंचा जा सकता है कि पुलिस की कार्रवाई अपेक्षा से अधिक कठोर थी। कुछ घटनाएँ पहले ही विस्तार से दी जा चुकी हैं। दल की कुछ प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं :—

- (क) यह एक तथ्य है कि 1 मई, 1978 को विभिन्न स्थानों पर कुछ बसें जलाई गयी थीं और कुछ लोगों ने गंडागढ़ी की दूसरी वारदातें भी कीं। यह देखा गया कि जहाँ बसें जलाई गयीं या रेलवे लाइन से फिगण्टेंटें हटायी गयीं, गोली चलाने की कोई वारदात नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ, हरिजननों के 5 मुहल्लों में गोली चलाई गयी। सिर्फ दो या तीन स्थानों को छोड़कर गोली चलाने की घटना गलियों और मुहल्ले के भीतरी स्थानों में हुई तथा लोग घरों के अन्दर या छतों पर भागे गये। ग्रामस्तोर पर यही अपेक्षा की जाती है कि किसी सड़क जैसी खुली जगह में पुलिस से भीड़ की मुठभेड़ होने पर ही गोली का सहारा लिया जाये। पर यहाँ ऐसा मालूम पड़ता है कि पुलिस ने हरिजननों का उनके मुहल्लों में घुसकर पीछा किया और गलियों तथा घरों में मनमानो गोलीबारी की।
- (ख) जैसाकि पहले बताया जा चुका है, चाकीपात एक विशिष्ट प्रकार का मुहल्ला है। जिन गरीब हरिजननों पर पुलिस ने गोली चलाई थी, उनके सात घरों को भी फूंक डाला गया। हरिजननों का यह आरोप बिलकुल संभव तथा सत्य मालूम पड़ता है कि पुलिस ने परिवहन भ्रमण की छत से गोली चलाई जिसमें कम से कम एक व्यक्ति मारा गया। गोलीबारी के बाद पुलिस से साठ-गांठ किये कुछ व्यक्ति भागे और उनकी झोंपड़ियां जला दीं। यह घटना तब और भी संभाव्य लगती है, जबकि जिला प्राधिकारियों के पास इसका कोई दूसरा विवरण या स्पष्टीकरण नहीं है।
- (ग) यह देखा गया कि पुलिस कर्ष्य के समय और उसके बाद हरिजननों के मुहल्लों में घुसी और लोगों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया तथा उनके घरों में जबरन घुसी। पुलिस वालों द्वारा सामान तथा नकदी लूटने का आरोप कम से कम कुछ मामलों में सत्य प्रतीत होता है।
- (घ) कई क्षेत्रों में यह विचार व्यक्त किया गया है कि यह सब घटनाएँ पूर्व-नियोजित थीं। पर अध्ययन दल का विचार है कि यह घटनाएँ स्वतः हुईं और उसकी नियोजित ढंग से तैयारी का कोई सबूत नहीं मिला।

- (च) यह भी कहा गया है कि पुलिस न सिर्फ हरिजनों के घरों में घुसी वरन् उनके घरों की निरीह महिलाओं को भी निर्दयतापूर्वक पीटा। रिपोर्ट में श्रीमती मीना के मामले की चर्चा की जा चुकी है। अध्ययन दल ने विभिन्न स्थानों के गंधीर रूप में शारीरिक जर्जरी से पीड़ित अनेक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से मुलाकात की।
- (छ) दल ने पाया कि अनुसूचित जाति के जन्मी व्यक्तियों के मुकाबले में पुलिस के जन्म कहीं मामूली थे। यद्यपि जिला प्राधिकारियों द्वारा बतायी जन्मनों की संख्या 94 है, पर जन्मी व्यक्तियों की वास्तविक संख्या संकड़ों में थी। दूसरी ओर, पुलिस के जन्मी व्यक्तियों की संख्या बहुत थोड़ी थी। इनमें से सिर्फ आधे दर्जन के करीब अस्पताल में भर्ती किये गये थे।
- (ज) ज्यादातर वारदातें 1 मई, 1978 को हुईं तथा सिर्फ एक घटना 2 मई, 1978 को हुई। यहाँ यह समझ में नहीं आता कि अधिकांश घायल पुलिस कर्मी 4 मई, 1978 या उसके बाद के दिनों में अस्पताल में भर्ती क्यों हुए।

9.52 यहाँ इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की बत-सी घटनाएँ हुईं। आयुक्त ने रोहतास जिले के विशारामपुर की एक घटना की जांच एक अनुसंधान अधिकारी भेज कर करवाई थी। जांच परिणाम के प्रमुख अंश 'भूमि, कृषि तथा आवास कार्यक्रमों' के अध्याय में दिये गये हैं।

9.53 आयुक्त ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार की बहुत-सी घटनाएँ क्षेत्रीय निदेशकों (पिछड़ा वर्ग कल्याण) पदेन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उपायुक्तों को भेज दी हैं। वे या तो अपने अधिकारी भेजकर अथवा सम्बद्ध प्राधिकारियों से पताचार करके इन मामलों की जांच करवाते हैं। इनमें से नीचे लिखे कुछ मामलों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

1. बिहार राज्य के भोजपुर जिले के धरमपुरा गांव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या।
2. बिहार राज्य के भोजपुर के सीअंधा गांव के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या।
3. उड़ीसा राज्य के ब्रह्मगिरि जिले के अंगुल थाने तथा परगना में संवापुर गांव के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या।
4. आंध्रप्रदेश के गुंटूर जिले के भल्लुखंडरुपालम गांव की अनुसूचित जाति की एक महिला से छेड़खानी।
5. हरियाणा के सोनीपत जिले के खेवड़ा गांव की अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ मारपीट।
6. हरियाणा के गृहगांव जिले के पटौदी थाने के लांगरा गांव की अनुसूचित जाति की एक लड़की से छेड़खानी।
7. उड़ीसा के सिहभूम जिले में चाइबासा सदर के निकट करकेटा गांव की आदिवासी लड़कियों से छेड़खानी।
8. बिहार के कटिहार जिले में दंडखोरा गांव की अनुसूचित जाति की एक लड़की से छेड़खानी।
9. राजस्थान राज्य के अलवर जिले में हंसोरा गांव के अनुसूचित जाति के एक लड़के के कान काटने से सम्बन्धित घटना।

(1) बिहार राज्य के भोजपुर जिले में धरमपुरा गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या

9.54 समाचारपत्रों की खबरों के अनुसार बिहार राज्य के भोजपुर गांव में 20 अक्टूबर, 1977 को ऊंची जातियों के एक हथियारबंद गिरोह के हमले में अनुसूचित जाति के 4 व्यक्ति मारे गये और

3 महिलाओं समेत 4 अन्य घायल हो गये। आयुक्त ने मामले की जांच क्षेत्रीय निदेशक, पदेन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन्मातियों के उपायुक्त, पटना के द्वारा करवाई। यह पता चला कि घटना 20 अक्टूबर, 1977 को दिन के समय घटी, जबकि अधिकांश गांववासी पास के एक गांव में दुर्गापूजा मनाने गये हुए थे। इसी बीच अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के घर पर दो ग्रामवासी आए और उनसे कहा कि वे बंदायी की फसल के परस्पर मान्य समझौते के लिए महन्त जी के कहां जायें। बताया जाता है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने थोड़ी देर बाद ऐसा करने को कहा। फिर भी कोई 20 मिनट बाद गांव के मंदिर के महन्त जी के नतुत्व में कोई 60 व्यक्ति आए और उन्होंने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर हगला बोल दिया। इस धावे में बंदूक की गोली लगने में अनुसूचित जाति के दो व्यक्ति अस्पताल पर ही मर गये। भीड़ अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों को पकड़कर बस्स के मकान में खींच ले गयी और वहाँ उन्हें मार डाला। कुल मिलाकर अनुसूचित जाति के 4 व्यक्तियों की हत्या हुई और 4 अन्य (एक पुरुष और तीन महिलाएँ) घायल हुए। यह भी पता चला कि अनुसूचित जातियों एवं अहीरों इत्यादि जैसे विभिन्न समुदायों के लोग पिछले 12 साल से महन्त जी की भूमि पर खेती कर रहे थे। बताया जाता है कि 1974 में महन्त जी ने एक ट्रैक्टर खरीदा था और बंदाईदारों को हटाने की कोशिश की। बंदाईदारों ने जून/जुलाई, 1975 में अपने हितों की रक्षा के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की ताकि वे उस जमीन पर खेती करते रह सकें। कटाई के समय महन्त जी ने भी 55 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया और मामला पुलिस के पास लंबित बताया गया। बक्सर के पुलिस निरीक्षक ने अपनी जांच रिपोर्ट में बंदाईदारों के विरुद्ध यह लिखा बताते हैं कि उन्होंने फसल को जबरन काट लिया। बताते हैं कि बंदाईदारों ने पुलिस निरीक्षक की इस रिपोर्ट के विरुद्ध परगना अधिकारी को यहां शिकायत की। परगना अधिकारी ने मामले की और भी जांच की और बिहार बंदाईदार अधिनियम के अधीन आपापीव कृषि विवाद समझौता बोर्ड गठित कर दिया। जहाँ तक मामला पर की गई कार्रवाई का सवाल है, बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने इस गांव का दौरा किया था और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5000 रुपये की रकम की मंजूरी दी थी। इस मामले के 44 अभियुक्तों में से 43 गिरफ्तार कर लिये गये हैं और सिर्फ महन्त जी फरार हैं। महन्त जी किसी तरह 28 अक्टूबर, 1977 को पटना मेडिकल कालेज अस्पताल में घटना से पहले की किसी तारीख में भर्ती हो गये। मामला अदालत के विचाराधीन था।

(2) बिहार राज्य में भोजपुर के शार थाने के सिओथा गांव के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या

9.55 अक्टूबर 1977 में अखबारों में समाचार था कि बिहार राज्य में भोजपुर के शार थाने में सिओथा गांव के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी है। पिछड़े वर्गों के कल्याण के क्षेत्रीय निदेशक ने मामले की आवश्यक जांच की। जांच रिपोर्ट से मालूम हुआ कि गांव जिस क्षेत्र में अवस्थित है, वह नक्सलियों की गतिविधियों के प्रभाव के अंतर्गत है और क्षेत्र के लोग आमतौर से भयानक रहते हैं। नक्सली गतिविधियों के कारण 1974 में एक सवर्ण हिन्दू की हत्या कर दी गयी थी और इस मामले में अनुसूचित जाति के अधिकांश व्यक्तियों पर अभियोग लगाया गया था। 1976 में एक सवर्ण हिन्दू महिला पर हमला किया गया था और इस मामले में अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियों को बिना आधार लपेट लिया गया। इन दो घटनाओं के कारण गांव के राजपूतों और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में वैमनस्य बढ़ गया। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने बताया कि राजपूतों ने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की अत्यंत नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी थी। पुलिस ने उनके नक्सली होने के बहाने कई मौकों पर

उनके घरों की तलाशी ली। ऐसा मामल पड़ता था कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या के इस मामले में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों और राजपूतों के पुराने वैमनस्य के सिवाय कोई खास मुद्दा नहीं था। मामला अदालत में विचाराधीन है।

(3) उड़ीसा में धनकनाल जिले के अंगुल थाने तथा परगने के सत्रापुर गांव के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या

9.56 केन्द्रीय सरकार के एक अधिकारी ने जुलाई 1978 में धनकनाल जिले के एक गांव में अपने चाचा की हत्या के बारे में शिकायत दर्ज करवाई। यह भी कहा गया कि 9 जून, 1978 को गांव के सवर्ण हिन्दुओं द्वारा मृत व्यक्ति के सबसे बड़े बेटे को छुरा धोपा गया तथा उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी मारा-पीटा गया। भुवनेश्वर स्थित पिछड़े वर्गों के उप-निदेशक द्वारा इस मामले की जांच कराई गई। रिपोर्ट से पता चला कि धनकनाल जिले के अंगुल थाने और परगने के सत्रापुर गांव के अनुसूचित जाति के परिवार भूमिहीन मजदूर हैं और टोकरी बनाने का भी काम करते हैं। गांव में छुताछूत की प्रथा प्रचलित है। उस समय गांव की अनुसूचित जाति की बस्ती में राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से एक कुएं का निर्माण कार्य चल रहा था। कुएं से पानी निकालने के लिए ठेकेदार ने रथ महोत्सव के अवसर पर रथ बनाने के लिए रखे लकड़ी के कुछ पटरों का प्रयोग कर लिया। यह पट्टे कुएं की सतह पर रखे गये थे और अनुसूचित जाति के कामगार उन पर खड़े होकर पानी खींचते थे। 17 जून, 1978 को आने वाले रथ उत्सव की व्यवस्था पर विचार-विमर्श करने के लिए ग्रामीणों को एक बैठक हुई। विचारविमर्श के दौरान कुछ सवर्ण हिन्दुओं ने यह आपत्ति की कि रथ उत्सव के रथ के लिए रखे गये लकड़ी के पट्टे अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा दूषित कर दिये गये हैं। इस पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने आपत्ति की और कहा कि हमारी बनाई बांस की चटाइयां उत्सव में इस्तेमाल की जाती हैं और दूषित नहीं मानी जातीं, फिर लकड़ी के पट्टों को हमारे द्वारा छुने पर क्यों आपत्ति की जा रही है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने सवर्ण हिन्दुओं से कहा कि इस वर्ष के रथ-उत्सव में वे बांस की चटाइयां सप्लाई नहीं करेंगे। वाद-विवाद के दौरान कुछ सवर्ण हिन्दुओं ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। 19 जून, 1977 की शाम को दोनों समुदायों के बीच संघर्ष हुआ जिसमें दोनों ही पक्षों के व्यक्ति घायल हुए। एक व्यक्ति के सिर पर चोट आई और उसे बेलगाड़ी से जा रहा था और शोधकाल्य पट्टुचाया गया, पर दूसरे दिन अंगुल अस्पताल जाते हुए उसकी मृत्यु हो गयी। तत्काल अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सम्बद्ध धाराओं तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन मामले दर्ज किये गये। सवर्ण हिन्दुओं के सात व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। राज्य सरकार ने मृत व्यक्ति के परिवार को 2000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया। यह महसूस किया गया कि सहायता की राशि अपर्याप्त है और सहानुभूतिपूर्वक कारणों से कम से कम 5000 रुपये की राशि दी जानी चाहिए। आयुक्त ने इस विषय पर मुख्यमंत्रों से सम्पर्क किया। इस विषय में किये गये निर्णय की अब तक कोई सूचना नहीं मिली है।

(4) आंध्र प्रदेश में गूटूर जिले के भल्लखंडड्ड्यालम गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला से छेड़खानी

9.57 26 फरवरी, 1977 को समाज कल्याण परिषद् की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। अभ्यावेदन में गूटूर जिले के भल्लखंडड्ड्यालम गांव की अनुसूचित जाति की एक महिला को कुछ सवर्ण हिन्दुओं द्वारा यातना देने और बलात्कार किये जाने की शिकायत की। तेनाली के मंडलीय राजस्व अधिकारी ने मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट से पता चला कि सवर्ण हिन्दुओं ने अनुसूचित जाति की महिला के साथ

मवेशीखाल में बलात्कार किया और उसे पीटा। यह भी कहा जाता है कि उसे 5 दिन तक गैर-कानूनी रूप में निरुद्ध रखा गया और बाद में पुन्नूर के एक प्रायवेट अस्पताल में भेज दिया गया। महिला को 10 दिनों तक चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि वह रक्षाधाय के अतिरिक्त से पीड़ित थी। बाद में डॉक्टर को पुलिस जांच से कथित बलात्कार की जानकारी मिली। वह भी बताया गया कि कोई भी व्यक्ति गवाही के लिए सामने नहीं आ रहा था तथा गांव वाले अभियुक्तों का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। किसी निश्चित डॉक्टर से सबूत के अभाव में बलात्कार का मामला बनाना संभव नहीं था। बताया जाता है कि अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की 325, 334 तथा 342 धाराओं के अधीन मामले दर्ज किये गये थे। अभियोग पुन्नूर के न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी) की अदालत में दायर किया गया। अनुसूचित जाति की महिला को राहत देने के लिए 2000 रुपये की मंजूरी दी गई थी। गूटूर के जिला कलेक्टर से प्राप्त एक और सूचना से मालूम हुआ कि अदालत ने मामले का निर्णय कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले के अनुसार प्रमुख अभियुक्त का जुर्म सन्नित पाया गया और उसे आठ महीनों की कैद की सजा दी गयी। 4 अन्य अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन प्रत्येक को 200 रुपये के जुमाने की सजा दी गयी, जिसके न देने पर एक महीने की कड़ी कद की सजा होगी।

(5) हरियाणा राज्य में सोनीपत जिले की खेवड़ा गांव की हरिजन महिला के साथ मारपीट

9.58 सनाचारपत्र में छपी एक खबर के अनुसार हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत के खेवड़ा गांव की अनुसूचित जाति की एक महिला पर एक सवर्ण हिन्दू ने जालियाना हमला किया। मामले पर जिला प्राधिकारियों से लिखा-पट्टी की गयी। जिला प्राधिकारियों की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि एक सवर्ण हिन्दू द्वारा अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार किया गया। सोनीपत जिले के राई थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया बताया जाता है। अभियुक्त के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में मुकदमा दायर किया गया है।

(6) हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में पटौदी थाने के लांगरा गांव की अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ छेड़खानी

9.59 1977 के सितम्बर में गुड़गांव जिले में पटौदी थाने के लांगरा गांव के अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। अभ्यावेदन में कहा गया था कि 20 जुलाई, 1977 को एक सवर्ण हिन्दू ने उसकी नाबालिग बहन के साथ बलात्कार किया। लड़की खेत में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई पायी गयी और फिर उसे उठाकर गांव लाया गया। इस मामले को गांव की पंचायत में भी उठाया गया, पर कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आया। 21 जुलाई, 1977 को पटौदी थाने में मामले को रपट लिखा दी गयी। लड़की को डॉक्टरों की जांच की गयी जिसके आधार पर बलात्कार का मामला बनता था। यह भी कहा गया कि अभियुक्तों ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को धमकाना शुरू कर दिया था ताकि वे मामले की पैरवी न की जा सकें। मामले पर जिला प्राधिकारियों को लिखा गया। उनसे प्राप्त एक पत्र से मालूम हुआ कि गुड़गांव के पुलिस अधीक्षक पहले ही मामले की जांच कर चुके हैं और उनकी जांच के आधार पर ही सितम्बर 1977 में चालान किया गया था। जहां तक मुकदमा दायर करने वालों को सवर्ण हिन्दू भूपतियों द्वारा दी जाने वाली धमकी का सवाल है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 151 के अधीन पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(7) बिहार राज्य के सिंहभूम जिले के करकेटा चाइबासा सदर गांव में आदिवासी लड़की के साथ छेड़खानी

9.60 15 अक्टूबर, 1977 के एक समाचार के अनुसार दो आदिवासी युवतियां मार डाली गयीं और तीसरी चाइबासा सदर अस्पताल में गंभीर हालत में थी। समाचार में यह भी बताया गया था कि 10 अक्टूबर, 1977 की रात को सिक्का गांव के तीन युवक पड़ोस के करकेटा गांव में आये और तीनों लड़कियों के कमरे में घुस गये। युवकों ने लड़कियों का शील भंग करना चाहा, पर लड़कियों ने इसका प्रतिरोध किया। अभियुक्तों ने लड़कियों पर हमले किये और एक लड़की तत्काल मर गयी। दूसरी चाइबासा अस्पताल में मरी। अस्पताल में तीसरी की दशा गंभीर बतायी गयी। मामले पर सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक को लिखा गया। उनकी रिपोर्ट से पता चला कि 10 अक्टूबर, 1977 की रात को तीन व्यक्तियों ने करकेटा गांव के अनुसूचित जाति के एक वृद्ध की हत्या कर दी थी। उन्होंने दो लड़कियों पर भी हमले किये जिनसे एक तत्काल मर गयी और दूसरी चाइबासा अस्पताल में मरी। पुलिस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कथित अपराधी अनुसूचित जनजाति के घर में दो युवतियों के साथ बलात्कार करने के लिए घुसे थे। अभियुक्तों में दो गिरफ्तार कर लिये गये और तीसरा फरार बताया जाता है। मामला अदालत के विचाराधीन बताया जाता है।

(8) बिहार राज्य के कटिहार जिले में बंडखोरा गांव की अनुसूचित जाति की लड़की के साथ छेड़खानी

9.61 1978 के अगस्त महीने में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नामक एक संगठन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। अभ्यावेदन का सम्बन्ध बंडखोरा गांव के एक सवर्ण हिन्दू के खेत पर अपनी मां के साथ काम कर रही अनुसूचित जाति की एक लड़की के साथ बलात्कार के मामले से था। उसमें महिला डाक्टर, गांव के सरपंच तथा अन्य सवर्ण हिन्दुओं पर भी आरोप लगाये गये थे। मामला विशेष सचिव (गृह विभाग), बिहार सरकार (हरिजन सैल) तथा कटिहार के जिला अधिकारियों को भेज दिया गया। उनके जवाब का अब भी इंतजार है।

(9) राजस्थान राज्य के अलवर जिले के हसोरा गांव के अनुसूचित जाति के एक बालक के कान काटने सम्बन्धी घटना

9.62. समाचार था कि अलवर जिले के हसोरा गांव के एक हरिजन बालक के कान कुछ सवर्ण हिन्दुओं ने काट कर अलग कर दिये। समाचार में यह भी कहा गया था कि जिला दलित वर्ग नामक संगठन से सम्बद्ध एक व्यक्ति बालक को लेकर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने गया परंतु पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की। समाचार में इयूटी पर तैनात पुलिस कमियों की लापरवाही पर जिला प्राधिकारियों के जांच करवाने के आदेश का भी हवाला था। मामले के बारे में पुलिस अधीक्षक को लिखा गया और उनके जवाब से मालूम हुआ कि 27 अगस्त, 1978 को अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति पेड़ लगा रहा था जिस पर कुछ सवर्ण हिन्दुओं ने आपत्ति की थी। दोनों समूहों के बीच गरमा-गरमी हो गयी और बालक भी पेड़ लगाने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति का पक्ष ले रहा था। 28 अगस्त, 1978 की सुबह दोनों पक्षों में फिर झगडा हुआ जिसके दौरान पीड़ित बालक के कान काट लिये गये। पुलिस अधीक्षक को सैजो रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कथित अपराधियों द्वारा पीड़ित बालक को 300 रुपये दिये गये थे और

मामले पर समझौता हो गया है। इस कार्यालय ने इस मामले पर पुलिस अधीक्षक को लिखा है कि वे यह बताये कि इस तरह के अपराधिक मामले में क्या समझौता किया जा सकता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में की गई विशेष व्यवस्था

केन्द्रीय गृह मंत्रालय में संगठनात्मक ढांचा

9.63. जहाँ तक गृह मंत्रालय में संगठनात्मक ढांचे का सम्बन्ध है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों को निपटाने का काम राष्ट्रीय समाकलन प्रभाग (नेशनल इंटिग्रेशन डिवाइजन) देखता है। यह प्रभाग उप-सचिव स्तर के एक अधिकारी की देखरेख में है। वह मामलों की गंभीरता के अनुसार उन्हें सम्बन्धित संयुक्त सचिव, अपर सचिव, गृह सचिव, मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्री को प्रस्तुत करता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामले में मंत्रालय बराबर राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये रखता है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर अत्याचारों, उनके स्वरूप तथा उन मामलों की जांच तथा उन पर विचारण के आंकड़े राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से नियुक्तकालिक विवरणियों के जरिये एकत्र किये जाते हैं। मंत्रालय की जानकारी में लाये गये अत्याचार के विशिष्ट मामलों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी संपर्क किया जाता है। राज्य सरकारों को शीघ्र और कारगर जांच कराने तथा अपराधियों पर अभियोजन के लिए समय-समय पर सुझाव भी दिये जाते हैं। इस बुराई को समाप्त करने के लिये प्रस्तावित उपायों पर क्षेत्रीय परिषदों, मुख्यमंत्री सम्मेलन तथा मुख्य सचिव सम्मेलन जैसे विभिन्न मंचों पर भी चर्चा की जाती है।

9.64. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामले दृष्टीगत अपराध होते हैं और "सार्वजनिक आदेश" के अन्तर्गत आते हैं, जो संविधान की सातवें अनुसूची की प्रथम प्रविष्टि के अनुसार राज्य के विषय हैं। यह मामले केवल राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। शुद्ध विधिक तथा संवैधानिक दृष्टि से इस विषय पर केन्द्र का क्षेत्राधिकार बिल्कुल नहीं है। फिर भी इस बुराई को समाप्त करने के लिए केन्द्र बराबर राज्यों से सम्पर्क रखता है।

अनुसूचित जातियों आदि पर अत्याचार से निपटने के लिए राज्यों में की गई विशेष व्यवस्था का विवरण आंध्र प्रदेश

9.65 अपराध शाखा (केन्द्रीय गुप्तचर विभाग) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेष सैल की मंजूरी दे दी गयी है। सैल नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन जांच करवाने, अपराधों पर मुकदमा चलाने और वह उन्हें निपटाने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों इत्यादि पर निगरानी रखेगा तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई करेगा। सैल के प्रधान एक अपर पुलिस अधीक्षक हैं। उनके साथ दो पुलिस उप अधीक्षक, तीन इंस्पेक्टर, दो पुलिस कांस्टेबल तथा आवश्यक लिपिक वर्गीय स्टाफ सहयोगी हैं। कलक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को भी प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिकायतों को देखने के लिए सैल कायम करने के निर्देश दे दिये गये हैं। वर्ष 1976 तथा 1977 के दौरान निपटारे गये अत्याचार के मामलों की सूचना नीचे दी गयी है:—

| वर्ष | अनुसूचित जातियों | | | | | अनुसूचित जनजातियों | | | | |
|------|------------------|----------------|-------|-----|------------|--------------------|----------------|-------|-----|------------|
| | रिपोर्ट किये गये | चालान किये गये | दंडित | बरी | आपसी फैसला | रिपोर्ट किये गये | चालान किये गये | दंडित | बरी | आपसी फैसला |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1976 | 232 | 210 | 41 | 130 | 27 | 10 | 7 | 2 | 4 | -- |
| 1977 | 187 | 152 | 7 | 47 | 8 | 17 | 12 | -- | 3 | -- |

बिहार

9.66 पुलिस के उप-महानिरीक्षक के अधीन गृह विभाग के अंतर्गत हरिजन शिकायत सैल कायम किया गया है। सैल में एक पुलिस उप-अधीक्षक, सात पुलिस इंस्पेक्टर तथा पांच कांस्टेबल आदि हैं। राज्य के मंडल/जिला/परगना स्तर पर अभी इस सैल की शाखाएँ नहीं प्रारम्भ की गयी हैं। 1977 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से 1613 शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि 1976 में 1284 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। हरिजन सैल के अधिकारियों द्वारा 1976 में 148 मामलों तथा 1977 में 301 मामलों की जांच की गयी।

राज्य शिकायतें और अत्याचार जनजातियों के आवाज श्री शशि रूमा का बिहार राज्य में अत्याचारों को रोकने के उपायों के क्रमबद्ध हो जानकारों के लिए किया गया दौरा

9.67. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने जून 1978 में बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार रोकने के घोषित उपायों के क्रियान्वयन की जांच/री हासिल करने के लिए बिहार राज्य का दौरा किया। अपने दौरे के सिलसिले में आयुक्त राज्य के मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार को और अधिक कार्य करने की आवश्यकता पर ध्यान दिखाया। उन्होंने अत्याचार के मामलों की जांच में जिला मजिस्ट्रेटों/पुलिस अधीक्षकों की ओर से होने वाली शिथिलता की जिम्मेदारी ठहराने के लिए विशेष प्रशासन-तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता का जिक्र किया। आयुक्त ने अत्याचारों की रोकथाम के लिए प्रशासनिक ढांचे का भी सबान उठाया। आयुक्त का विचार था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध सभी मामले किसी एक ही विभाग (हरिजन सैल हो तो बेहतर) के अंतर्गत आने चाहिए, जिससे वह ज्यादा प्रभावकारी हो सके। आयुक्त ने हरिजन सैल और उप-महानिरीक्षक सैल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की प्रश्न का भी जिक्र किया। राज्य के मुख्यमंत्री को यह भी सुझाव दिया गया कि मंडल स्तर पर तथा घटना-बहुल 15 जिलों में विशेष पुलिस थाने खोले जायें। जहाँ तक समस्याग्रस्त जिलों में चुने हुए पुलिस अधिकारियों वगैरह की तैनाती का सम्बन्ध है, मुख्यमंत्री ने आयुक्त को बताया कि इस तरह की सूची तैयार की जा रही है। आयुक्त मित्रिम तथा पुलिस अधिकारियों के पत्रमाला कैम्प रोड्स में उन अनुसूचितों पर कानूनीयन की जानकारी चाहते थे, जिनमें रिपोर्ट भरने वाला अधिकारी कमजोर वर्गों के प्रति सम्बंधित अधिकारी के रवैये को रिकार्ड करता है। वह कमजोर वर्गों की महानुभूति प्राप्त करने के लिये सचिव तथा पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन के विषय में भी जानना चाहते थे। मुख्यमंत्री ने आयुक्त को बताया कि पाठ्यक्रम में अभी कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं, पर चरित्र पंजी सम्बन्धी अनुदेशों पर कड़ाई से श्रमल किया जा रहा है। आयुक्त के इस सुझाव से मुख्यमंत्री सहमत थे कि सही किस्म के लोक अभियोजकों का बेहतर चयन किया जाये। मुख्यमंत्री ने आयुक्त को आगे बताया कि अत्याचार के मामले में अभियुक्तों के आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में वे बहुत फुर्त रहें हैं, पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण बहुत सहायक नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने आयुक्त को बताया कि वह गांधी की भूमि से अनुसूचित जातियों के बेदखल किये गये परिवारों को वापस लाने के लिये कदम उठा रहे हैं। उन्होंने भोजपुर क्षेत्र के अनुसूचित जाति के 32 व्यक्तियों मामलों का विशेषतौर पर जिक्र किया, जिनमें ऐसे व्यक्तियों को अपने गांवों में वापस लाया गया था और उन्हें भूमि दी गयी थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का सभी थानों में शांति समितियाँ गठित करने का प्रस्ताव है और इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक को निर्देश दे दिये गये हैं। दौरे के समय आयुक्त ने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए सहमत

करवाने का प्रयास किया कि अनुसूचित जातियों वगैरह की अधिक दशा सुधारने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये और उन्हें अधिक सहायता देने के लिए एक निगम गठित किया जाना चाहिये।

गुजरात

9.68 गुजरात सरकार द्वारा कायम किया गया हरिजन सैल एक अपर पुलिस महानिरीक्षक के अधीन है और उसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। गांधीनगर तथा राजकोट में सैल के दो क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। सैल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सीधे श्रवण। उच्च प्राधिकारियों के द्वारा मिलन वाली शिकायतों की जांच करता है। सैल अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाले होटलों तथा हजामत की दुकानों पर छापे भी मारता है। 1976-1977 तथा 1978 के दौरान सैल द्वारा निम्नलिखित गये मामले इस प्रकार हैं :—

| वर्ष | रिपोर्ट किये गये | दंडित | बरी | आपसी पैसला |
|------|------------------|-------|-----|------------|
| 1976 | 19 | 2 | 6 | 7 |
| 1977 | 51 | — | 14 | 4 |
| 1978 | 33 | — | — | 2 |

हरियाणा

9.69 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य-स्तरीय सैल गठित करने की सूचना है। सैल कल्याण परियोजनाओं, भूमि आवंटन, सेवाओं में प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराधों को दण्ड करने, जांच तथा अभियोजन करने वाली प्रशासनिक एजेंसियों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने का काम करेगा। इस सैल द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हिमाचल प्रदेश

9.70 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों पर रक्षा के लिए अप्रैल 1973 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक सैल गठित किया गया था। पुलिस मुख्यालय में उप-महानिरीक्षक (सी०आई०डी०) की देखरेख में एक विशेष सेवा सैल गठित किया गया था। इसका काम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध किये गये अपराधों की सूचना को धानीटर करना था। सांख्यिकी सूचना एकत्र करने के अलावा सैल हरिजनों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई का भी ध्यान रखता है। जिला मुख्यालयों में भी इसी तरह के सैल गठित किये गये बताये जाते हैं। राज्य सरकार के स्तर पर मुख्य सचिव के अधीन एक विशेष सैल गठित किया गया है, जो हरिजनों के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित कार्रवाई का निरीक्षण करेगा।

केरल

9.71 सचिवालय के लोक विभाग में मुख्यमंत्री के अधीन एक विशेष रोजगार सैल गठित किया गया है। एक विशेष चल दस्ता छुप्राछत को दूर करने के लिए काम कर रहा है। चल दस्ता अपराध शाखा (सी०आई०डी०) के अधीन कार्य कर रहा है और विशेष सैल द्वारा चलाये जाने वाले मामलों का अभियोग-पत्र सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालतों में प्रस्तुत किया जाता है।

रघ्य प्रदेश

9.72 बताया जाता है कि एक विशेष हरिजन कल्याण सैल गठित किया गया है। सैल का मुख्यालय भोपाल में है और इसमें एक उप-महानिरीक्षक, 8 पुलिस उप-अधीक्षक, 7 पुलिस उप-निरीक्षक, 14 हेड कांस्टेबल तथा 128 कांस्टेबल हैं। सैल के अधीन 7 विशेष पुलिस थाने हैं। प्रत्येक का क्षेत्राधिकार समूचे मंडल में है। यह व्यवस्था मौकों पर कारगर तहकीकात/जांच के लिये की गई है। इस तरह के प्रत्येक पुलिस थाने पर एक पुलिस उप-अधीक्षक, एक उप-निरीक्षक तथा कांस्टेबल और 4 हेड कांस्टेबल है।

महाराष्ट्र

9.73. नागरिक अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिये दिसम्बर, 1977 में पुलिस उप-महानिरीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष सैल गठित किया गया था। बताया जाता है कि नासिक, औरंगाबाद, कोल्हापुर, नागपुर तथा धाना में छह नागरिक अधिकार संरक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। गंधीर किस्म के अत्याचार के सभी मामले इस सैल के पुलिस उप-महानिरीक्षक को विशेष जांच के लिए सौंपे जाते हैं। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार सैल को 149 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें 60 शिकायतों की जांच की जा चुकी थी। यह भी समझा जाता है कि महाराष्ट्र सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम केन्द्रों की गतिशीलता और क्षमता में सुधार लाने के लिए मार्च 1978 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 6 जीपी खरीदने के लिए 3.00 लाख रुपये के अनुदान का प्रस्ताव भेजा था। परन्तु यह नहीं मालूम कि भारत सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं।

कर्नाटक

9.74. नागरिक अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए अलग सैल खोलने वाला कर्नाटक पहला राज्य था। सैल का प्रधान एक पुलिस उप-महानिरीक्षक है। यह भी समझा जाता है कि सैल के उत्तम कार्यों से प्रोत्साहित होकर राज्य सरकार रैंज स्तर पर तथा जिला स्तर पर ऐसे ही सैल खोलने का विचार कर रही है।

उड़ीसा

9.75. अनुसूचित जातियों के साथ अस्पृश्यता का अन्वहार करने, उत्पीड़न तथा अत्याचारों के मामलों को निपटाने के लिए पुलिस महा-विरीक्षक के कार्यालय में एक सैल खोला गया है।

पंजाब

9.76. चंडीगढ़ स्थित पुलिस मुख्यालय में अनुसूचित जातियों की शिकायतों/आरोपों पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष उद्घनवत्ता कायम किया गया है। जब कभी अत्याचार को कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो अनुसूचित जातियों को शिकायत को दूर करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस उप-अधीक्षक तैनात किया जाता है।

राजस्थान

9.77. अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में एक विशेष सैल खोला गया था। सैल में पुलिस उप-अधीक्षक के पद के एक पुलिस अधिकारी को विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। इस तरह के मामलों से निपटने के लिये गृह विभाग तथा पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में सैल खोले गये बताये जाते हैं।

9.78. जहाँ तक सचिवालय में स्थापित विशेष सैल में किये गये कार्यों का सवाल है, यह समझा जाता है कि सितम्बर 1977 से 31 मई, 1978 तक कुल 4,850 अत्याचारेण प्राप्त हुए थे। 436 मामलों में विशेष रिपोर्टें मांगी गयी थीं। 4,414 मामले विभिन्न विभागों को भेजे गये थे। 219 के अंतिम जवाब मिल चुके हैं। 32 मामले झूठे पाये गये 1974 से आगे सैल को प्राप्त मामलों को निपटाने का वर्ष-वार विवरण नीचे प्रस्तुत है :—

| अवधि | रिपोर्टें किये गये मामले | जांच पूरी की गई | मौके पर जांच के रिये | जिला प्रशासन झूठी पाई गई | जिलों में लंबित | जांच के लिए लंबित |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सितम्बर 1974 से दिसम्बर 1974 | 32 | 32 | 8 | 24 | 7 | — |
| 1 जनवरी 1975 से 31 दिसम्बर 1975 | 62 | 62 | 19 | 43 | 14 | — |
| 1 जनवरी 1976 से 31 दिसम्बर 1976 | 33 | 33 | 9 | 24 | 3 | — |
| 1 जनवरी 1977 से 31 अगस्त 1977 | 21 | 16 | 2 | 14 | 2 | 5 |

9.79. यह देखा गया है कि स्वतंत्र सैल भी ज्यादातर जांच कार्यों के लिए जिला-प्रशासन पर निर्भर करते हैं और स्वतः मौके पर जाकर जांच करने का तरीका ग्रामस्तरीय पर अमल में नहीं लाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश

9.80. पुलिस उप-महानिरीक्षक की देखरेख में राज्य मुख्यालय में एक कार्य-दल गठित किया गया है, जो अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध सम्बन्धी सभी शिकायतों पर तुरंत जांच-कार्य करेगा। सैल राज्य सरकार द्वारा भेजे गये अत्याचार के महत्व-पूर्ण मामलों में स्वयं जांच-कार्य करता है।

पश्चिम बंगाल

9.81. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर दुर्व्यवहार की शिकायतों पर जल्दी से जांच करवाने तथा अभियुक्तों पर शीघ्रता से एहतियाती कार्रवाई करवाने के लिए पुलिस मुख्यालय में एक विशेष सैल खोला गया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के निमित्त राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विशेष कदम

9.82. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए पूर्व-वर्णित विशेष सैल

कायम करने के अलावा राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित विशेष कदम उठाए हैं।

आंध्र प्रदेश

9.83. वर्तमान विशेष व्यवस्थाओं के अधीन, मुख्य सचिव पदेन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आयुक्त के रूप में भी कार्य करता है। आयुक्त के कार्यों में से एक कार्य इन समुदायों के लोगों की शोषण तथा उत्पीड़न से बचाने से सम्बन्धित है। कलक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट पदेन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपायुक्त होते हैं और अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में उन पर भी उन्हीं जिम्मेदारियों का कार्य-भार होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की राज्य स्तरीय समिति के कार्यों में एक कार्य उत्पीड़न तथा अत्याचार के मामलों की समीक्षा करना भी है। कलक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को स्थायी आदेश हैं कि अत्याचार के घटनास्थल पर तत्काल पहुंचें तथा ऐसे अपराधों की शीघ्रता से छानबीन की व्यवस्था का ध्यान रखें। इससे अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा होगी। कलक्टर तथा पुलिस अधीक्षक अत्याचार के सभी मामलों की निमाही समीक्षा किया करेंगे

जिससे उन मामलों पर नजर रखी जा सके और यदि जांच की विभिन्न स्थितियां तथा अभियोजन की विफलता में कोई विलम्ब अथवा चूक की गयी हो तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके। समाज कल्याण विभाग के सचिव समय-समय पर अत्याचार के मामलों को समीक्षा करते हैं।

बिहार

9.84. बिहार सरकार ने अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के सम्बन्ध में जिला या परगना अधिकारियों अथवा सक्षम पुलिस अधिकारियों की सही सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति को 100 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने अनुग्रह नारायण सिन्हा सासाजिक अध्ययन संस्थान में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य कराने के लिए एक सैल खोला है।

राज

9.85. सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों को जारी अपने पहले के अनुदेशों पर फिर जोर दिया है कि अपने क्षेत्रों में होने वाली अत्याचार की घटनाओं के लिए वे व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे। विधायकों की एक समिति, जो इस कार्य के लिए गठित बतायी जाती है, अत्याचार की वारदातों की सरगर्मियों से समीक्षा कर रही है। राजकोट तथा गांधीनगर जिलों के पुलिस उप-महानिरीक्षकों के अधीन दो विशेष सैल काम कर रहे हैं। सैलों में एक पुलिस उप-अधीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक, दो हेड कास्टबल तथा तीन कास्टबल हैं। अपर पुलिस महानिरीक्षक को अत्याचार के सभी मामलों देखने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हिमाचल प्रदेश

9.86. राज्य सरकार ने राज्य पुलिस मुख्यालय में उप-महानिरीक्षक (सी०आई०डो०) को व्यक्तिगत देखरेख में एक सैल खोला है, जो हरिजनों के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने और शीघ्र तथा कारगर निवारक/दोष निवारक कार्रवाई पर ध्यान रखने का कार्य करता है। जिला मुख्यालयों में भी इसी तरह के सैल कायम किये गये हैं। प्रत्येक थाने पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का दर्ज करने के वास्ते विशेष रजिस्टर रखे गये हैं। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध होने वाले सभी अपराध के मामलों की जांच स्वयं थाने के प्रभारी अधिकारी करेंगे। पुलिस अधीक्षकों/पुलिस उप-अधीक्षकों/जिला निरीक्षकों का अत्याधिक तत्परता से की जाने वाली इस जांच की व्यक्तिगत देखरेख करनी जरूरी है। उप आयुक्त को अध्यक्षता में काम करने वाली जिला राजस्व समिति को, अनुसूचित जातियों के खेतों या घर बनाने के वास्ते बांटो गई भूमि की बे-दखली के मामले पर, विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार के स्तर पर मुख्य सचिव के अधीन एक खास सैल कायम किया गया है, जो हरिजनों के विरुद्ध किये गये अपराधों के सदर्भ में की गई कार्रवाई पर नजर रखेगा।

महाराष्ट्र

9.87. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में एक कृतिक बल

(टास्क फोर्स) है। कृतिक बल, इस लिहाज से मायुक्त क्षेत्रों की एक सूची तयार करता है और समय-समय पर उन स्थानों का दौरा करता रहता है। कृतिक बल को इस तरह के अपराधों के सम्बन्ध में आसूचना भी एकत्र करनी होती है एवं उन पर कार्रवाई करनी होती है। प्रत्येक जिले में सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों वाली एक जिला सतर्कता समिति होती है। समिति के सदस्यों को अस्पृश्यता को दूर करने के वास्ते चुने हुए गांवों में ठहरने को इजाजत होती है। हरिजनों पर उत्पीड़न/अत्याचार को शिकायतों से निपटने के वास्ते एक सैल कायम किया बताया जाता है। पुलिस महानिरीक्षक के मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक के अधीन एक इकाई कायम की गयी बतायी जाती है। यह इकाई रोज तथा जिला स्तर पर होने वाले कार्यों की देखरेख करेगा। जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को इस कार्य के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है और शिकायतों को दर्ज करने तथा उनकी जांच करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

पंजाब

9.88. राज्य के सभी उप-मंडलीय पुलिस अधिकारियों तथा थाना अधिकारियों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की शिकायतों को शीघ्र निपटाने के आदेश दे दिये गये हैं। प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त सहायक आयुक्त को हरिजनों पर कभी भी उत्पीड़न का मामला होने पर तत्काल राहत पहुंचाने का कार्य देखने के लिए नियत किया गया है।

राजस्थान

9.89. पुलिस द्वारा जांच किये गये अत्याचार के प्रत्येक मामले के विषय में जिला मजिस्ट्रेटों को प्रेस विज्ञप्ति जारी करने को कहा गया है।

तमिलनाडु

9.90. 6 जिलों में पुलिस के 6 चल दस्ते तैनात किये गये हैं। यह दस्ते भीतरी इलाकों के गांवों में हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं के बारे में छानबीन करने के लिए जाते हैं और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मामलों को दर्ज करके तत्काल कार्रवाई करते हैं।

अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को द्वितीय सहायता का अनुदान

9.91. माघ देश सरकार ने 1975 में एक योजना* प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत सर्वत्र हिन्दुओं द्वारा अत्याचार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिकार व्यक्तियों को 2,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता की व्यवस्था थी। दिसम्बर 1976 में राज्य सरकार ने इस योजना की समीक्षा की और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत के उपायों में परिशीलन किया, जो स्थायी रूप से अशक्त हो गये थे या मर गये थे। परिशीलित उपायों के अंतर्गत अस्थायी रूप से अशक्त हो गये या मर गये व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों को भूमि दी जा

* राहत की मजूरी के लिए जिन अपराधों को अत्याचारों के वर्ग में रखा गया था, वे थे: हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई, बलात्कार और गंभीर किस्म को बदमाशी या आगजनी। कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या स्थायी रूप से अशक्तता की स्थिति में राहत के रूप में 2,000 रुपये की राशि दी जा सकेगी और न कमाने वाले सदस्य को इसी प्रकार क्षति पहुंचाने पर राहत की रकम 1,000 रुपये तक सीमित रखी गयी थी। कमाने वाले सदस्य की अस्थायी अशक्तता की स्थिति में राहत की सीमा 500 रुपये थी और न कमाने वाले सदस्य को 250 रुपये तक की राहत की व्यवस्था थी। घर और/या उसमें रखी घर के सामान और चल सम्पत्तियों की क्षति की स्थिति में 250 से 500 रुपये की राहत दी जा सकती थी।

सकती थी। ऐसे परिवारों को दुधारू पशु आदि भी दिये जा सकते थे। अत्याचार के शिकार व्यक्तियों के बच्चों को समाज कल्याण/आदिवासी कल्याण/पिछड़े वर्ग के छात्रावासों में प्रवेश दिया जा सकता था। इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त सुविधाओं की तुरंत व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को और किसम की राहत भी मंजूर की थी। आजीविका देने या अवरक्षण भत्ते का भुगतान आदि को भी व्यवस्था की गई थी।

9.92. उपरोक्त योजना की सिफारिश केंद्रीय सरकार ने राज्यसरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भेजी थी और उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार इसी प्रकार की योजनाएँ हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पहले से चलायी जा रही हैं। जातीयता के आधार पर किये गये अत्याचारों के शिकार लोगों को आर्थिक राहत के अनुदान को एक योजना गुजरात में भी प्रारंभ की गयी थी। 1977-78 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 0.95 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। सहायता का आधार राज्य सरकार के विचाराधीन था। समझा जाता है कि आंध्र प्रदेश जैसी राज्यानाओं पर बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी विचार कर रही हैं। अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह की कम घटनाओं के कारण आंध्र प्रदेश जैसी कोई योजना अभी तक नहीं बनायी है।

9.93. पिछले पंचवर्षों से अनुमान लगाया जा सकता है कि अत्याचार और उत्पीड़न का घटनाएँ देश के विभिन्न भागों में निरंतर घटित हो रही हैं। यह भी पाया गया है कि आयुक्त की पिछली रिपोर्टों में सुझाये गये विभिन्न उपायों पर अमल करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों ने पर्याप्त कदम नहीं उठाये हैं। फलस्वरूप समस्या की भौषणता कम नहीं हुई है, अपराधियों को पर्याप्त दंडित नहीं किया जाता है और अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को समय पर राहत नहीं दी जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए :-

1. सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में अपने वाले इलाकों में अत्याचारों के मामलों से और शिकायतों/अभ्यावेदनों के आधार पर सांविधिक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट और विशेष ध्यान हेतु अधिकतम घटनाओं वाले क्षेत्रों की सूची तैयार करें। देश के विभिन्न भागों से गहन सामाजिक-आर्थिक अध्ययन किये जाने आवश्यक है और ऐसे अध्ययनों से समाजविज्ञानियों को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए।

2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी विभागों में काम करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक शिकायतों को दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने में अपनी इच्छाओं से ढील बरतते नपाये जायें। उदाहरणार्थ, अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को डाक्टरी जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को विपक्ष के लोग अपने पक्ष में न कर लें। इसी प्रकार राजस्व और पुलिस के अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के अपने प्रयासों में ईमानदार होने चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेने के दोषी अधिकारियों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए, जो दूसरों के लिए सबक बन जायें। पंचायत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त सुरक्षा देने में सक्रिय रूप से सहायता करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्रों में निहित स्वार्थ अनुसूचित समुदायों को किसी तरह का कष्ट न दे सकें।

3. सामाजिक-आर्थिक न्याय के मामलों की जांच करने के लिए चल ग्युनिटी वाली विशेष अदालतें स्थापित की जायें। सामान्य अकानून भंग के मामलों से सामाजिक न्याय के मामलों को पृथक ढंग से निपटाने के लिए कानूनी पद्धति से सुधार किये जाने चाहिए। प्रमाण-यत्र सम्बन्धी कानून, साक्ष्य अधिनियम और अपराधिक पद्धति संहिता से सम्बन्धित संशोधन किया जाना चाहिए, जैसा कि छप्पाचार निरोधी मामलों से किया गया है।

4. अत्याचार की परिमिता में किस प्रकार के मामलों आते हैं, इस विषय में तनिक भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। इस शब्द की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो अत्याचार के मामलों की छानबीन करने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु बंड-संहिता की सम्बन्धित धाराओं को विशेष रूप से रेखांकित कर दिया जायें। सभी राज्य सरकारें/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासन अत्याचार के शिकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सम्बन्धित मुआवजा देने के लिए नियम बनायें। वित्तीय राहत के अतिरिक्त उनके लिए आजीविका के पर्याप्त साधन भी जुटाये जाने चाहिए।

(शिशिर कुमार)
आयुक्त

रिपोर्ट में कि गई सिफारिशें

क्रम संख्या

सिफारिशों/प्रेक्षण

संदर्भ

पैरा संख्या पृष्ठ संख्या

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|--------------------------------------|-----|
| | अध्याय 1—प्रारंभिक और सामान्य समीक्षा | | |
| (1) | राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक त्वरता के साथ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया गया है। असुस्थता के निवारण की दिशा में जो भी प्रगति हुई है वह अतःपूर्व सरकारों द्वारा कानूनों के लागू करने के कारण हुई है। किंतु केवलमात्र कानून राष्ट्र में सदैविवक जागृत करने के लिए काफी नहीं होते क्योंकि जिस समस्या का हल किया जाना है, वह राष्ट्र के लिए दीर्घकाल से लज्जा का कारण रही है। युवा पीढ़ी में सार्वनागरिकता का बोध जागृत करके उन्हें सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया जा सकता है और गांवों के बच्चों का समाजोकरण करके वे विभिन्न स्तरों पर 30 लाख अध्यापकों की शक्ति का उपयोग करके पुनर्जागरण का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार शामिल होकरही जन-आंदोलन के आह्वान को व्यावहारिक रूप मिल सकता है। असुस्थता उन्मूलन के कार्यक्रम को, कानून लागू करने के साथ साथ, लोगों में सदैविवक जागृत करके ही संरंजाम दिया जा सकता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए समुदाय के सभी वर्गों के स्वयंसेवियों का परस्पर जुड़ना जरूरी होगा। केवलमात्र आर्थिक विकास की प्रगति पर निर्भर करके इस समस्या को पांच वर्षों में हल नहीं किया जा सकता। कानूनों में उपयुक्त परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि किसी भी व्यक्ति के लिए अनुसूचित जाति से विवाह करना संभव हो सके और ऐसे यगल से उत्पन्न बच्चों को विकास कार्यक्रमों व उचित रियायतों का लाभ मिल सके। | 1. 16 1. 17 1. 18 3—4 और 1. 19 | |
| (2) | यह तर्क कि अत्याचारों का मामला कानून और व्यवस्था की समस्या है तथा इनको हल करना केवल राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आता है और केन्द्रीय सरकार केवल विशा-निर्देश ही दे सकती है, यह संविधान के अनुच्छेद 46 का तर्कसंगत मूल्यांकन प्रतीत नहीं होता। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को आदिष्ट किया गया है कि वह कमजोर वर्गों का संरक्षण करे, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का। देश के अभिशासन के मौलिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित यह अनुच्छेद राष्ट्र पर एक दायित्व है तथा संविधान का अभिरक्षक होने के नाते केन्द्रीय सरकार को भी इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। सामाजिक-आर्थिक कारणों से होने वाले अत्याचारों के मामलों को कानून और व्यवस्था का साधारण उत्सर्जन नहीं माना जा सकता जैसा कि राज्य सूची में इसे निर्दिष्ट किया गया है। कमजोर वर्गों के संरक्षण के मामलों में केन्द्र का प्रत्यादेशीय दायित्व है जिसकी वह उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 46 में "राज्य" शब्द से तात्पर्य पूरे राष्ट्र से है, न कि अंगभूत इकाइयों से। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों में केन्द्रीय सरकार का प्रभावशाली ढंग से हस्तक्षेप करना भी अनिवार्य है। राज्य सरकारों से सलाह मशविरा कर इस तरह के हस्तक्षेप को प्रणाली निर्धारित की जा सकती है। | 1. 21 | 4 |
| (3) | ग्रामीण नवतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावशाली कृषक संगठनों के निर्माण के लिए ग्रामीण शिबिर आयोजित किये गये थे। ऐसे शिबिर तब अधिक लाभकारी हो सकते थे यदि देश के विभिन्न भागों में गांवों के गरीब लोगों के बड़ी संख्या में संगठन स्थापित कर लेने के बाद चुने हुए कार्यकर्ता द्वंद्व निराकरण रणनीति (कार्फिलक्ट रेज्यूशन स्ट्रेटेजी) के प्रशिक्षण के लिए इन शिबिरों में भेजे जाते। गरीब तथा वंचित लोगों को संगठित करने की घोर आवश्यकता स्पष्ट ही है। यही समय है कि सिमांत खेतिहरों, भूमिहीनों तथा कृषि मजदूरों को कार्यभर संगठन के अंतर्गत एकत्र किया जाये, जो समुचित विधानों द्वारा संरक्षित हो ताकि इन लोगों के सामूहिक अधिकारों का सुरक्षण हो सके। आजकल अनेक ऐसे संगठन हैं जो भूमिहीन मजदूरों के प्रति अपने दायित्व-निर्वाह में स्पर्धरत हैं। इससे हमें निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं। एक बार कानून सम्मत सांविधानिक ढांचा बन जाने के बाद परस्पर स्पर्धा में रत सभी संगठनों को इस संस्था में प्रवेश पाने की स्वतंत्रता होगी और इसे एक ऐसी एजेंसी मान लिया जायेगा जिसके माध्यम से लोगों की महत्वाकांक्षाओं तथा कल्याण की विकास प्रक्रिया में उन्हें अभिव्यक्ति मिल सकेगी। | 1. 23 | 4—5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|-------------------|-------|
| (4) | भागत सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों पर राज्य सरकारों और सार्वजनिक उद्यम व्यूरो को समान तथा तुल्य प्रतिक्रिया नहीं रही है। ऐसा लता है कि सार्वजनिक उद्यम व्यूरो और अनेक राज्य सरकारों ने अपने सरकार द्वारा सेवा सुरक्षाओं के सम्बन्ध में जारी सभी संगत नियमों/आदेशों का सावधानी से अध्ययन नहीं किया है, इसलिए कई मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को बंध मुविधाओं से बंचित रहना पड़ा है। यह बहुत आवश्यक है कि भारत सरकार जब भी आरक्षण सम्बन्धी आदेश जारी करे, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो तथा राज्य सरकारों द्वारा उसका तत्काल अध्ययन करके उस सम्बन्ध में संगत निदेश अविलंब जारी किये जायें। | 1. 26 | 5 |
| (5) | हमारे अध्ययन दलों को जांच और कर्मचारियों तथा संगठनों द्वारा भेजे गये अनेक अभ्यावेदन, क विश्लेषण इस नभन तथ्य को उजागर करते हैं कि जब तक जांच करने वाले सांविधानिक प्राधिकरण द्वारा नियमित निरीक्षण और उद्घाटन के काम में कड़ी सतर्कता सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक आरक्षण नियमों के प्रभावपूर्ण ढंग से लागू होने की शायद कोई भी संभावना नहीं है। आरक्षण आदेशों की अध्ययन-सीमा में करीब छह हजार संस्थाएं आती हैं। आयुक्त के संगठन के पास पूर्णकालिक निरीक्षण दल नहीं हैं, इसलिए इन संस्थाओं के एक नगण्य भाग का ही हम निरीक्षण कर सके थे, फिर भी, कहीं भी स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं पाई गई। इन संस्थाओं का तीन बर्षों में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाना उपयुक्त होगा और इसके लिए काफी बड़ी संख्या में निरीक्षण दल उपलब्ध किये जायें होंगे, ताकि आरक्षण आदेशों के लागू होने के बारे में किसी संतोषजनक मात्रा में सुनिश्चित हुआ जा सके। | 1. 37 | 6 |
| (6) | संस्थाओं में आरक्षण के सिलासल में केन्द्र तथा राज्यों के सांविधानिक स्तरों एक ही हैं, फिर भी, तत्सम्बन्धी नियम तथा आदेश और उनके कार्यान्वयन में काफी बिभ्रता विद्यमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सभा में आरक्षण सम्बन्धी एक विधेयक पारित किया जाय और राज्यों को अपने यहां उसे कानून बनाने समय मॉडल के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा जायें ताकि आरक्षण नीति समरूप हो सके। | 1. 38 और 1. 39 | 6—7 |
| अध्याय 2—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए सांविधानिक संरक्षणों का संचालन | | | |
| (7) | मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की प्रक्रिया काफी धीमी रही है। श्रम मंत्रालय तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों को मुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की धीमी गति के कारणों की समीक्षा करना चाहिए। | 2. 31 | 13 |
| (8) | बिहार सरकार को, दूसरे राज्यों के ऐसे क्षेत्रों का दौरा करने के लिए, अधिकारी नियुक्त करने के लिए, अधिकारी नियुक्त करने चाहिए, जहां बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके राज्य से लाए गए मजदूरों की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है और किसी भी रूप में उनका शोषण नहीं किया जा रहा है। | 2. 33 | 13 |
| (9) | राष्ट्रीय श्रम संस्थान और गांधी शांति प्रतिष्ठान ने बंधुआ मजदूर पद्धति का सर्वेक्षण किया था। इनका अनुमान है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के अलावा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की मौजूदगी की संभावना बहुत कम है। अगर शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण किया जायें तो यह अनुमान भी गलत साबित हो सकता है। | 2. 34 | 13 |
| (10) | श्रम मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहचाने गये बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का काम, अगर पहले नहीं तो कम से कम 1979-80 के अंत तक जरूरी पूरा हो जायें। मंत्रालय को श्रम परिणामागणों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पहचाने गये बंधुआ मजदूरों के समुचित पुनर्वास का काम हो सके। साथ ही, राज्य सरकारों को चाहिए कि वे गांधी शांति प्रतिष्ठान की रिपोर्ट में इंगित बंधुआ मजदूरों की उच्च विद्यमानता वाले क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरों की पहचान के लिए प्रशासन-संघ को तैज करें। | 2. 35 और 2. 36 | 13—14 |
| (11) | श्रम मंत्रालय द्वारा गठित समिति न अंतःराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए समुचित केन्द्रीय कानून की सिफारिश की है। आशा की जाती है कि दादन श्रम सहित प्रवासी श्रमिकों की केन्द्रीय कानून से बहुत राहत मिल सकेगी। | 2. 37 | 14 |
| (12) | स्वास्थ्य मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय को अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना चाहिए और चिकित्सा महाविद्यालयों तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण को निर्धारित करने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। | 2. 39 | 14—15 |

- | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|-------|----|
| (13) | प्राथमिक तथा मिडिल कक्षाओं के छात्रों द्वारा बोच में ही पढ़ाई छोड़ देने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी पाठ छात्रों की मैट्रिक-पूर्व स्तर पर मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों के रूप में निम्नोक्त सहायता दी जानी चाहिए ताकि उनके माता-पिताओं को अपने बच्चों को स्कूल भेजने का प्रोत्साहन मिल सके । | 2. 40 | 15 |
| (14) | राजस्थान सरकार को तरह सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पाठ छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ देने के समान उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासकों को भी इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, जहाँ अभी तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ देने की दिशा में वांछित उपलब्धि प्राप्त नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त छात्रावास सुविधाएँ तिःशुक पुस्तक तथा लेखन सामग्री, पोशाक आदि भी इन छात्रों को दी जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकाधिक छात्र मैट्रिक-पूर्व शिक्षा पूरी कर सकें और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकें । | 2. 40 | 15 |
| (15) | विभिन्न राज्यों के राज्यपालों (गवर्नरों) की रिपोर्टों में सामान्य आदिवासी विकास कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा रहनी चाहिए जिसकी, वर्तमान में, संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड (iii) में विशेष व्यवस्था नहीं है यद्यपि व्यवहार में इन पहलुओं पर रिपोर्टें में व्यापक विचार किया जाता है । | 2. 44 | 15 |
| (16) | अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाले सभी राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषदों का गठन किया जाना चाहिए जिसके लिए राष्ट्रपति संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड (4) के अधीन समुचित निर्देश देने की बांझोयता पर विचार कर सकते हैं । | 2. 51 | 16 |
| अध्याय 3 जनशक्ति योजना-सेवा सुरक्षण | | | |
| (17) | इस तर्क को मानने का कोई कारण नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षित या प्रशिक्षित लोगों की कमी है और उनमें अखिल भारतीय सेवाओं तथा अन्य केन्द्रिय सेवाओं में नियुक्तियों की पात्रता नहीं है । यह अनुभव किया जाता है कि विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के पूर्ण उपयोग के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करने की जरूरत है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन तनुबाधों के प्रत्याशियों के लिए समुचित प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करना आदेशात्मक होना चाहिए । | 3. 3 | 19 |
| (18) | पिछले 10 वर्ष के दौरान हमारी वार्षिक रिपोर्टों में इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि केन्द्रीय सेवाओं के सभी मंत्रियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा किया जाना चाहिए । ऐसे आरक्षण का प्रतिशत काफी मात्रा में बढ़ाकर किया जा सकता है यानी 50 प्रतिशत तक बढ़ाकर । यह व्यवस्था तब तक बनी रहनी चाहिए, जब तक सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कुल प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में नहीं हो जाता । सभी राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों को इन कदमों पर विचार करना चाहिए ताकि उनके यहाँ सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके । | 3. 5 | 19 |
| (19) | जब तक यह वास्तवता नहीं होगी कि सशस्त्र सेनाओं में किसी विशिष्ट संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती होनी चाहिए, तबतक निम्नलिखित में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार की आशा नहीं की जा सकती । अतः वह जोरदार सिफारिश की जाती है कि भारत सरकार अपने पहले के निर्णय पर फिर से विचार करे और सशस्त्र सेनाओं में कामियों की भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की नीती को शुरू करे— खासतौर पर सिविलियन राजपदित, लिबिलियन ग्र० राजपदित, कैबेट्स, जनियर अधिकारियों आदि के संबंधों में । | 3. 7 | 20 |
| (20) | यह जोरदार सिफारिश की जाती है कि सार्वजनिक उद्यम व्यूरो एक प्रभावशाली रूल का निर्माण करे, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की ओर ध्यान दे । इस रूल को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इसी तरह के रूल प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहे हैं और कालिख रिपोर्ट मांगकर तथा सेवा संरक्षणों को लागू करवाने में संलग्न सम्पर्क अधिकारियों व अन्य स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करके वह उनके साथ समन्वय करे । भारत सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों / नियमों तथा उनमें समय-समय पर हुए संशोधनों को सार्वजनिक उद्यम व्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक साथ वितरित करे ताकि वे अपने यहाँ उन्हें सक्ती से लागू कर सकें । | 3. 10 | 21 |

- | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|-------------------|---------|
| (21) | यह दृढ़ता से अनुभव किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में बड़ी मात्रा में आरक्षित रिक्तियों भर्ती का काम बकाया है और सरकार को इस और अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक अपने यहां इन बकाया रिक्तियों को भरने का कालिक कार्यक्रम लागू नहीं करते, तब तक स्थिति के निकट भविष्य में सुधारने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। | 3. 11 | 21 |
| (22) | यह जोरदार सिफारिश की जाती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रपनाई गई पदोन्नति आरक्षण स्कीम, जो सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों के विचारार्थ भी वितरित की गई है, में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी सुपात्र उम्मीदवारों के मामलों पर बरिष्ठता के आधार पर दुरुस्तता को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के लिए विचार किया जा सके। भारत सरकार के अनुदेशों के समान, राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए, सभी बैंकों को इसे लागू करना चाहिए जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उक्त अनुदेशों को पहले ही स्वीकार किया हुआ है। | 3. 14 | 22 |
| (23) | लोकसभा और राज्य सभा सचिवालयों में सेवा सुरक्षाओं की जांच करने तथा जांच के निष्कर्षों को अपनी रिपोर्ट में सामिल करने के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रायुक्त के अधिकारों का मामला पहले ही गृह मंत्रालय को सौंपा जा चुका है। यह दृढ़ता से अनुभव किया जाता है कि इस मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जाये और स्पष्ट अनुदेश/निर्देश जारी किये जायें ताकि प्रायुक्त इन लचकलप्यों तथा विशिष्ट सांविधानिक उपबंधों के अधीन स्थापित सभी संगठनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवा सुरक्षाओं की जांच कर सकें। | 3. 15 से 3. 20 | [22—23 |
| (24) | यह अनुभव किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्बद्ध प्राधिकाओं ने विश्वविद्यालय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। इस महत्वपूर्ण सांविधानिक उपबंध को लागू करवाने के लिए ईमानदारी तथा शीघ्रता से प्रयास किये जाने चाहिए। | 3. 21 | 23—24 |
| (25) | यह बात समझ में नहीं आती कि कुछ राज्य सरकारें तथा वहां के उच्च न्यायालय न्यायिक विभागों के वर्तमान भर्ती नियमों में ऐसे उपबंधों की व्यवस्था या उनमें संशोधन क्यों नहीं कर रहे ताकि लिपिक वर्गीय एवं न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्राप्त हो सके। अतः यह सिफारिश की जाती है कि सांविधानिक निर्देशों के अनुरूप समुचित आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जायें। | 3. 25 से 3. 27 | 24—25] |
| (26) | अभी भी अनेक उच्च न्यायालयों ने इस मामले पर विचार करना है कि उच्च न्यायालयों के जजों तथा उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आरक्षण हो या नहीं। हम यह नहीं समझ पाते कि और प्रदेश, कलकत्ता, दिल्ली, जम्मू, और काश्मीर, कर्नाटक, पटना, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के उच्च न्यायालय स्वतंत्रता मिले 30 वर्ष बीत जाने तथा सांविधानिक उपबंधों के बावजूद लिपिकवर्गीय पदों में आरक्षण के बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं ले सके। यह दृढ़ता से अनुभव किया जाता है कि जिन उच्च न्यायालयों ने न्यायिक सेवाओं और लिपिक वर्गीय पदों के लिए आरक्षण के पक्ष में अभी तक निर्णय नहीं लिया है, वे ऐसा शीघ्र करें। | 3. 26 से 3. 27 | 24—25 |
| (27) | यह दुर्भाग्य की बात है कि उद्योग मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रायुक्त की इस सिफारिश को नहीं माना है कि निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण शुरू किया जाये। इस सिफारिश को न मानने के लिए यह बलौल बी गई है कि मंत्रालय का विश्वास अनुभवों पर ही है। अतः यह बात फिर दोहराई जाती है कि निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की कुल रोजगार क्षमता का एक अंश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित करने के लिए सांविधानिक उपबंधों के निर्माण की दिशा में शीघ्र कदम उठाए जायें क्योंकि अनुभवों से अपेक्षित परिणाम चिकल रहे हैं। | 3. 29 | 25 |
| (28) | यह अनुभव किया जाता है कि किसी संघर्ष की कुल संख्या में रह जाने वाली कमी को दूर करने का एक उपाय यह है कि केवलमात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के विशेष अभियान का सुनिश्चित कार्यक्रम बनाया जाये। इसके लिए किसी संघर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कमी और उक्त संघर्ष में चालू रिक्तियों को ध्यान में रखा जाये। इसके साथ, स्टाफ की सामान्य संख्या से अधिक नये पद निर्मित किये जायें तथा जहां कहीं भी नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा हो, उसे समाप्त किया जाये। यह जोरदार सिफारिश की जाती है कि सम्बन्धित सभी संगठन/इकाइयों इन विशेष कार्यक्रमों/स्कीमों को अपने प्रतिष्ठानों के लिए प्राथमिक तथा अनुकूलता का ध्यान रखते हुए अपनायें। भारत सरकार और राज्य सरकारें भी उचित कदम उठाये और इस बारे में आवश्यक अनुदेश जारी करें। | 3. 32 3. 33 | 26 |
| (29) | अपने अनुभव के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रायुक्त का विचार है कि आकलन क्षेत्र की पद्धति (जोन ग्राफ कंसिड्रेशन सिस्टम), जो अपनी प्रकृति में विवेक-आधारित है, पदोन्नति में आरक्षण के सिद्धांत को ही निष्फल कर दे सकती है हालांकि इस सिद्धांत को सरकार को स्वीकृति प्राप्त है और उच्चतम न्यायालय ने इसको पुष्टि की है। अतः यह अनुभव किया जाता है कि अनुसूचित जातियों और | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|----------------|----|
| | अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण के निद्विष्ट लाभ पहुंचाने तथा सभी श्रेणियों के पदों में उन्हें अधिक अवसर देने का अच्छा तरीका यह है कि आकलन क्षेत्र पद्धति को त्याग दिया जाये और पारतता की शर्तों को पूरा करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों के लिए विचार किया जाये। यदि किन्हीं वास्तविक तथा तर्कसंगत कारणों से इस दृष्टिकोण से सहमत होना कठिन लगे तो यह सिफारिश की जाती है कि सभी श्रेणियों के पदों तथा रिक्तियों में आरक्षण रिक्तियों के लिए अलग से आकलन क्षेत्र रखा जाये। | 3. 36 3. 37 | 26 |
| (30) | श्रेणी I में ही प्रवर्ण के आधार पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण के सिद्धान्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति न देने के तर्क तथा आपत्तियां अप्राह्य प्रतीत होती है। अतः यह जोरदार सिफारिश की जाती है कि श्रेणी I में ही प्रवर्ण पदों या नियुक्तियों के लिए आरक्षण होना चाहिए और यह न केवल भारत सरकार बल्कि राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी लागू होना चाहिए। | 3. 41 | 27 |
| (31) | यह सिफारिश की जाती है कि आरक्षित खाली रिक्तियों को अग्रणीत करने की अवधि तीन भर्ती वर्गों तक सीमित नहीं रखनी चाहिए बल्कि यह अवधि तक तब अग्रणीत की होनी चाहिए, जब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा उक्त रिक्तियां भर ली नहीं जातीं। | 3. 42 | 27 |
| (32) | चयन के आधार पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, अनारक्षित रिक्तियों के कुछ मामलों में, विभागीय पदोन्नति समिति में, द्वारा निम्न बर्गीकरण में रखे जाने के कारण चयन सूची में भी शामिल नहीं किये जा सकते। यह दृढ़ता से अनुभव किया जाता है कि चयन के आधार पर की जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के अधि-ग्रहण के सभी मामलों के लिए सम्बन्धित मंत्रो/राज्यमंत्री/उप-मंत्री से पूर्व-अनुमोदन लिया जाना चाहिए। | 3. 45 | 28 |
| (33) | पद "सी" (श्रेणीIII) और पद "डी" (श्रेणीIV) के कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए विभिन्न अंशों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सीधी भर्ती स्थानीय अथवा प्रांचलिक आधार पर की जाती है। बाव में ये पद पदोन्नति के लिए फीडर संवर्गों में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन स्थानीय/प्रांचलिक आधार पर की गई आरंभिक भर्तियों के समय आरक्षण का जो प्रतिशत निर्धारित किया जाता है, पदोन्नति के समय उसमें अंतर होता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आरक्षण का प्रतिशत वही होना चाहिए, जो स्थानीय/प्रांचलिक आधार पर की गई आरंभिक भर्तियों के समय फीडर संवर्गों के लिए निर्धारित किया गया था। | 3. 46 | 28 |
| (34) | पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले कुछ पद ऐसे हैं जिसके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि फीडर संवर्गों में ऐसे उम्मीदवार अनुपलब्ध होते हैं। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे मामलों में भर्ती नियमों में संशोधन किया जाये ताकि आरक्षित खाली कोटा सीधी भर्तियों से भरा जा सके। ऐसे कदम न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में उठाए जाने चाहिए बल्कि उन सभी संगठनों में भी इसका पालन होना चाहिए, जहां आरक्षण आदेश लागू हैं। | 3. 46ए | 28 |
| (35) | यह अनुभव किया जाता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के काम से सम्बद्ध भारत सरकार द्वारा स्थापित मंत्रालयों/विभागों के विशेष सेलों के कुछ कर्मचारी अनिवार्यता अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के नहीं होते, अतः वे इस काम के लिए बहुत कम रुचि दिखाते हैं क्योंकि उनमें से अनेक कर्मचारियों का ह्याल है कि उनका अपना हित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों के आगे बाधित होता है। अतः यह अनुभव किया जाता है कि विशेष प्रकोष्ठों (सेलों) में केवल ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी होने चाहिए, जो या तो इनमें से किसी एक समुदाय से सम्बद्ध हों या फिर सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के काम के प्रति उनमें विशेष अभिष्यता हो। | 3. 49 | |
| (36) | विशेष प्रकोष्ठों के स्टाफ में भी वृद्धि होनी चाहिए ताकि उनमें निरीक्षण स्टाफ भी शामिल किया जा सके। ये लोग समय-समय पर सिधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा पुष्टि के समय आरक्षित रिक्तियों के भरे जाने से सम्बन्धित रोस्टर्स तथा अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण स्टाफ को यह अधिकार होना चाहिए कि वह नियुक्ति, पदोन्नति, चयन मंडल या विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवस्तु से सम्बन्धित फाइलों की जब चाहे जांच कर सके। | 3. 50 | 20 |
| (37) | सभी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो को सलाह दी जानी चाहिए की वे यह सुनिश्चित कर लें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित काम के लिए सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति और विशेष प्रकोष्ठों के निर्माण के लिए जारी अनुदेशों का पालन ऐसे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों साविधायिक निकायों अर्ध-सरकारी निकायों आदि में किया जा रहा है, जिन्हें आरक्षण आदेशों को लागू करना है। मंत्रालय/विभाग के | | |

- अधिकारियों को अपने अधीन संगठनों के काम का संचालन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवा सुरक्षणों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा रहा है । 3.51 29
- (38) इसी प्रकार सम्पर्क अधिकारी स्वायत्त निकायों/संस्थानों, जिनमें नगर निगम, सहकारी संस्थान, विश्व-विद्यालय आदि भी शामिल हैं, में भी नियुक्त किये जाने चाहिए और इनमें विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना भी की जानी चाहिए । 3.52 29
- (39) सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाली स्वच्छिन्न एजेंसियों को भी चाहिए कि वे सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करें और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवा सुरक्षणों को लागू करवाने के लिए विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना करें । 3.53 29
- (40) यह वांछनीय है कि सामान्य पूल के टाइप V से टाइप VIII के आवासों के आबंटन में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए जैसाकि सेवाओं के आरक्षण में है अर्थात् 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों और 7½ प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए । यदि इन समुदायों को पर्याप्त आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो इससे दुहरा लाभ होगा । एक तो यह कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और दूसरा यह कि शेष जन संख्या के साथ इन समुदायों के आस्वीकरण में सहायता मिलेगी । 3.56 29-30
- (41) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग में हमारे सुझाव को स्वीकार किया और उसने सम्पर्क अधिकारियों/उप-सचिवों तथा मंत्रालयों/विभागों में प्रशासन के काम के लिए इंचार्ज अवर सचिवों के लिए एक चार दिवसीय मूल्यांकन कोर्स संपन्न किया है । यह आशा की जाती है कि इसी तरह का काम करने वाले सहायकों/अनुभाग अधिकारियों के लिए भी शीघ्र प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा ताकि यह प्रणाली अर्थगमित तथा प्रभावी सिद्ध हो सके । 3.60 30
- (42) यह सुझाव दिया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षित उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण जो रिक्तियां इन समुदायों द्वारा भरी जाने से खाली रह जाती हैं, तो उन अवस्था में इन्हें उम्मीदवारों को छोटे २.५ वर भर्ती कर लिया जाये जिसकी पात्रता की शर्तों को वे पूरा करते हैं और आवश्यक व्यावसायिक योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद इनकी पदोन्नति कर दी जाये । 3.61 30
- (43) यह सर्वविविध तथ्य है कि जब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को समुचित विधि से प्रशिक्षित और तैयार नहीं किया जाता, तब तक वे मुक्त परीक्षा में प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकते । अतः यह सुझाव दिया जाता है कि विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण स्कौम का कार्यक्रम बढ़ाकर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए ताकि इन समुदायों के उम्मीदवारों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरे जाने वाले पदों पर चुने जाने के अधिक अवसर मिल सकें । 3.65 31
- (44) यह जोरदार सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकारें इस दिशा में विशेष प्रयास करें कि शिक्षता क्षेत्र के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी सीटों केवल इन समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा ही भरी जायें । इस बात को भी सुनिश्चित किया जाये कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में शिक्षता-अवधि पूरी कर लेने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षा उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किये जाते हैं । 3.72 32-33
- (45) यह अनुभव किया जाता है कि रोजगार कार्यालयों के जरिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नौकरियां दिलवाने के प्रश्न पर विचार तथा समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने जो समिति गठित की है, वह इस बात को भी समीक्षा करे कि ऐसे उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों में उनकी प्रतिशतता की कमी के कारण क्या है जबकि बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति नामांकन के लिए उपलब्ध हैं । रोजगार कार्यालयों को भी विधिपूर्वक तथा गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है कि वे नियोजकों द्वारा प्राप्त मांगों और अपने चालू रजिस्टरों में उपलब्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के बीच सम्यक तालमेल बिठाए । 3.75 33
- (46) एक स्कौम के अंतर्गत रोजगार अधिकारी इस उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुत जनसंख्या वाले क्षेत्रों का दौरा करते हैं ताकि वे नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों के नाम रजिस्टर कर सकें और उन्हें समुचित रोजगार दिलवाने में सहायता कर सकें । दूरदराज के इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार पाने के इच्छुक

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|------|-------|
| | व्यक्तियों के लिए यह स्कीम उपयोगी सिद्ध हुई है, इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देने के लिए अब रोजगार अधिकारी दौरे करते हैं तो उन्हें कम्पों का आयोजन करके इस स्कीम का कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहिए और इन कम्पों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शक केन्द्रों की कार्यपद्धति पर आधारित होना चाहिए। | 3.76 | 33-34 |
| (47) | 1976 और 1977 में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के मामलों से सम्बन्धित सूचना इस रिपोर्ट में शामिल नहीं की जा सकी है क्योंकि हमारे द्वारा कई बार स्मरणपत्र भेजे जाने के बावजूद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने तत्सम्बन्धी सूचना समय पर नहीं भेजी। | 3.77 | 34 |
| (48) | यह देखा गया है कि सीमा लड़क विकास मंडल द्वारा बहुत बड़ी संख्या में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के प्रस्तावों के मिलसिले में निर्धारित कार्यविधि का पालन नहीं किया जा रहा है। कार्योत्तर स्वीकृति केवल अपवाद-स्वरूप मामलों में ही प्राप्त की जाती होती है, जहाँ अत्यावश्यक काम पड़ जाने के कारण कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा किये बिना इन पदों को भरना जरूरी हो जाता है। | 3.80 | 35 |
| (49) | दृढ़ता से अनुभव किया जाता है कि नियोजताओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बीच बेहतर तालमेल के लिए यह वांछित होगा कि भारत सरकार ने आरक्षित रिक्तियों की अधिसूचना के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के क्लिप्त वर्तमान तालमेलों की सूची को मान्यता दी हुई है, वह उस पर पुनर्विचार करे और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के कुछ प्रमुख अखिल भारतीय संगठनों को भी उक्त सूची में शामिल करे ताकि इस मामले में वे प्रभावशाली भूमिका निभा सकें। यह सिफारिश भी की जाती है कि किसी भी प्रतिष्ठान/संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कम से कम एक संघ को मान्यता दी जानी चाहिए और "आरक्षित कोटे" के अनुरूप नियुक्तियों, रिक्ति परिपत्रों, शिकायतों को दूर करने आदि के सम्बन्ध में उसे प्रबंधक-वर्ग से बातचीत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। | 3.83 | 35 |
| (50) | अपनी पिछली सभी रिपोर्टों में हम राज्य सरकारों के सहयोग के महत्त्व पर बल देते रहे हैं ताकि हमारी रिपोर्ट मूल्यांकनपरक, विश्लेषणात्मक तथा निष्पक्ष बन सके। हमारा अनुभव रहा है कि अधिकांश राज्य सरकारें हमें यह आवश्यक सहयोग/सहायता देने में असफल रही हैं। इसलिए यह फिर से दोहराया जाता है कि राज्य सरकारें निर्धारित समयावधि में आवश्यक सूचना भेजें। | 3.87 | 36 |
| (51) | यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत तथा इन जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण के संविधिक प्रतिशत में अंतर है। यद्यपि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अस्थायी तौर पर किन्हीं पदों के लिए आरक्षण को प्रतिशतता बढ़ा दी है ताकि पिछली कमों को दूर किया जा सके लेकिन आरक्षण की संविधिक प्रतिशतता में वृद्धि की जानी चाहिए और उसे इन राज्यों की जनसंख्या के स्तर पर लाया जाना चाहिए। | 3.90 | 36 |
| (52) | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 5(1) के संदर्भ में क्षेत्रीय प्रतिबंध समाप्त करने के परिणामस्वरूप केरल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता 8.30 से बढ़कर लगभग 9.40 हो गई है। इस प्रकार सेवाओं में आरक्षण की प्रतिशतता में भी यह बढोत्तरी वर्तमान 8 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 9 प्रतिशत आवश्यक हो गई है। यह आशा की जाती है कि केरल सरकार इस आशय के आवश्यक आदेशों को जारी करेगी। | 3.91 | 37 |
| (53) | वर्ष 1973-74 की रिपोर्ट में की गई सिफारिश को यहाँ फिर दोहराया जाता है कि सभी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पृथक् साक्षात्कार की व्यवस्था को शुरु करें ताकि चयन कर रहे प्राधिकारी इस तथ्य के प्रति सजग रहें कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों के साथ साक्षात्कार में भाग लेंगे और इन समुदायों के लिए स्तर में छूट देने के आदेश भी उनके ध्यान में रहने आवश्यक हैं। | 3.94 | 37 |
| (54) | यह एक सामान्य अनुभव है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अनेक प्रार्थी सामान्य उम्मीदवारों से संभावित आम स्तर के नहीं होते और इसलिए इनके लिए आरक्षित रिक्तियाँ तब तक नहीं भरी जातीं, जब तक उनके स्तर में छूट देकर उन्हें न भ्रांका जाये। यह वांछनीय होगा कि सभी राज्य सरकारों इस सम्बन्ध से केन्द्रीय सरकार की व्यवस्थाओं का पालन करें ताकि इन समुदायों के लिए निर्धारित आरक्षण के कोटे का उपयोग संभव हो सके। | 3.95 | 38 |

- (55) सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार तथा अन्य सभी राज्य सरकारों को भी एक वर्ष में कुल आरक्षण पर लगाये गये 50 प्रतिशत के प्रतिबंध को समाप्त कर देना चाहिए। सभी राज्यों में समान रूप से ऐसे उपबंध को निर्माण की भी आवश्यकता है कि न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को बाद के तीन भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाये। 3 96 38
- (56) इस कार्यविधि को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अग्रणीत होने के अंतिम वर्ष में उन राज्यों के साथ अवला-बदली कर ली जाये, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। 3. 97 38
- (57) कानूनी विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग से पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यविधि में सम्बद्ध प्राधिकारियों को उन परिस्थितियों का विवरण देना होता है जिनमें वे आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर सामान्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना चाहते हैं। इससे नियुक्ति प्राधिकारियों की आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर सामान्य उम्मीदवारों की अग्रणीत नियुक्ति करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में सहायता मिलती है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जिन राज्य सरकारों ने अभी तक इस कार्यविधि को नहीं अपनाया है, उन्हें यथाशीघ्र ऐसा करना चाहिए। 3 99 39
- (58) हम अनेक बार यह बात दोहरा चुके हैं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को वरिष्ठ अवस्थाओं के पदों में उनका न्यायोचित भाग देने के उद्देश्य से यह आवश्यक होगा कि पदोन्नति के समय भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर दोहराया जाता है कि जिन राज्य सरकारों ने पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षण व्यवस्था शुरू नहीं की है, उन्हें यह अविलंब शुरू करनी चाहिए। 3. 100 39
- (59) पुष्टि के समय आरक्षण का वरिणाम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्राथियों की शीघ्र पदोन्नति की संभावनाओं को बढ़ाने के रूप में होता है, अतः यह वांछित होगा कि राज्य सरकारें भी भारत सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को अपनायें और पुष्टि के समय भी आरक्षण शुरू करें। 3. 101 39
- (60) बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि चयन मंडलों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का मनोमन्यन किया जाये। यह सिफारिश की जाती है कि अन्य सरकारों को भी इन्हीं आधारों पर ऐसी प्रणाली शुरू करनी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों को अस्वीकृत किये जाने के अवसर समाप्त हों, जो वस्तुतः नियुक्ति के पात्र हैं। 3 103 39-40
- (61) यह अनुभव किया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश के लिए या सरकार के अग्रणीत पदों/सेवाओं में चयन के लिए निर्धारित शुल्क में पूरी छूट मिल जाती है तो इन समुदायों के अधिकारिक उम्मीदवारों को आरक्षित पदों में आने में सहायता मिल सकेगी। इस आशय की व्यवस्था न केवल सभी राज्य सरकारों बल्कि केंद्रीय सरकार में भी की जानी चाहिए। 3. 105 40
- (62) हमारा यह अनुभव रहा है कि अगर साक्षात्कार/परीक्षण के लिए बुलाये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों को यात्रा-भत्ता प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं होता तो अनेक प्रार्थी विज्ञापित पदों के लिए योग्य तथा सुपात्र होते हुए भी अपने प्रार्थनापत्र भेजने का साहस नहीं कर पाते क्योंकि विज्ञापित पद पर जाने के बारे में निश्चित न होने के कारण यात्रा सम्बन्धी व्यय ही उनके ध्यान में रहता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों की अधिकारिक संख्या में उनके लिए आरक्षित पदों की और आकर्षित करने के उद्देश्य से विज्ञापनों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथियों के लिए यात्रा-भत्ता देने के बारे में स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए। यह भी वांछनीय होगा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में रेल द्वारा 50 मील (80 किलोमीटर) और सड़क द्वारा 20 मील (32 किलोमीटर) की अधिकतम यात्रा के प्रतिबंध को कम करके रेल या सड़क द्वारा नगर सीमा के क्षेत्रों तक कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव केंद्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों के विचार के लिए है। 107 40
- (63) जिन राज्य सरकारों ने कार्य-भार प्रसारित स्थापनाओं (बक बाउंड इस्टेब्लिशमेंट्स)/दिहाड़ी पर आधारित पदों में आरक्षण का सिद्धांत अभी तक नहीं शुरू किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी स्थापनाओं के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का न्यायोचित भाग सुनिश्चित करने के लिए इस व्यवस्था को लागू करें ताकि निश्चितकरण के समय इन समुदायों के उम्मीदवार भी नियमित नियुक्तियों के लिए उपलब्ध हो सकें। 109 40-41
- (64) केंद्रीय सरकार तथा उन राज्य सरकारों, जिन्होंने अभी तक यह कार्यविधि नहीं अपनाई है कि आरक्षित रिक्तियों में योग्यता के आधार पर चुने गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की गणना आरक्षित कोटा में न की जाये, से अनुरोध है कि वे इस कार्यविधि को अपनायें। इससे सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुचित प्रतिनिधित्व की गति तेज होगी। 3. 110 41

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|--|-------------------|-------|
| (65) | यह सिफारिश की जाती है कि जिन राज्यों में आरक्षण आदेशों को लागू करवाने का काम देखने वाले सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति के सिद्धांत को अभी तक नहीं अपनाया है, वे ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करें। | 3. 112 | 41 |
| (66) | यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकारों के विशेष सैलों के स्टाफ को एकमात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के सेवा सुरक्षणों का काम ही सौंपा जाये। इन सैलों में निरीक्षण स्टाफ भी होना चाहिए जिसे रोस्टर्स का निरीक्षण करने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों व अन्य छूटों तथा रियायतों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित संगत रिकार्डों का निरीक्षण करने का अधिकार हो। | 3. 113 | 41 |
| (67) | सुझाव दिया जाता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करें कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर की जो समितियां नियुक्त की गई हैं, वे समय-समय पर पुनर्गठित की जायें और वर्ष में कम से कम दो बार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं में प्रतिनिधित्व की समीक्षा करें। ये समितियां मुख्यमंत्रियों को विस्तृत रिपोर्ट दें तथा उसकी एक प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भी भेजें। | 3. 114 | 41-42 |
| (68) | यह सुझाव दिया जाता है कि जिन राज्यों के स्थानीय निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहां इस व्यवस्था के शुरू करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाये जायें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति रोजगार में अपना न्यायोचित भाग पाने से वंचित नहीं रहते। | 3. 115 | 42 |
| (69) | प्रति वर्ष कुछ के साथ यही कहना पड़ता है कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में सांख्यिकी सूचना हमारी आलोचनात्मक टिप्पणियों के बावजूद नहीं भेजी जाती। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि गृह मंत्रालय इस मामले को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासकों के सम्मेलन में उठाये। | 3. 117 | 42 |
| (70) | हम सरकार को यह दलील देते रहे हैं कि इस संगठन के अध्ययन दलों के निष्कर्षों पर सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा अनुभूती कार्रवाई करने के लिए तीन महीने की समयवधि निर्धारित की जाये। यह देखा गया है कि कुछ संगठनों ने हमारे अध्ययन दलों द्वारा संकेतिक त्रुटियों, विसंगतियों और अनियमितताओं के विरुद्ध समय पर उचित कार्रवाई नहीं की। सरकार द्वारा ऐसे अनुदेशों के जारी करने से कि इन निष्कर्षों पर निर्धारित अवधि में कार्रवाई की जाये, यह कठिनाई दूर की जा सकती है। इसके अलावा ऐसे अधिकारियों को बर्द्धित किया जाना चाहिए, जो जानबूझ कर या अज्ञानवश या किन्हीं अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को न्याय न दे पाने के लिए दोषी पाये जाते हैं। | 3. 122 | 54 |
| (71) | यह वृद्धता से अनुभव किया जाता है कि जहां कहीं प्रशासनिक दृष्टि के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ी है, वहां उन्हें पुष्टि, पदोन्नति आदि के अवसरों पर नियत तिथियों से लाभ मिलना चाहिए। कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को बिना विलंब किये सम्चित आदेश जारी करने चाहिए कि प्रशासनिक दृष्टि के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को यदि लाभ नहीं मिल सके हैं तो उन्हें ऐसे लाभ पूर्वव्यापी अवधि से मिलें। | 3. 125 | 55 |
| (72) | इस बात की अविलंब आवश्यकता अनुभव की जाती है कि आयुक्त के संगठन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में भेजे गये पत्रों का निर्धारित समय-अवधि में उत्तर दिया जाये और जो अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को न्याय दिलवाने में देरी करने और उपेक्षा करने के दोषी पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध आचरण नियमों के अधीन कार्रवाई की जाये। | 3. 126 | 55 |
| (73) | भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए० एस०) और समयगो सेवाओं (एलाइड सर्विसज) की सिविल सेवा परीक्षाओं में नई स्कीम से कुछ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्तीर्ण होने के अवसरों को न केवल गंभीर क्षति पहुँचेगी—विशेषतया उनकों जो उत्तर-पूरुब सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं और जिनकी मातृभाषा संविधान की आठवीं सूची में शामिल नहीं है—बल्कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में उन्हें सक्षम उम्मीदवारों के रूप में शामिल न हो पाने के लिए भी विवश करेगी। इसका कारण यह है कि 8 वीं सूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा का प्रश्नपत्र अनिवार्य होगा और इसके 300 अंक होंगे। यदि भारत सरकार सिविल सेवा परीक्षा के मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर देना चाहती है तो इन कठिनाईयों को तुरंत दूर करना होगा। एक शीघ्र तथा आंशिक हल यह हो सकता है कि संविधान की 8 वीं सूची में शामिल भारतीय भाषाओं के स्थान पर किसी अन्य प्रश्नपत्र की व्यवस्था की जाये। ऐसा अंग्रेजी का एक अतिरिक्त प्रश्नपत्र बनाकर किया जा सकता है या इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनेक विषयों में से उम्मीदवारों द्वारा चुना गया एक अतिरिक्त वैकल्पिक प्रश्नपत्र हो सकता है। इस वैकल्पिक प्रश्नपत्र के शुरू कर देने से उपरोक्त सभी अड़चनें दूर नहीं हो जायेंगी किंतु कम से कम इतना बहुर होगा कि इन समुदायों के सदस्य सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में लाभकर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। | 3. 128- 3. 131 | 63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|---|-----------------|----|
| अध्याय-4 आर्थिक विकास | | | |
| (74) | मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दर ऐसी नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा का खर्च पूरा कर सकें क्योंकि ऐसे अधिकांश विद्यार्थी गरीब परिवारों के होते हैं। इस स्थिति की समीक्षा और छात्रवृत्तियों की दर में समुचित वृद्धि वांछनीय है। | 4.7 | 65 |
| (75) | भारत सरकार को चाहिए कि वह कुछ ऐसी निधियों की अलग से व्यवस्था करे ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण-कार्य के लिए नये स्वयंसेवी संगठन भी प्रोत्साहित हों। | 4.11 | 66 |
| (76) | हमारे देश के अनेक भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व चरण में शिक्षा को पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं और इस कमी के कारण इन वर्गों के विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा के उच्च चरणों तक नहीं पहुँच पाते। | 4.16 | 67 |
| (77) | अभी तक पहचाने जा सकने वाले कार्यक्रमों से निधियों के परिमाणन के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई है और न ही, जहाँ तक संभव हो सके, इन कार्यक्रमों को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अनुकूल ढाला गया है। सामान्य क्षेत्र से अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निधियों का परिमाणन बजट तथा योजना बनाते समय किया जाना चाहिए। योजना आयोग को समस्त केन्द्रीय निकायों तथा राज्य सरकारों को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिये ताकि अपने यहां के विकास कार्यक्रमों से वे अनुसूचित जातियों को कम से कम जनसंख्या के अनुपात के अनुषंग लाभ तो अवश्य पहुंचा सकें। | 4.22 | 68 |
| (78) | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में कारीगरों के ऐसे समूहों, जैसे कि चमड़े का काम, बुभाई, टोकरियां, शंख की चीख आदि बनाने वाले, के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे व्यवसायों के लिए विशेष योजनाएं बनायी जानी चाहिए बल्कि ऐसा कोई भी व्यवसाय, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जातियों के हों, उसे अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रम के अधीन ले लिया जाना चाहिए। गांवों के गरीब लोगों को संगठित करने के लिए विशेष प्रयत्न करने होंगे ताकि वे भी आर्थिक विकास के लिए किये जा रहे कामों में अपना प्राप्य भ्रंश पा सकें। बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अर्थ-व्यवस्था के विकासमान क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार करना होगा। सार्वजनिक उपकरणों के इयूरों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसके अधिकार-क्षेत्र में आने वाले उपकरणों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उनका प्राप्य भ्रंश मिलता रहे। खादी और ग्रामीण उद्योग प्रायोग आदि को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए ताकि ये लोग उत्पादन की पद्धतियों का आधुनिकीकरण कर सकें। साथ ही, उत्पादों की बिक्री के लिए विभिन्न अंचलों की आवश्यकताओं की पड़ताल तथा ऐसे उत्पादों की मांग के बारे में सूचना एकत्र कर आयोग को इनकी सहायता करनी चाहिए। | 4.24 | 68 |
| (79) | वे सभी ब्लाक, जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की है, आगामी दो वर्षों में तदन एकोद्भूत गामांग विकास कार्यक्रम के अधीन ले लिए जाने चाहिए। लक्ष्य समूह में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लाभ मिलना चाहिए। | 4.27 | 69 |
| (80) | बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की सहायता करना शुरु कर दिया है। आने वाले वर्षों में सहायता देने की गति तेज की जानी चाहिए ताकि इन धोणियों के व्यक्ति अपनी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकें। पिछली रिपोर्ट में ये सुझाव दिये गये थे कि बैंक अपने यहां से दिये जा रहे कृषि ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों मध्य अवधि तथा दीर्घ अवधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दें और उनकी सहकारिताओं की विभेदीय व्याज दर स्कीम के अंतर्गत ऋण पाने की पात्रता मिलनी चाहिए। ये सुझाव फिर से दोहराये जाते हैं। | 4.30 और 4.31 | 70 |
| (81) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उचित दर दुकानें/वितरण एजेंसियों के आवंटन के मामले की और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनो ने अभी तक समुचित ध्यान नहीं दिया है। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनो को वितरण एजेंसियों/उचित दर दुकानें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में आवंटित करनी चाहिए और इसके लिए प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात को आधार बनाना चाहिए। | 4.35 | 71 |
| (82) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में तरजीह देनी चाहिए। लेकिन उन्हें लघु उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता में भी ग्रन्थों की अपेक्षा तरजीह देने की जरूरत है। लघु उद्योग विकास संगठन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक कल्याण से बहुत अधिक सहायता कर सकता है यदि उसकी स्कीमों में इन समुदायों के व्यक्तियों को ध्यान रखते हुए संशोधन किया जाये और ऐसे उद्योगियों को सहायता देने के लिए सजग प्रयास किये जायें। | 4.36 | 71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|-------|-------|
| (83) | मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड और फर्टीलाइजर्स एंड कॅमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड डीलरी की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए प्रारक्षण की व्यवस्था करेंगे। | 4. 37 | 71 |
| (84) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को चलती रैलगाड़ियों के भोजन-यान आदि से भोजन-प्रबंध के ठेके देने के मामले में तरजीह दी जानी चाहिए। | 4. 40 | 72 |
| (85) | हरियाणा हरिजन कल्याण निगम को राष्ट्रीयकृत बैंकों से काफी मात्रा में धन-राशि लेनी चाहिए ताकि वह अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की मानमात्र की ब्याज दरों पर प्रागे ऋण दे सके। बैंक से लिए गये ऋण तथा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की निगम द्वारा दिये गये ऋण की ब्याज दरों में जो अंतर होगा, उसे निगम को बहन करना चाहिए और राज्य सरकार को चाहिए कि वह अंतर को पाटने के लिए हरियाणा हरिजन कल्याण निगम को समुचित अनुदान दे। | 4. 46 | 72 |
| (86) | अनुसूचित जातियों में जो सबसे कमजोर वर्गों से पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास तथा वित्त निगम की स्कीमों से सभी अधिक लाभ नहीं उठाया है। यह अनुभव किया जाता है कि या तो राज्य सरकार बड़े पैमाने पर निगम को प्रभूत अनुदान दे या विदेशीय ब्याज दर स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में निगम की सहायता की जाये, यदि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को ऋण देने की गति को बिना किसी अड़चन के बनाये रखना है। | 4. 48 | 72 |
| (87) | हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह इस आशय का एक समुचित विनियम/विधान अधिनियमित करे कि लाहुल आलू उत्पादकों की सहकारी समिति आलू तथा हाप और चिकरी जैसी नकदी फसलों को खरीदने वाली एकमात्र एजेंसी है तकि बीच में निजी व्यापारी न रहें। जिस दूसरी समस्या की ओर तुरंत ध्यान देना जरूरी है, वह है लाहुल घाटी से ही एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना ताकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आलू उत्पादकों के लिए मूल बीज का उत्पादन किया जा सके। लाहुल घाटी में दलाल नामक स्थान पर वर्तमान आलू बिकास स्टेशन का कार्य-संचालन करता है और सिंचाई की सुविधाओं के न होने के कारण मूल बीज की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् घाटी में ही मूल बीज के उत्पादन को और विशेष ध्यान दें क्योंकि इस कार्यक्रम का सीधा सम्बन्ध आदिवासी कारतकारों के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। | 4. 68 | 75 |
| (88) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए राज्य सरकारें गृह मंत्रालय द्वारा जारी विद्या-निर्देशों के अनुरूप बिकास निगमों की स्थापना के लिए कार्रवाई करें। उन्हें मध्यावधि योजना के अंत तक कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति परिवारों को इसका लाभ पहुंचाने के लक्ष्य को पाने की विद्या में प्रयास करने चाहिए। | 4. 70 | 75 |
| (89) | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्राप्त लाभों में सम्बन्धित विवरण को प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त प्रपत्र बनाया जाना चाहिए। | 4. 73 | 76 |
| (90) | हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के जिन परिवारों को आवास-निर्माण के लिए सहायता दी जा सकती है, उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों सहित अल्पोध्य परिवारों के लिए पृथक् निधियों की व्यवस्था करनी चाहिए और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विद्यमान निधि को इन वर्गों के अल्पोध्य परिवारों पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश व्यक्ति आर्थिक रूप से विपन्न हैं, इसलिए अनुसूचित जातियों के बिकास के लिए वर्तमान कार्यक्रमों की अल्पोध्य के अधीन अनुसूचित जाति परिवारों की ओर मोड़ना उचित नहीं होगा क्योंकि उनके लिए अलग से निधियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। | 4. 78 | 77 |
| अध्याय-5 भूमि, कृषि और आवास कार्यक्रम | | | |
| (91) | कछार जिले में अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों और उत्पीड़न के कथित मामलों की समुचित और यथेष्ट जांच की जानी चाहिए क्योंकि असम राज्य के इस जिले में अनुसूचित जातियों का घनत्व सबसे अधिक है। | 5. 9 | 79 |
| (92) | दिल्ली के नांगलोई खंड के कंआबला गांव में नये भूमि आवंटितियों की सहायता के संदर्भ में सम्बन्ध प्राधिकारियों द्वारा अपनये गये अडिग रुब का अन्य राज्य सरकारों को अनुकरण करना चाहिए। | 5. 22 | 80-81 |
| (93) | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की वास्तविक कब्जा दिये जाने के संदर्भ में भूमि आवंटनों की राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकता पड़नेपर समय रहते ही उपचारो कार्रवाई भी की जानी चाहिए। | 5. 24 | 81 |
| (94) | राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया राजस्व अभियान सही दिशा में उठाया गया एक कदम है और एक अच्छी बात यह जानने की मिली कि इस अभियान के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कृषि भूमि बांटी भी गई थी। अन्य राज्य सरकारों को भी राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित आदर्श का अनुकरण करना चाहिए। | 5. 31 | 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|---|-------|-------|
| (95) | अनुसूचित जनजातियों की ज़मीनों का हस्तांतरण विनियमित करने से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों की तत्काल समीक्षा की जाये ताकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की ज़मीनों को संरक्षण दिया जा सके। आयुक्त भूमि सूचियों से सम्बन्धित कार्यकारी दल के सुझावों से पुरी तरह सहमत है कि राज्य सरकारें नागरिक कार्यविधि की आचारसंहिता या किसी अन्य कानून में कोई व्यवस्था रहने के बावजूद अपने कानूनों से यह स्पष्ट व्यवस्था करे कि अनुसूचित जनजाति के किसी भी एक सदस्य को जोत की बिक्री गैर-कानूनी होगी अगर उसे अनुसूचित जनजाति का ही क्रय ध्येय नहीं खरीदता है। कानूनों में यह स्पष्ट व्यवस्था रहनी चाहिए कि इस आशय के तर्कों को कार्यविधि की किसी भी अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है। यही तर्क किसी सफलता या हित-साधना में स्वीकार किया जा सकता है। जिन आदिवासी क्षेत्रों में भूमि की बेदखली बहुत अधिक हुई है, उन्हें पहचाना जाना चाहिए और भूमि की वापिसी का कार्य अभियान के रूप में किया जाना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, वहाँ इस उद्देश्य के लिए विशेष स्टाफ की नियुक्ति भी की जा सकती है। | 5. 34 | 84 |
| (96) | जिन राज्यों में काफी बड़ी संख्या में धूम कृषक हैं, कृषि तथा समवर्गी क्षेत्रों के कुल परिव्यय का एक निश्चित अनुपात अतिरिक्त केन्द्रक मुद्रा के साथ इन क्षेत्रों के लिए परिमाणित किया जाना चाहिए। | 5. 40 | 84 |
| (97) | अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न चरणों में एक आवास कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। इसे स्थानीय डिजाइनों, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री और दक्षता पर आधारित होना चाहिए। विभिन्न समुदायों के सदस्यों के बीच सामंजस्य पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम सामूहिक आवास के स्तर पर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। लाभग्राहियों को उदार ऋण तथा अनुसूचित सहायता-अनुदान बेकर सबब की जानी चाहिए। | 5. 52 | 87 |
| अध्याय-6 शैक्षिक विकास | | | |
| (98) | राजस्थान के 6—11, 11—14 और 14—17 आयु-वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नामांकन के मामले में राष्ट्रीय लक्ष्य से कहीं बहुत ज्यादा पीछे है। राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के नामांकन की स्थिति और भी खराब है। यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार इस दशा में तुरंत समुचित कार्रवाई करेगी ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों दोनों के इन आयु-वर्गों में नामांकन के प्रतिशत में वृद्धि हो सके। | 6. 5 | 88-89 |
| (99) | आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों और अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को—जहाँ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बहुत अधिक है—“सबके लिए प्राथमिक शिक्षा” कार्यक्रम को लागू करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इन समुदायों के बच्चों को और विशेष ध्यान दिया जाये क्योंकि ये पिछड़े हुए हैं। समुचित निधियों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में छात्रवृत्तियाँ और वृत्तिकाएँ, निःशुल्क बर्दा, कितानों, लेखनसामग्री, दोपहर का भोजन, छिन्तरी आवादी वाले क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना आदि प्रोत्साहन दिये जा सकें और उनके नामांकन में वृद्धि हो सके। आदिवासी क्षेत्रों में उच्चतर गैर-अध्यापक लागत के उपबंध भी किये जाने चाहिए। समझा जाता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र विद्यार्थियों को सैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियाँ देकर शलाघनीय कार्य कर रही हैं। शेष राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र विद्यार्थियों को सैट्रिक-पूर्व वृत्तिकाएँ देकर इसी तरह की कार्रवाई करें ताकि ये बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित अनुभव करें। | 6. 7 | 89-90 |
| (100) | यह देखा गया कि राजस्थान सरकार ने राज्य के डूंगरपुर जिले में प्रस्तावित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की शुरु करने के लिए जिन स्थानों का चुनाव किया है, वे जनजातीय जनसंख्या बहुल इलाके हैं। शेष सभी राज्य सरकारों को भी प्रस्तावित केन्द्र जनजातीय जनसंख्या बहुल क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों की वस्तियों में खोलने के बारे में इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि 15—35 आयु वर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निरक्षर व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से लाभ उठा सकें। विषयक्रम के विषय तथा पैटर्न भी इस तरह के होने चाहिए कि इन समुदायों से सम्बद्ध व्यक्ति अपने सामाजिक-आर्थिक परिवेश को समझ सकें और नये आर्थिक कार्य-कलापों को सोच कर अपने वर्तमान कौशल में सुधार कर लें। | 6. 10 | 90-91 |
| (101) | महाराष्ट्र में किये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि वहाँ पिछड़े वर्गों के छात्रावासों की वृद्धि वेदंगी है, अतः राज्य सरकार को इससे बचना चाहिए और सुनियोजित नीति अपना कर निर्धारित क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप छात्रावासों की क्षेत्र-वार संतुलित वृद्धि की जा सकती है, और यह निर्णय संवर्धन करने के बाद लिया जाना चाहिए। शेष सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप नये छात्रावास खल रहे हैं और इन छात्रावासों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के छात्रावास पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहाँ की सरकारों/प्रशासनों को भी अपने यहाँ ऐसे छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के लिए | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|------|-------|
| | शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। जिन राज्यों में अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अनुशिक्षण (कोचिंग) की सुविधाएं भी छात्रावासों में उपलब्ध की जानी चाहिए। | 6.12 | 91-92 |
| (102) | राजस्थान सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त पिछड़े वर्गों के छात्रवृत्तियों की सहायता-अनुदान राशि बढ़ाने सम्बन्धी कार्रवाई श्लाघनीय है। जिन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों में, जहां अनुदान-सहायता की दर अभी तक कम है, उन सरकारों/प्रशासनों को यह दर बढ़ाने के निम्न शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सहायता-प्राप्त छात्रावास सहवासियों को संतुलित भोजन दे सकें। राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिन मदों के लिए इन छात्रावासों को अनुदान-सहायता दी जा रही है, वे सहवासियों की वास्तव में दी जाती हैं। | 6.13 | 92 |
| (103) | अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश की कार्यपद्धति का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि छात्रावास में निर्धारित संख्या से अधिक सहवासी होने के कारण चारपाई, रैंक, सैल्फ, खेल आदि न्यूनतम आवश्यकताएं तक सहवासियों को उपलब्ध नहीं करवाई गई थीं। राज्य सरकारों को ऊपर लिखित बातों को और ध्यान देना चाहिए और छात्रावास की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। केन्द्र सरकार तथा उन राज्य सरकारों को भी, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कन्या छात्रावासों की संख्या कम है, ऐसे छात्रावासों की संख्या बढ़ाने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए। | 6.15 | 92 |
| (104) | महाराष्ट्र सरकार को आदिवासी शोध संस्थान, पुणे द्वारा सुझाए गये कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित आश्रम स्कूल खोलने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उसने इस संदर्भ में एक अध्ययन किया था। वे सभी राज्य सरकारें, जहां आश्रम स्कूलों की संख्या अपर्याप्त है, शीघ्र ऐसे कदम उठाएं ताकि वहां भी आश्रम स्कूलों की आवश्यकता की जानकारी के लिए अध्ययन किये जा सकें और ऐसे क्षेत्रों का भी चुनाव किया जा सके, जहां जनसंख्या तथा क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप ऐसे स्कूल खोले जा सकें। आश्रम स्कूलों की असंतुलित तथा असमान वृद्धि को रोकने में भी इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। | 6.16 | 92-93 |
| (105) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ बच्चों की मैट्रिक-मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों से वंचित रखने का रत्ती भर औचित्य नहीं है, जिसके लिए उनके भाई और बहनें पात्र हैं, सिर्फ इसलिए कि वे मत्ता-पित्ताओं की तीसरी या चौथी संतान हैं। अतः विनियमों में से यह प्रतिबंध हटा देना चाहिए कि किसी माता-पिता/अभिभावक के केवल दो ही बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दी जा सकती हैं और ऐसे माता-पिताओं/अभिभावकों के सभी मैट्रिकोत्तर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों, यदि अन्यथा वे इसके पात्र हों, को छात्रवृत्तियां भी जताई जायें। | 6.19 | 94 |
| (106) | जिन राज्यों में 10+2 शिक्षा पद्धति शुरू की जा चुकी है, वहां की सरकारों को चाहिए कि वे सम्बद्ध स्कूलों की आवश्यकतानुसार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के आवेदनपत्र भी स्वयं सप्लाई करें ताकि 11 वीं कक्षा के विद्यार्थी आवेदन-पत्र प्राप्त करने की कठिनाई से बच सकें। | 6.20 | 94 |
| (107) | गृह मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार बिलौली प्रशासन तथा अन्य राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन इन आवेदनपत्रों को स्वयं मुद्रित करवाने की व्यवस्था करें और पर्याप्त संख्या में कालेजों तथा 10+2 शिक्षा पद्धति वाले स्कूलों को सप्लाई करें। वे इन आवेदन-पत्रों को सप्लाई समय पर करें ताकि विद्यार्थियों को इसके लिए परेशान न होना पड़े। | 6.20 | 94 |
| (108) | राजस्थान सरकार तथा उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को, जहां अभी तक हकबारी-काई की पद्धति शुरू नहीं की गई है, अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस पद्धति को शुरू करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। | 6.20 | 94 |
| (109) | सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में भी आर्थिक दृष्टि से ज्यादा पिछड़े समुदायों की पहचान के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही विशेष कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिए जिसके अंतर्गत विशेष अनुशिक्षण कक्षाओं, मैट्रिक-पूर्व वृत्तिकार्यों की दर में वृद्धि, निःशुल्क किताबें, बर्तन, दोपहर के भोजन की व्यवस्था हो और आश्रम स्कूलों की तरह विशेष आवासीय स्कूल भी शुरू किये जायें ताकि इन समुदायों के विद्यार्थी अधिक संख्या में मैट्रिकोत्तर शिक्षा के स्तर तक पहुंच सकें तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम का लाभ उठा सकें। इन समुदायों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को दर में भी समुचित वृद्धि दी जानी चाहिए ताकि वे मैट्रिकोत्तर शिक्षा में जाने के लिए प्रोत्साहित अनुभव कर सकें। | 6.21 | 95 |
| (110) | गृह मंत्रालय को सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाविद्यालय छात्रवृत्तियों की राशियां शीघ्रता से आवंटित करते हैं और अनावश्यक रूप से अपने पास नहीं रखते। | 6.22 | 95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-----------------|-------|
| (111) | गैर-अनुसूचित जातियों/गैर अनुसूचित जनजातियों, जो अस्वच्छ शौचालयों का संसाधन होने और चर्म कमाने के कामों में संलग्न हैं, के बच्चों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने की नई स्कीम स्वागत योग्य है। किन्तु छात्रवृत्तियों की संख्या कम प्रतीत होती है और जिन वर्गों के बच्चों के लिए यह स्कीम बनाई गई है, हो सकता है कि वे सभी इसके अंतर्गत न आ सकें। अतः छात्रवृत्तियों की संख्या सीमित नहीं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में है, और इस स्कीम के अंतर्गत सभी पात्र बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जायें। इस स्कीम के अंतर्गत किया जाने वाला व्यय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए अर्बन्धित बजट में से न किया जाये बल्कि यह व्यय पृथक बजट शीर्ष में से दिया जाये। | 6.23 | 95 |
| (112) | कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना श्लाघनीय है जिसके अंतर्गत अर्बन्धित छात्रों के माता-पिताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने बच्चों की स्कूल भेजने के लिए उत्साहित अनुभव करें। अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी इसी तरह की योजना शुरू करनी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उत्साहित अनुभव करें। यह प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समुचित साधन-कसौटी का भी निर्धारण करना बेहतर रहेगा। जो राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र छात्रों को मैट्रिक-पूर्व वृत्तिकाएं प्रदान करने के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे इस उद्देश्य के लिए मुक्त परिधियों को व्यवस्था करके इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करें। | 6.24 | 95-96 |
| (113) | राजस्थान और जिन अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों ने मैट्रिक-पूर्व वृत्तिकाओं और पुस्तक-अनुदान वदी, दोपहर के भोजन जैसे प्रोत्साहकों को कोई योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अभी तक लागू नहीं की है, वे अब अपने-अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करें। हिमाचल प्रदेश और जिन अन्य राज्यों की सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राथमिक कक्षाओं तक के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व वृत्तिकाओं की योजना शुरू कर रखी है, वे इसके लिए पर्याप्त निधियों को व्यवस्था करें ताकि इन समुदायों के प्राथमिक कक्षाओं के सभी पात्र छात्रों को वृत्तिकाएं प्रदान की जा सकें। | 6.25 | 96 |
| (114) | अस्वच्छ व्यवसायों जैसे कि शुष्क शौचालयों को सफाई, चमड़ा कमाने और चमड़ा उतारने के कामों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि इन वर्गों के और अधिक बच्चे इसके अंतर्गत आ सकें। | 6.27 | 96 |
| (115) | सभी राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्तियों, जिसके लिए जनवरी 1978 में आवेदन मांग गये थे, को गृह मंत्रालय यथाशीघ्र संवीकृति दे ताकि वे जना न होती रहें। | 6.28 | 97 |
| (116) | कर्नाटक सरकार को चाहिए कि वह गैर-सरकारी मैडिकल कालेजों में प्रवेश पाने वालों से प्रति व्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) लेने की प्रणाली को समाप्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई करे। वह सम्बद्ध गैर-सरकारी मैडिकल कालेजों की अपने अधिकार में लेकर विशुद्ध योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का प्रवेश प्रारंभ करे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनके लिए आरक्षित सीटों पर न्यूनतम स्तर में निर्धारित छूट देकर प्रवेश दिया जाये। | 6.31 | 97 |
| (117) | जहां तक हमारी जानकारी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना यह रवैया नहीं बदला है कि वह मैडिकल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीटों का आरक्षण करने तथा प्रवेश के न्यूनतम स्तर में छूट देने के लिए राज्य सरकारों पर बर्बाद डाले। मंत्रालय का तर्क है कि चिकित्सा शास्त्र की स्नातकोत्तर शिक्षा को, आयुर्विज्ञान की किसी चुनिंदा शाखा में विशिष्ट प्रशिक्षण होने के कारण चिकित्सा-शास्त्र के स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के समान नहीं माना जा सकता, इसलिए चिकित्साशास्त्र की स्नातकोत्तर शिक्षा के स्तर को नीचे लाना उचित नहीं होगा। क्योंकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केवल प्रवेश पाने के स्तर में छूट दी जानी है, न कि पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए परीक्षाओं में सफल होने के हेतु, अतः मंत्रालय अपने रवैये पर फिर से विचार करे और इन पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सीटों के आरक्षण या प्रवेश हेतु निम्नतम योग्यता स्तर में छूट की शीघ्र व्यवस्था के लिए उन राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों पर जोर डाले, जो अभी तक इससे सहमत नहीं हैं। प्रवेश के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक लाने के लिए लगभग तीन माह का विशेष अदुशिक्षण दिया जा सकता है। | 6.32 और 6.33 | 97-98 |
| (118) | जुलाई 1977 में विभिन्न भारतीय टैक्नोलॉजी संस्थानों के निदेशकों तथा शिक्षा मंत्रों के बीच हुई बैठक में लिया गया यह निर्णय वास्तव में स्वागत योग्य है कि इंजीनियरिंग, आयुर्विज्ञान जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवेश पाने के इच्छुक प्रतिभाशाली छात्रों को स्कूल के स्तर पर | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|--|-------|---------|
| | | | |
| | ढूँढा जाय और इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाय। स्पष्ट है कि विद्यालय स्तर पर प्रस्तावित प्रशिक्षण उन्हीं विशेष केंद्रों का विकल्प है जिन्हें आरंभ करने का प्रस्ताव पहले आया था और जो कभी आरंभ नहीं किये गये थे। आशा की जाती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विद्यालय स्तर पर विद्यमान वाले प्रस्तावित प्रशिक्षण का वही हक नहीं होगा। प्रस्तावित प्रशिक्षण योजना को शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने आगे क्या कार्रवाई की है, इस विषय में कुछ पता नहीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण देने की योजना आरंभ करने के लिए ये मंत्रालय तुरंत कार्रवाई करें ताकि ये विद्यार्थी भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थानों में अध्ययन के लिए अच्छी तरह से तैयार ही जायें क्योंकि इन संस्थानों में उच्च दर्जे का शैक्षणिक निष्पादन आवश्यक होता है। | 6. 41 | 99 |
| (119) | 1977-78 के दौरान केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बारे में शिक्षा मंत्रालय की सूचना अभी प्रतीक्षित है, अतः इसके अभाव में विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में इन समुदायों के प्रवेश पाने के संदर्भ में की गई प्रगति का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। आशा की जाती है कि भविष्य में शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन अधिक सहयोग देंगे। | 6. 43 | 99 |
| (120) | शिक्षा मंत्रालय इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई करे कि केंद्रीय विद्यालयों में अनुसूचित ज़ाती/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए न्यूनतम श्रेणिक स्तर में 10 या उससे अधिक प्रतिशत की विशेष छूट निर्धारित की जाये। | 6. 44 | 99-100 |
| (121) | शिक्षा मंत्रालय को चाहिए कि वह केंद्रीय विद्यालय संगठन को अपने यहां से जारी उन अनुदेशों का पालन करने के लिए बहे जिसमें केंद्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों के परस्पर अंतर्बन्ध को व्यवस्था दी गई थी अर्थात् "यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं मिलते तो वे अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों से भरी जा सकती हैं।" | 6. 45 | 100 |
| अध्याय-7 सामाजिक विकास | | | |
| (122) | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15 (क) के अधीन यह व्यवस्था है कि अधिनियम के उपबंधों की कार्यविधि के कालिक सर्वेक्षण किये जा सकते हैं। अनेक राज्य सरकारों ने अभी तक इत प्रस्तावित सर्वेक्षण-कार्य के लिए कदम नहीं उठाए हैं। सम्बद्ध राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को पहलू पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और उन्हें अशक्तता क्षेत्रों में कालिक सर्वेक्षण करवाने चाहिए। जैसा कि हमने अपने पिछले रिपोर्ट में सुझाव दिया था, यह बात फिर से दोहराई जाती है कि राज्य सरकारें विशेष न्यायालयों के गठन के समय अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड मामलों की संख्या से निर्देशित न हों बल्कि मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता और साथ ही अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाले व्यक्तियों पर पड़ने वाले निवारक प्रभाव को और ध्यान दें। यह आशा भी की जाती है कि संशोधित अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का ईमानदारी से पालन किया जाये तो हमारे समाज से इस बुराई को समाप्त करने में इसका काफी बड़ा हाथ रहेगा। सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अधिनियम के उपबंधों का व्यापक प्रचार करें और इसकी प्रतियां वितरण के लिए अंग्रेजी तथा प्रांतीय भाषाओं में मुद्रित करें। | 7. 5 | 102 |
| (123) | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अधिनियम सभी सम्पत्तियों पर लागू होता है और उनके स्वामी चाहे जो भी हों। जो कुछ निजी भवन की चारदीवारी में नहीं हैं तथा लगे बड़ी संख्या में उनका प्रयोग करते हैं तो ऐसे कुओं को सार्वजनिक कुएं मान लिया जाना चाहिए और जनसंख्या के सभी वर्गों को उनका प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। | 7. 6 | 102 |
| (124) | कानूनी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत नियम ऐसे बनाये जायें कि निर्धारित अवधि में कानूनी सहायता उपलब्ध हो जाये और पारिश्रमिक की राशि ऐसी होनी चाहिए कि उपयुक्त कोर्ट के अनुभवों सलाहकारों को नियुक्त किया जा सके। साथ-साथ पात्रता की कसौटी इस प्रकार की निर्धारित की जानी चाहिए कि बड़ी संख्या में अरुणतमंद तथा योग्य व्यक्ति इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ सकें। | 7. 7 | 102 |
| (125) | राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अस्पृश्यता के शिकार सभी व्यक्तियों को भूमि, ऋण तथा उचित रोजगार उपलब्ध कर क्षतिपूर्ति करने की समुचित व्यवस्था करें। | 7. 8 | 102-103 |
| (126) | उन सभी राज्यों में राज्य स्तर की समितियों, जहाँ अस्पृश्यता की समस्या अपने उच्च रूप में विद्यमान है कि अध्यक्षता वहाँ के मुख्यमंत्री करें ताकि ऐसे मामलों पर उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जा सके। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को इस सुझाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। | 7. 9 | 103 |
| (127) | अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कार्यकारी दल की सिफारिशों को प्रभावशाली ढंग से लागू करवाने में लम्बी अवधि तक एवं निर्धारित अवधि में अस्पृश्यता की कुप्रथा का उन्मूलन हो सकेगा। सम्बद्ध केंद्रीय | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|------|-----|
| | मंत्रालयों को सामान्य क्षेत्र कार्यक्रमों में से क्षेत्र-विशेष के परिचय का मूल्यांकन करना चाहिए और राज्य सरकारों में इसी तरह के काम से सम्बद्ध विभागों से संवाद स्थापित करना चाहिए। विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करने के काम में गृह मंत्रालय को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। | 7.11 | 104 |
| (128) | नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को लागू करवाने के लिए राज्यों में विशेष पुलिस-तंत्र के गठन के प्रश्न पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि विभिन्न राज्यों में विशेष पुलिस-तंत्र में समुचित सहायक स्टाफ नहीं है और यह स्थिति राज्य स्तर के साथ-साथ क्षेत्र-स्तर में भी विद्यमान है। यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि विशेष शासन-तंत्र के लिए समुचित स्टाफ हो। विशेष शासन-तंत्र इसके अलावा अनुसूचित जातियों के साथ होने वाले अत्याचारों अथवा हिंसा के मामलों से सम्बद्ध काम भी कर सकता है। | 7.14 | 104 |
| (129) | देश के अशक्तता क्षेत्रों में अस्पृश्यता की प्रथा का व्यापक स्तर पर सामना करना जरूरी है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 को लागू करवाने के काम के साथ विशेष महत्व तथा शोचिता का भाव आ जुड़ा है, जो पहले नहीं था। अस्पृश्यता उन्मूलन की राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप मिल चुका है और पांच वर्षों के भीतर इसका उन्मूलन करने के संकल्प ने इसे समय-बद्ध कार्यक्रम बना दिया है। | 7.19 | 105 |
| (130) | कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर गुजरात तथा तमिलनाडु की सरकारों द्वारा अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गये कदम प्रशंसनीय हैं। जिन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने इस दिशा में आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं, वे अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें। | 7.22 | 108 |

अध्याय-8 जनजातीय विकास

| | | | |
|-------|---|-----|---------|
| (131) | श्रीसत जनजातीय व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने का पहला उपाय यह है कि उन्हें उस बहुविध शोषण प्रक्रियाओं के शिकंजे से बचाना होगा, जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ और मजबूत होती जाती हैं। यद्यपि 5 वीं योजना में शोषण को समाप्त करने की उच्च प्राथमिकता दी गई थी, पर नये विकास कार्यक्रमों के साथ प्रभावी वितरण व्यवस्था के अभाव एवं उनमें स्थानीय लक्ष्यमूल्याओं के समावेश होने की सीमित क्षमता की महत्वपूर्ण विसंगति देखी गई। | 8.1 | 109 |
| (132) | इस देश में जनजातीय लोगों की समस्याओं का सम्य और संस्कारित लोगों की शिक्षा तथा दृष्टिकोण से उतना ही सरोकार है जितना कि जनजातियों का खुद अपने विकास करने से है। इसलिए संस्कारित लोगों को जनजातीय जीवन-पद्धति के गुणों को सिखाया जाना पड़ेगा और उनकी सम्मान-भावना को आदर देना और संस्कृति को पारस्परिक सम्मान भाव से समझना पड़ेगा, न कि कृपादृष्टि अथवा पंडितजनोचित भाव से। | 8.1 | 109 |
| (133) | जनजातीय विकास का दायित्व सभी विकास सम्बन्धी विभागों पर है, इस अवधारणा को स्पष्टतः समझने में काफी समय लगा। अब भी सभी राज्यों में जनजातीय विकास विभागों के प्रधान वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं। इसी तरह, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के स्तर पर ज्यादातर मामलों में परियोजना प्रशासकों को नियुक्ति नहीं की गई है। परियोजना प्राधिकारियों को प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार देने में भी बहुत समय लगाया गया और रुकावटें डाली गई। ऊपर की स्थिति से साफ जाहिर होता है कि स्वतः पांचवीं योजना में दृष्टिकोण तथा रणनीति स्पष्टतः निर्धारित कर दी गई थी, पर उपलब्धियां इन प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं रहीं। हालांकि इन क्षेत्रों में निवेश की तुलना में अपूर्व सफलता प्राप्त हुई किन्तु इन निवेशों का प्रमुख भाग बड़े कर्षकों तथा बुनियादी ढांचे के विकास में लग गया, जबकि जनजातियों को तात्कालिक लाभ देने वाले छोटे कार्यक्रम जोर नहीं पकड़ सके। | 8.5 | 109-110 |
| (134) | असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में आदिवासी उपयोजनाओं के अधीन परियोजनाओं की तैयारी की प्रगति बहुत ही धीमी रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त जब मणिपुर राज्य के दारे पर थे तो वहां के मुख्यमंत्रियों को यह बात खासतौर से बताया कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये क्योंकि राज्य ने अब तक कोई भी परियोजना तैयार नहीं की है। इसलिए असम, मणिपुर तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों को चाहिए कि ये अपने संगठन तंत्र को तेज करें और समय मष्ट किए बिना परियोजनाएं तैयार करें। | 8.7 | 110 |
| (135) | सिमडेगा, बिहार की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अध्ययन से पता चला कि परियोजना क्षेत्र में उद्यान कृषि के विकास के लिए वस्तुतः कोई प्रयास नहीं किए गये। यद्यपि परियोजना क्षेत्र रेशम के कीड़ों के पालन के अधिक उपयुक्त माना जाता है, फिर भी ऐसा कार्यक्रम शुरु नहीं किया गया। सिमडेगा में उद्योग विभाग द्वारा स्थापित बीज धूमि केन्द्र मृत-प्राय-सा था। जहां तक दूसरी औद्योगिक इकाइयों का सवाल है, यह देखा गया कि उनमें जनजातियों की सहभागिता नहीं के बराबर है। सिमडेगा परियोजना में कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्र अत्यंत असंतोषजनक ढंग से कार्य करता हुआ पाया गया। अध्ययन से यह भी पता चला कि खेती | | |

- की और लाभकर बनाने के लिए, भूमि की उर्वरता सुधारने के लिए तथा सौजूदा अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना जरूरी है। लघु सिंचाई कार्यों के लिए किसी सर्वेक्षण तथा छानबीन करने वाली एजेंसी की व्यवस्था नहीं की गई है। यह मालूम हुआ कि चौड़े व्यास वाले कुओं की परियोजना का लाभ ज्यादातर गैर-जनजातियों के व्यक्तियों को मिला है। मौजूदा बीज गुणन फार्मोंकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। परियोजना क्षेत्र की अधिकांश भूमि खारी किस्म की है जिसके उपचार की जरूरत है किन्तु इस बात पर प्राधिकारियों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। यद्यपि इस क्षेत्र में उच्चतकृषि के विकास की बहुत संभावनाएं हैं लेकिन जनजातियों की रियायती दर पर फलदायक पीछे देने के प्रारंभिक कदम भी नहीं उठाए गये। इसी तरह परियोजना क्षेत्र में बलहनों और तिलहनों की ज्यादा लाभकर खेती की जा सकती है किन्तु जनजातीय कृषतकारों को त तो समझाया गया और न ही उनकी सहायता की गई। यह भी मालूम हुआ कि परियोजना क्षेत्र के दूर-दराज के इलाकों में उर्वरक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उसकी दुलाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था भी बहुत अपर्याप्त है। सिमडेमा रोजनार कार्यालय के चालू रजिस्टर में अनेक शिक्षित आविवासियों के नाम रजिस्टर्ड थे। तकनीकी मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता देकर उनमें से कई को जनजातीय उद्यमी बनने में मदद की जा सकती है। खाड़ी तथा ग्रामीणों के सम्बन्ध में मालूम हुआ कि जनजातियों द्वारा उपकरणों तथा औजारों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता के कार्यक्रम थे और 1978-79 में इसके लिए 43,000 रुपये का प्रस्ताव था। किन्तु यह परियोजना कब शुरू हुई और इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां हुईं, वहां इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। परियोजना क्षेत्र में ऐसे बहुत से स्थान हैं, जो कच्ची और उबड़-खाबड़ सड़कों तक से भी जुड़े नहीं हैं। यद्यपि परियोजना क्षेत्र में 400 आदिस समुदायों के होने का अनुमान है लेकिन उनके कल्याण के लिए किये गये मात्र एक प्रयास की जानकारी यहां मिली थी कि परियोजना प्राधिकारी ने प्रखंड विकास अधिकारियों को लिखा था और उस समुदाय के सदस्यों की स्थायी रूप से जमीन पर बसाने के तरीके का विवरण प्रस्तुत करने को कहा था। इसलिये यह कहा जा सकता है कि क्षेत्र परियोजना रिपोर्ट तैयार कर देना ही पर्याप्त नहीं है। यदि योजनाओं की गंभीरता से लागू करना है तो उन पर सतत निगरानी रखनी पड़ेगी तथा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यक्रमों से सम्बन्धित सांख्यिकीय आकड़े एक स्थान पर एकत्र रखना अनिवार्य होगा। जससे उनकी सम्पूर्ण प्रभावताका पता चल सके। इस परियोजना में छानबीन सर्वेक्षण खंड होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र में लागू विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की देखरेख कर सके। जनजातीय विकास क्षेत्र गुप्तपुर, जिला कोटापुट, उड़ीसा में किये गये एक दूसरे अध्ययन से पता चला कि अनुसूचित जनजाति के अनेक किसान पूर्णतः आर्थिक सहायता पर निर्भर थे और आर्थिक सहायता की सुविधा वापिस लिए जाने पर उन्नत तरीकों की जारी रखने में अनुत्साही देखे गये। सरदारपुर, पवमपुर प्रखंडों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के जब इंटरव्यू लिये गये तो उन्होंने बताया कि उनके नियोजक उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देते। इसलिए ऐसे मजदूरों को हित-रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी के भगतान की कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए तथा इसके रिफंड रखने के लिए उन पर जोर डालना चाहिए। नियोजकों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं का पता लगाने के लिए समय-समय पर राजस्व प्राधिकारियों को छापामार पड़ताल करनी चाहिए।
- (136) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आदिम समूहों की पहचान का कार्यक्रम तेजी से नहीं चलाया गया, जबकि इस उद्देश्य के लिए वित्तीय परिचय निर्धारित किया गया था। आदिवासी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थात, पुणे द्वारा आदिम कबीलों माड़िया गोंडों, कतकरियों और कौलामों के स्वास्थ्य एवं पोषण की समस्याओं पर तीन अध्ययन किये थे। चूंकि महाराष्ट्र की राज्य सरकार को इन समुदायों पर अभी परियोजनाएं तैयार करनी हैं, इसलिए यह उचित रहेगा कि इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर समुचित कार्यक्रम तैयार किये जायें।
- (137) सिद्धांत रूप में कई क्षेत्रों में ममके से उतारी गई शराब बंद कर देने के बावजूद वह सप्लाई को जाने वाली शराब का रूप ले चुकी है। चार वर्षों में पूर्ण नशाबंदी के विर्णय का उपयोग जनजातीय क्षेत्रों से शराब को व्यापारिक बिक्री को पूर्णतया समाप्त करने में किया जाना चाहिए। सरकारी प्रयत्नों को तभी सफलता मिलेगी, जब जनजातियों की शराब पिन की श्रावत को छुड़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का भी उपयोग किया जायेगा।
- (138) राज्य सरकारों के वन विभागों के लाभार्जन में कई गुना वृद्धि हुई है लेकिन वनों में रहने वाली जनजातियों की दशा में सुधार नहीं हुआ है। इसलिए यह आवश्यक होगा कि युधारोपण के सभी कार्यक्रमों में उन पारंपरिक प्रजातियों के वृक्षों को शामिल किया जाये जिनसे जनजातियों को लघु वन उत्पाद तथा ग्रामवनी के दूसरे साधन उपलब्ध हैं। जनजातियों द्वारा लघु वन उत्पादों की संग्रह के अधिकार को बिना किसी संकोच के मान्यता दी जानी चाहिए। इसके लिए जनजातियों में कोई रायल्टी भी स वसूली जाये। जनजातियों द्वारा संग्रहित लघु वन उत्पादों का लाभकर दाम मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह काम निकटवर्ती बाजारों में उपलब्ध वस्तुओं से सम्बद्ध होता है। साल बीज, जो एक लघु वन उत्पाद हैं, की खरीद बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर गठित सहकारी समितियों द्वारा की जा रही थी। अन्य राज्यों में भी लघु वन उत्पाद की खरीद सहकारी समितियों द्वारा ही की जानी चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों से संग्रहित अ-छाछ तिलहन बाहर भेज दिये जाते हैं और विलायतविस्तार संयंत्रों से संसाधित करके उनका साधन बनाया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में संसाधन संयंत्र लगाने की प्रोत्साहित करने के लिए निजी, सार्वजनिक तथा सहकारी सेक्टरों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की प्रारंभिक कार्रवाई की जाये।

8. 8,
8. 9, 8. 10 110-111
और 8. 11

8. 14
से
8. 17 111- 112

8. 21 113

8. 22, और
8. 23 114

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-------|---------|
| (139) | ईंधन जमा करने तथा इलायची उगाने वालों की सहकारी समितियाँ बनाने की दिशा में केरल सरकार के प्रयोगों से लघु वन उत्पादों के व्यापार को संघटित करके सबसे कमजोर जनजातियों की आर्थिक वशा में सुधार कर सकने के बिशानिर्देश मिलते हैं। अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी सहकारी समितियों के जरिए लघु वन उत्पादों को संघटित करने की दिशा में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। | 8. 25 | 114 |
| (140) | वन विकास निगमों का मुझाव व्यापारिक आग्रहों को और रहने लगा है और वन मजदूर सहकारी समिति को उपेक्षा करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। | 8. 26 | 114 |
| (141) | यह आवश्यक है कि वृक्षों की जल्दी बढ़ने वाली प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाये जिनसे चारा, ईंधन को लकड़ी तथा भवन निर्माण एवं ग्रामोद्योग की सामग्री मिलती है। उत्पादन कार्य ग्रामीण समुदायों की अपनी सहकारी समितियों के जरिए होना चाहिए। इस कार्य में उन्हें वन विभाग के तकनीकी कार्मिकों, विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों, अनुसंधानकर्ताओं तथा स्थानीय समुदाय के जानकार नेताओं का सहयोग मिलना चाहिए। वन मजदूर सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और न केवल कच्चा माल प्राप्त करने वरन् तैयार माल बनाने के लिए भी उनका सफलतापूर्वक संचालन किया जाना चाहिए। वन्य उत्पादों के संग्रह तथा उपयोग पर जनजातियों के अधिकार तथा उन्हें दी जाने वाली रियायतें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पेंम्ब्लेट के रूप में प्रकाशित कर जनजातियों में उन्हें निःशुल्क वितरित किया जाये। | 8. 27 | 111-115 |
| (142) | केन्द्रीय कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय ने जनजातीय अर्थव्यवस्था में वनों के योगदान पर विचार करने के लिए वन तथा जनजातीय मामलों के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में अनेक अच्छे सिफारिशें की गई थीं। यदि इन पर गंभीरता से अमल किया जाता है तो ये वन्य क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की वशा सुधारने में बहुत दूर तक सहायक हो सकती हैं। | 8. 29 | 115 |
| (143) | उड़ीसा सरकार ने जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत उद्यान कृषि कार्यक्रम का एक नया रूप प्रदान किया है। अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उड़ीसा के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और सम्बद्ध विभागों को शीघ्रता से जनजातीय क्षेत्रों के लिए उद्यान कृषि के नये कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। यदि पहाड़ी क्षेत्रों से वन रोपण तथा उद्यान कृषि के कार्यक्रम सौच-विचार कर तैयार किये जायें तो उससे सिर्फ जनजातियों को ही नहीं बल्कि असंख्य भण्डों की जानलेवा बाढ़ों की रोकथाम से सम्पूर्ण समाज को लाभ पहुंचेगा। उत्तर भारत में हाल ही में आई बाढ़ समाप्त प्राय वनों तथा विनष्ट पहाड़ी ढलानों का परिणाम था। | 8. 32 | 115-116 |
| (144) | मिजोरम में किए गये एक अध्ययन से पता चला कि बनियादी ढांचे के अभाव में उद्यान कृषि योजना के अधीन काम कृषि विभाग के स्टाफ द्वारा विस्तार कार्य के अंग के रूप किया जा रहा था। इससे उद्यान कृषि की प्रगति में रुकावट आती है। इसलिए कृषि विभाग के निदेशक की समय देखरेख में उद्यान कृषि का स्वतंत्र निदेशालय प्रारंभ किया जाना चाहिए और उद्यान कृषि की विभिन्न फसलों के पीछे लगाने के लिए क्षेत्रानुसार भूमि के चुनाव का काम हाथ में लिया जाना चाहिए। | 8. 33 | 116 |
| (145) | श्रीलोकिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय रियायतें दी जाती हैं। फिर भी यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश के बस्तर और उड़ीसा के फुलबनी जैसे पिछड़े जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए सभी उप-योजना क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों को पूंजी सहायता के पात्र पिछड़े क्षेत्रों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उद्यमी आकृष्ट हो सकें। वस्तुतः जनजातीय क्षेत्रों को उच्चतर सहायता दी जानी चाहिए। | 8. 34 | 116 |
| (146) | अपने क्षेत्र में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों में आदिवासियों को प्रवेश देकर उनके कौशल को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गये हैं। कुशल व अर्थ-कुशल कामगारों के रूप में स्थायी रोजगार देने के लिए काम के साथ प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है। उद्योग समूहों के पट्ट-प्रदेशों से सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा का सघन कार्यक्रम हाथ में लिया जाना चाहिए। | 8. 37 | 116-117 |
| (147) | जमशेदपुर (बिहार) की घटना, जिसमें अनेक आदिवासियों की जानें गईं, कोई अकेली ऐसी घटना नहीं है। विभिन्न राज्यों में परियोजना क्षेत्रों के आसपास रहने वाले आदिवासी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे औद्योगिकरण के पुराने केन्द्रों ने पहले ही जनजातीय आबादी को प्रभावित कर रखा है। अभी हाल तक वे अलग-अलग तथा सजातीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। नये औद्योगिक नगरीकरण ने जनजातीय जीवन को अस्तव्यस्त कर दिया है तथा श्रम बाजार में आने वाले प्रवासियों से उन्हें स्पर्धा करने पड़ती है। इन प्रोजेक्ट-स्थानों में उपलब्ध नये अवसरों का लाभ उठाने के लिए ये लोग प्रशिक्षित नहीं हैं। | 8. 39 | 117 |
| (148) | मध्य प्रदेश के मलजखंड बालाघाट में प्रस्तावित तांबा परियोजना के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय परिवारों को पहचाना गया है और अधिकांश नये अवसरों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिये गये हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले सभी बड़े उद्योगों के मामले में इस नीति का अनुसरण किया जाना चाहिए। उच्चतर कुशल कार्यों के लिए स्थानीय जनजातियों को प्रशिक्षित करने का | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-----------------|---------|
| | उपयुक्त तरीका निकालना जरूरी है जिससे विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त संख्या में वे भाग ले सकें। इस कार्य में राज्य सरकारें पहले कर सकती हैं। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन क्षेत्रों की जनजातियों की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकतम भर्ती की जाये। | 8.41 | 118 |
| (149) | बड़े उद्योगों की स्थापना के समय यह आवश्यक है कि जो निवासी यह दावा करें कि वे मूल विस्थापित लोग हैं, उनकी और से जिला प्रशासन उनकी भूमि तथा हितों की रक्षा की कार्रवाई करें। अनुसूचित क्षेत्रों के उत्तम प्रशासन के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार केंद्र तथा राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इन क्षेत्रों के शोषक तत्वों की प्रभावकारी ढंग से रोकथाम की जाती है। सम्बद्ध राज्य सरकारों को भी इन क्षेत्रों में जनजातियों को पूर्ण आर्थिक कार्यकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि विभिन्न परियोजनाओं के स्थापित होने के कारण उनके लिए विस्तृत कार्यक्षेत्र प्राप्त हुआ है। इन परियोजनाओं को तभी अंतिम स्वीकृति दी जानी चाहिए, जब यह सुनिश्चित हो जाये कि परियोजना के कार्यक्रमों में वहां पुष्ट प्रदेशों के विकास के तमाम पहलुओं को शामिल कर लिया गया है। | 8.43 | 118 |
| (150) | आदिवासी अनुसंधान संस्थान समय पर अपेक्षित सूचना नहीं भेजते रहे हैं। इस सूचना के अभाव में इन संस्थानों के कार्यपालन का आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। यह आशा की जाती है कि आदिवासी शोध संस्थान भविष्य में ज्यादा जिम्मेदार होंगे। केंद्रीय शोध सलाहकार परिषद् की पिछले दो वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई है। परिषद् की छह महीने में एक बैठक अनिवार्यतः होनी चाहिए ताकि आदिवासी अनुसंधान संस्थानों की समीक्षा की जा सके और आयें किये जाने वाले शोध के विषय में दिशानिर्देश दिया जा सके। कोझिकोड, कलकत्ता, पुणे, शिलांग, कौहिमा तथा एञ्जाबल के संस्थानों ने शोध सलाहकार समितियां गठित नहीं की हैं। इन समितियों के गठन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। | 8.44 और 8.45 | 118 |
| (151) | आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कोझिकोड, केरल एकमात्र मानवविज्ञान में उच्च स्तरीय शोध के केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है और यहां विद्यार्थी जनजातीय समस्याओं पर शोध-कार्य कर रहे हैं। निश्चय ही यह एक अच्छा कदम है और यह आशा की जाती है कि अनेक विद्यार्थी जनजातीय समस्याओं का अध्ययन करने की और आकृष्ट होंगे। आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अपने राज्यों के विश्वविद्यालयों के समाज-विज्ञान विभागों से सम्पर्क कायम करना चाहिए ताकि छात्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के अध्ययन का वातावरण बन सके। देश की आर्थिक प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भाग लेने में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अतः यह जरूरी हो जाता है कि जनजातीय शोध कार्य में लगे संगठन तथा आदिवासी अनुसंधान संस्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव तथा उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन का अध्ययन करें। आदिवासी अनुसंधान संस्थानों की शोध-प्रार्थनाकर्ताएं उप-योजना तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समस्याओं से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध की जा सकती हैं। इधर हरिजनों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसलिए ये अनुसंधान संस्थान इन मामलों के निदान के विषय में अध्ययन करें जिससे इन घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने में सरकार को मदद मिल सके। | 8.46 और 8.48 | 118-119 |
| | अध्याय-9 अत्याचार और उत्पीड़न | | |
| (152) | सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन अपने अपने अधिकार-क्षेत्रों में आने वाले इलाकों में अत्याचारों के मामलों और शिकायतों/अप्यावेदनों के आधार पर सावधिक विस्तृत समीक्षा रिपोर्टें और विशेष ध्यान देने हेतु अधिकतम घटनाओं वाले क्षेत्रों की सूची तैयार करें। देश के विभिन्न भागों में गहन सामाजिक-आर्थिक अध्ययन किये जाने आवश्यक हैं और ऐसे अध्ययनों से समाजविज्ञानियों को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। | 9.93 | 136 |
| (153) | यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी विभागों में काम करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक शिकायतों को दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने में अपने ड्यूटियों में ढोल बरतते न पाये जायें। उदाहरणार्थ, अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों की डाक्टरों जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को विपक्ष के लोग अपने पक्ष में न कर लें। इसी प्रकार राजस्व और पुलिस के अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के अपने प्रयासों में ईमानदार होने चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेने के दोषी अधिकारियों का ऐसा बंड दिया जाना चाहिए, जो दूसरों के लिए सबक बन जाये। पंचायत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त सुरक्षा देने में सक्रिय रूप से सहायता करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार-क्षेत्रों में निहित स्वार्थी द्वारा अनुसूचित समुदायों को किसी तरह का कष्ट न दिया जाये। | 9.93 | 136 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|------|-----|
| (154) सामाजिक-आर्थिक न्याय के मामलों की जांच करने के लिए चले गये विभिन्न विशेष अदालतों स्थापित की जाये। सामान्य कानून-भंग के मामलों से सामाजिक अन्याय के मामलों को पृथक ढंग से निपटाने के लिए कानूनी पद्धति में सुधार किये जाने चाहिए। प्रमाण-भार सम्बन्धी कानून, साक्ष्य अधिनियम, और अपराधिक पद्धति संहिता में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए, जैसा कि अष्टाचार निरोधी मामलों में किया गया है। | | 9.93 | 136 |
| (155) अत्याचार की परिभाषा में किस प्रकार के मामले आते हैं, इस विषय में तनिक भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए इस शब्द की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो अत्याचार के मामलों की छानबीन करने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु दंड संहिता की सम्बन्धित धाराओं को विशेष रूप से रेखांकित कर दिया जाये। सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन अत्याचार के शिकार हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को समुचित मुआवजा देने के लिए नियम बनाये। वित्तीय राहत के अतिरिक्त उनके लिए आजीविका के पर्याप्त साधन भी जुटाये जाने चाहिए। | | 9.93 | 136 |



NIEPA



G0154